सप्तम माला, खंड 45, अंक 19 मंगलवार, 20 मार्च, 1984/30 फाल्गुन, 1905 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(चौदहवां सत्र)

7th Lok Sabha



(खंड 45 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 20 मार्च, 1984/30 फाल्गुन, 1905 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 24, पंक्ति 1, "श्री चरण कालो शर्मा" के स्थान पर "श्री कालो चरण शर्मा" पढ़िये ।

पृष्ठ 28, पंक्ति 7, और पृष्ठ 79, पंक्ति नीचे से 2, "श्री जगनाथ कौशल" के स्थान पर "श्री जगन्नाथ कौशल" पढ़िये ।

पृष्ठ 40, पंक्ति 18, "श्री के0 अर्जुन" के स्थान पर "श्री के0अर्जुनन" पढ़िये ।

पृष्ठ 43, पंक्ति 19, "कटकट" के स्थान पर "कलकट" पढ़िये ।

पृष्ठ 44, पंक्ति 24, "वित्तयो" के स्थान पर "वित्तीय" पढ़िये ।

पृष्ठ 45, पंक्ति नीचे से 6, "ऊजा" के स्थान पर "ऊर्जा" पढ़िये ।

पृष्ठ 46, पंक्ति 6, "कद्र" के स्थान पर "केन्द्र" पढ़िये ।

पृष्ठ 46, पंक्ति 7, "विद्युत के पश्चात् "केन्द्र" अंत: स्थापित करिये ।

पृष्ठ 55, पंक्ति 17, "श्री हनान मोल्लाह" के स्थान पर "श्री हन्नान मोल्लाह" पढ़िये ।

पृष्ठ 134, पंक्ति 25, "अंग्रेजो" के पश्चात् "में" अंत: स्थापित करिये ।

पृष्ठ 146, पंक्ति 1, "श्री एम0एच0लारेंस" के स्थान पर "श्री एम0एम0लारेंस" पढ़िये ।

पृष्ठ 160, पंक्ति 6, "श्री ईरा बनबरासु" के स्थान पर "श्री ईरा अनबारासु" पढ़िये।

पृष्ठ 169, पंक्ति 29, "संयंज्ञ" के स्थान पर "संयंत्र" पढ़िये ।

पृष्ठ 181, पंक्ति 27, "आन्तरित" के स्थान पर "अन्तरित" पढ़िये ।

पृष्ठ 181, पंक्ति 31, "अनन्तरण" के स्थान पर "अन्तरण" पढ़िये ।

पृष्ठ 188, वक्ति 28, "बेफार" के स्थान पर "बेकार" पढ़िये।

पृष्ठ 199, पंक्ति 22, "म्पप" के स्थान पर "पम्प" पढ़िये।

पृष्ठ 208, पंक्ति 15, "{राजपुरा}" के स्थान पर "{राजापुर}" पढ़िये।

पंक्ति 216, पंक्ति 28, "श्री रावतणर शास्त्री" के स्थान पर "श्री रामावता शास्त्री" पढ़िये।

पृष्ठ 227, पंक्ति 11 के पश्चात "खिंची पूरी रेखा" का लोप करके उसके स्थान पर "रूल" लगायें।

पृष्ठ 228, पंक्ति 1, "13·8 म0प0" के स्थान पर "13·37म0प्र0" पढ़िये।

पृष्ठ 231, पंक्ति 20, "विदेशी मंत्रालय" के स्थान पर "विदेश मंत्रालय" पढ़िये

पृष्ठ 245, पंक्ति 17, "श्री एड्आर्डो कैलोरो" के स्थान पर "श्री एड्आर्डो फैलोरो" पढ़िये।

पृष्ठ 254, पंक्ति 29 "श्री बिजू पटनायक" के स्थान पर "श्री बीजू पटनायक" पढ़िये।

विषय-सूची

अंक 19, मंगलवार, 20 मार्च, 1984/30 फाल्गुन, 1905 (शक)

विषय			पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	...	...	1—26
*तारांकित प्रश्न संख्या : 326 से 329	...	...	1—26
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	...	...	26—205
तारांकित प्रश्न संख्या : 323 से 325 और 330 से 342	...	...	26—36
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3725 से 3728, 3730 से 3733, 3735 से 3740, 3742 से 3774, 3776 से 3833 और 3835 से 3959	...	...	36—205
सभा पटल पर रखे गए पत्र	...	...	206—212
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	...	...	212—227
देश के पूर्वोत्तर भाग में विद्रोहियों की बढ़ती हुई गतिविधियों के समाचार	...	...	
श्री रामावतार शास्त्री	...	...	212
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	...	...	212—217
श्री हरीश रावत	...	...	217—220
श्री जैनुल बशर	...	...	220—223
श्री चित्त बसु	...	...	223—227
जीवन बीमा निगम, विधेयक	...	...	227
संयुक्त समिति एक सदस्य की नियुक्ति करने के लिए राज्य सभा से सिफारिश	...	...	227
नियम 377 के अधीन मामले—	...	...	228—231
(एक) नोटरी अधिनियम, 1956 में संशोधन करने की आवश्यकता	...	...	
श्री रशीद मसूद	...	...	228
(दो) पुरी, उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ मन्दिर के परिरक्षण-कार्य की गति को तेज करने की आवश्यकता	...	...	
श्रीमती जयन्ती पटनायक	...	...	228
(तीन) कश्मीर के फल उत्पादकों को दिल्ली में अपनी उपज को बेचने में हो रही कठिनाइयां	...	...	
प्रो० सैफुद्दीन सोज	...	...	228—229

*किसी नाम पर अंकित—† चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(चार) उपभोक्ता मूल्य-सूचकांकों के बारे में राष्ट्रीय अभियान समिति को केन्द्रीय श्रमिक संघों के साथ एक बैठक आयोजित करने की मांग ... ...
श्री सुधीर गिरि 229
(पांच) कुछ रेलगाड़ियों की समय-सारिणियों में परिवर्तन करने की मांग ... ...
श्री सत्यनारायण जटिया ... ... 229—230
(छः) उत्तर प्रदेश को अनाज का कोटा बढ़ाने की आवश्यकता ...
श्री हरीश रावत 230
(सात) चित्तौड़गढ़ किले को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना ... ...
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत ... ... 230—231
बजट (सामान्य)—1984-85—अनुदानों की मांगें ... ... 231—288
विदेश मंत्रालय ... —
श्री सत्य साधन चक्रवर्ती ... — 231—245
श्री एडुआर्डो फैलीरो ... — 245—249
श्री राजेश कुमार सिंह ... ... 249—251
श्री दौलत सिंह जी जदेजा ... ... 251—254
श्री बीजू पटनायक ... ... 254—258
प्रो० एन०जी० रंगा ... ... 258—263
श्री सत्यनारायण जटिया ... ... 263—266
प्रो० नारायण चन्द पराशर ... ... 297—271
श्री डी०एस०ए० शिव प्रकाशम् ... ... 271—272
श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी ... ... 273—275
श्री एस०टी०के० जक्कायन ... ... 275—277
श्री अब्दुल रशीद काबुली ... ... 277—280
श्री केयूर भूषण ... — 280—285
श्री जी०एम० बनातवाला ... ... 285—287
कार्य मंत्रणा समिति ... — 288
58वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया। 288

लोक सभा

मंगलवार, 20 मार्च, 1984/30 फाल्गुन 1905 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री मनी राम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, पीछे जब यहां पर बादशाह खान की बीमारी का जिक्र हुआ था, तो आपने कहा था कि वह विदेश नहीं जाना चाहते। आज अखबारों में खबर छपी है कि उन्होंने विदेश जाने की अनुमति मांगी है। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी इस उम्र में जेल में बैठा है...।

अध्यक्ष महोदय : यह बात करने का यह टाइम नहीं है।

श्री मनी राम बागड़ी : इसके लिए कौन सा टाइम होता है? यह एक शुभ टाइम है। ऐसी बातों से पार्लियामेंट की और राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ती है। इस बात से दुनिया का पथ-प्रदर्शन होता है कि भारत की संसद् शुरू में ही कितनी अच्छी बात को उठाती है।

अध्यक्ष महोदय : उस दिन सारे सदन ने उनके लिए अपना प्रेम और आदर प्रकट किया था। दुनिया में उनसे बड़ा स्वतन्त्रता-सेनानी और देशभक्त नहीं होगा। वह बेचारे सारी उम्र जद्दो-जहद करते रहे।

श्री मनी राम बागड़ी : भारत सरकार को इस बारे में पहल करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सारे सदन को उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंता है। उन्हें हमेशा से यह निमन्त्रण है कि वह यहां आएं और इलाज कराएं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, इसे जीरो-माइनस वन अवर घोषित किया जाना चाहिए।

श्री मनी राम बागड़ी : इतनी गम्भीर बात को मजाक में नहीं लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय कुमार यादव यहां नहीं है। श्री भूरिया भी नहीं हैं। श्री एम० आर० मुल्लू भी अनुपस्थित हैं। अब प्रो० नारायण चन्द पराशर। प्रश्न संख्या 326।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारतीय टेलफोन उद्योग द्वारा स्विचिंग उपकरणों तथा लाइन स्टोर की अन्य मदों का उत्पादन

*326. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग ने छठी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के इन निष्कर्षों पर ध्यान दिया है कि देश में दूरसंचार की सुविधायें उपलब्ध करने में मुख्य बाधा भारतीय टेलीफोन उद्योग तथा अन्य उत्पादक एककों का स्विचिंग उपकरणों तथा लाइन स्टोर की अन्य विभिन्न मदों को समय पर तैयार करने में असफल रहना है;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना के प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान स्टोर्स की सप्लाई को किस हद तक सुनिश्चित किया गया है; और

(ग) स्टोर्स का पर्याप्त उत्पादन तथा नियमित सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा गया है।

विवरण

(ख) निम्नलिखित विवरण मैसर्स आई० टी० आई० द्वारा 1980-83 की अवधि के दौरान सप्लाई किए गए स्विचन उपस्कर की सप्लाई स्थिति के साथ-साथ उनकी संस्थापन क्षमता को दर्शाता है। मैसर्स आई० टी० आई० द्वारा 1983-84 के दौरान सप्लाई की गई स्विचन उपस्कर की मात्रा की जानकारी वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद अर्थात् मई-जून 1984 तक ही हो सकेगी।

क्रम सं०	डिवीजन	संस्थापित क्षमता लाख में	वास्तविक उत्पादन 1980-81 लाख में	1981-82 लाख में	1982-83 लाख में
1.	स्ट्रोजर उपस्कर				
	(एक) बेंगलूर	1.50 उपस्कर लाइन	0.55	1.06	1.1
	(दो) राय बरेली	1.00 ,, ,,	0.12	0.34	0.48
2.	क्रासबार उपस्कर				
	(एक) बेंगलूर	0.60	0.32	0.53	0.66
	(दो) रायबरेली	परियोजना स्थिति में निश्चित क्षमता 2 लाख लाइन।			

स्थानीय एक्सचेंज उपस्कर की कमी को पूरा करने के लिए निम्नलिखित वर्षों के दौरान स्विचन उपस्करों का आयात किया गया, जो इस प्रकार है :

1980-81 1.34 लाख लाइन
1981-82 2.73 लाख लाइन
1982-83 3.15 लाख लाइन
1983-84 0.60 लाख लाइन (कंटेनराइज्ड एक्सचेंज)

(ग) विभाग के लिए अपेक्षित स्विचन उपस्कर का विनिर्माण करने के लिए छठी योजना अवधि के दौरान नई इलेक्ट्रानिक स्विचन फैक्टरियां स्थापित करने का प्रस्ताव था। इन नई फैक्टरियों को स्थापित करने में कुछ विलम्ब हुआ है।

इलेक्ट्रानिक स्विचन उपस्कर की 5 लाख लाइन यूनिट की फैक्टरी स्थापित करने की मंजूरी दी जा चुकी है और इतनी ही क्षमता की एक अन्य फैक्टरी लगाने को भी सिद्धांत रूप में मान लिया गया है। पालघाट में अंकीय टी० ए० एक्स० उपस्कर की 30,000 लाइनों का वार्षिक उत्पादन करने वाली एक फैक्टरी स्थापित करने के लिए करार पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। जहां तक मैसर्स आई० टी० आई० की नियमित सप्लाई का प्रश्न है, सप्लाई को मानीटर करने के लिए आवधिक उत्पादन समन्वय समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं। आई० टी० आई० में

1980-81 के दौरान हुई हड़ताल के कारण सप्लाई में कमी और असन्तुलन आया। मैसर्स आई० टी० आई० ने उपस्कर की सप्लाई को 1-4-1985 से संतुलित रखने की योजना बनाई है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : भारत के विकास में दूरसंचार का महत्वपूर्ण स्थान है और स्थिति इतनी गम्भीर है कि मन्त्री महोदय ने स्वयं ही अपने वक्तव्य में यह स्वीकार किया है कि इसमें बहुत ही भारी कमी चल रही है। मैं मध्यावधि मूल्यांकन के एक टिप्पण पर प्रकाश डालना चाहता हूं जहां संक्षेप में यह टिप्पणी की गई है :—

> "मार्च, 1983 के अन्त तक सम्भावित उपलब्धियां स्विचिंग उपकरणों के बारे में 5.26 लाख लाइनें हैं तथा सीधी एक्सचेंज लाइनों के बारे में 5.30 लाख है जबकि छठी योजना का लक्ष्य इन दोनों के बारे में क्रमशः 14.80 लाख लाइनों तथा 13.30 लाख लाइनों का है।"

ये आंकड़े छठी पंचवर्षीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों के एक तिहाई से भी कम हैं। इन परिस्थितियों में और जब पिछले वर्ष मन्त्री महोदय के मध्यावधि मूल्यांकन उपलब्ध कराया गया था तब से क्या मैं यह मालूम कर सकता हूं कि इस प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए तथा देश से बाहर टेलीफोन लाइनें बिछाने के लिए अपेक्षित स्विचिंग उपकरणों और अन्य सामान के संबंध में छठी योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए क्या उपाय किए गए हैं।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : मेरे पास ताजा आंकड़े हैं जिनसे यह पता चलता है कि छठी योजना के अन्त तक 9.76 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनें उपलब्ध हो जायेंगी, सम्भावित क्षमता का 80.4 प्रतिशत संस्थापित हो जाएगा और सम्भावित एक्सचेंजों का 93.1% खोल दिये जाएंगे। यह सच है कि इसमें कमी है। और जैसाकि मैंने पहले बताया है कि इसके दो तरफा कारण हैं—एक तो यह है कि दिसम्बर, 1980 से जून, 1981 तक देश भर में सभी भारतीय टेलीफोन उद्योगों के कारखाने हड़ताल अथवा तालाबन्दी के कारण बन्द रहे। जिससे लगभग 70 हजार उत्पादन लाइनों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। हमने इसे आयात के द्वारा पूरा करने का प्रयास किया है परन्तु आयात में कुछ विलम्ब हो गया है। लेकिन अब स्थिति स्विचिंग के बारे में सुधर गई।

जहां तक तारों का सम्बन्ध है इसके बारे में माननीय सदस्य ने जिक्र किया है। हिन्दुस्तान केबिल्स की क्षमता बढ़ाई जा रही है। 4 गैर-सरकारी कम्पनियों का 4 लाइसेंस दिये जा चुके हैं और हमें आशा है कि छठी योजना के अन्त तक पिछली कमी को पूरा कर लिया जाएगा।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : यह तस्वीर का एक ही पहलू है। उन्होंने हमें आशा दिलायी है कि निर्धारित क्षमता का 91% पूरा हो जाएगा परन्तु उन्होंने कोई तारीख नहीं बतायी है कि यह किस तारीख तक पूरा होगा।

श्री वी० एन० गाडगिल : छठी योजना के अन्त तक।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : छठी योजना के अन्त तक। इसका मतलब है कि अभी एक साल और बाकी है।

प्रो० मधु दंडवते : लेकिन यह छठी योजना पूरी कब होगी।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : यह आपके लिए चिंता की बात हो सकती है। लेकिन हमारे लिए तो यह छठी योजना है न कि अनवरत योजना।

दूसरे, एक टिप्पणी यह भी है कि और यह तथ्य भी है कि 94 प्रतिशत टेलीफोन शहरी क्षेत्रों में स्थापित हैं देश का ग्रामीण क्षेत्र लगभग 80% है और उनमें करीब-करीब 6 लाख गांव ऐसे हैं जिनमें केवल अभी तक 7 या 8% टेलीफोन लगे हुए हैं। इसलिए इस भारी कमी को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र इस मामले में बहुत ही पिछड़े हुए हैं। क्या मैं मन्त्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष उपाय कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र भी दूरसंचार के क्षत्र में आगे बढ़ सकता है। जबकि शहरों में लोग सिर्फ यह पूछने के लिए कि आपका क्या हाल है टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं। जबकि गांवों में मृत्यु तक की सूचना देने के लिए टेलीफोन उपलब्ध नहीं हैं। इस आवश्यकता को देखते हुए मन्त्री महोदय ग्रामीण क्षेत्रों को उचित प्राथमिकता देने के लिए क्या कदम उठाएंगे।

श्री वी० एन० गाडगिल : माननीय सदस्य ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं एक दृष्टिकोण से वो सही नहीं है। दूर संचार के क्षेत्र में "शहरी" शब्द का इस्तेमाल एक अलग अर्थ में किया जाता है। हम जनगणना विभाग की परिभाषा को मानते हैं जहां कि शहरी और गैर-शहरी क्षेत्र की परिभाषा की गई है। यदि आप इस परिभाषा को स्वीकार करें तो आप देखेंगे कि जिन्हें हम सामान्यत: ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं वे उस परिभाषा के भीतर आ जाते हैं। इसलिए उनके द्वारा दिये गये आंकड़े कम हैं। जबकि वास्तविक उत्पादन कहीं अधिक है। दूसरे, जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का सम्बन्ध है, पहले से घोषित नीति में ग्रामीण क्षेत्रों को और विशेषकर पहाड़ी, पिछड़े हुए तथा आदिवासी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी है। हम दो बातों के बारे में विचार कर रहे हैं और उनके बारे में अनुमान लगा रहे हैं। मैंने इस सदन में बार-बार यह बताया है कि हमने सारे भारत को 5 किलोमीटर के षट्भुजाकार क्षेत्र में विभाजित करता है और प्रत्येक षटभुजाकार क्षेत्र में एक दूर संचार सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। भारत को विभाजित करने का कार्य राष्ट्रीय आर्थिक विकास संस्थान को सौंपा है। उस संस्थान ने अभी-अभी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उन स्थानों का पता लगाया गया है जहां यह दूर संचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिएं। मुझे तकनीकी बातों की जानकारी नहीं है परन्तु जिसे मल्टी-एक्सेस टेलीफोन प्रणाली कहा जाता है, उसका प्रयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है यदि हमें इससे सफलता मिलती है तो हम इसे दूसरे क्षेत्रों में भी लागू करेंगे।

श्री अर्जुन सेठी : क्या यह सच नहीं है कि कच्चे माल की कमी के कारण, जैसाकि मेरे मित्र ने बताया है, देश के ग्रामीण और दूर-दराज इलाकों में स्वीकृत किये गये अधिकांश पी० ओ० शीघ्र ही स्थापित नहीं की जा रही हैं। यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाये हैं कि देश के कम से कम दूर-दराज और वीरान इलाकों को यह टेली-फोन सुविधा उपलब्ध करा दी जाए।

श्री वी० एन० गाडगिल : जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है वहां आदिवादी क्षेत्र बहुत बड़ा है। और इसीलिए उदारीकृत नीति को देखते हुए उसे अब ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। जहां तक सामान्य रूप से ऐसे क्षेत्रों का सम्बन्ध है, जहां आसानी से पहुंच नहीं हो सकती। हमने यह निर्णय किया है कि उन्हें एक सैटलाइट के माध्यम से जोड़ दिया जाए और पोर्टब्लेयर एक ऐसा बन्दरगाह होगा जिसे सेटलाइट से जोड़ा जाएगा। यह सच है कि कच्चे माल की कमी है। इस बारे में मैं प्रो० पराशर को बता चुका हूं। मैंने यह भी बताया है कि उत्पादन में कितनी वृद्धि की जाएगी। इसमें 5 लाख की वृद्धि की जाएगी। गोंडा की डीजिटल उपकरण कारखाने का वार्षिक

उत्पादन शुरू हो गया है। एक दूसरे कारखाने को सिद्धान्त रूप में स्वीकृति मिल गई है। जब ये दोनों कारखाने उत्पादन के लिए तैयार हो जाएंगे तो हमें लगभग 10 लाख लाइनें उपलब्ध हो जाएंगी।

श्रीमती कृष्णा शाही : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं क्या यह बात सही है कि मन्त्री महोदय के विभाग की ओर से यह निर्देश जारी किया गया है कि जितने भी नये डाकघर खुलने थे उन पर अभी रोक लगा दी गई है ?

मेरी कांस्टीटुएन्सी में ऐसा निर्देश गया है, उसको मैंने देखा है। इसलिए मैं जानना चाहती हूं क्या यह बात सही है कि मन्त्री महोदय के विभाग ने ऐसा निर्देश दिया है कि तत्काल कोई नए डाकघर न खोले जायें ?

श्री विजय एन० पाटिल : नए डाक घर खोले जा रहे हैं मगर जनता पार्टी के राज में··· **(व्यवधान)** मैं पालिसी की बात कर रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए। जहां पर पी सी ओ हैं वहां एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब पोस्ट-आफिस भी दिया जाए ऐसी पालिसी बनाई गई थी जिसकी वजह से ज्यादा एक्स्ट्रा डिपार्टमेन्टल सब-पोस्ट आफिस ओपेन हुए और हैड-पोस्ट आफिस भी ज्यादा ओपेन होने शुरू हुए जिसको एकोनामिकली फीजिबल नहीं पाया गया। इसकी वजह से पार्शल बैन हैड पोस्ट आफिस ओपेन करने पर लगाया गया है लेकिन ट्राइबल एरियाज में पापुलेशन की बेसिस पर पोस्ट आफिस प्रायर्टी बेसिस पर ओपेन किए जा रहे हैं।

श्री बीजू पटनायक : क्या मन्त्री महोदय कृपा करके यह बतायेंगे कि उनकी टेलीफोन प्रणाली वास्तव में कब तक कार्य करने लगेगी ?

श्री बी० एन० गाडगिल : यह सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

(व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक : जी नहीं, यह अत्यन्त असंतोषजनक उत्तर है जो मैंने इस सदन में सुना है। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : यह केवल कड़ा परिश्रम ही है।

अध्यक्ष महोदय : किसका संतोष ?

प्रो० मधु दंडवते : हमारे यहां एक ऐसी सरकार है जो काम करती है और ऐसे टेलीफोन हैं जो काम नहीं करते हैं।

श्री दयाराम शाक्य : जैसा मन्त्री जी बताया ने कि टेलीफोन सैटिस्फैक्टरी काम कर रहा है, मैं अपना स्वय का एक्सपीरिएंस बता रहा हूं, अपनी कांस्टीटुएंसी ही नहीं बल्कि अपने जिला केंद्र पर 15 दिन से प्रयास कर रहा हूं···।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि अपने-अपने एक्सपीरिएंस की मैंने अगर इजाजत दे दी तो कोई बाकी नहीं बचेगा।

श्री दयाराम शाक्य : 15 दिन से लाइन ठीक नहीं मिल रही है, ऐसा उत्तर मिलता है। यहीं लोक-सभा में स्वर्गीय श्री स्टीफन साहब ने आश्वासन दिया था कि जब स्वचालित व्यवस्था हो जायेगी तो एस टी डी की व्यवस्था भी हो जायेगी, लेकिन यह अब तक नही हुआ। क्या मन्त्री जी इसे और अपने उत्तर को ध्यान में रखते हुए कि सैटिस्फैक्टरी वर्क कर रहे है, क्या सारे देश में जिला केंद्रों का सम्बन्ध दिल्ली से ठीक से रह सके, ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री वी० एन० गाडगिल : एस० टी० डी० के संबंध में कुछ नीतियां निर्धारित हैं। सबसे पहले एस० टी० डी० कनेक्शन राज्यों की राजधानियों से दिल्ली के लिये उपलब्ध कराये जाते हैं; दो राजधानियों को छोड़कर शेष सभी राजधानियां जोड़ दी गई हैं। इसके बाद जिला मुख्यालयों का नम्बर आता है जिन्हें राज्य के मुख्यालयों से जोड़ा जाता है और इसके बाद तीसरे नम्बर पर अन्य महत्वपूर्ण स्थान तथा अन्य बी०ओ० आती हैं। इसलिये, यदि यह जिला मुख्यालय है तो इसे एस०टी०डी० कनक्शन मिल सकता है।

अब, एस० टी० डी० कनक्शन लेने के लिये तीन तकनीकी बातों का होना जरूरी है। पहला है स्वचालित एक्सचेंजों का होना। पहले गैर-स्वचालित एक्सचेंजों को स्वचालित एक्सचेंजों में परिवर्तित करना पड़ेगा। दूसरे विश्वसनीय ट्रांसमीशन लाइनों की उपलब्धता। तीसरे स्वचालित एक्सचेंजों में टर्मिनलों की उपलब्धता। जैसा कि मैंने बताया है के तीन तकनीकी शर्तें हर हालत में जरूरी हैं जो वहां उपलब्ध नहीं हैं। इसलिये, हमने उसी रूप में प्राथमिकता का निर्धारण किया है जिस रूप में मैं अभी बता चुका हूं।

श्री बीजू पटनायक : केवल माननीय सदस्य उपलब्ध हैं और मन्त्री महोदय उपलब्ध हैं।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : एस० टी० डी० टेलीफोन के बारे में पहले भी यहां बहस हुई थी जिस समय हमने मांग की थी, खासकर मैंने कि क्या मीटर की कोई व्यवस्था होगी तो आपने कहा था कि यह नहीं हो सकता है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या टेलीफोन में ही स्विच आन एण्ड आफ की कोई व्यवस्था आप करेंगे ? अभी बिलिंग के बारे में जो लोगों की शिकायतें आती हैं, जिनकी वजह से कुछ एम० पीज ने भी अपनी सी० टी० डी० फैसिलिटी को बन्द करने के लिये कहा है, मैं आपको इन्फार्मेशन दे रही हूं कि बिलिंग के बारे में अभी भी बहुत गलत काम हो रहा है।

बांद्रा में बंबई में एक दुकान है जहां पर यह फैसिलिटी दुकानदार ने दे रखी है कि 10 रुपये देकर कहीं भी ट्रंक कर सकते हैं या एस० टी० डी० कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि उस दुकान से किसी न किसी जगह पर टेलीफोन पर गलत काम होता है और वहां बिलिंग ज्यादा होता है और दुकानदार को 10 रुपया मिलता है। मैं उसका बिल्कुल पता वगैरह दे सकती हूं। इस प्रकार का काम अलग-अलग जगहों पर हो रहा है। पहले भी मैंने यह कहा है और आज भी यह बात फिर कह रही हूं।

मन्त्री जी जब और बड़े-बड़े काम करने के बारे में कह रहे हैं तो मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या वह टेलीफोन में स्विच-आन एण्ड स्विच-आफ की कोई व्यवस्था करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह थोक का भाव है ना ?

श्री वी० एन० गाडगिल : माननीय सदस्य द्वारा एक ऐसा ही सुझाव पहले भी दिया गया था और उस समय मैंने यह बताया था कि तकनीकी कर्मचारियों ने मुझे यह बताया है कि टेलीफोन धारकों के परिसरों में मीटर लगाना तकनीकी रूप से व्यवहारिक नहीं है। अब, जो उन्होंने नया सुझाव दिया है उसे भी मैं दूर संचार अनुसंधान केन्द्र को भेज दूंगा और वे बतायेंगे कि क्या कोई ऐसी प्रणाली की खोज की जा सकती है या नहीं।

बांद्रा की घटना के बारे में उन्होंने जो उल्लेख किया है, मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि उन्होंने इस प्रकार की सूचना मुझे दी है। मैं चाहता हूं कि अन्य सदस्य भी ऐसा ही करें ताकि हम दोषी लोगों को पकड़ सकें।

श्री रतन सिंह राजदा : ऐसी अनेकों बातें इस देश में चल रही हैं।

श्री बीजू पटनायक : मेरा सिर्फ स्थानीय कालों का एक महीने में 15000/- रु० का बिल आया है। इसका अर्थ है कि मेरे टेलीफोन से 500 कालें प्रतिदिन हुई हैं। क्या यह आदमी के लिये संभव हो सकता है ?

श्री वी० एन० गाडगिल : यह पहला मौका है जो मैं यह सुन रहा हूं। यदि वह मुझे इस बारे में लिखेंगे तो मैं इसकी जांच कराऊंगा। दिल्ली में ही अनेक मामलों में हमने एक करोड़ रुपये की छूट दी है। जब भी कभी यह पता लगता है कि बिल गलत है तो हम छूट प्रदान करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न शुरू करने से पहले मैं श्रीमती दण्डवते से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि स्विच आन और स्विच आफ की बात आपने की है। यदि किसी पोलिटीशियन के घर में टेलीफोन करने वाला आयेगा तो उनको कौन कहेगा कि आन करो या न करो।

कोल इण्डिया लि० द्वारा कोयला कंपनियों के लिए खरीदी गई मशीनरी

*327. **श्री ए० के० राय** : क्या **ऊर्जा मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इण्डिया लि० द्वारा अपनी अधीनस्थ कोयला कम्पनियों के लिए 1 जनवरी, 1984 तक पिछले तीन वर्षों में खरीदी गई मशीनों का ब्यौरा क्या है तथा इसके कम्पनीवार आंकड़ क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन मशीनों की क्षमता का कितना उपयोग हुआ;

(ग) इन मशीनों का कोयला कंपनियों की उत्पादकता पर प्रति व्यक्ति शिफ्ट में हुए उत्पादन के रूप में क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) कोल इण्डिया लि० द्वारा अपनी कम्पनियों के लिए पिछले तीन वर्षों में 1.1.1984 तक खरीदी गई मशीनरी के ब्यौरे विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) कोल इंडिया लि० में बुनियादी भारी मिट्टी हटाने वाली मशीनरी की उपलब्धि का प्रतिशत और उपयोग के रूप में उपलब्धि का प्रतिशत विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) और (घ) कोल इंडिया लि० की कोयला कंपनियों में कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद विभिन्न आकारों के शॉवेल, ड्रगलाइन, डंपर, डोजर जैसे ओपेनकास्ट उपकरणों का प्रयोग शुरू किया गया है। इसके परिणामस्वरूप कोल इण्डिया लि० की ओपेनकास्ट खानों में प्रति व्यक्ति प्रतिपाली उत्पादन में क्रमशः वृद्धि हुई है जो कि निम्नलिखित ब्यौरे से स्पष्ट है :—

वर्ष	प्रति व्यक्ति प्रति पाली उत्पादन (टनों में प्रति मानव पाली)	वृद्धि का प्रतिशत
1979-80	1.27	—
1980-81	1.52	19.7
1981-82	1.90	25.0
1982-83	1.99	4.7

विवरण-1

कोल इंडिया लि० द्वारा खरीदी गई मशीनरी (पिछले वर्षों के अवशिष्ट सहित) का सहायक कम्पनी-वार विवरण

I. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०

1981-82

क्रम सख्या	विवरण	मात्रा
1.	160 मिमि ड्रिल	2 नग
2.	जेनेरेटिंग सैट	1 नग
3.	डीजल माइन ट्रेक्टर	2 नग
4.	गैस टर्बाईन	2 नग
5.	रोड हीडर	2 नग
6.	मानेटरिंग सिस्टम	1 नग
7.	डस्ट फिल्टर	2 नग
8.	ड्रैजर	1 नग
9.	रेल हुगेर	7 नग
10.	लेजर इक्वीपमेंट	2 नग
11.	डी 155ए डोजर	13 नग
12.	क्रेन	1 नग
13.	डस्ट फिल्टर	4 नग
14.	ट्रैक्टर ट्रेलर	1 नग

(ई.को.लि.)

1982-83

क्रम संख्या	विवरण	मात्रा
1.	250 मिमि बीएच ड्रिल	1 नग
2.	50 टी ट्रेक्टर ट्रेलर	1 नग
3.	50 डी डम्पर	4 नग
4.	डी-155 डोजर	9 नग
5.	4.6 क्यू. एम. शावेल	3 नग
6.	10 क्यू. एम. शावेल	2 नग
7.	160 मिमि बीएच ड्रिल	3 नग
8.	85-टी डम्पर	16 नग
9.	डी-155 डोजर	6 नग
10.	डी-355 डोजर	
11.	160 मिमि बीएच ड्रिल	4 नग
12.	50-टी क्रेन	2 नग
13.	250 मिमि बीएच ड्रिल	1 नग
14.	35-टी डम्पर	6 नग

(ई.सी.एल.)

1983-84 (1.1.1984 तक)

क्रम संख्या	विवरण	मात्रा
1.	35-टी डम्पर (बी.ई.एम.एल.)	2 नग
2.	35 टी डम्पर (एच.एम.एल.)	4 नग
3.	50 टी डम्पर	8 नग
4.	85 टी डम्पर (बी.ई.एम.एल.)	5 नग
5.	275 एच.पी. डोजर	9 नग
6.	400 एच.पी. डोजर	3 नग
7.	4.6 क्यू.एम. शावेल (एच.ई.सी.)	6 नग
8.	160 मिमि ड्रिल (आर.सी.पी.)	1 नग
9.	250 मिमि ड्रिल (एम.एक्स.)	1 नग
10.	50 टी क्रेन (जेसोप)	1 नग
11.	लेप्रोकेटर	2 नग
12.	डस्ट फिल्टर	2 नग
13.	पी.वी.सी. वेल्टिंग	11.1
14.	बेल्ट कन्वेयर (एक्स.)	8 नग
15.	रोड हेडर	3 नग
16.	सी.सी.एम.	33 नग
17.	सेल्फ रेस्क्यूअर	5000 नग
18.	आक्स.वेंट. फैन	3 नग

II. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

1981-82

क्रम संख्या	विवरण	मात्रा
1.	बेल्ट कन्वेयर	14 नग
2.	बेल्ट कन्वेयर	6 नग
3.	टीबी कन्वेयर	8 नग
4.	बेल्ट कन्वेयर	3 नग
5.	बेल्ट कन्वेयर	5 नग
6.	डी 355 ए डोजर	3 नग
7.	रोड हैडर	7 नग
8.	फीडर क्रशर	5 नग
9.	सी.सी.एम.	37 नग
10.	बेल्ट कन्वेयर	5 नग
11.	एफ.ई. लोडर	6 नग
12.	लेजर इक्वीपमेंट	2 नग
13.	डी 155ए डोजर	4 नग
14.	85 टी डम्पर	12 नग
15.	बेल्ट कन्वेयर	8 नग
16.	कन्वेयर	11 नग
17.	250 मिमि ड्रिल	2 नग

(डब्ल्यू.सी.एल.) वे.को.लि.

1982-83

क्रम सं०	विवरण	मात्रा
1.	10 क्यू.एम. शावेल (एच.ई.सी.)	1 नग
2.	10/70 ड्रेगलाइन	1 नग
3.	4.6 क्यू.एम. शावेल	15 नग
4.	35-टी डम्पर	6 नग
5.	250 मिमि ड्रिल (एम. एक्सपर्ट)	5 नग
6.	250 मिमि ड्रिल	3 नग
7.	250 मिमि. ड्रिल	2 नग
8.	160 मिमि ड्रिल (आर.एम.टी.)	2 नग
9.	एफ.ई. लोडर	10 नग
10.	50-टी डम्पर	10 नग
11.	35-टी डम्पर	45 नग
12.	25-टी डम्पर	4 नग
13.	डी-155 डोजर	19 नग
14.	डी-355 डोजर	8 नग
15.	160 मिमि ड्रिल	1 नग
16.	एफ.ई. लोडर	1 नग
17.	120-टी डम्पर	5 नग

(वे.को.लि.)

1983-84 (1.1.1984 तक)

क्रम सं०	विवरण	मात्रा
1.	35-टी डम्पर (बी.ई.एम.एल.)	62 नग
2.	35-टी डम्पर (बी.एम.एल.)	15 नग
3.	50-टी डम्पर	15 नग
4.	85-टी डम्पर (एच.एम.)	17 नग
5.	400 एच.पी. डोजर	3 नग
6.	4.6 क्यू.एम. शावेल (एच.ई.सी.)	12 नग
7.	4.6 क्यू. एम. शावेल (एम. एक्सपर्ट)	5 नग
8.	160 मिमि ड्रिल (एल.एम.पी., आर.सी.पी. और आई.आर.)	11 नग
9.	250 मिमि ड्रिल (एच.ई.सी.)	7 नग
10.	250 मिमि ड्रिल (एम.एक्स.)	3 नग
11.	250 मिमि ड्रिल (एल.एम.पी.)	1 नग
12.	50-टी क्रेन (जेसोप)	3 नग
13.	120-टी डम्पर	6 नग
14.	मोटर ग्रेडर (बी.ई.एस.एल.)	6 नग
15.	फीडर ब्रेकर	2 नग
16.	पी.वी.सी. बेल्टिंग	72.7
17.	बेल्ट कन्वेयर (एक्स.)	2 नग
18.	सी.सी.एम.	27 नग
19.	एल.डी. चेन कन्वेयर	5 नग
20.	सेल्फ रेस्क्यूशर	4348 नग

III. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

1981-82

क्रम सं०	विवरण	मात्रा
1.	160 मि.मि. ड्रिल	3 नग
2.	गैस टरबाइन जेनेरेटिंग सेट	2 सेट
3.	डी-355ए डोजर	3 नग
4.	रोड हीडर	7 नग
5.	शाफ्ट सिंकिंग इक्यूपमेंट	2 नग
6.	डीजल लोकोमोटिव	1 नग
7.	लांगवाल फेस उपकरण	2 नग
8.	एफ.ई. लोडर	2 नग
9.	पम्प	2 नग
10.	लाजर उपकरण	9 नग
11.	डी-155ए डोजर	7 नग
12.	क्रेन	1 नग
13.	बेल्ट कन्वेयर	4 नग

1982-83

क्रम सं०	विवरण	मात्रा
1. (क)	250 मि.मी. ड्रिल (एच.ई.सी.)	1 नग
(ख)	250 मि.मी. ड्रिल (एम. निर्यात)	2 नग
2.	फ्रन्ट एन. लोडर (जी.एम.एम.सी.)	3 नग
3.	35-टी डम्पर	10 नग
4.	50-टी डम्पर	1 नग
5.	डी-155ए डोजर	7 नग
6.	डी-355ए डोजर	1 नग
7.	160 मि.मी. ड्रिल	1 नग
8.	4.6 घ.मी. शॉवेल (एम. निर्यात)	3 नग
9.	4.6 घ.मी. शॉवेल (एच.ई.सी.)	7 नग
10.	10 घ.मी. शॉवेल (एच.ई.सी.)	3 नग
11.	3.2 घ.मी. शॉवेल (एल. और टी.)	1 नग
12.	35-टी डम्पर (एच.एम.)	6 नग
13.	250 मि.मी. बी.एच. ड्रिल	1 नग
14.	35-टी डम्पर	4 नग
15.	50-टी डम्पर	5 नग
16.	86-टी डम्पर	7 नग
17.	डी-155ए डोजर	3 नग
18.	160 मि.मी. ड्रिल	2 नग
19.	ड्रोजर	1 नग
20.	मोटर ग्रेडर	3 नग

1983-84 (1.1.1984 तक)

क्रम सं०	विवरण	मात्रा
1.	35-टी डम्पर (बी.ई.एम.एल.)	15 नग
2. (क)	35-टी डम्पर	7 नग
(ख)	वही (एच.एम)	7 नग
3.	275 एच.पी. डोजर	9 नग
4.	400 एच.पी. डोजर	1 नग
5. (क)	4.6 घ.मी. शावेल (एच.ई.सी.)	4 नग
(ख)	वही (एम. निर्यात)	4 नग
6.	160 मि.मी. ड्रिल (एल.एम.पी., आई.आर. एवं आर.सी.पी.)	4 नग
7. (क)	250 मि.मी. ड्रिल (एच.ई.सी.)	1 नग
(ख)	वही (एम. निर्यात)	1 नग
8.	50-टी क्रेन (जेसोप)	2 नग
9.	मोटर ग्रेडर (जेसफ)	1 नग
10.	ड्रैगलाइन 20/90	1 नग
11.	फीडर ब्रेकर	2 नग
12.	डस्ट फील्टर	10 नग
13.	डस्ट सेम्पलर	8 नग
14.	पी.वी.सी. बेल्टिंग	12.5
15.	रोड हीडर	4 नग
16.	वेल्ट कन्वेयर	4 नग
17.	एक्स. वेन्ट. फैन	4 नग
18.	लांगवाल फेस उपकरण	2 नग

IV. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

1981-82

क्रम सं०	विवरण	मात्रा
1.	160 मि.मी. ड्रिल	3 नग
2.	कारबन मॉनोक्साइड मोनीटरिंग	1 नग
3.	ट्रेलिंग केबिल	12 नग
4.	ओ.सी.बी-11 के.ए.	6 नग
5.	ड्रिल पैनल	6 नग
6.	ट्रांसफारमर	1 नग
7.	11 के.वी. स्विच	2 नग
8.	एच.टी. स्विच	2 नग

क्रम सं०	विवरण	मात्रा
9.	70 व. मि.मी. केबिल	20 लेंथ
10.	सर्किट ब्रेकर	1 नग
11.	ट्रांसफर	10 नग
12.	डी-355ए डोजर	23 नग
13.	स्विच गियर	4 नग
14.	ड्रम शियरर	4 नग
15.	स्विच गियर और ट्रांसफारमर	32 नग
16.	एक्स. फैन (एम.वी.)	1 नग
17.	रोड हेडर	2 नग
18.	10 घ.मी. शॉवेल	5 नग
19.	हाइड. शॉवेल	2 नग
20.	85-टी डम्पर	15 नग
21.	स्विच गियर	21 नग
22.	एफ.ई. लोडर	2 नग
23.	एम.वी. फैन	1 नग
24.	स्विच बोर्ड	1 नग
25.	कन्वयर	1 नग
26.	एम.वी. फैन	1 नग
27.	सब. स्टेशन	4 नग
28.	लैंजर उपकरण	2 नग
29.	डी. 155ए डोजर	7 नग
30.	85-टी डम्पर	12 नग
31.	ड्रिल-160 मि.मी.	5 नग
32.	वही	3 नग
33.	स्विच गियर	8 नग
34.	क्रेन	8 नग
35.	एच.टी. स्विच बोर्ड	3 नग
36.	स्विच गियर	31 नग
37.	ओ.सी.बी.	29 नग
38.	स्विच बोर्ड	7 नग
39.	250 मि.मी. ड्रिल	2 नग

1982-83

क्रम सं०	विवरण	मात्रा
1. (क)	250 मि.मी. ड्रिल (एम. निर्यात)	12 नग
(ख)	वही	6 नग
2.	5.7 घ.मी. ड्रैंगलाइन	2 नग
3. (क)	डी. क्रेन	6 नग
4. (क)	35 टी. डम्पर	45 नग
(ख)	35 टी. डम्पर	10 नग
5.	50 टी. डम्पर	6 नग

क्रम सं०	विवरण	मात्रा
6.	85 टी. डम्पर	7 नग
7.	डी. 155 डोजर	3 नग
8.	डी-355 डोजर	19 नग
9. (क)	3.6 घ.मी. शॉवेल (एच.ई.सी.)	9 नग
(ख)	वही (एम. निर्यात)	10 नग
10.	24 घ.मी. ड्रैगलाइन	4 नग
11.	10 घ.मी. ड्रैगलाइन (एच.ई.सी.)	1 नग
12.	35-टी. डम्पर	19 नग
13.	50-टी. डम्पर	16 नग
14.	85-टी/120-टी डम्पर	5 नग
15.	डी-155 डोजर	10 नग
16.	डी-355 डोजर	1 नग
17.	160 मि.मी. ड्रिल	7 नग
18.	10 घ.मी. शावेल (पी. एवं एच.)	1 नग

1983-84 (1.1.1984 तक)

क्रम सं०	विवरण	मात्रा
1.	35-टी डम्पर (बी.ई.एम.एल.)	54 नग
2.	50-टी डम्पर	5 नग
3. (क)	85-टी डम्पर (बी.ई.एम.एल.)	18 नग
(ख)	वही (एच.एम.)	5 नग
4.	275 एच.पी. डोजर	4 नग
5.	400 एच.पी. डोजर	11 नग
6.	4.6 घ.मी. शावेल (एच.पी.सी.)	6 नग
7.	ट्रैक्टर टेलर	1 नग
8.	160 मि.मी. ड्रिल (आर.सी.पी., आई.आर. और आई.एम.पी.)	7 नग
9. (क)	250 मि.मी. ड्रिल (एच.ई.सी.)	7 नग
(ख)	वही (एम. निर्यात)	10 नग
(ग)	वही (आर.सी.पी.)	2 नग
(घ)	वही (एल.एम.पी.)	1 नग
10.	50-टी क्रेन (टी.आई.एल.)	5 नग
11.	120-टी डम्पर	4 नग
12. (क)	मोटर ग्रेडर (बी.ई.एम.एल.)	7 नग
(ख)	वही (जेसप)	4 नग
13.	ड्रैगलाइन	3 (भाग)
14.	फीडर ब्रेकर	1 नग
15.	पी.वी.सी. बेल्टिंग	11.25+2.8
16.	डस्ट सेम्पलर	2 नग
17.	सेल्फ रेस्क्यूअर	7162 नग

विवरण-2

कोल इण्डिया लि० की ओपेनकास्ट परियोजनाओं में बुनियादी भारी मिट्टी उठाने वाली मशीनरी की उपलब्धता का प्रतिशत

	डम्पर			शावेल			डोजर			ड्रिल		
	81-82	82-83	83-84 (जन० तक)	81-82	82-83	83-84 (जन० तक)	81-82	82-83	83-84 (जन० तक)	81-82	82-83	83-84 (जन० तक)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ई.को.लि.	71	70	55	79	75	63	62	64	53	81	78	77
भा.को.को.लि.	73	74	68	74	71	73	71	70	70	68	73	68
से.को.लि.	68	69	71	74	76	72	67	64	70	78	78	71
वे.को.लि.	64	65	62	80	98	74	67	67	70	69	69	66

कोल इंडिया लि० की ओपेनकास्ट परियोजनाओं में बुनियादी भारी मिट्टी उठाने वाली मशीनरी की उपब्धता के उपयोग का प्रतिशत

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ई.को.लि.	54	62	39	56	59	48	53	56	39	52	55	39
भा.को.को.लि.	58	57	52	61	65	56	63	69	58	40	39	37
से.को.लि.	70	72	61	72	71	68	64	67	58	50	50	53
वे.को.लि.	61	63	61	71	74	74	75	82	70	62	63	62

श्री ए० के० राय : यह प्रश्न कोयला खानों का अंधा-धुंध यांत्रिकरण करने के सम्बन्ध में है। भेजी गयी अधिकांश सूचना चौंकाने वाली है। कुछ सूचना गलत है कुछ सूचना अधूरी है कुछ सूचना संदेहप्रद है और शेष गुमराह करने वाली है। आप यह जानते हैं कि इस देश में अधिकांश लोग बेरोजगार हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें यांत्रिकरण की किसी भी प्रक्रिया के बारे में सावधानी रखनी चाहिए। और इसका उद्देश्य उत्पादकता, उत्पादन लाभप्रदता को बढ़ाना तथा लागत को कम करना होना चाहिए। और यहां कोयले की खानों में उत्पादकता को प्रति व्यक्ति पारी (सी एम एस) उत्पादन के रूप में मापा जाता है। यदि आप आंकड़ों को देखें आंकड़े वस्तुत: संदेह युक्त, गलत हैं और मैं उन्हें बाद में बताऊंगा उनसे आपको यह पता लगेगा कि 3000 करोड़ रुपये यांत्रिकरण की प्रक्रिया में लगाये गये हैं। लेकिन उत्पादकता में वृद्धि नहीं हुई हैं। इसके अधिक क्या कहा जाये ; मशीनरी की उपयोगिता घटी है। कोयला कारखानों को दो भागों में बांटा गया है भूगत खानें और खुली हुई खानें। मन्त्री महोदय ने खुली हुई फैली खानों के बारे में आंकड़े दिये हैं जिनसे यह पता लगता है कि गत दो वर्षों में उत्पादकता 1.90 से बढ़ कर 1.99 हो गई है। लेकिन कोयला विभाग की रिपोर्ट से पता लगता है कि खुली हुई फैली खानों में भी गत दो वर्षों में उत्पादकता घटकर 1.83 से 1.76 हो गयी है। मैं यह जानना चाहता हूं : आपकी रिपोर्टों में से कौनसी रिपोर्ट सही है। क्या आपके विभाग की रिपोर्ट ठीक है या आपके द्वारा दी गई सूचना ठीक है। दूसरी बात यह है कि क्या आप अपने आपको ही धोखा देना चाहेंगे ? खुली हुई फैली खानों में उत्पादन बिलकुल नहीं होता है। कुल कोयला खानों की उत्पादकता कितनी है। भूगर्भ खानों की उत्पादकता घटी है। अधिक से अधिक मशीनें लगायी गई हैं। उत्पादकता बढ़ने की बजाय घटी है और जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया है कुल उत्पादकता भी घटी है। मैं केवल यांत्रिकरण में वृद्धि के उत्पादकता में घटोतरी से सम्बंधित कारणों के बारे में जानना चाहूंगा। दूसरी बात यह है कि उन्होंने उपयोगिता के संबंध में खुले मुहाने वाली खानों में भारी मात्रा में मिट्टी हटाने वाली मूल मशीनरी की उपलब्धता की प्रतिशतता के रूप में आंकड़े भी दिये हैं। ई सी एल में डम्परों के सम्बंध में वर्ष 1981-82 में उपयोगिता प्रतिशतता 54 थी और यह वर्ष 1983-84 में घट कर 39 हो गयी हैं। सी सी एल में यह 70 से घटकर 61 हो गयी है। शागेल के मामले में ई सी एल के सम्बंध में आंकड़े 56 और 40 हैं और सी सी एल के संबंध में ये 72 और 60 हैं। ई सी एल में डोजरों में आंकड़े 53, 39 हैं और सी सी एल के सम्बन्ध में आंकड़े 64, 50 हैं। यह क्यों है कि समय में वृद्धि होने के साथ ही साथ इन कीमती मशीनों की क्षमता उपयोगिता कम हो रही है और उत्पादकता भी कम हो रही है क्या आप कृपया इन तथ्यों का स्पष्टीकरण देंगे ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : माननीय सदस्य यह सुझाव देने का प्रयास कर रहे थे कि यांत्रिकरण में वृद्धि से उत्पादकता घट रही है। यह बात सही होती हुई प्रतीत नहीं होती है। वस्तुत: वर्ष 1980-81 में खुले मुहाने की खानों में कार्य करने के आधार पर उत्पादन 39.96 मि० टन या और भूगत उत्पादन 60.96 मि० टन या जो मिल कर कुल 100.92 मि० टन था। वर्ष 1981-82 में उत्पादन 45.67 और 63.27 था जो मिलकर कुल 109.94 मिलियन टन था। वर्ष 1982-83 यह 53.59 मि० टन और 61.19 मि० टन था जो मिलकर कुल 114.78 मि० टन था। वर्ष 1983-84 में अप्रैल से सितम्बर, तक आंकड़े 23.18 और 28 मि० टन हैं जो मिलकर कुल 51.18 मि० टन हैं। अब मैंने जो आंकड़े बताये हैं उनसे यह पता लगेगा कि यह उत्पादकता में घटोत्तरी का मामला नहीं है। लेकिन यह उत्पादकता में बढ़ोत्तरी का मामला है।

माननीय सदस्य ने एक अन्य प्रश्न पूछा है। वह प्रश्न कोयला कम्पनियों में प्रति व्यक्ति पारी की उत्पादकता से सम्बन्धित प्रश्न के भाग (ग) के संदर्भ में हैं। यह सत्य है कि विवरण में आंकड़े खुले मुहानों की खानों अर्थात् प्रति व्यक्ति पारीउत्पादन के सम्बन्ध में दिये गये हैं चूंकि उन्होंने प्रति व्यक्ति पारी भूगत उत्पादन के बारे में पूछा है, मैं सभा की जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि वर्ष 1979-80 में उस मामले में यह 0.55 टन वर्ष 1980-81 में 0.54 टन वर्ष 1981-82 में 0.55 टन वर्ष 1982-83 में 0.52 टन और वर्ष 1983-84 में अप्रैल से नवम्बर तक 0.55 टन था। यह सच है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयले के उत्पादन का यांत्रिकरण करने के लिए प्रयास किया जा रहा है ताकि कोयले का उत्पादन बढ़ सके। वस्तुत: स्थिति यह है कि वर्ष 1979-80 में जब कोयले का उत्पादन 100 मि० टन पर ही स्थिर हो गया था, इस वर्ष हम इसके 139 से 140 मि० टन होने की आशा कर रहे हैं। इसलिए यह घटोत्तरी का मामला नहीं है लेकिन दूसरी ओर इन चार वर्षों के भीतर यह 40 प्रतिशत वृद्धि का मामला होगा।

दूसरा प्रश्न इन मशीनों के उपयोग करने के संदर्भ में दिये हैं। मैंने ये आंकड़े डम्पर शावल, डोजर्स, और ड्रिल के संदर्भ में दिये हैं इससे यह पता लगेगा कि वर्ष 1981-82 में 100 डम्परों जो वहां पहले से ही थे, 71 उपलब्ध थे। जब उपयोग के प्रश्न आता है, आपको यह पता लगेगा कि यह 54 प्रतिशत के आस पास है। हमने उपलब्धता और उपयोग दोनों के सम्बन्ध में वक्तव्य में आंकड़े बताये हैं। उससे शावलों डोजरों तथा ड्रिलों की देख भाल होगी। मुझे इसका स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उपयोगता का वक्तव्य में ही उस तरीके से स्पष्टीकरण दे दिया गया है। जब तक मेरे मित्र यह नहीं चाहते कि मुझे सम्पूर्ण वक्तव्य का स्पष्टीकरण देना चाहिए, मैं तैयार हूं लेकिन इसमें अधिक समय लगेगा—हमने विचार का स्पष्टीकरण दिया है जो वक्तव्य में प्रतिबिंबित होता है। मैंने इसका विस्तार से स्पष्टीकरण दिया है। हमने उपलब्धता और उपयोग के अलग अलग आंकड़े दिये हैं। लेकिन यह उपलब्धता मैंने जो कुछ स्पष्टीकरण दिया है उसके संबध में है। उस सम्बन्ध में यह कहना है, मान लीजिये 100 डम्पर्स हैं केवल 71 डम्पर्स ही कार्य करण के लिये उपलब्ध थे। यह सम्भव है कि 29 डम्पर्स, किसी न किसी कारण से खराब हों।

श्री ए०के० राय : सबसे पहले उत्पादन और उत्पादकता एक बात नहीं है। जबकि आपने यह स्पष्टीकरण दिया है कि उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो आपको यह स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए था कि उत्पादकता में वृद्धि क्यों नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि आपने उपलब्धता और उपयोग के बारे में कहा है। उपयोग क्यों घटना चाहिए ? आपके आंकड़ों से 54, 62 और 39 का पता लगता है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि क्या मन्त्री महोदय को इसके बारे में जानकारी है कि बिहार के मुख्य मन्त्री ने यांत्रिकरण के रोजगार की सम्भाव्यता पर प्रभाव के कारण इस प्रकार के यांत्रिकरण का विरोध किया था ? वस्तुत: कौल इंडिया के सभापति और बिहार के मुख्यमन्त्री महोदय के मध्य एक बैठक हुई थी और उसमें यह निर्णय किया गया था कि रोजगार की सम्भाव्यता और उत्पादन पर इसके प्रभाव को देखने के लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। क्या समिति का गठन कर लिया है ? यदि हाँ तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ? फिर यह रिपोर्ट है कि कोयला विभाग बहु राष्ट्रीय, और शैल अन्तर्राष्ट्रीय के साथ समझौता करने जा रहा है यह एक बहुत ही खराब बात है जिसकी सातवीं योजना में शामिल होने के साथ कोयला खान क्षेत्र में आने की आशा की जाती है। क्या 1 फरवरी, 1984 के "इकानामिक्स टाइम्स" में प्रकाशित खबर में कोई सचाई है ?

श्री पी० शिवशंकर : मेरे माननीय मित्र ने समिति के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, बिहार के मुख्य मंत्री और कोल इण्डिया के सभापति के मध्य हुई बातचीत के आधार पर इस प्रकार की किसी समिति का कोई गठन नहीं किया गया है। लेकिन मेरा यह निवेदन है कि हाथ से काम करने वाले श्रमिकों की समस्या है क्योंकि जब कभी हम खुले मुहाने की खानों को बढ़ाते हैं। स्वाभाविक रूप से मजदूरों की कमी हो जाती है। लेकिन जहां तक मजदूरों का सम्बन्ध है। हमने यह देखा है कि उनको निकाला नहीं गया है। हम उनका उपयोग दूसरी खानों में करते रहे हैं। जिससे उनकी उपयोगिता का भी ध्यान रखा जा सके। इसके परिणाम स्वरूप जो कुछ भी होता रहा है वह यह है कि अत्यधिक खानें खोली जाती रही हैं। जिन खुले मुहाने की खानों का यांत्रिकरण किया गया है वे 30 प्रतिशत बैठती हैं। शेष 70 प्रतिशत खानों में शारीरिक श्रम ही कार्य करता है। अतः जहां तक रोजगार पर प्रभाव पड़ने का सम्बन्ध है उनका निश्चित रूप से ख्याल रखा जायेगा। चाहे कुछ भी परिणाम निकले, यांत्रिकरण इस छोटे से कारण से करना पड़ेगा कि देश में उत्पादकता तथा उत्पादन को बढ़ाना है। माननीय सदस्य ने बहुराष्ट्रीय कंपनी शैल इन्टरनेशनल द्वारा दिया गए 'आफर' का उल्लेख किया है जिसके सम्बंध में कुछ समय पहले "इकानामिक्स टाइम्स" में खबर प्रकाशित हुई थी। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री ई० बालानन्दन : मंत्री महोदय ने यह कहा है कि उत्पादन में वृद्धि हुई है। उत्पादकता पर अलग से विचार करना पड़ेगा। वक्तव्य के आंकड़ों से यह देखा गया है कि यांत्रिकरण करने पर कुछ क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ रहा है। जब सम्पूर्ण यांत्रिकरण पर विचार किया जाता है तो इसका मूल्यांकन निकलता है ? क्या आप यह कह सकते हैं कि उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों में वृद्धि हुई है ? भारत में श्रमिक बेरोजगार हैं उनका उपयोग किया जाना है। साथ ही साथ यांत्रिकरण का भी ध्यान रखना होगा।' मजदूरों की संख्या का ठीक प्रकार से उपयोग करना होगा और उत्पादन तथा उत्पादकता के मध्य के अनुपात पर भी विचार करना होगा। अतः क्या मंत्री महोदय इस बात का स्पष्टीकरण देंगे कि क्या उत्पादकता यांत्रीकरण से बढ़ी है अथवा यह कुछ क्षेत्रों में स्थिर है।

श्री पी० शिवशंकर : मैं यह कहता हूं कि यांत्रिकरण शुरू करने से ही उत्पादकता में वृद्धि हुई है। वस्तुतः मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं क्योंकि जो प्रश्न पूछा गया था वह उत्पादन के संदर्भ में था और विशेषरूप से जो कुछ पूछा गया था वह प्रतिव्यक्ति पारी से सम्बंधित था। इसलिए मैंने जो उत्तर दिया था वह उन बातों के ऊपर था। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि जहां तक मजदूरों का सम्बन्ध है उन पर प्रभाव पड़ेगा। हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि उनको नई खानें खोलने में लगाया जाये। अतः प्रभाव ही नहीं उठता है।

यह सत्य है और यह सम्भव भी है कि भविष्य में रोजगार पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं वस्तुतः यदि मुझे यह कहने की अनुमति दी जाये तो मेरा यह विचार होगा कि जहां तक मजदूरों का सम्बन्ध है। कोयला क्षेत्र में मजदूर अधिक संख्या में बेरोजगार हैं हमें इसको योजना के कारण करना पड़ेगा। जहां कहीं भी हम भूमि का अधिग्रहण करना चाहते हैं चाहे भूमि भले ही दो या तीन एकड़ हो इसके लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं जो इसके लिए निर्धारित किये गये हैं यदि उस भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। तो हमें उस परिवार से एक

मजदूर आवश्यक रूप से रखना पड़ेगा। यद्यपि, वस्तुतः इस सम्बन्ध में वृद्धि हुई है, बरहाल वास्तविकता यह है कि जहां तक वर्तमान श्रमिकों का सम्बन्ध है उस पर यांत्रिकरण के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

डा० कृपासिधु भोई : माननीय मंत्री महोदय यह जानते हैं कि हाल में हुई अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी ने अन्य प्रकार की खानों की अपेक्षा खुले मुहाने की खानों के ज्यादा से ज्यादा संख्या में खोलने की सिफारिश की है। मैं जानना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार के इस सुझाव पर ऊर्जा विभाग की क्या प्रतिक्रिया है मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम ओपन कास्ट खानों में 30 प्रतिशत से बढ़ा कर कम से कम 50% कर सकते हैं ?

माननीय मन्त्री महोदय के उत्तर के अनुसार, ओ०एम०एस० 0.55 से कम होकर 0.50 रह गया है मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्पादकता पर कुप्रभाव मशीनों की खराबी के कारण पड़ा है अथवा कारीगरों की असफलता के कारण ?

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि जब उड़ीसा की खानों तथा तल चेर कोयला खानों में औसतन उत्पादकता 0.8 तथा 0.7 है तो पश्चिम बंगाल क्षेत्र में तथा बिहार क्षेत्र में ओ एम एस इतना कम क्यों है। इसे बढ़ाने के लिए सरकार क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही कर रही है ?

श्री पी० शिवशंकर : मशीनीकरण को 30% से बढ़ाकर 50% करना तो आवश्यकता पर निर्भर करता है।

डा० कृपासिधु भोई : मैं ओपन कास्ट खानों की बात कर रहा हूं।

श्री पी० शिवशंकर : मैं भी वही कह रहा हूं—ओपन कास्ट मैंने स्वयं ही कहा है कि ओपन कास्ट खनन 30 प्रतिशत है। मैं उसके बारे में ही उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कितना उत्पादन करना चाहेंगे। परंतु विकास के लिए सुअवसर आवश्यता पर निर्भर करते हैं। अतएव मेरे लिये यह कहना सम्भव नहीं है कि हम वास्तव में 50 प्रतिशत का लक्ष प्राप्त कर सकेंगे। परन्तु हम खुले मुंह वाली खानों में इस बारे में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इससे उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इससे हमें तेजी से आगे बढ़ने में भी सहायता मिलेगी अतएव जहां तक ओपन कास्ट खानों में वृद्धि का सवाल है, स्थिति इस प्रकार है।

शेष प्रश्न, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है यह है कि तलचेर तथा अन्य क्षेत्रों में श्रम पारी घंटों को देखते हुए उत्पादन कम हो गया है इसके लिए क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।

डा० कृपासिधु भोई : उड़ीसा में यह 0.8 तथा तलचेर में 0.07 है। अन्य खानों में वृद्धि क्यों नहीं हुई।

श्री पी० शिवशंकर : वास्तव में मेरे द्वारा दिए गए आंकड़े औसत आंकड़े हैं जो पूरे देश को ध्यान में रख कर दिए गए हैं। लेकिन कुछ स्थानों पर यह अधिक है तथा कुछ पर कम है। इसलिए ऐसा सम्भव है कि कुछ खानों में औसत उत्पादन अधिक हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ स्थानों पर कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन उन स्थानों की तुलना में कम होता है जहां पर स्थिति इतनी कठिन नहीं है। अतएव आप यह नहीं कह सकते कि केवल उत्पादन कम होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

श्री अजित कुमार मेहता : महोदय, अधिकांश कोयला खानें जनजातीय क्षेत्रों में हैं। खनन का सबसे अधिक प्रभाव जनजातीय लोगों पर पड़ता है। वास्तव में उन्हें अब तथा आगे रोजगार

देना सबके लिए एक समस्या है। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि मशीनीकरण की प्रक्रिया में जनजातीय लोग तथा हरिजनों को नुकसान पहुंचता है तथा तथाकथित अकुशल श्रम में कमी हो रही है और मशीनीकरण के कारण नई भर्ती सम्पन वर्ग से की जा रही है क्योंकि पर्याप्त संख्या में जनजातीय लोग इस काम के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं।

श्री पी० शिवशंकर : महोदय, मैंने यह कहा है कि जहां तक स्थानीय व्यक्तियों का संबंध है उन्हें खपाया जाता है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैंने विशेषतया स्थानीय आदिम जाति के लोगों के लिए पूछा है स्थानीय लोगों के लिए नहीं।

एक माननीय सदस्य : जनजाति के तथा अनुसूचित जाति दोनों।

प्रो० अजित कुमार मेहता : जन जाति के तथा अनुसूचित जाति के कितने लोगों को इस काम के लिये प्रशिक्षण दिया गया है ?

श्री पी० शिव शंकर : इस प्रश्न का उत्तर एक अन्य प्रश्न में भी शामिल है शायद प्रश्न संख्या 10 में जहां एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया है। मैं आपको प्रश्न संख्या बताता हूं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : परन्तु उस पर चर्चा नहीं होगी इसलिए मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री पी० शिव शंकर : ये प्रश्न संख्या 12 है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : आप बड़ी चतुराई से उस प्रश्न में शब्द 'जनजाति' गोल कर गये हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : वास्तव में स्थिति ये है, मैं सदन को सूचित कर रहा हूं—

प्रो० मधु दंडवते : ये सब कानूनी चाल है।

श्री पी० शिव शंकर : नहीं महोदय, ऐसा नहीं है। ये आंकड़ों की बात है।

मैं बताना चाहता हूं कि हमने मन्त्रालय से विभिन्न प्राधिकारियों को अनुदेश जारी कर दिए हैं कि जहां कहीं भी जनजाति के लोग हों और जहां शारीरिक श्रम का मामला हो वहां उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए और उन्हें भर्ती किया जाना चाहिए। हमारी कुछ समस्याएं हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : आप ने यह देखने की कोशिश की है कि आपके अनुदेशों का पालन हो।

श्री पी० शिव शंकर : बात यह है कि यदि आप मेरे ध्यान में ये बात लाएं कि एक स्थान पर जनजाति के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो मैं निश्चित रूप से ये प्रयत्न करूंगा कि यह समाप्त हो। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि कुछ स्थानों पर पदाधिकारी अनुदेशों के बावजूद भी उन्हें भर्ती न कर रहे हों परन्तु यदि मुझे यह सूचना दे दी जाए ताकि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सके तो मैं आपका आभारी रहूंगा। परन्तु मैं आपको आश्वासन देता हूं मशीनीकरण के बावजूद भी हम इस बात का प्रयत्न करते रहे हैं कि शारीरिक श्रम करने वालों पर इस बात का प्रभाव न पड़े और वास्तव में जहां कहीं हम जनजाति के लोगों को भर्ती कर रहे हैं वहां हम उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि उन्हें दक्षता प्राप्त श्रमिकों के रूप में काम में लाया जा सके।

(व्यवधान)

श्रीमती प्रमिला दंडवते : ·····बहुत से लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है ।

श्री पी० शिव शंकर : मैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं ।

एस० टी० डी० सुविधा का विस्तार करने संबंधी नीति

*328. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न स्थानों को एस० टी० डी० की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है; और

(ख) क्या इस संबंध में जनसंख्या को प्रमुख आधार माना जाता है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) विभिन्न स्थानों में एस० टी० डी० सुविधा के विस्तार के लिए निम्नलिखित प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं :—

(एक) राज्य की राजधानी को दिल्ली के साथ जोड़ना ।

(दो) जिला मुख्यालयों को संबंधित राज्य की राजधानी से जोड़ना ।

(तीन) दिल्ली से 300 कि० मी० के भीरत तथा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास से 200 कि० मी० के भीतर स्थित जिला मुख्यालयों को संबंधित महानगरों से जोड़ना ।

(चार) परियात के आधार पर औचित्यपूर्ण अन्य मार्ग (प्रति दिन प्रत्येक दिशा से 100 हस्तचल काल न्यूनतम मानी जाती हैं ।)

(ख) जी, नहीं ।

श्री एन० के० शेजवलकर : महोदय, ये प्रश्न·····

अध्यक्ष महोदय : जीवन और मृत्यु का है ।

श्री एन० के० शेजवलकर : जीवन और मृत्यु का नहीं परन्तु हमारे देश के लिए महत्व का प्रश्न है ।

प्रो० मधु दंडवते : बिलों के कारण, महोदय

(व्यवधान)

श्री एन० के० शेजवलकर : वहां भी बिल ज्यादा आते हैं ।

हमारे पूरे देश में उपलब्ध एस० टी० डी० सेवा बहुत कम है और विशेषतया हमारे राज्य अर्थात मध्य प्रदेश में तो बहुत ही कम है, यह एक बड़ा राज्य है और नीति जो निर्धारित की गई है वह यह है कि राज्यों की राजधानियों को दिल्ली से जोड़ा जाना चाहिए । भोपाल भी जोड़ा गया है । परन्तु जिला मुख्यालयों को नहीं जोड़ा गया है । मध्य प्रदेश के उत्तरीय क्षेत्र ग्वालियर-डिवीजन तथा अन्य स्थानों को लीजिए । न तो भिंड न ही मौरेना, न राजगढ़ और न ही उस क्षेत्र का कोई स्थान जोड़ा जा रहा है । इसे दूसरी प्राथमिकता दी गई है। परन्तु वहां पर इसका बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है । दूसरे मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये नीति है अथवा नहीं । आप ऐसे बड़े राज्य में डिवीजनल मुख्यालयों को जिलों के साथ क्यों नहीं जोड़ते ? ऐसा भी नहीं किया जा रहा । ग्वालियर एक डिवीजनल मुख्यालय है । परन्तु आपने उसे भिंड तथा अन्य स्थानों से नहीं जोड़ा है। क्यों ? अन्य राज्यों में छोटे स्थानों को भी जोड़ा गया है । आपने नीति बनाई है । नीति निर्धारित की गई है परन्तु आप उसका पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे ।

इसी प्रकार संख्या 3 के जिला मुख्यालय जो दिल्ली में 300 कि० मी० के अन्दर हैं । परन्तु भिंड तथा मौरेना के बारे में क्या स्थिति है ? उन्हें दिल्ली से नहीं जोड़ा गया । वह 300 कि० मी० के अन्दर हैं ।

चौथे के बारे में मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं। बहुत से स्थानों पर कालों की संख्या 100 से अधिक है परन्तु उन्हें जोड़ा नहीं जा रहा।

विदेशों से एस० टी० डी० सम्पर्क बनाने का भी प्रश्न है इसके बारे में उत्तर नहीं दिया गया। 80 ऐसे शहरों को शामिल किया गया है जिनमें सीधे सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। उनमें ग्वालियर नहीं है। आपने उसे शामिल क्यों नहीं किया ? कुछ अन्य स्थानों के बारे में नीति संबंधी जानकारी मुझे नहीं है। क्योंकि ग्वालियर को शामिल नहीं किया गया इसलिए मैंने जन-संख्या का प्रश्न उठाया है। इस बारे में ग्वालियर का 27वां नम्बर है परन्तु यह 80 स्थानों में नहीं आया है। मैं राज्यों तथा अन्य स्थानों को इसमें .शामिल करने की आपकी योजना के बारे में जानना चाहता हूं ?

श्री विजय एन० पाटिल : टेलीफोनों की संख्या मांग तथा औद्योगिक विकास पर निर्भर करती है। जैसाकि उत्तर में बताया गया है कि, पूरे भारत में लगभग 600 स्टेशन एस० टी० डी० सुविधा के योग्य हैं। इसमें से 31-1-1984 तक 299 स्टेशनों को एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की गई है।

जहां तक मध्य प्रदेश का संबंध है 35 जिलों में से 24 जिलों में स्वचल केन्द्र तथा 21 में करचल केन्द्र हैं। इन 21 जिलों को प्राथमिकता के आधार पर स्वचल केन्द्रों में बदलना है। हम इसे प्राथमिकता दे रहे हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश मध्यप्रदेश में इतना औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। अतएव टेलीफोन की अधिक मांग नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा : ग्वालियर समुचित रूप से विकसित है।

श्री विजय एन० पाटिल : ग्वालियर में टेलीफोनों की संख्या 4500 है। आपने भिंड का उल्लेख किया है। वहां केवल 360 टेलिफोन हैं। आप दिल्ली से 300 कि० मी० के अन्दर की बात करते हैं। भिंड उस क्षेत्र, महानगर केन्द्र के अन्दर हैं। हमने अभी तक 30 जिलों को एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की है और शेष 30 को हम यथासम्भव शीघ्रता से देंगे जबकि भवन तैयार हो जायेंगे। और वहां स्वचल केन्द्र होंगे, भिंड में यह सी० बी० एम० 360 हैं। इसे पहले स्वचल से और फिर एस० टी० डी० से जोड़ा जाना है।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैंने एक और प्रश्न पूछा है। ग्वालियर के आसपास इन सभी केन्द्रों की क्या स्थिति है। स्थिति बहुत खराब है। वह उन्हें स्वचल केन्द्रों में नहीं बदलेंगे और आप एस० टी० डी० सुविधा नहीं देंगे। आपकी योजना क्या है ? आप कृपया यह सुविधायें प्रदान करने में लगने वाला समय बतायें।

श्री विजय एन० पाटिल : पहले तो मांग पैदा करनी होगी। जब भी मांग होगी हम सुविधायें प्रदान करेंगे। जब काफी प्रार्थी होंगे तो हम अधिक कनेक्शन देंगे।

श्री एन० के० शेजवलकर : आपने पहले ऐसा नहीं कहा। महोदय ये मानदंड बदल रहे हैं।

श्री विजय एन० पाटिल : मैं गुजरात राज्य-बड़ौदा का उदाहरण दे सकता हूं। वहां, 1974 में 4000 टेलीफोन थे। अब बड़ौदा में 16000 टेलिफोन हैं। वहां पर 7000 लाईनों की प्रतीक्षा सूची है। पूरे देश में 1.85 लाख लाइनों की प्रतीक्षा सूची है। जहां पर लम्बी प्रतीक्ष सूची होती है उन शहरों को हमें प्राथमिकता देनी होती है। परन्तु हमने जिला मुख्यालयों को प्राथमिकता दी

हैं। हम भवन बनाने का, उन केन्द्रों को स्वचल बनाने का तथा उन्हें राज्यों की राजधानियों से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री एन० के० शेजवलकर : विशिष्ट योजना की क्या स्थिति है ? आप कितने समय में ये सब कर लेंगे। क्या यह आठवीं या नवीं योजना में होगा विशिष्ट प्राथमिकताएं क्या हैं। मैं सिद्धांत के बारे में जानना चाहता हूं।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : जैसा कि मेरे साथी ने बताया है, प्राथमिकताओं का उल्लेख उत्तर में किया गया है—राज्यों की राजधानियों की दिल्ली जिला मुख्यालयों को राज्यों की राजधानियों से जोड़ना इस आधार पर 600 स्थान योग्य पाये गए हैं। जैसा कि उन्होने बताया है 299 स्थानों पर एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की गई है (**व्यवधान**) मैं आपको अंदाज बता सकता हूं। यदि हम सभी केन्द्रों को स्वचालित बनायें तो हमें 1 लाख स्ट्रोजर किस्म की समरूप लाइनों, 1.2 लाख टैक्स उपस्कर तथा विभिन्न अन्य उपस्करों की आवश्यकता होगी ये उपलब्ध नहीं हैं।

श्री एन० के० शेजवलकर : अन्य क्यों नहीं ?

श्री वी० एन० गाडगिल : हम निर्धारित प्राथमिकताओं का कड़ाई से पालन कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : मंत्री जी ने अपने दूसरे जवाब में कहा है—
जिला मुख्यालयों में सम्बन्धित राजधानियों के लिए सम्पर्क की अवस्था है।
आप जानते हैं, हम हाजीपुर से आते हैं और वैशाली जिले का हैडक्वार्टर है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने देखा है।

श्री राम विलास पासवान : इसी सदन में मैंने दसियों बार सवाल उठाया है कि इन दोनों की मुश्किल से 10 कि० मी० भी दूरी नहीं है। इस पार पटना है और उस पार पुल के पार हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बीच में सभधार है ना।

श्री राम विलास पासवान : अब सेतु बन गया है।

अध्यक्ष महोदय : दूसरे सेतु के लिये प्रबन्ध कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : आपका आश्वासन रहा है, जो नया पटना बन रहा है, उसकी 10 किलोमीटर की दूरी है, उसके लिए भी एस० टी० डी० की फैसिलिटी नहीं है। अगर कोई आदमी ट्रंक-काल बुक कर के छोड़ दे तो दो दिन तक मिलने वाला नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने इसको क्यों लिखा है ? जब आप कर नहीं रहे, अपने ही डिस्क्रीशन पर करना है, जैसा आप लाइक करते हैं, वही अच्छी चीज है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब पटना में बगल में 10 कि० मी की दूरी पर एस० टी० डी० की फैसिलिटी नहीं है तो दूसरे पार का किस लिए लिखा है ? क्या सरकार सदन को आश्वासन देगी कि पटना के डैवलपमेंट को देखते हुए अगर कम-से-कम एक टेलीफोन न कर सके तो एस० टी० डी० की फैसिलिटी तुरन्त देगी या नहीं ?

श्री विजय एन० पाटिल : आपका सुझाव ध्यान में रखेंगे।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं पटना और जिस स्थान का उन्होंने उल्लेख किया है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा। हम इस पर विचार करेंगे। इस समय कुछ भी कहना सम्भव नहीं है। मुझे उपस्कर की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करनी होगी, मैं यह नहीं कह सकता कि मैं कल ही पूरा कर दूंगा। मैं कोई जादूगर नहीं हूं।

श्री चरण (काली) शर्मा : ग्वालियर जिले की भिंड और मुरैना दोनों मंडियां बहुत सरसब्ज हैं। उसके आस-पास की भी काफी मंडियां हैं मसलन आगरा, कानपुर। इनकी डिमांड कई बरसों से हमने मंत्री जी से की हुई है कि वहां का ट्रेफिक बहुत काफी है। आज तक वहां से कोई ट्रंक-काल नहीं लगा सकते हैं, यह स्थिति डिपर्टमैंट की है। जैसा माननीय सदस्य ने भी कहा, हम जानना चाहते हैं कि ग्वालियर के और उसके आसपास के बड़े जिलों के लिये आप कब तक यह सुविधा देंगे क्योंकि इससे जहां लोगों को लाभ मिलेगा, वहां डिपार्टमेंट की आमदनी भी बढ़ेगी ?

श्री विजय एन० पाटिल : भिंड डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने इम्पोर्टेड इक्विपमैंट ले लिया है। 12 डिस्ट्रिक्ट्स हिन्दुस्तान में हैं उसमें भिंड भी आता है। जहां तक ग्वालियर का सवाल है, वहां प्वाइन्ट टू प्वाइन्ट एस० टी० डी० भोपाल से आने वाली है। आगरा टैक्स जल्दी ही कमीशन होने वाला है, उसके बाद ग्वालियर को दूसरे सिटीज से कनैक्ट किया जायेगा।

श्री संतोष मोहन देव : पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क, रेल, विमान सेवा सभी तरह के संचार साधनों का अभाव है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, टेलीफोन ही एक मात्र जीवनाधार है। सरकार जिला मुख्यालयों को संबधित राज्यों की राजधानियों को जोड़ने के लिए क्या उपाय कर रही है और कितनी जल्दी इसे क्रियान्वित किया जाएगा ?

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं सभा में पहले ही कह चुका हूं कि 'उत्तर-पूर्व को प्राथमिकता देने का निर्णय किया गया है और उत्तर-पूर्व के कुछ स्थानों को उपग्रह के माध्यम से जोड़ा जाएगा। मैं बड़ी उलझन पूर्ण स्थिति मे हूं। प्रत्येक संसद सदस्य अपने निर्वाचन-क्षेत्र में एस० टी० डी० सुविधा चाहता है, यह स्वाभाविक ही है...।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या इसे सुधार और प्रगति का चिह्न नहीं मानते ?

श्री वी० एन० गाडगिल : उनकी मांग उचित है। किन्तु मेरी समस्या उपस्कर की उपलब्धता है। इसीलिए हम कुछ मानदंडों के अनुसार काम कर रहे हैं। संयोगवश श्रीमती दंडवते ने मुझ से एक प्रश्न पूछा था और उससे संबंधित जानकारी अब मुझे प्राप्त हो गई हैं—महोदय आपने भी उसके बारे में दिलचस्पी दिखाई है—और वह सूचना यह है कि एक इलेक्ट्रोनिक यंत्र है जिससे एस० टी० डी० को ऑन और ऑफ किया जा सकता है तथा कुछ निर्माताओं ने हम से सम्पर्क किया है। हमने उनसे प्रोटोटाइप देने के लिए कहा है जिनकी टी० आर० सी० जांच करेगा और यदि हमें यह पता चलेगा कि यह हमारी प्रणाली में काम कर सकता है तो हम लाइसेंस जारी करना शुरू कर दगे। इसलिए लोग एस० टी० डी० के दुरुपयोग की जांच के लिए अपना इलेक्ट्रानिक उपस्कर खरीद सकेंगे।

महासागरों में क्रॉस-बार एक्सचेंज प्रणाली के स्थान पर इलैक्ट्रानिक्स प्रणाली आरम्भ करना

*329. **श्री पी० नामग्याल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निर्णय किया है किछ कारखानों में क्रास-बार टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली का उत्पादन जारी रखा जाए और कुछ में इसे क्रमबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाए;

(ख) क्या यह भी सच है कि नई इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज प्रणाली की तुलना में क्रॉस-बार प्रणाली की कार्यकुशलता बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो क्रॉस-बार प्रणाली जारी रखने तथा इसका विस्तार करने के क्या कारण हैं जबकि अधिक कार्यक्षम और नवीनतम इलेक्ट्रोनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध हैं; और

(घ) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे महानगरों तथा अन्य बड़े शहरों में पुरानी प्रणाली के स्थान पर नवीनतम इलेक्ट्रानिक प्रणाली आरम्भ करने में कितना समय लगेगा ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (घ) क्रास-बार टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर का उत्पादन धीरे-धीरे बन्द करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। क्रासबार एक्सचेंज प्रणाली के मुकाबले इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की प्रणाली की विश्वसनीयता और कार्य निष्पादन ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा भी, प्रणाली के अन्य फायदे हैं। क्रासबार उपस्कर का उत्पादन बन्द करने के सवाल पर तब ही विचार हो सकता है जब देश में पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रानिक स्विचिंग उपस्कर बनाने की क्षमता उपलब्ध हो जाए और ऐसी पुरानी एक्सचेंजों ने अपना कार्यकाल समाप्त कर लिया हो। यदि वित्तीय साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएं ताकि इस शताब्दी के बदलने तक सभी महानगरों में ज्यादातर इलेक्ट्रानिक प्रणाली उपलब्ध किए जाने की संभावना है।

श्री पी० नामग्याल : माननीय मंत्री के उत्तर के अनुसार क्रॉस-बार टेलीफोन केन्द्र के उपस्कर का उत्पादन जारी रहेगा और कुछ समाचारों के अनुसार 1987-88 में जाकर उत्पादन की पूर्ण क्षमता का लक्ष्य पूरा हो पाएगा तब तक यह क्रॉस बार प्रणाली ही पूर्णतः पुरानी हो जाएगी। अतः इसको ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार अभी से ही इलेक्ट्रानिक प्रणाली की अद्यतन किस्म का इस्तेमाल शुरू करने के विचार करेगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : इस प्रश्न के बारे में कुछ गलत फहमी है। हमने क्रास बार और स्ट्रोजर प्रणालियों का विस्तार करने के बारे में निर्णय नहीं किया है। यदि हम यह मानें कि प्रति वर्ष मांग में 11% की वृद्धि हो जाएगी तो सातवीं योजना के दौरान यह आवश्यकता 80 लाख लाइनों तक बढ़ जाएगी और उत्पादन 41 लाख तक हो पाएगा। अतः पूरी तरह से क्रास-बार प्रणाली को समाप्त कर पाना सम्भव नहीं हो पाएगा। हमने यही निर्णय किया है कि उसका और विस्तार नहीं करेंगे और उन्हें धीरे-धीरे इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन केन्द्रों से प्रतिस्थापित करेंगे।

श्री पी० नामग्याल : क्रास-बार और स्ट्रोजर उपस्कर की कुल उत्पादन-क्षमता क्या है तथा वास्तविक उत्पादन क्या है और क्या इसमें कमी हुई है ?

श्री वी० एन० गाडगिल : श्री पाराशर के प्रश्न के उत्तर में मैं पहले ही बता चुका हूं कि कुछ कमी आई है तथा मैं वे आंकड़े दे चुका हूं।

श्री एम० एम० लारेंस : केरल, त्रिवेंद्रम, कोचीन और कालीकट बड़े शहर हैं। जन सामान्य को वहां वर्तमान दोष पूर्ण टेलीफोन प्रणाली के कारण बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। क्या सरकार उस प्रणाली को बदल कर इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन प्रणाली लागू करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री वी० एन० गाडगिल : जहां तक सामान्य रूप से केरल का सम्बन्ध है यह भाग्यशाली राज्यों में से एक है क्योंकि यहां सबसे ज्यादा संख्या में टेलीफोन हैं...।

श्री एम० एम० लारेंस : किन्तु वे टेलीफोन काम नहीं करते।

श्री वी० एन० गाडगिल : जहां तक प्राथमिकताओं का सम्बन्ध है हमने प्राथमिकता की घोषणा कर दी है कि इलेक्ट्रॉनिक केन्द्र सबसे पहले महानगरों में स्थापित किए जाएंगे।

श्री सतीश अग्रवाल : क्या यह सही है कि जिस फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी के लिए आप सहयोग प्राप्त कर रहे हैं यह इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन प्रणाली की दृष्टि से दस वर्ष पुरानी है ?

कुछ अन्य उन्नत देशों में अत्याधुनिक, अद्यतन, टेलीफोन प्रौद्योगिकी है जहां टेलोफोन में हो रही बातचीत छपती जाती है इत्यादि ।

आप टेलीफोन और दूर-संचार के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी का उपयोग क्यों नहीं करते ? कृपया ऐसा न बताएं कि टेलीफोन की मांग करने वाले संसद्-सदस्यों पर आप एहसान कर रहे हैं। लगभग 20 लाख सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 40 संसद सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में यदि आप टेलीफोन प्रदान करते हैं तो अहसान नहीं करते ।

इस प्रौद्योगिक के बारे में आपकी क्या राय है ?

श्री वी० एन० गाडिगल : अहसान की कोई बात ही नहीं है । फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी के बारे में प्रश्न उठाया गया था । उस समय मैंने यह उत्तर दिया था कि यह अद्यतन प्रौद्योगिकी है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बिहार शरीफ में स्वचालित एक्सचेंज के लिये भवन का निर्माण

*323 **श्री विजय कुमार यादव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में नालन्दा जिले में बिहार शरीफ के स्वचालित एक्सचेंज के नए भवन का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्थानीय टेलीफोन कर्मचारी उपर्युक्त भवन के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए क्वाटरों के निर्माण की भी मांग करते रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्वचालित एक्सचेंज की अनुपलब्धता के कारण दूसरे राज्यों के लिए अधिकतर ट्रंक-काल मिल नहीं पाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त भवन के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण-कार्य पूरा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है और यह कार्य कितने समय में पूरा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडिगल) : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं, स्वचल एक्सचेंज की अनुपलब्धता का बाहर जाने वाले ट्रंक परियात पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता । बिहार शरीफ में प्रभावी ट्रंक परियात का औसत 60 प्रतिशत से अधिक है ।

(घ) टेलीफोन एसचेंज की इमारत के लिए प्राक्कलन की मार्च, 1984 में मंजूरी दे दी गई है और अपेक्षित स्टाफ क्वाटंरों के लिए प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । कार्य जल्दी ही शुरू हो जाएगा और ऐसी संभावना है कि टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत मार्च, 1986 तक तैयार हो जाएगी ।

पेट्रोल का उत्पादन और पेट्रोल के वैकल्पिक स्रोत के रूप में ऊर्जा के स्रोतों का विकास

*324. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में सभी स्रोतों से पैट्रोल का प्रतिदिन कितने बैरल उत्पादन होता है;

(ख) क्या यह उत्पादन देश की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) क्या सरकार पेट्रोल उत्पादन के वैकल्पिक स्रोत के रूप में काष्ठ पर आधारित काष्ठ-एल्कोहल संयंत्र लगा कर पेट्रोल का उत्पादन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस दिशा में अमरीका में सफल परीक्षण किए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा पेट्रोल के वैकल्पिक स्रोत के रूप में ऊर्जा के किन स्रोतों का विकास किया जा रहा है और इस सम्बंध में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) सभा पटल पर एक विवरण प्रतुस्त है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) जी, हां। मोटर कारों में मेथानाल (वुड-एल्कोहल) और पेट्रोल के मिश्रण का इस्तेमाल करने के लिए, इंडियन आयल कारपोरेशन का अनुसंधान तथा विकास केन्द्र और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून ने सफलतापूर्वक परीक्षण किये हैं। तथापि, आटो-मोटिव इंधन के रूप में उपयोग करने के लिए, मेथानाल के उत्पादन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि हमारे पास पेट्रोल/नेफ्था की फालतू मात्रा है। क्षमता वाली पेट्रो-क्राप आरम्भ करने, उसकी जांच करने, खेती करने तथा उनको पेट्रोलियम हाईड्रोकार्बनों में परिवर्तित करने के लिए गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा एक सहयोगी परियोजना आरम्भ की गई है।

विवरण

1983 के दौरान मोटर स्प्रिट (एम० एस०) (पेट्रोल) का उत्पादन/खपत

रिफाइनरी का नाम	उत्पादन		
	(000 मी० टनों में)	(000 बैरल में)	(बैरल/प्रतिदिन)
1. दिग्बोई	37.72	320.62	878
2. बी० पी० सी० एल०	314.96	2677.16	7335
3. एच० पी० सी० एल०	116.55	990.68	2714
4. एच० पी० सी० एल० (विशाख)	182.01	1547.08	4238
5. गोहाटी	103.83	882.56	2418
6. बरौनी	137.41	1167.98	3200
7. गुजरात	369.90	3144.15	8614
8. हल्दिया	127.99	1087.92	2981
9. मथुरा	256.05	2176.42	5963
10. कोचीन	141.10	1199.35	3286
11. मद्रास	92.97	790.24	2165
12. बी० आर० एण्ड पी० एल०	—	—	—
योग	1880.49	15984.16	43792
11. खपत			
1983 के दौरान खपत की गई मात्रा	1828	15538.00	42570

प्रयोग में लाया गया रूपांतरण घटक—एम० एस० का 1 मी० टन=लगभग 8.50 बरल

बैरल/दिन में मात्रा=000 बैरल में कुल मात्रा÷365 दिन

महिलाओं को संपत्ति पर समान अधिकार

* 325. **अनन्त राम्लु मल्लु** : क्या विधि, न्याय और कंपनि कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं को सम्पत्ति पर समान अधिकार देने पर विचार करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनि कार्य मंत्री (श्री जगनाथ कौशल) : (क) सरकार, इस सम्बन्ध में कोई विधान बनाने के किसी प्रस्ताव पर इस समय विचार नहीं कर रही है और, विशेष रूप से, सरकार की यह नीति रही है कि अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विधि में कोई संशोधन तब तक न किया जाए जब तक कि उसके लिए उक्त समुदायों की ओर से ही पहल न की गई हो।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्मों के प्रतिबन्धित भागों का अवैध रूप से प्रदर्शन

* 330. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्मों के जिन अंशों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, उन अंशों को कुछ कंपनियों द्वारा चोरी-छिपे अत्यधिक ऊंची दरों पर प्रदर्शित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सेंसर बोर्ड द्वारा प्रतिबन्धित फिल्मों के अंशों का अवैध प्रदर्शन रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) इस आशय की खबरें हैं कि फिल्मों को सिनेमाघरों में उस रूप में नहीं दिखाया जाता है जिस रूप में उनको केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ फिल्मों के वे अंश, जो बोर्ड द्वारा निकाले हुए होते हैं, कुछ प्रिंटों में पुनः स्थान पाते हैं यह चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबन्धों का उल्लघंन है। बोर्ड को इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या इस प्रकार की प्रिंटों को ऊंची दरों पर प्रदर्शित किया जा रहा है।

2. चलचित्र (संशोधन) अधिनियम, 1981 जो 1.6.83 से प्रवृत्त हुआ था, के अन्तर्गत चलचित्र अधिनियम, 1952 के भाग 2 के अन्तर्गत फिल्मों के प्रमाणन से सम्बन्धी दंडनीय सभी अपराधों को संज्ञेय बना दिया गया था और अधिनियम की धारा 7 में निहित दंडों को बढ़ा दिया गया था। इन दण्डों को और बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। यह फिल्मों में अन्तर्निवेशनों को रोकने का कार्य करेगा।

3. चलचित्र अधिनियम, 1952 के दांडिक उपबन्धों का प्रवर्त्तन करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों का है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से कई बार यह अनुरोध किया गया है कि वे इन सांविधिक उपबन्धों को कड़ाई से लागू करें। कानून का उल्लघंन करने वालों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को 24.9.83 को एक पत्र भेजा गया था।

महानगरों में कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा एस० टी० डी० लाइनों का दुरुपयोग

* 331. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ प्रमुख महानगरों में टेलीफोन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा एस० टी० डी० टेलीफोन लाइनों का दुरुपयोग किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की निरंतर की जा रही अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ; और

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान इस सम्बन्ध में कितने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को दण्डित किया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दिल्ली टेलीफोन में दो ऐसे संदेहास्पद मामलों का पता चला है जिनमें कार्यालय के टेलीफोन से एस० टी० डी० सुविधा का दुरुपयोग किया गया।

(ख) सरकारी टेलीफोनों से एस० टी० डी० सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से उपचारी उपाय किए गए हैं, अर्थात (एक) केवल महत्वपूर्ण सरकारी टेलीफोनों पर ही एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराई गई है, (दो) सरकारी टेलीफोनों के मीटरों की नमूने के बतौर आवधिक जांच की जाती है। (तीन) सतर्कता दस्तों द्वारा आकस्मिक जांच की जाती है (चार) सभी मीटरों को सील कर दिया गया है।

(ग) इन दो संदेहास्पद मामलों में सरकारी टेलीफोन के कथित दुरुपयोग के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सका क्योंकि सुविधा का दुरुपयोग कार्यालय समय के बाद हुआ था।

खाना पकाने की गैस के नये उपभोक्ताओं का पंजीयन

* 332. **कृष्ण कुमार गोयल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चालू वर्ष के लिए खाना पकाने की गैस के नए उपभोक्ताओं के पंजीयन का लक्ष्य कितना-कितना है ;

(ख) क्या यह लक्ष्य पूरा हो गया है ;

(ग) तीनों तेल कंपनियों द्वारा अलग अलग और महीनेवार कितने व्यक्तियों का पंजीयन किया गया ;

(घ) खाना पकाने की गैस के लिए नए और अधिक उपभोक्ताओं को पंजीयन करने में मुख्य बाधाएं क्या हैं ; और

(ङ) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 16 लाख।

(ख) अप्रैल—जनवरी.1983-84 के दौरान 11.29 लाख कनेक्शन दिये गये हैं।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(घ) और (ङ) सिलेंडरों की कमी मुख्य बाधा रही है देश में सिलेंडरों के निर्माण की सक्षमता बढ़ाने के लिए उपाय किये गये हैं। कुछ थोड़ी सी मात्रा का आयात भी किया जा रहा है।

अप्रैल 83 से जनवरी 84 के दौरान तेल कंपनियों द्वारा मास वार दर्ज किए गए उपभोक्ताओं की संख्या

विवरण

मास	आई० ओ० सी०	बी० पी सी०	एच० पी० सी०	योग
अप्रैल, 1983	55,164	24,237	21,880	1,01,281
मई	35,188	26,415	14,600	76,203
जून	19,336	29,624	13,200	62,160
जुलाई	19,257	21,300	28,680	69,237
अगस्त	24,045	21,358	26,000	71,403
सितम्बर	43,967	28,335	28,200	1,00,502
अक्तूबर	53,401	35,525	22,738	1,11,664
नवम्बर	94,285	42,158	23,236	1,59,679
दिसम्बर	1,11,423	54,722	34,790	2,00,935
जनवरी, 1984	87,754	47,382	41,480	1,76,616
	5,43,820	3,31,056	2,54,804	11,29,680

कारखानों में सुरक्षा संबंधी कानूनों का कार्यान्वयन

*333. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारखानों में सुरक्षा सम्बन्धी नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या भारत की स्थिति औद्योगिक रूप से उन्नत अन्य राष्ट्रों की तुलना में संतोषजनक है ; और

(ग) यदि यह स्थिति संतोषजनक नहीं है, तो उसमें सुधार के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (ग) देश में कारखानों में सुरक्षा दशाओं में सुधार करने के लिए आमतौर पर सरकार का प्रयास रहा है। इस प्रयोजनार्थ, कारखाना अधिनियम, जो कारखानों में कार्य दशाओं को विनियमित करता है, की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है, ताकि इसे स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जा सके और इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

भारत कोकिंग कोल लि० श्रमिकों का शोषण

*334. **प्रो. अजित कुमार मेहता**
श्री त्रिलोक चन्द } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि धनबाद कोयला पट्टी में कोयला खान श्रमिकों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और आदिवासियों का कुछ वर्ग के लोगों द्वारा शोषण किया जा रहा है और वे आदिम युग की परिस्थितियों में रहने को बाध्य हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि भारत कोकिंग कोल लि० के तर्कों और वर्तमान नीति के अनुसार झरिया में खनन के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि के एक भी मालिक को मुआवजा नहीं मिल पाएगा ; और

(ग) यदि हां, तो श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनको पर्याप्त मुआवजा दिया जाए तथा भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा खनन के लिए अधिगृहीत की गई उनकी भूमि के बदले में उन्हें जीवन निर्वाह हेतु वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराये जाएं सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । जब कभी भारत कोकिंग कोल लि० खनन उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण करता है तो सम्बन्धित भू-स्वामियों को नियमों के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाता है । इस उद्देश्य के लिए लगभग 25 लाख रुपये की राशि राज्य सरकार के प्राधिकारियों के पास पेशगी रखी जाती है ताकि मुआवजे के भुगतान में विलम्ब न होने पाए । इसके अतिरिक्त भा० को० को० लि० धानी भूमि के दो एकड़ पर और गैर-धानी भूमि के तीन एकड़ पर एक व्यक्ति को रोजगार की दर से भू-वंचितों को रोजगार भी दे रहा है ।

कंपनी ने कामगारों के लाभ के लिए अनेक कल्याण-कारी उपाय किए हैं । इनमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

1. **मकानों का निर्माण** : अब तक 57895 मकान बनाए जा चुके हैं ।

2. **चिकित्सा सुविधाएं** : भा० को० कों० लि० 11 अस्पताल और 98 औषधालय चला रहा है तथा कामगारों की निश्चित अवधि पर स्वास्थ्य परीक्षा की जाती है ।

3. **जल-पूर्ति योजनाएं** : यह सुविधा 535900 व्यक्तियों को मिल रही हैं । काफी बड़ी संख्या में मकानों में अलग-अलग पानी के नल लगाए गए हैं ।

4. कामगारों की कालोनियों में सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था । पचास हजार से अधिक मकानों में बिजली पहुंचा दी गई है ।

5. खनन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और मरम्मत ।

6. **बैंक सुविधाएं** : इस क्षेत्र में बैंकों की 23 शाखाएं और 12 काउन्टर काम कर रहे हैं ।

7. **सहकारी संस्थाएं** : इस समय दो केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी समितियां और 71 यूनिट उपभोक्ता भंडार काम कर रहे हैं तथा और भी खोले जा रहे हैं । उचित दर की 51 दुकानें और 47 सहकारी ऋण समितियां काम कर रही हैं ।

8. **शिक्षा संस्थाएं** : भा० को० को० लि० ने 12 उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोले हैं/ सहायता दी है । इसके अलावा 120 प्राथमिक स्कूलों को और 26 मिडिल स्कूलों आदि को सहायता दी जा रही है ।

9. **मनोरंजन सुविधाएं** : इनमें यह बातें शामिल हैं जैसे सामुदायिक केन्द्र खोलना जिनमें इनडोर खेल, बच्चों के पार्क, रेडियो सेट, पुस्तकालय, आदि की व्यवस्था हो, आउट डोर खेलों की सुविधाएं, अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सुविधाएं' ।

उपर्युक्त कल्याणकारी क्रिया-कलाप कामगारों की दशा में उस उन्नति के अलावा हैं जो कामगारों की मजदूरी को बढ़ाने के कारण हुई है । मजदूरी कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के समय जो मजदूरी थी उसकी तुलना में बहुत बढ़ गयी है ।

उपर्युक्त तथ्यों के कारण, यह कहना गलत है कि कामगार आदिम दशाओं में रह रहे हैं ।

देश में सार्वजनिक टेलीफोन

*335. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में प्रति एक किलोमीटर पर सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी०एन० गाडगिल): (क) जी नहीं।

(ख) संशोधित नीति के अनुसार देश के आबादी वाले अधिकतर स्थानों को 5 कि० मी० के भीतर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन पर 1990 तक उत्तरोत्तर सुलभ कराए जाने की सम्भावना है।

विवाह की आयु बढ़ाकर 20 वर्ष करना

*336 **श्री के० प्रधानी**
श्री के० मालन्ना } : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या जनसंख्या तथा विकास सम्बन्धी एशियाई संसदविज्ञ फोरम ने 20 फरवरी, 1984 को अपने अन्तिम सत्र में कहा है कि पुरुषों और महिलाओं के विवाह की आयु बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी जानी चाहिए और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विधान बनाया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) बाल विवाह अवरोध (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष और स्त्रियों के लिए 18 वर्ष नियत की गई है यह अनुभव किया गया है कि स्त्रियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 20 वर्ष करने का जिसकी सिफारिश फोरम ने की है, अभी समय नहीं आया है।

भारत के तट-दूर तेल उत्पादन के विकास के लिये ब्रिटेन की पेशकश

*337. **श्री वाई० एस० महाजन**
श्री विष्णु प्रसाद } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि ब्रिटेन भारत के तट-दूर विशेषत: गहरे समुद्र में तेल उत्पादन विकास में अपनी प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता देने के लिये उत्सुक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ब्रिटेन ने तेल प्रौद्योगिकी देने की भी पेशकश की है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त पेशकश स्वीकार की है;

(ङ) उक्त पेशकश की शर्तें क्या हैं;

(च) इस संबंध में कब तक समझौता हो जाने की संभावना है; और

(छ) किन अन्य क्षेत्रों में ब्रिटेन की प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सकता है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ख) एक दल ने जिसके अध्यक्ष ब्रिटेन के ऊर्जा राज्य मन्त्री थे और जिसमें अपतटीय तेल क्षेत्र उपकरणों के उत्पादन में लगी हुई कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे, फरवरी 1984 में भारत की यात्रा की थी। उन्होंने ब्रिटेन से तेल क्षेत्र उपकरणों का भारत में निर्यात करने तथा उपकरणों का उत्पादन करने के लिए सार्वजनिक तथा

निजी क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग प्रबन्ध करने में रुचि दर्शायी। इस विषय पर सरकारी स्तर पर समझौते के बारे में कोई विचार नहीं किया गया था।

झंझरा कोयला परियोजना

*338. **श्री नीरेन घोष**: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झंझरा कोयला परियोजना कब मंजूर की गई थी;

(ख) उसकी अनुमानित लागत कितनी है और अब तक उस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की झांझरा भूमिगत कोयला परियोजना को केन्द्रीय सरकार ने 10 दिसम्बर, 1982 को अनुमोदित किया था।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत रु० 184.55 करोड़ है। दिनांक 31.12.1983 तक रु० 7.05 करोड़ की राशि खर्च की गई थी।

(ग) परियोजना 1993-94 तक पूरी करने का कार्यक्रम है।

रेडियो और टेलीविजन की लाइसेंस संबंधी नीति

*339. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेडियो और टेलीविजन की लाइसेंस देने संबंधी नीति क्या है;

(ख) डाक-तार निदेशालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान रेडियो और टेलीविजन की लाइसेंस फीस के रूप में वर्ष-वार कितनी धनराशि प्राप्त की है;

(ग) क्या यह सच है कि यदि किसी एक ही इमारत में एक से अधिक रेडियो हैं तो प्रत्येक अतिरिक्त रेडियो की वार्षिक लाइसेंस फीस तीन रुपये है और दो बैंड के रेडियो पर लाइसेंस फीस समाप्त कर दी गई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि टेलीविजन के मामलों में अतिरिक्त टेलीविजन सेट के लिये लाईसेंस फीस में यह रियायत नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) रेडियों और टेलीविजन की लाइसेंस संबंधी नीति समान बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) भारतीय तार अधिनियम 1885 (1885 का अधिनियम 13) और भारतीय वायरलैस तार अधिनियम 1933 (1933 का अधिनियम 17) की सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी वायरलैस उपकरणों, ट्रांसमीटिंग अथवा रिसीविंग, के लिए नियत अधिकारी द्वारा जारी किया जाने वाला लाइसेंस लेना आवश्यक है, जब तक कि किसी श्रेणी के लिए सरकार ने छूट न दी हो। लाइसेंस की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुल्क की व्यवस्था अधिनियम के अधीन संबंधित नियमों में की गई है। लाइसेंस की नीति में सामाजिक और आर्थिक महत्व मुख्य घटक है।

(ख) 1980, 1981 और 1982 के दौरान रेडियो और टेलीविजन के लाइसेंस शुल्क के बतौर ली गई राशि इस प्रकार है :—

वर्ष	रेडियो	टेलीविजन
1980	24,84,23,169.50	6,74,06,730.50
1981	16,79,97,007.00	8,31,86,928.50
1982	15,34,33,940.00	10,10,55,759.50

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

(ङ) रेडियो के मामले में दी गई छूट को टेलीविजन के मामले में भी देना उचित नहीं समझा गया था।

(च) फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

नई टेलीफोन सेवा योजना

*340. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन सेवा को ठीक करने के लिये एक नई टेलीफोन सेवा योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त योजना कब तक लागू की जायेगी और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां यह योजना सबसे पहले लागू करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां। महानगरों की टेलीफोन प्रणाली में आगे और सुधार लाने के लिए एक योजना तैयार की गई है।

(ख) इस योजना का विवरण इस प्रकार है :—

(एक) स्थानीय, ट्रन्क और टेलेक्स एक्सचेंजों के उन उपस्करों को बदलना, जिनकी कार्यावधि समाप्त हो गई है और नए आधुनिक उपस्कर प्रदान करना।

(दो) भूमिगत केबिलों और उनके दाबीकरण सहित पी सी एम प्रणाली, अंकीय माइक्रोवेव प्रणालियों की व्यवस्था करके बाहरी संयंत्र की क्षमता बढ़ाना।

(तीन) डाइरेक्टरी पूछताछ और ट्रक बुकिंग। पूछताछ जैसी आटोमैनुअल सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण।

(ग) इस मामले पर योजना आयोग सक्रिय रूप से अनुमोदित कर देने के बाद ही निश्चित समय और स्थान, जहाँ इसे सर्वप्रथम चालू किया जाना है के संबंध में विचार किया जाएगा।

थाल वैशेट तथा हाजिरा उर्वरक परियोजनायें

*341 **श्री बी० वी० देसाई** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशी निर्माताओं द्वारा उपकरणों की समय पर सप्लाई न किये जाने के कारण निर्धारित कार्यक्रमानुसार अप्रैल, 1984 में थाल वैशेट उर्वरक परियोजना के प्रथम चरण के चालू होने में और विलम्ब हो जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि राष्ट्रीय केमीकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स और भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, विजया टैंक और के० टी० आई० जैसे अन्य देशी निर्माताओं ने जिनको काफी बड़े क्रयादेश दिये गये थे, परियोजना प्राधिकारियों को आड़े समय पर धोखा दिया है;

(ग) यदि हां तो जिन एककों को क्रयादेश दिये गये थे, उनके द्वारा माल की सप्लाई न करने और क्रयादेशों को पूरा न करने के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि हाजिरा उर्वरक संयंत्र निर्धारित कार्यक्रम के बहुत पीछे है और इस समय के अनुमान के अनुसार इसमें कम से कम और एक वर्ष का विलम्ब होगा

(ङ) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(च) सरकार इन परियोजनाओं को निर्धारित समय के अनुसार स्थापित करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) थाल उर्वरक परियोजना के प्रथम स्ट्रीम को मूलत: अप्रैल, 1984 में यांत्रिक रूप से पूर्ण होना था तथा अगस्त 84 में आरंभ होना था, वर्तमान संकेतों के अनुसार इस परियोजना को आरम्भ करने में लगभग चार महीने का विलम्ब होने की सम्भावना है ।

(ख) और (ग) परियोजना के पूर्ण होने में हुए विलम्ब के कारणों में से एक कारण कुछ विदेशी आपूर्तिकर्ताओं तथा बी एच ई एल एवं के टी आई सहित स्वदेशी उत्पादकों द्वारा कुछ उपस्करों की आपूर्ति करने में विलम्ब करना है बी एच ई एल द्वारा सिन्थैसिस गैस कम्प्र शर तथा सी ओ2 और कम्प्रेशरों की आपूर्ति में कुछ विलंब हुआ है ।बी एच ई एल ने सूचित किया है कि उपस्करों की दोनों मदों की आपूर्ति में यह विलम्ब अन्य कारणों के साथ,उनके विदेशी सहयोगियों के आवश्यक इन्जीनियरिंग दस्तावेजों की आपूर्ति में विलम्ब था ।

स्टीम सुपर हीटरों के उपस्कर, जिनकी आपूर्ति के० टी० आई० (किन्टेटिक्स टेक्नोलोजी इण्डिया लि०) द्वारा नवम्बर, 82 में की जानी थी, अन्तत: मार्च, 83 में प्राप्त हुए थे । के० टी० आई० ने सूचित किया है कि विलम्ब मुख्यत: कठिनाईयों के कारण हुआ है और उसके परिणाम स्वरूप रिफ्रेक्टरी सामग्री के आयात में विलम्ब हुआ ।

कुछ वेसलों की आपूर्ति के लिए पहले विजय टेंक्स को दिए गए आर्डर को मई, 83 में वापस ले लिया गया क्योंकि समय सूची के अनुसार उनके द्वारा कार्य आरंभ नहीं किया जा सका । ये वेरल्स राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फार्टिलाइजर्स लि० को अपने वर्तमान आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त हो चुके हैं ।

(घ) और (ङ) हजीरा परियोजना के मूल-समय सूची अर्थात् सितम्बर, 1985 तक पूर्ण होने की संभावना है । तथापि, चरण —1 के पूर्ण होने की समय-सूची में कुछ विलम्ब हुआ है। अब चरण-I के जनवरी, 1985 तक पूर्ण होने की संभावना है जबकि मूललक्ष्य तारीख सितबंर, 1984 थी । चरण-I में विलंब के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

1. बहुत बड़े आकार के माल के परिवहन तथा मानसून के दौरान उन्हें स्थापित करने में कठिनाइयां ।
2. कठिन मृदा स्थितियों के कारण सिविल कार्यों से संबंधित समस्याएं और
3. सामान्यत: भारी मानसून से कार्य का अव्यवस्थित हो जाना ।

(च) थाल परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति का मन्त्रालय द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है ताकि उसमें हुई प्रगति और परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों का मूल्यांकन किया जा सके और यदि कोई समस्या हो तो उसे दूर करने के लिए कार्यवाही की जा सके । स्वदेशी निर्माताओं द्वारा उपकरणों की सप्लाई में हो रही प्रगति की मंत्रालय नियमित रूप से समीक्षा करता है और जहां आवश्यक हो, सप्लाईकर्ताओं और उद्योग मंत्रालय के साथ मामला उठाता है ।

हाजिरा परियोजना के संबंध में परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा आम तौर पर कृषि मन्त्रालय द्वारा की जाती है, जिसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन यह परियोजना है । तथापि, इस परियोजना के संबंध में भी स्वदेशी सप्लायरों द्वारा उपकरणों की सप्लाई के संबंध में स्थिति की

समीक्षा इस मन्त्रालय द्वारा की जाती है और थाल परियोजना की भांति उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

टेलीफोन प्रयोक्ताओं को टेलीफोन डाएरेक्टरी की सप्लाई

*342. **श्री नारायण चौबे** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरभाष प्रयोक्ताओं को प्रतिवर्ष दूरभाष निदेशिकाओं की आपूर्ति की जाती है;

(ख) (एक) दिल्ली, (दो) कलकत्ता, (तीन) खड़कपुर, मिदनापुर और पश्चिम बंगाल के अन्य स्थानों पर दूरभाष प्रयोक्ताओं को पिछलीबार दूरभाष निदेशिकाएं कब दी गई थीं; और

(ग) दूरभाष प्रयोक्ताओं को समय पर निदेशिकाओं की आपूर्ति न करने का क्या कारण हैं?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) वर्तमान नीति के अनुसार, टेलीफोन डाइरेक्टरियां प्रत्येक वर्ष प्रकाशित की जानी होती हैं। तथापि, यह कार्यक्रम मुख्यत: कागज की सप्लाई में विलम्ब, मुद्रक की दिक्कतों, श्रमिक असंतोष और मुद्रण प्रैस में पावर के बार-बार फेल हो जाने के कारण अस्तव्यस्त हो जाता है।

(ख) पिछली बार टेलीफोन उपभोक्ताओं को संलग्न विवरण दिए गए महीनों के दौरान टेलीफोन डाइरेक्टरियां दी गई थीं। विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

(ग) इसके मुख्य कारणों का भाग (क) के उत्तर में उल्लेख किया जा चुका है।

विवरण

निम्नलिखित स्थानों पर पिछली बार टेलीफोन उपभोक्ताओं को जब टेलीफोन डायरेक्टरियां दी गई थी, उसको दर्शाने वाला विवरण

(1) दिल्ली टेलीफनो	दिसंबर 1982 और जनवरी 1983
(2) कलकत्ता टेलीफोन	मई 1983
(3) खड़कपुर सिटी डिवीजन	जून 1980
(4) मिदनापुर सिटी डिवीजन	जून 1980
(5) आसनसोल दूरसंचार डिवीजन	जनवरी 1983
(6) अंडमान एंव निकोबार दूरसंचार डिवीजन	अक्तूबर 1982
(7) जलपाईगुड़ी दूरसंचार डिवीजन	जून 1980
(8) कलकत्ता पश्चिम डिवीजन (दूरसंचार)	जून 1980
(9) बर्दमान दूरसंचार डिवीजन	फरवरी 1982
(10) गन्तोक दूरसंचार डिवीजन	जनवरी 1982
(11) सिलीगुड़ी दूरसंचार डिवीजन	नवम्बर 1983
(12) कलकत्ता सिटी डिवीजन (दूरसंचार)	जून 1980

दुर्भावना से की गई तालाबन्दी और बंदी के मामलों में मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही

3725. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का दुर्भावना से की गई तालाबन्दी और बन्दी के मामलों में मालिकों के विरुद्ध क्या कदम उठाने का विचार है?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के वर्तमान उपबन्धों के अनुसार लोक उपयोगी सेवा घोषित किए गए किसी भी औद्योगिक

प्रतिष्ठान में बिना पूर्व अनुमति के या संराधन के लंबित रहने की अवधि के दौरान तालाबन्दी नहीं की जा सकती। औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 के अधीन गैर कानूनी समझी जाने वाली तालाबन्दी का प्रस्ताव करना या इसे जारी रखना एक अनुचित श्रम व्यवहार है जिसके लिए अधिनियम के अधीन दंड दिया जा सकता है।

इस समय कामबन्दी के सभी मामलों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के संगत उपबन्धों के अधीन पूर्व नोटिस द्वारा विनियमित किया जाता है। अधिसूचित किए जाने पर औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 के अधीन नियोजकों के लिए यह अनिवार्य हो जाएगा कि वे किसी प्रतिष्ठान को बन्द करने से पहले समुचित सरकारों की पूर्व अनुमति प्राप्त करें।

पवन ऊर्जा की सहायता से बिजली

3726. **श्री हरिहर सोरन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में पवन ऊर्जा की सहायता से बिजली पैदा करने के प्रयास किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ऐसे प्रयास किये गए हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इन योजनाओं की लागत के रूप में उन राज्यों को कितने प्रतिशत वित्तीय सहायता दी है; और

(घ) इन योजनाओं के कार्यान्वयन में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) देश में कुछ जाने-माने पवन युक्त स्थानों पर पवन ऊर्जा से बिजली के उत्पादन की व्यावहारिकता का अध्ययन किया जा रहा है। किसी भी राज्य में इस प्रकार की परियोजनायें अभी प्रारंभ नहीं की गई हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कोयले के उत्पादन में वृद्धि

3727. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में 1982-83 के दौरान कोयले के उत्पादन में हाल ही में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक वृद्धि हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 से कोयला उत्पादन में वृद्धि होती रही है और 1981-82 के 124.90 मि० टन की तुलना में 1982-83 के दौरान कोयले का 130.60 मि० टन वास्तविक उत्पादन हुआ। इस प्रकार, 5.70 मि० टन या 4.6% की वृद्धि हुई है।

सीरे का निर्यात

3728. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981, 1982 तथा 1983 के दौरान कितने मूल्य के और कितनी मात्रा में चीनी के सीरे का निर्यात किया गया; और

(ख) वर्ष 1984 के दौरान सीरे के निर्यात के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) अल्कोहल वर्ष (दिसम्बर,—नवम्बर) 1981-82 और 1982-83 तथा अब तक 1983-84 में शीरे की निर्यात की गयी मात्रा तथा मूल्य निम्न प्रकार था :—

वर्ष	मात्रा (टनों में)	मूल्य (रु० लाखों में)
1981-82	10,030	30.14
1982-83	3,71,571	1,730.92
1983-84 (29-2-84 तक)	1,65,669	881.00

(ख) सरकार आंतरिक अपेक्षाओं का मूल्यांकन करने के बाद केवल शीरे की अतिरिक्त मात्रा के निर्यात की अनुमति देती है और शीरे की उपलब्धता तथा उपयोग की आवधिक रूप से पुनरीक्षा करती है और जब कभी आवश्यक होता है निर्यात के लिये स्वीकृत मात्राओं में आवश्यक सयंजन करती है।

1984-85 के दौरान विद्युत परियोजनाओं को पुरा किया जाना

3730. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार केन्द्र द्वारा वित्त पोषित ऐसी कितनी विद्युत परियोजनाएं हैं; जिन्हें चालू वित्त वर्ष के अन्त तक पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था परन्तु वे पूरी नहीं हुई हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) उनमें से कितनी परियोजनाएं वित्त वष 1984-85 के दौरान पूरी हो जाएंगी और उनका ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) छठी पंच-वर्षीय योजना को तैयार करते समय निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुसार वे सभी केन्द्रीय विद्युत परियोजनायें, जिन्हें 1983-84 के अन्त तक पूरा किया जाना था, असम-मेघालय सीमा पर कोपिली-खामडोंग विद्युत घर (50 मेगावाट की प्रथम यूनिट) तमिलनाडु में कलपक्कम परमाणु विद्युत केन्द्र (235 मेगावाट की दूसरी यूनिट) तथा तमिलनाडु में दूसरा माइन कट नेवेली ताप विद्युत केन्द्र (210 मेगावाट की प्रथम यूनिट) को छोड़कर, पूरी हो गई है या चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरी हो जाएंगी। कोपिली-खामडोंग परियोजना की 50 मेगावाट की प्रथम यूनिट तथा कल-पक्कम परमाणु विद्युत केन्द्र की 235 मेगावाट की दूसरी यूनिट के 1984-85 में पूरे होने की संभावना है इन परियोजनाओं पर कार्य को ध्यान पूर्वक मानीटरिंग की जा रही है और चालू करने के कार्यक्रम में तेजी लाने के लिये सभी प्रयास किए जा रहे हैं

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध गांवों का विद्युतीकरण

3731. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में एक सूत्री बिजली सप्लाई योजना स्कीम के अन्तर्गत अब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कितने लोगों को, गांव-वार बिजली के कनेक्शन दिये गये हैं; और

(ख) गांव-वार, ऐसे परिवारों की संख्या क्या है, जिन्हें इस प्रयोजन के लिए आवश्यक धनराशि का भुगतान कर देने के बाद भी बिजली के कनेक्शन नहीं दिए गए हैं और इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) राज्य बिजली बोर्ड सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली दूरदर्शन केंद्र से विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिये उठाए गये कदम

3732. **श्री नवीन रावणी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन पर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के चित्रमाला, लोक संगीत, लोक नृत्य आदि जैसे कार्यक्रमों को आवंटित समय की प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि किसी क्षेत्रीय भाषा विशेष की फिल्म को दूरदर्शन से प्रसारित करने में 6 से 7 मास तक का समय लगता; और

(ग) राष्ट्रीय एकता के हित में दिल्ली दूरदर्शन से क्षेत्रीय भाषाओं के विभिन्न कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मत्री तथा संसदीय कार्यविभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों और क्षेत्रीय फिल्मों (राष्ट्रीय कार्यक्रम सहित) को दिए गए समय की प्रतिशतता लगभग 11% आती है ।

(ख) क्षेत्रीय फिल्मों को बारी-बारी के आधार पर टेलीकास्ट किया जाता है । किसी भाषा विशेष में टेलीकास्ट करने के लिए उनकी उपलब्धता भी एक निर्णायक बात है ।

(ग) हिन्दी भाषी क्षेत्र में स्थित होने के कारण दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली के अधिकांश कार्यक्रम हिन्दी के होते हैं । तथापि, अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों, जोले दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली के कार्यक्रमों को रिले करते हैं, द्वारा कवर किए जाने वाले दर्शकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दूरदर्शन कभी-कभी क्षेत्रीय भाषाओं में भी कुछ कार्यक्रम, अवश्य टेलीकास्ट करता है । दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली से टेलीकास्ट होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसे राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट किया जाता है, में विभिन्न भाषायी क्षेत्रों के लोक संगीत , लोक नृत्य, आदि को भी शामिल किया जाता है ।

भारतीय तेल निगम द्वारा स्पेयर बाय के लिए सीमित अंतर्राष्ट्रीय निविदायें आमंत्रित किया जाना

3733. **श्री भीखा भाई** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारतीय तेल निगम के स्पेयर बॉय के लिए तकनीकी दृष्टि से स्वीकृत 6 विदेशी फर्मों से सीमित अंतर्राष्ट्रीय निविदायें आमंत्रित की थीं,

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने तकनीकी दृष्टि से स्वीकृत, व्यापक अनुभव और नवीनतम तकनीक वाली तथा सबसे कम राशि की निवादायें भरने वाली फर्म मैसर्ज सोफेक इंक, यू० एस० ए० की निविदा को अस्वीकार कर दिया था ;

(ग) क्या तकनीकी दृष्टि से अनुमोदित सबसे कम राशि की निविदाएं भरने वाली फर्मों और तीन अन्य नवीनतम फर्मों की तुलना में 23 लाख रुपए अधिक की निविदा वाली इमोडको,

यू० एस० ए० की निविदा को स्वीकार कर लिया था, जो कि सर्वाधिक राशि की निविदा, भरने वाली फर्मों में से दूसरे स्थान पर थी ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, क्या ऐसा करना देश के हित में था; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) वाडी नार स्थित अपने अपतटीय टर्मिनल के लिए आवश्यक एक अतिरिक्त बॉय की खरीद के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन ने 8.1.83 को छः विदेशी कंपनियों को सीमित निविदा पूछताछ जारी की थी ।

(ख) से (घ) सबसे कम राशि के तीन प्रस्तावों में से, मैसर्स सोफेक इंक, यू० एस० ए० मैसर्स ब्लूवाटर, नीदरलैंड के प्रस्तावों की सीमित सप्लाई तथा ट्रेक रिकार्डों के कारण स्वीकृत नहीं किया गया था, जबकि मैसर्स मितसुबी सी हैवी इंडस्ट्रीज, जापान के प्रस्ताव को इसलिए स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि निविदा में परिकल्पित डिलीवरी कार्यक्रम के अनुसार यह नहीं था ।

(ङ) तकनीकी उपयुक्तता के अनुसार लागत संचालन की विश्वसनीयता तथा डिलीवरी अवधि को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिए गये थे ।

भारतीय तेल निगम लिमिटेड के पाइपलाइन मुख्यालय में कनिष्ठ आशुलिपिक के पद के लिए चयन

3735. **श्री के० अर्जुनन्** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली में पाइपलाइन मुख्यालय में कनिष्ठ आशुलिपिका के पद के लिए वर्ष 1980-81 में कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया था;

(ख) कितने उम्मीदवारों को दिल्ली से बाहर के लिए "नियुक्त पत्र" भेजे गए थे और कितनों ने कार्यभार संभाला ?

(ग) दिल्ली में पाइपलाइन कार्यालय के लिए कितने उम्मीदवारों को "नियुक्ति पत्र" भेजे गए और कितनों ने कार्यभार संभाला,

(घ) क्या ये नियुक्ति पत्र योग्यता/पेनल के आधार पर भेजे गए थे;

(ङ) भारतीय तेल निगम में पेनल कितनी अवधि के लिए होता है;

(च) क्या किसी व्यक्ति को योग्यता सूची/पेनल में उसकी वरीयता पर विचार किए बिना भी नियुक्ति पत्र भेजा गया था;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन नियुक्तियों में किसका हाथ था; और

(ज) क्या इन नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के पाइपलाइन मुख्यालय में 1980-81 के दौरान कनिष्ठ आशुलिपिक के पद पर किसी उम्मीदवार का चुनाव नहीं किया गया था ।

(ख) पहले तैयार किए गए पैनेल के आधार पर, 1980-81 के दौरान दिल्ली से बाहर नियुक्ति के लिए एक उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र भेजा गया था परन्तु उसने पदभार ग्रहण नहीं किया था ।

(ग) पहले तैयार किए गए पैनेल के आधार पर, वर्ष 1980-81 के दौरान पाइपलाइन दिल्ली कार्यालय के लिए चार उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भेजे गये थे। चारों उम्मीदवारों ने पदभार ग्रहण कर लिया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) पैनेल के लिये कोई विशेष वैधता निर्धारित नहीं की गयी है। परन्तु सामान्यत: जब तक अवधि बढ़ाई न जाये एक पैनेल छह महीनों से एक वर्ष तक वैध होता है।

(च) जी, नहीं।

(छ) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

कछार में तेल छिद्रण

3736. **सन्तोष मोहन देव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कछार (असम) में किन-किन स्थानों पर तेल छिद्रण संबंधी कार्य आरम्भ किया गया है और कब से आरम्भ किया गया है;

(ख) इन छिद्रणों के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या यह सच है कि रिगों और अन्य उपकरणों की कमी के कारण छिद्रण कार्य में बाधा पड़ी थी; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 1977 में कछार में खुदाई कार्य आरंभ किया था और चारमोला और बदरपुर नामक दो सरंचनाओं में अभी तक 3 कूपों को खोदा है। एक चौथे कुएं की खुदाई का कार्य चल रहा है।

(ख) अभी तक कोई वाणिज्यिक खोज नहीं की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केरल दूरसंचार मंडल (केरल टेलीकम्यूनिकेशन सर्किल) में अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारी और कर्मचारी

3737. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल दूरसंचार मंडल (केरल टेलीकम्युनिकेशन सर्किल) में इस समय ग्रुप 'क' और ग्रुप 'ख' के कितने अधिकारी कार्य कर रहे हैं और उनमें से कितने अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं;

(ख) केरल दूरसंचार मंडल में ग्रुप 'ग' और ग्रुप 'घ' के कितने कर्मचारी कार्य करते हैं और उनमें से कितने अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रतिशत अपेक्षित अनुपात में है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख)

	कर्मचारियो की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की सं०	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या
ग्रुप 'क'	53	1	शून्य
ग्रुप 'ख'	216	14	6
ग्रुप 'ग'	13004	1507	37
ग्रुप 'घ'	2196	346	65

(ग) और (घ) ग्रुप 'क' तथा ग्रुप 'ख' पद अखिल भारतीय संवर्ग के पद हैं और अलग-अलग सर्किल यूनिट की प्रतिशतता का कोई सवाल नहीं है। ग्रुप 'ग' एवं ग्रुप 'घ' की प्रतिशतता अपेक्षित अनुपात में नहीं है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों की पर्याप्त संख्या में भर्ती करने के लिए भर्ती प्राधिकारियों द्वारा विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है। इसके परिणाम उत्साहजनक हैं।

आवश्यक औषधि का उत्पादन प्रतिशत

3738. श्री एम० एम० लारेंस : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान हमारे देश में औषध के कुल फार्मूलेशन में आवश्यक औषध उत्पादन का वर्ष-वार प्रतिशत क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : देश में निर्मित 70 प्रतिशत से भी अधिक फार्मूलेशनों में अनिवार्य रूप से मूल्य नियंत्रित फार्मूलेन शामिल हैं।

मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालयों में
एस० टी० डी० की सुविधाएं

3739. राम प्रसाद अहिरवार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों के मुख्यालयों में एस० टी० डी० की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) एस० टी० डी० की सुविधाएं कब तक उपलब्ध कर दिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) मध्य प्रदेश के उन जिला मुख्यालयों के नाम निम्न प्रकार हैं जहां एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध नहीं है :—

1. अंबिकापुर
2. बालाघाट
3. बेतुल
4. भिंड
5. छत्तरपुर
6. छिंदवाड़ा
7. दमोह
8. दतिया
9. घर
10. दुर्ग
11. गुना
12. होशंगाबाद
13. जगदलपुर
14. झाबुआ
15. खरगांव
15. मांडला
17. मंदसौर
18. मुरैना
19. पन्ना
20. नरसिंहपुर

21. रायगढ़ 22. रायसेन
23. राजगढ़ 24. राजनदगांव
25. रतलाम 26. रीवां
27. सतना 28. स्योनी
29. शहडोल 30. शाजापुर
31. शिवपुरी 32. सिधी
33. टीकमगढ़ 34. विदिशा

(ख) उपरोक्त जिला मुख्यालयों में एस० टी० डी० सुविधा चालू योजना तथा इसके बाद की योजनाओं में उत्तरोत्तर प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है ।

वर्ष 1984-85 में आंध्र प्रदेश में विद्युतीकृत किये जाने वाले गांव

3740. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 के दौरान आंध्र प्रदेश में कितने गांवों में बिजली लगाये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1984-85 के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य में 1000 गांवों को विद्युतीकृत किए जाने की संभावना है ।

चिड़ियाटापू, बर्मा नाला, बिडहाबाद, कलकट और बिर्चगंज में सार्वजनिक टेलीफोन लगाया जाना

3742. **श्री अजित बाग** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चिड़ियाटापू, बर्मा नाला, बिडहाबाद, कलकट, विर्चगंज में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिये अब तक क्या कदम उठाये हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) इन स्थानों पर घाटे के आधार पर भी सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का औचित्य नहीं पाया गया क्योंकि इन सभी स्थानों की आबादी 2500 से कम है ।

शेयरों के अन्तरण करने से मना करने के विरुद्ध शिकायतें

3743. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भावी शेयरधारियों से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि उनके द्वारा खरीदे गए शेयरों को उन कम्पनियों ने पंजीकृत करने से मना कर दिया है जिन कम्पनियों के वे शेयर थे;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कम्पनियों द्वारा शेयरों को पंजीकृत करने से मना करना कम्पनी कानून के नियमों का उल्लंघन है; और

(घ) यदि हां, तो कम्पनी कानून का उल्लंघन करने वाली उन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) तथा (ख) हां श्रीमान् जी । शेयरों के अन्तरण का मामला, कम्पनी का आंतरिक मामला है, जो उसके संस्था अन्तर्नियमों

द्वारा शासित किया जाता है। सामान्यतः इस सम्बन्ध में शक्ति, निदेशक मंडल में निहित है। इस विभाग को, सम्बन्धित कम्पनी द्वारा अन्तरक या अन्तरिती, जैसा भी मामला हो, द्वारा उसके पास दाखिल शेयरों के अन्तरण के संबंधमें और/शेयरों के अन्तरण के पंजीकरण को इनकार करने के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रज्ञापन देना अपेक्षित नहीं है। तथापि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 111 में शेयरों के अन्तरण की पंजीकरण से इनकार करने के मामले में पीड़ित अन्तरक या अन्तरिती द्वारा कम्पनी विधि बोर्ड को अपील करने की व्यवस्था है। उपर्युक्त उपबन्धों के अनुसरण में शेयरों के अन्तरण से इनकार करने के लिए सम्बन्धित कम्पनियों के विरुद्ध कम्पनी विधि बोर्ड के पास कतिपय अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

(ग) तथा (घ) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए उत्पन्न नहीं होता।

गुजरात में गैस पर आधारित पेट्रो-रसायन कांपलैक्स की स्थापना

3744. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार द्वारा गैस पर आधारित दूसरा पेट्रो-रसायन काम्पलैस स्थापित करने के लिए भेजा गया प्रस्ताव लम्बे समय से केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना को स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) देश में गैस पर आधारित पेट्रो-रसायन काम्पलैक्स स्थापित करने के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गो शंकर मिश्र) : (क) और (ख) प्रस्ताव, 1979 में, प्राप्त हुआ था, परन्तु संशोधित संभाव्यता रिपोर्ट 1983 में प्राप्त हुई थी जिसकी अब जांच की जा रही है। प्रायोजना के लिए निवेश संबंधी निर्णय अभी लिए जाने हैं।

(ग) ऐसी प्रायोजनाओं की स्थापना पर तकनीकी-आर्थिक आधारों पर निर्णय लिए जाते हैं।

मन्त्रालय के अन्तर्गत सरकारी उपक्रम और उनकी वित्तीय स्थिति

3745. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या ऊर्ज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत सरकारी उपक्रम के नाम क्या हैं; और

(ख) उनकी (एक) प्राधिकृत और नियमित अभिदत्त पूंजी, (दो) आरक्षित पूंजी (तीन) परिसम्पतियां, (चार) बट्टे खाते, (पाँच) 31 मार्च, 1980, 31 मार्च, 1981 और 31 मार्च, 1982 और 31 मार्च, 1983 के लिए इन उपक्रमों में से प्रत्येक द्वारा अर्जित लाभ और हानि क्या है ?

ऊर्ज मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गो शंकर मिश्र) : (क) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

विवरण

(क) ऊर्जा मन्त्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम निम्न प्रकार हैं—

पेट्रोलियम विभाग

1. तेल व प्राकृतिक गैस आयोग
2. आयल इण्डिया लिमिटेड

3. इंडियन आयल कार्पोरेशन
4. मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड
5. कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड
6. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
7. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
8. आई० बी० पी० कम्पनी लिमिटेड
9. बी० को लॉरी लिमिटेड
10. ब्रिज एण्ड रूफ (इण्डिया) लिमिटेड
11. लुब्रीजोल इंडिया लिमिटेड
12. इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड
13. बोंगाईगांव रिफाइनरी व पेट्रोकैमिल्कस लिमिटेड
14. पेट्रोफिल्स कोपरेटिव लिमिटेड
15. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड

सहायक कम्पनियां

16. हाइड्रोकार्बन इंडिया लिमिटेड (ओ० एन० जी० की सहायिका)
17. इंडियन आयल ब्लेंडिंग लिमिटेड (आई० ओ० सी० की सहायिका)
18. बॉगर लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड (आई० बी० पी० की सहायिका)

कोयला विभाग

1. कोल इण्डिया लिमिटेड
2. ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड
3. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
4. सेण्ट्रल कोल फील्ड लिमिटेड
5. वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड
6. सेण्ट्रल माइन प्लानिंग व डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड
7. नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड

विद्युत विभाग

1. नेशनल अर्गल पावर कार्पोरेशन
2. रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन
3. नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन
4. नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन
5. नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन

गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग

इस विभाग के अधीन कोई सरकारी उपक्रम नहीं है।

उत्तर प्रदेश में चल रहे समानान्तर डाकघर

3746. श्री राम सिंह शाक्य : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे समानान्तर डाकघरों के बारे में कोई सूचना मिली है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के डाकघरों के चलन को बन्द करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रकार के मामलों का जब पता चलता है तो उनकी पुलिस में रिपोर्ट की जाती हैं और भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 की धारा 72 के अधीन भी शिकायत दर्ज की जाती है।

महाराष्ट्र में रत्नागिरी में ताप विद्युत केन्द्र

3747. **श्री बापू साहिब परूलेकर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र में रत्नागिरि जिले में एक ताप विद्युत स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण कराया गया है और यदि हां, तो जिले में किन स्थानों पर कराया गया है; और

(ग) इस संबध में अन्तिम निर्णय कब लिया जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड का महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) मुख्यत: दो स्थलों के बारे में विचार किया गया था एक दाभोल के समीप तथा दूसरा चिपलुन के पास धमन देवी-वालोपे गांव में। भूमि, जल, कोयले की ढुलाई की सुविधाओं आदि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने दाभोल स्थान का चयन कर लिया है।

(ग) महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड से कोयले की ढुलाई के लिए राज्य क्षेत्र में दाभोल बन्दरगाह का विकास करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए अनुरोध किया गया है। कोयले की उपलब्धता और ढुलाई, वित्त आदि जैसे सभी आवश्यक निवेश सुनिश्चित हो जाने के बाद कोई निर्णय लिया जा सकता है।

राजस्थान के कोटा और झालावाड़ जिलों के गांवों में अनुसूचित जाति की बस्तियों का विद्युतीकरण

3748. **श्री चतुर्भुज** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा और झालावाड़ जिलों में ऐसे कितने गांव हैं जिनकी अनुसूचित जाति की बस्तियों में 1 जनवरी, 1984 तक विद्युतीकरण का विचार था और क्या ऐसे ग्रामों की एक सूची सभा पटल पर रखी जाएगी;

(ख) क्या इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार अनुसूचित जाति की बस्तियों का विद्युतीकरण कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो ग्राम-वार ऐसी बस्तियों के नाम क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) सूचना राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

छठी योजना अवधि के दौरान लैटर बाक्स लगाना तथा डाक भवनों और कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण करना

3749. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में डाक-सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 10,000 अतिरिक्त लैटर बाक्स लगाये जाने थे;

(ख) छठी योजना अवधि में अब तक कितनी संख्या में डाक भवन और कर्मचारी क्वार्टरों का जीर्णोद्धार और निर्माण किया गया है;

(ग) क्या डाक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने, रेल द्वारा डाक वितरणों और डाक मोटरों की संख्या बढ़ाने तथा डाक संचालन के मशीनीकरण और आधुनिकीकरण की व्यवस्था की जानी थी; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में प्राप्त उपलब्धियों का ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) 31-12-1983 तक के आंकड़े इस प्रकार हैं :

डाक भवन	—	425
डाक स्टाफ क्वार्टर	—	2865

(ग) जी हां।

(घ) ब्योरा निम्नानुसार है :—

प्रशिक्षण :—31-12-1983 तक 1,07,959 डाक कर्मचारियों को सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

डाक मोटर वाहन :—फरवरी, 1984 तक 522 नए वाहन खरीदे गए हैं।

डाक वैन :—18 डाक वैन सप्लाई करने के आदेश दिए जा चुके हैं।

यांत्रिकीकरण और आधुनिकीकरण :

(क) 112 मनीआर्डर बुकिंग मशीन स्थापित की गई हैं।

(ख) रजिस्ट्रेशन/पार्सल बुक करने के लिए 161 कैश रजिस्टर सप्लाई किए गए हैं।

(ग) मद्रास में एक "कनवैयर बैल्ट" स्थापित की गई है।

(घ) थैले साफ करने वाले दो संयंत्र स्थापित किए गए हैं और 9 स्थापित किए जा रहे हैं।

(ङ) अगस्त, 1983 में नई दिल्ली में अनुसंधान एवं विकास केन्द्र स्थापित किया गया।

(च) दिल्ली में विभागीय मशीनों का रख-रखाव रखने के लिए एक क्षेत्रीय कर्मशाला स्थापित की गई है।

(छ) तेज गति की 20 डाक-टिकट विरूपण मशीनों की व्यवस्था की गई है।

नेशनल ड्रग्स एंड फार्मासिटिकल डेवलेपमेंट काउन्सिल की उन औषधि एककों को विशेष प्रोत्साहन देने की सिफारिश जो अपने उत्पादन लागत कम कर सकें

3750. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल ड्रग्स एंड फार्मासिटिकल डेवेलपमेंट काउन्सिल द्वारा गठित योजना एवं विकास संबंधी कार्यालय ने उन औषधी एककों को विशेष प्रोत्साहन देने एवं

व्यवस्था करने की सिफारिश की है जो औषधि की उत्पादन लागत को कम करके अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के स्तर तक ला सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में औषधि एकक एजेन्सियों की प्रतिक्रिया क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद (एन.डी.पी.डी.सी.) के तत्वावधान में गठित आयोजन और विकास पर कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशों और औद्योगिक अनुमोदनों एवं मूल्य निर्धारण नीति तथा पद्धति पर दूसरे दो दलों की सिफारिशों पर परिषद द्वारा शीघ्र ही विचार किया जाने वाला है। सरकार द्वारा 1978 की औषध नीति में परिवर्तनों, यदि कोई हो, के संबंध में तभी निर्णय लिये जाने की आशा है जब डी. पी. डी. सी. की सिफारिशें प्राप्त हो जायें और उन पर विचार कर लिया जाये।

गोरखपुर में स्थित केन्द्रीय रोजगार कार्यालय का कार्यकरण

3751. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर में स्थित केन्द्रीय रोजगार कार्यालय के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कार्यालय और इसके सम्बद्ध अधिकारी कोयला खान कल्याण कोष का उचित ढंग से उपयोग कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को क्षेत्र के कोयला-खान श्रमिकों के हित के लिए जहूदा में कम से कम सप्ताह में एक बार डाक्टर तैनात करने के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) केन्द्रीय रोजगार कार्यालय (श्रम), गोरखपुर, इस समय भूतपूर्व केन्द्रीय श्रम डिपो के अवशिष्ट कार्य को देख रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) क्योंकि गोरखपुर और देवरिया जिलों में केन्द्रीय रोजगार कार्यालय (श्रम) गोरखपुर के अधीन कार्यरत विद्यमान तीन स्वास्थ्य केन्द्र, भूतपूर्व कोयला खान कामगारों और उनके परिवारों की संकेन्द्रित क्षेत्रों में स्वास्थ्य देख-रेख सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे थे, अतः यह महसूस किया गया कि वहां किसी नए केन्द्र को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं थी।

उड़ीसा के कोरापुट जिले में टेलीफोन सुविधाएं

3752. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कोरापुट जिले में उन खण्डों, तहसीलों और उप-संभागों के नाम क्या हैं जहां टेलीफोन सुविधाएं प्रदान किया जाना तथा खण्डों, तहसीलों और उपसंभागों के मुख्यालयों के बीच सम्पर्क जोड़ना अभी शेष है;

(ख) इन क्षेत्रों को ये सुविधायें न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इन क्षेत्रों के साथ दूर संचार सम्पर्क स्थापित करने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों के बीच सम्पर्क जोड़ने के लिए उड़ीसा मण्डल ने क्या योजनायें तैयार की हैं ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) कोरापुट जिले के जिन ब्लाक, तहसील, और उप-मण्डलों में टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है, उनके नाम निम्न-प्रकार हैं :—

ब्लाक :—1. बंधुगांव
2. दशमंतपुर
3. कोयारपुट
4. कुदुमुलुंगम
5. पोडिया
6. रामनगुडा

तहसील :—1. मच्छा कुण्डा
2. मोतू

उपमंडल :—सभी उप-मण्डल मुख्यालयों में टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है।

अपर्याप्त परियात तथा तकनीकी कठिनाइयों के कारण कोरापुट के सभी ब्लाक तथा तहसीलों को उनके संबंधित उपमण्डल मुख्यालयों के साथ सीधी टेलीफोन सेवा अभी प्रदान नहीं की गयी है।

(ख) अगम्य पहाड़ी क्षेत्र तथा समानांतर पावर लाइनें होने के कारण उपरोक्त तहसील एवं ब्लाक मुख्यालयों में परंपरागत खुली तार लाइनों द्वारा टेलीफोन सुविधा प्रदान करना तकनीकी दृष्टि से व्यवहारी नहीं है।

(ग) और (घ) उपरोक्त स्थानों पर 7वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मल्टी एक्सचेंज-ग्रामीण-रेडियो-प्रणाली के माध्यम से टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है।

कोयले का निर्यात

3753. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कोयला कंपनियों का विचार वर्ष 1984-85 के दौरान कोयले का निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो उन कोयला कंपनियों के नाम क्या हैं जो कोयले का निर्यात करना चाहते हैं;

(ग) उन कोयला कंपनियों द्वारा उपर्युक्त वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कितने टन कोयले का निर्यात किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) कोयले की कुछ मात्रा परंपरागत रूप से बंगलादेश, नेपाल और भूटान को निर्यात की जा रही है। इसके अलावा, पर्याप्त उपलब्धता तथा अपर्याप्त घरेलू मांग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि भारत कोकिंग कोल लि० का विशेष कम ऊष्मा वाष्पशील कोयला प्रति वर्ष 5

लाख टन तक और से.को.लि. के तालचेर कोयला क्षेत्र का कोयला प्रति वर्ष 3 लाख टन तक निर्यात के लिए दिया जाए।

नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्रों में बिजली के वाणिज्यिक कनेक्शन

3754. **श्री दया राम शाक्य** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई विशिष्ट नियम विनियम अथवा कानून है जिसके अन्तर्गत नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा किसी पूर्णत: रिहायशी इमारत में बिजली के नये वाणिज्यिक कनेक्शन की मंजूरी निषिद्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा बिजली के नये वाणिज्यिक कनेक्शन देने से इन्कार किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में रिहायशी भवनों के लिए बिजली और पानी के (1) नये वाणिज्यिक (2) नये घरेलू कनेक्शन मंजूर करने की प्रतिक्रिया क्या है तथा आवेदक को कौन से कागजात देने होते हैं तथा सक्षम प्राधिकरण किस नियम, विनियम अथवा संकल्प के अधीन यह प्रक्रिया अपनाई गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) दिल्ली बिजली नियंत्रण आदेश के अनुसार किसी आवासीय भवन में वाणिज्यिक कनेक्शन नहीं दिया जाता है क्योंकि बिजली का कनेक्शन दिए जाने के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिस प्रयोग के लिए भवन को अनुमति दी गई है बिजली के कनेक्शन का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है और भवन नियमों अथवा मास्टर प्लान का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है।

तथापि वास्तुकारों, डाक्टरों, वकीलों आदि जैसे व्यवसायिकों के मामले में उनके आवासीय भवन के कुछ भाग को आवास के साथ-साथ उनके कार्यालय के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। ऐसे मामलों में उन्हें वाणिज्यिक कनेक्शन दे दिया है बशर्ते कार्यालय के रूप में उपयोग किए जाने वाले भवन के हिस्से में बिजली की अलग से वायरिंग की हो। यदि वाणिज्यिक भाग के लिए अलग से विद्युत कनेक्शन नहीं लिया जाता है तो आवासीय क्षेत्र की पूर्ण खपत को वाणिज्यिक आधार पर प्रभावित किया जाता है।

(ग) नई दिल्ली नगर पालिका, केवल उन स्थानों को छोड़कर जहां पर कानूनी तौर पर अनुज्ञेय नहीं है, नये वाणिज्यिक विद्युत कनेक्शनों को देने में मना नहीं करती है।

(घ) बिजली के कनेक्शन

(1) नए वाणिज्यिक (2) आवासीय बिल्डिंगों में नए घरेलू बिजली के कनेक्शन देने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपेक्षित होते हैं :—

(1) भार आवेदन पत्र फार्म (2) मालिकाना हक का सबूत या वास्तविक किराएदार होने का सबूत। निर्माण की गई नई बिल्डिंगों के मामले में नगर निगम या स्थानीय प्राधिकारियों से निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र (3) इस बात की घोषणा करने के लिए कि उस स्थान पर, जहां के लिए बिजली कनेक्शन लेना है, मूल निर्माण के बाद कोई अनाधिकृत निर्माण या कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, 10 रु० के गैर-अदालती स्टैम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बान्ड।

पानी के कनेक्शन

पानी के कनेक्शन के लिए आवेदक को निर्धारित फार्म में आवेदन करना होता है। किराए-दार के मामले में, कब्जे के टोकिन के रूप में किराए की रसीद देने के लिए कहा जाता है, जबकि मालिक का गृह-कर की रसीद प्रस्तुत करनी होती है। इन्जीनियर, डाक्टर, वकील, वास्तुकारों, आदि जैसे व्यवसाय वालों को आवासीय बिल्डिगों के एक भाग/हिस्से में वाणिज्यिक कार्यों के लिए पानी के कनेक्शन देने की भी अनुमति है।

रोजगार केंद्रों में नौकरी के इच्छुक लोगों का पंजीकरण कम्प्यूटर से किया जाना

3755. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा गठित रोजगार सेवाओं संबंधी कार्यदल ने यह सुझाव दिया है कि रोजगार केन्द्रों में, नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों के पंजीकरण का कार्य कम्प्यूटर से किया जाना चाहिए ताकि उनके वर्गीकरण में विलम्ब को कम किया जा सके और तत्संबंधी कदाचारों को समाप्त किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस प्रकार की कम्प्यूटरीकरण कब से शुरू होगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा रोजगार सेवाओं संबंधी एक कार्यदल गठित किया गया है। इस कार्यालय ने अपनी रिपोर्ट अभी तक पूर्ण नहीं की है।

रक्षित प्राइवेट कम्पनियों में रक्षित बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए अनुमति

3756. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी क्षेत्र की उन कंपनियों के क्या नाम हैं जिनको 1981-82, 1982-83 और 1983-84 (आज तक) के वर्षों के दौरान रक्षित, बिजली संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी गई, वे कहां-कहां स्थित हैं तथा उनकी क्षमता कितनी-कितनी है, उन संयंत्रों को किन देशों से आयात किया गया और उनमें कितनी पूंजी परिव्यय अन्तर्ग्रस्त है;

(ख) क्या सम्बद्ध राज्य बिजली बोर्डों अथवा समीवर्ती गैर-सरकारी क्षेत्र के किसी अन्य एकक को अपनी अतिरिक्त बिजली की सप्लाई करने हेतु कोई वचनबद्धता हुई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संयंत्रों की स्थापना से सम्बद्ध कम्पनियों को अपना उत्पादन बढ़ाने में कहां तक सहायता मिली है और क्या इस प्रकार के संयंत्रों को कुशल और नियमित कार्यकरण पर कोई नियंत्रण रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के नियंत्रणों का क्या ब्यौरा है तथा ये नियंत्रण किस तरीके से किए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तमिलनाडु में तेल की खोज के लिए चुने गये क्षेत्र

3757. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा

करेंगे कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तमिलनाडु में कौन-कौन से क्षेत्रों में तेल की खोज कर रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग मुख्य रूप से तमिलनाडु के समुद्र तटीय जिलों में तेल की खोज कर रहा है। इसने 1982-83 के पिछले क्षेत्रीय मौसम के दौरान मदानम, मन्नीलम, तिरूवलूर, मन्नारगुडी, मयूरम, वृदाचलम, श्रीगुशनम तथा चिदम्बरम क्षेत्रों के आसपास भूभौतिकीय अन्वेषण किया है। इसकी 1983-84 के चालू क्षेत्रीय मौसम के दौरान भुवनगिरी, मन्नारगुडी तथा रामनद जिलों में भूभौतिकीय अन्वेषण करने की योजना है।

वर्ष 1981 में स्मारक डाक टिकटों का जारी किया जाना

3758. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984 में डाक और तार विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले विशेष और स्मारक डाक टिकटों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : 1984 के दौरान जारी किए गए व जारी किए जाने वाले विशेष और स्मारक डाक टिकटों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1984 के दौरान विशेष/स्मारक डाक टिकट जारी करने का कार्यक्रम

विषय	तारीख
7वीं लाइट केवलरी	7 जनवरी
डक्कन होर्स	9 जनवरी
एशियाटिक सोसाइटी	15 जनवरी
राष्ट्रपति द्वारा नौ सैनिक बेड़े का पुनरीक्षण (चार डाक टिकटों का सेट)	12 फरवरी
डाक जीवन बीमा	1 फरवरी
12वीं अन्तर्राष्ट्रीय कुष्ठ कांग्रेस	20 फरवरी
वासुदेव बलवन्त फड़के	21 फरवरी
भारत-सोवियत मानव युक्त संयुक्त अन्तरिक्ष उड़ान	3 अप्रैल
भारत का स्वाधीनता संग्राम (सेट)	10 मई
मंगल पांडे नाना साहिब तात्या टोपे बेगम हजरत महल घनश्याम दास बिरला – पहली पुण्य तिथि	11 जून
ओलिम्पिक खेल (सेट)	जुलाई (तारीख निश्चित की जायेगी)
सफेद पंखों वाला बुड डक	1 अक्तूबर

बाल दिन	14 नवम्बर
भारत के किले (सेट)	(तारीख निश्चित की जायेगी)
भारतीय गुलाब (सेट)	—वही—
बोगेन बिल्ले (सेट)	—वही—
दुलहिनें (सेट)	—वही—
बाबा कांशी राम	23 अप्रैल
डा० राजेन्द्र प्रसाद	3 दिसम्बर
स्वामी हरि दास	तारीख निश्चित की जायेगी।

बिहार में सरकारी सिंचाई नलकूपों की बिजली के कनेक्शन काट देना

3759. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार बोर्ड ने राज्य भर में सभी सरकारी सिंचाई नलकूपों की बिजली के कनेक्शन ऐसे समय काट दिए हैं जब कि गेहूं तथा अन्य रबी फसलों की सिंचाई होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और फिर से कनेक्शन जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) बिहार में बिजली की दैनिक सप्लाई कितनी होती है और प्रत्येक उपभोक्ता के लिए कार्य के समय बिजली की निर्बाध सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या बिहार में प्राय: बिजली की पूर्णतया अनुपलब्धता की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित प्रभारों और उपभोग प्रभारों से बिजली की खपत महंगी हो जाती है तथा अन्य राज्यों और राज्य बिजली बोर्डों की तुलना में इन प्रभारों और सप्लाई की क्या स्थिति है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तट दूर सप्लाई पोतों का अधिग्रहण

3760. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग भी तट दूर सप्लाई पोत खरीदना चाहता है;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय को यह जानकारी है कि इस प्रकार की खरीद से नौवहन कंपनियों के हितों को हानि पहुंचेगी, जो नौवहन में विश्वव्यापी मंदी के कारण भारी संकट से गुजर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को भारतीय नौवहन कंपनियों से प्रतियोगिता करने का क्या उद्देश्य है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की अपने अपतटीय संचालनों के लिए ओ०

एस० वी० की बहुत अधिक आवश्यकता है। सामान्य नीति यह है कि अपने अपतटीय रिगों तथा प्लेटफार्मों के लिए ओ०एस०वी० की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उनका स्वामित्व में लिया जाना है, और चार्टर किए गए रिगों के लिए ओ०एस०वी० की आवश्यकताओं को चार्टर-किराए प्रबन्धों द्वारा पूरा किया जायेगा।

अभी हाल ही में भारतीय जहाजरानी कंपनियों ने ओ० एस० वी० को प्राप्त करने में अपनी रुचि प्रकट की है और उन्हें ओ० एस० वी० को चार्टर किये जाने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसलिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को भारतीय जहाजरानी कंपनियों के साथ कोई प्रति-स्पर्धा नहीं है।

हाथी समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

3761. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 फरवरी, 1984 के "नवभारत टाइम्स" ने "दवा नीति और हाथी समिति" से प्रकाशित शीर्षक समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने समिति की सिफारिशों पर अब तक क्या ठोस कार्यवाही की है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने भविष्य में देश हित में औषधि नीति में क्या परिवर्तन करने का विचार किया है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने 29 मार्च, 1978 को लोक सभा पटल पर एक विवरण पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें औषध और भेषज उद्योग पर हाथी समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार के निर्णय दिये गये थे। नई औषध नीति विषयक विवरणपत्र के 104 पैराग्राफों जिनमें लगभग 123 मुद्दे शामिल हैं, में से 20 पैराग्राफों को छोड़कर शेष सभी पैराग्राफों का पूर्ण अथवा आंशिक कार्यान्वयन किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, दिनांक 29 मार्च, 1978 को लोक सभा पटल पर प्रस्तुत किये गये विवरणपत्र में दर्शाये गये नई औषध नीति के मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में अच्छी प्रगति हुई है।

हाथी समिति ने प्रारम्भ में 13 औषधों के ब्राण्ड नाम समाप्त करने की सिफारिश की थी। तथापि, सरकार ने निम्नलिखित 5 औषधों पर आधारित एकल घटक फार्मूलेशनों के ब्राण्ड नाम समाप्त करने का निर्णय लिया :—

1. एनल्जिन
2. एस्प्रिन
3. क्लोरप्रोमाजाइन
4. फैरस सल्फेट
5. पिपराजाइन और इसके लवण, जैसे कि एडियेट, साइट्रेट और फास्फेट।

इसके अतिरिक्त, एकल घटक खुराकों में निर्माण की जाने वाली नई औषधों, केवल निर्यात किये जाने वाले औषधों को छोड़कर, के लिये ब्राण्ड नामों का प्रयोग भी समाप्त कर दिया गया था। कुछ निर्माताओं ने सरकार के निर्णय को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी और उक्त

न्यायालय ने दिनांक 13 अगस्त, 1982 को दिये अपने फैसले में अन्य बातों के साथ-साथ घोषणा की कि किसी भी एकल क्रियाशील घटक वाली औषधों को जातिगत नाम से विपणन के लिये निर्धारित करना गैर-कानूनी और संविधान के विरुद्ध होगा। सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील की है जो स्वीकार कर ली गई है।

औषधों के मूल्यों पर औषध (मूल्य नियंत्रक) आदेश, 1979 के अन्तर्गत कानूनी नियंत्रण रखा जाता है और निकाले गये मूल्य ब्राण्ड नाम और जातिगत नामों से बेचे जाने वाले फार्मूलेशनों के लिये एक ही है। मूल्य में अन्तर, सरकार द्वारा वसूल किये जाने वाले उत्पाद शुल्क में भिन्नता के कारण होता है। अन्तर में भिन्नता का कारण यह है कि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य अधिकतम बिक्री मूल्य है। और निर्माता सरकार द्वारा निर्धारित बिक्री मूल्य की सीमा तक मूल्य वसूल करने के लिये स्वतंत्र है। अब तक 14 मामलों में विदेशी पूंजी को 40 प्रतिशत तक या उससे कम किया गया है।

(ग) राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद् (एन० डी० पी० डी० सी०) इस समय 1978 की औषध नीति की पुनरीक्षा कर रही है। सरकार एन० डी०पी०डी० सी० की सिफारिशें प्राप्त होने और उन पर विचार करने के पश्चात् ही 1978 की औषधि नीति में आवश्यक परिवर्तन, यदि कोई हो, करने की इच्छुक है।

कलकत्ता में संचार प्रणाली

3762. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कलकत्ता में टेलीप्रिंटर, टेलैक्स तथा टेलीफोन सहित सभी संचार व्यवस्थायें गंभीर रूप से अस्त व्यस्त हुई थीं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा उसके लिए कौन उत्तरदायी है;

(ग) पुनः सामान्य स्थिति बनाये रखने के लिए गाइड के संबंध में 28 फरवरी, के लिए क्या कार्यवाही की गई तथा इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की कठिनाइयों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास तथा शाजापुर जिलों में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन

3763. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के इन्दौर, देवास तथा शाजापुर जिलों में खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के लिये कितने आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) उन्हें कब तक गैस कनेक्शन दे दिये जायेंगे;

(ग) उक्त जिलों के लिये प्रतिमाह कितने कनेक्शन जारी किये जाते हैं; और

(घ) तत्संबंधी पूरा विवरण क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क)

जिले	बकाया आवेदन-पत्रों की संख्या
इन्दौर	76,233
देवास	2,600
शाजापुर	1,400

(ख) से (घ) उपलब्ध आधार भूत (इन्फ्रास्ट्रक्चरल) सुविधाओं पर निर्भर करते हुए उपरोक्त जिलों में चरणबद्ध ढंग से गैस कनेक्शन रिलीज किये जायेंगे। तथापि, यह आशा है कि देवास तथा शाजापुर में प्रतीक्षा में दर्ज उपभोक्ताओं को एक वर्ष के अन्दर तथा इन्दौर में प्रतीक्षा सूची में दर्ज उपभोक्ताओं को 2/3 वर्षों के भीतर गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये जायेंगे।

बिजली उपभोक्ताओं के लिए गाइड जारी करना

3764. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या ऊर्जा मन्त्री बिजली उपभोक्ताओं के लिये गाइड के संबंध में 28 फरवरी, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 762 के राज्य सभा में दिए गए उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुस्तिका में संशोधन करके उसको अद्यतन बनाकर जारी किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा उसको तेजी से अन्तिम रूप देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) डेसू द्वारा यह सूचित किया गया है कि उन्होंने "उपभोक्ताओं के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त" का एक मसौदा तैयार किया है। तथापि, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली के कनेक्शन देने के बारे में अद्यतन सूचना इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है। यह मामला दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है। दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए जाने के पश्चात् पुस्तिका प्रकाशित की जायेगी।

टेलीफोन और तार की असंतोषजनक सेवाओं के संबंध में भिवाण्डि वाणिज्य तथा उद्योग मंडल महाराष्ट्र से अभ्यावेदन

3765. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भिवाण्डि वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल, महाराष्ट्र से टेलीफोन और तार की असंतोषजनक सेवाओं के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि टेलीफोन एक्सचेंज के लिये कोई 15 वर्ष पूर्व भूमि ली गई थी और अभी तक वह भूमि बेकार पड़ी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त टेलीफोन एक्सचेंज बड़ी कठिनाई की स्थिति में काम कर रहा है और उसके तत्काल विस्तार किये जाने की आवश्यकता है; और

(घ) क्या सरकार का विचार प्राथमिक सुविधाएं शीघ्र ही उपलब्ध करा के औद्योगिक विकास तथा नौकरियों के सृजन में सहायता करने का है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां। भवन प्राक्कलन की मंजूरी दे दी गई है। टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण करने के लिए जुलाई, 1984 तक टेंडर दिए जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) भिवंडी की प्रतीक्षा सूची में 1565 व्यक्ति दर्ज हैं। 1983-84 के सप्लाई कार्यक्रम में 4500 लाइनों के एक क्रासबार एक्सचेंज को भी शामिल किया गया है। उपस्कर अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इसका आगे और विस्तार करने के उद्देश्य से 1985-86 के सप्लाई कार्यक्रम में 500 और लाइनों का आबंटन किया गया है।

सीतापुर जिले में अनुसूचित जाति की बस्तियों का विद्युतीकरण

3766. **श्री राम लाल राही** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें कुछ संसद सदस्यों की ओर से ग्राम बरगाबना, पो०आ० बरगावना, जिला सीतापुर की अनुसूचित जाति की बस्तियों के विद्युतीकरण किये जाने के संबंध में कोई पत्र मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसूचित जाति की बस्तियों का इस बीच विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करने के लिए श्री राम लाल राही, संसद् सदस्य ने 23.1.84 को गांव बारागवान के निवासी श्री शिव लाल कश्यप का अभ्यावेदन भेजा है तथा मामले को उ०प्र० राज्य बिजली बोर्ड के साथ उठाया गया है।

"भागीरथ" का प्रकाशन

3767. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंग्रेजी और हिन्दी में "भागीरथ" पत्रिका समय पर प्रकाशित नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इन पत्रिकाओं को समय पर प्रकाशित करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इस मंत्रालय का प्रकाशन विभाग, सिंचाई मंत्रालय की ओर से "भागीरथ" (अंग्रेजी) तथा "भागीरथ" (हिन्दी) प्रकाशित कर रहा है। इस पत्रिका के प्रकाशन, इसके संपादकीय कार्य तथा संबंधित प्रशासनिक मामलों की जिम्मेवारी केन्द्रीय जल आयोग, सिंचाई मंत्रालय की है। जैसा कि बताया गया है, "भागीरथ" (अंग्रेजी) नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। "भागीरथ" (हिन्दी) के प्रकाशन में कभी-कभी कुछ देरी हुई है।

(ख) और (ग) प्रायोजित करने वाले मंत्रालय ने बताया है विभिन्न प्रशासनिक समस्याओं के कारण, वे कभी-कभी पत्रिका को निर्धारित समय पर नहीं निकाल पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि पत्रिका को समय पर प्रकाशित करने के लिए पूरे प्रयास किये जा रहे हैं।

मंत्रालय में नियोजित आकस्मिक श्रमिकों को नियमित करना

3768. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि उनके मंत्रालय/अधीनस्थ कार्यालयों में काम करने वाले आकस्मिक श्रमिकों को कुछ निश्चित दिनों तक काम करने के पश्चात् स्वत: नियमित कर दिया जाता है, यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय/अधीनस्थ कार्यालयों में कितने आकस्मिक श्रमिकों को नियमित किया गया है;

(ग) ऐसे कितने आकस्मिक कर्मकार हैं, जो दो वर्ष से अधिक से कार्य कर रहे हैं और नियमित नहीं किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने उन्हें नियमित करवाने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) दैनिक मजदूरी में लगे आकस्मिक श्रमिकों की सेवाएं तभी नियमित कर दी जाती हैं जब वे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार पात्र हो जाते हैं। विद्यमान अनुदेशों के अनुसार दैनिक मजदूरी वाले कर्मकारों को, जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में पूर्णत: अस्थायी/आकस्मिक/मौसमी कार्य के लिए भर्ती किए जाते हैं, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर, समूह "घ" पदों पर नियमित किया जा सकता है :—

(1) दैनिक मजदूरी पर नियुक्त किए गए कर्मकार ने, समूह "घ" के नियमित पद पर नियुक्ति की तारीख को, प्रत्येक दो पूर्व वर्षों के दौरान दैनिक मजदूरी कर्मकार के रूप में सेवा के कम से कम 240 दिन (जिसमें सेवा की भंग अवधि भी सम्मिलित है) सेवा कर ली हो।

(2) दैनिक मजदूरी कर्मकार नियमित पद पर नियुक्ति की तारीख को अधिकतम आयु सीमा की बाबत पात्र होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, दैनिक मजदूरी कर्मकार के रूप में उसके द्वारा व्यतीत की गई अवधि को उसकी वास्तविक आयु में से घटा दिया जाता है।

(3) दैनिक मजदूरी कर्मकार के पास उस पद के लिए विहित की गई न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं होनी चाहिए।

(ख) और (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) ऐसे आकस्मिक कर्मकारों को नियमित करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया गया है, क्योंकि ऐसा नियमित किया जाना, अन्य बातों के साथ-साथ, संबंधित पदों पर नियुक्ति के लिए उनकी पात्रता और उपयुक्त रिक्त स्थानों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

दूरदर्शन द्वारा फिल्मों के प्रसारण के बारे में नियम

3769. **श्री अनवर अहमद** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूरदर्शन द्वारा फिल्मों के प्रसारण के लिए बनाये गए नियमों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : दूरदर्शन केन्द्रों से टेलीकास्ट करने के लिए फिल्मों के चयन की प्रक्रिया और उनके भुगतान की दर संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

दूरदर्शन केन्द्रों से टेलीकास्ट करने के लिए फीचर फिल्मों के चयन की प्रक्रिया और उनके भुगतान की दर

(1) हिन्दी फिल्में :

(1) चयन समिति की सरचना :

व्यापक प्रचार के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों की छानबीन और चयन निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जायेगा :—

1. महानिदेशक, दूरदर्शन — अध्यक्ष
2. सभी उप महानिदेशक, दूरदर्शन महानिदेशालय
3. सभी कार्यक्रम नियंत्रक, दूरदर्शन महानिदेशालय
4. निदेशक (कार्मिक व प्रशिक्षण), दूरदर्शन महानिदेशालय
5. निदेशक (वित्त), दूरदर्शन महानिदेशालय
6. उप सचिव (वित्त), सूचना और प्रसारण मंत्रालय
7. उप सचिव (फिल्म), सूचना और प्रसारण मंत्रालय
8. उप सचिव (टी०वी०), सूचना और प्रसारण मंत्रालय
9. उप सहायक कार्यक्रम नियंत्रक, दूरदर्शन महानिदेशालय

उपरोक्त व्यक्तियों में से किन्हीं भी तीन सदस्यों से कोरम बनेगा किंतु भुगतान के लिए फिल्मों का श्रेणीकरण करने के प्रयोजन के लिए उप सचिव (वित्त) की उपस्थिति जरूरी होगी।

(2) चयन का आधार :

प्रस्तावों की जांच करने के बाद समिति फिल्मों के निम्नलिखित पहलुओं को उपलक्ष धन देते हुए उस क्रम में उनका तीन श्रेणियों अर्थात् "ए", "बी" और "सी" में वर्गीकरण करेगी :—

(क) अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त
(ख) विषयात्मक महत्व
(ग) चलचित्रिकीय महत्व
(घ) मनोरंजन महत्व
(ङ) निर्माण वर्ष
(च) फिल्म को दूरदर्शन पर कितनी बार और किन-किन केन्द्रों पर दिखाया गया।

दूरदर्शन एक फार्मेट विकसित करेगा जिसमें फीचर फिल्म का प्रस्तावक समिति के उपयोग के लिए इन सभीमुद्दों के बारे में सूचना देगा। इसमें उस दूरदर्शन केन्द्र के बारे में भी सूचना शामिल होगी जिसके लिए प्रस्तावक के पास टी०वी० अधिकार है और क्या यह रिपीट फिल्म है।

हिन्दी की फीचर फिल्मों के लिए भुगतान का दर-ढांचा

(क) (1) हिंदी की सादी फीचर फिल्मों के लिए भुगतान का दर-ढांचा निम्नवत् है :—

फिल्म की श्रेण	1. दिल्ली-मसूरी 2. बम्बई-पुणे-बंगलौर-पणजी	1. कलकत्ता 2. मद्रास 3. जलन्धर-अमृतसर	1. श्रीनगर 2. लखनऊ-कानपुर 3. हैदराबाद 4. जयपुर	1. रायपुर 2. मुजफ्फरपुर 3. गुलबर्गा 4. सम्बलपुर 5. नागपुर 6. अल्पशक्ति वाले 20 ट्रांसमीटर
		(रुपयों में)		
"ए"	20,000	15,000	10,000	3,000
"बी"	15,000	10,000	7,500	2,250
"सी" और रिपीट टेलीकास्ट	10,000	7,500	5,000	1,500

(2) संजाल में जोड़े गए किसी भी अन्य स्वतंत्र केन्द्र से सादी फिल्म को टेलीकास्ट करने के लिए अतिरिक्त भुगतान कालम 5 में उल्लिखित दर पर किया जाएगा यदि ट्रांसमीटर 1 किलोवाट या उससे कम शक्ति पर काम करता हो और यदि ट्रांसमीटर 10 किलोवाट की शक्ति पर कार्य करता हो तो भुमतान कालम 4 में उल्लिखित दर पर किया जाएगा।

(ख) प्रत्येक केन्द्र से रंगीन में हिंदी की फीचर फिल्मों के लिए भुगतान उक्त दरों से 25% अधिक की दरों पर स्वीकार्य होगा।

(ग) (1) राष्ट्रीय संजाल पर रंगीन में हिंदी की फीचर फिल्मों को टेलीकास्ट करने के लिए भुगतान की दरें 31-3-85 तक दो वर्षों के लिए इस प्रकार होंगी :—

श्रेणी "ए" फिल्म ..... 3,25,000/-रुपए

श्रेणी "बी" फिल्म ..... 2,42,750/-रुपए

(श्रेणी "ए" की फिल्म का 75 प्रतिशत)

श्रेणी "सी" फिल्म ..... 1,62,500/-रुपए

(श्रेणी "ए" की फिल्म का 50 प्रतिशत)

(ग) (2) राष्ट्रीय संजाल पर हिन्दी की फीचर फिल्मों को टेलीकास्ट करने के लिए भुगतान की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी चाहे उक्त उप-पैरा में उल्लिखित दो वर्षों की अवधि के अन्दर और ट्रांसमीटर या केन्द्र स्थापित कर दिए जाएं।

(ग) (3) दूरदर्शन राष्ट्रीय संजाल पर दिल्ली से फिल्म के टेलीकास्ट होने के तत्काल बाद निर्माता को भुगतान करेगा।

(ग) (4) निर्माता द्वारा अच्छी कोटि की प्रिंट सप्लाई की जाएगी और दूरदर्शन इस प्रिंट को दो सप्ताह के अन्दर वापिस करेगा। प्रिंट की सप्लाई के लिए निर्माता को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

(ग) (5) दिसम्बर, 1982 से राष्ट्रीय संजाल पर रंगीन में टेलीकास्ट की गई हिन्दी की सभी फीचर फिल्मों के लिए उप-पैरा "ग" में दर्शाई गई दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

(2) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की फिल्में :

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की फिल्मों का श्रेणीकरण करने का मानदंड और भुगतान की दर वही होंगे जो हिन्दी फिल्मों के लिए हैं।

(3) प्रादेशिक फिल्में :

(1) फिल्म की भाषा से संबंधित क्षेत्र में स्थित दूरदर्शन केन्द्रों से प्रादेशिक फिल्मों को टेलीकास्ट करने के लिए भुगतान की दर और महानगरीय केन्द्रों अर्थात् बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली से उप-शीर्षकों के साथ टेलीकास्ट करने के लिए भुगतान की दर वही होगी जो हिन्दी की फिल्मों के लिए है। शेष दूरदर्शन केन्द्रों के लिए दरें वही होंगी जो श्रेणी "सी" की फिल्मों के लिए हैं।

(2) केवल "ए" श्रेणी की प्रादेशिक फिल्में ही उस भाषायी क्षेत्र, जहां "ए" श्रेणी की कोई फिल्म नहीं है और प्रतिनिधित्व जरूरी है, से बाहर के दूरदर्शन केन्द्रों से टेलीकास्ट किए जाने के लिए ही पात्र होंगी। भाषायी क्षेत्र से बाहर श्रेणी "बी" की फिल्में भी टलीकास्ट की जा सकती हैं बशर्ते कि एक कलेंडर वर्ष में प्रादेशिक भाषा की इस प्रकार की दो से अधिक फिल्में न दिखाई जाएं। इस प्रकार की फिल्मों के स्वामियों से अंग्रेजी में उप-शीर्षकों के साथ फिल्मों की प्रतियां भेजने के लिए कहा जाएगा। उप शीर्षक देने के लिए स्वामियों को भुगतान दूरदर्शन द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की दरों पर किया जाएगा। उप-शीर्षक देने के लिए भुगतान व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में होगा, अग्रिम भुगतान के रूप में नहीं।

(3) प्रादेशिक फिल्मों का चयन निम्नलिखित केन्द्रों पर किया जाएगा :—

फिल्म की भाषा	दूरदर्शन केन्द्र जहां पर चयन किया जाएगा
(क) गुजराती, मराठी और सिंधी	बम्बई
(ख) तमिल और मलयालम	मद्रास
(ग) तेलुगु और कन्नड़	हैदराबाद
(घ) असमिया, बंगला, उड़िया और मेघालय	कलकत्ता
(ङ) पंजाबी, भोजपुरी और काश्मीरी	दिल्ली

प्रादेशिक फिल्मों के लिए चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(1) दूरदर्शन केन्द्र का निदेशक/उप निदेशक/अध्यक्ष/कार्यकारी अध्यक्ष	
(2) प्रादेशिक अधिकारी (फिल्म प्रमाणन बोर्ड)	सदस्य
(3) प्रादेशिक अधिकारी (फिल्म प्रभाग)	सदस्य
(4) उप प्रधान सूचना अधिकारी	सदस्य
(5) केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी	सदस्य
(6) सहायक केन्द्र निदेशक, दूरदर्शन	सदस्य-सचिव

अध्यक्ष फिल्म (फिल्मों) की भाषा जानने वाले दूरदर्शन के दो वरिष्ठ अधिकारियों को सहयोजित करेगा । समिति की बैठकों का कोरम अध्यक्ष सहित 5 सदस्यों का होगा ।

(4) अन्य केन्द्रों से दिखाई जाने वाली प्रादेशिक फिल्मों के उप-शीर्षक दिए जाने के बारे में निर्णय समिति द्वारा लिया जाएगा और इसे निर्माताओं पर नहीं छोड़ा जाएगा ।

(4) बाल फिल्में :

(1) हिंदी, अंग्रेजी और अन्य प्रादेशिक भाषणों की बाल फिल्मों को नियमित रूप से या तो रविवार प्रात: या किसी अन्य उपयुक्त दिन दिखाया जायेगा । बाल फिल्मों का प्रदर्शन एक साप्ताहिक कार्यक्रम होगा ।

(2) दिल्ली में केन्द्रीय चयन समिति हिन्दी और अंग्रेजी की बाल फिल्मों का चयन करेगी और प्रादेशिक भाषा चयन समिति प्रादेशिक भाषाओं की बाल फिल्मों का चयन करेगी ।

(3) इन फिल्मों के लिए भुगतान की दर निम्नवत् होगी :—

फिल्मों की अवधि	दूरदर्शन केन्द्रों/रिले केन्द्रों से टेलीकास्ट करने के लिए भुगतान की दर		
	दिल्ली और बम्बई मसूरी और पुणे-बंगलौर रिले केन्द्रों सहित	मद्रास, कलकत्ता और जलन्धर, अमृतसर रिले केन्द्र सहित	शेष केन्द्र
	रुपए	रुपए	रुपए
(1) पांच मिनट या इससे कम	400	350	250
(2) 5 से 15 मिनट तक	600	500	400
(3) अगले 15 मिनट या उसके अंश के लिए	600	500	400

बाल फिल्मों को "ए", "बी" और "सी" श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा और ये दरें सभी बाल फिल्मों पर समान रूप से लागू होंगी ।

पश्चिम बंगाल में सरकार के वित्त मंत्री द्वारा लिखे गये लेखों को "योजना" में प्रकाशित न किया जाना

3770. श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
श्री भीम सिंह
श्री मोतीभाई आर० चौधरी } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित "योजना" के मुख्य सम्पादक ने पश्चिम बंगाल सरकार के वित्त मंत्री से एक विशेषांक के लिये एक लेख भेजने के लिये कहा था;

(क) क्या यह भी सच है कि उक्त मंत्री द्वारा लेख भेजे जाने पर "योजना" प्राधिकारियों ने, कुछ समय तक चुप रहने के पश्चात् 25 जनवरी को उन्हें सूचित किया कि वह लेखा प्रकाशित करने में असमर्थ हैं; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो उसके कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) प्रकाशन विभाग के माध्यम से इस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाने वाली "योजना" नामक पत्रिका के मुख्य संपादक ने पश्चिम बंगाल के वित्त मन्त्री डा० अशोक मित्रा से "योजना" के विशेष अंक में प्रकाशन हेतु एक लेख भेजने के लिए अनुरोध किया था।

2. मुख्य संपादक ने डा० अशोक मित्रा से किए गए अपने अनुरोध में इस बात का उल्लेख कर दिया था कि विशेष अंक निकालने का उद्देश्य विकास प्रक्रिया को तेज करने के विचार से व्यावहारिक तथा परिणामोन्मुखी सुझावों को प्रस्तुत करना तथा गरीबी का समाधान करने के लिये अर्थ-व्यवस्था के पहचानें क्षेत्रों में वांछित प्राथमिकताओं की रूप-रेखा बनाना है। डा० अशोक मित्रा ने 11-10-1983 को लेख भेजते हुए "योजना" के मुख्य संपादक के नाम अपने पत्र में यह कहा था कि "लेख बहुत जल्द-बाजी में लिखा गया है" और "यह ऐसा नहीं होगा जैसा कि आपने चाहा है; यदि आप इसका उपयोग न कर सकें तो आप इसको लौटा दें। इसके लिए मैं आभारी हूंगा।" "योजना" के मुख्य संपादक ने डा० अशोक मित्रा के विशेष सहायक को 21-11-1983 को एक अन्तरिम उत्तर भेजा। वह लेख 26 जनवरी, 1984 के "योजना" के विशेष अंक में प्रकाशित नहीं किया गया था और उसको मुख्य संपादक द्वारा डा० मित्रा को 17-1-1984 को लौटा दिया गया था। मुख्य संपादक को यह सलाह दी जा रही है कि वे भविष्य में इस प्रकार के मामलों में अधिक सावधानी बरतें।

जोधपुर को 220 किलोवाट पावर लाइन

3771. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के जोधपुर शहर को 220 किलोवाट पावर लाइन द्वारा कब तक जोड़ा जाएगा; और

(ख) इस लाइन द्वारा कौन से क्षेत्र लाभान्वित होंगे और यह क्षेत्र किस प्रकार लाभान्वित होंगे तथा इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जोधपुर में मार्च, 1984 में भीलवाड़ा जोधपुर 220 के० वी० सिंगल सर्किट लाइन तथा 220 के० वी० उप केन्द्र चालू होने से जोधपुर को 200 के० वी० पर राजस्थान विद्युत ग्रिड के साथ जोड़ दिया गया है।

(ख) राजस्थान में जोधपुर के आसपास के क्षेत्र तीनवारी, डेचू, पोखरन, बिलारा, सोजात, बोरुन्डे, पाली, बालोतरा और बाड़मेर उप-केंद्रों को 220 के० वी० भीलवाड़ा जोधपुर लाइन को चालू होने से लाभ प्राप्त होगा और 220 के० वी० जोधपुर उप-केंद्र को वोल्टता परिस्थितियों तथा विद्युत सप्लाई में विश्वसनीयता में सुधार होगा।

कोयले की कालाबाजारी

3772. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 जनवरी, 1984 के "नवभारत टाइम्स" में कोयले की कालाबाजारी के एक सनसनीखेज मामले के बारे में जिसमें बिहार में वैशाली जिले में कोयले की बिक्री में लाखों रुपये का घोटाला किया गया था, प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनिवासी भारतीयों को मताधिकार

3773. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन 25 लाख अनिवासी भारतीयों को मताधिकार देने का विचार, है, जिन्हें विदेशों में इस अधिकार से वंचित रखा गया है और जो काफी विदेशी मुद्रा कमा कर प्रति वर्ष उसे भारत भेज रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे लोगों की देश-वार संख्या क्या है और इनमें से कितने लोगों को उन देशों में नागरिकता प्राप्त हो चुकी है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अन्तर्गत आने वाले भारतीय राष्ट्रिकों के प्रवर्गों को छोड़कर, विदेशों में रह रहे अन्य भारतीय राष्ट्रिकों को राज्य विधान सभा/लोक सभा के निर्वाचनों में मताधिकार का हक नहीं है। सरकार विदेशों में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों को मताधिकार दिए जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। इस प्रश्न में कुछ विशेष बातें हैं, अतः विभिन्न सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, विस्तृत रूप से जांच-पड़ताल करनी पड़ेगी। इसलिए इस प्रक्रम पर यह बताना सम्भव नहीं है कि इसका कोई विनिश्चय करने में कितना समय लगेगा।

(ग) 15-7-80 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीयों का विवरण

(जैसा कि 15-7-1980 तक उपलब्ध है)

क्रम सं०	देश का नाम	विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की संख्या	उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1.	अफगानिस्तान	30,000	25,000	

1	3	4	5
2. अल्जीरिया	1,500	40	
3. एंटीगुआ	20*	—	*परिवार
4. अर्जेन्टीना	89	10	
5. आस्ट्रेलिया	18,599	15,985	
6. आस्ट्रिया	80	23	
7. बहामास	100	—	
8. बहरीन	40,000	200	
9. बंगला देश	450	—	
10. बारबाडोस	75*	—	*परिवार
11. बेल्जियम	400	5	
12. बेनीन	250	—	
13. भूटान	40,000	20	
14. बोलिबिया	4	—	
15. बोत्सवाना	820	500	
16. ब्राजील	2,000	8	
17. बुल्गारिया	30	—	
18. बर्मा	3-4 लाख	7,200	
19. बुरुंडी	120	—	
20. कैमरून	150	—	
21. कनाडा	1,75,000	95,000	
22. केप वार्डे द्वीपसमूह	—	—	
23. सेंट्रल अफ्रीकन एम्पायर	40	—	
24. चाड	6	—	
25. चिली	45	—	
26. चीन	8	—	
27. कोलम्बिया	25	1	
28. कामरोस	200	—	
29. कांगो	25	—	
30. कोस्टारिका	7	3	
31. क्यूबा	20	16	
32. साइप्रस	6	—	
33. चेकोस्लावाकिया	11	11	
34. डेनमार्क	637	65	
35. डोमीनिका	20*	—	*परिवार
36. इक्वेडोर	13	—	
37. मिस्र	600	1	

(जारी···)

1 2	3	4	5
38. इक्वेटोरियल गुआनिया	10	—	
39. इथोपिया	2,350	450	
40. फिजी	3,00,697	3,00,650	
41. फिनलैण्ड	100	20	
42. फ्रांस	500	6	
43. गेबन	20	15	
44. गाम्बिया	78	10	
45. ग्वाटेमाला	13	—	
46. जर्मनी (एफ०आर०जी०)	13,082	1,521	
47. जर्मनी (जी०डी०आर०)	100	—	
48. घाना	1,250	44	
49. ग्रीस	300	—	
50. ग्रेनाडा	3,900	3,700	
51. गुआनिया	7	—	
52. गुआनिया बिसाऊ	—	—	
53. गुआना	4,24,400	4,24,100	
54. हांगशांग	12,600	4,000	
55. हंगरी	2	—	
56. आइसलैण्ड	6	6	
57. इण्डोनेशिया	20,000	5,000	
58. ईरान	20,800	920	
59. इराक	20,250	10,000	
60. आयरलैण्ड	6	6	
61. इटली	900	—	
62. आइवरी कोस्ट	15	—	
63. जमैका	50,318	50,000	
64. जापान	1,859	110	
65. जोर्डन	3,585	—	
66. केन्या	79,800	72,500	
67. कोरिया (डी०पी०आर०)	—	—	
68. कोरिया (गणराज्य)	104	18	
69. कुवैत	65,000	100	
70. लाओस	60	—	
71. लेबनान	600	7	
72. लेसोथो	1,020	800	
73. लाइबेरिया	1,000	—	

1	2	3	4	5
74.	लीबिया	10,000	—	
75.	लक्समबर्ग	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
76.	मालागासो	20,000	15,500	
77.	मलावी	4,900	3,640	
78.	मलेशिया	12,08,500	10,09,500	
79.	मालदीव	112	10	
80.	माल्टा	150	150	
81.	माली	10	—	
82.	मोरीशस	6,23,500	6,12,527	
83.	मोरीटेनिया	—	—	
84.	मैक्सिको	92	26	
85.	मंगोलिया	—	—	
86.	मोसर्रात	15*	—	*परिवार
87.	मोराक्को	500	125	
88.	मोजंबीक	22,043	21,792	
89.	नेपाल	38,00,000	23,87,973	
90.	नीदरलैण्ड	1,01,500	1,00,000	
91.	न्यूजीलैंड	10,000	9,200	
92.	निकारगुआ	2	—	
93.	नाइजीरिया	15,000	3	
94.	नाइजर	उपलब्ध नहीं	—	
95.	नार्वे	1,450	75	
96.	ओमान	60,000	5	
97.	पाकिस्तान	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
98.	पानामा	1,500	250	
99.	पेराग्वे	7	—	
100.	पेरु	65	19	
101.	फिलिपीन्स	3,000	500	
102.	पोलैंड	49	—	
103.	पुर्तगाल	6,000	5,939	
104.	कतार	30,000	25	
105.	रुमानिया	—	—	
106.	खाण्डा	58	—	
107.	सऊदी अरब	1,20,000	2,000	
108.	सेनिगाल	80	50	
109.	सेशल्स	500	350	

1 2	3	4	5
110. सैरालियोन	612	12	
111. सिंगापुर	1,59,500*	1,22,000	*इसके अन्तर्गत
112. सोमालिया	1,072	172	भारत के ईर्द-गिर्द
113. स्पेन	4,000	37	देशों के राष्ट्रिक
114. श्रीलंका	13,50,000	4,32,986	भी हैं।
115. सेंट विंसेंट	10*	—	*परिवार
116. सेंट लूशिया	15*	—	*परिवार
117. सूडान	1,800	98	
118. सूरीनाम	1,24,900	1,24,750	
119. स्वाजीलैंड	41	12	
120. स्वीडन	1,899	1,172	
121. स्विट्जरलैंड	2,434	449	
122. सीरियाई अरब गणतंत्र	286	—	
123. तनजानिया	59,000	55,000	
124. थाईलैंड	20,000	10,000	
125. टौंगो	75	—	
126. त्रिनिदाद और टोबागो	4,21,000	4,20,000	
127. ट्यूनिसिया	25	—	
128. टर्की	10	—	
129. युगांडा	430	300	
130. संयुक्त अरब अमीरात	1,52,000	2,000	
131. यूनाइटेड किंगडम	5,00,000	2,50,000	
132. संयुक्त राज्य अमरीका	3,00,000	35,000	
133. सोवियत रूस	750	2	
134. अपर वोल्टा	15	—	
135. उरुग्वे	2	—	
136. वेनेजुएला	231	16	
137. वियतनाम	200	उपलब्ध नहीं	
138. यमन अरब गणराज्य	3,500	300	
139. यमन (पी०डी०आर०)	1,00,000	99,500	
140. युगोस्लाविया	50	—	
141. जेरे	700	200	
142. जाम्बिया	22,600	9,000	

खाड़ी के देशों में बेरोजगार केरलवासी

3774. **श्री स्कारिया थामस**
प्रो० पी० जे० कुरियन } : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाड़ी के देशों में लगभग एक लाख केरलवासी बेरोजगार हैं और बड़ी संख्या में लोग नौकरी खोने के खतरे का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कर्नाटक को मिट्टी के तेल की सप्लाई

3776. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार तिमाहियों में कर्नाटक को मिट्टी के तेल का कितना कोटा आबंटित किया गया; और

(ख) उक्त राज्य को वास्तव में मिट्टी का कितना तेल सप्लाई किया गया ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) 1983 के दौरान कर्नाटक राज्य को मिट्टी के तेल के लिये किये गये आवंटन और बिक्री के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :

(आंकड़े मी० टनों में)

माह	आवंटन	तदर्थ आधार पर रिलीज	कुल आवंटन	बिक्री
जनवरी, 1983	25,600	—	25,600	25,599
फरवरी, 1983	25,600	—	25,600	21,542
मार्च, 1983	23,000	—	23,000	23,949
अप्रैल, 1983	23,000	—	23,000	19,595
मई, 1983	23,000	—	23,000	21,410
जून, 1983	23,000	—	23,000	21,979
जुलाई, 1983	22,600	—	22,600	22,501
अगस्त, 1983	23,700	—	23,700	23,373
सितम्बर, 1983	23,700	—	23,700	23,640
अक्तूबर, 1983	23,700	1300	25,000	24,565
नवम्बर, 1983	26,900	—	26,900	25,903
दिसम्बर, 1983	26,900	—	26,900	26,454
	290,700	1300	292,000	280,510

कृषि फार्म और ग्रामीण मजदूरों को मजूरी की अदायगी के लिये मानदंड

3777. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि, फार्म और ग्रामीण मजदूरों को इस समय अदा की जा रही मजूरी के मानदंड क्या हैं और यह किस आधार पर निर्धारित किए गए थे तथा कब निर्धारित किए गए थे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित कृषि और अन्य नियोजनों में नियोजित श्रमिकों को समुचित सरकारों द्वारा निर्धारित मजदूरी दरों पर भुगतान किया जाता है । ये दरें श्रमिकों की आवश्यकताओं, कीमतों का स्तर, मजदूरी की विद्यमान दरें आदि कई कारकों को ध्यान में रखते हुए त्रिपक्षीय सलाह मशविरा करने के बाद निर्धारित की जाती है या उनमें संशोधन किया जाता है । एक विवरण संलग्न है जिसमें कृषि में नियोजन के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर्शाई गई है ।

विवरण

राज्य का नाम	लागू होने की तारीख	मजदूरी दरें	टिप्पणियां
1	2	3	4
केन्द्रीय सरकार	19-10-1983	7.50 रु० से 11.25 रु० क्षेत्रों के अनुसार	
आन्ध्र प्रदेश	7-9-1983	7.00 रु० से 10.00 रु० प्रतिदिन क्षेत्रों और कार्य के स्वरूप के अनुसार।	
असम	28-12-1981	8.00 रु० से 9.00 रु० प्रतिदिन बिना भोजन के या 7.00 रु० प्रतिदिन एक समय के भोजन के साथ, व्यवसाय के अनुसार।	
बिहार	12-4-1982	5 किलोग्राम धान या उसी मूल्य का कोई अन्य अनाज, इसके अतिरिक्त एक समय का नाश्ता या 8.50 रु० नकद।	
गुजरात	2-10-1982	9.00 रु० प्रतिदिन या 3,200/- रु० प्रति वर्ष।	
हरियाणा	1-5-1982	14.00 रु० प्रतिदिन या 10.00 रु० प्रतिदिन भोजन के साथ।	1-7-83 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने के का रण इन दरों में 92 पैसे प्रतिदिन की और वृद्धि की गई है।
हिमाचल प्रदेश	1-4-1982	8.25 रु० प्रतिदिन।	दिसम्बर 1982 से मजदूरी दरों में क्षेत्रों के अनुसार 12/1-2 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है।
जम्मू व कश्मीर	—	अभी तक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं की गई है।	कृषि श्रमिकों के बारे में न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक सर्वेक्षण किया है।

1	2	3	4
कर्नाटक	2-10-1975	3.25 रु० से 5.60 रु० प्रतिदिन, कार्य की श्रेणी तथा भूमि के प्रकार ने अनुसार ।	1-3-82 से इन दरों में 5.00 रु० से 7.50 रु० प्रतिदिन तक और संशोधन किया गया था । यह सूचित किया गया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कृषि श्रमिकों के लिए 1982 में निर्धारित मजदूरी दरों में संशोधन करने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है ।
केरल	1-8-1980	7.45 रु० प्रतिदिन आसान काम के लिए तथा 0.20 रु० प्रतिदिन कठिन काम के लिए ।	न्यूनतम मजदूरी दरों में और आगे संशोधन करने के बारे में सरकार को सलाह देने के लिये 30-10-1981 को एक समिति गठित की गई थी ।
मध्य प्रदेश	1-1-1982	7.00 रु० प्रतिदिन विशेष भत्ता जो छमाही संकलित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध है ।	विशेष भत्ते की दर औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 447 (1960 =100) में प्रत्येक प्वांइट की वृद्धि के लिए प्रतिमाह प्रति प्वाइन्ट 45 पैसे है ।
महाराष्ट्र	1-2-1983	6.00 रु० से 10.00 रु० प्रतिदिन, क्षेत्रों के अनुसार ।	
मणिपुर	1-3-1983	10.00 रु० से 10.50 रु० प्रतिदिन, क्षेत्रों के अनुसार ।	
मेघालय	1-11-1983	11.00 रु० प्रतिदिन ।	
नागालैण्ड	6-2-1984	10.00 रु० प्रतिदिन ।	
उड़ीसा	25-12-1982	6.00 रु० प्रतिदिन ।	
पंजाब	1-1-1982	11.00 प्रतिदिन भोजन के साथ या 14.00 रु० प्रतिदिन बिना भोजन के ।	1-7-1983 से 12.32 रु० प्रतिदिन भोजन के साथ या 15.32 रु० प्रतिदिन बिना भोजन के है ।

1	2	3	4
राजस्थान	1-4-1982	8.05 रु० से 9.00 प्रतिदिन, क्षेत्रों के अनुसार ।	
सिक्कम	—	राज्य में अभी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 लागू नहीं किया गया है ।	
तमिल नाडु	5-4-1983	बुवाई, पौधों को उखाड़ने, पौधों को पुन: लगाने या निराई करने में लगे कर्मचारियों के लिए 8.00 रु० प्रतिदिन और अन्य संक्रियाओं के लिए, 10.00 रु० से 11 रु० तक प्रतिदिन ।	केवल उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां के लिए मजदूरी दरें तमिल नाडु कृषि श्रमिक उचित मजदूरी अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत निर्धारित की गई है ।
त्रिपुरा	1-8-1982	8.00 रु० प्रतिदिन ।	
उत्तर प्रदेश	13-7-1983	8.00 रु० से 9.50 रु० प्रतिदिन, क्षेत्रों के अनुसार ।	
पश्चिम बंगाल	13-8-1982	(वयस्क) 10.15 रु० प्रतिदिन । (बालक) 7.29 रु० प्रतदिन ।	14-11-1982 से परिवर्ती महंगाई भत्ते में संशोधन करने के कारण। प्रत्येक वयस्क श्रमिक को प्रतिदिन 12.01 रु० और प्रत्येक बालक को प्रतिदिन 8.71 रु० मिलेंगे ।
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	14-7-1982	8.00 रु० प्रतिदिन ।	न्यूनतम मजदूरी में और संशोधन करने के लिए 8-2-84 को प्रस्ताव अधिसूचित किए गए हैं ।
अरुणाचल प्रदेश	1-6-1981	9.00 रु० से 10.00 रु० प्रतिदिन ।	ये दरें शासकीय आदेशों के अधीन निर्धारित की गई हैं । इनमें 1-1-84 से और संशोधन किया गया है मगर दरें अभी ज्ञात नहीं हैं ।
चंडीगढ़	12-4-1982	14.00 रु० प्रतिदिन या 11.00 प्रतिदिन भोजन के साथ ।	मजदूरी की न्यूनतम दरें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध है । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

1	2	3	4
दादर और नागर हवेली	अगस्त 1983	9.00 रु० प्रतिदिन ।	(पंजाब श्रृंखला) में कमी या बढ़ोत्तरी के लिए निष्प्रभावन की दर 4 पैसे प्रति प्वाइंट है ।
दिल्ली प्रशासन	1-3-1982	11.60 रु० प्रतिदिन ।	और संशोधन करने के लिए 3-12-82 को प्रस्ताव अधिसूचित किये गये ।
गोवा, दमन और दीव ।	2-10-1983	6.75 रु० प्रतिदिन ।	
मिजोरम		कोई संगठित कृषि श्रमिक नहीं है । विद्यमान दर 10.00 रु० प्रतिदिन या इसके आस-पास है ।	
पांडिचेरी			
(i) माही क्षेत्र	23-8-1983	7.45 रु० से 9.20 रु० प्रतिदिन कार्य के स्वरूप के अनुसार ।	
(ii) यमन क्षेत्र	अप्रैल, 1983	(क) फसल काटने के अलावा कृषि संक्रियाओं के सभी प्रकार के लिये :—	वयस्क 10.00 रु० प्रतिदिन — अवयस्क 6.30 रु० प्रतिदिन
		(ख) फसल काटने के लिए :—	9 किलोग्राम धान — 4/1-2 किलोग्राम धान
(iii) पांडीचेरी	28-11-1983	वयस्क 7.00 रु० प्रतिदिन — अवयस्क 4.20 रु० प्रतिदिन	
(iv) कराईकल	अगस्त, 1982	7 लीटर धान+2.80 रु० प्रतिदिन या फुल 9.00 रु० प्रतिदिन ।	
लक्षदीप	—	संघ शासित क्षेत्र में कोई कृषि श्रमिक नहीं है ।	

पश्चिम बंगाल में कोलाघाट टेलीफोन एक्सचेंज

3778. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का कोलाघाट टेलीफोन एक्सचेंज (जिला मिदनापुर पश्चिम बंगाल) की सेवाओं में सुधार लाने का कोई कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) कोलाघाट में टेलीफोन सेवायें सामान्यतया संतोषजनक हैं । टेलीफोन सेवाओं का आगे और विस्तार करने के प्रयोजन से टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत के लिए भूमि प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

1983-84 के दौरान बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

3779. **श्री माधव राव सिंधिया**
श्री लक्ष्मण मलिक } : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष नवम्बर तक 1983-84 के दौरान बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए निर्धारित लक्ष्य का केवल 25 प्रतिशत ही प्राप्त किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1983-84 के दौरान बन्धुआ श्रमिकों को पुनर्वासित करने में उपलब्धि की प्रतिशतता नवम्बर, 1983, तक निर्धारित लक्ष्य का 26.9 प्रतिशत थी । जनवरी, 1984 के अंत तक यह बढ़कर 38.6% हो गई, इस वर्ष के अन्त तक इसके और बढ़ने की आशा है । उपलब्धि में यह कमी अंशत: इस कारण हुई है कि राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान किए जाने के बाद बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु योजनाओं पर विचार करने के लिये उन्होंने जांच समितियां विलम्ब से गठित की हैं और पिछले वर्षों में दिये गये अनुदानों के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किए हैं । यह कमी अंशत: सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा कार्यक्रमों के लिये बराबरी के आधार पर निधियां न देने के कारण भी हुई हैं ।

फिल्मों के चोरी छिपे वीडियो कैसेट तैयार किये जाने के बारे में मंत्रालय दल द्वारा दिये गये सुझाव

3780. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्मों के चोरी छिपे वीडियो कैसेट तैयार किये जाने के बारे में अन्तर-मन्त्रालय दल ने क्या सुझाव दिए हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) वीडियो पाइरेसी संबंधी अन्त: मंत्रालय दल द्वारा दिए गए सुझावों की वीडियो पाइरेसी सहित पाइरेसी के सभी रूपों की रोकथाम करने के लिए कापीराइट अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जांच की जा रही है । केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा वीडियो फिल्मों को अलग से सेंसर करने की व्यवस्था करने हेतु चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 में भी संशोधन किया गया है ।

'स्मरणीय घटनाएं" शीर्षक से वृत्त चित्र तैयार करना

3781. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म प्रभाग ने "स्मरणीय घटनाएं" शीर्षक से वृत्तचित्र तैयार किया है;

(ख) क्या उक्त 20 मिनट के वृत्त चित्र का निर्माता और निदेशक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एन० एस० थापा था;

(ग) इस वृत्त चित्र को तैयार करने पर कुल कितनी लागत आई है;

(घ) क्या उक्त वृत्त चित्र जनता को दिखाया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या उक्त वृत्तिचित्र को काट दिया गया और अथवा नष्ट कर दिया गया है; यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) फिल्म प्रभाग ने "मेमोरेबल मूमेंट्स" नामक एक सादी डाकुमेंट्री फिल्म बनाई है जिसमें पंडित जवाहर लाल नेहरू की पुत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ उनके संबंधों को चित्रित किया गया है ।

(ख) इस डाकुमेंट्री फिल्म की अवधि 19 मिनट है । फिल्म प्रभाग के आन्तरिक निर्माण के रूप में इसका निर्माण और निर्देशन फिल्म प्रभाग के भूतपूर्व मुख्य निर्माता श्री एन० एस० थापा द्वारा किया गया है ।

(ग) दिसम्बर, 1983 तक मूल रूपान्तर तक इस डाकुमेंट्री की कुल अनन्तिम लागत, डबिंग प्रभारों को छोड़कर, 92,000 रु० थी । अन्तिम निर्माण लागत, जिसे लागत लेखा आधार पर निकाला जाता है, का तभी पता चलेगा जब आडिट द्वारा फिल्म प्रभाग के रिकार्डों का सत्यापन कर लिया जायेगा ।

(घ) और (ङ) इस डाकुमेंट्री फिल्म को काटा या नष्ट नहीं किया गया है ।

तपेदिक विरोधी औषधि-रिफेमपिसीन के मूल्य में कमी करने के उपाय

3782. **श्री नवल किशोर शर्मा**
श्री तारिक अनवर } : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सतरह भेषजीय निर्माताओं तथा भारतीय औषध निर्माता संघ को रिफेमपिसिन फारमुलेसन्स के स्वीकृत मूल्य तथा आयातित "बल्क ड्रग" की वास्तविक पहुंच लागत तथा अन्य आंकड़ों के बीच अन्तर के कारण अवांछित लाभों को समाप्त करने के लिए नोटिस जारी किये हैं;

(ख) इन सतरह भेषजीय निर्माताओं के नाम क्या हैं;

(ग) उनमें से अब तक कितने निर्माताओं ने सरकार के नोटिस का उत्तर दिया है तथा अपेक्षित सूचना भेजी है; और

(घ) उन अन्य भेषजीय निर्माताओं जिन्होंने अभी तक आवश्यक सूचना नहीं भेजी है के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) वर्ष 1979-80 से फार्मूलेशनों में अनुमेय रिफाम्पिसिन के मूल्य और आयातों की वास्तविक अवतरित लागत के बीच अन्त को

समाप्त करने के लिये, रिफाम्पिसिन पर आधारित फार्मूलेशनों के 17 निर्माताओं को नोटिस जारी किये गये थे ।

(ख) निम्नलिखित 19 निर्माताओं का नोटिस जारी किये गये थे :—

1. मै० कैडिला लेबोरेट्रीज
2. मै० फार्मेड प्राइवेट लिमिटेड
3. मै० बायो कैम
4. मै० इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०
5. मै० लुपिन लेबोरेट्रीज
6. मै० रैनबैक्सी लेबोरेट्रीज
7. मै० आस्ट्रा-आई डी एल
8. मै० एलम्बिक कैमिकल्स वर्क्स कं लि०
9. मै० कार्टर वालेस
10. मै० डोलफिन लेबोरेट्रीज
11. मै० मर्करी लेबोरेट्रीज
12. मै० बॉम्बे ड्रग हाऊस
13. मै० साराभाई कैमिकल्स
14. फार्मास्यूटिकल्स कंपनी आफ इण्डिया
15. मै० माइक्रो लेबोरेट्रीज
16. मै० लाइका लेबोरेट्रीज
17. मै० एलबर्ट डेविड

(ग) सरकार द्वारा मांगी गई सूचना अभी तक केवल 6 निर्माताओं ने भेजी है। कुछ निर्माताओं ने उत्तर दिया है कि इण्डियन ड्रग्स मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन द्वारा एकीकृत रूप से सूचना भजा जायेगी । जबकि अन्यों ने कहा है कि वे ब्यौरे एकत्र कर रहे हैं और प्रस्तुत कर देंगे ।

(घ) अभी तक प्राप्त हुये उत्तरों के सन्दर्भ में आगामी कार्यवाही की जांच की जा रही है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों द्वारा शराब और पाकिस्तानी कपड़ों की तस्करी

3783. **श्री सुधीर गिरि** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, जोधपुर क्षेत्र के सुरक्षा अधिकारी की ओर से आयोग के डकोटा हवाई जहाज में तेल और प्राकृतिक आयोग ने कर्मचारियों द्वारा की जा रही शराब और पाकिस्तानी कपड़ों की तस्करी के बारे में एक विभागीय रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है;

(घ) उपरोक्त मामला इस समय किस स्थिति में है; और

(ङ) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पश्चिम बंगाल में कालीदासपुर, बांकुरा में उत्खनन संबंधी कार्य को बंद करना

3784. **प्रो० रूपचन्द पाल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में कालीदासपुर, बांकुरा में उत्खनन संबंधी कार्य को बंद कर दिया गया है;

(ख) उक्त क्षेत्र में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है; और

(ग) इस क्षेत्र में काम बंद करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

रुग्ण एककों का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण करना

3785. **श्री बालकृष्ण वासनिक**
श्री गुफरान आजम } : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय देश के रुग्ण बिजली संयंत्रों के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण के लिए एक व्यापक योजना तैयार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन रुग्ण बिजली संयंत्रों के क्या नाम हैं और वे किन स्थानों पर हैं;

(ग) जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण के लिये प्रत्येक बिजली संयंत्र पर अनुमानत: कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(घ) रुग्ण बिजली संयंत्रों का जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) देश में ताप विद्युत केन्द्रों का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण करने के लिए एक स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली ताप विद्युत यूनिटों के नाम और कुल प्रतिष्ठापित क्षमता, संभावित व्यय आदि स्कीम के लिए अंतिम निर्णय ले लिये जाने के बाद ही पता चलेंगे ।

पिछले तीन वर्षों में पारेषण और वितरण के दौरान हुई हानि की प्रतिशतता

3786. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
श्री सूरज भान } : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य में विद्युत के पारेषण और वितरण के दौरान हुई हानि की प्रतिशतता क्या है;

(ख) पिछले दस वर्षों में किसी राज्य में पारेषण और वितरण के दौरान हुई हानि की न्यूनतम प्रतिशतता क्या थी और उसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के और चालू वर्ष में देश में रुपयों में पारेषण और वितरण के दौरान कितने रुपये की बिजली की हानि होने का अनुमान है; और

(घ) पारेषण और वितरण के दौरान हानि को कम करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं और उनका हानि पर प्रभाव का राज्य वार ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) वर्ष 1980-81,1981-82 और 1982-83 के दौरान प्रत्येक राज्य में बिजली की पारेषण और वितरण हानियों की प्रतिशतता दिखाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण एक में दिया गया है । वर्ष 1983-84 की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) वर्ष 1979-80 के दौरान मेघालय राज्य बिजली बोर्ड में पारेषण और वितरण हानि 4.32% थी, जो पिछले दस वर्षों में न्यूनतम थी । मेघालय में हानियां न्यूनतम हैं, क्योंकि मेघालय में उत्पादित विद्युत की अधिकांश खपत असम राज्य को दिये जाने के रूप में उच्च वोल्टता पर होती है ।

(ग) पारेषण और वितरण हानियों में तकनीकी और वाणिज्यक बिना हिसाब की हानियां शामिल हैं । विद्युत के पारेषण में तकनीकी हानियां होना अनिवार्य है तथा विद्युत के उत्पादन तथा

पारेषण में प्रयोग किए जाने वाले उपस्करों तथा कंडक्टरों की विशेषताओं के कारण उत्पादन केन्द्रों से लेकर उपभक्ताओं को पहुंचने तक इस प्रणाली के सभी संघटकों में ये होती हैं, उर्जा की चोरी वाणिज्यिक हानि के रूप में मानी जाती है। उर्जा के पारेषण तथा वितरण में तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों को अलग-अलग करना तथा उससे होने वाली हानि को रुपए के रूप में बता सकना संभव नहीं है।

(घ) पारेषण तथा वितरण हानियों को कम करने के लिए सुझाए गए उपाय तथा विभिन्न राज्यों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे उपाय संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं। तथापि पारेषण तथा वितरण हानियों को कम करने के लिए इन किए गए उपायों का प्रभाव ग्राम विद्युतीकरण पम्पों का ऊर्जा आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों सहित अधिकाधिक लोगों की विद्युत संबंधी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारेषण तथा वितरण लाइनों में लगातार वृद्धि करने तथा विस्तार की अनिवार्यता के कारण निर्धारित करा पाना संभव नहीं है।

विवरण

राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों में ट्रांसफार्मेशन, पारेषण तथा वितरण हानियों (इसमें वाणिज्यिक हानियां भी शामिल हैं) की प्रतिशतता।

क्षेत्र	राज्य बिजली बोर्ड/विभाग	लेखे में न लाई गई वाणिज्यिक हानियों (जैसे चोरी आदि) सहित पारेषण तथा वितरण हानियों की प्रतिशतता		
		1980-81	1981-82*	1982-83*
उत्तरी क्षेत्र	1. हरियाणा	22.63	25.37	19.63
	2. हिमाचल प्रदेश	19.34	15.36	18.07
	3. जम्मू और कश्मीर	48.05	44.32	उ०न०
	4. पंजाब	19.58	20.10	17.17
	5. राजस्थान	26.59	24.97	उ०न०
	6. उत्तर प्रदेश	15.64	19.14	उ०न०
पश्चिमी क्षेत्र	1. गुजरात	19.78	20.01	21.06
	2. मध्य प्रदेश	22.33	21.22	20.47
	3. महाराष्ट्र	16.21	15.26	15.14
पूर्वी क्षेत्र	1. बिहार	22.07	23.54	23.15
	2. उड़ीसा	19.19	19.06	17.96
	3. सिक्किम	22.92	21.94	19.03
	4. पश्चिम बंगाल	13.68	16.10	उ०न०
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	1. असम	19.32	20.09	20.00
	2. मणिपुर	55.57	58.00	उ०न०
	3. मेघालय	9.08	7.82	6.97
	4. नागालैंड	23.07	20.98	19.48
	5. त्रिपुरा	31.47	20.96	उ०न०
दक्षिणी क्षेत्र	1. आन्ध्र प्रदेश	22.55	24.25	23.10
	2. कर्नाटक	24.58	21.39	उ०न०
	3. केरल	14.86	15.50	उ०न०
	4. तमिलनाडु	19.12	18.71	18.80
अखिल भारत (यूटीलिटीज)		20.56	20.77	20.88

टिप्पणी—*—अनन्तिम

उ०न०—उपलब्ध नहीं

विवरण—2

लाइन हानियों को कम करके वितरण प्रणाली कार्य कुशलता प्रणाली कार्य कुशलना बढ़ाने संबंधी आवश्यकता पर सभी संबंधित ध्यान दे रहे हैं। विद्युत मितव्ययता समिति द्वारा की गई सिफारिशों तथा विभिन्न मंचों पर हुए विचार विमर्श के आधार पर पारेषण तथा वितरण हानियों को कम करने के लिये अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं :—

(1) बहुत अधिक प्रणाली हानियों वाले क्षेत्रों का पता लगाना तथा, इनके कारणों का पता लगाना तथा, इनको कम करने के लिए उपयुक्त उपाय तैयार करना;

(2) सभी इण्डक्टिव मोटिव विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा शंट कैपिस्टेटरों की प्रतिष्ठापना करना तथा इसके बारे में हुई प्रगति की ध्यानपूर्वक मानिटरिंग करना,

(3) उपपारेषण तथा वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना;

(4) उपपारेषण तथा वितरण लाइनों की लम्बाई को कम करना तथा भार केन्द्रों के निकट उपकेन्द्रों की पुन: स्थापना करना;

(5) निम्न "भार नहीं" हानियों वाले ट्रांसफार्मरों का प्रयोग करना;

(6) लम्बी एल० टी० लाइनों को अलग-अलग करने के लिए भारों के निकट कम क्षमता वाले वितरण ट्रांसफार्मरों का प्रयोग करना;

(7) उपयुक्त निर्माण तकनीकों तथा अलोह लाइन क्लैम्पों जैसी बेहतर सामग्री का प्रयोग में लाना;

(8) अचानक जांच करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों के इजीनियरों तथा पुलिस को शामिल करके सतकता दस्तों की स्थापना करना;

(9) विद्युत सीधे ही प्राप्त करने से रोकने के लिए मीटरों के ऊपर कट आउट की व्यवस्था करना;

(10) मीटर कवर के ऊपरी भाग पर टेढ़ी मेढ़ी तथा नवम्बर अंकित सीलों को लगाना तथा कट आउट लगाना तथा नकली सीलों को पकड़ने के लिए लगाई गई सीलों का हिसाब रखना;

(11) मीटरों में हेराफेरी को रोकने के लिए ऊर्जा मीटरों में ऊपरी भाग के अन्दर की ओर के स्थान पर इनके बीच वाले भाग में शक्यता लिकों की व्यवस्था करना;

(12) सिंगल कोर वी० आई० आर० तार जिनसे सीधे विद्युत लेने में आसानी रहती है के लाइन पर सर्विस लाइनों में पी० वी० सी० मल्टी कोर वाले केबलों को प्रयोग करना;

(13) खपत में महत्वपूर्ण भिन्नताओं का पता लगाने की दृष्टि से औद्योगिक उपभोक्ताओं के मीटरों के रीडिंग की ऐसे ही अन्य उपभोक्ताओं के मीटर रीडिंग के साथ प्रति-मास तुलना करना।

बिजली की चोरी तथा हेरा फेरी के मामलों से और अधिक कारगार तरीके से निपटने के लिए कानून बनाने हेतु भारतीय विजली अधिनियम, 1910 में भी संशोधन करने का प्रस्ताव है।

टायर निर्माताओं के विरुद्ध शिकायतें

3787. **श्री के० टी० कौसल राम** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्यारह टायर निर्माताओं की अनुचित व्यापार प्रक्रिया के बारे में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को शिकायत की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगनाथ कौशल) : (क) तथा (ख) विवरण पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है।

विवरण

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा प्राप्त टायर निर्माताओं के विरुद्ध अवरोधक व्यापारिक प्रथाओं के आरोपों की शिकायतों के ब्यौरों तथा की गई कार्यवाही को प्रदर्शित करता हुआ विवरण।

क्रमसंख्या	शिकायतकर्ता का नाम	पार्टी का नाम जिसके विरुद्ध में शिकायत की है।	अवरोधक व्यापारिक व्यवहार प्रथाओं के आरोप का स्वरूप	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1.	रजिस्टर, अवरोधक व्यापारिक अनुबन्ध	मै० इंचैक टायर्स लि० मै० डनलप इण्डिया लि० मै० गुडईयर इण्डिया लि० मै० फायरस्टोन टायर्स एण्ड रबड़ कम्पनी आंफ इण्डिया लि० मै० इंडिया टायर एण्ड रबड़ कम्पनी (इण्डिया) लि० मै० प्रीमियर टायर्स लि० मै० सीट टायर्स आफ इंडिया लि० मै० मद्रास रबड़ फैक्टरी लि०	एक होना	1-2-72 को अधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा गठित जांच को 19-4-76 को "बन्द करो फिर न करो" आदेश पारित करने के बाद निपटान कर दिया गया।
2.	--यथोपरी—	मै० डनलप इंडिया लि० मै० गुडईयर इंडिया लि० मै० फायरस्टोन टायर रबड़ कम्पनी आफ इंडिया लि० मै० प्रीमियर टायर्स लि० मै० सीट टायर्स आफ इंडिया लि० मै० मद्रास रबड़ फैक्टरी लि० मै० अपोलो टायर्स लि०	टायर और ट्यूबों के मूल्य निर्धारित करने में एक राय से कार्यवाही करना।	एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा 6-7-78 को गठित जांच को आदेश दिनांक 24-3-83 के द्वारा निपटा दिया गया है। प्रतिवादी कम्पनियों ने वचन दिया हैं कि वे किसी भी समय मूल्य निर्धारित करने के लिए एक राय नहीं करेंगे। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने वचन को स्वीकार करते

1	2	3	4	5
		मै० मोदी रबड़ लि० मै० जे० के० टायर्स लि०		हुए प्रतिवादी कम्पनी को निर्देश दिया कि 1-4-83 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से 3 वर्षों की अवधि के लिए तिमाही की समाप्ति पर एक माह के अन्दर मूल्य की तिमाही दर सूची आयोग को दें ।
3.	दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन	मै० बम्बई टायर्स इन्टरनेशनल लि० मै० प्रीमियर टायर्स लि० मै० सीट टायर्स आफ इंडिया लि० मै० अपोलो टायर्स लि० मै० मोदी रबड़ लि० मै० विक्रान्त टायर्स लि०	टायर मूल्य ज्यादा करने में संशोधन हेतु एक होना ।	शिकायतकर्ता की इच्छा से 12-12-83 को शिकायत वापिस ले ली गई है ।
4.	दिल्ली टायर ट्रेडर्स एसोसियेशन	मै० डनलप इंडिया लि० मै० गुडईयर इंडिया लि० मै० सीट टायर्स आफ इण्डिया लि० मै० मोदी रबड़ लि० मै० बम्बई टायर्स इन्टरनेशनल लि० मै० अपोलो टायर्स लि० मै० जे० के० टायर्स लि० मै० मद्रास रबड़ फैक्ट्री लि० मै० विक्रान्त टायर्स लि० मै० इण्डिया ठायर्स एण्ड रबड़ कम्पनी (इंडिया) लि०	टायरों के मूल्यों में बढ़ोतरी में एक राय से कार्य करना ।	एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने 18-1-84 को प्रारम्भिक जांच करने की शिकायत पर निर्देश दिया है ।

1	2	3	4	5
5.	एसोसिएशन आफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अण्डरटेकिंग्स, नई दिल्ली।	मै० डनलप इण्डिया लि० मै० गुडईयर इण्डिया लि० मै० बम्बई टायर्स इन्टरनेशनल लि० मै० इण्डिया टायर एण्ड रबड़ कम्पनी (इण्डिया) लि० मै० प्रीमियर टायर्स लि० मै० सीट टायर्स आफ इण्डिया लि० मै० मद्रास रबड़ फैक्ट्री लि० मै० अपोलो टायर्स लि० मै० मोदी रबड़ लि० मै० जे० के० टायर्स लि०	टायरों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी में एक राय से कार्य करना।	एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को 6-3-1984 को शिकायत प्राप्त हुई थी और उस पर आयोग द्वारा ध्यान दिया जा रहा है।
6.	बम्बई टैक्सीमैन्स यूनियन	टायर मैन्युफैक्चरिंग कम्पनीज	टायर विनिर्माता कंपनियों द्वारा हल्की ड्यूटी टायर के स्वेच्छा से मूल्य बढ़ाना।	मामला विचाराधीन है।
7.	रजिस्ट्रार, अवरोधक व्यापारिक अनुबन्ध	मै० डनलप इंडिया लि० मै० गुडईयर इण्डिया लि० मै० फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी आफ इण्डिया लि० (अब मै० बम्बई टायर्स इन्टरनेशनल लिमिटेड) मै० मद्रास रबड़ फैक्ट्री लि०	टायर और ट्यूबों के साथ टायर फ्लेपों की बिक्री बंधित करना	एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा 5-6-78 को गठित जांच का दिनांक 2-2-83 के आदेश द्वारा निपटान कर दिया गया है। प्रतिवादी ने टायर या ट्यूब या दोनों की बिक्री के साथ टायरफ्लेपों की बिक्री बांधने की अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के आरोप में सम्मिलित नहीं होने का वचन दिया है। आयोग इन

1	2	3	4	5
				कम्पनियों की 1-4-83 से 5 वर्ष तक आयोग को मूल्यों की तिमाही रिपोर्ट देने का आदेश दिया है ।
8.	ब्लेसिंग्स प्रा०लि०	मै० सीट टायर्स आफ इण्डिया लि० मै० मोदी रबड़ लि० मै० जे० के० टायर्स लि०	—यथोपरि—	1-4-82 को आयोग द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर आयोग ने शिकायत पर प्रारम्भिक जाँच का आदेश दिया है । प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्राप्ति पर इस मामले में आयोग द्वारा आगे जांच की जा रही है ।
9.	—यथोपरि—	मै० प्रीमियर टायर्स लि०	विभेदपूर्ण अनुपात में विक्रेताओं को निशुल्क फ्लेपों को देने के लिये विभेदपूर्ण पुरस्कार देना ।	आयोग द्वारा गठित 30-12-83 को जांच प्रारम्भिक स्तर पर है।
10.	—यथोपरि—	मै० डनलप इण्डिया लि०	—यथोपरि—	जांच निदेशक की रिपोर्ट की प्राप्ति पर आयोग द्वारा जांच गठित की जा रही है ।
11.	—यथोपरि—	मै० डनलप इण्डिया लि० मै० जे०के० टायर्स लि०	ट्यूबों और फ्लेपों का लूट भरा मूल्य	—यथोपरि—
12.	दिल्ली टायर ट्रेडर्स एसोसिएशन ।	मै० मोदी रबड़ लि०	टायर और ट्यूबों के मूल्यों में तेजी के परिणामस्वरूप उनके उत्पादनों पर "धर्मादा" एकत्र करना ।	आयोग को 7-12-83 को शिकायत प्राप्त हुई । आयोग द्वारा जांच की जा रही है ।

वर्ष 1983 के दौरान हड़तालों, बन्दों और सांप्रदायिक दंगों के कारण जन दिवसों का नुकसान और प्रमुख उद्योगों में छंटनी किये गये मजदूरों की संख्या

3788. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक साल, 1 जनवरी, 1983 से 31 दिसम्बर, 1983 के दौरान हड़तालों, बन्दों और साम्प्रदायिक दंगों के कारण अलग-अलग कितने जन दिवसों का नुकसान हुआ;

(ख) कपड़ा इंजीनियरिंग आदि जैसे प्रमुख उद्योगों में ताला-बन्दी और मजदूर संघों की गतिविधियों के कारण उपरोक्त अवधि में कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त के सम्बन्ध में स्थिति का पूरा जायजा लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) श्रम ब्यूरो में प्राप्त अनन्तिम सूचना के अनुसार, वर्ष 1983 के दौरान हड़तालों और बन्दों के कारण क्रमश: 79.1 लाख और 30,743 श्रम दिवसों की हानि हुई। सांप्रदायिक दंगों के कारण नष्ट हुए श्रम दिवसों के बारे में सूचना नहीं रखी जाती।

(ख) वर्ष 1983 में काटन टैक्सटाइल में 485 श्रमिकों और इंजीनियरी में 2534 श्रमिकों तथा सभी उद्योगों में 18191 श्रमिकों की छंटनी हुई। यद्यपि ये छंटनियां वित्तीय अभाव, कच्चे माल और बिजली की कमी, मशीनरी के बिगड़ने, और मांग की कमी जैसे विभिन्न कारणों से हुई है, तथापि तालाबन्दियों और ट्रेड यूनियन कार्यकलापों के कारण श्रम ब्यूरो को किसी प्रकार की छंटनी की सूचना नहीं दी गई है।

(ग) और (घ) विभिन्न कारखानों में श्रमिकों की छंटनी से उत्पन्न होने वाली स्थिति की समय-समय पर पुनरीक्षा की जा रही है। कानून के अन्तर्गत, बिना पूर्व सूचना दिए और संबंधित सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त किए किसी भी श्रमिक की छंटनी नहीं की जा सकती। औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 को, जिसमें 100 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान शामिल हैं, अधिसूचित करने के बाद छंटनी की घटनाओं में और कमी हो जाएगी।

विभिन्न औषध कंपनियों की बिक्री और लाभ

3789. **श्री रामनाथ दुबे** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित कम्पनियों का पिछले पांच वर्षों के दौरान बिक्री और लाभ तथा शेयरों और निगमित करों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(क) अनइक्यूलैब एण्ड ग्रुप आफ कम्पनी
(ख) किपला लैब
(ग) वोक्खार्ड लैब
(च) आरिस्टो फर्मा
(ङ) लाईका लैब ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : वर्ष 1978, 1979, 1980 और 1981 के लिये मैं० सिप्ला से सम्बन्धित सूचना, जो उनके वार्षिक प्रतिवेदन में उपलब्ध है, संलग्न विवरण में दी गई है। इस कम्पनी के सम्बन्ध में वर्ष 1982 के लिए और शेष कम्पनियों के संबंध में गत 5 वर्षों के लिये सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

(आंकड़े लाख रुपयों में)

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	कुल बिक्री				कर से पूर्व लाभ			
		1978	1979	1980	1981	1978	1979	1980	1981
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	मै० सिप्ला	552.30	730.66	1043.09	1335.22	28.45	46.52	68.43	84.72

घोषित लाभांश (साम्य और अधिमान्य)				दिया गया कर			
1978	1979	1980	1981	1978	1979	1980	1981
11	12	13	14	15	16	17	18
2.31	2.31	4.45	4.41	19	30	45	42

हैदराबाद में सेंसर बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना

3790. **श्री पी०राजगोपाल नायडू** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद सेंसर बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 1978 से अनुरोध किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का हैदराबाद में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। उपयुक्त स्थान ढूंढने तथा सलाहकार पैनल में नियुक्त किए जाने के लिए व्यक्तियों का चयन करने की कार्रवाई की जा रही है। पूरी अवस्थापनाओं के उपलब्ध हो जाने के बाद कार्यालय को स्थापित कर दिया जाएगा।

पिथौरागढ़ में डाकघर इमारत का विस्तार

3791. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश) में डाकघर की इमारत के विस्तार का कार्य आरम्भ हो चुका है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस कार्य के कब तक आरम्भ होने की आशा है और इस पर कितना अनुमानित व्यय होगा।

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) निर्माण कार्य के लिए आरम्भिक कार्रवाई की जा रही है। इस कार्य की प्राक्कलित लागत का अभी हिसाब नहीं लगाया गया है। औपचारिकताएं पूरी करने तथा कार्य को 1984-85 के आरम्भ में शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

"स्वतंत्रता" आंदोलन के बारे में फिल्म का निर्माण

3792. **श्री के० ए० राजन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने कृपा की करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म डिवीजन ने "स्वतंत्रता आंदोलन" के बारे में एक फिल्म का निर्माण करने हेतु कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना खर्च किया जायेगा और इस बारे में अन्य ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर डाकुमेंट्रियों का निर्माण करना फिल्म प्रभाग के सामान्य कार्यों का अंग है और समय-समय पर विभिन्न विषयों का चयन किया गया है। स्वतन्त्रता के लिए भारत के संघर्ष पर डाकुमेंट्री फिल्मों का निर्माण कार्य भी हाथ में लिया गया है। इस विषय पर लगभग 40 डाकुमेंट्री फिल्में बनाने की योजना है।

परियोजना के लिए बजट को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

स्वस्थ सूचना प्रणाली के लिये मैकब्रिड आयोग की सिफारिशें

3793. **श्री बृज मोहन महंती** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वे एसोसियेटिड प्रेस, युनाइटिड प्रेस इंटरनेशल ए० एफ० जी० आर० जैसी उन समाचार एजेंसियों द्वारा विश्व सम्बन्धी समाचारों के एकाधिकार वितरण का मुकाबला करने के लिए कोई कदम उठाये हैं जो विकसित और विकासशील देशों के संबंध में समाचार भेजने में असंतुलन और असमानता पैदा करती है;

(ख) इस असंतुलन और असमानता को समाप्त करने के लिये "यूनेस्को" की मध्यावधि योजना पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) स्वरूप सूचना प्रणाली के लिए मैकब्रिड आयोग की सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रेस की स्वतंत्रता के नाम पर भारत के प्रेस प्रबंधकों और संपादकों का एक वर्ग उस नई सूचना प्रणाली को बेकार करने के लिये कृतसंकल्प है जो गुट निरक्षेप आंदोलन द्वारा अपनी अल्जीयर्स की बैठक के बाद शुरू की गई है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) भारत हमेशा विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच तथा विकासशील देशों के बीच भी समाचारों के प्रवाह में असंतुलनों और असमानताओं को समाप्त करने का पक्षपाती रहा है। सरकार नई विश्व सूचना और संचार व्यवस्था के प्रति यूनेस्को, गुट निरपेक्ष आन्दोलन और स्वतंत्र माध्यम कार्मिकों के प्रयासों का निरन्तर समर्थन करता रहा है। भारत ने यूनेस्को के तत्वावधान में अन्तर्राष्ट्रीय संचार विकास कार्यक्रम (आई० पी० डी० सी०) की स्थापना का स्वागत किया और आई० पी० डी० सी० के विशेष खाते के लिए अब तक 300,000 अमरीकी डालर का योगदान दिया है। भारत गुट निरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल का एक प्रमुख सदस्य भी है जिसकी स्थापना गुट निरपेक्ष देशों के बीच तथा विकसित और विकासशील देशों के बीच भी सूचना के संतुलित प्रवाह को बढावा देने के लिए गुट निरपेक्ष देशों के सूचना मंत्रियों और समाचार एजेंसियों के प्रतिनिधियों के जुलाई, 1976 में नई दिल्ली में हुए सम्मेलन द्वारा की गई थी। नई विश्व सूचना और संचार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अंग के रूप में भारत अन्य विकासशील देशों के साथ भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली और फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे में अपनी माध्यम प्रशिक्षण सुविधाओं में सहकारी हो रहा है। आकाश-

वाणी और दूरदर्शन भारतीय समाचार एजेंसियों का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं और इन प्रयासों की अनुपूर्ति करने हेतु, अन्तर्राष्ट्रीय समाचार कहानियां हासिल करने के लिए आकाशवाणी के कायरों, बैंकाक, दुबई और ढाका में अपने संवाददाता हैं।

(ख) सरकार ने 1984-1985 के लिए यूनेस्को की दूसरी मध्य अवधि योजना का स्वागत और समर्थन किया है।

(ग) सरकार का विश्वास है कि ये सिफारिशें संचार विकास में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करेंगी और मौजूदा पद्धति में असंतुलनों और असमानताओं को सही करने में सहायक होंगी।

(घ) जी, नहीं।

आवश्यक औषधियों की उपलब्धता में सुधार लाने हेतु किये गये उपाय

3794. **श्री तारिक अनवर** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के संचालन प्रकोष्ठ ने उच्च रक्तचाप, दमा, कुष्ठ और हृदय संबंधी रोगों की दवाओं की उपलब्धता को जांचने हेतु कितने निरीक्षण किये हैं;

(ख) उनके मन्त्रालय को पिछले वर्षों के दौरान रक्तचाप और हृदय संबंधी रोगों की औषधियों के किन "ब्रांडों" की कमी होने की सूचना मिली हैं और उनमें से कितने "ब्रांडों" की लगातार कमी रहने की सूचना मिली है; और

(ग) उनके मंत्रालय में राज्य औषधी नियंत्रकों के अलावा आवश्यक दवाओं की उपलब्धता की अलग से और स्वतंत्र रूप से जांच करने के लिये क्या व्यवस्था है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ग) मेरे मंत्रालय का निगरानी सैल दवाईयों की अनुपलब्धता/कमियों के बारे में राज्य औषध नियत्रंकों केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन से प्राप्त रिपोर्टों और जनता से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करता है। राज्य औषध नियंत्रकों की रिपोर्टों के अतिरिक्त केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन और अलग-अलग व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों पर भी तीव्र कार्यवाही की जाती, है। निगरानी सैल द्वारा स्वतन्त्र निरीक्षण को आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ख) गत एक वर्ष की अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से भिन्न-भिन्न समय पर निम्नलिखित 5 ब्राण्ड औषधों की कमी की सूचना मिली थी—

1. इमडोपा गोलियां
2. अल्डोमेट गोलियां
3. इजोरडिल गोलियां
4. एन्जाइज्ड गोलियां
5. सार्विटेट गोलियां

मै० मर्क शर्प एण्ड घोमें के कारखाने में औद्योगिक समस्या के कारण इन में से केवल अल्डोमेट गोलियों की कमी अगस्त, 1983 से जनवरी, 1984 तक बनी रही। तथापि, इमड, मेलडोपा आदि जैसे समकक्ष उत्पाद उपलब्ध थे। अल्डोमेट गोलियों की अनुपलब्धता के कारण अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए आई० डी० पी० एल० को वल्क औषध मीथाइल डोपा की अतिरिक्त सप्लाईयां दी गई थी ताकि वे एम० डोपा की बढ़ी हुई मांगों को पूरा कर सकें। मै० मर्क शर्प एण्ड घोमें ने दिसम्बर, 1983 से अल्डोमेट गोलियों का उत्पादन पुन: शुरू कर दिया है।

फिल्मों का निर्यात बढ़ाना

3795. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय फिल्मों को लोकप्रिय बनाने, उन्हें बेचने और उनका निर्यात करने तथा वहां भारतीय फिल्मोत्सव सप्ताह का आयोजन करने के लिए सरकार ने क्या योजना तैयार की है;

(ख) इस वर्ष विभिन्न देशों को भारतीय फिल्मों का निर्यात करने के संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय फिल्मों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आयी है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारतीय फिल्मों के निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) विदेशों में भारतीय फिल्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए मुख्य योजनाओं में ये शामिल हैं विदेशों में फिल्म समारोहों और फिल्म बाजारों में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की भागेदारी जहां फिल्म समारोहों के विभिन्न विभागों में प्रदर्शित फिल्मों के अलावा फिल्म बाजारों में काफी भारतीय फिल्में दिखाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विदेशी प्रतिनिधि मंडलों को अपने देशों के लिए भारतीय फिल्मों के खरीदने हेतु उन्हें देखने और चुनने के लिए भारत में आने के लिए आमंत्रित और प्रोत्साहित किया जाता है, भावी खरीददारों, वैयक्तिक और देश की एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दोनों को भारत में वार्षिक रूप से आयोजित होने वाले फिल्मोत्सव और अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान फिल्म बाजार में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न देशों में भारतीय फिल्मों के समारोह का भी आयोजन किया जाता है।

(ख) विदेशों में भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की वीडियो अन्तरण यूनिट में अंग्रेजी उप शीर्षक वाली भारतीय फिल्मों को वीडियो कैसेटों पर अन्तरित करने की सुविधा उपलब्ध की गई है जिससे विदेशों के भावी खरीददारों के अवलोकन हेतु भारतीय फिल्मों के बड़ी संख्या में कैसेट आसानी से ले जा सकते हैं।

(ग) जी, हां। इस गिरावट का मुख्य कारण भारतीय फिल्मों के वीडियो कैसेटों का विदेशों में कानूनी रूप से और चोरी छिपे उपलब्ध होना है।

(घ) शीघ्र ही एक बैठक बुलाने का प्रस्ताव है जिसमें, अन्यों के साथ-साथ, भारतीय फिल्मों का निर्यात बढ़ाने के तौर तरीके सुझाने के लिए अन्य सरकारी विभागों, गैर सरकारी निर्माताओं और फिल्म निर्यातकों को आमंत्रित किया जाएगा।

एल० पी० जी० सिलेण्डरों का उत्पादन करने वाली कंपनियां

3796. **श्री के० लकप्पा**
श्री धर्मदास शास्त्री } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जो इस समय एल० पी० जी० सिलेण्डरों का उत्पादन कर रही हैं और सरकार को इसकी सप्लाई कर रही हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कम्पनी द्वारा (वर्ष-वार तथा कम्पनी-वार) कितने सिलेंडरों का निर्माण किया गया;

(ग) क्या सरकार द्वारा एल० पी० जी० सिलेण्डरों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो किस प्रकार ?

ऊर्जा मंत्रालय में पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) तेल उद्योग को एल० पी० जी० के सिलेण्डर सप्लाई करने वाली कम्पनियों की एक सूची संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्माताओं द्वारा सप्लाई किये गये सिलेण्डरों की संख्या दिखाने वाली एक सूची संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(ग) और (घ) देश में सिलेण्डरों के निर्माण की पर्याप्त क्षमता पंजीकृत की गई है। उत्पादन बढ़ाने के लिए तेल उद्योग सभी सिलेण्डरों के निर्माताओं को अपने अधिक से अधिक आर्डर दे रहा है। इसके अतिरिक्त इस्पात की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपाय किये गये हैं।

विवरण-1

31-12-1983 को एल० पी० जी० सिलेंडरों के निर्माताओं के नाम

क. प्रतिष्ठित

1. कोसान मेटल प्राडक्ट्स प्रा० लि० नागपुर
2. इंडियन गैस सिलेण्डर्स, फरीदाबाद
3. गैनन प्रैशर वैसल्स लि०, बम्बई
4. हैदराबाद एल्विन लि०, हैदराबाद
5. लार्सेविन इंजीनियर (प्रा०) लि० हैदराबाद
6. यूनिवर्सल सिलेण्डर्स लि०, अलवर
7. हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज, नांगलोई
8. स्टेन्डर्ड सिलेण्डर्स प्रा० लि० गुड़गांव

ख. अर्ध प्रतिष्ठित

1. भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्ज लि० नैनी
2. फरीदाबाद मेटल उद्योग, फरीदाबाद
3. श्री बालाजी सिलेण्डर्स (प्रा०) लि० मद्रास
4. लार्सेविन एपलियेन्सेज (प्रा०) लि० सिकन्द्राबाद
5. वर्नी कन्टेनर्स लि०, हैदराबाद
6. जय सिलेण्डर्स (प्रा०) लि० दिल्ली
7. नागपुर फेबरीफोर्ज प्रा० लि० नागपुर
8. हिन्दुस्तान सिलेण्डर्स, बैंगलौर
9. प्रशान्त सिलेण्डर्स, बैंगलौर
10. मिडको कन्टेनर्स लि०, अहमदाबाद
11. बालाजी प्रेशर वेसल्स (प्रा०) लि० सिकन्द्राबाद

12. इन्टेल एप्लियेन्सेज नासिक
13. एशोशियेटेड केमिकल, मद्रास

ग. नये निर्माता

1. बामर लारी एण्ड कं० लि० मथुरा
2. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लि० कलकत्ता
3. इंडस्ट्रियल आक्सीजन कं० प्रा० लि० दिल्ली
4. बडोपालिया इंडस्ट्रीज, लि० साहिबाबाद
5. पकज गैस सिलेण्डर्स लि० गाजियाबाद
6. जे० आर० फेबरीकेटर्स, हलाल, गुजरात
7. मूलूर सिलेण्डर्स प्रा० लि० बेलगांव
8. मूलूर इंजीनियर्स प्रा० लि० हलाल
9. गुरेरा गैस सिलेण्डर्स प्रा० फरीदाबाद
10. बिल्वा प्रेशर वैसल्स, हैदराबाद
11. साहूवाला सिलेण्डर्स प्रा० लि० विशाखपत्तनम
12. राज सिलेण्डर्स एण्ड कन्टेनर्स प्रा० लि० मथुरा
13. यू पी सिलेण्डर्स एण्ड कन्टेनर्स प्रा० लि० आगरा
14. प्रेस्टिज फेब्रीकेटर्स प्रा० लि० इन्दौर
15. एक्सपो गैस कन्टेनर्स प्रा० लि० बम्बई
16. बी टी पी स्टरक्चरलस (इंडिया) प्रा० लि० बेलगांव
17. पंजाब गैस सिलेण्डर्स लि० लुधियाना
18. मालव मेटलस (प्रा०) लि० इन्दौर
19. श्री शक्ति सिलेण्डर्स प्रा० लि० हैदराबाद
20. राजस्थान सिलेण्डर्स एण्ड कन्टेनर्स लि० जयपुर
21. मौर्य उद्योग लि० नई दिल्ली
22. कन्यका परमेश्वरी इंजी० प्रा० लि० हैदराबाद
23. सदर्न सिलेण्डर्स प्रा० लि० हैदराबाद
24. दसमा इंजीनियरिंग, सिकन्द्राबाद
25. साहू सिलेण्डर्स एण्ड उद्योग प्रा० लि० गुमिडीपूंडी, मद्रास
26. वीजे मेटल प्राडक्टस प्रा० लि० हैदराबाद

विवरण-2

एल० पी० जी० सिलेंडरों का संख्या और कम्पनी-वार उत्पादन

1981

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	उत्पादन संख्या में
1.	मैसर्स कोसान मेटल प्राडक्टस, माहुल, बम्बई	2,35,155
2.	मैसर्स कोसान मेटल प्राडक्टस, कमलेश्वर, नागपुर	
3.	मैसर्स गैनन डंकरले प्रा० कं० लि० बम्बई	2,85,922
4.	मैसर्स हैदराबाद एल्विन मेटल वर्क्स, हैदराबाद	3,20,417
5.	मैसर्स इंडियन गैस सिलेण्डर्स फरीदाबाद	2,74,455
6.	मैसर्स हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज, दिल्ली	10,000
7.	मैसर्स यूनिवर्सल सिलेण्डर्स, अलवर	75,249
8.	मैसर्स स्टेडर्ड सिलेण्डर्स, गुड़गाँव	27,402
9.	मैसर्स एपीजे स्ट्रक्चरलस लि० बुरदवान	—
10.	मैसर्स मिड्को कन्टेनर्स लि० अहमदाबाद	—
	योग	12,29,598

1982

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	उत्पादन संख्या में	
1. मैसर्स कोसान मेटल प्राडक्टस, माहुल, बम्बई 2 मैसर्स कोसना मेटल प्राडक्टस, कमलेश्वर, नागपुर		2,98,682	
3.	मैसर्स गैनन डंकरले कं० प्रा० लि० बम्बई	1,84,307	
4.	मैसर्स हैदराबाद एल्वन मेटल वर्क्स, हैदराबाद	3,62,483	
5.	मैसर्स इंडियन गैस सिलेण्डर्स, फरीदाबाद	3,43,940	
6.	मैसर्स हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज, दिल्ली	12,000	
7.	मैसर्स यूनिवर्सल सिलेण्डर्स, अलवर	84,781	
8.	मैसर्स स्टेंडर्ड सिलेण्डर्स लि० गुड़गांव	12,359	
9.	मैसर्स एपीजे स्ट्रक्चरलस लि० बुरदवान	—	
10.	मैसर्स मिडको कन्टेनर्स लि० अहमदाबाद	48,105	
11.	मैसर्स जय सिलेण्डर्स, सिकन्द्राबाद	4,242	
12.	मैसर्स भारत पम्प एण्ड कम्प्रेसर्स लि० नैनी	7,700	
	योग	13,58,599	

1983

1. मैसर्स कोसान मेटल प्राडक्टस, माहुल, बम्बई 2. मैसर्स कोसान मेटल प्राडक्टस, कमलेशवर, नागपुर		2,78,043	
3.	मैसर्स गेनन डंकरले एण्ड कं० बम्बई	3,58,506	
4.	मैसर्स हैदराबाद एल्विन मेटल वर्क्स, हैदराबाद	3,72,102	
5.	मैसर्स इंडियन गैस सिलेण्डर्स, फरीदाबाद	3,42,080	
6.	मैसर्स हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज, दिल्ली	—	
7.	मैसर्स यूनिवर्सल सिलेण्डर्स, अलवर	1,15,638	
8.	मैसर्स स्टेंडर्ड सिलेण्डर्स, गुड़गांव	—	
9.	मैसर्स एपीजे स्ट्रक्चरलस लि० बुरदवान	—	
10.	मैसर्स मिडको कन्टेनर्स, लि० अहमदाबाद	70,000	(अनुमानित)
11.	मैसर्स भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लि० नैनी	24,100	
12.	मैसर्स जय सिलेण्डर्स, सिकन्द्राबाद	37,049	(अनुमानित)
13.	मैसर्स लारसविन इंजीनियर्स, हैदराबाद	1,23,870	(अनुमानित)
14.	मैसर्स इंडस्ट्रीयल आक्सीजन कं० लि० मंडी० गोबिन्दगढ़, पंजाब	19,624	
15.	मैसर्स हिन्दुस्तान वायर फरीदाबाद	1,15,081	
	योग	18,56,093	

कच्चे तेल का शोधन करने वाले कारखाने

3797. **डा कृपासिंघ भोई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कच्चे तेल का शोधन करने के कितने कारखाने कार्य कर रहे हैं और उनकी शोधन क्षमता कितनी है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उनमें से प्रत्येक ने कितनी मात्रा में कच्चे तेल का शोधन किया और उप-उत्पादों का उत्पादन किया ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

महाप्रबंधक, दूरसंचार, नई दिल्ली द्वारा लेखन सामग्री की प्राप्ति

3798. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या संचार मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) महाप्रबंधक, दूरसंचार, नई दिल्ली तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा लेखन सामग्री/फार्म प्राप्त करने के स्रोत का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान खर्च की गई धनराशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान फार्मों की स्थानीय छपाई पर (i) मुद्रकों को कागज की सप्लाई करके और (ii) मुद्रकों को कागज की सप्लाई न करके कितनी धनराशि खर्च की गई थी; और

(ग) क्या महानिदेशक डाक तार, नई दिल्ली के दूरसंचार स्कन्ध का विचार सप्लाई के लिए अपना भंडार डिपो अथवा क्षेत्रीय भंडार डिपो बनाने का है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रापण स्रोतों एवं व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है

1. डाक लेखन सामग्री की मदें

	1981-82	1982-83	1983-84
(एक) क्षेत्रीय डाक लेखन सामग्री भंडार, नेताजी नगर, नई दिल्ली	73,000-00	1,49 000-00	1,60,000-00
(दो) सरकारी डाक लेखन सामग्री 3, चर्च लेन, कलकत्ता-1	94,000-00	1,16,000-00	86,000-00
(तीन) उन मदों की स्थानीय खरीद जो क्रम संख्या एक और दो पर दिए गए स्रोतों से उपलब्ध नहीं है।	1,23,000-00	80,000-00	87,000-00

2. कागज

(एक) डी० जी० एस० एण्ड डी० की अनुमोदित दरों पर विभिन्न मिलों से प्राप्त	13,85,000-00	4,98,000-00	शून्य
(दो) स्थानीय खरीद	8,87,000-00	शून्य	5,95,000-00

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान फार्मों की छपाई पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(एक) कागज की सप्लाई के साथ	54,000-00	82,000-00	68,000-00
(दो) कागज की सप्लाई के बगैर	1,470-00	1,500-00	2,000-00

(ग) दूरसंचार सर्किलों में इन कार्यों का दूरसंचार भंडार संगठन द्वारा अधिग्रहण करने के एक प्रस्ताव पर डाक-तार निदेशालय में विचार किया जा रहा है।

महाराष्ट्र पेट्रो-रसायन निगम

3799. **श्री आर० आर० भोले** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1981 में महाराष्ट्र पेट्रो-रसायन निगम की स्थापना बम्बई हाई से निकाली गई सभी गैस-16 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन का उपयोग ईंधन अथवा उर्वरकों के लिए करने हेतु की गई थी;

(ख) क्या गैस पर आधारित पेट्रो-रसायन उद्योग समूह 1994 में गैस का स्रोत समाप्त हो जाने से पूर्व स्थापित हो जायेगा;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्रतिदिन सारी गैस जल कर उड़ जाती है और इस प्रकार करोड़ों रु० की हानि होती है; और

(ङ) कितने मूल्य की गैस प्रतिदिन जल कर उड़ जाती है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि०, जो राज्य सरकार का एक उपक्रम है, की स्थापना अप्रैल, 1981 में की गई थी।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र में गैस पर आधारित एक पेट्रोकेमिकल्स काम्प्लैक्स की स्थापना का प्रस्ताव है। प्राकृतिक गैस के वर्ष 1994 तक समाप्त हो जाने का कोई संकेत नहीं है।

(घ) जी, नहीं। सारी गैस को नहीं जलाया जाता है।

(ङ) जली हुई गैस की कीमत, 1982-83 के दौरान औसत बिक्री मूल्य के आधार पर, बिक्री कर, रायल्टी और परिवहन प्रभार को निकाल कर 20.66 लाख रुपये प्रतिदिन थी।

महाराष्ट्र में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन

3800. **श्री छांगुर राम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में उन शहरों के क्या नाम हैं जहां पर इस समय खाना पकाने की गैस उपलब्ध है तथा उनकी जनसंख्या कितनी-कितनी है;

(ख) महाराष्ट्र के उन शहरों तथा कस्बों के क्या नाम हैं जहां पर अगले पांच वर्षों के दौरान खाना पकाने की गैस को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या महाराष्ट्र में खाना पकाने की गैस की अभी भी कमी है तथा इसे उपभोक्ताओं को तुरन्त उपलब्ध नहीं कराया जाता है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

(ख) महाराष्ट्र में स्थानों के नाम जिन्हें 1982-84 तक की एल० पी० जी० विपणन योजना में एल० पी० जी० सुविधायें देने के लिए शामिल किया गया है वे—अकाट, अम्बजोगई, बदनेश, बल्दाना, दपोली, इस्लामपुर, कल्वा, कर्नाजा, कुदल, लोनी, मलकापुर, पार्ली पलगांव, सवंतवाड़ी, तलोजा, उदगीर उमरड और वाशिम हैं। 1984-85 और इसके आगे के लिए एल० पी० जी० विपणन योजना उद्योग द्वारा अभी तैयार नहीं की गई है।

(ग) एल० पी० जी० की मांग, सप्लाई से अधिक होने को ध्यान में रखते हुए, किसी भी समय छोटी सी बाधा से भी देश में विभिन्न बाजारों पर जिसमें महाराष्ट्र शामिल है, असर पड़ सकता है। तथापि, एल० पी० जी० रिफिलों की सप्लाई, कई बाजारों में आई० आर० समस्या जो वितरकों

को उपकरणों आदि की कमी के कारण आई है जैसे विभिन्न कारणों के कारण अस्थायी रूप से कमी के अलावा, अधिकांशतः अब सामान्य हो गई है।

विवरण

स्थान जहां एस० पी० जी० की सुविधायें उपलब्ध हैं

क्र० सं०	शहर	1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या (लगभग)
	महाराष्ट्र	
1.	अचलपुर	81,200
2.	अहमदनगर (डी० एच० क्यू०)	1,81,200
3.	अकोला (डी० एच० क्यू०)	2,25,400
4.	अकलुज	लागू नहीं
5.	अलीबाग (डी० एच० क्यू०)	21,300
6.	अमलनेर	67,500
7.	अम्बरनाथ	96,400
8.	अम्बाझारी	31,100
9.	अमरावती (डी० एच० क्यू०)	2,93,800
10.	आर्वी	31,100
11.	औरंगाबाद (डी० एच० क्यू०)	3,16,400
12.	बदलापुर	22,000
13.	बल्लारशाह	61,400
14.	बारामती	37,100
15.	बरशी	72,800
16.	बसीन	34,900
17.	भंडारा (डी० एच० क्यू०)	56,000
18.	भयंडर	25,600
19.	भिवंडी	1,15,300
20.	भोर	12,834
21.	भुसावल	1,21,100
22.	बीड (बीर) (डी० एच० क्यू०)	30,300
23.	बोयसर	लागू नहीं
24.	बम्बई (डी० एच० क्यू०)	82,43,400
25.	चालीसगांव	59,300
26.	चन्द्रपुर (डी० एच० क्यू०)	1,15,400
27.	चिनचानी	लागू नहीं
28.	चिपलुन	27,200
29.	चोपडा	40,900
30.	दहानू	15,700
31.	डाउन्ड	44,900

क्र० सं०	शहर	1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या (लगभग)
32.	दूहू/देहू रोड	40,600
33.	देवलाली	57,900
34.	धूले (डी० एच० क्यू०)	2,10,900
35.	दिवे अगार बोरली	14,000
36.	डोमबीवाली	1,03,200
37.	घोड नाडी	15,000
38.	घोटी	20,500
39.	गोंडिया	1,00,300
40.	गोरेगांव	5,800
41.	हिंगनघाट	59,100
42.	हिंगोली	41,500
43.	ईचलकरंजी	1,33,700
44.	ईगतपुरी	20,500
45.	जलगांव (डी० एच० क्यू०)	1,45,300
46.	जलना	1,22,200
47.	जून्नार	18,300
48.	कल्याण	1,36,000
49.	काम्पटी	82,500
50.	करड	54,400
51.	करजात	8,000
52.	किड़की	80,800
53.	कोटल	24,000
54.	खाडकवीसला	16,654
55.	खामगांव	62,000
56.	खेड (रतनागिरि)	10,200
57.	खोपोली	32,100
58.	खेड (पुणे)	12,000
59.	किर्लोसकरवडी	20,512
60.	कोल्हापुर (डी० एच० क्यू०)	3,40,600
61.	कोपरगांव	37,500
62.	कोरडी	लागू नहीं
63.	लासलगांव	8,600
64.	लातूर	1,12,000
65.	लोनान्ड	1,000
66.	लोनावाला	36,200

क्र० सं०	शहर	1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या (लगभग)
67.	महाबलेश्वर	9,100
68.	महाड	15,200
69.	मालेगांव	2,45,800
70.	मनिकपुर	9,500
71.	मनमाड	51,400
72.	महमाला	लागू नहीं
73.	मिराज	1,05,400
74.	मोहोने	19,400
75.	नागपुर (डी० एच० क्यू०)	12,19,500
76.	नाला सोपाड़ा	लागू नहीं
77.	नांदेड	2,01,100
78.	नन्दूरबार	65,400
79.	नासिक (डी० एच० क्यू०)	2,62,400
80.	नासिक रोड	77,700
81.	नेराल	9,500
82.	ओसमानाबाद (डी० एच० क्यू०)	39,000
83.	ओजार	39,900
84.	पकोड़ा	31,600
85.	पालघर	12,500
86.	पंधारपुर	64,300
87.	पंचगनी	8,600
88.	पानवेल	40,700
89.	परभानी (डी० एच० क्यू०)	1,09,300
90.	परोला	24,300
91.	पेन	14,772
92.	फाल्टन	33,900
93.	पेम्पलगांव	लागू नहीं
94.	पिम्परी-चिंचवाड	2,21,000
95.	पुणे (डी० एच० क्यू०)	13,70,000
96.	पुसाड	41,500
97.	राहूड़ी	23,700
98.	रसायनी	3,700
99.	रतनागिरि (डी० एच० क्यू)	47,000
100.	रेवडान्डा	7,246

क्र० सं०	शहर	1981 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या (लगभग)
101.	रोहा	10,800
102.	संगमनेर	40,100
103.	सांगली (डी० एच० क्यू०)	1,52,400
104.	सरवतनगर	लागू नहीं
105.	ससवाड	12,500
106.	सताना	20,900
107.	सतारा (डी० एच० क्यू०)	83,600
108.	शाहपुर	8,800
109.	श्री रामपुर	55,500
110.	श्री वर्धान	13,700
111.	सिन्नार	21,900
112.	सोलापुर (डी० एच० क्यू०)	5,14,500
113.	तालेगांव	22,500
114.	तारापुर	लागू नहीं
115.	थाने (डी० एच० क्यू०)	3,09,900
116.	तिलक नगर	लागू नहीं
117.	तुमसर	34,800
118.	उल्लासनगर	2,73,700
119.	उरान	21,800
120.	विजापुर	20,700
121.	वारनगांव	26,500
122.	वसई	34,900
123.	वाशी	26,000
124.	वेंगुरला	12,400
125.	विराड़	23,200
126.	वाडा	9,400
127.	वाई	24,700
128.	वालचन्द्रनगर	18,000
129.	यावी	31,800
130.	वर्धा (डी० एच० क्यू०)	88,500
131.	बड़ौदा	34,200
132.	यवतमाल (डी० एच० क्यू)	89,100
133.	येओला	28,300

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या

3801. **श्री अनादि चरण दास** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कुल कर्मचारियों की अद्यतन संख्या कितनी है;

(ख) सरकारी उपक्रमों को कुल कर्मचारियों की अद्यतन संख्या कितनी है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने कर्मचारी भर्ती किए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार बाजार सूचना (ई० एम० आई०) कार्यक्रम के अन्तर्गत नवीनतम उपलब्ध अनुमान के अनुसार, 31 मार्च, 1983 को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कुल संख्या 32.6 लाख थी।

(ख) उसी स्रोत के अनुसार, 31 मार्च, 1983 को केन्द्रीय सरकार के अर्ध-सरकारी कर्मचारियों की कुल अनुमानित संख्या 30.4 लाख थी।

(ग) ई०एम०आई० कार्यक्रम के अतर्गत उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1.4.81 से 31.3.83 के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कुल संख्या में 82.4 हजार की वृद्धि हुई।

पश्चिम बंगाल के बीरभूम में कोयला भंडारों का मिलना

3802. **श्री रेणुपद दास** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के कोयला सम्बन्धी वर्ष 1983-84 के फील्ड सीजन कार्यक्रम के क्या निष्कर्ष हैं;

(ख) क्या बीरभूम, पश्चिम बंगाल में भारी मात्रा में कोयले के भण्डारों का पता लगा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण देश के विभिन्न भागों में 22 कोयला/लिग्नाइट क्षेत्रों में मानचित्रण और ड्रिलिंग द्वारा कोयले के लिए प्रादेशिक समन्वेषण कर रहा है। इसके फलस्वरूप भा० भू० स० ने इन क्षेत्रों में दीवानगंज-हिरणसिंघा सेक्टर ट्रॉस-अजय कोयला क्षेत्र, जिला बीरभूम, पश्चिम बंगाल में विशाल कोयला भंडारों का अनुमान लगाया है।

(ग) भा० भू० स० ने इस क्षेत्र में नौ सीमें रिकार्ड की हैं जिनमें इस क्षेत्र से 390 मि. टन कोयले के भंडार होने का अनुमान है। आगे कार्य चल रहा है।

सूरत टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफ़ोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

3803. **श्री छोटूभाई गामित** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में सूरत टेलीफोन डिवीजन के अन्तर्गत प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज में वर्ष 1983 के अन्त तक प्रतिदिन सूची में कितने व्यक्ति थे तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन सूचियों में से अब तक कितने टेलीफोन कनेक्शन आबंटित किए जा जा चुके हैं तथा शेष कनेक्शन कब तक आबंटित कर दिए जाएंगे और शेष कनेक्शन प्रदान करने के संबंध में सरकार द्वारा किए जा रहे ठोस उपायों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) 31 दिसम्बर, 1983 को सूरत टेलीफोन जिले के टेलीफोन एक्सचेंजों में प्रत्येक श्रेणी में लंबित आवेदनों की संख्या नीचे दी गई है :—

क्रम संख्या	एक्सचेंज का नाम	ओ. वाई. टी.	गैर-ओ.वाई.टी. विशेष	गैर ओ. वाई. टी सामान्य	कुल
1.	सूरत एम० ए० एक्स-I	747	506	7524	8777
2.	एथवा एम०ए० एक्स-II	105	38	908	1051
3.	उद्यना एम० ए० एक्स-II	54	16	625	695
4.	रांडेर एम० ए० एक्स II	14	17	433	464
		920	577	9500	10989

(ख) एक्सचेंजों में क्षमता कम होने के कारण दिसम्बर, 1983 से लगभग 60 कनेक्शन ही दिए गए हैं। 1985-86 में टेक्सटाइल मार्किट में 10,000 लाइनों वाला नया एक्सचेंज चालू हो जाने के बाद अथवा तथा सूरत (मेन) एक्सचेंज क्षेत्रों में ओ. वाई. टी. तथा विशेष श्रेणियों में दर्ज मौजूदा प्रतीक्षा सूची के सभी आवेदकों को कनेक्शन दिए जाने की सम्भावना है जबकि सामान्य श्रेणी में जून, 1982 तक दर्ज आवेदकों को ही कनेक्शन दिए जाएंगे। उद्यना तथा रांडेर में नए बड़े एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।

पता लगाए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की धीमी गति

3804. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पता लगाए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास का कार्य धीमी गति से हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1976 में शुरू किए गए इस पुनर्वास का कार्य की अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) उक्त योजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (ग) बन्धित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अधीन बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने तथा फिर से बसाने की समस्त जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों की है। बन्धुआ श्रमिकों की विद्यमानता के बारे में केवल 11 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य, प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश ने सूचित किया है। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार यह कार्यक्रम शुरू करने के समय से 31.12.1983 तक 1,61, 075 बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाया गया और उन्हें मुक्त कराया गया, जिनमें से 1,19,219 श्रमिकों को पुनर्वासित किया गया है।

बन्धुआ श्रमिकों को पुनर्वासित करने में राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1978-79 में केन्द्र द्वारा संचालित एक योजना प्रारम्भ की गई, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए बराबर-बराबर (50:50) के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना में प्रत्येक बन्धुआ श्रमिक के पुनर्वास के लिए

अधिकतम 4000/- रुपये की व्यवस्था करने की परिकल्पना की गई, जिसकी आधी राशि केन्द्रीय हिस्से के रूप में दी जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बन्धुआ श्रमिकों को स्थायी आधार पर पुनर्वासित किया जाए, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे केन्द्र द्वारा संचालित योजना का वैसी ही अन्य योजनाओं अर्थात् समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट कम्पोनेन्ट प्लान और आदिवासियों संबन्धी उपयोजना तथा राज्य सरकारों की अन्य चल रही योजनाओं के साथ उपयुक्त रूप से समाकलन करे/सामंजस्य स्थापित करें ताकि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध साधनों का पूल तथा समाकलन किया जा सके। ऐसा समाकलन करने के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्तों की व्यापक रूप-रेखा भी राज्य सरकारों को उनके माग-दर्शन हेतु भेज दी गयी है।

बन्धुआ श्रमिकों को पुनर्वासित करने की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से, निधियों को देने की प्रक्रिया 5.7.1983 से सरल बना दी गई है। संशोधित प्रक्रिया के अन्तर्गत, जिला स्तर पर तैयार की गई सभी पुनर्वासन योजनाओं पर केन्द्रीय स्तर की बजाय राज्य स्तर पर जांच समिति द्वारा किया जायेगा। जांच-समिति द्वारा योजना को मंजूरी दिए जाने के पश्चात, राज्य सरकार सहायता के अपने पूरे हिस्से को एक मुश्त में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को देगी, और इस बारे में जानकारी प्राप्त हो जाने पर, सहायता का केन्द्रीय हिस्सा तत्काल मुश्त में दे दिया जायेगा।

बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वासन की प्रक्रिया को समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में पूरा करने के उद्देश्य से, बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए प्रतिवर्ष राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे हैं और राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर इन लक्ष्यों को पूरा करें।

भारत सरकार, श्रम विभाग द्वारा पुनर्वास योजनाओं के कार्यान्वयन पर बराबर निगरानी रखी जा रही है और उनकी पुनरीक्षा की जा रही है। इन कार्यक्रमों की स्थल-जांच करने के लिए समय-समय पर इस विभाग से अधिकारी विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं और इन जांच रिपोर्टों के आधार पर सम्बद्ध राज्य सरकारों को विस्तृत अनुदेश और मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए जा रहे हैं।

बंबई शहर में एजेंसियों को मिट्टी के तेल का आवंटन

3805. **श्री राम विलास पासवान** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में अन्य एजेंसियों को आवंटित किए गए मिट्टी के तेल की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों से संबंधित एजेंसीधारियों को कम मात्रा में मिट्टी का तेल आवंटित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो गत वर्ष के दौरान प्रति मास उन एजेंसियों में से प्रत्येक को कितने लिटर मिट्टी का तेल दिया गया है; और

(घ) क्या सरकार सभी एजेंसियों को एक समान मिट्टी के तेल की सप्लाई सुनिश्चित करेंगी, और यदि हां तो यह कब तक सुनिश्चित किया जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि विगत में कुछ कारणों से कुछ पुराने स्थापित डीलर नये नियुक्त किये गये डीलरों (एस० सी०/एस०टी० तथा गैर—एस० सी०/गैर—एस० टी० वर्गों दोनों से सम्बद्ध) की तुलना में मिट्टी के तेल का अधिक आवंटन प्राप्त कर रहे हैं। सरकार ने प्रतिमाह प्रति डीलर के

लिये 250 किलो लिटर मिट्टी के तेल की उच्चतम सीमा निर्धारित की है तथा बम्बई में सभी डीलर इस सीमा तक पहुंच गये हैं। कुछ पुराने तथा स्थापित डीलरों के मामले में 250 किलो लीटर की सीमा से अधिक आवंटन को, नये डीलर नियुक्त करके तथा अन्य विद्यमान डीलरों के बीच व्यापार का पुन: वितरण करके चरणबद्ध तरीके से कम किया जा रहा है। तथापि, चूंकि यह पुनर्गठन विभिन्न बातों पर निर्धारित करता है, इस समय कोई समयावधि नहीं बताई जा सकती है, तथापि, तेल उद्योग को इस कार्य को प्राथमिकता देने के लिये कहा गया है।

एल० पी० जी० सिलेंडरों की आवश्यकता तथा उत्पादन

3806. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वदेशीय एल० पी० जी० सिलेण्डरों की अनुमानित आवश्यकता कितनी है तथा उनकी उपलब्धता क्या है;

(ख) सिलेण्डर बदलने तथा माल सूची तैयार करने के लिये कितने एल० पी० जी० सिलेंडरों की अनुमानित आवश्यकता है;

(ग) गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों की एल० पी० जी० सिलेण्डरों के निर्माण करने की क्षमता क्या है; और

(घ) सिलेंडरों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) 1984-85 से आगे एल० पी० जी० सिलेंडरों की अनुमानित आवश्यकता 50 लाख प्रतिवर्ष की है और इस संपूर्ण मात्रा को देशीय साधनों से पूरा किए जाने की संभावना है।

(ख) बदलने के लिये — 11 लाख प्रतिवर्ष
माल सूची के लिए — 5 लाख प्रतिवर्ष

(ग) 31-12-83 को यथास्थिति को दोनों सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में लगभग 56.35 लाख प्रतिवर्ष की स्थापित क्षमता सिलेंडर के निर्माण के लिये है।

(घ) एक अनवरत ढंग से सिलेंडरों का उत्पादन बढ़ाने के लिये तेल उद्योग ने सभी अनुमोदित सिलेंडर निर्माताओं को अधिक संख्या में आर्डर-2 दिये हैं। इसके अलावा स्टील को पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाये गये हैं।

राजस्थान के जालौर जिले में "हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल आयल" रखने के लिये भंडारण डिपो की स्थापना

3807. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के जालौर जिले में "हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल आयल" की खपत उसकी जनसंख्या की तुलना में अधिक है;

(ख) क्या यह सच है कि दोनों तरह के तेलों को जोधपुर से जालौर तक ट्रकों से लाना पड़ता है और काण्डला से जोधपुर और जोधपुर से जालौर भिन्भाल, सांचोर तक तेल का ढुलाई शुल्क उन कृषकों पर डाला जाता है जो उक्त तेल को खरीदते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ढुलाई शुल्क के कारण लाखों रुपये बचाने के उद्देश्य से जालौर जिले में भंडारण डिपो स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) यह सच है कि राजस्थान में प्रति जिला लाइट डीजल तेल (एलडीओ) की औसत खपत जालौर जिले में सबसे अधिक है। तथापि, इस जिले में हाई स्पीड डीजल (एच एस डी) तेल की खपत राज्य में प्रति जिले की औसत खपत से कम है।

(ख) देहाती स्थानों के लिए अपनाई जाने वाली सामान्य मूल्य निर्धारण व्यवस्था के अनुसार, जालौर, भिमल और संचोर के लिये एच एस डी और एल डी ओ के मूल्य नजदीक के डिपु जो इस सम्बन्ध में जोधपुर है, के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। जोधपुर डिपु की दर को साबरमती डिपु की दर जिसमें रेलवे भाड़ा को जोड़कर निर्धारित की जाती है।

एच एस डी के सम्बन्ध में सप्लाई "डिलिवर्ड" आधार पर की जाती है जिसमें जोधपुर की दर, जोधपुर से मंजिल तक पहुंचाने के लिए सड़क परिवहन प्रभार को जोड़कर आती है।

एल डी ओ की सप्लाई प्रतिष्ठान/डिपु पर की दर के आधार पर की जाती हैं। उपभोक्ता सप्लाई या तो काण्डला प्रतिष्ठान अथवा जोधपुर डिपु से प्राप्त करते हैं जिसके लिये वे आवश्यक परिवहन प्रभार खर्च करते हैं।

(ग) और (घ) जालौर जिला में डिपु की स्थापना करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस जिले की मौजूदा सक्षमता से जालौर में डिपु की स्थापना करने का कोई औचित्य नहीं है।

भोपाल और इन्दौर में उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करना

3808. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के भोपाल और इन्दौर में उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के लिये कोई प्रभावशाली कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस कार्य के पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) भोपाल और इन्दौर के ट्रांसमीटरों के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है। भोपाल में भवन का निर्माण करने और ट्रांसमीटर टावर लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया हैं दोनों केन्द्रों के लिये उपकरणों के लिये आर्डर दे दिए गये हैं।

(ग) इन केन्द्रों के 1984-85 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम से मजूरी सीमा संबंधी खंड का निकाला जाना

3809. **श्रीमती कृष्णा शाही**
श्री सतीश अग्रवाल } : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कर्मकार प्रतिकर अधिनियम से मजूरी सीमा संबंधी खण्ड निकालने का विचार है ताकि औद्योगिक कर्मचारियों की सभी श्रेणियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत लाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौर क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इससे देश में सभी क्षेत्रों के कर्मकारों को किस सीमा तक लाभ पहुंचेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (ग) जी हां। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की परिधि में आने के लिये अन्य बातों के साथ-साथ मजदूरी सीमा को समाप्त करने की व्यवस्था करने संबंधी विधेयक 3 मार्च, 1984 को राज्य में पेश किया गया।

(घ) इस प्रस्ताव से अनेक ऐसे श्रमिकों को लाभ प्राप्त होगा, जो इस समय 1000/- रुपये प्रतिमाह से अधिक मजदूरी पर रहे हैं।

कम्पनियों के निदेशकों द्वारा कंपनी की धनराशि से न्यासों की स्थापना किया जाना

3810. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों ने कम्पनी की काफी बड़ी धनराशियां निदेशकों तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा खोले गये न्यासों में योगदान के रूप में दे दी हैं;

(ख) यदि हां, तो आयकर नियमों के अनुसार निदेशकों द्वारा इस प्रकार के न्यासों में कितनी धनराशि का योगदान करने की अनुमति है; और

(ग) उन न्यासों के नाम क्या हैं जहां अकेला निदेशक अथवा उसके परिवार के सदस्य एक से अधिक न्यास के न्यासी हैं और एक ही ग्रुप की कम्पनियों से संबंधित हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) कंपनी अधिनियम, 1956 के विद्यमान उपबन्धों के अन्तर्गत, कम्पनी को किन्हीं धनराशियों को अगर किन्हीं न्यासों में दी गई हैं, तो अपने प्रकाशित लेखों में प्रकट करना अपेक्षित नहीं हैं। इसलिए यह सूचना देना सम्भव नहीं है।

(ख) वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-छ के अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ दी, भारत की संस्थाओं को जो समग्ररूप से धार्मिक प्रयोजन या धार्मिक उद्देश्यों के लिए तथा वह अपनी आय पर से कर की मुक्ति के लिए पात्र हैं तो, उसको दी गई धनराशि दानदाता की कुल आय की संगणना से निर्धारित दरों पर कटौती की हकदार है। यह कटौती कथित अधिनियम के 80-छ में उल्लिखित सांविधिक सीमाओं के अधीन है।

(ग) न्यासों को कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत विनियमित नहीं किया जाता है, इसलिए सूचना देना सम्भव नहीं है।

भारतीय तेल निगम द्वारा "इंडियन कार्बन लि०" असम को कच्चे माल की पूर्ति

3811 **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम ने जनवरी के प्रथम सप्ताह में "इण्डियन कार्बन लि०" को कच्चे माल की पूर्ति के बारे में अपनी बैठकें बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम ने कम्पनी को कच्चा माल देने से पूर्व कुछ सुझाव उनके मन्त्रालय के विचारार्थ भेजे थे; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय तेल निगम बोर्ड द्वारा दिये गये सुझावों पर उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) सरकार ने इण्डियन आयल कारपोरेशन बोर्ड द्वारा दिये गये सुझावों पर अनुमोदन प्रदान कर दिया है । इस समय इस मामले पर इंडियन आयल कारपोरेशन तथा इण्डिया कार्बन लिमिटेड, असम के बीच बातचीत चल रही है और सप्लाई पुन: जारी करने के बारे में अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है ।

कोल इंडिया लि० द्वारा कोयले का निर्यात

3812. श्री जगपाल सिंह
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि० किन-किन देशों को कोयले का निर्यात करता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान (1981-82, 1982-83 और 1983-84) विदेशों को किए कोयले में निर्यात से हुई आमदनी का ब्यौरा क्या है;

(ग) कोल इण्डिया लि० ने देश में कोयले की आवश्यकता को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या यह सच है कि विदेशों को कोयले के निर्यात से देशी उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हा, ता तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली का न्यायिक जिलों में विभाजन

3813. श्री भीखू राम जैन : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1982 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को, पुलिस और राजस्व जिलों के समान पांच न्यायिक जिलों में विभाजित करने का विनिश्चित किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस आशय का एक विधेयक दिल्ली महानगर परिषद् द्वारा पारित किया गया था और उसे संसद् द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए लगभग कुछ मास पूर्व सरकार के पास भेजा गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार संसद् के चालू सत्र के दौरान अपेक्षित संशोधन विधेयक पुनर:स्थापित करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) भारत सरकार ने दिल्ली को पांच न्यायिक जिलों में विभाजित किए जाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रस्ताव को मार्च, 1982 में सिद्धान्तत: स्वीकार कर लिया था ।

(ख) दिल्ली महानगर परिषद् ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 और दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1985 का संशोधन करने के लिए उपयुक्त विधान बनाने की जुलाई, 1983 में सिफारिशें की थीं और वे अगस्त, 1983 में केन्द्रीय सरकार को भेज दी गई थीं ।

(ग) और (घ) दिल्ली महानगर परिषद् ने जिन विधेयकों की सिफारिश की है उनकी विस्तृत रूप से समीक्षा की जानी है। भारत सरकार इस विषय पर विचार कर रही है।

महाराष्ट्र के पुणे जिले में डोंड स्थित समुद्र पार संचार केंद्र का बंद किया जाना

3814. **श्री शिवराज वी० पाटिल** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने महाराष्ट्र के पुणे जिले में डोंड स्थित समुद्र पार संचार केन्द्र को बन्द का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वहां पर बड़ी संख्या में प्रशासनिक इमारतें और रिहायशी क्वार्टर हैं, जो लगभग 200 कर्मचारियों के लिये पर्याप्त हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार इस परिसर को समुद्र पार संचार कर्मचारियों अथवा डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु उपयोग करने पर विचार कर रही है;

((घ) यदि हां, तो प्रस्तावित प्रशिक्षण केन्द्र कब खोले जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार को तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्हें उक्त प्रस्तावित शिक्षण केन्द्र में रोजगार देने का अनुरोध किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) डाकतार कर्मचारियों के लिये एक प्रशिक्षण-केन्द्र की स्थापना हेतु दोंड केम्पस के प्रयोग की व्यवहार्यता जांची जा रही है।

(ङ) और (च) विदेश संचार सेवा के समूह "ग" और "घ" के कुछ कर्मचारियों के स्थानीय प्रशिक्षण केन्द्र में खपाने के लिये कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है।

इन्सैट-1 और जन-संचार

3815. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (इन्सैट-1) ने जन-संचार में नए आयाम खोले हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त इन्सैट-1 द्वारा काम शुरू कर देने पर उपलब्ध होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संचार सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) इन्सैट बहु-उद्देश्य राष्ट्रीय उपग्रह पद्धति है।

प्रथम जनरेशन इन्सैट पद्धति (इन्सैट-1), जो 15 अक्तूबर, 1983 से कार्य कर रही है, ने राष्ट्रीय उपयोग के लिए निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध की हैं :—

(1) अधिक दूरी की घरेलू दूर संचार;

(2) पृथ्वी का दिन-रात मौसम प्रेक्षण और डाटा रिले;

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक दूरदर्शन सैटों के लिये सीधा उपग्रह दूरदर्शन प्रसारण तथा स्थलीय दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की नेटवर्किंग; और

(4) रेडियो ट्रांसमीटरों की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय नेटवर्किंग।

विज्ञान सलाहकार समिति, पर्यावरण प्रायोजन और समन्वय सलाहकार समिति और भूविज्ञान संबंधी विज्ञान सलाहकर समिति द्वारा की गई सिफारिशें

3816. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान सलाहकार समिति, पर्यावरण आयोजन और समन्वय सलाहकार समिति और भूविज्ञान सम्बन्धी विज्ञान सलाहकार समिति ने 1981 में उनके गठन के बाद से अब तक अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों, घरेलू संयंत्रों के स्थलों आदि के संबंध में क्या सिफारिशें की गई हैं और उन समितियों के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ख) उन पर कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) वैज्ञानिक सलाहकार समिति, पर्यावरण आयोजन तथा समन्वयन पर सलाहकार समिति और भू-विज्ञानों पर वैज्ञानिक सलाहकार समिति की सदस्यता संलग्न विवरण में दी गई है। इन समितियों की मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार से हैं :—

वैज्ञानिक सलाहकार समिति

(I) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि० में अनुसंधान तथा विकास सुविधाओं की स्थापना करना/विस्तार करना ।

(II) उपयोगी उत्पादों का उत्पादन करने के लिए विभिन्न रिफाइनरियों में फ्लूइडाइज्ड केटेलिटिक क्रेकर (एफ० सी० सी०) से आफ गैस का उपयोग ।

(III) प्रसाधन साबुनों तथा डिटरजेंटों आदि का निर्माण करने के लिए एल्फाओलिन्फिस का उत्पादन

(IV) देश में इंजीनियरी प्लास्टिक को बढ़ावा देना

(V) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, बम्बई और कोचीन रिफाइनरीज लि०, कोचीन में रिफार्मरों से बेंजीन तथा टोल्यून की प्राप्ति के लिए ई० आई० एल/आई० आई० पी० के प्रौद्योगिकी पैकेज को उपयोग में लाना ।

पर्यावरण आयोजन तथा समन्वयन पर सलाहकार समिति

(I) नागोथाणे, महाराष्ट्र में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह को स्थापित करना ।

(II) उरान में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को मौजूदा सुविधाओं में विस्तार को स्वीकृति प्रदान की और उरान में पर्यावरण को सुधारने के लिए कुछ अल्पीकरण उपाय सुझाये

(III) पर्यावरणीय पहलू से सलीमपुर, उत्तर प्रदेश में पेट्रो-रसायन एरोमेटिक्स कांप्लेक्स के स्थान को स्वीकृति प्रदान की ।

I—विज्ञानों पर वैज्ञानिक सलाहकार समिति

(I) तिपम—सुर्मा यूनिटों, गिरूजन मट्टी तथा नामसांग बालू पत्थर/मिट्टी का विस्तृत पोली—नॉलाजिकल अध्ययन ।

(II) कोपीली—बरेल और सूर्मा—बरेल संक्रमण के विशेष संदर्भ सहित टाइप क्षेत्र में बरेल अनुक्रम (सीक्वन्स) के पोलीनॉलाजिकल अध्ययन ।

(III) भारत के पेट्रोलियम भूविज्ञान पर एक पुस्तक लिखना ।

(IV) तेल उद्योग पर एक सेमिनार का आयोजन करना और विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं का समागम ।

(ख) सम्बन्धित संगठनों के साथ परामर्श करके प्रवर्तक प्राधिकारियों द्वारा समिति की सिफारिशों पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

उपरोक्त तीन समितियों का वर्तमान गठन निम्न प्रकार है :—

I. वैज्ञानिक सलाहकार समिति

1. प्रो० एम० एम० शर्मा रसायन इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, रसायन तकनीकी विभाग, बम्बई	अध्यक्ष
2. डा० पी० के० गोयल, अध्यक्ष, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, इण्डियन आयल कार्पोरेशन, फरीदाबाद	सदस्य
3. डा० जे० एन० बरुआ, कार्यकारी निदेशक, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट	,,
4. डा० एल० के० दोराइस्वामी, निदेशक, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे	,,
5. डा० वी० आर० गोरीकर, निदेशक, स्पेस रिसर्च सेन्टर, थुम्बा, त्रिवेन्द्रम	,,
6. श्री० वी० बी० गुप्ता, टैक्सटाइल इन्जीनियरिंग के प्राध्यापक, इण्डिन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी, दिल्ली	,,
7. डा० आई० बी० गुलाटी, निदेशक, इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम, देहरादून	,,
8. डा० नित्यानन्द, निदेशक, सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ	,,
9. डा० पी० के मुखोपाध्याय, प्रबंधक, आर० एण्ड डी० इंजीनियर्स इंडिया लि०, नई दिल्ली	,,
10. प्रो० सुखदेव, निदेशक, माल्ती केम० लेबोरेटरी, बड़ौदा	,,
11. डा० त्यागराजन, निदेशक, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद	,,
12. डा० बी० डी० तिलक, भूतपूर्व निदेशक, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे	,,
13. डा० एस० वरदाराजन, सचिव, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, महरोली रोड, नई दिल्ली	,,

II. पर्यावरण आयोजन और समन्वय पर सलाहकार समिति

1. डा० निले चौधरी, अध्यक्ष, सेन्ट्रल बोर्ड फार दि प्रिवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल आफ वाटर पोल्यूशन, नई दिल्ली	संयोजक
2. निदेशक, इंडस्ट्रियल टेक्सीकोलोजी रिसर्च सेन्टर, लखनऊ	सदस्य
3. डा० सी० के० वार्ष्णेय, एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल आफ एन्वायरनमेंटल साइंसेस नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ।	,,

4. डा० ए० के० गांगुली, विजिटिंग प्रोफेसर, भाभा अणु अनुसंधान केंद्र, बम्बई — सदस्य
5. श्री श्याम चेनानी, अवैतनिक सचिव, बम्बई एन्वायरनमेंट ऐक्शन ग्रुप, बम्बई ,,
6. श्री टी० आर० सरनाथन, मार्फत—भाभा अणु अनुसंधान केंद्र, बम्बई ,,
7. डा० बी० बी० सुन्दरेशन, निदेशक, नेशनल एन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर
8. निदेशक पर्यावरण विभाग, नई दिल्ली ,,
9. श्री एस० के० दास, महानिदेशक, मौसम विज्ञान, नई दिल्ली ,,
10. प्रो० ए० आर० जफर, प्रोफेसर आफ बोटेनी, ओस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद—500007. ,,

III. भू-विज्ञानों पर वैज्ञानिक सलाहकार समिति

1. श्री एल० एल० भंडारी, निदेशक, के० डी० एम० आई० पी० ई०, ओ० एन० जी० सी०, देहरादून — संयोजक
2. श्री एस० एन० तालुकदार, सदस्य (अन्वेषण), ओ० एन० जी० सी०, देहरादून — सदस्य
3. श्री सी०आर० जगन्नाथन, प्रबंध निदेशक, आयल इण्डिया लि०, नई दिल्ली ,,
4. श्री ए० बी० दासगुप्ता, अध्यक्ष, बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०, कलकत्ता ,,
5. प्रो० डी० के० चन्द्रा, भूविज्ञान विभाग, इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद ,,
6. डा० बी० एल० के० सामायाजुल, फिजीकल रिसर्च लेबोरेटरी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद ,,
7. डा० हरीनारायण, निदेशक, नेशनल ज्योफिजीकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हैदराबाद
8. श्री एस० एन० मुखर्जी, महा-निदेशक, ज्योलोजीकल सर्वे आफ इंडिया, कलकत्ता ,,
9. डा० एम० एन० कुरेशी, निदेशक (ई), विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली ,,
10. प्रो० वी० के० गौड़, भूमि विज्ञान विभाग, रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की ,,
11. प्रो० बी० के० साहू, भूविज्ञान के प्राध्यापक, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आई० आई० टी०, पोवाई बम्बई ,,
12. डा० बी० पी० राधाकृष्णा, ज्योलोजिकल सोसाइटी आफ इंडिया, कॉटनपेट, बंगलौर

भारतीय दूरसंचार सेवा के "क" वर्ग में खाली पदों को "ख" वर्ग से पदोन्नति द्वारा भरना

3817. श्री डूमर लाल बैठा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय दूरसंचार सेवा के "क" वर्ग में वर्ष 1979, 1980, 1981, 1982 और 1983 के दौरान प्रति वर्ष अलग-अलग मृत्यु, सेवा निवृत्ति, त्यागपत्र, उच्च ग्रेड/सेवा वर्ग में पदोन्नति, दर्जा

बढ़ाने, अतिरिक्त पदों को बढ़ाने, एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजने आदि के कारण कुल कितने नियमित स्पष्ट पद खाली हुए;

(ख) भारतीय दूरसंचार सेवा के "क" वर्ग में वर्ष वार नियमित आधार पर कुल कितने पद भरे गए/भरे जाने हैं। जिन्हें वर्ष 1982 और 1983 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक न होने के कारण नहीं भरा जा सका है। तथा दूरसंचार इंजीनियरिंग सेवा के "ख" वर्ग से अलग से कितने पदों को भरा गया है और वर्ष 1979 से 1983 के दौरान सीधी भर्ती से कितने व्यक्तियों को लिया गया है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी का संकलन किया जा रहा है और शीघ्र ही उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

राजस्थान में पलाना में लिग्नाइट ताप विद्युत परियोजना के लिए स्वीकृति

3818. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के बीकानेर जिले में पलाना में एक लिग्नाइट ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने के संबंध में राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो, क्या योजना आयोग ने इसे स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा; और

(घ) क्या इसके छठी योजना के अन्तिम वर्ष में लिए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

तट दूर प्रौद्योगिकी में अग्रसर देश

3819. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तट-दूर औद्योगिकी में अग्रसर देशों के क्या नाम हैं;

(ख) इनमें उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे भारत ने इस सम्बन्ध में सहयोग प्राप्त किया है; और

(ग) भारत द्वारा अब तक तट-दूर तेल निक्षेपों का कितने प्रतिशत उपयोग किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार हाइड्रोकार्बन की खोज के लिए तट-दूर प्रौद्योगिकी में यू० एस० ए०, यू० के०, नार्वे, जापान, फ्रांस, कोरिया कुछ अग्रसर देश हैं।

(ख) बम्बई हाई क्षेत्र के विकास के लिए सी० एफ० पी० फ्रांस के साथ किए करार के अलावा, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने यू० एस० ए०, यू० के० आदि की कम्पनियों से विभिन्न प्रयोजनों के लिए परामर्शदात्री सेवाएं प्राप्त की हैं।

(ग) लगभग चौदह प्रतिशत।

उपभोक्ताओं द्वारा प्राइवेट इलेक्ट्रिक पी० ए० बी० एक्स बोर्ड का उपयोग

3820. **श्री एन० सुंदर राजन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उपभोक्ताओं को, डाक तार जंक्शन लाइन पर निजी तौर पर खरीदे गए इलेक्ट्रिक पी० ए० बी० एक्स बोर्ड का उपयोग करने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उपभोक्ताओं से उनके लिए कोई किराया लेती है; और

(ग) यदि हां, तो कितना किराया लेती है ?

संचार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां। डाक तार परिपथ जाल पर उपभोक्ता को अपने पी० ए० बी० एक्स का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है बशर्ते कि वे कुछ वाणिज्यिक और तकनीकी शर्तों को पूरा करते हों।

(ख) जी हां।

(ग) उपभोक्ता को अपने पी० ए० बी० एक्स का इस्तेमाल करने के लिए नीचे दी गई वार्षिक लाइसेंस फीस अदा करनी होती है;

(एक) स्ट्रोजर किस्म-सज्जित क्षमता का प्रति एक्सटेंशन 100/रु०

(दो) इलेक्ट्रानिक किस्म-सज्जित क्षमता का प्रति एक्सटेंशन 200/रु०

राष्ट्रीय औषध तथा भेषजीय विकास परिषद की सहायता के लिए संघों को मान्यता

3821. **श्री सूरज भान** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संघों तथा प्रतिनिधि निकायों का ब्यौरा क्या है जिनको सरकार-द्वारा औषध उद्योग के लिए मान्यता प्रदान की गई है तथा जिनको राष्ट्रीय औषध तथा भेषजीय विकास परिषद के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया गया है; और

(ख) सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी निकायों में प्रतिनिधित्व देने के लिए समय-समय पर मान्यता प्रदान करने तथा प्रमाणिक औषध संघों के चयन करने के लिए अपनाये जाने वाले मानदंड का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) औषध उद्योग से सम्बद्ध मामलों से संबंधित परिपत्र निर्माता एसोसियेशन को भेजे जाते हैं जिनकी कुल संख्या 9 है। इन एसोसियेशनों के नाम और पते संलग्न विवरण में दिए गए हैं। निम्नलिखित एसोसियेशनों के प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद के सदस्यों की सूची में शामिल किया गया है।

1. अध्यक्ष इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च।
2. अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन।
3. अध्यक्ष आर्गेनाइजेशन आफ फार्मास्युटिकल्स प्रोडयूसर्स आफ इंडिया।
4. आल इंडियन ड्रग्स मेन्यूफेक्चरर्स एसोसिएशन।
5. आल इंडिया आर्गेनाइजेशन आफ एण्ड ड्रगिस्ट का प्रतिनिधि।
6. अध्यक्ष, आल इन्डिया आर्गेनाइजेशन आफ कैमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट।

(ख) औषध उद्योग से सम्बधित कोई भी एसोसिएशन अपने सदस्यों के ब्यौरे सरकार को देने के लिए स्वतंत्र हैं ताकि उनके सदस्यों के प्रयोग के लिए औषध उद्योग से सम्बधित पत्र भेजे जा सके। किसी एसोसिएशन को ऐसी कोई मान्यता नहीं दी गई है।

विवरण

निर्माता एसोसियेशनों की सूची

1. अध्यक्ष, आर्गेनाइजेशन आफ फार्मास्युटिकल्स आफ इन्डिया (ओ० पी० पी० आई०), कोक बिल्डिंग, डा० दादाभाई एन० रोड़, बम्बई-400001।

2. अध्यक्ष, इन्डियन ड्रग्स मेन्यूफेक्चर्स एसोसियेशन (आई० डी० एम० ए०), 102-बी, पूनम चेम्बर, डा० ए० बी० रोड़, बारेली, बम्बई-400018।

3. अध्यक्ष, फार्मास्युटिकल्स एंड एलाइड मेन्यूफेक्चर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन लि० (पी० ए० एम० डी० ए० एल०), केयर आफ बम्बई चेम्बर्स आफ कार्म्स एण्ड इन्डस्ट्री बम्बई-400001

4. अध्यक्ष, इन्डियन फार्मास्युटिकल्स मेन्यू० एसोसिएशन (आई० पी० एम० ए०), 15-ए, औरंगजेब रोड, नई दिल्ली-110001।

5. अध्यक्ष, आल इन्डिया मेन्यूफेक्चर्स आर्गेनाइजेशन (ए० आई० एम० डी०), जीवन सहाकार, सर फिरोजशाह मेहता रोड, बम्बई-400001।

6. अध्यक्ष, आल इन्डिया स्माल स्केल फार्मा०, मेन्यू० एसोसिएशन, 1520, भगीरथ प्लेस, दिल्ली-110006।

7. श्री टी० आर० कपूर, सचिव (पी० ए० एम० डी० ए० एल०) केयर आफ मै० ग्लेक्सो लेब्स० (आई०) लि० ओखला, नई दिल्ली।

8. इन्डियन कैमिकल्स एम० एफ० जी०, एसोसिएशन, इन्डियन एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता-700001।

9. आल इंडिया स्माल ड्रग्स मेन्यूफेक्चर्स एसोसिएशन, बोमन लोड, द्वितीय मंजिल, दादर, टी० टी० बम्बई-400014

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा तेल की खोज संबंधी कार्यक्रम

3822. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इन्डिया लिमिटेड द्वारा तेल की खोज सम्बन्धी कोई ऐसे व्यापक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें बंगाल की खाड़ी में तेल की तट-दूर खोज करना भी शामिल है;

(ख) यदि हां, तो बंगाल की खाड़ी में ऐसे पता लगाए गए तट दूर स्थलों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) वहां खोज सम्बन्धी कार्यक्रम कब शुरू किया गया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) बंगाल अपतटीय क्षेत्र में 1975 से खोज कार्य चल रहा है। संविदा के अधीन मैसर्ज कार्ल्सबर्ग-नाटोगेस ग्रुप ने 1975-76 में इस क्षेत्र में 5600 लाइन किलोमीटर भू-कम्पीय सर्वेक्षण कार्य किया था। उन्होंने दो कुएं भी खोदे थे परन्तु उनमें वाणिज्यिक आधार पर कुछ प्राप्त नहीं हुआ था। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अब और भू-कम्पीय सर्वेक्षण किए हैं तथा पिछले समुद्री क्षेत्र में तीन स्थानों को खुदाई के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

आयल इन्डिया लिमिटेड ने महानदी बेसिन में 1978 में खोज कार्य आरम्भ किया था। विस्तृत सर्वेक्षणों के पश्चात् अभी तक 4 अन्वेषी कुएं खोदे गये हैं। परन्तु उनमें वाणिज्यक आधार पर कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। पाँचवें कुएं की खुदाई की जा रही है इसके अलावा, आयल इन्डिया लिमिटेड ने बंगाल की खाड़ी में महानदी बेसिन के निकट उत्तर-पूर्वी समुद्रतट में 4451 लाइन कि० मी० भू-कम्पीय सर्वेक्षण कार्य किया है।

सहायकों की अनुभाग अधिकारियों के रूप में पदोन्नति

3823. **श्री स्वामी इंद्रवेश :** क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय में किस वर्ष तक के सहायकों (अर्थात् सहायकों के रूप में नियुक्ति की तारीख) की अनुभाग अधिकारियों के रूप में पदोन्नति की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : श्रम विभाग में, 1966 के पदोन्नत सहायक, जो लगातार सेवा में हैं, और सीधी भर्ती वाले सहायक, जिन्होंने वर्ष 1978 में सेवा प्रारम्भ की, तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

पुनर्वास विभाग में, 1969 के पदोन्नत सहायक, जो लगातार सेवा में हैं, सीधी भर्ती वाले सहायक, जिन्होंने वर्ष 1975 में सेवा प्रारम्भ की, तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

मानव निर्मित कपड़ा उद्योग के उत्पादों की लागत लेखा परीक्षा

3824. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या **विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानव निर्मित कपड़ा उद्योग के सूत और तैयार माल जैसे उत्पादों की गत लागत लेखा-परीक्षा कब की गई थी;

(ख) क्या उन्हें मालूम है कि इस उद्योग में बहुत अधिक लाभांतर है और इसके उच्च तथा अन्य अधिकारियों की बहुत अधिक वेतन और परिलब्धियां मिल रही है;

(ग) क्या वे इस उद्योग की उच्च उत्पादन लागत की ताजा लागत लेखा परीक्षा करवाने की वांछनीयता, तथा इसका लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के बारे में विचार करेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) तथा (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233-ख के अन्तर्गत लागत लेखा परीक्षा उद्योग पर आधारित नहीं हैं। अगर कम्पनी द्वारा तैयार किए गए उत्पादन, लागत लेखा अभिलेख नियमों के अन्तर्गत आते हैं, और समय-समय पर जब कभी भी आवश्यक समझे जाते हैं तो कम्पनी से कम्पनी के आधार पर लागत लेखा-परीक्षा का आदेश दिया जाता है। इसलिए किसी विशेष उद्योग में व्यापी लाभ आदि की सीमा को अन्यों के साथ-साथ कार्य व्यापार की स्थिति को समग्र रूप से कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत लागत लेखा-परीक्षा के माध्यम से उद्घाटित नहीं किया जाता है।

(ग) तथा (ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए उत्पन्न नहीं होता।

कोयला खानों के मुहानों पर कोयले के भंडार में कमी होना

3825. **श्री राजेश कुमार सिंह :** क्या **ऊर्जा मंत्री** कोयला भंडारों में कमी के बारे में 6 दिसम्बर, 1983 के तारांकित प्रश्न सं० 197 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुहानों पर कोयला भंडारों में कमी होने के बारे में कोयला खानवार ब्यौरा इकट्ठा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये आंकड़े सभा पटल पर रखे जा सकते हैं तथा इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो सूचना एकत्र करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) से (ग) इस संबंध में उल्लेखनीय है कि कोयला कम्पनियों से अपेक्षित सूचना अभी भी एकत्र की जा रही है। चूंकि कोयला कम्पनियों को यह सूचना क्षेत्रों से एकत्र करनी थी इसलिए इसमें कुछ और समय लग सकता है।

विलम्ब का कारण तो काम का स्वरूप ही है।

वाणिज्यिक संस्थापनाओं को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सुझाए गए मानदंड लागू करना

3826. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सुझाए गए मानदण्डों को वाणिज्यिक संस्थापनाओं को लागू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सुझाए गए मानदण्डों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने रोजगार, कार्य दशाएं, समाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, श्रम प्रशासन आदि जैसे अनेक विषयों पर कई अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को पारित किया है। इन में से कुछ अभिसमय, अन्य बातों के साथ-साथ, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं। इन दस्तावेजों के मूल-पाठ और इन पर की गई कार्यवाही या की जाने वाली प्रस्ताविक कार्यवाही को संसद के दोनों सदनों की मेज पर समय-समय पर रख दिया जाता है। इन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/श्रमिकों और नियोजकों के केन्द्रीय संगठनों को उचित कार्यवाही के लिए भेजा जाता है। । अभिसमय का अनुसमर्थन उस समय किया जाता है जब राष्ट्रीय कानून और प्रथाएं पूर्ण रूप से अभिसमयों के उपबन्धों के अनुसार होती है और अनुसमर्थित न किए गए अभिसमयों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

डाक एवं तार विभाग के अंतर्गत दैनिक मजूरी पर कार्य करने वाले मजदूरों को नियमित किया जाना

3827. **श्री निहाल सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तार विभाग और टेलीफोन एक्सचेंजों के अंतर्गत कार्यालयों में श्रेणी तीन और श्रेणी चार के अलग-अलग कितने कर्मचारी 7,5 और 3 वर्षों से दैनिक मजूरी के आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार नियमों के अंतर्गत कोई भी कर्मचारी जिसमें 240 दिनों से अधिक कार्य कर लिया है नियमित कर दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उन सभी कर्मचारियों को जिन्होंने 240 दिन से अधिक कार्य कर लिया है नियमित करने के लिए कदम उठाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रायल में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) शून्य। चूंकि श्रेणी-iii अथवा श्रेणी iv के पदों पर दैनिक मजदूरी आधार पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाती है। फिर भी, निर्माण एवं रखरखाव संबंधी कार्यों के लिए आकलन के आधार पर नैमित्तिक

मजदूरों की नियुक्ति दैनिक मजदूर आधार पर की जाती है और उनमें से कुछ ने 7 वर्ष, 5 वर्ष या 3 वर्ष नैमित्ति कमजदूर के रूप में पूरे कर लिए होंगे।

(ख) जी नहीं।

(ग) एवं (घ) मौजूदा नियमों के अनुसार निरंतर दो वर्ष तक प्रत्येक वर्ष 240 दिन की सेवा पूरी करने के बाद नैमित्तिक मजदूर नियमित रूप से खपाए जाने के पात्र होते हैं और ग्रुप 'घ' में रिक्त पद होने पर उनको वरिष्ठता क्रम में नियमित रूप से खपाने के प्रश्न पर विचार किया जाता है।

उड़ीसा में एस० टी० डी० सुविधा

3828. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली और विभिन्न राज्यों के जिला मुख्यालयों के बीच पर्याप्त एस० टी० डी० सुविधाए प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में उन जिला मुख्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण नगरों के नाम क्या हैं, जिन्हें एस० टी० डी० सुविधाओं के साथ जोड़ा गया है ; और

(ग) उड़ीसा में ऐसे जिला मुख्यालयों और नगरों के नाम क्या हैं जिन्हें छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क)-दिल्ली और विभिन्न राज्यों के जिला मुख्यालयों के बीच एस० टी० डी० सुविधाएं राष्ट्रीय उपभोक्ता डायल प्रणाली के पूरी तरह से लागू हो जाने-के पश्चात् ही व्यवहार्य हो सकेंगी। इस समय जिला मुख्यालयों और संबंधित राज्य की राजधानी के बीच एस० टी० डी० सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। जहा व्यवहार्य हो, वहां जिला मुख्यालयों को दिल्ली के साथ भी जोड़ा जाता है।

(ख) उड़ीसा के निम्नलिखित जिला मुख्यालयों और अन्य महत्वपूर्ण शहरों से दिल्ली के लिए एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है :— 1. कटक 2. भुवनेश्वर 3. राउरकेला

(ग) छठी योजना की शेष अवधि के दौरान उड़ीसा के और जिला मुख्यालयों या अन्य महत्वपूर्ण शहरों से दिल्ली के लिए एस० टी० डी० सुविधाएं प्रदान करने की संभावना नहीं है।

बोधघाट पन बिजली परियोजना

3829. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित बोधघाट पन बिजली परियोजना का निर्माण कार्य कब शुरू होगा।

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना में कितने गांवों और कितनी वन सम्पदा पर प्रभाव पड़ने की संभावना है ; और

(ग) उस परियोजना से प्रभावित लोगों को किस दर पर मुआवजा दिया जाएगा और उनके पुनर्वास के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) परियोजना पर निर्माण पूर्व कार्य चल रहे हैं तथा मुख्य संघटकों का पूरी तरह से निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान हाथ में लिया जाएगा।

(ख) इस परियोजना से 43 गांवों के प्रभावित होने की संभावना है इससे प्रभावित होने वाली वन संबंधी संपत्ति का अभी मूल्यांकन किया जाना है।

(ग) राज्य प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि विस्थापितों के पुनर्वास के लिए भूमि का पता लगाया जा रहा है। प्रभावित होने वाले लोगों को उनके लिए रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के लिए विभिन्न व्यवसाय में प्रशिक्षण देने की योजनाएं तैयार की जा रही हैं। लोगों को क्षतिपूर्ति का भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई दर के अनुसार किया जाएगा।

उड़ीसा के कालाहाडी जिले में शाखा डाकघरों और उप डाकघरों का खोला जाना

3830. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक और तार विभाग द्वारा 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में उड़ीसा के कालाहांडी जिले में कुल कितने शाखा डाकघर और उप-डाकघर मंजूर किए गए अथवा खोला जाना उचित पाया गया ;

(ख) क्या इन सभी स्थानों पर शाखा और उप डाकघर खोले जाएंगे ;

(ग) यदि नहीं, तो किन-किन स्थानों पर शाखा और उप-डाकघरों का खोला जाना उचित पाया गया अथवा खोले जाने की स्वीकृति दी गई लेकिन डाकघर खोले नहीं गए ; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं और उसके लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क)

81-82		82-83		83-84	
शाखा डाकघर	उप डकघर	शाखा डाकघर	उप डाकघर	शाखा डाकघर	उप डाकघर
2	—	2	1	6	3

(ख) सभी खोले जा चुके हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकनामिक रिसर्च द्वारा आवश्यक औषधियों के उत्पादन संबंधी अध्ययन

3831. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल काउ सिल आफ एप्लाइडइकनामिक रिसर्च के अध्ययन से पता चला है कि पिछले तीन वर्ष की अवधि, 1978-80 के दौरान 50 प्रतिशत परीक्षीधाधीन (मानीटर्ड) आवश्यक बल्क औषधियों का उत्पादन देश की आवश्यकताओं से कम था और 28 बल्क औषधियों का उत्पादन वास्तव में कम हो गया है; और

(ख) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) एन० सी० ए० ई० आर० के अध्ययन से यह पाया गया है कि 1980-81 और 1982-83 वर्षों के दौरान मानीटर की जाने वाली प्रपुंज औषधों की उत्पादन प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि लगभग 28 प्रपुंज औषधों के मामले में उत्पादन में वास्तव में कमी हुई है। 24 औषधों के मामले में वृद्धि दर 20 प्रतिशत से कम थी। इसी प्रकार मानीटर की जाने वाली प्रपुंज औषधों के 50 प्रतिशत से अधिक के संबंध में वास्तविक उत्पादन हमारी आवश्यकताओं से कम है। तथापि, कुछ औषधों के मामले में काफी वृद्धि हुई है जिन का औसत 50 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक बैठता है।

एन०सी०ए०ई० आर० के अध्ययन लघु उद्योग क्षेत्र में मानीटर की जाने वाले प्रपुंज औषधों के उत्पादन को लेखे में नहीं लिया गया है। संगठित क्षेत्र में कुछ अलग-अलग प्रपुंज औषधों तथा फार्मूलेशनों के उत्पादन में जहां कहीं कमी पायी गयी है, उसके लिये निम्नलिखित में से एक या अधिक कारणों को जिम्मेदार बताया गया है :—

(i) लघु उद्योग क्षेत्र में एककों से प्रतियोगिता।

(ii) नवीनतम औषधों से प्रतियोगिता तथा परिणामस्वरूप मांग में कमी।

(iii) औषध नियंत्रक (भारत) द्वारा कुछ मिश्रणों पर प्रतिबन्ध लगाया।

(iv) उत्पादन की उच्चतर लागत तथा आयातों से प्रतियोगिता।

स्वदेशी उत्पादन को बढाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(i) डी० जी० टी० डी० पंजीकरणों सहित बड़ी संख्या में औद्योगिक अनुमोदन स्वीकृत किए गए हैं।

(ii) सरकारी क्षेत्र में प्रपुंज औषधों तथा फार्मूलेशनों की क्षमता में विस्तार किया गया है।

(iii) उन्नत प्रौद्योगिकी को आरंभ करके उत्पादन में बाधाओं को हटाने, कच्चे माल की प्राप्ति तथा वर्तमान औषध एककों के सम्बन्ध में उपयोगिताओं की आपूर्ति के संबंध में सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) औद्योगिक लाइसेंसों तथा आशय-पत्रों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग की जाती है तथा ऐसे एककों के सम्बन्ध में कार्यान्वयन में कठिनाइयों, यदि कोई हो, की जाँच की जाती है।

(v) स्वत: वृद्धि की योजना को औषध उद्योग पर भी लागू किया गया है।

(vi) कुछ शर्तों के अध्यधीन, स्थापित क्षमताओं को मान्यता देने की योजनाओं तथा उच्चतर क्षमताओं को के पुनर्पृष्ठांकन सम्बन्धी योजनाओं को औषध उद्योग पर लागू किया गया है।

रामागुंडम परियोजना के लिए अधिग्रहीत भूमि और विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

3832. **श्री जी० भूपति** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के रामागुंडम संयंत्र के लिए कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया और किस प्रयोजन के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) कितनी भूमि किसी भी प्रयोग में नहीं ली जा रही है और इतने विशाल क्षेत्र का अधिगृहण करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन व्यक्तियों का पुनर्वास करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं जिनकी भूमि का अधिगृहण किया गया;

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत परियोजना के 9500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया

गया है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि का वर्तमान प्रयोग निम्नानुसार है :—

प्रयोजन	क्षेत्र एकड़ में
मुख्य संयंत्र तथा आनुषंगिक	1195
स्थायी टाउनशिप	668
अस्थाई टाउनशिप	167
राख पौण्ड	1100
हरित पट्टी	9
आक्सिडेसन पौण्ड	120
ईंटों का भट्टा	16
एम० जी० आर०	603
बेलेंसिग जलाशय तथा विद्युत नहर	5622
जोड़	9500

'ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित पुनर्वास समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने विस्थापित परिवारों को अप्पा-पूर्ण पुनर्वास अनुदान के रूप में 39 लाख रु० का भुगतान किया है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम विस्थापित परिवारों को भूमि के प्लाट भी आबंटित कर रहा है तथा जहाँ तक सम्भव होता है भू-विस्थापितों को रोजगार/व्यवसाय दे रहा है।

"डेसू" के अधिकारियों के बिजली बिलों में कम खपत दिखाया जाना

3833. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) के अधिकारियों के बिजली के बिलों को कम खपत दिखाई गई है;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि "डेसू" के अधिकारी उनके बिलों में दिखाई गई बिजली से काफी अधिक बिजली खर्च करते हैं; और

(ग) क्या सरकार ने अब इस मामले की जांच की है और यदि हां, तो "डेसू" के ऐसे अधिकारियों, जो बिजली की चोरी करते हैं; के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) से (ग) यह देखा गया था कि डेसू के कुछ अधिकारियों के बिलों में दिखाई गई बिजली की खपत असमान्य रूप से कम थी ? डेसू का सतर्कता विभाग मामले की जांच कर रहा है। रिपोर्ट के प्राप्त होने पर उप-युक्त कार्रवाई की जायेगी ।

कोयले का निर्यात

3835. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश-वार तथा वर्ष-वार विभिन्न देशों को कितने-कितने विवटल कोयले का निर्यात किया गया;

(ख) विभिन्न देशों से निर्यातित कोयले तथा विभिन्न किस्म के कोयले के प्राप्त होने वाले मूल्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि बंगलादेश को घरेलू खपत के लिए कोयले की आवश्यकता है तथा उस देश के साथ अच्छे व्यापार संबंधों को विकसित किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राज्यों में बिजली की दरें

3836. **श्री सत्यनारायण जटिया**
श्री पी० राजगोपाल नायडु } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत तीन वर्षों से चालू वर्ष 1983-84 तक राज्य वार विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को सप्लाई की गई बिजली वर्ष-वार दरें क्या थी ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को 1980 (1.4.1980 की स्थिति के अनुसार), 1981 (1.4. 1981 की स्थिति के अनुसार), 1982 (1.4.1982 की स्थिति के अनुसार), 1983 (1.4.1983 की स्थिति के अनुसार), 1984 (1.3.1984 की स्थिति के अनुसार) के दौरान सप्लाई की गई बिजली की राज्यवार औसत दरों को दिखाने वाला विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया—देखिए संख्या एल० टी० 7987/84]

भारतीय चलचित्रों का निर्यात

3837. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक निर्यात किये गये चलचित्रों की वर्ष-वार संख्या कितनी है, प्रत्येक चलचित्र का मूल्य क्या है और उक्त अवधि के दौरान इन चलचित्रों के वीडियो अधिकारों की बिक्री से कितनी आमदनी हुई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक फिल्मों/वीडियो अधिकारों के निर्यात के बारे में ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	निर्यात की गई फिल्मों की संख्या	निर्यात का मूल्य (लाख रुपयों में)	वीडियो अधिकारों का निर्यात	
			फिल्मों की संख्या	मूल्य (लाख रुपयों में)
1980-81	1712	1507	—	—
1981-82	1657	1455	24	16
1982-83	1281	1151	130	103
1983-84	939	786	181	151

प्रोद्योगिकी और जन संचार क्षमताओं के बारे में गोष्ठी

3838. **श्री नवीन रावणी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई प्रौद्योगिकियों और जन संचार क्षमताओं के बारे में हाल ही में नई दिल्ली में एक दो दिवसीय गोष्ठी हुई थी;

(ख) इस गोष्ठी में किन-किन देशों ने भाग लिया; और

(ग) गोष्ठी में हुए विचार-विमर्श और उसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां। सरकार ने नई दिल्ली में 1 और 2 मार्च, 1984 को आयोजित, उपर्युक्त विषय पर दो दिन के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में जारी रिपोर्टों को देखा है। यह सम्मेलन, अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन, कार्यकारी पत्रकार महासंघ और राष्ट्रीय पत्रकार संघ के सहयोग से भारतीय विज्ञान विकास संगठन ने बुलाया था।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय को इस सम्मेलन में शामिल नहीं किया गया था। इस तरह की विस्तृत जानकारी के बारे में मंत्रालय को सम्बद्ध नहीं रखा गया था। हाल ही में संगठन से केवल एक संक्षिप्त रिपोर्ट मिली है।

मध्य प्रदेश में आकाशवाणी केंद्रों का दर्जा बढ़ाया जाना

3839. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में 1984-85 के वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ आकाशवाणी केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने के लिये कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त वित्तीय वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापित किन-किन आकाशवाणी केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने संबंधी कार्यक्रम के अन्तर्गत बढ़ाया जायेगा; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) आकाशवाणी केन्द्रो का दर्जा बढ़ाए जाने की स्कीमों को पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल किया जाता है और उन्हें परस्पर प्राथमिकता/धनराशि, आदि के आधार पर कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिया जाता है।

(ख) और (ग) जहां तक मध्य प्रदेश राज्य का संबंध है, आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र की शक्ति 20 किलोवाट मीडियम वेव से बढ़ाकर 100 किलोवाट मीडियम वेव करने का प्रस्ताव है। नया ट्रांसमीटर लगाने का काम मुकम्मल हो गया है और उसके शीघ्र चालू हो जाने की उम्मीद है। इसके अलावा, एक स्थायी स्टूडियो भी जबलपुर में स्थापित किया जाएगा।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गांवों की विद्युतीकरण सम्बन्धी प्रगति

3840. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम संबंधी कोई अध्ययन आयोजित किया है;

(ख) क्या कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा मध्य प्रदेश में कोई ऐसा अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में सर्वेक्षण की अवधि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित गांवों में विद्युतीकरण के मामले में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश सहित 19 राज्यों में अध्ययन किया गया था।

(ग) और (घ) योजना आयोग द्वारा किया गया अध्ययन विशिष्ट रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी के लिए नहीं था बल्कि सभी वर्गों की ग्रामीण जनसंख्या

का एक सामान्य प्रकार का अध्ययन था। अध्ययन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आबादी वाले गांवों में हुई प्रगति का मूल्यांकन करने की दृष्टि से नहीं किया गया था बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विद्युतीकरण के विभिन्न श्रेणी के लाभ प्राप्त करने वालों और लाभ न प्राप्त करने वालों की समस्याओं का पता लगाने के लिए किया गया था। अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है कि कमजोर वर्गों को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए समुचित नीतियां तैयार करने और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है ताकि वे भी बिजली के लाभ उठा सकें।

जहां तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति द्वारा आबाद गांवों में ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति का संबन्ध है 31.1.84 तक 9416 गांवों में हरिजन बस्तियां विद्युतीकृत कर दी गई हैं। राज्य में कुल 28953 आदिवासी गांवों में से 31.3.83 तक 8,284 आदिवासी गांव विद्युतीकृत कर दिए गए हैं। योजना आयोग के अध्ययन से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में 37 चुने गए विद्युतीकृत गांवों में से 24 गांवों में 25% से कम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या थी, 8 गांवों में 25% से 50% तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या थी तथा शेष 5 गांवों में 50% से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या थी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में टेलीविजन के लिए विशेष योजना

3841. **श्री संतोष मोहन देव :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में टेलीविजन के लिए कोई विशेष योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में (श्री एच० के० एल० भगत) (क) से (ग) : जी, हां। सरकार का इस क्षेत्र में सीमित कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं के साथ, 10 किलोवाट, 1 किलोवाट और 100 वाट के कुछ ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। समूची परियोजना को 1985-86 तक कार्यान्वित कर दिये जाने की उम्मीद है।

मंगलौर में एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना के संबन्ध में कर्नाटक सरकार के साथ विचार-विमर्श

3842. **श्री के० मालन्ना :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के संबंध में कर्नाटक सरकार के साथ कोई विचार विमर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त विभार-विमर्श के क्या परिणाम निकले हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने मंगलौर में प्रस्तावित तेल शोधक कारखाने के लिये स्थल चयन, भूमि की उपलब्धता, भूमि परीक्षण, कच्चे जल की सप्लाई आदि के लिए कर्नाटक सरकार के अधिकारियों और उस सरकार की विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ

विचार-विमर्श किया। इन विचार विमर्शों के द्वारा प्राप्त की गई सूचना को परियोजना के लिए संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिये प्रयोग में लाया गया है।

दूरसंचार मंडल, केरल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के इंजीनियरों की भर्ती की प्रतिशतता

3843. **श्री ए० नीला लोहित दसन नाडार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल दूरसंचार मंडल में 1984 के दौरान कितने जूनियर इंजीनियर भर्ती किए गए और उनमें से कितने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के थे;

(ख) कितने टेलीग्राफिस्ट, वायरलैस आपरेटर, टेलीफोन आपरेटर और तकनीशियन भर्ती किए गए और उनमें से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के थे;

(ग) केरल दूरसंचार मंडल में विभिन्न पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्तियों की निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार भर्ती न किए जाने के क्या कारण है; और

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार भर्ती करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) 1983 में भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

संवर्ग का नाम	भर्ती किये गए व्यक्तियों की संख्या		
	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
(एक) जूनियर इन्जीनियर	56	4	1
(दो) टेलीग्राफिस्ट	69	6	4
(तीन) वायरलैस आपरेटर	13	—	13
(चार) तकनीशियन	231	21	7
(पाच) टेलीफोन आपरेटर	187	18	14

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की श्रेणी में कमी होने के निम्नलिखित कारण हैं :

(1) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के पात्र प्रत्याशी पर्याप्त संख्या में आवेदन नहीं करते हैं; और

(2) चुने गए अनेक कर्मचारी नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते हैं।

(घ) जब भी कमी होती है तो केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए अतिरिक्त भर्ती की जाती है।

दूरसंचार सर्किल केरल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की पदोन्नति

3844. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के दूरसंचार सर्किल में विभागीय समितियों के जरिए कितने कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया और कितनों को स्थायी किया गया;

(ख) उनमें से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के किसी व्यक्ति को विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा पदोन्नति अथवा स्थायी किए जाने से वंचित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल): (क) 1983 के दौरान विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा 476 कर्मचारी पदोन्नत किये गये तथा 645 कर्मचारियों की पुष्टि की गई।

(ख) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या क्रमश: 74 एवं 13 है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्रमश: 82 एवं 14 कर्मचारियों की पुष्टि की गई।

(ग) अनुसूचित जाति के 20 कर्मचारियों को पदोन्नत नहीं किया गया क्योंकि वे अपेक्षित स्तर के योग्य नहीं पाए गए। अनुसूचित जाति के तीन तथा अनुसूचित जनजाति के एक कर्मचारी की पुष्टि नहीं की गई क्यों कि वे अनुपयुक्त समझे गये।

(घ) उनकी असंतोषजनक सेवा रिकार्ड के कारण ऐसा करना पड़ा।

बिहार शरीफ टेलीफोन एक्सचेंज में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिये प्रतीक्षा सूची

3845. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य में नालन्दा जिले के अन्तर्गत बिहार शरीफ टेलीफोन एक्सचेंज में एक वर्ष पहले पांचवां बोर्ड स्थापित किया गया है तथा अन्तिम क्षमता (एक्सेप्टेंस) परीक्षण भी पूरा हो चुका है;

(ख) क्या यह सच है कि नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिये अनेक आवेदन पत्र लम्बे समय से लंबित पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो नए कनेक्शनों सम्बन्धी प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने में हो रहे इस असामान्य विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) 7-2-84 को प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या 88 है। सबसे पुराने आवेदन की तारीख 17-6-1981 है।

आखिरी आवेदन की तारीख 7-2-1984 है।

(ग) इसके लिये अतिरिक्त भूमिगत केबिलें बिछाई जानी हैं। परियोजना प्राक्कलन को मंजूरी दी जा रही है। कार्य को शीघ्र ही पूरा किया जाएगा।

वीडियो आडिटोरियमों की स्थापना

3846. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेटवर्क टेलीकाम्युनिकेशन सिस्टम नामक एक कम्पनी का विचार समूचे देश में लगभग 10,000 नये वीडियो आडिटोरियमों की स्थापना हेतु, अनिवासियों को मदद से लगभग 40 करोड़ रुपये की पूंजी लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार की अनुमति ले ली गई है;

(ग) ऐसे क्षेत्रों का ब्योरा क्या है, जिन्हें इस कार्यक्रम का लाभ मिलेगा; और

(घ) ये कब से काम करना शुरू कर देंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) सरकार को इस
कारी नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

नई औषध निर्माण यूनिटों की स्थापना

3847. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्तीय संस्थाएं कठोर मूल्य नियंत्रण की विशिष्टाओं तथा मूल्य वृद्धि के अनुमोदन में अत्यधिक देरी के कारण नये औषध उत्पादन एककों की स्थापना में अपना सहयोग नहीं दे रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी नहीं। सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिस किसी औषध उत्पादक एकक को इस आधार पर वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई हो कि औषध उद्योग पर कड़ा मूल्य नियंत्रण है। इसके विपरीत, अनेक आवेदन-पत्रों उदाहरणार्थ 6-ए पी ए को, इस मन्त्रालय के परामर्श से अनुमति प्रदान कर दी गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गत तीन वर्षों के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किराये पर लिये गये उपकरण

3848. **श्री सुभाष चंद्र बोस अल्लूरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किराये पर लिये गये विभिन्न उपकरणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक उपकरण के लिये पृथक-पृथक कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(ग) क्या इन उपकरणों को किराये पर लेने से पहले इनको खरीदने के संबंध में विचार किया गया था, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने तटीय क्षेत्रों के लिये कोई प्रमुख उपकरण किराये पर नहीं लिया है। दिसम्बर, 1983 तक कूप लागिंग सेवाओं के लिए, जिनका तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने संविदा आधार पर उपयोग किया था, 7.10 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा जारी की गयी थी। जहां तक अपतटीय क्षेत्रों का सम्बन्ध है, पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अवधियों के लिये निम्नलिखित मुख्य उपकरणों को किराये पर लिया गया था :

उपकरण	करोड़ रुपयों में
1. ड्रिलिंग पालेरिन	12.63
2. जैक-अप शिनन्दोह, ड्रिल—बार्ज गैटिस बर्ग	56.45
3. रिग डब्लू० टी० एडम्स	70.47
4. ड्रिलशिप सेडको—445	91.45
5. जैक—अप रिग ट्रिटोन—11	31.89
6. रिग ग्रिफिन एलेक्जेन्डर	31.89
7. रिग शिशॉन इत्जा	34.37
8. रिग बॉनिटो—1	9.97 (जारी ···)

9. रिग डिक्सिलिन फील्ड - -95	15.44
10. स्वायर पैसिफिक हांग कांग से एम० एस० वी०	27.70
11. फायर फाइटिंग वेसल	3.71
12. सप्लाई वेसल	83.59

(ग) उपकरण तभी किराये पर लिये जाते है जब इनको खरीदना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य न हो या डिलीवरी प्राप्त करने में लगने वाला समय (लीड टाइम) बहुत अधिक हो या नवीनतम प्रौद्योगिकी बिक्री के लिये उपलब्ध न हो।

कडकांचग स्थित वन श्रमिक शिविर को बिजली की सप्लाई

3849. **श्री अजित बाग** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में कडकांचग में स्थिति वन श्रमिक शिविर को बिजली की सप्लाई के लिए क्या कदम उठाए गए है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात के सामुदायिक विकास खडों को टी० वी० सेटों की सप्लाई

3850. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के प्रत्येक जिले में कितने सामुदायिक विकास खंड काम कर रहे हैं;

(ख) क्या ऐसे सामुदायिक विकास खंडों को टी० वी० सेट सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव है, जो टी० वी० ट्रांसमीटर की रेंज में है;

(ग) यदि हां, तो गुजरात राज्य में ऐसे कितने खंड हैं;

(घ) ऐसे कितने खंड है जिन्हें यह सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है; और

(ङ) क्या सरकार उप खंडों के लिए भी टी० वी० सेटो की व्यवस्था करेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसका सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

सभी प्रमुख टेलीफोन केंद्रो में इन-हाउस कम्प्यूटर लगाना

3851. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सभी प्रमुख टेलीफोन केन्द्रों में टेलीफोन प्रणाली की सेवाओं में उपयोग के लिए डाइरेक्टरी नियंत्रण की तरह इन हाउस कम्प्यूटर लगाने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी बड़े टेलीफोन जिलों अर्थात् अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलूर, कानपुर एवं पूना में इन-हाउस कम्प्यूटर शुरू करने की सरकार की योजना है। महानगरीय टेलीफोन जिलों में इन-हाउस कम्प्यूटर सुविधा शुरू करने की योजना पर कार्रवाई की जा रही है।

(ख) निम्नलिखित कार्यों के लिए कम्प्यूटर सुविधा अपनाने का प्रस्ताव है :—

(एक) टेलीफोन बिल तैयार करना

(दो) टेलीफोन डाइरेक्टरी पूछताछ

(तीन) डाइरेक्टरी संकलन एवं मुद्रण

(चार) वाणिज्यिक रिकार्ड

(पांच) केविल रिकार्ड

(छः) दोष नियंत्रण प्रणाली

'दीपावली' के अवसर पर अनेक प्रकार के दीप दर्शाने वाले डाक-टिकट जारी करना

3852. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "दीपावली समारोह, 1985" के अवसर पर अनेक प्रकार के दीप दर्शाने वाले विशेष डाक-टिकट जारी करने सम्बन्धी सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) ये सुझाव कब प्राप्त हुये और किससे प्राप्त हुये; और

(ग) इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल): (क) से (ग) जी नहीं। "दीपावली समारोह, 1985" के अवसर पर दीपों पर विशेष डाक टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, इस सम्बन्ध में श्री सी० आर० परांजपे से 1979 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, किन्तु यह वर्ष 1985 के लिए नहीं था। इस प्रस्ताव को फिलैटली सलाहकार समिति के समक्ष रखा गया था परन्तु इसकी सिफारिश नहीं की गई।

खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों की कमी

3853. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि और भी लाखों घरेलू उपभोक्ताओं की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए खाना पकाने की गैस की पर्याप्त सप्लाई उपलब्ध है, तथापि ऐसा करना इसलिए संभव नहीं हो रहा है क्योंकि खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों की भारी कमी है;

(ख) यदि उपलब्ध खाना पकाने की गैस को सिलेण्डरों में भरकर उसकी सप्लाई की जाये, तो अनुमानतः कितने अतिरिक्त सिलेण्डरों की आवश्यकता होगी; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या विशिष्ट योजना है कि खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों की कमी खाना पकाने की गैस की सप्लाई में बाधा नहीं पहुंचायें, जबकि पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) आगामी तीन वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 50 लाख सिलेंडरों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

(ग) सिलेण्डरों के उत्पादन के लिए देश में पर्याप्त क्षमता पंजीकृत की गई है। एक अनवरत ढंग से उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तेल उद्योग ने सभी अनुमोदित सिलेंडर निर्माताओं को दीर्घावधि आर्डर दे दिए हैं। एल० पी० जी० इस्पात की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये गये हैं।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन फिल्में

3854. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय भाषाओं के फिल्मों के विकास के लिये राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और राज्यों के फिल्म विकास निगम ने क्या भूमिका निभाई है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या है जिन्होंने फिल्म निर्माण को एक उद्योग घोषित किया है और उन्होंने फिल्म निर्माण हेतु क्या सुविधायें दी है और किस किस्म का बुनियादी ढाचा तैयार किया है;

(ग) यदि इन राज्यों द्वारा किये गये प्रयासों से फिल्म निर्माण के लिए स्वस्थ वातावरण तैयार हो रहा है तो क्या उनका मन्त्रालय अन्य राज्यों पर भी फिल्म निर्माण को उसी ढंग से एक उद्योग घोषित करने पर बल देगी; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और राज्य सरकारों द्वारा निर्मित और निर्माणाधीन फिल्मों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का एक मुख्य उद्देश्य देश में अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देने और विकसित करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निगम अच्छी गुणवत्ता वाली फिल्में तथा सिनेमाघर बनाने के लिए ऋण देता है। राज्य फिल्म विकास निगम, जहां भी बने हुए हैं, भी विभिन्न भाषाओं की अच्छी गुणवत्ता वाली फिल्मों के निर्माण तथा वितरण को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं।

(ख) अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार, तीन राज्य सरकारों अर्थात् उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान ने फिल्म निर्माण को उद्योग के रूप में घोषित किया है। इन राज्यों में फिल्म उद्योग अब वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधाओं तथा अन्य उन प्रोत्साहनो को प्राप्त कर सकते हैं जो अन्य लघु उद्योगों को उपलब्ध हैं।

(ग) इन राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों से फिल्म निर्माण में स्वस्थ विकास हो रहा है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से फिल्म निर्माण को उद्योग के रूप में घोषित करने की अनुशंसा पहले ही कर चुकी है।

(घ) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन फिल्मो के नाम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा निर्मित फिल्मों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

विवरण

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के ऋणों से वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान मुकम्मल हुई फिल्मों की सूची।

1982-83

फीचर फिल्में

1. तेसार देश	—	बंगला
2. अपरूपा	—	बंगला
3. फणियम्मा	—	कन्नड़
4. प्रतिशोध	—	हिन्दी
5. पहला अध्याय	—	हिन्दी
6. अल्बर्ट पिन्टो को गुस्सा क्यों आता है	—	हिन्दी
7. एन० अगस्त रिक्वीम	—	अंग्रजी

(जारी...)

डाकुमैंट्री फिल्में

1. हिन्दुस्तान हमारा	—	हिन्दी
2. कनफैशन एट बस स्टाप	—	अंग्रेजी
3. फूड एडल्ट्रेशन	—	अंग्रेजी

1983-84

फीचर फिल्में

1. अर्ध सत्य	—	हिन्दी
2. त्रिकोण का चौथा कोण	—	हिन्दी
3. अभिलाषा	—	उड़िया
4. माया मृग	—	उड़िया
5. निरब झादा	—	उड़िया
6. मेरी कहानी	—	हिन्दी

डाकुमेंट्री फिल्में

1. हैल्प योरसैल्फ	—	अंग्रेजी
2. महबूब नगर डि०	—	तेलुगु

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के ऋणों से निर्माणाधीन फिल्मों की सूची।

फीचर फिल्में

1. जोशी हाजिर है	—	हिन्दी
2. महानन्दा	—	हिन्दी
3. अश्व मेघार घोड़ा	—	हिन्दी और बंगला
4. एक टी जीवन	—	बंगला

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के 100% वित्त पोषण से 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान मुकम्मल हुई फिल्मों की सूची।

फीचर फिल्में

1. अत्याचार	—	मराठी
2. जाने भी दो यारो	—	हिन्दी
3. आदि शंकराचार्य	—	संस्कृत
4. गोदाम	—	हिन्दी
5. तरंग	—	हिन्दी

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन-कर्ताओं द्वारा जमा की गई धनराशि पर ब्याज का भुगतान

3855. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न महानगरों में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने लोगों के नाम है;

(ख) क्या सरकार का विचार टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन-कर्ताओं द्वारा जमा धन-राशि पर ब्याज देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिये क्या प्रणाली निर्धारित की गई है तथा आवेदन-कर्ताओं को ब्याज देने की ऐसी नई व्यवस्था कब से लागू होने की आशा है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) :(क) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) जी हां ।

(ग) नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए अग्रिम जमा पर ब्याज उसकी जमा की तारीख से टेलीफोन कनेक्शन लगने के तत्काल पहले की तारीख तक की अवधि के लिए दिया जाता है। यह ब्याज एक वर्ष की अवधि के लिए की गई जमा पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिए जा रहे ब्याज की दर पर जमा की तारीख से पूरे महीनों के लिए जमा की तारीख पर लागू दरों पर दिया जाता है। यह योजना 1-9-1975 से प्रारम्भ की गई थी तथा उसमें 9-6-1981 से कुछ संशोधन किया गया था।

हिमाचल प्रदेश में विभागीय उप-कार्यालयों का कार्यभार

3856. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या संचार मंत्री 18 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न सं० 3360 के उत्तर (इस सन्दर्भ में कि "डी० एम० ओ०" से अभिप्राय विभागीय उप डाक-घर से है न कि डिवीजनल उप कार्यालय से, जैसा कि पिछले प्रश्न में छपा था) के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले संगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित विभागीय उप कार्यालयों का कार्यभार क्या है :—

(i) झंडूटा (जिला बिलासपुर); (ii) मोरंज (जिला हमीरपुर), (iii) चनौर (तहसील देहरा, जिला कांगड़ा) और (iv) देहलन (जिला ऊना); और

(ख) डाक कार्य प्रभार के भिन्न रूप में उनके पी० जी० ओ० । सी० ओ० के रूप में कार्य करने के कार्यभार के सही आंकड़े क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

क्र० सं० डाकघर का नाम	कुल दैनिक कार्यभार			डाक कार्यभार			सार्वजनिक टेलीफोन घर संयुक्त डाक तार का कार्यभार		
	घंटे	मिनट	सैकंड	घंटे	मिनट	सैकंड	घंटे	मिनट	सैकंड
1. झंडूटा (जिला बिलासपुर)	11	55	15	11	19	27	—	35	48
2. भोरंज (जिला हमीरपुर)	28	25	50	26	46	54	1	38	56
3. चनौर (जिला कांगड़ा)	5	51	53	5	45	11	—	6	42
4. देलहन (जिला ऊना)	14	29	32	14	3	53	—	25	39

हिमाचल प्रदेश के विलासपुर जिले में स्वरघाट में 5+7 डी एक्स प्रणाली

3857. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के विलासपुर जिले में स्वरघाट में लगाई गई 7+5 डी एक्स प्रणाली संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे इस बीच सार्वजनिक प्रयोग के लिये चालू कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो किस तारीख से इसे प्रारम्भ किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसे किस तारीख से प्रारम्भ किये जाने की संभावना है; और

(ङ) इस प्रणाली की मुख्य विशेषतायें क्या हैं तथा इसकी लागत कितनी है और किस तारीख को यह स्थापित की गई तथा किस तारीख से इस पर परीक्षण हो रहे हैं ।

संचार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) स्वरघाट में 7+5 डी एक्स प्रणाली 6.2.1984 से संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है ।

(ख) जी नहीं । प्रणाली के कार्य निष्पादन की जांच की जा रही है ।

(ग) उपर्युक्त (ख) को मद्देनजर रखते हुए लागू नहीं होता ।

(घ) इस प्रणाली के शीघ्र ही चालू किए जाने की संभवना है बशर्ते कि इसका कार्य निष्पादन संतोषजनक हो, जिसकी जांच की जा रही है ।

(ङ) यह एक वी० एच० एफ० प्रणाली है जिसकी क्षमता 7स्पीच और 5 तार चैनल की है । इसकी अनुमानित लागत 4 05 लाख रुपये है । 30-9-83 से इस प्रणाली का परीक्षण किया जा रहा है । देश में पहली बार विकसित क्षेत्रीय परीक्षण उपस्कर होने के कारण इस प्रणाली के कार्य निष्पादन की तब तक जांच की जाएगी जब तक वह संतोषजनक सिद्ध न हो ।

हिमाचल प्रदेश में कुछ डाकघरों में डाक वितरण में विलम्ब

3858. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार प्राधिकारियों को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में देहरा तहसील के कुछ डाक घरों, विशेषकर रक्कर, गार्ली और परागपुर में जिला मुख्यालयों में डाक छांटाने की नई प्रणाली अपनाये जाने अथवा सम्पूर्ण जिले को एक यूनिट मानने के परिणामस्वरूप डाक वितरण और प्रेषण में हो रहे विलम्ब के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार हेतु विभाग द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या स्थिति सामान्य बनाने के लिये (एक) रक्कर और होशियारपुर (दो) गार्ली/परागपुर और होशियारपुर के बीच सीधे डाक बैग भेजा जाना प्रारम्भ किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो इसे किस तारीख से प्रारम्भ किये जाने की आशा है ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) संशोधित डाक प्रबन्धों के अन्तर्गत डाक पारगमन एवं वितरण में कोई विलम्ब नहीं होता ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस समय ऐसे सीधे-डाक थैले आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर तथा उत्तर प्रदेश में संचार उपस्करों की कमी

3859. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार मन्त्री** हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर तथा उत्तर प्रदेश में संचार उपस्करों की कमी के बारे में 31 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3359 के विशेषकर भाग (ख), (ग) और (घ) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण और पिछले क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देने हेतु वास्तविक विभागीय मार्गनिर्देश क्या है;

(ख) ऐसे क्षेत्रों के लिए पश्चिमोत्तर दूर संचार मंडल द्वारा वस्तुतः क्या प्राथमिकता दी गई है; और

(ग) लाइन स्टोर और स्विच सम्बंधी उपस्करों की, जिनकी कि कमी पाई गई है, सप्लाई करने के लिए "बड़ी संख्या में" किन-किन फर्मों को आर्डर दिए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 5000 या अधिक जनसंख्या वाले तथा पिछड़े/पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 या अधिक जनसंख्या वाले स्थानों पर यह सुविधा अनुबन्ध-एक एवं दो में दी गई शर्तों के अनुसार उत्तरोत्तर प्रदान की जाएगी।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल०टी० 7988/84]

(ख) उपर्युक्त मार्ग निर्देशनों के अनुसार उत्तर-पश्चिमी दूरसंचार सर्किल द्वारा प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) जहां तक लाइन संबंधी भंडार का प्रश्न है, यू-वैक तथा स्टाक, जिनकी सप्लाई अपर्याप्त थी, के लिए अनुबन्ध तीन में दी गई फर्मों को आर्डर दिए गए थे। स्विचन उपस्करों के लिए मैसर्स आई०टी०आई० लि० को स्वचल स्विचन उपस्कर तथा दूरसंचार फैक्ट्रियों को हस्तचल स्विचन उपस्कर के लिए पहले ही आर्डर दे दिए गए हैं।

विभिन्न मजदूर संघों की संख्या निर्धारित किए जाने का तरीका

3860. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मजदूर संघों के प्रतिनिधियों ने उनसे भेंट की और बताया कि विभिन्न मजदूर संघों की संख्या का निर्धारण का तरीका बिल्कुल मनमाना और गैर लोकतन्त्रात्मक है; और

(ख) यदि हां, तो मजदूर संघों की शिकायतें दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) ट्रेड यूनियनों की, जिसमें सेन्टर आफ इण्डियन ट्रेड यूनियन, आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय मजदूर संघ, हिंद मजदूर सभा, ट्रेड यूनियन कार्डिनेशन सेन्टर यूनाइटिड ट्रेड यूनियन कांग्रेस और यूनाइटिड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एल०एस०) आदि शामिल है, राष्ट्रीय प्रचार समिति ने श्रम मन्त्री के साथ बैठक के लिए अनुरोध किया। ताकि मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा किए गए केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन की सदस्य संख्या को सत्यापन तथा ट्रेड यूनियनों द्वारा स्वयं सत्यापन प्रक्रिया के बारे में उठाई गई आपत्तियों पर विचार-विमर्श किया जा सके। श्रम मन्त्री भी उनसे मिलने के लिए सहमत हो गए हैं।

चालू कोयला खदानों के कोयले की किस्म की नियमित जांच के लिए एक निकाय की स्थापना का प्रस्ताव

3861. **श्री के० प्रधानी**
श्री सनत कुमार मंडल } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू कोयला खदानों के कोयले की किस्म की नियमित जांच और कोयला उत्पादकों द्वारा निर्धारित श्रेणियों की जांच और पुनर्जांच के लिए कोयला बोर्ड की तरह के एक निकाय की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विस्तृत रूपरेखा क्या है; और

(ग) इस निकाय में उत्पादकों, तकनीकी विशेषज्ञों, उपभोक्ताओं आदि जैसे विभिन्न हितों को किस प्रकार प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) उपभोक्ताओं को कोयला कंपनियों द्वारा सही किस्म के कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें कोलियरी नियन्त्रण आदेश, 1945 में संशोधन करके कोयला नियंत्रक को 8-3-1984 को यह शक्ति देना शामिल है कि वह या तो अपने आप ही अथवा कोई विवाद उठने पर कोयले का नमूना लें, कोयले के ग्रेड की जांच कराने का प्रबन्ध करें, कोलियरियों में कोयले की सीमों के ग्रेडों का सत्यापन करें, उन्हें निश्चित करें और घोषित करें। ऐसे मामलों में कोयला नियंत्रक का निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

शार्ट वेव प्रसारण में अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए कार्यवाही

3862. **श्री के० प्रधानी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने रेडियो प्रसारण के लिए इलेक्ट्रोमेग्नेटिक स्पेक्ट्रम के शार्ट-टर्म सेगमेंट के उपयोग के आयोजना और विनियमन के लिए कतिपय तकनीकी मानकों और तरीकों की सिफारिश की है (21 फरवरी, 1984 का फाइनेन्शियल एक्सप्रेस); और

(ख) यदि हां, तो विकसित देशों द्वारा बड़ी संख्या में फ्रीक्वेंसियों और शक्तिशाली ट्रांसमीटरों के प्रयोग के फलस्वरूप शार्ट वेव प्रसारण में अव्यवस्था को समाप्त करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन से प्रमुख कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) भारत ने सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन में प्रस्ताव रखा था कि विश्वसनीयता का उचित स्तर बनाए रखने के लिए अभिग्रहण क्षेत्र विशेष में प्रसारण सेवाओं के लिए प्रयुक्त आवृत्तियों की संख्या न्यूनतम और सामान्य रूप से एक क्षेत्र के लिए एक तक सीमित होनी चाहिए। इसे सम्मेलन ने स्वीकार कर लिया है। भारत ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि पारेषित्र शक्ति तकनीकी औचित्य से अधिक नहीं होनी चाहिए और यह उचित होगा कि ऐसी शक्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित हो। सम्मेलन में तकनीकी आधार पर पारेषित्र के लिए अपेक्षित शक्ति का निर्धारण सिद्धान्त रूप से मान लिया गया किंतु इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में सहमति नहीं हो सकी। भारत सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन के दौरान 1986 में प्रयास करेगा कि सभी देशों को सन्तुष्ट करने वाली योजना स्वीकार हो ताकि लघु तरंग पट्टियों में वर्तमान अव्यवस्था को समाप्त किया जा सके।

मताधिकार की आयु कम किया जाना

3863. **श्री मोहन लाल पटेल : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने अपने निगम निर्वाचनों में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी है;

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन से हैं;

(ग) उन्होंने मताधिकार की यह आयु कब से कम कर दी है; और

(घ) क्या सरकार का विचार देश भर में साधारण निर्वाचन के पहले मताधिकार आयु कम करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) नगर निगमों, स्थानीय निकायों, आदि के निर्वाचन कराने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, निम्नलिखित राज्य सरकारों ने पंचायतों/स्थानीय निकायों/नगर पालिकाओं आदि के निर्वाचनों के लिए नीचे उपदर्शित विस्तार तक मताधिकार की आयु में कमी की है :—

क्रम सं०	राज्य का नाम	पंचायतों और नगरपालिका निकायों के निर्वाचनों के लिए आयु कम की गई
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	स्थानीय निकाय
2.	मध्य प्रदेश	स्थानीय निकाय
3.	तमिलनाडु	स्थानीय निकाय
4.	कर्नाटक	स्थानीय निकाय
5.	हिमाचल प्रदेश	स्थानीय निकाय
6.	त्रिपुरा	नगरपालिका
7.	पश्चिमी बंगाल	नगरपालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम
8.	उत्तर प्रदेश	नगरीय स्थानीय निकाय
9.	गुजरात	पंचायत
10.	बिहार	पंचायत
11.	केरल*	नगरपालिका/नगर निगम

*(राज्य सरकार से 1980 में प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार)

(ग) गुजरात राज्य को छोड़कर, जिसने सूचित किया है कि उसने पंचायतों के निर्वाचनों के लिए 9 मार्च, 1978 से मताधिकार की आयु में कमी की है, अन्य राज्यों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, उनसे जानकारी प्राप्त करनी होगी।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विश्व प्रशासकीय रेडियो सम्मेलन

3864. **श्री मोहन लाल पटेल**
श्री चिंतामणि जेना } : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जिनेवा में विश्व प्रशासकीय रेडियो सम्मेलन हुआ था;

(ख) इसमें कितने देशों ने भाग लिया था;

(ग) इसमें भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधियों के क्या नाम हैं;

(घ) क्या यह सच है कि विकसित देश इस बात पर पहली बार सहमत हुए, जिसका कि भारतीय प्रतिनिधि ने रहस्योद्घाटन किया, कि रेडियो प्रसारण के लिए शार्ट वेव बैंड का योजना-बद्ध आवंटन हो;

(ङ) उक्त योजना को भारत में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) इस सम्मेलन में किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया और किन-किन मदों पर सहमति हुई ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां। प्रसारण प्रणाली के लिए उच्च आवृत्ति पट्टियों की योजना से संबंधित विश्व प्रशासनिक रेडियो सम्मेलन (वि० प्र० रे०स०-उ०आ०बै०स०) का पहला अधिवेशन हाल ही में जिनेवा में हुआ।

(ख) इसमें 115 देशों ने भाग लिया।

(ग) संचार मंत्रालय में भारत सरकार के बेतार सलाहकार, श्री टी० वी० श्रीरंगन के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल के सदस्य निम्नलिखित थे :—

डॉ० एम०के० राव, भारत सरकार के संयुक्त बेतार सलाहकार श्री बी० चौधरी, भारत सरकार के सहायक बेतार सलाहकार	संचार मंत्रालय
श्री पी०एस० घगत, प्रमुख इन्जीनियर श्री ओ०पी० खुशू, मुख्य इन्जीनियर श्री एच०पी० अग्रवाल, निदेशक (इन्जीनियरी) श्री रत्न चक्रवर्ती, सहायक अनुसंधान इन्जीनियर	आकाशवाणी (सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय)
श्री एम० लाल, पार्षद श्री एम० सेठ, तृतीय सचिव	जिनेवा में भारत का स्थायी मिशन (विदेश कार्य मंत्रालय)

(घ) यह पहली बार है कि विकसित और विकासशील देश, सम्मेलन के दूसरे सत्र में जो 1986 में होगा, लघु तरंग पर प्रसारण की योजना बनाने के लिए ऐसी योजना के सिद्धांत/तरीकों को तय करने के लिए सहमत हुए हैं।

(ङ) सम्मेलन के पहले और इसकी समाप्ति पर भारत तथा अन्य विकासशील देशों के लिए इस सम्मेलन का महत्व और सम्मेलन की उपलब्धियों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञप्तियां जारी की गईं।

(च) उच्च आवृत्ति प्रसारण प्रणाली से सम्बन्धित विभिन्न तकनीकी प्राचलों और योजना सिद्धांतों/तरीकों पर विचार किया गया। रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम के सीमित स्रोतों तक सभी देशों की जहां तक उच्च आवृत्ति प्रसारण प्रणाली का सम्बन्ध है, समान पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से योजना के लिए तकनीकी मानक और सिद्धान्त/तरीकों के बारे में सहमति हुई।

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

3865. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान सोवियत संघ से कितनी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करने का प्रस्ताव है और किन-किन मदों का आयात किया जायेगा तथा उन पर कितनी धनराशि खर्च होगी तथा किस दर पर उनका आयात किया जायेगा;

(ख) क्या वर्ष 1983-84 के दौरान अन्य देशों से भी पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इन्हें किस दर पर खरीदा गया; और

(घ) पेट्रोलियम उत्पादों के लिए भारत की विदेशों पर निर्भरता कब समाप्त होगी ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) 1983-84 के दौरान सोवियत संघ से आयात किये जाने वाली पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा और उन पर खर्च होने वाली अनुमानित राशि निम्नप्रकार हैं :

उत्पाद	मात्रा (मि०मी० टनों में)	मूल्य (रुपये/करोड़)
एस०के०ओ०	1.30	379
एच०एस०डी०	1.00	287

इस सम्बन्ध में आगे और ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा।

(ख) और (ग) जी, हां। अप्रैल, 83 से जनवरी, 84 के दौरान सोवियत संघ के अतिरिक्त अन्य देशों से 0.88 मि० मी० टन पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया था। जनहित में यह बताना ठीक नहीं होगा कि किन दरों पर पेट्रोलियम उत्पादों को आयात किया गया था।

(घ) जबकि देशी कच्चे तेल का उत्पादन और शोधन क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किये गये हैं जो कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात की सम्पूर्ण आवश्यकता को कम कर देंगे, इस सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में वृद्धि दर, पहले से ही खोजे गये क्षेत्रों से और भविष्य में खोजे जाने वाले नये क्षेत्रों से वास्तविक रूप में प्राप्त देशी कच्चे तेल के उत्पादन स्तरों जैसे कारणों पर निर्भर होगी।

संचार मंत्रालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे गए मूल पत्रों की संख्या

3866. **श्री रामावतार शास्त्री** : संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा देश के "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों के राज्यों में स्थित अपने विभागों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों को राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के अनुसार वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान अलग-अलग हिंदी और अंग्रेजी में भेजे गये मूल पत्रों की कुल संख्या क्या है;

(ख) उनमें से राज्यवार और वर्षवार अलग-अलग हिंदी और अंग्रेजी में भेजे गये मूल पत्रों की संख्या क्या है;

(ग) मंत्रालय को "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों के राज्यों में स्थित अपने विभागों से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों से इन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितने मूल पत्र प्राप्त हुए; और

(घ) उनमें से, राज्य-वार, अंग्रेजी और हिंदी में लिखे गये मूल पत्रों की अलग-अलग संख्या क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है, जिसे लोक सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय द्वारा अपने विभागों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों को हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे गए पत्र

3867. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा देश के "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों के राज्यों में स्थित अपने विभागों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों को राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के अनुसार वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान अलग-अलग हिंदी और अग्रजी में भेजे गए मूल पत्रों की कुल संख्या क्या है;

(ख) उनमें से राज्यवार और वर्ष वार अलग-अलग हिंदी और अंग्रेजी में भेजे गए मूलपत्रों की संख्या क्या है;

(ग) मंत्रालय को "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों के राज्यों में स्थित अपने विभागों से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों से इन वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितने मूल पत्र प्राप्त हुए; और

(घ) उनमें से, राज्य-वार, अंग्रेजी और हिंदी में लिखे गए मूल पत्रों की अलग-अलग संख्या क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (घ) तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रपत्र के अनुसार जो राजभाषा विभाग ने निर्धारित किया है, पहली अक्तूबर, 1982 से पहले, इस मंत्रालय द्वारा इसके विभागों, संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों (क्षेत्र-वार या राज्यवार) के बारे में पृथक रिकार्ड रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रपत्र में राजभाषा विभाग ने अगस्त, 1982 में संशोधन किया था, जिसमें क्षत्र-वार सूचना रखने के लिए व्यवस्था की गई थी। राजभाषा विभाग के इन अनुदेशों और निर्धारित प्रपत्र के अनुसार, इस मंत्रालय द्वारा इसके विभागों, संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों से, जो "क", "ख" और "ग' क्षेत्रों के राज्यों में स्थित हैं, मूल पत्रों की संख्या के बारे में सूचना रखी नहीं जाती है। पहली जनवरी, 1983 से 31 दिसम्बर, 1983 तक की अवधि के लिए श्रम विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों, जिनमें इसके संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालय और उपक्रम भी शामिल हैं, को लिखे गये मूल पत्रों और पहली अक्तूबर, 1982 से 31 दिसम्बर, 1983 तक की अवधि के लिए पुनर्वास विभाग द्वारा लिखे गए मूल पत्रों के बारे में सूचना नीचे दी गई हैं—

(i) श्रम विभाग

	हिंदी	अंग्रेजी	कुल
(क) क्षेत्र "क"	4,024	11,616	15,640
(ख) क्षेत्र "ख"	1,060	6,932	7,992
(ग) क्षेत्र "ग"	176	5,059	5,235

(ii) पुनर्वास विभाग

	हिंदी	अंग्रेजी	कुल
(क) क्षेत्र "क"	190	58	248
(ख) क्षेत्र "ख"	—	4	4
(ग) क्षेत्र "ग"	—	815	815

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में अनूसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती

3868. **श्री ए०के० राय** : क्या **ऊर्जा मंत्री** भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में 1 जनवरी, 1982 से 1 जुलाई, 1982 के बीच की गई नई नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत के बारे में 10 अगस्त, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4747 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वहां पर आरक्षण नहीं किया गया था;

(ख) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में 1 जुलाई, 1982 से 1 जनवरी, 1984 तक श्रेणी-वार अलग-अलग की गयी भर्ती का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए यहां पर आरक्षण का प्रतिशत रखा गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या रिक्त स्थान आगे बढ़ाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कोयले की ढुलाई

3869. **श्री ए०के० राय** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में रेल, सड़क, जहाजों, रोडवेज और बेल्ट कान्वेयर्स से प्रति किलोमीटर प्रति टन कोयले की ढुलाई लागत क्या है;

(ख) क्या प्रत्येक मार्ग में सबसे अधिक किफायत से अधिकतम दूरी में सर्वोच्च किस्म के कोयले की ढुलाई करने का पता लगाने के बारे में कोई हिसाब लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से 1982-83 में प्रत्येक मार्ग में कितनी मात्रा में कोयले की ढुलाई की गई है;

(ङ) क्या ढुलाई की वर्तमान प्रणाली को बदलने सम्बन्धी कोई भावी योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की खानों में कोयले की पर्तों की संख्या

3870. **श्री ए०के० राय** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की खानों में पर्तों की संख्या का ब्यौरा क्या है तथा 1 जनवरी, 1984 को प्रत्येक पर्त में किस-किस किस्म का और कितना कोयला था, उसमें राख की प्रतिशतता कितनी थी, उसकी कोकिंग गुणवत्ता कितनी थी और इन सब बातों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अच्छी किस्म के कोयले के संरक्षण के तथा विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न प्रकार के कोयले का नियतन करने सम्बन्धी कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह): (क) एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

(ख) और (ग) जी, हां । भारत कोकिंग कोल लि० कोककर कोयले के संरक्षण के लिए अनेक कदम उठा रहा है, यथा :—

(1) भा० को० को० लि० में यंत्रीकृत ओपेनकास्ट खनन पहले ही शुरू कर दिया गया है और ऐसी अनेक खानें काम कर रही हैं । यह योजना भी है कि झरिया कोयला क्षेत्र में 9 बड़ी ओपेनकास्ट यंत्रीकृत खानें खोली जाएं । ऐसा करने से आशा है कि कोककर कोयला निकालने का प्रतिशत वर्तमान 50% की तुलना में बढ़कर 90% से अधिक हो जाएगा । सारे झरिया क्षेत्र के पुनर्गठन की एक योजना तैयार की गई है और उसका कार्यान्वियन शुरू किया गया है ताकि यंत्रीकृत ओपेनकास्ट और भूमिगत खनन पद्धतियों से अधिकतम कोयला निकाला जा सके ।

(2) जहां कहीं ओपेनकास्ट खनन प्रणाली संभव नहीं है वहां ऐसी विशाल भूमिगत खानें विकसित की जा रही हैं जिनमें आधुनिक तकनालाजी का प्रयोग किया जाता है ताकि अधिक प्रतिशत कोककर कोयला निकाला जा सके ।

(3) सारे झरिया कोयला क्षेत्र को 30 ब्लाकों अर्थात् 9 ओपेनकास्ट और 21 भूमिगत ब्लाकों में बांटा जाएगा । यह काम अलग-अलग वरणों में वर्तमान कोलियरियों को अधिक बड़ी इकाइयों में मिलाकर किया जाएगा । इसके फलस्वरूप कोककर कोयले के निकाले जाने योग्य भण्डारों में भी काफी वृद्धि हो जाएगी ।

(4) अच्छी किस्म के कोककर कोयले की बचाने की दृष्टि से भूमिगत खानों में बड़े पैमाने पर लगी आग पर नियंत्रण पाने के लिए 13 अग्निशमन परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं ।

(5) भा० को० को० लि० ने तीन वाशरियां पहले ही स्थापित कर दी हैं और उसकी योजना कोयले की ऐसी अतिरिक्त वाशरियां बनाने की है जिनमें अधिक राख वाले कोककर कोयले का परिष्कार किया जाएगा ताकि वह इस्पात संयंत्रों के लिए उपयुक्त हो जाए । कोयला वाशरियों में आधुनिक परिष्कार तकनीकें शुरू की जा रही हैं ताकि कोककर कोयले का उत्पादन बढ़ाया जा सके । इसके फलस्वरूप अच्छी किस्म के कोककर कोयले के भण्डारों का संरक्षण करने में सहायता मिलेगी क्योंकि इससे घटिया किस्म के कोककर कोयले को भी धातु कर्मी कामों के लिए उपयुक्त बना दिया जाता है ।

(6) भा० को० को० लि० रेत भराई को बढ़ाने के लिए परियोजनाएं तैयार कर रहा ह ताकि कोककर कोयला निकालने का प्रतिशत बढ़ाया जा सके । विभिन्न सीमों से नमूना लेने, विश्लेषण करने और परिक्षण करने का काम नियमित रूप से हो रहा है ताकि विभिन्न उपभोक्ताओं—जैसे इस्पात संयंत्र, बिजली संयंत्र, आदि—के लिए उनका निश्चित उपयोग निर्धारित किया जा सके।

क्र०सं०	सीम सं०	अनुमानित भंडार (मि० टन)	परिवर्तन की सामान्य सीमा सहित अनुमानित विश्लेषण				
			नमी का प्रतिशत	राख का प्रतिशत	वाष्पशील पदार्थ का प्रतिशत	निश्चित कार्बन%	केकिंग इन्डेक्स%
1	2	3	4	5	6	7	8
1. XVIII	शीर्ष	124.02	0.9-1.3	16.2-20.5	22.5-25.8	48.2-53.3	22-26
2. XVIII	तल	58.27	1.1-1.6	17.3-27.1	24.2-26.8	45.7-54.9	19-30
3. XVII	शीर्ष	28.48	1.0-1.7	14.7-18.3	25.1-29.2	50.7-54.2	28-30
4. XVII	तल	23.07	1.2-1.4	20.5-33.3	25.1-28.3	42.3-56 5	20-22
5. XVI	शीर्ष	150.14	0.9-1.3	20.9-24.7	21.5-23.4	46.5-54.6	20-26
6. XVI	मध्य	14.12	0.9-1.1	15.8-17.6	19.8 22.1	55.5-61.0	19-21
7. XVI	तल	141.81	0.8-1.2	17.9-20.8	24.5-26.9	47.8-53.6	20-25
8. XV		696.94	0.8-1.2	21.4-27.6	18.5-22.1	49.7-54 6	18-22
9. XV			0.7-1.3	17.5-19.0	21.8-24.8	52.7-57.8	20 23
10. XIV		550.86	0.6-1.1	15.7-18.8	20.1-25.8	52.1-57.5	19-22
11. XIII		503.66	0.7-1.3	18 5-21.8	18.5-25.6	50.9-57.8	23-25
12. XII		67.37	0.8-1 2	18.5-23.6	21.8-24.4	52 5-58.7	19-21
13. XI		433.07	0.9 1.2	17.9-24.3	18.5-23.6	49.8-54.9	18-22
14. X		317.05	0.7-1.2	20.5-28.0	18.7-26.9	47.8-59.3	14-19
15. IX		853.00	0.7-1.1	25.2-27.3	15.2-26.8	51.8-56.2	13-15
16. VIII		126.50	0.8-1.0	24.2 26.2	15.2-17.4	49.3-54.3	14-17
17. VIII A		134.88	0.7-1.1	24.5 29.1	15.2-18.3	55.5-58.6	13-15
18. V/VI/VII		502.28	0.7-1.1	23.5-33.1	13.6-15.5	50.8-63.4	11-15
19. IV		38.59	0.6-0.9	29.2-33.4	14.5-18.3	50.9-57.4	11-15
20. III		7.97	0.6-1.0	21.9-34.7	13.5-16.5	51.5-61.5	11-12
21. II		55.01	0.7-0.9	25.4-35.0	14.1-17.2	53.3-62.1	10-13
22. I		34.93	0.7-1.0	13.0-25.0	13.5-18.5	58.2-63.7	11-15

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सेमी-सब्मर्जीबल रिग्स किराए पर लेने के लिए निविदाएं आमन्त्रित करना

3871. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम्** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने सेमी सब्मर्जीबल रिग्स किराए पर लेने के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं;

(ख) कितनी फर्मों ने निविदाएं भरीं;

(ग) क्या निविदाओं की शर्तों में भारतीय नौवहन कम्पनियों के अनुकूल परिवर्तन किया गया; और

(घ) यदि हां, तो सामान्य शर्तों में क्या परिवर्तन किए गए ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) 14 बोलियां प्राप्त हुई थीं।

(ग) और (घ) भारतीय पार्टियों को दो वर्ष के लिए चार्टर करने के लिए बोली देने की अनुमति प्रदान की गई थी जबकि विदेशी पार्टियों को एक वर्ष के चार्टर के लिए बोली देने की अनुमति थी। इस क्षेत्र में स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए यह किया गया था।

सरकारी उपक्रमों में अप्रयुक्त पड़ी मशीनें तथा उपकरण

3872. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 दिसम्बर, 1983 के "बिजनेस स्टेंडर्ड" में "वेस्टेज आन ए जायंट स्केल" शीर्ष से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया है कि जिसमें यह बताया गया है कि सरकारी क्षेत्र के 10 बड़े एककों में बहुत सी मशीनें और उपकरण अप्रयुक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के घोर कुप्रबन्ध के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार इस मामले में जांच कराएगी और यथाशीघ्र इस स्थिति में सुधार करने के लिए कदम उठाएगी और इस मामले में जिम्मेदारी निश्चित करेगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरणपत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के संबंधित उपक्रमों के मुख्य कार्यपालकों से इन उपस्करों के संबंध में शीघ्र निर्णय लेने को कहा गया है।

क्रमांक	बेकार पड़ी मद तथा उसका मूल्य	विवरण उपस्कर का उपयोग न करने के कारण	क्षति
1	2	3	4
	फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया		
1.	पी०पी०सी० सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र (रुपये 4.3 करोड़)	संयंत्र जुलाई, 68 से दिसम्बर, 1977 तक चल रहा था और उपस्कर में डिजाइन की कमी तथा घटिया किस्म के पायराइट के कारण उसे बन्द करना पड़ा।	संयंत्र बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और आंशिक रूप से चलाने योग्य नहीं रहा।
2.	ग्यूनाडाइननिट्रेट संयंत्र (1.61 करोड़ रुपये)	इस संयंत्र को पी० डी० आई० एल० के अनुसंधान और विकास उद्योग के रूप में स्थापित किया गया था जो प्रयोगशाला बेंच स्केल परीक्षणों पर आधारित था और उपयोग मानदण्डों तथा क्षमता के मापदण्डों के अनुसार चल नहीं पाया है।	कोई क्षति नहीं
3.	गोवा रिफार्मिंग संयंत्र (2.0 करोड़ रुपये)	संयंत्र पुराना है और निपटान किया जाने वाला है।	—वही—
4.	एन० पी० के० ग्रेनुलेशन संयंत्र (1.18 करोड़ रुपये)	इस संयंत्र को वर्ष 1979 में चालू किया गया था और डिजाइन कमियों प्रौद्योगिकी सम्बन्धी समस्याओं तथा अलाभकर प्रचालन के कारण बेकार पड़ा है।	—वही—
5.	मशीनरी तथा एयरसेपरेशन यूनिट, लिक्विड नाइट्रोजन वाश यूनिट, परेब्रिकेशन के लिए कच्चा माल आदि (14.5 करोड़ रुपये)	1975 में, कोरबा प्रोजेक्ट्स के निष्पादन की धीरे काम करो के अन्तर्गत लाया गया और पहले किए गए वादों को पूरा करने के लिए जनधियों का आवंटन घटा कर न्यूनतम कर दिया गया है। कार्यकलाप धीरे कर दिए गए हैं और परियोजना को अब आस्थगित कर दिया गया है।	—वही—

1	2	3	4
	फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०		
6.	एक संख्या/गैस सेटूएक्सचेंजर पार अमोनिया कनवरटर (रु० 12,16,298/-)	इसे एक तकनीकी अध्ययन के परिणामस्वरूप प्राप्त किया गया पर जिसे बाद में अनावश्यक पाया गया ।	कोई क्षति नहीं
7.	दो संख्या० वोलर्ट वेगन सेटगिंग एस सिस्टम (रु० 16,08,050/-)	इसे प्रोजेक्ट स्तर पर प्राप्त किया गया था और बाद में रेलवे लाइन पर लगाने के लिए आसान नहीं पाया गया ।	—वही—
8.	राक बिन डस्ट कलेक्टिंग फेंस (रु० 32,163/-)	इस मद को ग्रेनूलेटेड ट्रिपाल सुपर फॉस्फेट के उत्पादन के लिए प्राप्त किया गया तथा स्थापित किया गया था । जिसके बाद में यह पाया गया कि उपभोक्ताओं के द्वारा इसे कम प्राथमिकता दी जा रही है और इसलिए इसे फालतू घोषित कर दिया गया।	
9.	एयर पेड ब्लावर (रु० 33,923/-)	—वही—	—वही—
	बेरोमीट्रिक कन्डेन्सार (रु० 40,042/-)	—वही—	—वही—
	फ्यूमेट्रिक कन्वेइंग सिस्टम फार राक फास्फेट (कम्प्रेशर और एयर रिसीवर को छोड़कर (रु० 44,532/-)	—वही—	—वही—
	राक डस्ट कलेक्टर सिस्टम (रु० 1,80,953/-)	—वही—	—वही—
	राक बिन्स (रु० 1,14,810/-)	—वही—	—वही—
	राक वे स्केल (रु० 4,29,318/-)	—वही—	—वही—
15.	इलेक्ट्रिक तरल अमोनिया हीटर (दो संख्या) (रु० 5,82,057/-)	—वही—	—वही—

1	2	3	4
	राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि०		
16.	लाइम स्लेक यूनिट (रु० 50,000/-)	अब केन्द्रित निस्सारी प्रक्रिया पद्धति को अपना लिया है, इसलिए जरूरत नहीं है। —वही—	पूर्णत: मरम्मत की आवश्यकता है। —वही—
17.	इन्सेट० एयर कम्प्रेशर (रु० 40,000/-)	बम्बई हाई गैस को अपना लिया है और इस प्रकार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कार्बन नहीं है।	जरूरत नहीं है।
18.	कार्बन रिकवरी प्लांट (रु० 6,00,000/-)	पुराना हो गया है और नए रिफार्मर से प्रतिस्थापित किया गया है।	पुरानी प्रणाली है और इस्तेमाल नहीं की जा सकती।
19.	ग्रिडलर रिफार्मर सेक्ट, जिसमें वायलर पम्प, कम्प्रेशर, बाल्व एक्सचेंजर आदि शामिल है। (रु० 40,00,000/-)		
20.	लाइम ड्राइंग यूनिट (रु० 7,05,917/-)	इस एकक का प्रयोजन बेकार उत्पाद, अर्थात् चाक, के निपटान में सुधार लाना है। इस समय गीला चाक बेचा जा रहा है। इस चाक को सुखाने की प्रचालन स्थिति को विकसित किया जा रहा है।	कोई क्षति नहीं हुई।
	पाइराइट्स, फास्फेट्स एंड कैमिकल्स लि०		
21.	4 संख्या/आयातित गादरिंग आर्म लोडर्स (रु० 14,15 लाख)	इस उपस्कर को खनन परियोजना, अमझोर के मशीनीकरण के भाग के रूप में खरीदा गया था। यह परिकल्पना की गई थी कि एफ० सी० आई० अपने यहां सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन के लिए नियमित रूप से प्रतिदिन 400 टन पाइराइट्स खरीदेगी और इसलिए मशीनीकरण आरंभ किया गया था। एफ० सी० आई० की ओर से मांग में कमी—वृद्धि और कभी कभी इसकी मांग के शून्य पर आने के कारण मशीनीकरण के लिए खरीदे गए उपस्कर को चालू नहीं किया जा सका और इसे बेच दिया गया है। ये चार लोडर बेचे जाने क लिए पड़े हैं।	

1	2	3	4
	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कर्पोरेशन लि०		
	22. दुर्गापुर संयंत्र में 5 टन प्रति घंटा वाला मिक्सिंग ग्रेनूलेशन संयंत्र बेकार पड़ा है (रु० 26 लाख)	उत्पाद की कुछ कच्चे मालों से आरंभ करने की परिकल्पना की गई, संयंत्र को चलाने के लिए अलाभकर पाया गया है। वैकल्पिक उपयोग विचाराधीन है।	कोई क्षति नहीं हुई उपस्कर अच्छी प्रकार रखा गया है।
	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लि०		
	23. एक रोटरी ड्रागर से 2 अप दो फर्नेस और जिंक आक्साइड केटालिस्ट उपस्कर का भाग (रु० 12 लाख)	चूंकि उपस्कर अपेक्षित नतीजे नहीं दे सका, उसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा सका।	कोई विशेष क्षति नहीं पाई गई है।
	24. हाइड्रोजन, कम्प्रेशर 200 एम० 3/एच० आर०, प्रेशर 81 ए० टी० ए० टाईप एस०के०ए० 225-3 ग्राम तथा इलेक्ट्रिक मीटर 52 के० ई० की, (डी०एम० 85,625)	इस कम्प्रेशर को कोयले की हाइड्रोगेसीफिकेशन की विकास प्रक्रिया के लिए खरीदा गया था। बाद में इस योजना को छोड़ दिया गया।	कोई क्षति नहीं पाई गई।
	25. बेपोरेक्स बायलर, सी०ए०पी० 100 के० जी०/आर्क स्टीम प्रति घण्टा 20 के० जी०/सी० एम० 2 प्रेशर पर (35,000/-रु०)	रेसिन के विकास कार्य में इस्तेमाल के लिए स्टीम सृजित करने के लिए इसकी खरीद की गई थी। कार्य पूरा हो गया है और बायलर फालतू हो गया है।	निपटान के लिए व्यवस्था की जा रही है।
	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि०		
	26. बेनेजोन हेक्सा क्लोराइड प्लांट (रु० 27 लाख)	संयंत्र पुराना है और आयातित उपस्कर के नवीकरण एवं मरम्मत के लिए 25 लाख रु० का भारी व्यय अन्तग्रस्त है जो आर्थिक रूप से उचित नहीं था।	उपयोग न करने के कारण कुछ जंग लग गया है।

1	2	3	4
	27. पारा नाइट्रो फिनोल प्लांट (31 लाख रु०)	पारा नाइट्रो फिनोल मंद का मुख्यतः लघु क्षेत्र उद्योग में उत्पादन किया जा रहा था, जिसके एच० ओ० सी० एल० के इस क्षेत्र में प्रवेश करने पर अभ्यावेदन दिया है। इसलिए इस संयंत्र को पूर्वता के आधार पर लघु उद्योग क्षेत्र को बेचने का निर्णय लिया गया है।	
	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०		
	28. संक्षिप्त ये मदें रिएक्टर्स, टैंक फिटर्स, सेंटीरिफ्यूजस तथा वाइटल फिलिंग हैं (118 लाख रु०)	इस प्रक्रिया के कोरेसिव स्वरूप के होने के कारण प्रयोग किए जा रहे उपस्कर के प्रतिस्थापन के लिए, जब भी आवश्यक हो, कुछ उपस्कर का अतिरिक्त संचय किया जाता है। प्रौद्योगिकी के फार्म-अप तथा विस्तार योजना को पूर्ण करने में विलम्ब के कारण कुछ उपस्करों का इस्तेमाल नहीं किया जा सका।	उपयोग न करने के कारण क्वालिटी में कोई क्षति नहीं हुई है
	हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि०		
	29. एक सं० लेबोरेटरीज फ्रीज ड्रायर (रु० 1.40 लाख)	उपस्कर वर्टिस इंक (यू० एस० ए०) द्वारा सप्लाई किया गया था। आयातित माल बम्बई पत्तन में बेठिकाने रखा गया था और दो वर्ष के बाद पाया गया। उपस्कर बहुत खराब स्थिति में लिटी में कोई पाया गया था। इस मामले को आपूर्ति कर्ताओं/बीमा कर्ताओं के साथ उठाया गया है।	उपयोग न करने के कारण क्वालिटी में कोई क्षति नहीं हुई है।

1 2	3	4
स्मिथ स्टेनोस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि०		
30. थरमेक्स बायलर (रु० 5,20,368,96)	स्थापना करने में विलम्ब हुआ जिसके 30-12-83 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।	कोई खास नहीं
31. इम्पीटेमूटिक प्रिंटिंग मशीन (रु० 59,808.00)	क्षतिग्रस्त स्थिति में प्राप्त हुआ आपूर्तिकर्ताओं के साथ मामले को उठाया गया।	—वही—
32. साफर स्टीम हीटिंग ड्रायर विद सेन्ट्रोल वेल्यू सिस्टम (रु० 1,74,755.26)	एयर फिल्टर रेगुलेटर के उपलब्ध होने के कारण कार्य आरंभ नहीं किया जा सका। इसे स्थापित करने का कार्य चल रहा है।	—वही—
33. क्रूसिबल फरनेस आफ एल० 2 ओ० 3 रिजनेरेशन (रु० 4,233,00)	परीक्षण प्रचालन सेरामिक क्रूसिबल एवं इलेक्ट्रिकल कायल क्षतिग्रस्त हो गई।	—वही—
34. गेनसन डबल डोक सिफ्टर (रु० 24,760.00)	परीक्षण प्रचालन पर मोटर क्षतिग्रस्त हो गई। मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।	—वही—
35. जेकेटेड स्टीम पाम (रु० 8,610.00)	अभी तक स्थापित नहीं किया परन्तु दो महीने के समय में कर दिया जाएगा।	—वही—
36. मिलिंग मशीन (रु० 16,120.00)	ऐसा लगता है कि जब प्राप्त कर लिया जाएगा उसकी तत्काल आवश्यकता नहीं पड़ेगी।	—वही—
37. इलेक्ट्रिकल मिस्ट/2 टी केपेसिटी (रु० 35,535.00)	यह नए भवन के उपयोग के साथ जुड़ा हुआ है।	—वही—

बिजली की कटौती के कारण बेकार हुए जन दिवस

3873. **श्री एम० एस० गारेस :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में बिजली की कटौती के कारण कुल कितने जन दिवसों का नुक्सान हुआ ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : यद्यपि केवल बिजली की कटौती के कारण नष्ट हुए श्रम दिवसों के बारे में सूचना नहीं रखी जाती, तथापि, बिजली की कटौती के कारण जबरी—छुट्टी से नष्ट होने वाले श्रम दिवसों के बारे में सूचना केवल अप्रैल, 1981 से ही एकत्र की जा रही है। श्रम और ब्यूरो में प्राप्त सूचना के अनुसार बिजली की कटौती से वर्ष 1981 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान जबरी-छुट्टी से 20.5 लाख श्रम दिवस, 1982 में 12.3 लाख श्रम दिवस और 1983 में 18.9 लाख श्रम दिवस नष्ट हुए।

विदेशी औषध कंपनियों की गतिविधियों को रोकने के लिए एन० डी० पी० सी० की सिफारिशें

3874. **श्री बी० वी० देसाई**
श्री एम वी० चान्द्रशेखर मूर्ति } क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औषध तथा भेषज विकास परिषद द्वारा लाइसेंस स्थापित करने सम्बंधी कार्यदल ने गैर उपलब्ध टैक्नालाजी क्षेत्रों में विदेशी औषध कंपनियों द्वारा भविष्य में की जाने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए वर्षसम्पति से सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कंपनियों के इन मदों के उत्पादन में लगे होने के बावजूद विदेशी औषध कंपनियां इस समय उच्च टेक्नालाजी क्षेत्रों में कार्य करने को स्वतंत्र हैं ;

(ग) क्या भारतीय औषध निर्माता संघ तथा लघु क्षेत्र ने इस आशय के संशोधन की मांग की है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा देश में स्थापित अन्य मान्यता प्राप्त अनुसंधान विकास संस्थाओं द्वारा विकसित तरीकों को गैर-उपलब्ध टैक्नालोजी में शामिल किया जाए; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) जी हां।

(घ) औद्योगिक अनुमोदनों संबन्धी कार्यकारी दल की सिफारिशों पर अब राष्ट्रीय औषध एवं भेषज विकास परिषद द्वारा विचार किया जाएगा।

विदेश जाने वाले भारतीय पर्यटकों पर पाबंदियां

3875. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिन्न-भिन्न प्रकार के आव्रजक नियमों के कारण भारतीय नागरिकों को भारी परेशानी हो रही है;

(ख) ऐसे यात्रियों के मामले में जिनसे पास टिकट और ट्रेवलर चैक है, विशेष रूप से तब जबकि वे विवाह में सम्मिलित होने और अपने इलाज के लिए जा रहे हैं उनसे उनकी यात्रा प्रायोजित होने की घोषणा करने के लिए कहने का उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि विदेश जाने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए कुछ अनावश्यक पाबन्दियां लगाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, नहीं।

(ख) विदेश यात्रा प्रायोजित होने की घोषणा या विदेशी मुद्रा की निकासी के वैकल्पिक प्रमाण में छूट दी जा सकती है, यदि यात्री विवाह में सम्मिलित होने और तुरन्त इलाज के लिए विदेश जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रोजगार कार्यालय में दर्ज किए गये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे

3876. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न रोजगार कार्यालयों में नौकरियों के लिए 14 वर्ष से कम आयु के अनेक बच्चों के नाम दर्ज हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौकरियों के लिए बच्चों के नाम दर्ज किये जाने के क्या कारण हैं जब कि देश में बाल-श्रम पर प्रतिबन्ध है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 31.12.1983 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर 14 वर्ष से कम आयु के 64,628 व्यक्ति दर्ज थे जो नौकरी चाहने वाले कुल व्यक्तियों के 0.29 प्रतिशत थे। राष्ट्रीय रोजगार सेवा मैनुअल में दिए गए अनुदेशों के अनुसार, ऐसे व्यक्तियों को, जब वे आवेदन करते हैं, इस बात को स्पष्ट कर दिया जाता है कि बहुत कम आयु अथवा बहुत वृद्ध होने के कारण उनके द्वारा रोजगार प्राप्त करने की संभावनाएं बहुत कम हैं। फिर भी यदि वे पंजीकरण के लिए जोर देते हैं, तो उनके नाम इस बात का लिखित ब्यान लेने के बाद दर्ज कर दिए जाते हैं कि यद्यपि उनके द्वारा रोजगार प्राप्त करने की संभावनाएं बहुत कम हैं, तथापि वे पंजीकरण कराना चाहते हैं।

आवश्यक औषधियों का उपलब्ध न होना

3877. **श्री पी० नामग्याल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं तथा अन्य औषधियां बाजार में विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में, प्राय: उपलब्ध नहीं होती हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो औषधियों के मूल्य को कम करने तथा औषधि की कमी को, विशेष रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों में दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) मेरे मंत्रालय का मानीटरिंग कक्ष राज्य औषध नियंत्रकें तथा केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त कमी की रिपोर्ट के आधार पर देश के विभिन्न भागों में अनिवार्य तथा जीवन रक्षक

औषधों की उपलब्धि पर निगरानी रखता है। कुछ क्षेत्रों से स्थानीय रूप से ब्रेंड औषधों की कमियों के मामले की सूचना मिली थी तथापि, अन्य कंपनियों की समकक्ष औषधें उपलब्ध थीं। सूचित कमी के सभी मामलों में, संबंधित कंपनियों एवं समकक्ष औषधों के उत्पादकों को तार से सलाह दी गई कि जिन क्षेत्रों से कमी सूचित की गई है वहां औषधों की आपूर्ति शीघ्रतासे करें।

औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के उपबन्धों के अनुसार यथा निर्धारित औषधों के मूल्य उचित तथा उपयुक्त हैं। जब कभी मूल्यों में कमी की संभावना विद्यमान हुई है, उदाहरणार्थ रिफेम्पिसिन, उसी समय उपभोक्ताओं के लाभ के लिए उपयुक्त उपाय किए गए, जिस में स्वदेशी उत्पादन को अधिकतम करने के समग्र दृष्टिकोण को ध्यान में रखा गया।

मध्य प्रदेश में बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

3878. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छठी पंचवर्षीय योजना में अब तक कितने बंधुआ मजदूरों को मुक्त किया गया है और उनका जिला-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इनमें से कितने मजदूरों का पुनर्वास किया गया है और उन्हें कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी है;

(घ) यदि हां, तो कितनी धनराशि दी गई है;

(ङ) क्या मध्य प्रदेश ने पूरी सहायता राशि का उपयोग किया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म गौर) : (क) और (ख) 11 राज्यों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने बंधुआ श्रमिकों की विद्यमानता के बारे में सूचित किया है। इन राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1-1-1980 से 31-12-1983 तक की अवधि के दौरान 43,721 बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाया गया है, जबकि इस अवधि के दौरान 35970 बन्धुआ श्रमिकों को पुनर्वासित किया गया है। एक विवरण संलग्न है जिसमें राज्यवार ब्यौरा दिया गया है। तथापि, जिलावार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। 1980-81 से लेकर 29-2-84 तक बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को 9,25,53,000/-रुपये की राशी दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) 1978-79 में योजना के प्रारम्भ होने से लेकर 29-5-1984 तक बंधुआ श्रमिकों के लिए केन्द्र द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार को 21,20,800/रुपये की राशि दी गई है।

(ङ) और (च) दी गई 21,20,800/रुपए की सहायता के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार ने 3.94 लाख रुपये के उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं और यह सूचित किया गया है कि शेष राशि का उपयोग किया जा रहा है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे शेष राशि के सम्बन्ध में उपयोग प्रमाण पत्र शीघ्र भेजें।

विवरण

क्र०	राज्य	बन्धुआ श्रमिकों की संख्या	
		1-1-1980 से 31-12-83 तक की अवधि के दौरान पता लगाए गए और मुक्त कराए गए	1-1-1980 से 31-12-83 तक की अवधि के दौरान पुनर्वासित किए गए
1.	आन्ध्र प्रदेश	3839	1675
2.	बिहार	4284	4564
3.	गुजरात	63	63
4.	कर्नाटक	—	1571
5.	केरल	127	270
6.	मध्य प्रदेश	489	1699
7.	महाराष्ट्र	540	292
8.	उड़ीसा	28,544	16,774
9.	राजस्थान	649	1952
10.	तमिलनाडु	1346	1202
11.	उत्तर प्रदेश	4640	5908
	कुल जोड़	43,721	35,970

भारतीय न्यायिक सेवा

3879. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इसके कब तक अन्तिम रूप से गठित हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय ने इस सेवा के गठन के संबंध में कोई आपत्ति उठाई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाई गई आपत्तियों का ब्यौरा क्या है और आपत्ति उठाने वाले उच्च न्यायालयों के नाम क्या हैं;

(ङ) क्या किसी राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई है;

(च) यदि हां, तो क्या केंद्रीय सरकार ने इन आपत्तियों के संबंध में कोई निर्णय किया है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किए जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (छ) विधि आयोग ने अपनी 77वीं रिपोर्ट में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की सिफारिश की थी। अखिल

भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के सिद्धान्त पर मूलरूप से राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के विचार पूछे गए थे। राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों (एक को छोड़कर) के विचार प्राप्त हो गए हैं।

17 उच्च न्यायालयों में से, जिनके विचार प्राप्त हुए हैं, 11 उच्च न्यायालयों ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन करने के बारे में अपनी असहमति प्रगट की है। ये उच्च न्यायालय बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, गोहाटी, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब और हरियाणा तथा सिक्किम हैं।

ऐसे उच्च न्यायालयों ने जिन्होंने अपने विचारों के लिए कारण दिए हैं, अपने विचारों के आधारों के रूप में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक या अधिक आधार बताए हैं :—

(i) अधिकांश राज्यों के जिला न्यायालयों में प्रादेशिक भाषाओं के आरंभ किए जाने के कारण भाषा समस्या बाधक हो सकती है;

(ii) राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण कमजोर हो जाएगा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा;

(iii) राज्य न्यायिक सेवाओं के न्यायिक अधिकारियों को प्रोन्नति के अवसर कम हो जाएंगे;

(iv) उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर अपने विचार नहीं बताए हैं।

8 राज्य सरकारों ने सेवा के गठन के प्रति विरोध व्यक्त किया है।

भारत सरकार इस विषय पर विचार कर रही है। यह बताना संभव नहीं है कि इस बारे में विनिश्चय कब तक किया जा सकेगा या यह सेवा कब तक गठित की जा सकेगी।

गैर सरकारी कंपनियों को सरकारी कंपनियों में परिवर्तित करना

3880. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1970-80 के दौरान कितनी गैर सरकारी कम्पनियों को सरकारी कम्पनियों में परिवर्तन किया गया है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : शेयरों द्वारा लिमिटेड 96 गैर सरकारी कम्पनियों के विषय में वर्ष 1970-80 की अवधि के दौरान सरकारी कम्पनियों में परिवर्तित होने की सूचना मिली थी।

गोरखपुर के उरुआ बाजार क्षेत्र में मिट्टी के तेल की डीलरशिप

3881. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर क्षेत्र के उरुआ बाजार क्षेत्र में मिट्टी के तेल की डीलरशिप के लिए कोई विज्ञापन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि केवल एक व्यक्ति को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में उरुआ के स्थान पर "शारीरिक रूप से अपंग" श्रेणी के अन्तर्गत एस के ओ/एल डी ओ की एजेन्सी देने के लिए 14/15-6-83 को एक विज्ञापन रिलीज किया था। मुख्य शर्तें निम्न प्रकार थीं :—

(1) उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए और आवेदन करने की तिथि से 21-50 वर्ष की आयु सीमा के अन्दर होना चाहिए और उसकी कम से कम शैक्षिक योग्यता मैट्रिक अथवा उसके समतुल्य हो।

(2) वह संबद्ध जिले में कम से कम 3 साल से रह रहा हो और उसकी माता-पिता, पति/पत्नी और उस पर निर्भर होने वाले बच्चों की सभी स्रोतों से वार्षिक कुल आमदनी 24000/- रुपये से अधिक न हो।

(3) उम्मीदवार के निम्नलिखित रिश्तेदारों में से किसी के पास देश में किसी भी तेल कंपनी की पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं होनी चाहिए :—

पति/पत्नी
पिता/माता
भाई/बहन
लड़का/लड़की
दामाद/पुत्र-वधू
सास/ससुर

(4) उम्मीदवार को एजेंसी का संचालन डीलर के रूप में करना चाहिए।

(5) उम्मीदवार कम से कम ऊपरी और निचले दोनों अंगों में 40% स्थायी/आंशिक रूप से विकलांग होना चाहिए।

(ग) जी, हां।

(घ) अन्य तीन उम्मीदवार निर्धारित कसौटी के अनुसार पात्र नहीं पाये गये थे। उनमें से एक द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग होने संबंधी प्रमाण के रूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और अन्य दो उम्मीदवार आवेदन करने की तिथि पर कम आयु के थे।

34वां पश्चिम बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

3882: **श्री अमर राय प्रधान**
श्री माधव राव सिंधिया } : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में 34वें बर्लिन अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों, जिसमें केवल एक भारतीय फिल्म को रखा गया था, में अपने निम्न स्तर के प्रदर्शन की जानकारी थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल भगत) : (क) और (ख) भारत ने 34वें पश्चिम बर्लिन अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के विभिन्न विभागों में चयन के लिए निम्नलिखित फिल्में भेजी :

प्रतियोगिता विभाग

1. मृणाल सेन की "खंडहर"
2. गोविन्द निहालनी की "अर्ध सत्य"

युवा मन्च

1. एम० ए० सिंह की "सनकेथल"

संगीत फिल्म विभाग

1. मणि कौल की "ध्रुपद"

तथापि, समारोह की चयन समिति ने केवल "ध्रुपद" को ही संगीत फिल्म विभाग में दिखाए जाने के लिए चुना।

पश्चिम बंगाल में नए स्थानों को सीधी ट्रंक डायल सेवा प्रणाली से जोड़ा जाना

3883. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में किन और नए स्थानों की सीधी ट्रंक डायल सेवा प्रणाली से जोड़े जाने का विचार है;

(ख) क्या इसे पूरा करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित नए स्थानों को एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

1. सूरी 2. मिदनापुर

(ख) और (ग) चालू योजना अवधि के दौरान उपर्युक्त स्थानों को एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है बशर्ते कि उपस्कर एवं भंडार की समय पर सप्लाई मिल सके।

पश्चिम बंगाल के कूच-बिहार जिले में डाकघर खोलना

3884. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में चालू वर्ष में कितने नए डाकघर खोले जायेंगे;

(ख) कूच बिहार जिले के गांवों में नए डाकघर खोलने और डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के लिये गांव वालों और अन्य संगठनों से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और इन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) पश्चिम बंगाल के सभी ग्रामीण क्षेत्रों को दूर संचार प्रणाली से कब तक जोड़ दिया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) 16

(ख)(एक) नये डाकघर खोलने के लिये 33 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से 18 की जांच की गई और उनका औचित्य पाया गया है। 1983-84 के दौरान 15 नए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाक घर खोल दिये गये हैं और शेष एक पर मितव्ययी आदेशों को हटाने के बाद विचार किया जाएगा। शेष दो डाकघर खोलने पर 1984-85 में विचार किया जायेगा। शेष 15 आवेदनों की जांच की जा रही है।

(दो) डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के लिये 4 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच की जा रही है।

(ग) नीति उद्देश्य के रूप में पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में 5 कि०मी० के भीतर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर सुलभ कराये जाएंगे जिसे 1990 तक पूरा कर दिया जाएगा बशर्ते कि वह तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हो, स्थान और साज-सामग्री उपलब्ध हो जाए।

हल्दिया पेट्रो—कैमिकल्स कम्पलेक्स के संबंध में केंद्रीय सरकार और बंगाल सरकार के बीच समझौता

3885. श्री नीरेन घोष
श्री सत्य गोपाल मिश्र } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया पेट्रो-कैमिकल कम्पलैक्स के सम्बन्ध में केंद्रीय सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच अंतिम समझौता हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो मतभेदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) लाइसेंस कब तक दे दिया जायेगा; और

(घ) क्या विलम्ब के कारण लागत बढ़ती नहीं जा रही हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क), (ख) और (घ) पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम से प्राप्त संभाव्यता रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(ग) अभी औद्योगिक लाइसेंस जारी करने की अवस्था नहीं आई है।

पश्चिम बंगाल में 1990 तक बिजली की अनुमानित कमी

3886. श्री नीरेन घोष
प्रो० रूप चन्द पाल } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में 1990 तक बिजली की कितनी कमी होने का अनुमान है।

(ख) इस बारे में राज्य सरकार का अनुमान क्या है;

(ग) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति के लिए प्रस्तुत बिजली परियोजनाएं कौनसी हैं;

(घ) केन्द्र सरकार उनमें से कौनसी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर रही है;

(ङ) इनमें से कौनसी परियोजनाओं को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का विचार है ;

(च) सातवीं पंचवर्षीय योजना में कौन-सी परियोजनाओं को शामिल नहीं किया जाएगा और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) कुछ बिजली परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की गई अनन्तिम संभावित अनुमान के अनुसार 1989-90 तक पश्चिम बंगाल में सीमांत व्यवस्ततम कालीन कमी रहने की संभावना है। तथापि, ऊर्जा के रूप में पश्चिम बंगाल के अधिशेष रहने की संभावना है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के संभावित अनुमान में उस क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल के संभावित भाग को ध्यान में रखा गया है।

(ख) कोई ऐसा अनुमान प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) योजना आयोग ने सन्थालडीह ताप विद्युत केन्द्र (4×120 मेगावाट) के नवीकरण को 12.37 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्वीकृति दे दी है। तीस्ता नहर में प्रपात सं०—1, 2, 3 और 4. पर स्थापित किए जाने वाले जल विद्युत केन्द्रों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भी तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दे दी है। पश्चिम बंगाल द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई कुछ अन्य परियोजनाएं, संथालडीह (2×210 मेगावाट) बकरेश्वर (3×210 मेगावाट) मुर्शिदाबाद (4×500 मेगावाट), रामम् चरण—1. (2×15 मेगावाट), मन्गापू (4×1.25 मेगावाट) तथा लोधामा दिलपा (4×1 मेगावाट) हैं।

(ङ) से (छ) सातवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। सातवीं योजना के दौरान राज्य को कोलाघाट चरण-1 (420 मेगावाट) की दो यूनिटों, कोलाघाट विस्तार की तीन यूनिटों (630 मेगावाट), डी०पी०एल० विस्तार (110 मेगावाट) तथा दक्षिणी उत्पादन केन्द्र (135 मेगावाट) की दो प्रतिस्थापन यूनिटों से लाभ प्राप्त होने की संभावना है राज्य को फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र तथा भूटान में चूखा परियोजना जैसी केन्द्रीय परियोजनाओं से भी हिस्सा मिलेगा।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को इसके मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान परियोजना से संबंधित सभी मामलों और निवेशों का समाधान तथा इन्हें हल करना है। कभी-कभी प्राधिकरण द्वारा दिए गए सुझावों और परिशोधनों के अनुरूप परियोजना रिपोर्टों में संशोधन करना होता है। परियोजना की स्वीकृति के लिये लगने वाला समय संबंधित तकनीकी मामलों का समाधान करने तथा आवश्यक निवेशों की व्यवस्था करने पर निर्भर करता है जो कि प्राधिकरण के नियंत्रण से बाहर होती हैं।

बंगाल-बिहार के कोयला क्षेत्रों में अवैध खनन

3887. **श्री नीरेन घोष** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल-बिहार के कोयला क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन को नियंत्रण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक;

(ग) इसे नियंत्रण करने के लिये क्या उपाय किए हैं;

(घ) क्या यह सच है कि अवैध खनन करने वालों द्वारा कुछ क्षेत्रों में तीसरी पारी चलायी जाती है;

(ङ) क्या अप्रयुक्त क्षेत्रों में भी अवैध खनन जारी है;

(च) क्या उक्त अवैध खनन कर्ताओं के साथ अधिकारियों और पुलिस की मिलीभगत है; और

(छ) क्या अवैध खननकर्ताओं को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (छ) कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम में 1976 में संशोधत किया गया था जिसके जरिये अधिनियम द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों से इतर किसी भी व्यक्ति को भारत में किसी भी रूप में कोयले का खनन करने से मना कर दिया गया था और लोहे तथा इस्पात के उत्पादन में लगी गैर-सरकारी कम्पनियों को छोड़कर अन्य सभी गैर-सरकारी कम्पनियों को दिए गए कोयले के खनन और कोयला निकालने सम्बन्धी सभी पट्टे रद्द कर दिए गये थे। कोयले के गैर-कानूनी खनन को दंडनीय अपराध भी बनाया गया था और इसके लिए तीन वर्ष तक की कैद और रु० 20,000/-तक के जुर्माने के दंड की व्यवस्था है। उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 11-4-1980 और 7-5-1980 के निर्णयों में इन व्यवस्थाओं को वैध ठहराया है।

इन निर्णयों के बाद, गैर-कानूनी खनन काफी हद तक कम हो गया है। परन्तु कोयला पट्टी बहुत विशाल है और कुछ व्यक्ति समय-समय पर कानून के इन प्रावधानों का उल्लंघन करते रहते हैं और गैर-कानूनी ढंग से कोयला निकालते रहते हैं। कोयला कंपनियों के पट्टा-धारी क्षेत्र में कोयले के संगठित गैर-कानूनी खनन की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

राज्य सरकारों और कोयला कम्पनियों से कहा गया है कि वे अपराधियों के विरूद्ध समेकित कार्रवाई करें। राज्य सरकारों ने भी जिला प्राधिकारियों को यह अनुदेश जारी किए हैं कि

भारतीय दंड संहिता के साथ पठित कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम के अधीन दंड देने और गैर-कानूनी काम रोकने की कार्रवाई करें। कोयला कंपनियों को भी यह निर्देश दिए गए हैं कि जब कभी कोयले के गैर-कानूनी खनन का पता चले तो वे सम्बन्धित प्राधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करें। कोयले का गैर-कानूनी खनन रोकने के लिये राज्य प्राधिकारियों के सहयोग के साथ कोयला कंपनियों द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं :—

1— अपराधियों को पकड़ने के लिये राज्य पुलिस के साथ मिलकर कोयला कंपनियां नियमित आकस्मिक छापे मारती हैं।

2— कोयले का गैर-कानूनी खनन रोकने की दृष्टि से उपाय तय करने के लिये राज्य पुलिस और सिविल प्राधिकारियों के साथ नियमित समन्वय बैठकें की जा रही हैं।

3— जहां कहीं संभव होता है वहां कोयला कंपनियां गैर-कानूनी खनन स्थलों और "रैट होलों" को सील कर देती हैं।

4— जब कभी कोलियरी के प्रबन्ध मंडल को गैर-कानूनी खनन का पता चलता है तो वह स्थानीय पुलिस को इसकी रिपोर्ट करता है।

5— केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात करके कोयला कंपनियों के सुरक्षा बल को और मजबूत बनाना।

इंडियन आयल कारपोरेशन में स्थानांतरण और पदोन्नति संबंधी नीति

3888. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन आयल कारपोरेशन के किसी कर्मचारी को एक ही स्थान पर चार वर्षों तक रहने की अनुमति नहीं है;

(ख) एक ही स्थान पर चार वर्षों से अधिक समय के लिये रहने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इण्डियन आयल कारपोरेशन में कर्मचारियों के लिये स्थनांतरण और पदोन्नति संबन्धी कोई नियम हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) इंडियन आयल कारपोरेशन के लगभग 27,000 कर्मचारियों, जो पूरे भारत में फैले हुए हैं, के बारे में ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) अधिकारियों/कर्मचारियों का अधिक विवेकपूर्ण रूप से स्थानान्तरण करने में प्रबंधकों की सहायता के लिए इंडियन आयल कार्पोरेशन के निदेशक मण्डल ने कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत अनुमोदित किये हैं। मोटे तौर पर, इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह व्यवस्था है कि आई० ओ० सी० के रिफाइनरीज तथा पाइपलाइन प्रभाग के अधिकारियों के स्थानान्तरण पर 5-6 वर्षों के बाद विचार किया जा सकता है और विपणन प्रभाग के अधिकारियों के स्थानान्तरण पर 4-5 वर्षों के बाद विचार किया जा सकता है। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में और आगे यह भी परिकल्पना की गई है कि ऐसे स्थानान्तरण करते समय सम्बन्धित अधिकारी के कार्यों की प्रकृति और विशिष्ट समस्याओं को भी ध्यान में रखा जायें।

जहां तक गैर-अधिकारियों (कर्मचारियों) का सम्बन्ध है, स्थानांतरण नीति में एक प्रभाग से दूसरे प्रभाग में भिन्नता है।

अधिकारियों के संघ और संबंधित मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियन के साथ परामर्श करके प्रोन्नति नीति तैयार की गई है। मोटे तौर पर, प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए, गुणावगुण, वरीयता, शैक्षिक अर्हताएं, पात्रता की पूरा करने का मानदण्ड आदि बुनियादी शर्तें हैं।

पटना में टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन

3889. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना में एक टेलीफोन सलाहकार समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त समिति के गठन के बाद इसकी कितनी बैठकें हुई हैं; और

(घ) क्या इसके निर्णयों से पटना की टेलीफोन प्रणाली में कोई सुधार हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिसे सभा पटल पर रखा गया है।

(ग) चार।

(घ) टेलीफोन प्रणाली में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं और इस उद्देश्य के लिए माननीय सदस्यों के सुझावों का उपयोग किया जा रहा है।

विवरण

पटना टेलीफोन सलाहकार समिति

सदस्य का नाम	जिस हित का प्रतिनिधित्व करते हैं
श्री ओ० एम० अग्रवाल उप रजिस्ट्रार, श्रम एवं रोजगार बिहार सरकार, पटना	राज्य प्रशासन
श्री प्रमोद कुमार शर्मा विधायक, मार्फत सचिव, बिहार विधान सभा पटना	राज्य विधान परिषद
श्री झमेली शाह पार्षद एवं भूतपूर्व उप मेयर शाहगंज रोड महन्द्रा, पटना	नागरिक निकाय
प्रो० के० के० तिवारी 54, साउथ एवेन्यू नई दिल्ली	संसद सदस्य
श्री कुंवर राम 40, साउथ एवेन्यू नई दिल्ली	—वही—

श्री रामावतार शास्त्री 28, नार्थ एवेन्यू नई दिल्ली	—वही—
श्रीमती प्रतिभा सिंह 2, हेली रोड, नई दिल्ली	—वही—
श्री धैर्यनन्द झा बिहार वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन साउथ मांदिरी, विद्यापति मार्ग पटना	प्रेस
डा० गोपाल प्रसाद सिंह पटना (मीठापुर) डी वी सी कालोनी के समीप	चिकित्सा व्यवसाय
श्री के० पी० झुनझुनवाला महासचिव, बिहार वाणिज्य मंडल जज कोर्ट, रोड पटना	व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग
श्री दिलीप अग्रवाल उद्योगपति किदवईपुरी, पटना	—वही—
श्री नरेन्द्र कुमार सिंह अध्यक्ष, बिहार राज्य होम्योपैथिक मेडिशन बोर्ड पटना	समाज सेवक एवं अन्य
श्री उदय कुमार सरमेश कोठी, जामेद रोड पटना	—वही—
श्री रामि चरित्र प्रसाद महासचिव, जिला कांग्रेस कमेटी पटना पुन्ने चौक, पटना	—वही—
डा० एम० वी० सिद्धी की वनस्पति विज्ञान विभाग पटना साइन्स कालेज पटना	—वही—

गैर-सरकारी क्षेत्र के गैस पर आधारित यूरिया उर्वरक संयंत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की सहायता

3890. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक से संबंध अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने देश में गैर-सरकारी क्षेत्र की गैस पर आधारित तीन यूरिया उर्वरक संयंत्रों का वित्त पोषण करने की तीव्र इच्छा जाहिर की है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का शिष्टमंडल भारत की यात्रा पर आया था और उनके मन्त्रालय के साथ बातचीत की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई करार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यूरिया संयंत्र की कहां तक सहायता करने हेतु राजी हुआ है;

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के उपाध्यक्ष तथा अन्य प्रतिनिधियों ने जनवरी, 1984 में भारत का दौरा किया और देश में निजी क्षेत्र में गैस पर आधारित यूरिया उर्वरक संयंत्रों के लिए सहायता देने पर विचार करने की इच्छा व्यक्त की। इस सम्बन्ध में कोई औपचारिक प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

दूर संचार के सम्बंध में राष्ट्रीय सम्मेलन

3891. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मास दिसम्बर, 1983 के दौरान राष्ट्रीय संचार सेम्मेलन ने यह सिफारिश की थी कि एक राष्ट्रीय दूरसंचार प्राधिकरण की स्थापना की जाये और उसे दूरसंचार विकास को तेज करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सम्मेलन की ये सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(ग) अन्य क्या सिफारिशें की गई थीं; और

(घ) सरकार ने उन सिफारिशों की किस सीमा तक जांच की है और उनको कार्यान्वित किया है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां, इस प्रकार की एक सिफारिश थी।

(ख) सिफारिश को नोट कर लिया गया है।

(ग) जी हां, अन्य सिफारिशें भी थीं।

(घ) इन्हें भी नोट कर लिया गया है।

लोहिया मशीन लिमिटेड, कानपुर

3892 **श्री बी० बी० देसाई** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने लोहिया मशीन लिमिटेड, कानपुर के विरुद्ध जांच शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कंपनी के विरुद्ध मुख्य शिकायत यह है कि इसके डिबेंचर में धनराशि जमा करने के लिए इसने विवरणिका जारी की है और यह आफ सूचित किया है कि डिबेंचर में 200/-रुपये जमा करने वाले डिबेंचर धारकों को स्कूटर आबंटन में अधिमानता दी जाएगी;

(ग) यदि हां, तो जांच कब की गई और क्या सरकार को जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 10 (क) (4) और धारा 37 के अन्तर्गत, मैसर्स लोहिया मशीन्स लिमिटेड, कानपुर, द्वारा ऋणपत्रों के द्वारा चन्दे के लिए विवरणिका जारी करने तथा यह अधिसूचित करने कि ऋणपत्रधारी ऋणपत्रों के लिए 200 रु० अदा करने पर स्कूटर आबंटन में अधिमान्य व्यवहार प्राप्त करेंगे, जैसी अवरोधक व्यापार प्रथा के आरोप के विरुद्ध 13-12-1983 को जांच गठित की है। उपरोक्त जांच प्रारम्भिक स्तर पर है।

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को कम करने के लिए उठाए गए कदम

3893. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के बहुत अधिक मूल्य के आयात को, जोकि 1983-84 के दौरान 3,500 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन उत्पादों की मांग को कम करने के लिए कुछ नए कदम उठाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही विभिन्न कदम उठाए जा चुके हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. पहले की वास्तविक खपत, मौसमी परिवर्तनों, अन्य ईंधनों की उपलब्धता आदि पर आधारित तेल किफायती बजट के द्वारा प्रभावी मांग प्रबंध।

2. वित्तीय उपायों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों विशेष रूप से पेट्रोल की खपत पर नियंत्रण रखना।

3. पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् घरेलू, परिवहन, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों को विभिन्न संरक्षण गतिविधियों का समन्वय कर रहा है। इनमें निम्नलिखित में सुधार करना शामिल है : (क) पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोग में कुशलता (ख) गर्म करने के उपकरण जैसे मिट्टी के तेल के स्टोव, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के बर्नर, औद्योगिक बर्नर आदि की ताप कुशलता और (ग) पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग तथा व्यापारीकरण करने वाले व्यवहार जैसे गाड़ी चलाने की आदतें, खाना पकाने की आदतों आदि।

4. उपभोक्ताओं में जागृति पैदा करने तथा ईंधनों की बचत करने के सरल संकेत देने के लिए प्रेस, रेडियो, दूरदर्शन के द्वारा सामूहिक शैक्षिक कार्यक्रम चलाये गये हैं।

5. ऊर्जा के विभिन्न वैकल्पिक साधनों का विकास किया जा रहा है। इनमें सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायो-गैस, सुधरे हुए लकड़ी के चूल्हे, सोफ्ट कोक का इस्तेमाल आदि शामिल हैं।

1983-84 के दौरान पन बिजली उत्पादन

3894. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अच्छी वर्षा होने के बावजूद देश में गत वर्ष (1982-83) की तुलना में इस वर्ष (1983-84) में पन बिजली उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो दोनों वर्षों के पन-बिजली संबन्धी तुलनात्मक आकड़े क्या हैं; और

(ग) पन बिजली उत्पादन में आई गिरावट के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) वर्ष 1983-84 के दौरान जल विद्युत उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है। अप्रैल, 1983 से फरवरी, 1984 के दौरान देश में कुल जल विद्युत उत्पादन 45818 मिलियन यूनिट हुआ था, जबकि इसकी तुलना में 1982-83 की इसी अवधि के दौरान यह 44807 मिलियन यूनिट था।

टायर उत्पादों के विरुद्ध शिकायतें

3895. **श्री ईरा बनबरासु** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि टायर उत्पादक, जो कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार, अधिनियम की परिधि में आते हैं, अपने चहेते व्यापारियों को एक ही प्रकार के टायर अलग-अलग कीमतों पर अलग-अलग नामों के अधीन सप्लाई करते हैं और इस तरह वे ग्राहकों और उत्पादन-शुल्क अधिकारियों दोनों को धोखा देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो लाभ में वृद्धि करने के लिए इस प्रकार के सभी जालसाजी के तरीकों को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) इस प्रकार की कोई भी शिकायत कम्पनी कार्य विभाग या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की सूचना में नहीं लाई गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"नेहरू" फिल्म का निर्माण

3896. **डा० वसंत कुमार पण्डित**
श्री नवीन रावणी } : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-सोवियत संघ सहयोग परियोजना के अन्तर्गत बनने वाली "नेहरू" फिल्म का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो उसके कब रिलीज किये जाने की सम्भावना है;

(ग) उक्त परियोजना की मूल रूप से स्वीकृत धनराशि कितनी थी और वर्ष 1984 के दौरान उसमें कितनी वृद्धि हुई; और

(घ) उक्त फिल्म की लागत में हुई वृद्धि का औचित्य क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(क) फिल्म के अगस्त, 1984 तक मुकम्मल हो जाने की संभावना है। इसके मुकम्मल हो जाने के बाद ही उसको रिलीज करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

(ग) और (घ) प्रारम्भ में 25 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई थी। परियोजना की वित्तीय आवश्यकता का पुन: आंकलन करने पर इसे बढ़ा कर 57,68,400/-रुपये कर दिया गया था।

मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन और वितरण

3897. **डा० वसंत कुमार पण्डित** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में विद्युत ऊर्जा प्रतिदिन कितना औसत उत्पादन होता है और उसे राष्ट्रीय/राज्य ग्रिड से कितनी बिजली प्राप्त होती है;

(ख) मध्य प्रदेश में प्रतिदिन (1) घरेलू/सड़कों पर रोशनी (2) औद्योगिक उपयोग (3) कृषि कार्यों और (4) अन्य प्रयोजनों के लिए कितनी बिजली दी जाती है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्युत की अनियमित सप्लाई के कारण मध्य में फसल के मौसम में कृषि कार्यों में बाधा न पड़े क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) केन्द्रीय तथा राज्य परियोजनाओं से मध्य प्रदेश की विद्युत ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूरा कोटा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) फरवरी, 1984 के दौरान मध्य प्रदेश के विद्युत केन्द्रों से कुल औसत दैनिक ऊर्जा उत्पादन 27.89 मिलीयन यूनिट था। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश को केन्द्रीय/राज्य क्षेत्रों से प्रतिदिन 4.80 मिलियन यूनिट विद्युत प्राप्त हुई।

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान अन्तिम उपभोक्ता की विभिन्न श्रेणियों को ऊर्जा की बिक्री (मिलियन यूनिट में) निम्नानुसार थी :—

घरेलू	380·80
वाणिज्यिक	232·44
औद्योगिक निम्न वोल्टता/ मध्यम वोल्टता	354·02
औद्योगिक उच्च वोल्टता	3293·5
सार्वजनिक रोशनी	42.52
कर्षण	142·47
कृषि	383.45
पब्लिक वाटर वर्क्स	176·89
विविध	0·03

(ग) कृषि उत्पादन के महत्व को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों तथा बिजली बोर्डों को विद्युत की सप्लाई के मामले में कृषि उपभोक्ताओं को उच्चतम प्राथमिकता देने की सलाह दी है। फरवरी, 1984 में राज्य में कृषि उपभोक्ताओं को औसतन प्रतिदिन 15 घंटे विद्युत सप्लाई की गई थी।

(घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केन्द्रीय क्षेत्र में कोरबा सु० ता० विद्युत केन्द्र के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में विन्ध्याचल क्षेत्रीय सुपर ताप विद्युत केन्द्र का क्रियान्वयन कर रहा है। राज्य में विद्युत सप्लाई की स्थिति में और सुधार लाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की कई निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र चालू किया जा रहा है।

डोक्सो साइक्लीन के आयात से इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स और रेनबक्सी द्वारा डोक्सीसाइक्लीन के उत्पादन में बाधा

3898. **डा० बसंत कुमार पण्डित** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डोक्सीसाइक्लीन के अंधाधुंध आयात के कारण इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० और रेनबक्सी द्वारा इसका उत्पादन रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो डोक्सी साइक्लीन के देशी उत्पादन की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान डोक्सीसाइक्लीन के आयात की मात्रा और मूल्य का विवरण क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) वर्ष 1981-82 में मेरे मंत्रालय को पता लगा था कि डाक्सीसाइक्लीन के आयात की बढ़ती हुई प्रवृति से इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० और रेनबैक्सी नामक स्वदेशी उत्पादकों द्वारा इस औषध के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। डाक्सीसाइक्लीन और इसके मध्यवर्तियों के आयात को सीमित करने के लिये कार्यवाही की गई थी। डाक्सीसाइक्लीन मध्यवर्तियाँ शामिल करने हेतु 1982-83 के लिए आयात नीति (सरणीबद्ध औषधियों की सूची) के परिशिष्ट 9 में प्रविष्टि का संशोधित किया गया था। डाक्सीसाइक्लीन का सरणीबद्ध आयात नहीं किया जा रहा है।

निम्नलिखित आंकड़ों से यह पता लगता है कि डाक्सीसाइक्लीन का आयात जो पिछले वर्षों की तुलना में 1981-82 में बढ गया था, 1982-83 के दौरान पर्याप्त कम हो गया है। कमी की प्रवृति 1983-84 में भी जारी रही। 1983-84 के प्रथम छः महीनों के दौरान 57,655 रु० मूल्य की 30 कि०ग्रा० सामग्री का आयात किया गया है।

गत तीन वर्षों के दौरान आयात की गई डाक्साइक्लीन की मात्रा और मूल्य निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1980-81	6175 कि०ग्रा०	रुपये 77.15 लाख
1981-82	8364 " "	" 110.00 "
1982-83	1808.86 " "	" 25.16 "

खाना-पकाने की गैस के सिलेंडरों का आयात

3899. **श्री नवलकिशोर शर्मा**
श्री डी०एम० पुत्ते गौडा } : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैस सिलेंडरों के अत्यधिक अभाव को दूर करने के लिए गैस सिलेंडरों का आयात करने का है;

(ख) आयातित सिलेण्डरों के देश में कब पहुंचने की संभावना है; और

(ग) इन गैस सिलेंडरों के आयात से किस हद तक गैस सिलेंडरों का अभाव दूर हो जाएगा और एल पी जी सिलेंडरों के और अधिक आयात का देश में उनके निर्माण का क्या कार्य है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1984-85 में सिलेंडरों का आयात किये जाने की आशा है।

(ग) आयातित सिलेंडर और उसके साथ देश में उत्पादित सिलेण्डर आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त होंगे। चूंकि देश में सिलेण्डरों के निर्माण के लिये पर्याप्त क्षमता पंजीकृत की गयी है, आशा है कि भविष्य में सारी आवश्यकता देशी स्रोतों से पूरी की जायेगी।

पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल्स पर दूरदर्शन केंद्र स्थापित करना

3900. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिमी बंगाल में टाइगर हिल्स पर दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के बारे में पश्चिमी बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि कुरसिओंग में प्रस्तावित दूरदर्शन केन्द्र दार्जलिंग जो कि अधिक ऊंचाई पर स्थित है, की मांग पूरी नहीं कर सकेगा; और

(ग) यदि हां, तो दूरदर्शन प्रसारण के मामले में दार्जलिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (ख) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं, कुर्सियांग का प्रस्तावित दूरदर्शन केन्द्र पूरे दार्जलिंग जिले में सिग्नल उपलब्ध करेगा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में मेझिया में बिजली परियोजना

3901. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मेझिया में ताप बिजलीघर स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पहले ही कितनी प्रगति की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में मेझिया में 210-210 मेगावाट के तीन यूनिटों वाले ताप विद्युत केंद्र की स्थापना करने के लिए दामोदर घाटी निगम के प्रस्ताव को 471.71 करोड़ रु० की अनुमानित लागत पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अप्रैल, 1982 में तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी थी, जो निम्नलिखित पहलुओं की पुष्टि हो जाने के अध्यधीन थी :—

(1) शीतलन जल की उपलब्धता।

(2) पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति ।

(3) कोयला लिंकेज ।

(4) निधियों की उपलब्धता ।

शीतलन जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो गयी है तथा पर्यावरण सम्बंधी स्वीकृति प्राप्त हो गई है । अन्य निवेशों को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

मध्य प्रदेश में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन

3902. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में किन स्थान से खाने पकाने की गैस का वितरण होता है और प्रत्येक स्थान में कितने वितरक हैं और वे कितने उपभोक्ताओं को गैस का वितरण करते हैं तथा 1 मार्च, 1984 को प्रत्येक स्थान पर कितने लोगों के नाम प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत हैं;

(ख) एक वितरक के पास खाना पकाने की गैस के उपभोक्ताओं की अधिकतम सीमा क्या है;

(ग) क्या उज्जैन के समाहर्ता कार्यालय खाद्य विभाग ने खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों की एक प्रतीक्षा सूची तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसमें पंजीकरण की पहली तारीख को कितने लोग पंजीकृत हैं और 1 मार्च, 1984 को गैस कनेक्शनों की पूर्ति की क्या स्थिति है; और

(ङ) गैस सिलेंडरों को पुन: भरे जाने की सामान्य प्रतीक्षा अवधि क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) सूचना सलग्न विवरण पत्र में दी गयी है ।

(ख)

	उच्चतम सीमा
	प्रतिमाह रिफिलों की संख्या
1. 50,000 से कम जनसंख्या	2,500
2. 50,000 से 2 लाख के बीच	3,000
3. 2 से 10 लाख के बीच	3,500
4. 10 से 20 लाख के बीच	4,000
5. 20 से 40 लाख के बीच	4,500
6. बबंई शहर को छोड़कर 40 लाख से अधिक	5,000
7. बम्बई	6,000

(ग) और (घ) जी, हां । उज्जैन कलक्टरी के खाद्य विभाग ने एल० पी० जी० कनेक्शनों को जारी करने के लिये उद्योग की ओर से एक प्रतीक्षा सूची तैयार की है और वह सूची 8818 तक है ।

(ङ) अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर, अनुरोध प्राप्त होने पर 48 घंटों के बीच उपभोक्ताओं की सप्लाई की जाती है । तथापि, कार्य-संचालन कारणों से हाल ही में मध्य प्रदेश को सप्लाई में कुछ कठिनाइयां आ गयी हैं जिन्हें शीघ्र ही दूर किया जायेगा ।

विवरण

क्र० सं०	शहर	वितरकों की संख्या	दिसम्बर,83 के अन्त तक ग्राहकों की संख्या	दिसम्बर, 1983 के अन्त तक प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4	5
1.	रायपुर	4	17032	14551
2.	भिलाई	2	14588	15021
3.	सतना	1	6009	1730
4.	रीवा	1	6239	1884
5.	जबलपुर	9	38078	14109
6.	बिलासपुर	2	9448	4087
7.	कोरबा	2	2302	1783
8.	पन्ना	1	1014	1032
9.	भोपाल	13	61307	33912
10.	उज्जन	3	16195	24146

1	2	3	4	5
11.	इंदौर	10	55342	80813
12.	रतलाम	4	15630	5910
13.	सागर	2	9034	5395
14.	महो	2	6231	1817
15.	नागदा	1	5820	1745
16.	होशंगाबाद	1	5597	12000
17.	ग्वालियर	5	29578	22066
18.	छतरपुर	1	4471	1936
19.	बुरहानपुर	2	8351	4961
20.	गुना	1	2589	1451
21.	दतिया	1	2667	1188
22.	मन्दासौर	1	2293	4625
23.	भिन्ड	1	1506	1474
24.	शिवपुरी	1	2441	2199
25.	मुरना	1	142	3180
26.	खांडवा	1	5983	3200
27.	धार	1	1300	1540
28.	विदिशा	1	4884	2480
29.	राजगढ़	1	611	310
30.	शाहदोल	1	900	348
31.	सिहोर	1	1875	1240
32.	सिवनी	1	782	585
33.	छिदवाड़ा	1	2900	1405
34.	बेटोल	1	1865	725
35.	देवास	1	1900	1250
36.	मांडला	1	850	410
37.	नेपानगर	1	1200	700
38.	मलंजखण्ड	1	600	350
39.	कतना	1	900	800
40.	दुर्ग	1	950	500
41.	घमतारी	1	1290	710
42.	राजनन्दगांव	1	1980	1090
43.	जगदलपुर	1.	450	200
44.	राजगढ़	1	900	450
45.	झबुआ	1	650	608
46.	नरसिंहपुर	1	2380	425
47.	टीकमगढ़	1	2765	450
48.	शाजापुर	1	2871	1400
49.	सिधी	1	1500	—
50.	खारगोने	1	1050	2700

राज्य बिजली बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सहायता का उपयोग न किया जाना

3903. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र द्वारा पर्याप्त वित्तीय आंबटन के बावजूद विभिन्न राज्यों के बिजली बोर्ड धनराशि का उपयोग नहीं कर पाये ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने धनराशि का उपयोग नहीं किया है ; और

(ड़) बिजली बोर्डों द्वारा धनराशि का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं और इससे बिजली उत्पादन कहां तक प्रभावित होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार राज्य बिजली बोर्डों के लिए वित्तीय आबंटन नहीं करती है। केन्द्रीय सहायता राज्यों को उनकी वार्षिक योजना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित फार्मूले के आधार पर ब्लाक ऋणों और ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है। यह राज्य को उसकी समस्त योजना के लिए दी जाती है तथा यह राज्य में किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा संगठन से संबंधित नहीं होती।

(ग) पिछली तीन वार्षिक योजनाओं में राज्यों को आबंटित केन्द्रीय सहायता निम्नानुसार थी :

	(करोड़ रु० में)
1980-81	2864
1981-82	3000
1982-83	3481

(घ) वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए राज्यवार वार्षिक योजना परिव्यय तथा इसकी तुलना में राज्यों द्वारा किया गया व्यय दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(ड़) राज्य बिजली बोर्डों के समग्र कार्यनिष्पादन का मुख्य रूप से दायित्व राज्य सरकारों का है। विद्युत विभाग भी समय-समय पर राज्य बिजली बोर्डों को उनकी परियोजना प्रबंध प्रक्रियाओं, वित्तीय तथा प्रचालनात्मक कार्यनिष्पादन, कार्मिकों को प्रशिक्षण देने आदि सहित उनके प्रबंध में सुधार लाने के लिए समुचित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करता रहा है। मानीटरिंग करने तथा कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर विभिन्न राज्यों के विद्युत कार्यक्रमों की समीक्षा भी की जाती है।

क्रम सं०	राज्य का नाम	अनुमोदित परिव्यय			वास्तविक व्यय (करोड़ रुपये में)		
		1980-81	1981-82	1982-83	1980-81	1981-82	1982-83
1.	आंध्र प्रदेश	159.32	155.53	173.53	138.06	152.75	136.66
2.	असम	74.80	77.47	90.70	78.68	77.10	78.14
3.	बिहार	120.88	137.49	155.73	107.10	140.57	132.50
4.	गुजरात	110.00	163.07	209.00	127.88	163.34	164.16
5.	हरियाणा	73.73	80.46	102.50	69.46	86.90	118.14
6.	हिमाचल प्रदेश	20.81	23.32	29.92	21.60	23.37	36.79
7.	जम्मू व कश्मीर	21.25	28.74	24.36	19.81	22.20	24.36
8.	कर्नाटक	99.50	121.50	141.81	92.12	126.93	146.29
9.	केरल	50.07	50.09	50.00	68.40	66.91	48.23
10.	मध्य प्रदेश	222.03	264.00	300.00	221.08	259.32	296.76
11.	महाराष्ट्र	318.61	350.94	440.00	327.85	326.30	397.63
12.	मणिपुर	3.78	3.80	4.47	3.10	2.29	2.62
13.	मेघालय	8.59	9.00	9.00	6.51	5.97	4.50
14.	नागालैंड	2.63	2.90	3.12	2.91	3.41	4.45
15.	उड़ीसा	73.45	75.44	84.00	71.27	82.79	79.19
16.	पंजाब	104.31	133.60	189.38	103.10	139.66	200.30
17.	राजस्थान	117.27	117.12	114.09	110 01	119.37	105.67
18.	सिक्किम	2.60	2.26	2.50	2.64	2.45	2.49
19.	तमिलनाडु	154.96	167.06	200.00	158.61	178.68	191.02
20.	त्रिपुरा	3.57	3.74	4.61	4.52	4.69	4.67
21.	उत्तर प्रदेश	301.35	354.95	400.16	265.18	347.07	388.79
22.	पश्चिम बंगाल	144.70	144.00	163.35	137.47	130.56	116.31

हैदराबाद में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना

3904. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हैदराबाद में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक स्थापित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) जी, हां, ।

(ख) वित्तीय अभावों के कारण कोई प्रगति नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में उप डाक घर और शाखा डाकघर खोलना

3905. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में डाक घर और शाखा डाकघर खोलने के लिये निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उत्तर प्रदेश के विशुद्ध छः पर्वतीय जिलों में, चालू योजना अवधि के दौरान कुल कितने उप डाकघर और शाखा डाकघर खोले जाने चाहिए थे और वास्तव में जिला बार कितने ऐसे डाकघर और शाखा डाकघर खोले गए हैं ।

(ख) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि वर्तमान मानदण्डों के पूरा किये जाने के बावजूद भी इन भागों के कई क्षेत्रों में घोषित समयसीमा के भीतर डाक सुविधा नहीं मिल पायेगी;

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि वहां सभी गांवों को घोषित समय सीमा के भीतर डाक सुविधा मिल जाये, क्या उनके मंत्रालय का विचार इस संबंध में कोई द्रुत कार्यक्रम आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उनका मंत्रालय सभी लोगों को निकटतम डाक सुविधा उपलब्ध कराने के लिये क्या वैकल्पिक कदम उठा रहा है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) शाखा डाकघरों के बारे में जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है । उप-डाकघर खोलने का कार्यक्रम योजना लक्ष्यों के अंतर्गत नहीं आता है । औचित्य सिद्ध होने पर डाकघर खोल दिए जाते हैं ।

(ख) और (ग) शाखा डाकघर एक चरणवद्ध रूप में खोले जाते हैं बशर्ते कि कोष उपलब्ध हो तथा समूचे देश में डाक सेवाओं के विस्तार को ध्यान में रखा जाता है । योजना लक्ष्य निर्धारित करते समय जनजातीय पिछड़े क्षेत्रों का उचित महत्व दिया जाता है ।

(घ) जिन गाँवों में डाकघर नहीं हैं, वहां काउंटर सेवाएं निकटतम शाखा पोस्टमास्टर, जो एक दिन में निश्चित समय के लिए गाँवों का दौरा करता है, के माध्यम से उत्तरोत्तर प्रदान की जा रही है ।

विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	औचित्यपूर्ण डाकघरों की संख्या	1.4.80 से 29.2.84 तक वास्तव में खोले गए डाकघरों की संख्या	अनुबंध औचित्यपूर्ण डाकघरों की संख्या जो अभी तक खोले नहीं गए हैं ।
1.	अल्मोड़ा	40	31	9
2.	पिथौरागढ़	45	28	17
3.	चमोली	33	20	13
4.	पौड़ी	32	17	15
5.	टिहरी	19	13	6
6.	उत्तर काशी	21	21	—
	योग:—	190	130	60

उत्तर प्रदेश में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करना

3906. **श्री हरीश रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां नये टी० वी० प्रसारण केन्द्र स्थापित किए जाने हैं और इन केन्द्रों में काम कब से शुरू हो जायेगा;

(ख) उन सुदूर सीमावर्ती जिलों के नाम क्या हैं जहां पर वर्तमान टी० वी० विस्तारण योजना के अन्तर्गत टी० वी० प्रसारण केन्द्र मंजूर किए गए हैं;

(ग) क्या उन्हें यह तथ्य मालूम है कि उत्तर प्रदेश के 90% से अधिक सीमा क्षेत्र इन टी० वी० प्रसारणों का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या इससे वर्तमान टी० वी० विस्तारण योजना के घोषित मानदण्डों की अवहेलना नहीं होती है; और

(ङ) उक्त राज्य के उन सीमान्त जिलों के नाम क्या हैं जहां पर सरकार इस कमी को दूर करने हेतु टी० वी० टावर स्थापित करेगी और कब तक ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) उत्तर प्रदेश में आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी तथा गोरखपुर में उच्च शक्ति वाले चार ट्रांसमीटर और बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सुल्तानपुर, रायबरेली फैजाबाद, इटावा, बहराइच शाहजहांपुर, रामपुर, पौड़ी गढ़वाल, फरूखाबाद, सम्बल तथा नैनीताल में अल्प शक्ति वाले पन्द्रह ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं। इन सभी केन्द्रों के 1984-85 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है। इलाहाबाद में एक किलोवाट के ट्रांसमीटर के साथ अंतरिम ढांचा पहले ही चालू कर दिया गया है।

(ख) देवरिया में पहले ही कार्य कर रहे अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर के अतिरिक्त, तीन और ट्रांसमीटर गोरखपुर, नैनीताल तथा बहराइच में स्थापित किये जा रहे हैं। बस्ती, गोंडा तथा खेड़ी के तीन और सीमावर्ती जिलों में भी दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होगी।

(ग) से (ङ) हाथ में ली गई स्कीमों के कार्यान्वित हो जानें पर, कुल 11 सीमावर्ती जिलों में से सात जिलों अर्थात् देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, खेड़ी तथा नैनीताल में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है। देश में दूरदर्शन सेवा का विस्तार चरण बद्ध ढंग से किया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों सहित उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन सेवा का और विस्तार करने के बारे में विचार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए भावी योजनाओं में किया जायेगा।

कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के प्रस्तावित बेंजीन रिकवरी संयंत्र

3907. **श्री के० ए० राजन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड के प्रस्ताव बेंजीन रिकवरी संयंत्र के आकार को, वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग की आपतियों के बावजूद छोटा किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि दक्षिणी क्षेत्र, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडू शामिल है, भी मांग को देखते हुए अपेक्षाकृत बड़े संयंत्र की आवश्यकता होने के बावजूद ऐसा किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसा उत्तर प्रदेश में सलेमपुर में पैट्रो-कैमिकल कम्पलैक्स स्थापित करने हेतु किया जा रहा है, अन्यथा जिसका कोई औचित्य नहीं होगा; और

(घ) तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) कोचीन में बेंजीन प्रतिप्राप्ति यूनिट की क्षमता के बारे में निर्णय लेते समय, सम्बद्ध तत्वों जैसे कि बेंजीन की क्षेत्रीय तथा देश में मांग, इसकी उपलब्धता, अधिशेष तथा अभाव इत्यादि को ध्यान में रखा जा रहा है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जीवन रक्षक औषधियों का स्वदेश में निर्माण

3908. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक औषध भेषज कंपनियों ने जीवन रक्षक औषधियों का निर्माण बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के नाम और इनके द्वारा बनाई जाने वाली औषधियों के नाम क्या हैं, और

(ग) क्या सरकार ने देश में जीवन रक्षक औषधियों के निर्माण की कोई विशेष व्यवस्था की है;

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों से जीवन रक्षक औषधों सप्ति प्रपुंज औषधों का उत्पादन बढ़ रहा है । संगठित क्षेत्र में कुछ औषधों के मामले में निम्नलिखित एक या अधिक कारणों से उत्पादन कम हुआ है :—

(i) लघु उद्योग क्षेत्र से प्रतियोगिता ।

(ii) नवीनतम औषधों में प्रतियोगिता तथा उसके परिणामस्वरूप मांग में कमी ।

(iii) उत्पादन की उच्चतर लागत तथा आयातों से प्रतियोगिता ।

(ग) स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं ।

(i) डी० जी० टी० डी० पंजीकरणों सहित बड़ी संख्या में औद्योगिक अनुमोदन स्वीकृत किए गए हैं ।

(ii) सरकारी क्षेत्र में प्रपुंज औषधों तथा फार्मूलेशनों की क्षमता में विस्तार किया गया है ।

(iii) उन्नत प्रौद्योगिकी आरम्भ करने, कच्चे माल की प्राप्ति तथा वर्तमान औषध एककों के सम्बन्ध में उपयोगिताओं की आपूर्ति के सम्बन्ध में उत्पादक में आने वाली बाधाओं को हटाने के लिए सहायता दी जाती है ।

(iv) औद्योगिक लाइसेंसों तथा आशय-पत्रों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग की जाती है और ऐसे एककों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों, यदि कोई हो, की जांच की जाती है ।

(v) औषध उद्योग पर भी स्वत: वृद्धि सम्बन्धी योजना लागू की गयी है ।

(vi) स्थापित क्षमताओं को मान्यता देने की योजनाओं तथा उच्चतर क्षमताओं के पुन: पृष्ठांकन सम्बन्धी योजना को कुछ शर्तों के साथ औषध उद्योग पर लागू किया गया है ।

बिहार में बरौनी में पेट्रो-कैमिकल्स काम्प्लैक्स की स्थापना

3909. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बरौनी में पेट्रो-कैमिकल काम्प्लैक्स की स्थापना करने के लिए लोग बराबर मांग करते रहे हैं और बिहार सरकार से भी प्रस्ताव करती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारणों सहित उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बरौनी उर्वरकों पेट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पादों का कुल कितना उत्पादन हुआ है और उसे अधिष्ठापित क्षमता के स्तर पर लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) बिहार में पेट्रो-केमिकल काम्प्लेक्स की स्थापना करने के सम्बन्ध में सुझाव और प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। बिहार में निम्नलिखित पेट्रो-केमिकल संयंत्रों की स्थापना के लिए आशय-पत्र पहले से ही जारी किये जा चुके हैं :—

(i) प्रति वर्ष 10,000 मी० टन स्टाइरीन और पोली स्टाइरीन का उत्पादन करने के लिए बिहार स्टेट फार्मास्युटिकल एण्ड केमिकल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को।

(ii) प्रति वर्ष 6,000 मी० टन नायलान फिलामेंट यार्न का उत्पादन करने के लिए बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन को।

बरौनी के निकट एक पेट्रो-केमिकल संयंत्र के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

(ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (बरौनी यूनिट)

1980-81, 1981-82 और 1982-83 के वर्षों के लिए उर्वरकों (नाइट्रोजन) का कुल उत्पादन (मी० टन में)	स्थापित क्षमता के स्तर तक उत्पादन को लाने के लिए उठाये जा रहे कदम।
196,515	बिहार सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह इस यूनिट को विद्युत की नियमित तथा पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करे। संयंत्र के नाजुक उपकरण को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने गैस टर्बाइन के अलावा एक घरेलू विद्युत संयंत्र को भी अनुमोदन प्रदान किया है। प्रतिस्थापन लगातार तंग करने वाले कुछ उपकरणों में संशोधन करके संयंत्र के कार्य निष्पादन मेंसुधार लाने के लिए विभिन्न कदम उठाये गये हैं।

2. बरौनी रिफाइनरी

1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के लिए कुल क्रूड थ्रूपुट तथा पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन (000 मी० टनों में)		स्थापित क्षमता के स्तर तक उत्पादन को लाने के लिए उठाए जा रहे कदम
क्रूड थ्रूपुट	पेट्रोलियम उत्पाद	
6605	6066	रिफाइनरी के कार्य-निष्पादन की निगरानी लगातार आधार पर की जा रही है और जहां कहीं आवश्यकता होती है सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है।

बिहार के लिये जिलेवार विर्धारित न्यूनतम मजूरी

3910. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में राज्य-वार और बिहार में जिलेवार नवीनतम न्यूनतम मजूरी कितनी निर्धारित की गई है तथा उसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन विभिन्न अनुसूचित रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर का निर्धारण, उनमें संशोधन और उन्हें लागू करने का काम समुचित सरकारों द्वारा किया जाता है, जो अधिकांश मामलों में राज्य सरकारें हैं। न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारण और उनमें संशोधन केंद्रीय सरकार द्वारा ही नहीं किया जाता। केंद्रीय सरकार केवल कुछ ही रोजगारों, विशेष रूप से खानों में रोजगारों के सम्बन्ध में न्यूनतम मजदूरी दरों को निर्धारित करने व उनमें संशोधन करने के लिए समुचित प्राधिकारी है। एक विवरण संलग्न है जिसमें बिहार सरकार द्वारा विभिन्न अनुसूचित रोजगारों में अकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरें दर्शाई गई हैं।

न्यूनतम मजदूरी को लागू करने के उद्देश्य से, बिहार सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने सभी रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी दरों के प्रवर्तन के काम की निगरानी करने के लिए निरीक्षक नियुक्त किए हैं। कुछ अन्य उपाय भी किए गए हैं जिनमें विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय कार्यान्वयन समितियों का गठन करना, अधिनियम के अधीन निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों का व्यापक प्रचार करना, राजस्व, पंचायत आदि जैसे अन्य विभागों के अधिकारियों को सहयोजित करना शामिल है।

विवरण

क्र० सं०	रोजगार का नाम	वर्तमान न्यूनतम मजदूरी-दरें
1	2	3
	बिहार	
1.	सड़कों का निर्माण या अनुरक्षण या भवन संक्रियाएं।	3.90 रु० प्रतिदिन+परिवर्ती मंहगाई भत्ता।
2.	बांध (डैम) निर्माण और सिंचाई कार्य।	5.00 रु० प्रतिदिन+परिवर्ती मंहगाई भत्ता।
3.	कांच उद्योग (ग्लास शीटों को छोड़कर)।	9.25 रु० प्रतिदिन
4.	तेन्दु पत्तियां तोड़ना और उनको तैयार करना।	7.00 रु० प्रतिदिन+परिवर्ती मंहगाई भत्ता।
5.	सिनेमा	132 रु० से 161 रु० प्रति माह+परिवर्ती मंहगाई भत्ता।
6.	चावल मिल, आटा मिल और दाल मिल।	110.75 रु० प्रति माह+परिवर्ती मंहगाई भत्ता।
7.	तेल मिल।	110.75 रु० प्रति माह+परिवर्ती मंहगाई भत्ता।
8.	इंट बनाना।	10.50 रु० प्रति दिन।
9.	कोल्ड स्टोरेज।	4.75 रु० प्रतिदिन+परिवर्ती मंहगाई भत्ता।
10.	आटोमोबाइल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्री।	5.15 रु० प्रतिदिन+परिवर्ती मंहगाई भत्ता।
11.	पत्थर तोड़ना और पत्थर पीसना।	4.00 रु० से 4.25 रु० तक प्रतिदिन+परिवर्ती मंहगाई भत्ता।

1	2	3
12.	बेकरीज और कन्फेक्शनरी	5.50 रु० प्रतिदिन+परिवर्ती मंहगाई भत्ता।
13.	चर्म-निर्माण शालाएं और चर्म-शोधन शालाएं।	5.50 रु० प्रतिदिन+परिवर्ती मंहगाई भत्ता।
14.	लादना और उतारना।	6.00 रु० प्रतिदिन+परिवर्ती मंहगाई भत्ता।
15.	दुग्ध शालाएं और पोल्टरियां।	6,00 रु० प्रतिदिन
16.	चाय बागान।	5.00 रु० प्रतिदिन
17.	मिट्टी के बर्तनों संबंधी उद्योग।	7.11 रु० प्रतिदिन+परिवर्ती मंहगाई भत्ता।
18.	रिफ्रैक्टरीज फायरब्रिक्स सिरामिक्स।	11.50 रु० प्रतिदिन।
19.	अभ्रक कार्य (कारखाने और प्रतिष्ठान लेकिन खानों को छोड़कर)।	7.20 रु० प्रतिदिन+परिवर्ती मंहगाई भत्ता।
20.	लाख विनिमाणी।	5.25 रु० प्रतिदिन+परिवर्ती मंहगाई भत्ता।
21.	सार्वजनिक मोटर परिवहन	5.77 रु० प्रतिदिन+परिवर्ती मंहगाई भत्ता।
22.	वानिकी और इमारती लकड़ी सक्रियाएं।	7.00 रु० प्रतिदिन+परिवर्ती मंहगाई भत्ता।
23.	रेशम उद्योग	7.00 रु० प्रतिदिन+परिवर्ती मंहगाई भत्ता।
24.	बिजलीकरघा उद्योग	7.00 रु० प्रतिदिन+परिवर्ती मंहगाई भत्ता।
25.	ऊनी गलीचे बनाना और शाल बुनना।	210/-रु० प्रति माह+परिवर्ती मंहगाई भत्ता।
26.	होटल,जल-पान गृह और रेस्तरां।	210/-रु० से 225/-रु० प्रति माह (खाना छोड़कर)+परिवर्ती मंहगाई भत्ता।
27.	दुकानें और प्रतिष्ठान।	210/रु० से 300/-रु० प्रति माह+परिवर्ती मंहगाई भत्ता।
28.	छापा-खाना।	240/रु० प्रति माह+परिवर्ती मंहगाई भत्ता।
29.	बीड़ी उद्योग।	1,000 बीड़ी बनाने के लिए 8.00 रु०।
30.	पकाये भोजन का सामान बेचने वाली दुकानें।	210/-रु० प्रति माह+परिवर्ती मंहगाई भत्ता।
31.	कृषि।	5 कि० ग्रा० धान या उसी मूल्य का कोई अन्य अनाज, इसके अतिरिक्त एक समय नाश्ता या 8.50 रु० नकद।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के नए एकक की स्थापना

3911. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का एक नया एकक स्थापित करके नए टेलीफोनों ("फेस" डिजाइन) और अन्य उपकरणों का उत्पादन करने के लिए इटली के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बिहार में गिरडीह और हजारीबाग के बीच फालतू पड़ी हजारों एकड़ भूमि में प्रस्तावित एकक की स्थापना करके 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इस पिछले क्षेत्र के अनुसूचित जातियों, आदिवासियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या भू-स्थल का चयन करने हेतु कोई कृतज्ञ बल भेजने का सरकार का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) सरकार ने इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के बंगलौर और नैनी के प्रत्येक कारखानों में विदेशी सहयोग से प्रतिवर्ष 5 लाख टेलीफोन उपकरण और इनके 7.5 लाख महत्वपूर्ण घटक बनाने की एक परियोजना मंजूर की है। यह परियोजना नई तकनीक का प्रयोग कर इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के वर्तमान कारखानों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। परियोजना नए कारखाने की स्थापना के लिए नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में डाक घर खोलना

3912. **श्री चित्त महाटा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान पचिश्म बंगाल के पुरुलिया जिले के गांवों में कितने नए डाकघर खोले जाएंगे;

(ख) पुरुलिया जिले के गांवों में नए डाकघर खोलने और डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) पुरुलिया जिले में सभी ग्रामीण क्षेत्रों को दूर संचार प्रणाली से कब तक जोड़ दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) 6.

(ख) (एक) नए डाकघर खोलने के बारे में 12 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 6 डाकघर के लिए मंजूरी दे दी गई है तथा शेष 6 पर विचार किया जा रहा है।

(दो) दर्जा बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) विभाग की नीति लक्ष्य के अनुसार 1990 तक पुरुलिया जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 5 किलोमीटर की सीमा में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रदान किए जाएंगे बशर्ते कि वह तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हो तथा स्थान एवं भंडार उपलब्ध हो।

पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक टेलीफोन

3913. **श्री चित्त महाटा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में जिला-वार प्रति किलोमीटर सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या कितनी है ;

(ख) पुरुलिया जिले में प्रति किलोमीटर सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस बारे में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) पुरुलिया जिले में प्रति 125 वर्ग किलोमीटर के अन्तर्गत एक सार्वजनिक टेलीफोनघर उपलब्ध है।

(ग) श्रेणी वाले स्थानों पर पूर्णरूप से सहायता प्रदान करने लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने का सरकार का प्रस्ताव है जैसे (एक) सामान्य क्षेत्रों में 5000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान, (दो) पिछले पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों में 2500 या इससे अधिक जन-

संख्या वाले स्थान जनजातीय क्षेत्र में, किसी केन्द्रीय ग्राम से 10 कि० मी० की अरीय दूरी के भीतर ग्रामों के समूह पर आबादी की दृष्टि से विचार किया जा सकता है। (तीन) प्रशासनिक महत्व के स्थानों जैसे-जिला, उप मंडल तहसील, ब्लाक मुख्यालय।

इसके अतिरिक्त संशोधित नीति के अन्तर्गत 5 कि० मी० के घेरे में रहने वाले अधिकांश लोगों को 1990 तक लंबी दूरी की सार्वजनिक टेलीफोनघर सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। 5 किलो-मीटर के षडभुज क्षेत्र से सम्बन्धित नीति के अन्तर्गत स्थानों का पता लगाने की कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

पश्चिम बंगाल के जिलों में प्रति वर्ष किलोमीटर (स्थानीय और लंबी दूरी के) सार्वजनिक टेलीफोन घरों की उपलब्धता

क्रम सं०	जिले का नाम	प्रति वर्ग किलोमीटर उपलब्धता
1.	बर्दवान	0.022
2.	वीर भूम	0·028
3.	बांकुरा	0.017
4.	कूच बिहार	0·025
5.	दार्जलिंग	0.021
6.	जलपाइगुड़ी	0.017
7.	हावड़ा (कलकत्ता टेलीफोन जिला नेट वर्ग को छोड़कर)	0.016
8.	हुगली ,,	0.017
9.	माल्दा	0·016
10.	मुर्शिदाबाद	0.025
11.	मिदनापुर	0.013
12.	नादिया	0·027
13.	पुरुलिया	0.008
14.	24-पर गना	0.011
15.	पश्चिम दिनाजपुर	0.017

कच्छ की खाड़ी ज्वार—भाटा (टाईडल) विद्युत परियोजना

3914. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्छ की खाड़ी में ज्वार-भाटा विद्युत परियोजना का संभाव्यता—सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त खाड़ी के शक्तिशाली ज्वार-भाटा जल का उपयोग विद्युत परियोजना के लिये करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबन्ध में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, मोआ के सहायक निदेशक द्वारा क्या सुझाव दिये गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) दिसम्बर, 1980 में भारत सरकार ने कच्छ की खाड़ी में अन्वेषण तथा अध्ययन करने के लिए एक परियोजना स्वीकृत की थी जिससे उक्त क्षेत्र में ज्वारीय विद्युत परियोजना के लिए एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा सके। अन्वेषण और अध्ययन चल रहे हैं। निम्नलिखित अन्वेषण पहले ही पूरे किये जा चुके हैं :

(1) भू-सर्वेक्षण

(2) कम गहरे जल में ज्वारी स्तर का प्रेक्षण

(3) हंसथाल और कान्डला संकरी खाड़ियों में तट से दूर जल वैज्ञानिक सर्वेक्षण

(4) स्थायी बेन्च मार्कों का निर्माण

(5) हंसथाल, कान्डला और भीतरी संकरी खाड़ियों में मानसून और मानसून के अलावा दोनों अवधियों के लिए धारा, तलछट और खारेपन का प्रेक्षण।

संशोधित परियोजना रिपोर्ट में मार्च, 1987 तक अध्ययनों को पूरा करने तथा व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का विचार है। ज्वरीय विद्युत केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में निर्णय इस समय चल रहे अन्वेषणों और अध्ययनों से परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने के बाद ही लिया जाएगा।

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कच्छ की खाड़ी में इस समय चल रहे अन्वेषणों और अध्ययनों में सहयोजित अनेक एजेंसियों में से एक है। संस्थान भू-भौतिकी सर्वेक्षण, सतही सैम्पल एकत्र करने और पर्यावरण संबन्धी अध्ययनों के बारे में कार्य कर रहा है, जिन्हें परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के लाभ

391.5 **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया है; और

(ख) इन कंपनियों के कार्यकरण के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है :

विवरण

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा कमाया गया शुद्ध लाभ निम्न प्रकार है।

(करोड़ रुपयों में)

कंपनी का नाम	1978-79	1979-80	1980-81	1982-82	1982-83
1	2	3	4	5	6
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	72.52	55.23	46.57	375.54	692.87
आयल इण्डिया लि०	12.29 (1978)*	— 8.49 (1979)*	— 37.78 (1980)*	63.90	75.86

*(आयल इण्डिया लि० का निम्नलिखित कलेंडर वर्ष है क्योंकि इनका वर्ष 1980 तक है)

(...जारी)

1	2	3	4	5	6
इण्डियन आयल कार-पोरेशन लि०	69.20	73.43	80.65	106.53	116.85
कोचीन रिफाइनरीज लि०	1.84	1.82	2.03	6.20	7.01
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपो० लि०	11.96	13.68	16.50	14.40	18.30
भारत पेट्रोलियम कारपो० लि०	8.66	9.77	10.44	14.07	13.46
मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड	2.10	2.36	1.97	2.37	3.31
आई बी पी कं० लि.	0.47	1.11	1.70	2.46	2.86
लुब्रिजोल इण्डिया लि०	1.67	1.56	1.87	0.58	2.16
बोंगाई गांव रिफा-इनरीज एंड पेट्रो कैमिकल्स लि०*		2.52	—5.06	4.30	.38
इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स कारपो० लि०	—13.10	5.69	34.07	55.54	50.88
पेट्रोफिल्स को.आप-रेटिव लि०	5.17	5.34	7.34	8.56	6,25
इण्यिन आयल ब्लेंडिंग लिमिटेड	0.29	0.06	0.76	0.21	0.36
हाइड्रोकार्बन्स इण्डिया लिमिटेड	19.04	— 1.07	—0.19	0.35	0.63
	(1978)	(1979)	(1980)	(1982)	

—हानि दिखाती है

*निर्माणाधीन है ।

(ख) आधुनिकीकरण एक निरन्तर प्रोसेस है । कुछ किये गये उपाय निम्न प्रकार हैं :—

(1) पुराने और अप्रचलित उपकरणों को उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना ।

(2) नये संयंत्र की स्थापना

(3) जहां कहीं सम्भव हों, संगणकीकरण करना (कंप्यूटराइजेशन)

(4) आधुनिक प्रोद्योगिकी का प्रयोग

(5) अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं की स्थापना करना/विस्तार करना ।

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

3916. डा० कृपा सिंधु भोई : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम, तेल तथा स्नेहकों के आयात में कमी करने के लिए तेल को संरक्षित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) इस वर्ष कच्चे तेल/डीजल के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई।

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) स्वदेशी उत्पादन को अधिकतम करने तथा आयात बिल को कम करने हेतु पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोग को नियंत्रित करने के लिये कई कदम उठाये गये हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. स्वदेशी स्रोतों के कच्चे तेल के उत्पादन को संभव सीमा तक अधिकतम किया जा रहा है।

2. नये क्षेत्रों से (तटीय एवं अपतटीय क्षेत्र दोनों) कच्चे तेल तथा गैस की खोज के कार्यक्रम को तेज किया जा रहा है।

3. विद्यमान तेल शोधन क्षमता के विस्तार के अतिरिक्त, तैयार उत्पादों के आयात को कम करने के लिये देश में दो नये तेल शोधन कारखाने स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

4 वास्तविक/विगत के उपभोग, मौसमी विभिन्नताओं, अन्य ईंधनों की उपलब्धता इत्यादि के आधार पर तेल किफायत बजट के माध्यम से प्रभावी मांग प्रबन्ध।

5. वित्तीय उपायों के माध्यम से पेट्रोलियम उत्पादों विशेषकर पेट्रोल के उपभोग पर नियन्त्रण।

6. पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अर्थात् घरेलू, परिवहन, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न संरक्षण कार्यकलापों का समन्वय कर रहा है। इसमें यह शामिल है

(क) पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोग में कुशलता, (ख) ताप उपकरणों की ताप कुशलता तथा उनका वाणिज्यकरण जैसे मिट्टी के तेल के स्टोव, एल० पी० जी० बर्नर, औद्योगिक बर्नर, इत्यादि तथा (ग) पेट्रोलियम उत्पादों के प्रयोग की पद्धतियां जैसे चालन संबंधी आदतें, खाना पकाने की आदतें इत्यादि।

7. उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करने के लिये तथा ईंधन की बचत के लिय साधारण संकेत देने के लिये जन माध्यमों जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन के माध्यम से जनसाधारण शिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

8. ऊर्जा के विभिन्न वैकल्पिक स्रोतों का विकास किया जा रहा है व उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायो गैस, सुधरे हुये लकड़ी चूल्हे, सापट कोक इत्यादि का प्रयोग शामिल है।

(ख) अप्रैल—दिसम्बर, 1983 के दौरान कच्चे तेल तथा डीजल के आयात पर 2025 करोड़ रुपये की शुद्ध विदेशी मुद्रा खर्च होने का अनुमान है।

खान मजदूरों और बीड़ी मजदूरों के कल्याण की योजनाएं

3917. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में अनेक खामियों से अवगत कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) खान मजदूरों और बीड़ी मजदूरों आदि जैसे श्रमिकों की विशिष्ट श्रेणियों के कल्याण के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (ग) अभ्रक, लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों तथा बीड़ी उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए कल्याण सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कल्याण निधियां स्थापित की गई हैं, ताकि नियोजकों और राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित किया जा सके। ये कानून निम्नानुसार हैं:—

(क) अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1946 ;

(ख) लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, तथा क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि, 1972 ; और

(ग) चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972; और

(घ) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976

ये निधियां खनिज के उत्पादन या उपभोग या निर्यात और बीड़ी के मामले में बीड़ियों के विनिर्माण पर उपकर लगाकर सृजित की गई हैं। इन निधियों से वित्त प्राप्त करके चलाए जाने वाले कल्याण कार्य आवास की व्यवस्था, पेय जल की पूर्ति, विशेष इलाज सहित डाक्टरी सुविधाओं की व्यवस्था, आश्रितों की शिक्षा के लिए सहायता, मनोरंजन आदि से संबंधित हैं। यद्यपि अधिकांश कार्यालय सीधे कल्याण संगठन द्वारा संचालित किये जाते हैं, फिर भी अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकारियों तथा नियोजकों को ऋण तथा आर्थिक सहायता भी दी जाती हैं।

खानों और बीड़ी श्रमिकों की कल्याण योजनाओं को तैयार करने, उनकी तकनीकी जांच करने और इन्हें अनुमोदित करने तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन्हें मंजूर करने तथा इनके लिए धन-राशि देने में अनेक अवस्थाएं अन्तर्ग्रस्त हैं। प्रक्रिया संबंधी प्रशासनिक और वित्तीय कठिनाइयों के कारण योजनाओं को तैयार करने और मंजूर करने में देरी तथा योजनाओं के कार्यान्वयन में समय अन्तराल के मामले सूचित किये गए हैं। कुछ मामलों में इस प्रकार के विलम्ब और समय अन्तराल अपरिहार्य हैं। तथापि, इनकी विभिन्न स्तरों पर निरन्तर पुनरीक्षा की जा रही है और देरी को कम करने के लिए उपचारी उपाय किये जा रहे हैं ताकि कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की गति को तेज किया जा सके और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि इन योजनाओं के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ उन वास्तविक श्रमिकों को मिले जिनके लिए ये अभिप्रेत हैं। संगठन को सुदृढ़ बनाने, वर्तमान प्रक्रिया को कारगर और सरल बनाने तथा निरीक्षणों द्वारा गहन अनुवर्ती कार्यवाही करने एवं पुनरीक्षाएं करने जैसे अनेक सकरात्मक उपाय भी किये गए हैं ताकि उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकें।

3918. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1983 में मजदूर संघों की संख्या लगभग पचास हजार हो गयी है; और

(ख) क्या सरकार व्यवसाय संघ अधिनियम में इस प्रकार संशोधन करेगी जिससे केवल स्वस्थ और मजबूत संघ बन सके और संघ मजदूरों के हित में काम करें?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) 1980 में ट्रेड यूनियनों की संख्या (अनुमानित) 35750 हैं। अनुवर्ती वर्षों के लिए पूरे आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि ये सभी कुछ राज्य सरकारों से प्राप्त होने हैं।

(ख) व्यवसाय संघ (संशोधन) विधेयक, 1982 जो लोक सभा में पेश किया गया है, में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे उपबन्ध शामिल हैं, जिनसे स्वास्थ और मजबूत ट्रेड-यूनियनों को बनाने में प्रोत्साहन मिलेगा।

सिनेमा घरों का निर्माण

3919. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म नीति सम्बंधी कार्यदल और राज्यों के सूचना और प्रसारण मंत्रियों की बैठक में स्वीकार किया गया था कि पांच वर्षों की अवधि के दौरान 5,000 सिनेमा घरों के निर्माण सम्बंधी लक्ष्य पूरा कर लिया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया था और सरकार ने इसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) सरकार को उक्त लक्ष्य प्राप्त करने में कहां तक सफलता मिली है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जबकि राष्ट्रीय फिल्म नीति सम्बंधी कार्यदल ने 1985 तक 6750 अतिरिक्त सिनेमाघर बनाए जाने को सिफारिश की है, सूचना मंत्रियो के जुलाई, 1982 में हुये सम्मेलन ने अगले पांच वर्षों के दौरान 5000 नए सिनेमाघर बनाए जाने के लक्ष्य की अनुशंसा की ।

(ख) और (ग) फिल्मों के प्रदर्शन का विषय राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है । तथापि, सिनेमाघरों के निर्माण को वित्तपोषित करने के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की एक योजना है इस प्रयोजन के लिए 66 आवेदकों को 398.48 लाख रुपये के ऋण मंजूर किए गए हैं ।

गोदावरी बेसिन में पाया गया तेल

3920. **श्री चिन्ता मणि जेना :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सच है कि गोदावरी बेसिन में जी 2-2 कुंए में जी -2 ढ़ाचे में तेल का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो इस नए तेल के भण्डार से कितना तेल मिलने का अनुमान है और अन्य तेल भण्डारों की तुलना में इसके आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि गोदावरी में पाए गए तेल का बहाव-बिन्दु(पोर प्वांइट) काफी ऊंचा है; और

(घ) यदि हां, तो इसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) प्रारंभिक परीक्षण के दौरान जी -2-2 कूप से 3/8" की चोक के माध्यम से 263 बैरल प्रतिदिन की दर से तेल उत्पादित हुआ था । गोदावरी अपतटीय क्षेत्र की दूसरी खोज जी 1-1 में कूप से प्रारंभिक परीक्षण के दौरान 1/2" की चोक के माध्यम से 580 बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादित हुआ था ।

(ग) उपरोक्त दोनों संरचनाओं में तेल का बहाव बिन्दु (पोर प्वाइंट) 33 डिग्री से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच था यह बम्बई हाई क्रूड के बहाव बिन्दु से कुछ अधिक है जो 30° सेंटीग्रेड के लगभग है ।

(घ) उच्च बहाव बिन्दु के कारण मोम जमा होने की कठिनाईयों को दूर करने के लिए उत्पादन तथा परिवहन तकनीकें उपलब्ध हैं ।

ग्रेटर बंबई में टेलीफोन के लिये केबिल आदि बिछाया जाना

3921. **श्री आर० आर० भोले** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेटर बम्बई में टेलीफोन और अन्य प्रयोजनों के लिये मरम्मत करने अथवा केबिल आदि बिछाने के लिये सड़कों और पटरियों की निरन्तर खुदाई किये जाने और इससे जनता को होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुये, सरकार का विचार सड़कों के सीमेंट अथवा स्टील से ढक देने के लिये योजना बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) सड़कों की बार-बार खुदाई से बचने के लिये विभाग टेलीफोन केबिलों के लिए भूमिगत डक्ट बिछाने की योजना बना रहा है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बंबई के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 80 कि० मी० भूमिगत डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है।

दिल्ली में खाना पकाने की गैस के डीलरों के लाइसेंस रद्द करना

3922. **श्री छांगुर राम** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत एक वर्ष के दौरान खाना पकाने की गैस के कौन-कौन से डीलरों के लाइसेंस रद्द किए गये और ऐसा करने के क्या कारण थे; और

(ख) जिन उपभोक्ताओं ने इन डीलरों के साथ दूसरे गैस सिलेंडरों के लिये अपने नाम दर्ज कराए हुए हैं उन्हें किस आधार पर सिलेंडर उपलब्ध किए जायेंगे ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान अनधिकृत उपभोक्ताओं को रिफिलों की सप्लाई करने, स्टाक रजिस्टरों का रखरखाव न करने, का कमावजन के रिफलों की सप्लाई करने तथा व्यापार में नियंत्रण/रुचि में अभाव इत्यादि के कारण विवेक गैस सर्विस, खान मार्किट को एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप को समाप्त कर दिया गया है।

(ख) अतिरिक्त सिलेंडर के पंजीकरण तथा नये कनेक्शनों के रिकार्डों को इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के मण्डल कार्यालय ने अपने अधिकार में ले लिया है और जैसे ही खान मार्किट क्षेत्र में प्रस्तावित नयी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आरंभ होगी इसके वितरक को रिकार्ड दे दिए जायेंगे।

उपभोक्ता के निवास के बदलने के साथ खाना पकाने की गैस का उपभोक्ता नंबर अन्तरित किया जाना

3923. **श्री छांगुर राम**
श्री आर० एन० राकेश } : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपभोक्ता के निवास के एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में बदलने पर खाना पकाने की गैस के उपभोक्ता नम्बर के अनन्तरण के संबंध में खाना पकाने की गैस के वितरण संबंधी सरकारी नीति उपभोक्ताओं की अपेक्षा वितरक डीलर के अधिक अनुकूल है;

यदि नहीं, तो एक डीलर से दूसरे डीलर तक खाना पकाने की गैस के नियमित उपभोक्ता नम्बर के अनन्तरण संबंधी नीति और प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) जब कोई उपभोक्ता पहले ही प्रतीक्षा पंक्ति में रह चुका है, तब उसे अगली बार जब वह अपना निवास बदलता है और उसके परिणाम स्वरूप एल०पी०जी० डीलर भी बदला जाता है, तो उसे फिर पंक्ति में क्यों रखा जाता है;

(घ) पहले जैसी सरेण्डर स्लिप पद्धति जारी न रखने के क्या कारण हैं और भारतीय तेल निगम नई दुकान पर नये सिलण्डर के लिए नई धरोहर राशि का अन्तर वसूल कर सकती है; और

(ङ) क्या भारतीय तेल निगम का उपभोक्ताओं को उनके मकान और डीलर बदलने पर उन्हें परेशानी से बचाने के लिये अपने आदेशों में संशोधन करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) स्थानान्तरण के नियमों एवं पद्धति अनुसार उपभोक्ता को अपना सिलेण्डर वितरक के पास जमा करना होता है जिसके लिए वितरक उपभोक्ता को एक समाप्ति वाऊचर जारी करता है और मूल जमा वाऊचर के अनुसार जमा राशि लौटाता है। उपभोक्ता इसके पश्चात् अपने समाप्ति वाऊचर के आधार पर नया गैस कनेक्शन प्राप्त करने का अधिकारी होता है जिसके लिए उसे वही जमा राशि देनी पड़ती है।

(ग) यदि उपभोक्ता के पास पहले से ही एक कनेक्शन है तो पैरा 'ग' में दी गई पद्धति लागू नहीं होगी। जब उपभोक्ता का नाम प्रतीक्षा सूची में होता है तो उसे नये निवासस्थान का डीलर उसको वही वरीयता बनाये रखेगा।

(घ) "सरेण्डर स्लिप" की पुरानी पद्धति में उस मूल वितरक के पास जाना पड़ता था जहां से उसे पहली बार कनेक्शन प्रदान किया गया था, जिससे उपभोक्ता को असुविधा होती थी। इसके अतिरिक्त आवास का परिवर्तन करते समय भरे हुए सिलेण्डरों को ले जाना उपभोक्ता के लिए सुरक्षित नहीं समझा जाता है।

(ङ) जी, नहीं।

दिल्ली के लक्ष्मीनगर और शंकरपुर क्षेत्र में नए टेलीफोन कनेक्शन

3924. **श्री छांगुर राम** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में यमुना पार के लक्ष्मीनगर और शकरपुर क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन देने की निर्धारित तिथि क्या है;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि पहले सरकार ने इस क्षेत्र में नई टेलीफोन एक्सचेंज के लगने पर इन क्षेत्रों के प्रतीक्षा सूची के सभी लोगों को 1984 के शुरू में टेलीफोन कनेक्शन दे देने का आश्वासन दिया था;

(ग) उक्त क्षेत्र में नए टेलीफोन एक्सचेंज लगाने के काम में कितनी प्रगती हुई है तथा इसके चालू होने और टेलीफोन लाइन लगाने की निर्धारित तिथि क्या है; और

(घ) इस एक्सचेंज की शीघ्र स्थापना के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) लक्ष्मीनगर 15000 लाइनों वाला इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज 1986-67 के दौरान चालू करने का लक्ष्य है। इसके बाद ही नए कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।

(ख) सरकार ने ऐसा कोई वचन नहीं दिया था।

(ग) नए इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के लिए भवन का निर्माण किया जा रहा है। भवन निर्माण तथा वातानुकूलन संयंत्र का कार्य जुलाई 85 तक पूरा हो जाने के तुरन्त बाद इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज को संस्थापना की जाएगी। एक्सचेंज को 1986-87 में चालू करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके बाद ही टेलीफोन लाइनें प्रदान की जाएंगी।

(घ) इलेक्ट्रानिक उपस्कर की सप्लाई के लिए आर्डर पहले ही दे दिए गए हैं। भवन निर्माण एवं वातानुकूलन संयंत्र के संस्थापन कार्य में तेजी लाई जा रही है।

संगठित क्षेत्र में तेल शोधक एककों को वैक्स स्लॅग का वितरण

3925. **श्री छांगुर राम** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगठित क्षेत्र में तेल शोधक एककों (डी०जी०टी०डी० से पंजीकृत एकक) को वैक्स स्लॅग के वितरण के बारे में सरकार की क्या नीति है;

(ख) संगठित क्षेत्र के एककों के क्या नाम हैं तथा गत पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक एकक को कितना कोटा आवंटित किया गया;

(ग) मथुरा तेल शोधक कारखाने से कितनी मात्रा में स्लॅग प्राप्त होता है; इसमें से कितना स्लॅग आवंटित किया गया है और कौन-कौन से एकक को आवंटित किया गया है;

(घ) डी० जी०टी० डी० से पंजीकृत संगठित क्षेत्रों के एककों को स्लॅग के आवंटन संबंधी प्रक्रिया, इंडियन आयल में संबंधित अधिकारी तथा आवेदन-पत्र आदि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या और अधिक स्लॅग उपलब्ध होने की आशा है; और

(च) यदि हां, तो कौन से तेल शोधक एककों से मिलने की आशा है।

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गर्गी शंकर मिश्र) : (क) "वैक्स स्लॅग" नाम का कोई रिफाइनरी उत्पादन नहीं है।

(ख) से (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में काजू, हथकरघा, नारियल जटा और मत्स्य उद्योगों के क्षेत्र में मजदूरी

3926. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि जहां तक विभिन्न राज्यों में उद्योग के संतुलित विकास का प्रश्न है अंतराज्यीय मजदूरी में समानता होना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो कम से कम काजू, हथकरघा, नारियल जटा और मत्स्य उद्योग के क्षेत्र में अन्तर-राज्यीय मंजूरी समानता लाने के लिए पिछले चार वर्षों के भीतर सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी के निर्धारण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या नीति है;

(घ) क्या पिछले वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने इस दिशा में कुछ कार्य किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) मजदूरी दरों में असमानता की समस्या पर सरकार निरन्तर ध्यान देती आ रही है। पिछली बार इस मामले पर जुलाई, 1980 में हुए राज्य श्रम मंत्री सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था। उक्त सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि यद्यपि मजदूरी दरों में पूर्णतया समसमानता लाना संभव नहीं है, फिर भी पड़ोसी राज्यों द्वारा निर्धारित मजदूरी दरों में बहुत अधिक असमानता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे उद्योग और व्यापार के एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाने की संभावना है। तदनुसार, सम्मेलन ने यह सिफारिश की कि यद्यपि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन मजदूरी दरों में संशोधन/निर्धारण करते समय, इस बात की ओर यथोचित ध्यान दिया जाए कि निर्धारित मजदूरी दरों से अन्य राज्यों में विशेष रूप से पड़ोसी राज्यों के उद्योग पर प्रभाव पड़ सकता है।

काजू और हथकरघा उद्योगों के विशिष्ट मामलों में सरकारी समितियां गठित की गई हैं, ताकि उन उद्योगों के वर्तमान मजदूरी ढांचे की पुनरीक्षा की जा सके और इन समितियों ने कतिपय सिफारिशें की हैं, जिन्हें यदि लागू किया गया तो पड़ोसी राज्यों में मजदूरी दरों में असमानता में कमी होगी। श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के निर्णयों और सरकारी समितियों की सिफारिशों को आवश्यक कार्यवाही के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को भेज दिया गया है।

(ग) यह विचार किया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में, राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

गुजरात में ग्रामीण संचार योजना

3927. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में ग्रामीण संचार योजनायें आरम्भ की हैं;

(ख) यदि हां, तो गुजरात को इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) गुजरात के किन-किन जिलों को उक्त योजना के अन्तर्गत लाया गया है; और

(घ) इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1983-84 में गुजरात सर्किल के डाक विकास और मल्टी एक्सेस ग्रामीण रेडियो योजना के लिए क्रमश: 8,48,900 रु० और 16,00,000 रु० आवंटित किए गए।

(ग) गुजरात सर्किल के सभी जिले डाक विकास के अंतर्गत आ गए हैं जबकि मल्टी एक्सेस ग्रामीण रेडिया योजना के अंतर्गत बलसाड और डांगूस जिले शामिल किए गए हैं।

(घ) वर्ष 1983-84 की प्रगति इस प्रकार है :

(एक) खोले गए नए डाक घर	= 98
(दो) नियुक्त किए गए और अधिक अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट	= 106
(तीन) जितने गांवों को डाक काउंटर सेवा प्रदान की गई	= 59 गांव
(चार) स्थापित लेटर बक्स	= 20

(पांच) मल्टी एक्सेस ग्रामीण रेडियो प्रणाली की स्वदेशी उपस्कर के साथ स्थापित करने की योजना है इस उपस्कर का विनिर्माण अभी शुरू किया जाना है।

गुजरात में एल० पी० जी० गैस सिलेण्डरों की मांग

3928. **श्री छोटू भाई वासवा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1983 से दिसम्बर, 1983 की अवधि के दौरान गुजरात में एल०पी०जी० गैस सिलेण्डरों की जिला-वार कितनी मांग थी तथा इस अवधि के दौरान एल० पी० जी० गैस सिलेंडरों की माह-वार कितनी सप्लाई की गई;

(ख) गुजरात में एल०पी० जी० गैस सिलेंडरों की पूरी सप्लाई न करने के क्या कारण हैं तथा तत्सम्बन्धी विवरण क्या है; और

(ग) गुजरात में एल०पी०जी० गैस सिलेंडरों की पूरी मांगों को कब तक पूरा कर दिया जायेगा तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में उठाये जा रहे ठोस उपायों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) एल० पी० जी० रिफिलों के लिए सिविल जिला-वार प्रक्षेपण तैयार करने की कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि, कलेंडर वर्ष 1983 के दौरान गुजरात में कुल 36,70,840 रिफिलों की मांग है। इस मांग की तुलना में केलेंडर वर्ष 1983 के दौरान गुजरात में उपभोक्ताओं को 34,51, 479 रिफिल सप्लाई किए गये थे। माहवार एल० पी० जी० गैस सिलेंडरों की सप्लाई संलग्न विवरण पत्र में दी गयी है।

(ख) एल०पी०जी० सिलेंडरों की अपर्याप्त उपलब्धता, एक किस्म वाल्वों से एस० सी० किस्म के वाल्वों में बदलने में लगा समय, शकूरबस्ती में लगी भयानक आग के कारण सिलेंडरों की हानि, कोयाली स्थित बाटलिंग संयंत्रों में प्रारम्भिक कठिनाइयां तथा स्थानीय औद्योगिक सम्बन्ध समस्याएं कुछ कारण रहे हैं।

(ग) गुजरात राज्य में एल० पी० जी० गैस सिलेंडरों की मांग को पूरा करने के लिए तेल उद्योग ने चरणबद्ध नामांकन योजना तैयार की है। प्रतीक्षा सूची में दर्ज लोगों को चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अगले 2/3 वर्षों में गैस कनेक्शन दिए जायेंगे। तेल उद्योग द्वारा आवश्यक आधार भूत (इंफास्ट्रक्चरल) सुविधाएं जैसे अधिक बॉटलिंग क्षमता की व्यवस्था, भण्डारण तथा परिवहन व्यवस्था में सुधार, पर्याप्त उपकरणों का प्रापण इत्यादि स्थापित की जा रही है।

विवरण

कलेण्डर वर्ष 1983 के दौरान गुजरात राज्य में तेल कम्पनियों द्वारा एल० पी०जी० गैस सिलेण्डरों की माहवार सप्लाई

क्र० सं० माह	आई० ओ० सी०	एच० पी० सी० एल०	बी० पी० सी० एल०
1. जनवरी, 1983	205920	50970	47815
2. फरवरी	186930	47520	40773
3. मार्च	205750	59340	33167
4. अप्रैल	184685	49510	60563
5. मई	139470	52450	44582
6. जून	73740	50690	40351
7. जुलाई	166935	49260	47126
8. अगस्त	180335	48300	67603
9. सितम्बर	217955	57900	58167
10. अक्तूबर	202065	68150	57111
11. नवम्बर	187180	63140	55280
12. दिसम्बर	212670	68290	69786
योग :	2163635	665520	622324
कुल योग :		3451479	

गुजरात के सूरत जिले में एल० पी० जी० गैस कनेक्शन

3929. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 से 1984 तक वर्ष-वार गुजरात के सूरत जिले में एल० पी० जी० गैस कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये तथा प्रत्येक वर्ष में कितने नये कनेक्शन दिये गये; तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या शेष व्यक्तियों को भी गैस कनेक्शन दिये जायेंगे तथा गैस कनेक्शनों को यथा-शीघ्र देने के लिये सरकार द्वारा कोई ठोस उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	पंजीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या	दिये गए नए गैस कनेक्शन
1978	26752	—
1979	4428	8642
1980	31397	2201
1981	—	693
1982	24510	11304
1983	4331	17421
1984 (फरवरी के अन्त तक)	1897	3566

(ख) और (ग) जी, हां ।मूल भूत (इन्फ्रास्ट्रक्चरल) सुविधाओं जैसे बॉटलिंग संयन्त्रों की बॉटलिंग क्षमता को बढ़ा कर, पर्याप्त उपकरणों के प्रापण आदि को सुदृढ़ करके नामांकन के चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल कंपनियों द्वारा आबंटित पेट्रोल केन्द्र

3930. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल कम्पनियों द्वारा कितने व्यक्तियों को पेट्रोल केन्द्र आवंटित किए गए तथा उनमें से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों को आबंटित किए गए; और

(ख) क्या पैट्रोल केन्द्र खोलने के लिए भूमि के आबंटन तथा आवश्यक उपकरण खरीदने हेतु धनराशि देने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों को कुछ रियायत दी गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्यमंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 (1.4.83 से 31-12-83) तक की अवधि के दौरान तेल कंपनियों द्वारा दिए गए खुदरा बिक्री केंद्रों (पेट्रोल/डीजल) की संख्या तथा उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दिए गए खुदरा बिक्री केंद्रों की संख्या नीचे दी गयी है :

कुल	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
849	189

(ख) चुने हुए उम्मीदवार की यह जिम्मेदारी है कि वह स्वयं खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) की स्थापना के लिए भूमि का प्रबंध करे। तेल आयोग ने हाल ही में तेल कंपनियों द्वारा सामाजिक उद्देश्य वर्गों के अन्तर्गत चुने गए डीलरों/वितरकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए देश में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से एक बैंक वित्त योजना आरम्भ की है। बैंकों द्वारा रियायती दर पर व्यापार में भण्डार के लिए अर्थात् पेट्रोल, डीजल, तेल, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस को खरीद के लिए व्यापार चलाने के लिए मशीनरी/उपकरणों की खरीद के लिए तथा भवन, गोदाम इत्यादि के निर्माण के लिये तथा उनकी कुल आवश्यकताओं की 75 प्रतिशत सीमा तक मियादी ऋण प्रदान किए जायेंगे।

गुजरात में दूरदर्शन केन्दों और रेडियो स्टेशनों की स्थापना

3931. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लोगों को शिक्षित करने तथा गुजरात प्रदेश की मांग को ध्यान में रखते हुये गुजरात प्रदेश के पिछड़े जिलों में और अधिक दूरदर्शन केन्द्र और रेडियो स्टेशन स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे केन्द्र किन स्थानों पर स्थापित करने का विचार है तथा इनकी स्थापना कब तक की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख)

दूरदर्शन

गुजरात राज्य में निम्नलिखित स्थानों पर उच्च शक्ति वाले (10 किलोवाट) तथा अल्प-शक्ति वाले (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं :—

दस-दस किलोवाट के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर-3

(1) अहमदाबाद
(2) राजकोट
(3) द्वारका

सौ-सौ वाट के अल्पशक्ति वाले ट्रांसमीटर-6

(1) सूरत
(2) बदोदरा
(3) भावनगर
(4) भरूच
(5) नवासरी
(6) पाटन

इन ट्रांसमीटरों के 1984-85 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

आकाशवाणी

गुजरात में चालू योजना में और रेडियो स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राजकोट ट्रांसमीटर की शक्ति 20 किलोवाट मीडियम वेव से बढ़ाकर 300 किलोवाट मीडियम वेव की जायेगी। दर्जा बढ़े हुए ट्रांसमीटर के 1984-85 में चालू हो जाने की उम्मीद है।

तेल की खोज के लिये रूमानिया से समझौता

3932. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खोज के क्षेत्र में सहयोग का पता लगाने के लिये भारत और रूमानिया ने एक नये करार पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) तेल की खोज के अलावा और किन-किन क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा; और

(ग) इस समझौते की शर्तें क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तेल की खोज के क्षेत्र में, रूमानिया ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को ड्रिलिंग रिगों, सीमेंटिंग यूनिट वर्क-ओवर पम्पों, ब्लोआउट प्रिवेंटरों तथा अन्य तेल क्षेत्र उपकरण बेचने का प्रस्ताव किया है। रूमानिया ने तेल एवं प्राकृतिक गैस के साथ तेल की खुदाई तथा भौतिकीय सर्वेक्षणों के लिए संयुक्त उद्यमों में भाग लेने में भी अपनी रुचि प्रकट की है।

वर्ष 1983-84 के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस की खोज

3933. **श्री सुभाष चंद्र बोस अल्लूरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में 1 दिसम्बर, 1983 से फरवरी, 1984 तक किन-किन स्थानों पर तेल और प्राकृतिक गैस का पता चला है; और

(ख) सरकार का विचार वर्ष 1984-85 के दौरान किन-किन स्थानों पर सर्वेक्षण करने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) इस अवधि के दौरान निम्नलिखित स्थानों में तेल तथा प्राकृतिक गैस पायी गयी है :

स्थान का नाम	तेल/प्राकृतिक गैस
जोराजन (एक नया क्षितिज)	तेल
दक्षिण मेवाद, गुजरात	गैस
पश्चिमी समुद्र तट पर उत्तरी तापती संरचना	गैस
पश्चिमी समुद्र तट पर बी—48 संरचना	गैस

(ख) भूवैज्ञानिक प्राथमिकताओं की शर्त पर केम्बे बेसिन, कच्छ तथा सौराष्ट्र बेसिन, राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, बंगाल बेसिनर हिमालय की तराईयों तथा गंगा की घाटी, कृष्णा-गोदावरी और कावेरी बेसिनों तथा पूर्वी समुद्र तट पर कोरोमण्डल अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषी सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है।

औद्योगिक क्षेत्र में हड़तालों, तालाबन्दियों और बिजली कटौती के कारण बेकार हुए जन दिवस

3934. **श्री सुभाष चन्द्र अल्लूरी** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक श्रम में 1 अप्रैल, 1983 से 31 जनवरी, 1984 तक हड़तालों, तालाबन्दी और बिजली कटौती के कारण कितने जन दिवसों का नुकसान हुआ हैं; और

(ख) इससे पहले वर्ष की अवधि के तत्संबंधी आकड़े क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण हानि हुए श्रम दिनों संबन्धी सूचना केवल कलैण्डर वर्षों के लिए रखी जाती है। यद्यपि, केवल बिजली में कटौती होने के कारण हानि हुए श्रम दिनों सम्बन्धी सूचना नहीं रखी जाती, तथापि, बिजली में कटौती की वजह से हुई जबरी छुट्टियों के कारण हानि हुए श्रम दिनों

सम्बन्धी सूचना श्रम ब्यूरो द्वारा केवल अप्रैल, 1981 से ही एकत्र की जा रही है। एक विवरण संलग्न है जिसमें 1982 और 1983 के दौरान हड़तालों, तालाबन्दियों और बिजली में कटौती की वजह से जबरी छुट्टियों के कारण हानि हुए श्रम दिन दर्शाए गए हैं।

विवरण

1982 तथा 1983 के दौरान हड़तालों/तालाबंदियों तथा बिजली में कटौती की वजह से जबरी छुट्टियों के कारण हानि हुए श्रम दिनों की संख्या

हानि हुए श्रम दिन (लाखों में)

वर्ष	हड़ताल	तालाबन्दी	बिजली में कटौती की वजह से हुई जबरी छुट्टियां
1982 (अ)	107.1	225.0	12.3
1983 (अ)	79.1	171.4	18.9

(अ) अनन्तिम

देश में सभी पुलिस स्टेशनों पर सार्वजनिक टेलीफोन केंद्रों की स्थापना

3935. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न राज्यों में अनेक पुलिस स्टेशन मुख्यालयों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की सुविधा नहीं है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में पांच किलोमीटर के भीतर टेलीफोन सुविधा देने की योजना के अन्तर्गत ऐसे स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र लगाने के कार्य को विभाग उच्च प्राथमिकता देगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या विभाग 1984-85 के दौरान देश के सभी पुलिस स्टेशनों पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करेगा और इस प्रकार कानून और व्यवस्था के रख-रखाव में सहयोग देगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि ये क्षेत्र श्रेणी स्टेशनों के अन्तर्गत आते हैं अतः इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

(ग) कनेक्शन उतरोत्तर प्रदान किए जाएंगे बशर्ते कि साज समान तथा वित्तीय साधन उपलब्ध हो जांए।

राजस्थान के कापुर्डी क्षेत्र में लिग्नाइट के भंडारों का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण

3936. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के कापुर्डी क्षेत्र में लिग्नाइट के भण्डारों का पता लगाने के लिए खनिज अन्वेषण निगम और भारतीय भूगर्भीय स्टेशन विभाग द्वारा किए गए विस्तृत सर्वेक्षण के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उक्त सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप अब तक लिग्नाइट के कितनी मात्रा के भंडारों का पता चला है ;

(ग) उक्त दोनों अभिकरण नेवेली लिग्नाइट निगम तथा सम्बन्धित विभाग को अपनी रिपोर्ट कितने समय में प्रस्तुत कर देंगे; और

(घ) उक्त क्षेत्र में लिग्नाइट के भारी भण्डार होने की बात को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का विचार उस क्षेत्र में ताप बिजली घर का निर्माण कार्य कितने समय में आरम्भ करने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) खनिज समन्वेषण निगम ने फरवरी, 1984 के अंत तक 67 बोर होल पूरे किए हैं तथा 10683 मीटर क्षेत्र में ड्रिलिंग कार्य किया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने फरवरी, 1983 में "ग्रेविटी लो" क्षेत्रों में कपुर्दी के उत्तरी इलाके में शैत्रीय ड्रिलिंग कार्य शुरू किया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अक्तूबर, 1983 के अंत तक जो काम किया उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

गुर्गा एरिया, जिला बाड़मेर :	
ड्रिल किए गए बोर होलों की संख्या	4
कुल मीटर क्षेत्र	611.70 मीटर
बोटिया-बरका एरिया :	
ड्रिल किए गए बोर होलों की संख्या	7
(8वां बोर होल प्रगति पर है और उसमें 77.0 मीटर की गहराई तक काम हुआ है)	
8वें बोर होल सहित कुल मीटर क्षेत्र	1319.85 मीटर

(ख) अभी तक ड्रिलिंग से प्राप्त आंकड़ों को अधिक नजदीक-नजदीक कुछ और होलों की ड्रिलिंग करके अतिरिक्त सूचना लेने की जरूरत है। इस बात के कारण, योजना आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ दल की राय थी कि भंडारों की गणना संभाव्य क्षेत्रों में निकटतर ड्रिलिंग का समन्वेषण कार्यक्रम पूरा हो जाने पर ही की जा सकती है। निकटतर दूरी पर ड्रिलिंग करने के संबंध में निर्णय विशेषज्ञ दल उन स्थूल ब्यौरों के आधार पर करेगा, जो खनिज समन्वेषण निगम लि० से जल्दी ही प्राप्त हो जाने की आशा है।

(ग) वर्तमान संकेतों के अनुसार भूवैज्ञानिक रिपोर्ट अप्रैल, 1985 में प्राप्त होने की आशा है जिसमें ड्रिलिंग संबंधी आंकड़े तथा लिग्नाइट और ऊपरी मलबे के परिणामों के विश्लेषण शामिल होंगे।

(घ) इस क्षेत्र में ताप बिजली घर की स्थापना इस बात पर निर्भर करती है कि समुचित भंडार प्रमाणित हो जाएं तथा लिग्नाइट सीमों और ऊपरी मलबे की खनन संबंधी विशेषताओं का विस्तार से पता लग जाए।

राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

3937. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में ऐसे स्वीकृत सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की संख्या कितनी है जहां विभाग द्वारा अभी टेलीफोन नहीं लगाए गए हैं और क्या इस बारे में जिला-वार सूची सभा पटल पर रखी जाएगी;

(ग) इस संबंध में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या विभाग इस बारे में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि पहले से ही स्वीकृति सार्वजनिक टेलीफोन बूथ 1983-84 में स्थापित कर दिए जाएं ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) लाईन-सामग्री की महत्वपूर्ण मदों की सीमित सप्लाई के कारण स्वीकृत सार्वजनिक टेलीफोन घरों को खोलने में बिलम्ब हुआ।

(ग) स्वीकृत सार्वजनिक टेलीफोन घरों को खोलने का कार्य प्रगति पर है और यह कार्य चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्ण होने की संभावना है।

विवरण

राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में स्वीकृत लम्बी दूरी के ऐसे सार्वजनिक टेलीफोन घर जिन्हें अभी खोला जाना है :—

जिला	सार्वजनिक टेलीफोन घर का नाम	
बाड़मेर	देल	चादुवा
	खोखर	वखासर
	सारली	अकदरा
	भियार	गिरुब
	जैसिंहर	मांडली
	मेदुसार	धीजरड
	उनदूबा	
जैसलमेर	मोहनगढ़	
जोधपुर	भोंजसर	धनवाड़ा
	चांदसामा	चारी
	दसानिया	चब्बा
	नाथरौ	खेरप्पा
	सुवालिया	

बेरोजगारी की दर में वृद्धि

3938. **श्री राम विलास पासवान** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस समय बेरोजगारी की दर में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) इस समय, अर्थात् 31 दिसम्बर, 1983 को कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं;

(ग) 1979 के अन्त में कितने व्यक्ति बेरोजगार थे;

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया है; और

(ङ) देश में अधिकतम व्यक्तियों को रोजगार देने और बेरोजगारी की दर को न्यूनतम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, नहीं। इस संदर्भ में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों से

संबंधित निम्नलिखित आंकड़े (यह आवश्यक नहीं कि उनमें से सभी बेरोजगार हों) विषय-संगत हैं :

निम्नलिखित के अन्त में चालू रजिस्टर पर संख्या	चालू रजिस्टर के आंकड़ों* में वृद्धि की प्रतिशतता
1979	13.1
1980	13.0
1981	10.1
1982	10.7
1983	11.1

* तत्संबंधी पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना मे ।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित है (यह आवश्यक नहीं कि उनमें से सभी बेरोजगार हों) यह सूचना नीचे दी गई है :

निम्नलिखित की स्थिति के अनुसार	संख्या लाखों में
31-12-1979	143.34
31-12-1983	219.53

(घ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन० एस० एस० ओ०) रोजगार तथा बेरोजगारी के बारे में पंचवार्षिक सर्वेक्षण करती है। रोजगार तथा बेरोजगारी संबंधी आखिरी सर्वेक्षण एन०एस०एस०ओ० द्वारा अपने 38वें दौर (जनवरी-दिसम्बर, 1983) में किया गया था संबंधित आंकड़े इस समय प्रोसेस किए जा रहे हैं ।

(ङ) रोजगार स्थिति में सुधार लाने के लिए छठी योजना में अनेक कदम तथा उपाय सुझाए गए हैं। प्रमुख रोजगार/लाभानुभोगी-उन्मुख योजनाएं ये हैं— राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन०आर०ई०पी०) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर०एल०ई०जी०पी०) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०), स्व-रोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण सम्बन्धी योजना (ट्राइसम) और शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार प्रदान करने संबंधी योजना ।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को आरक्षित रिक्तियां भरने में पिछला बकाया

3939. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में विभिन्न श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित वर्ग 1 से 4 के रिक्त पदों को भरना बकाया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अ०जा०/अ०ज० के इन आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयास किए हैं; और

(घ) अ० जा०/अ० ज० के लिए आरक्षित बकाया रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) सीधी भर्ती/विभागीय पदोन्नतियां करते समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए ब्रोचर में निहित अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाता है। जिन पदों के लिए नियंत्रक प्राधिकारी कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग है, आरक्षित रिक्तियों की संख्या (पिछले बकाया सहित, यदि कोई हो) उनको सूचित कर दी जाती है। यदि उनके पास उपलब्ध हो तो वे अपेक्षित वर्ग के व्यक्तियों को नामित करते हैं।

रेडियो स्टेशनों में पंजाबी और हिन्दी कलाकार

3940. **श्री राम विलास पासवान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी एक रेडियो स्टेशन में किसी एक कलाकार के लगातार दो कार्यक्रमों के मध्य कितना समय का अन्तराल होता है;

(ख) क्या सरकार पंजाबी और हिंदी कलाकारों को समान अवसर और सुविधाय उपलब्ध कराती है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) लगातार दो कार्यक्रमों के बीच अन्तराल का कोई निश्चित समय नहीं है। कलाकारों को कार्यक्रम आवश्यकताओं, उनकी ग्रेडिंग, ख्याति, विषय में विशेषज्ञता तथा उनके कार्य निष्पादन की गुणवत्ता के अनुसार बुक किया जाता है। बेहतर ग्रेडिंग वाले कलाकारों को निम्न ग्रेडिंग वाले कलाकारों की तुलना में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए ज्यादा अवसर प्राप्त होते हैं। तथापि, निकट बुकिंगों से सामान्यतया बचा जाता है।

(ख) जी, हां। यह उनकी ग्रेडिंग तथा कार्यक्रम आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ऊर्जा मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित भरे जाने वाले बकाया रिक्त स्थान

3941. **श्री राम विलास पासवान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित पदों के विभिन्न श्रेणी एक से श्रेणी चार तक के भरे जाने योग्य रिक्त पदों की बड़ी संख्या शेष है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित इन रिक्त पदों को भरने के कोई प्रयास किए गए हैं; और

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को कब तक पूरी तरह भरे जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्त पड़े पद अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण हैं। आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए सतत आधार पर प्रयास किए जाते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार उपलब्ध होते ही रिक्त पदों को भर लिया जाएगा।

दिल्ली में सौर ऊर्जा कुकर के व्यापारी तथा बिक्री मूल्य का विवरण

3942. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में तथा देश के अन्य भागों में सौर ऊर्जा कुकर की बिक्री के लिए व्यापारियों के नाम तथा पते क्या हैं तथा उसका बिक्री मूल्य क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत सौर कुकरों की राज-सहायता प्राप्त बिक्री के लिए सौर कुकर राज्य संगठनों/राज्य द्वारा नामित अभिकरणों/कद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से बेचे जाते हैं । ऐसे संगठनों/अभिकरणों की एक राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

स्टैंडर्ड बाक्स-टाइप सौर कुकरों की राजसहायता प्राप्त कीमत दिल्ली और दूसरे राज्यों में 370 रुपए से 480 रुपए तक है । यह कीमत नमूने एवं इस्तेमाल की गई सामग्री पर आधारित होती है । कुछ राज्य सरकारें तो 100/- से 150/-रुपए तक की अतिरिक्त राजसहायता प्रदान करती है जिसके कारण उन राज्यों में बिक्री मूल्य और कम हो जाता है।

विवरण

क्र०सं०	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	संगठन	कैफियत
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	कृषि पम्पसेट्स एवं औजार लि०, 10-2-317/3, विजयनगर कालोनी, हैदराबाद-500457	इस समय 14 राज्यों एवं दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश सौर कुकरों का निर्माण और राज सहायता प्राप्त कीमत पर बिक्री जारी है । बाकी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा जल्दी ही इसे अनुसरण करने की आशा है ।
2.	असम	असम राज्य सहकारी विपणन, एवं उपभोक्ता संघ लि०, भंगागढ़, गौहाटी-781005	
3.	बिहार	बिहार राज्य हथकरघा एवं, दस्तकारी निगम लि०, उद्योग भवन, पूर्वी गांधी मैदान, पटना-4	
4.	दिल्ली	(i) सुपर बाजार, कनाट प्लेस, नई दिल्ली । (ii) दिल्ली राज्य औद्योगिक, विकास निगम लि०, एन० ब्लाक, बंबई लाइफ बिल्डिंग, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001 (iii) सिंडिकेट बैंक, 6 भगवानदास रोड, नई दिल्ली-110001	

1	2	3	4
5.	गुजरात	गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी, बी०एन० चैंबर, तीसरी मंजिल, आर० सी० दत्त रोड, बड़ोदरा-390005	
6.	हरियाणा	हरियाणा राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम लि०, सैक्टर 17-डी, चण्डीगढ़	
7.	हिमाचल प्रदेश	शिमला केंद्रीय सहकारी, उपभोक्ता भण्डार लि०, नया बाजार, शिमला	
8.	कर्नाटक	कर्नाटक औजार एवं, मशीनरी कंपनी लि०, मैसूर रोड, बंगलौर-560026	
9.	मध्य प्रदेश	(i) मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, तीसरी मंजिल, "पंचानन" मालवीय नगर, भोपाल-462003 (ii) मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि०, 39, निशात कालोनी, भोपाल-462003	
10.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम लि०, कृपनिधि, 9, बालचन्द, हीराचन्द्र मार्ग, बैलर्ड एस्टेट, बम्बई-400038	
11.	उड़ीसा	(i) विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग, उड़ीसा सरकार, उड़ीसा सचिवालय, भुवनेश्वर-1 (ii) सरकारी औजार फैक्ट्री, सत्यनगर, भुवनेश्वर, (उड़ीसा)।	
12.	पंजाब	पंजाब कृषि उद्योग निगम लि०, एस०सी०ओ० संख्या 315-316, सैक्टर 35-बी, चण्डीगढ़।	

(...जारी)

1	2	3	4
13. राजस्थान		(i) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लि०, ओ०-1, सुभाष नगर, झोटवाड़ा रोड, जयपुर।	
		(ii) राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर।	
14. तमिलनाडु		तमिलनाडु उपभोक्ता संघ लि०, एक्स० एन०-663,26 आरकाट रोड, सालिग्रामम, मद्रास-600 093।	
15. उत्तर प्रदेश		(i) इन्जीनियरिंग एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी, संस्थान, 26, छतम लाइन्स, इलाहाबाद (उ०प्र०)	
		(ii) गैर-पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी, उ०प्र०, बी-46, मंदिर मार्ग, महानगर विस्तार, लखनऊ।	
		(iii) लखनऊ केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी, भंडार लि०, (नया बाजार सुपर मार्किट), दया-निधान पार्क, लखनऊ।	

मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन और सिहोर जिलों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन केंद्र खोलना

3943. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन और सिहोर जिलों में अगले वर्ष के दौरान ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन केंद्र खोलने के लिए कुछ नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में विदिशा, रायसेन तथा सिहोर जिलों में नए सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोलना

3944. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन तथा सिहोर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ नए सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से कितने कार्यालयों को आज तक जनता के लिए खोल दिया गया है और उनके नाम क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान मंजूर किए गए लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

जिले का नाम	मंजूर किए गए सार्वजनिक टेलीफोनघरों की संख्या
विदिशा	20
रायसेन	13
सिहोर	31

(ग) 13-3-1984 तक खोले गए 33 सार्वजनिक टेलीफोनघरों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

जिला	सार्वजनिक टेलीफोनघरों के नाम
(एक) विदिशा	1. पारसेरा
	2. भूरिया
	3. घटवार
	4. पिपरिया
	5. पिपल खेड़ा
	6. संखेड़ा
	7. चिरखेड़ा
	8. रसाल्ली साहु
	9. अहमदनगर
(दो) रायसेन	1. मेदकी
	2. गद्दी
	3. परवरिया
	4. पेमात
	5. बीरपुर
	6. बनखेड़ी
(तीन) सिहोर	1. पिलिकरार
	2. बयान
	3. पंगुरिया
	4. दिल्लोड़
	5. जतखेड़ा
	6. तराली कलां
	7. बकतारा
	8. बकताल
	9. मजारकुई
	10. दलहम
	11. जसपुरकलां

(...जारी)

1	2
	12. सोयात
	13. चिच
	14. भाड़कुई
	15. मानकपुर
	16. चैनपुर
	17. सामनापुर
	18. खांडवा

प्रत्येक पांच-किलोमीटर पर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का खोला जाना

3945. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रत्येक पांच किलोमीटर पर ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन केंद्र खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान राज्यवार इस योजना के अन्तर्गत कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) मौजूदा नीति के अनुसार देश के अधिकांश रिहायशी इलाकों के 5 किलोमीटर के भीतर सार्वजनिक टेलीफोनघर सुलभ हो जाने की संभावना है।

(ख) नीति का ब्यौरा अनुबंध—एक और दो में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखे गये—**देखिए संख्या एल०टी० 7989/84**]

(ग) इस योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक टेलीफोनघर अभी खोले जाने हैं क्योंकि स्थानों का पता लगाने का कार्य अभी अन्तिम चरणों में है।

गोदावरी बेसिन में गैस का वाणिज्यिक उत्पादन

3946. **श्री विष्णु प्रसाद** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी बेसिन से गैस का वाणिज्यिक उत्पादन कब से शुरू हो जायेगा;

(ख) इस काम के लिए गहरे समुद्र में छिद्रण करने वाले आयातित अत्याधुनिक उपकरणों की लागत कितनी है; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जो इस उपक्रम में सहयोग देने के लिए सहमत हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) कृष्णा-गोदावरी बेसिन में कुछ कुओं में तेल/गैस मिली है। परन्तु बेसिन में तेल और गैस भण्डारों की मात्रा का अभी भी मूल्यांकन किया जा रहा है ताकि उत्पादन की वाणिज्यिक व्यवहार्यता निश्चित की जा सके। अतः इस समय कितना निश्चित समय वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने में लगेगा अथवा उत्पादन के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरणों पर कितनी लागत आयेगी, बताना संभव नहीं है। यू०के० और नार्वे जैसे कुछ देशों ने गहरे समुद्र में खुदाई करने और उत्पादन के लिए उपकरण और प्रौद्योगिकी की व्यवस्था करने में अपनी रुचि दिखाई है, परन्तु कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं किये गये हैं।

देश में टेलीफोनों की मांग

3947. **श्री विष्णु प्रसाद** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टेलीफोनों की कुल कितनी मांग है; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में संचार की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) देश में 1-1-1984 को टेलीफोनों की कुल मांग 32.87 लाख थी।

(ख) सरकार की नीति है कि सभी श्रेणीगत स्थानों (सामान्यतया 5000 से अधिक आबादी वाले स्थान) और आबादी वाले अधिकतर स्थानों पर 5 किलोमीटर के भीतर सार्वजनिक टेलीफोन (पी०सी०ओ०) उपलब्ध कराए जाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में घाटे के आधार पर लघु क्षमता के ग्रामीण एक्सचेंज भी खोले जा रहे हैं।

असम में तेल का पाया जाना

3948. **श्री विष्णु प्रसाद** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि अपर असम में दो और कुओं में तेल का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो दोनों कुओं से कितना तेल मिलने की संभावना है तथा राज्य में कच्चे तेल का कुल कितना उत्पादन होता है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) दोनों कुओं की सम्मिलित क्षमता 130 मी० टन प्रति दिन की है। 1983 के दौरान असम में कच्चे तेल का कुल उत्पादन 4.9 मिलियन मी० टन का हुआ था।

राजस्थान में पेट्रोल पंप डीलरों द्वारा पेट्रोल और डीजल में मिलावट

3949. **श्री बिरदा राम फुलवारिया** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेट्रोल पंप डीलरों द्वारा तेल में मिलावट किए जाने के मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 के दौरान राजस्थान में मिलावट का शक होने के कारण कितने पेट्रोल पंपों को सील किया गया;

(ग) पेट्रोल और डीजल में मिलावट तथा अन्य आरोपों के दोषी पाए गये कितने पेट्रोल पंप डीलरों पर मुकदमा चलाया गया; और

(घ) तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) 1983-84 के दौरान (जनवरी, 1984 तक) राजस्थान में पेट्रोल पम्प डीलरों द्वारा तेल में मिलावट के कुछ संदिग्ध मामले प्रकाश में आये हैं।

(ख) संदिग्ध मिलावट के कारण 1983-84 के दौरान तीन पेट्रोल पम्पों को सील कर दिया गया था अथवा उनकी सप्लाई बंद कर दी गयी थी।

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान मिलावट तथा अन्य आरोपों के लिए किसी डीलर के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया गया है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय भावनाओं को प्रोत्साहित करने वाले फिल्म निर्माताओं के लिये फिल्म निर्माता पुरस्कार

3950. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन फिल्म निर्माताओं को पुरस्कार देती है जो राष्ट्रीय भावनाओं को प्रोत्साहित करने वाली फिल्मों का निर्माण करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन फिल्म निर्माताओं के नाम क्या हैं; और वर्ष 1980 से 1984 (जनवरी तक) उनकी पुरस्कृत फिल्मों के नाम क्या हैं तथा इससे सम्बन्धित अन्य ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एक पुरस्कार राष्ट्रीय एकीकरण पर सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिए है। वर्ष 1980 और इससे आगे इस पुरस्कार का नाम स्वर्गीय नरगिस दत्त के नाम पर कर दिया गया है। इस पुरस्कार में निर्माता के लिए एक रजत कमल तथा 30,000/-रुपये का नकद पुरस्कार और निर्देशक के लिए एक रजत कमल तथा 15,000/-रुपये का नकद पुरस्कार शामिल है। इस पुरस्कार के संदर्भ में राष्ट्रीय एकीकरण का विषय केवल साम्प्रदायिक सद्भाव को ही नहीं अपितु, शोषित वर्गों के उत्थान, अन्त: क्षेत्रीय एकता आदि को भी कवर करता है।

2. जिन निर्माताओं तथा फिल्मों को 1980 और इससे आगे यह पुरस्कार दिया गया है, उनके नाम इस प्रकार हैं :—

वर्ष	फिल्म का नाम	निर्माता का नाम
1980	22 जून, 1897	नचिकेत पटवर्धन
1981	भवानी भवाई	संचार फिल्म का-ओपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
1982	सप्तपदी	भीमावरापू-बुचिरेड्डी
1983	अरूदम	टोसाम्मा जार्ज।

राजस्थान में उर्वरक संयंत्र की स्थापना

3951. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर (राजस्थान) में फास्फेट एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० द्वारा चार करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सिंगल सुपर फास्फेट फर्टिलाइजर्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट में उत्पादन होना शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्य इस उर्वरक का उपयोग करेंगे;

(ग) इस संयंत्र में कितने लोग काम कर रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार राजस्थान में ऐसा एक और संयंत्र स्थापित करने का है और यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक हो जाएगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) मै० उदयपुर फास्फेट्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० ने अक्तूबर, 1983 से उत्पादन प्रारंभ किया।

(ख) एस० एस० पी० निर्माता एककों को ई० सी० ए० का आवंटन मुख्यत: उस राज्य में किया जाता है जहां एकक स्थित है और उत्पादन की मात्रा तथा संबंधित राज्यों की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए पड़ोसी राज्यों को भी किया जाता है।

(ग) मैं० उदयपुर फास्फेट्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० ने सूचित किया है कि उनके संयंत्र में 118 कर्मचारी नियोजित हैं।

(घ) मैं० उदयपुर फास्फेट्स एंड फर्टिलाइजर्स लि० की भांति ही एक और एकक इस समय उदयपुर में कार्यान्वियनाधीन है।

मुजफ्फरपुर में कान्ती के पास ताप बिजली संयंत्र

3952. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में कान्ती के पास एक ताप बिजली संयंत्र का निर्माण चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके कार्य की प्रगति का क्या ब्यौरा है;

(ग) उक्त परियोजना को निश्चित समय पर पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं और उसके लिए कौन-कौन से व्यक्ति जिम्मेवार हैं; और

(घ) उस तापीय बिजली संयंत्र से कब तक बिजली पैदा की जाएगी और इस संयंत्र से (उत्तर बिहार) के कौन-कौन से जिलों को बिजली दी जाएगी तथा इन जिलों की कितने प्रतिशत बिजली की मांग को पूरा किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) बिहार राज्य बिजली बोर्ड मुजफ्फरपुर ताप विद्युत परियोजना (कान्ती के समीप) का निर्माण कर रहा है जिसमें 110-110 मेगावाट की दो यूनिटें प्रतिष्ठापित किए जाने का विचार है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने भेल के साथ एक टर्न-की ठेके को अन्तिम रूप दिया है। इस समय दोनों यूनिटों के क्रमश: अगस्त, 1984 और जून, 1985 में चालू होने की आशा है।

परियोजना के चालू होने में विलम्ब के मुख्य कारण ये हैं :—

(1) परियोजना के क्रियान्वयन के लिए भेल के साथ टर्न-की ठेके को अन्तिम रूप देने में विलम्ब;

(2) भूमि सम्बंधी जटिल परिस्थितियों के कारण पाईलिंग संबंधी कार्य में भेल के सामने आई समस्याएं;

(3) भेल को निधियां मुहैया कराने में विलम्ब जिसके परिणामस्वरूप बायलर, संरचनात्मक इस्पात, कार्यों तथा कोयला हैण्डलिंग प्रणालियों आदि के उत्थापन में विलम्ब हुआ।

परियोजना से उत्पन्न होने वाली बिजली राज्य ग्रिड को दी जायेगी और यह किसी विशिष्ट जिले अथवा क्षेत्र के लिए निर्धारित नहीं की गई है।

उत्तरी बिहार के पश्चिम चम्पारन जिले में तेल की खोज

3953. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बिहार के पश्चिम चम्पारन जिले में तेल पाए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस सबंध में किये गये कार्य की प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि कोई प्रगति नहीं हुई है, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) अभी तक किये गये अन्वेषी प्रयासों के आधार पर, बिहार के पश्चिम चम्पारन जिले को हाइड्रोकार्बनों की खोज के लिए एक संभावित क्षेत्र समझा गया है।

(ख) और (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अब तक 1412.2 लाइन किलोमीटर भूकम्पीय सर्वेक्षण किये हैं और रक्सोल में एक कूप को खोदा है, जो सूखा पाया गया था। इस समय गंडक के स्थान पर एक दूसरे कुएं की खुदाई की जा रही है।

कंपनी कानून विभाग के प्रशासी तंत्र को फिर से ठीक करना

3954. **श्री सनत कुमार मंडल**
श्री विष्णु प्रसाद } : क्या **विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चूक करने वाली कम्पनियों पर नियंत्रण रखने और कम्पनी कानून विभाग के प्रशासी तंत्र को फिर से ठीक करने की दृष्टि से कम्पनी कानून बोर्ड को पेनल शक्तियां देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सदन में संशोधक कानून कब तक पेश किए जाने की सम्भावना है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (सच्चर समिति) ने अपनी रिपोर्ट में, कम्पनी अधिनियम, 1956 में संशोधनों के लिए विभिन्न सुझाव दिये थे। अधिनियम के कतिपय उपबन्धों के उल्लंघन के लिए दण्ड देने की शक्ति के लिए स्वतंत्र अर्द्धन्यायिक संस्था के रूप में कंपनी विधि बोर्ड के पुनर्गठन के उस संबंधित विषय सहित समिति के सुझावों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। जैसे ही सरकार इन सुझावों पर अन्तिम निर्णय लेगी, अधिनियम को संशोधन करने के आवश्यक विधायन पर कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

विदेशी कंपनियों के पास 25 से 40 प्रतिशत साम्य पूंजी होना

3955. **श्री बाबू राव परांजपे** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनकी 25 से 40% साम्य पूंजी विदेशी निगमित निकायों के पास है और उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं और उसके मूल देश का नाम क्या है और प्रत्येक मामले में कितनी साम्य पूंजी उनके पास है; और

(ख) ऐसी प्रत्येक कंपनी का व्यवसाय क्या है और उनके उच्चतम अधिकारियों के नाम और प्रत्येक कंपनी के व्यवसायिक मुख्यालय के पते क्या हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल): (क) तथा (ख) 31-1-1983 को 82,903 कंपनियां कार्यरत हैं। इन कंपनियों के नामों के पते लगाने में, जिनकी विदेशी निगमित निकायों द्वारा 25% से 40% तक साम्य पूंजी धारित है के लिए इन कंपनियों में प्रत्येक की वार्षिक विवरणियां देखना जरूरी होगा। 82,903 कम्पनियों की वार्षिक विवरणियों को देखने में अन्तर्ग्रस्त समय और श्रम, सम्भवत: उपलब्ध किये जाने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं हो सकेगा। तथापि, अगर माननीय सदस्य महोदय किसी विशेष कम्पनी/कम्पनियों के संबंध में सूचना चाहते हैं तो अपेक्षित सूचना एकत्र की जायेगी और उनको प्रस्तुत कर दी जायेगी।

विदेशी कंपनियों की इक्विटी धारिता

3956. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या-क्या हैं जिनकी 1% से 25% तक की इक्विटी विदेशी निगमित निकायों के पास है, उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं, ये कम्पनियां मूल रूप में किस देश से संबंधित हैं और प्रत्येक के पास कितनी इक्विटी धारिता है; और

(ख) ऐसी प्रत्येक कम्पनी किस तरह का व्यापार करती हैं उनके मुख्य कार्यकारियों के नाम क्या हैं और इनके व्यापारिक पते क्या हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) तथा (ख) 31-3-1983 को 82,903 कम्पनियां कार्यरत हैं। इन कम्पनियों के नामों के पते लगाने में जिनकी विदेशी निगमित निकायों द्वारा 1% से 25% तक इक्विटी धारित है, के लिए इन कम्पनियों में प्रत्येक की वार्षिक विवरणियां देखना जरूरी होगा। 82,903 कम्पनियों की वार्षिक विवरणियों को देखने में अन्तर्ग्रस्त समय और श्रम, संभवत: उपलब्ध किये जाने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं हो सकेगा। तथापि अगर माननीय सदस्य महोदय किसी विशेष कम्पनी/कंपनियों के संबंध में सूचना चाहते हैं तो अपेक्षित सूचना एकत्र की जायेगी और उनको प्रस्तुत कर दी जायेगी।

मथुरा शोधनशाला की चिमनी से गैस निकलना

3957. **श्री निहाल सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य की, कोई जांच कराई है कि मथुरा शोधनशाला की चिमनी से निकलने वाली गैस की दुर्गन्ध क्षेत्र में चारों ओर फैल रही है और वहां पर रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) सरकार को मथुरा रिफाइनरी की चिमनी से निकलने वाली गैस की दुर्गन्ध फैलने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इसके साथ ही, इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड मथुरा स्थित रिफाइनरी से निकलने वाली गैसों तथा तरल निस्सारों को लगातार मानीटर करता है। यह पूरी तरह निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत हैं।

पेट्रोलियम से बनने वाले सामान की डीलरशिप के लिए बैंक ऋण

3958. **श्री स्कारिया थामस** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम से बनने वाले सामान की डीलरशिप के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) तेल कंपनियों द्वारा "सामाजिक उद्देश्य" श्रेणियों के अधीन चुने गये डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने तेल उद्योग के साथ परामर्श करके अभी हाल में एक योजना तैयार की है। उनकी कुल आवश्यकताओं की 75%

सीमा तक आवधिक ऋण के रूप में तथा कार्यकारी पूंजी के लिये रियायती दर पर, सार्वजनिक क्षेत्र (राष्ट्रीयकृत) के सभी-बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जायेगा। मोटे तौर पर (I) व्यापार में स्टाक अर्थात् पेट्रोल, डीजल तेल तथा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की खरीद के लिए और (II) अपना व्यापार चलाने के लिए तथा भवनों, गोदामों का निर्माण करने आदि के लिए मशीनरी/उपकरण की खरीद के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान की जायेंगी।

औषधों के मूल्य निर्धारण के बारे में हाथी आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति हेतु कानून बनाया जाना

3959. **श्री जगपाल सिंह**
स्वामी इन्द्रवेश } : **क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1975 में प्राप्त हाथी समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों को इस बीच क्रियान्वित कर दिया है, और यदि हां, तो तारीख वार कौन-कौन सी सिफारिशें क्रियान्वित की गई और उनका सामान्य जन पर क्या प्रभाव पड़ा;

(ख) क्या यह सच है कि औषधों के मूल्य निर्धारण करने और उनका लागत मूल्य न्यूनतम रखने के लिए हाथी आयोग ने औषध कंपनियों के ब्रांड नामों के स्थान पर औषध के गुणानुसार नाम रखने की सिफारिश की थी और उनके साथ ही सूची में दी गई 70 औषधों के मामले में तो तुरन्त कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित सिफारिशों को प्रभावी बनाने हेतु ट्रेड नेम्स एण्ड पेटेंट्स बिल शीर्षक से एक विधेयक पेश करने का है, और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) सरकार ने 29 मार्च, 1978 को लोक सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत किया था जिसमें औषध और भेषज उद्योग पर हाथी समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार के निर्णय दिये गये थे। नई औषध नीति विषयक विवरणपत्र के 104 पैराग्राफों जिनमें लगभग 123 मुद्दे शामिल हैं, में से 20 पैराग्राफों को छोड़कर शेष सभी पैराग्राफों का पूर्ण अथवा आंशिक कार्यान्वयन किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, दिनांक 29 मार्च, 1978 को लोक सभा पटल पर प्रस्तुत किये गये विवरणपत्र में दर्शाये गये नई औषध नीति के मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में अच्छी प्रगति हुई है।

(ग) हाथी समिति ने प्रारंभ में 13 औषधों के ब्राण्ड नाम समाप्त करने की सिफारिश की थी। तथापि, सरकार ने निम्नलिखित 5 औषधों पर आधारित एकल घटक फार्मूलेशनों के ब्राण्ड नाम समाप्त करने का निर्णय लिया :—

1. एनलजिन
2. एस्प्रिन
3. क्लोरप्रोमाजाइन
4. फैरस सल्फेट
5. पिपराजाइन और इसके लवण, जैसे कि एसियेट, साइट्रेट और फास्फेट।

इसके अतिरिक्त, एकल घटक खुराकों में निर्माण की जाने वाली नई औषधों, केवल निर्यात किये जाने वाले औषधों को छोड़कर, के लिये ब्राण्ड नामों का प्रयोग भी समाप्त कर दिया गया

था। कुछ निर्माताओं ने सरकार के निर्णय को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी और उक्त न्यायालय ने दिनांक 13 अगस्त, 1982 को दिये अपने फैसले में अन्य-बातों के साथ-साथ घोषणा की कि किसी भी एकल क्रियाशील घटक वाली औषधों को जातिगत नाम से विपणन के लिये निर्धारित करना गैर-कानूनी और संविधान के विरुद्ध होगा। सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील की है जो स्वीकार कर ली गई है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

12.01 म०प०

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : एक मिनट सुन लीजिए, हरिजन और आदिवासियों की हत्या रोज हो रही है, बिहार में दो जगहों पर हुई···(**व्यवधान**)···हमने इस पर ऐडजर्नमेंट मोशन दिया है···

अध्यक्ष महोदय : हम इस अगले सप्ताह विचार-विमर्श करेंगे ऐडजर्नमेंट मोशन तो नहीं आएगा लेकिन मैं डिस्कशन करवा दूंगा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसको अनुमति नहीं दी गई है। हम अनुमति नहीं दे सकते। अनुमति बिल्कुल नहीं है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह कानूनी समस्या है। अनुमति नहीं है। बिल्कुल नहीं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। मैं सहमत नहीं हूं। बिल्कुल नहीं।

डा० बसंत कुमार पंडित (राजगढ़) : वि० वि० प्रा० के खिलाफ नवम्बर से ही एक विशेषाधिकार प्रस्ताव अनिर्णीत पड़ा है। किंतु आपको मेरे निवेदन पर अन्तिम रूप से निर्णय लेना ही होगा। मैं उस पर आपका निर्णय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझ से पूछ लीजिएगा।

मेरे खयाल से इसे पहले ही अस्वीकार कर दिया गया है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। मैं अनुमति नहीं देता।

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : राजस्थान और मध्य प्रदेश में अफीम की काश्त को बहुत बड़ा नुक्सान हुआ है···केन्द्र सरकार के आश्वासन के बावजूद सर्वेक्षण दल और राहत की घोषणा नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय : हम इसकी जांच करेंगे, विचार-विमर्श करेंगे डिमांड्स आ रही हैं, उस पर देख लेंगे।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : होली के अवसर पर स्पूरियस शराब पीने से बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए स्टेट्स को बोलिए। वहां पर जो एम०एल०एज हैं उनको कहिए कि वह इसको वहां पर देखें।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : कलकत्ता के गार्डनरीच वर्कशाप क्षेत्र में स्थिति बहुत गम्भीर हो गई है। भारतीय पुलिस सेवा का एक वरिष्ठ अधिकारी की हत्या कर दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : वह डिस्कशन कर रहे हैं। आज मीटिंग कर रहे हैं। पोर्ट एण्ड डाक वर्कर्स के मुताल्लिक कब डिस्कशन करेंगे वह उसमें आएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी गई है। यह गलत है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है बारी-बारी से आप यह क्यों करते हैं? मैं यह कह रहा हूं कि कंसिडर कर रहा हूं और अगले हफ्ते इस पर डिस्कशन किसी वक्त कराएंगे। श्री रामावतार शास्त्री ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करेंगे।

12.04 म०प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वर्ष 1984-85 की रक्षा मन्त्रालयों की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें तथा रक्षा सेवाओं के वर्ष 1984-85 के प्राक्कलन

रक्षा मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वर्ष, 1984-85 की रक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए। सं० एल० टी०-7941/84]

(2) रक्षा सेवाओं के वर्ष, 1984-85 के प्राक्कलनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०-7942/84]

कर्मचारी भविष्य निधि योजना तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष, 1984-85 के वित्तीय प्राक्कलन और कार्य-निष्पादन बजट

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, कर्मचारी भविष्य निधि (पांचवां संशोधन) स्कीम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 7 जनवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 13 में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी०-7943/84]**

(2) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1984-85 के वित्तीय प्राक्कलनों और कार्य-निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या-एल० टी० 7944/84]**

बाल फिल्म सोसाइटी, भारत, बंबई के कार्यकरण की समीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन और इन्हें सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) बाल फिल्म सोसाइटी, भारत, बम्बई, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बाल फिल्म सोसाइटी, भारत, बम्बई, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या-एल० टी०-7945/84]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से सहमत नहीं हूं। इजाजत नहीं हैं। मैंने उन्हें इजाज़त नहीं दी है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इजाजत नहीं है। मैं कोई कारण नहीं बताऊंगा। इजाजत नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक शब्द बोलने की भी इजाजत नहीं दी है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे अब नियम नहीं सीखने हैं। पिछले चार वर्षों में काफी सीख चुका हूं। और मैं नियमों का ही पालन करता हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इजाजत नहीं है। मैंने इजाजत नहीं दी। मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, आप बोलिए। क्या मैं दूसरे का नाम लूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको पता लग जायेगा। आपको जानकारी दे दी जाएगी।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वे जानते हैं कि मैं इसके बारे में विचार-विमर्श करूंगा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। सोए हुए को जगा सकता हूं, जागते हुए को कैसे जगा सकता हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्हें करने दीजिए। वे ऐसा ही करने पर तुले हुए हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बशीरहाट) : महोदय क्या आपने मेरे बन्दरगाह और गोदी कामगारों की हड़ताल सम्बन्धी नोटिस को चर्चा के लिए मंजूर किया है ?

अध्यक्ष महोदय : उसी के लिए आज मीटिंग बुलाई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मीटिंग तो बुलाई है लेकिन उस हाउस में हो रहा है और यहां पर कोई जिक्र भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप चाहें तो आज कर लें, कल चाहें तो कल कर लें।

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि आपको शोभा देता है या नहीं, मैं नहीं जानता हूं। हर चीज की लिमिट होती है। पासवान जी, हर एक चीज की कोई लिमिट होती है।

श्री राम विलास पासवान*

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री राम विलास पासवान को इजाजत नहीं दे रहा···नहीं, नहीं बिल्कुल भी इजाजत नहीं है।

श्री राम विलास पासवान *

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संवपुर)*

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं···।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा की कार्यवाही इस तरह जबरन रोकी जाएगी ?···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा ही लगता है।···इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता।···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजपुरा) : क्या हम यह मान लें कि कार्य मंत्रणा समिति निर्णय लेगी ? यदि आप ऐसा कहें तो उससे वे संतुष्ट हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफसर साहब, मैंने पहले ही इनको कहा हुआ है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें इजाजत नहीं दी। मैंने उनका एक भी शब्द रिकार्ड में दर्ज किये जाने की अनुमति नहीं दी है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर गृह मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।···

···(व्यवधान)···

प्रो० मधु दंडवते : हम आपका यह सुझाव मान सकते हैं कि यह मामला कार्य मन्त्रणा समिति में उठाया जाये। परन्तु पिछली पद्धति के अनुसार जिन्होंने नोटिस दिया है उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे सहमत नहीं हूं।

···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : यह हाउस के लिए रिकार्ड नहीं किया गया है। जो पासवान जी बोल रहे हैं, बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं, असत्य भाषण कर रहे हैं। असत्य वादन मत करिए।

···(व्यवधान)···

श्री राजेश कुमार सिंह : बहुत से विषयों पर राज्य सभा में चर्चा हो जाती है, लेकिन लोकसभा में नहीं होती है।

अध्यक्ष महोदय : राज्य सभा राज्य सभा है और लोकसभा लोकसभा है। उनका अपना सोचने का तरीका है और मेरा अपना सोचने का ढंग है। न हम उनसे बाध्य हैं और न वे हम से बाध्य हैं।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं उनका नाम लेकर पुकारूं ।

...(व्यवधान)...

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : यह बात सही नहीं है । हरिजनों की फिलिंग्स का एहसास होना चाहिए ।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : ये गलत बात करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है । असत्य बात करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है ।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप अपने एम०एल०ए० से कहिए ।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : नॉट एलाउड ।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप जरूर करिए ।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आपने अकेले ठेका नहीं ले रखा है । हम भी उनके प्रतिनिधि हैं । सारे उनका प्रतिनिधित्व करते हैं । हम भी प्रतिनिधित्व करते हैं ।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : किसने बताया है आपको, बिल्कुल असत्य है ।

...(व्यवधान)...

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय यह बहुत खेद की बात है कि माननीय सदस्यों ने पीठासीन अधिकारी पर आक्षेप किया है । इस सदन में यह बताते हुए दुख होता है (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : ऐसी बात नहीं है बूटासिंह जी, दुखी दिल के मुंह से कभी ऐसी बात निकल जाती है । ये हजारों साल के दबाए हुए लोग हैं, इस लिए ऐसा हो जाता है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मुझे खुशी है कि माननीय मन्त्री पीठासीन अधिकारी को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं परन्तु हरिजनों को कौन संरक्षण देगा ।

श्री बूटा सिंह : पीठासीन अधिकारी का संरक्षण प्रदान करना केवल मेरा फर्ज नहीं है यह सभी का फर्ज है । अब महादेय, यह कहना गलत होगा ... (व्यवधान) यदि हम पीठासीन अधिकारी की सहायता नहीं करेंगे तो मेरा दावा है कि सदन की कार्यवाही एक पक्ष के लिए भी नहीं चल सकती (व्यवधान) मैं आपकी अनुमति लेकर बोल रहा हूं क्या आप उन्हें बैठने के लिए कहेंगे ? महोदय, यह कहना सही नहीं है कि इस विषय पर कभी चर्चा नहीं हुई । माननीय सदस्य जानते हैं कि इस सभा में कई बार इस पर विचार विमर्श हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको तथ्य दे सकता हूं ।

श्री राम विलास पासवान : दिखलाइये, जनता पार्टी के समय में कितना डिस्कशन हुआ है और आपके समय कितना डिस्कशन हुआ है ? उस समय अगर हत्या हुई हैं तो इस समय दर्जनों हत्याएं हो रही हैं...

श्री बूटा सिंह : महोदय हम यहां हारजीत करने नहीं आये हैं। हमें यह भी देखना है कि सभा में जो भी हो उससे हमारी जनता की समस्याओं को सुलझाने में मदद मिले। हरिजनों पर अत्याचार होना कोई नई बात नहीं है यह पहले से ही होता आ रहा है। जब यह लोग सत्तारूढ़ थे तब भी ऐसा होता रहा। **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : लेकिन इतना पहले कभी नहीं हुआ था।

श्री बूटा सिंह : महोदय मैं बहस नहीं करना चाहता। मैं यह साबित कर सकता हूं कि जनता पार्टी के शासन के समय यह अत्याचार अब से अधिक हुए हैं। **(व्यवधान)** महोदय मुझे खेद है कि बिना वजह मुझे बहस में घसीटा जा रहा है। मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। जब बहस होगी तब मैं उत्तर दे सकता हूं। वर्तमान स्थिति खेदजनक है। पार्टियों के माननीय नेता आपकी बात से सहमत हैं **(व्यवधान)** परन्तु वह अपने संदस्यों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात क्लिअर कर देना चाहता हूं। पोजीशन यह है कि कोई भी बात कभी भी इस सदन में आई है, हम 'न' नहीं की है कि डिस्कशन न हो। मैं रिकार्ड दिखला कर बतलाऊंगा, हम ने इसी बात पर इस हाउस में फुल डिस्कशन करवाया है और आज भी "न" नहीं है। आज भी जो ये कह रहे हैं; चूंकि अगला प्रोग्राम तय है, मैं उसको आगे नहीं कर सकता हूं, इसलिये इसको आगे करवा देंगे। इस में कोई झगड़ा नहीं है। ऐसा बार-बार हो रहा है तथा इस सभा के अलावा कौन इस का ध्यान रखेगा। क्या कोई ऐसा इन्सान है जो इस तरह की घृणा उत्पन्न करने वाली, इस तरह की दर्दनाक चीज को महसूस न करता हो, कोई राक्षस ही ऐसा कर सकता है। लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है। हम ने कभी इन्कार नहीं किया है लेकिन अगर आप इस तरह से करना चाहें तो आप का सदन है, खड़े-खड़े कहते रहें। जो लोग बाहर से आते हैं वे क्या सोचते होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। मैंने शुरू से ही कहा है·····

श्री राम विलास पासवान : **

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। मैंने कहा है कि मैं डिस्कशन करवा रहा हूं। ··**(व्यवधान)**···इस का कोई अर्थ नहीं निकलता। जब डिस्कशन होगा, तब अच्छा लगेगा। आपके प्वाइन्ट्स भी आएंगे लेकिन इस तरीके से बोलने से क्या होता है।···**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : **

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिये।···**(व्यवधान)**···अच्छा मैं करूंगा नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप दबाकर करवाना चाहते हैं, तो मैं नहीं करूंगा। यह कोई बात हुई।···**(व्यवधान)**···मि० दंडवते, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं करवा रहा हूं। ऐसा करने से नहीं होता। थोड़ा सा लिहाज तो होना चाहिए। बहुत हो चुका।

श्री राम विलास पासवान : **

अध्यक्ष महोदय : आप भी मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हैं।···**(व्यवधान)**··· मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं करवा रहा हूं। आप कहते हैं कि ऐसा न करते, तो यह नहीं होता है। यह कोई तरीका है। आप मुझे दबाना चाहते हैं।···**(व्यवधान)**···यह गलत बात है। मैं आपको नाम लेकर पुकारूंगा। मैं भी इन्सान हूं। मैं इस सभा का सदस्य हूं

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राम विलास पासवान :**

अध्यक्ष महोदय : आप मुझ पर क्यों गुस्सा करते हैं।···(**व्यवधान**)···
यह धींगा-मस्ती नहीं चलेगी।···(**व्यवधान**)···
डिस्कशन तो जरूर चलेगा लेकिन धोंस से नहीं चलेगा।
(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मैं तो बोलना नहीं चाहता था और न धोंस चलाना चाहता हूं। धोंस चलाने वाला नीच होता है। मैं नहीं चलाऊंगा। मैं तो इसको माने बैठा हूं।···(**व्यवधान**) आनरेबिल मेंबर ने जब ऐसी बात कह दी, तो इन की बात मैंने कह दी थी। मैं तो इस को माने बैठा हूं। मैंने कब इनकार किया है। मेरी किताब में 'इनकार' नहीं लिखा है। मैं आपकी बात को कैसे इनकार करूंगा। मेरी बात सुन लीजिए।···(**व्यवधान**)···मेरी कोई जिद्द नहीं है। राम विलास जी ने जब कहा कि ऐसा न करते, तो इस को न मानते, मैं इसके खिलाफ बात कह रहा था। मैं तो पहले माने बैठा हूं।

श्री मनी राम बागड़ी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह बात कुछ भी नहीं है। यह बात समझने का फर्क पड़ गया है। राम विलास जी ने यह कहा कि ऐसा न करते, तो डिस्कशन होता और अध्यक्ष जी ने कह दिया कि ऐसा है, तो मैं नहीं करूंगा और वे कायदे से इसको करेंगे। इस में कौन सी ऐसी बात है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : आप ने सहानुभूति प्रकट कर दी है। विजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग दोपहर को होगी। उस समय इसके बारे में तय कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अर्ज किया था कि मैंने कब इन्कार किया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इनकी शिकायत है कि एजोर्नमेंट मोशन नहीं लेते।

अध्यक्ष महोदय : जब वक्त होता है, तब लेता हूं और जब नहीं होता, तो नहीं लेता।

श्री बूटा सिंह : यह कहते हैं कि रोज एजोर्नमेंट मोशन ले लिया करो।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : संसदीय कार्य मन्त्री, श्री बूटा सिंह जी सारा मामला बिगाड़ देते हैं। क्या आपने इनको इजाजत दी है ?

अध्यक्ष महोदय : चलिये आगे, चलिये।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : महोदय सुभाष नगर में जो घटना हुई है...

अध्यक्ष महोदय : मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह सब कानूनी मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री रतनसिंह राजदा : कानूनी मामला होता तो मैं आपके सामने कहता नहीं। वहां गैर कानूनी मामला हुआ है। ···(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(**व्यवधान**)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय यह दिल्ली का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : कहीं का भी मामला हो।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रतन सिंह राजदा : महोदय हम यह मामला यहां उठा सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : भई मैं नहीं करूंगा ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नाट अलाऊड । मैं नहीं कर सकता । वहां उनकी मेट्रोपोलिटन कौंसिल है । मैं आपसे सहमत नही हूं ।

(व्यवधान)**

श्री रतन सिंह राजदा : क्या आप यह स्वीकार करते हैं कि आपने इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उठाया है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव पहले ना मंजूर कर चुका हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे साथ आज बहुत अन्याय हुआ है ।

12.27½ म०प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश के पूर्वोत्तर भाग में विद्रोहियों की बढ़ती हुई गतिविधियों के समाचार

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय जी, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें:—

"इम्फाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के अनेक कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों की हत्या कर दिये जाने और बहुत लोगों को घायल कर दिये जाने की घटनाओं से विशेष संदर्भ में देश के पूर्वोत्तर भाग में विद्रोहियों की बढ़ती हुई गतिविधियों के समाचार तथा इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

12.28 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : मैंने 14 फरवरी को इम्फाल के निकट हुई एक घटना के बारे में 15 मार्च 1984 को इस सदन में एक संक्षिप्त वक्तव्य दिया था । उस घटना को मणिपुर पुलिस और बी० एस० एफ० के बीच बालीबाल मैच के स्थान के निटक विधि और व्यवस्था तथा पुल सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक टुकड़ी पर कुछ अज्ञात बन्दूक धारियों ने जिन के बारे में सन्देह है कि वे पी० एल० ए० के थे गोली चलाई थी ।

के० रि० पु० ब० की टुकड़ी की संख्या 8 थी और उनके साथ 3 सिविलियन पुलिस कर्मचारी भी थे । कर्मचारियों को फैला रखा था — कुछ मेयाग-इम्फाल रोड पर थे और कुछ पुल के निकट के स्थल पर थे ।

लगभग 2,000 व्यक्तियों की भीड़ जिसमें आदमी, औरतें और बच्चे थे मैच देखने आयी थी । सांय लगभग 4 बजे जब खेल हो रहा था तो सशस्त्र विद्रोहियों के एक दल ने जो सख्या में लगभग 15 थे और जिन्होंने प्रतीत होता है कि अपनी योजना बना रखी थी चुपके से के० रि० पु० ब०

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

के कर्मचारियों के आस पास मोर्चे सम्भाले और तकरीबन उसी समय उन पर गोली चलाई। के० रि० पु० ब० का एक कान्स्टेबल मारा गया और के० रि० पु० ब० के 5 अन्य कर्मचारी गोली लगने से घायल हो गए। विद्रोहियों ने के० रि० पु० ब० के कर्मचारियों के 4 हथियार ले लिए जो या तो मारे गए थे अथवा बुरी तरह घायल हो गए थे।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों ने विद्रोहियों पर गोली चलाई, विद्रोही छीने गये हथियारों से भी गोली चलाते रहे दोनों ओर से गोलीबारी के दौरान भीड़ ने हड़बड़ी में भागना शुरू कर दिया और इस गोलाबारी में नागरिक भी हताहत हुए। बताया जाता है कि कुल 14 व्यक्ति मारे गये हैं और इन में एक कार्मिक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का और एक कार्मिक मणिपुर राइफल्स का शामिल है, यद्यपि मैंने अपने पहले संक्षिप्त वक्तव्य में यह बताया था कि के० रि० पु० बल के दो कार्मिक मारे गये थे। घायल व्यक्तियों की संख्या 38 बताई जाती है जिनमें से 34 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। के० रि० पु० ब० का एक कार्मिक और एक सिविलियन की हालत गम्भीर है।

14 और 15 मार्च को तेज छानबीन कार्रवाई के दौरान 17 व्यक्ति पकड़े गये और पूछ-ताछ की जा रही है।

14 मार्च, को 1900 बजे से और 15 मार्च को 1000 बजे से क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया। इम्फाल में और उसके आस पास स्थिति नियंत्रण में है। बाजार भी खुल गये हैं और सामान्य रूप से चल रहे हैं।

नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार गोलीबारी के दौरान घायल हुए एक आक्रमणकारी का शव बरामद किया गया है। पहचान करने पर पता लगा कि वह सपम बीराजीत सिंह है जो पी० एल० ए० का एक नेता था। समझा जाता है कि एक सफेद अम्बेस्डर कार में यात्रा कर रहे व्यक्तियों ने शव को थरंग खू के निकट सड़क के किनारे फेंका था। जिस कार के बारे में सन्देह है कि उसका इस्तेमाल किया गया है, उसे और उसके चालक को हिरासत में ले लिया गया है। पूर्ण जांच पड़ताल की जा रही है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिरीक्षक और जी० ओ० सी० पूर्वी कमाण्ड 15 मार्च, 1984 को इम्फाल गये। विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए प्रभावकारी समन्वित कार्रवाई की योजना बनाई गई।

मणिपुर को मंत्रिमण्डल परिषद ने 14 मार्च, 1984 को गोलीबारी की घटना में जिन व्यक्तियों की जानें गईं और जो घायल हुए उनको हर तरह की मदद तथा सहायता देने का निर्णय किया है। क्षेत्र में सुरक्षा उपाय कड़े कर दिये गये हैं।

पी० एल० ए० प्रेपक और के० सी० पी० तथा अन्य सम्बद्ध संस्थाओं को अक्तूबर 1983 में गैर कानूनी संस्थाएं घोषित कर दिया गया था। 1983 के दौरान मणिपुर में गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की संख्या 95 थी। इसके अतिरिक्त 13 उग्रवादियों ने 1983 में आत्म समर्पण किया था।

माननीय सदस्यों ने उत्तर-पूर्व में विद्रोहियों की बढ़ती हुई गतिविधियों का भी उल्लेख किया है। मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम में उग्रवादियों ने कुछ वारदातें की हैं लेकिन हाल के महीनों में नागालैंड और असम में उग्रवादियों की कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई। मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में शांति रही है।

समस्त मणिपुर राज्य और मिजोरम संघ शासित क्षेत्र घोषित "विक्षुब्ध क्षेत्र" है। त्रिपुरा-मिजोरम सीमा पर त्रिपुरा में एक पट्टी भी घोषित "विक्षुब्ध" क्षेत्र है। सुरक्षा उपयों को बढ़ा दिया गया है।

उत्तर—पूर्वी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास पर बाकायदा ध्यान दिया जा रहा है। छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति परिव्यय 1393 रु० है जबकि शेष देश में प्रति व्यक्ति परिव्यय 872 रु० है। मैं माननीय सदस्यों को यह सूचना भी देना चाहता हूं कि कोपिली हाइडल परियोजना के प्रथम चरण को अभी चालू किया गया है जिसकी क्षमता 25 मेगा-वाट है और न्यू बोगईगांव से गोहाटी तक की ब्रोड गेज रेलवे लाईन की अप्रैल, 1984 तक पूरा हो जाने की संभावना है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में एक विशेष दूर दर्शन नेटवर्क के शीघ्र ही आरम्भ किए जाने की संभावना है जिसकी अनुमानित लागत 36.5 करोड रु० है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 14 मार्च को हेरांगोई-थोंग की अमानुषिक घटना ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जनता विरोधी काले कारनामे को उजागर कर दिया है। इस घटना के पूर्व भी कई बार सी आर पी एफ के जवान आम जनता पर अमानवीय जुल्म ढा चुके हैं। 16 मार्च को भी हेरांगोई-थोंक घटना के दो दिन बाद, उसकी गोलियों से एक महिला और एक बच्चा घायल हो चुका है। इस प्रकार देखा जाए तो सी आर पी एफ प्रारम्भ से ही उग्रवादियों से लड़ने के बजाए जनता पर चोट करता आ रहा है। फलस्वरूप संपूर्ण मणिपुर की जनता उसे अपना मित्र नहीं, शत्रु मानती आ रही है।

मणिपुर में सी आर पी एफ के रहते करीब 20 साल हो गए। परन्तु उसने कभी भी जनता के सुख दुख में साथ दे कर उसकी सदिच्छा और सहयोग प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। बरा-बर उसकी यही कोशिश रही कि वह वहां के निवासियों को अपने जुल्मों के द्वारा अपना शत्रु मानने को विवश कर दे। यही कारण है कि आज मणिपुर की जनता एवं नौजवान एक स्वर से बर्बरता के प्रतीक सी आर पी एफ को वापिस करने की जोरदार मांग कर रहे हैं।

14 मार्च, 1984 की हेरांगोई थोंग की घटना के पूर्व 26.4.90 को सी आर पी एफ ने उग्रवादियों के बजाए पटसोई ग्राम के निवासियों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया जिसमें एक महिला मारी गई, 27.4.80 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की गोली से सवाई बाजार में 3 महिलाओं को घायल किया गया जिसमें से एक की मृत्यु हो गई। 1.4.81 को उग्रवादियों के हमले से तीन नागरिक और 6 सी० आर० पी० एफ० के जवान लेईमाइट में मारे गये, परन्तु सी० आर० पी० एफ० ने कोई जवाबी हमला नहीं किया, 19.9.81 को किसी अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस गाड़ी पर एक हैण्ड-ग्रीनेड फेंक दिया जिसका बदला निर्दोष नागरिकों से लिया गया। न्यू कछार रोड पर स्थित विजय गोविन्द में सी० आर० पी० एफ० ने लूट-पाट मचाया। आम लोगों के साथ मार-पीट की गई जिसमें कई लोग घायल हो गए और 5.12.81 को उग्रवादियों ने इम्फाल के आकाशवाणी केंद्र के आहाते में हैण्ड-ग्रीनेड फेंका। उसके बाद सी० आर० पी० एफ० की गोली से एक विवाहित युवती अपने घर में मारी गयी।

प्रत्यक्ष-दर्शियों का कहना है कि, 14 मार्च को हेरांगोई-थोंग की घटना अब तक की घट-नाओं में सबसे बड़ी और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। उस दिन सीमा सुरक्षा बल और मणिपुर राइफल्स के बीच वॉलीबाल का मैच चल रहा था। बड़ी संख्या में दर्शक वहां मौजूद थे। खेल के मैदान से कुछ दूरी पर नाम्बुल नदी पर बने पुल से दक्षिण में खेल का मैदान है, वहीं मैच

हो रहा था। सी० आर० पी० एफ० के जवान हेरागोई-थोंग पुल के निकट एक स्थान पर स्थित थे। उनकी ड्यूटी खेल के मैदान में नहीं लगायी गई थी। उनका काम आस-पास में कानून व्यवस्था की देखभाल करना था। इसी बीच उग्रवादियों के एक दल ने सी० आर० पी० एफ० पर हमला कर एक जवान को मार दिया, कई लोगों को घायल कर दिया और कुछ हथियार छीन कर उत्तर की ओर भाग गये। एक उग्रवादी भी घायल हुआ जिसे वे लोग अपने साथ लेते गए। बस क्या था, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक दूसरे जत्थे ने आकर न आव देखा न ताव, उन लोगों ने खेल के मैदान में एकत्र निहत्थे दर्शकों पर अंधाधुन्ध गोली चलाना शुरू कर दिया जिसके फलस्वरूप घटना स्थल पर ही 13 निर्दोष नागरिक मारे गए। एक की बाद में मृत्यु हुई और 38 व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों में छह बच्चे हैं। अत: यह कहना सफेद झूठ है कि, उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ के कारण इन निरपराध व्यक्तियों की मौतें हुईं। इसके लिए एकमात्र दोषी सी० आर० पी० एफ० है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल से लोग इतनी घृणा करते हैं कि, कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व नागरिकों की पुलिस विरोधी भावना से लाभ उठाकर उनमें अलगाव की भावना उभार रहे हैं और मणिपुर को भारत से अलग करने तक के नारे दे रहे हैं। लगता है कि बड़े अफसरों के रहने के बावजूद सी० आर० पी० एफ० पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है और पुलिस जुल्म का नंगा नाच कर रही है। इस संदर्भ में मैं 17 मार्च के "मणिपुर न्यूज" समाचार पत्र से निम्न उद्धरण उद्धत करना अप्रासंगिक नहीं मानता।

"वस्तुत: गोलियों का तबादला नहीं हुआ था। सी०आर० पी० एफ० द्वारा एक तरफगोली बारी की गई थीं। वास्तव में सी० आर० पी० एफ० और अतिवादियों के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई, इस घटना में तो शसस्त्र पुलिस ने बेक सूर जनता की निमर्मता पूर्वक हत्या की है। कानूनी तौर पर तो यह बहुत बड़ा अपराध है तथा नैतिक दृष्टि से यह मानवता के प्रति घोर दुष्टता है तथा ईश्वरीय कानून के प्रति घोर अपराध है। क्या सरकार ने सशस्त्र पुलिस की नियुक्ति दूसरों द्वारा किए गए अपराध के बदले बेकसूर व्यक्तियों को मारने के लिए की है। हेरागोई-थोंग पुल के हत्याकांड से मणिपुर की कानून का पालन करने वाले तथा शान्तिप्रिय व्यक्तियों में राष्ट्रविरोधी भावना पैदा हो गई है। उनका यह कृत्य पूर्णतया अमानवीय है।"

इस बर्बरतापूर्ण घटना के बाद कल मेरी मुलाकात एक सिख सज्जन से हो गई। उन्होंने कटाक्ष के लहजे में पूछा कि शास्त्री जी अगर पंजाब में छोटी सी घटना घटती है तब भी आप लोग संसद में कुहराम मचा देते हैं। दूसरी ओर मणिपुर में सी० आर० पी एफ० वालों ने इतना बड़ा नरसंहार कर दिया, फिर भी आप सांसदों की बोलती बंद क्यों है? उनकी कटाक्ष भरी बात सुनकर मेरा माथा शर्म से झुक गया।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : हम लोगों ने तो एडजार्नमेंट मोशन भी रखा था। आपकी बोलती बंद क्यों हो गई? .....(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : आपको शर्म से सिर झुकाने की जरूरत नहीं थी।

श्री रामावतार शास्त्री : इतनी बड़ी घटना घट गई, क्या शर्म से सिर नहीं झुकेगा?

इस पृष्ठभूमि में मैं निम्न प्रश्न मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं :—

1. क्या यह बात सच है कि मणिपुर की सभी पार्टियां 14 मार्च के जघन्य हत्याकांड की अदालती जांच की मांग कर रही हैं, जिसमें वहां की सरकार भी शामिल है? यदि हां तो इस

सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ? क्योंकि इसकी जानकारी वक्तव्य में नहीं दी गई है।

2. क्या मणिपुर की जनता वर्षों से यह मांग कर रही है कि वहां से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को वापस बुला लिया जाये ? यदि हां, तो इसके बारे में मंत्री महोदय का क्या कहना है ?

3. क्या मृतकों और घायलों के परिवार के लोगों को सरकार की ओर से कोई मदद प्रदान की गई है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

4. क्या यह उचित नहीं होगा कि जिन लोगों की गोलियों से मृत्यु हुई है, उनके परिवार के एक-एक व्यक्ति को सरकारी सेवा में नियुक्त किया जाये ?

5. अब तक सी० आर० पी० एफ० की गोलियों से मारे गये उग्रवादियों और आम निरपराध नागरिकों की अलग-अलग संख्या क्या है ?

6. सरकार ने अब तक कितने उग्रवादियों के विरुद्ध कार्यवाही की है और क्या ?

7. मणिपुर में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये सरकार ने कौनसी कारगर कार्यवाही की है ?

8. क्या यह सच नहीं है कि मणिपुर की सरकार जब-जब भी कानून-व्यवस्था ठीक रहने का दावा करती है, ठीक उसके बाद ही कोई अनहोनी घटना घट जाती है, जैसा कि 13 मार्च को दिल्ली दूरदर्शन पर उप मुख्यमंत्री के इंटरव्यू के बाद 14 मार्च को ही हेरांगोई-थोंग की अमानवीय घटना घटी ?

9. मणिपुर की समस्या का समाधान केवल उग्रवादियों का शारीरिक रुप से सफाया कर के नहीं निकाला जा सकता। उसके लिए राजनीतिक और आर्थिक हल निकालने से ही स्थिति में सुधार लाया जा सकता है ताकि नौजवान उनकी ओर आकर्षित नहीं हो सकें। इस दिशा में सरकार ने कौनसी कार्यवाही की है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

10. जिन उग्रवादियों ने सरकार के सामने आत्म-समर्पण कर दिया है, उनके साथ कौनसा और कैसा व्यवहार किया जा रहा है ?

11. क्या यह बात सच है कि वहां की समस्या का समाधान निकालने के लिये उच्चाधिकारियों को नहीं भेज कर निम्न-श्रेणी यानि दोयम दर्जे के अधिकारियों को भेजा जाता है जिनसे वहां की स्थिति में सुधार लाने में मदद नहीं मिलती ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री प्रकाश चंद्र सेठी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने, जो 14 मार्च को घटना हुई है उसे 13 मार्च की घटना बताया है।

श्री रावतणार शास्त्री : 14 मार्च ही लिखा है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : आपने 13 कहा है, खैर, उसमें गलती होगी।

जहां तक मणिपुर में सी० आर० पी० एफ० का ताल्लुक है, बजाय इसके कि सी० आर० पी० एफ० और बी० एस० एफ० के जवानों को, वहां जो वह कठिन काम कर रहे हैं, उसके लिये शाबाशी दी जाये, यह कहना कि वही निहत्थे लोगों की हत्या कर रहे हैं, ठीक नहीं है। उस रोज जो लोग मरे हैं, वह एक्सट्रीमिस्ट्स से हथियार छीनने के बाद अपने हथियार से जो एक्सचेंज आफ फायर किया है, उस एक्सचेंज आफ फायरिंग के बारे में यह सही हो सकता है कि कुछ लोग सी० आर० पी० एफ० की गोली से मरे हों और कुछ लोग उनकी गोली से मरे हों।

जहां तक सी० आर० पी० एफ० के वहां से हटाने का सवाल है, मणिपुर के लोगों ने या वहां की सरकार ने कोई ऐसी मांग नहीं की है, बल्कि मणिपुर सरकार रि-एन्फोर्समेंट मांग रही है।

श्री रामावतार शास्त्री : सरकार ने पुलिस हटाने की मांग नहीं की है, लेकिन जुडीशियल इन्क्वायरी की मांग की है, यह मैंने पूछा है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मणिपुर डिस्टर्बड एरिया घोषित है, इसमें एक्सट्रीमिस्ट्स पार्टी डिक्लेयर्ड अन-लाफुल है। उनके नाम मैंने बताये हैं। वहां की पुलिस, सी आर पी एफ और बी एस एफ के द्वारा 1983 में और अब तक 12 एक्सट्रीमिस्ट्स मारे गये हैं और 95 के करीब गिरफ्तार हुए हैं। वहां की सरकार ने घोषणा की है कि डिसीज्ड की फैमिली को 1,000 रुपए और घायल व्यक्ति को 500 रुपए मुआवजे के तौर पर दिए गए हैं। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि यह रकम मुनासिब नहीं है। डिसीज्ड की फैमिली को कम से कम 10,000 रुपए देने चाहिए और घायल व्यक्ति को और ज्यादा रकम-500 रुपये से ज्यादा देनी चाहिए। यह प्रश्न हम उनके साथ उठा रहे हैं।

अभी हमारे पास अधिकृत सूचना नहीं आई है, लेकिन मालूम हुआ है कि मणिपुर सरकार ने उस रोज की घटना के बारे में जुडिशल एन्क्वायरी बिठाना तय किया है। जब यह मामला केन्द्र के पास आएगा, तब इस पर विचार किया जएगा। उसके कई इम्प्लीकेशन्ज हैं। आसाम में इतनी घटनाएं हुई, लेकिन कोई जुडिशल एनक्वायरी नहीं हुई। ऐसी सूरत में वहां के पुलिस बल के मनोबल को कायम रखने के लिए मणिपुर सरकार की जुडिशियल एनक्वायरी की मांग को मानना या न मानना उस मांग के आने पर विचाराधीन होगा।

इसके बाद की और कोई घटना नहीं है। इससे पूर्व की घटनाओं का विवरण मेरे पास नहीं है। चूंकि यह कालिंग एटेन्शन नोटिस 14 मार्च की घटनाओं के सम्बन्ध में है, इस लिए मैंने उन्हीं घटनाओं का विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) उपाध्यक्ष महोदय, जब भारत जैसे विशाल देश की सीमाएं कई देशों के साथ लगती हों और उन देशों में अस्थिर सरकारें, तानाशाही सरकारें और हमारे प्रति होस्टाइल स्टीच्यूड रखने वाली सरकारें हों, तब हमारी बार्डर स्टेट्स में इनसरजेंसी की वारदातें होना जहां स्वाभाविक है, वहां हम सब लोगों के लिए चिन्ता का विषय भी है। पहले उस एरिया में कुछ नोन नेम्ज होते थे। मगर अब लगातार कुछ नए नए ग्रुपों के नाम प्रकाश में आ रहे हैं और कई लोग ऐसे ग्रुपों को जायन करते जा रहे हैं।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आखिर इसका कारण क्या है, इसका रूट काज क्या है, कहां हमारे और उनके बीच कम्युनिकेशन गैप है। अपनी बैकवर्डनैस के बारे में उनकी जो सैन्सिटिवनेस है, वह दूर हो सके, उनको महसूस हो सके कि हिन्दुस्तान देश उनके साथ न्याय कर रहा है और उनमें सैन्स आफ इनवाल्वमेंट पैदा सो सके, इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

वहां पर हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत पुअर है। नेशनल पेपर्ज वहां नहीं पहुंच सकते। हमारी तरफ से अभी वहां रेडियो और टेलिविजन द्वारा प्रचार की कोई व्यवस्था नही है, जबकि हमारे खिलाफ जो देश हैं, उनका टेलिविजन और रेडियो नेटवर्क उस क्षेत्र को सर्व करता है। सरकार ने इस बारे में शुरूआत की है, लेकिन उसको बढ़ाने और स्ट्रेंथन करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

जिन व्यक्तियों और ग्रुप्स ने पहले सरेन्डर किया है, उनके पुनर्वास के लिए कोई इफैक्टिव व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि सरेन्डर करने वाले लोगों के पुनर्वास की ठीक से व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जो लोग इस वक्त हमारे प्रति होस्टाइल एटीच्यूड रखे हुए हैं, वे महसूस करें कि सरकार सरेन्डर करने वालों की प्रापर केयर कर रही है।

यह देखने में आया है कि लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लोअरसट्रेटा में उग्रवादियों के साथ सहानुभूति रखने वाले तत्व भी हैं, मगर हमें उनके बारे में जानकारी नहीं है। वे लोग इनसरजेंट्स के खिलाफ हमारे पुलिस आपरेशन्ज की सूचना उग्रवादियों को दे देते हैं, जिसके कारण हमारा पुलिस बल सफर करता है। इसलिए वहां पर हमारे इनटेलिजेंस विंग को स्ट्रेंथन करना आवश्यक है, ताकि हमको प्रापर सूचना मिल सके कि पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन लोग उग्रवादियों के साथ सहानुभूति रखते हैं।

यह देखा गया है कि जब कोई वारदात होती है, तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन एलर्ट हो जाता है। लेकिन जब उग्रवादियों का दबाव हम पर से हट जाता है, तो हम ढीले पड़ जाते हैं। जो एंटी इन्सरजेंट मेसर्स हैं उन में हम ढील बरतते हैं। मणिपुर के मुख्य मंत्री जी का बयान पेपर्स में आया था कि सी आर पी एफ की बटालियन आसाम चुनाव के वक्त हटा ली गई थी। उस को फिर से वहां पोस्ट नहीं किया गया। इन का यह भी बयान था कि हम ने मणिपुर राइफल्स की एक और बटालियन रेज करने की मांग की थी, हम ने केन्द्र से नयी जीपें भी मांगी हैं लेकिन केन्द्र ने उस की भी अनुमति नहीं दी है। कुछ और सामान भी मांगा है, उस के विषय में केन्द्र की सरकार से अभी कोई रेस्पांस नहीं आया है क्या यह बात सही है? इस सन्दर्भ में आप क्या निर्णय लेने जा रहे हैं?

इस क्षेत्र में आजकल के सी एफ, एम एन एफ, नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल आफ नागालैंड, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, नागालैंड स्टूडेंट्स फैडरेशन, त्रिपुरा नेशनल वालंटियर्स, पीपुल्स इंडिपेंडेंट ब्लाक आफ मणिपुर, आसू, गण-संग्राम परिषद् इस तरीके के कई उग्रवादी संगठन काम कर रहे हैं और अखबारों में यह खबर छपी है कि इन सब लोगों ने किसी किसी विदेशी मुल्क की सलाह पर जिस में चीन का नाम आया है, उस की सलाह पर अपनी कोई एक कौंसिल बना ली है ताकि इनका मूवमेंट कोआर्डिनेटेड वे में हो सके।

अखबारों में यह भी खबर छपी है कि अमेरिका के राजदूत कलकत्ता गए थे और कलकत्ता में उन्होंने मणिपुर के एक उग्रवादी संगठन के नेता से हमारे किसी पड़ोसी देश की मदद से बातचीत की थी। क्या यह बात सही है कि अमेरिका और चीन की मदद से इस तरह कोआर्डिनेटेड एफर्ट्स करने के विषय में कोई इस तरह की बात तय हुई है? यदि यह बात सही है कि उन्होंने कोई कौंसिल बना ली है ताकि वह सम्मिलित रूप से इस इलाके में इन्सर्जेन्सी को चला सकें तो मैं जानकारी चाहूंगा कि उस के अनुसार हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन और हमारी पुलिस भी कोआर्डिनेटेड वे में उस इलाके में काम कर रही है क्यों कि इन्सर्जेन्सी वहां एक स्टेट में नहीं है, मणिपुर में भी है, नागालैंड में भी और त्रिपुरा में भी है। तो इन सब में इंटर स्टेट कोआर्डिनेशन, इंटर फोर्सेस कोआर्डिनेशन, इंटेलिजेंस और दूसरे ऐडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के बीच में कोई कोआर्डिनेशन है? अगर वहां पर कमी है तो उस को दूर करने के लिए आप क्या सलाह वहां की राज्य सरकारों को देने जा रहे हैं?

अखबारों में यह खबर छपी है, मणिपुर के मुख्य मंत्री के बयान के साथ, भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री खैजा की हत्या के बाद नागालैंड का कोई एक उग्रवादी संगठन है जिस का नाम है नेशनल

सोशलिस्ट कौंसिल आफ नागालैंड, उन्होंने कहा है कि हम ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि इस प्रकार के कुछ संगठनों के ऊपर तो बैन लगाया गया है लेकिन कुछ और भी संगठन हैं जिन के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और केन्द्र की सरकार से हम बराबर इस बात की मांग कर रहे हैं कि वह इनके ऊपर बैन लगाए मगर केन्द्र की सरकार किसी और राज्य के दबाव में या उन की सलाह पर यह बैन नहीं लगा रही है। क्या यह सही है ? यदि नागालैंड का यह संगठन उसी प्रकार का है जैसे एम एन एफ और दूसरे संगठन हैं तो इस पर बैन लगाने के विषय में सरकार को कहां पर हिचकिचाहट हो रही है, यह हमें बताने की कृपा करें।

वहां पर कुछ इन्सर्जेन्ट्स ऐसे हैं जिन को लोकल पुलिस ने पकड़ा या सी आर पी एफ के लोगों ने पकड़ कर लोकल पुलिस के हवाले किया और कोर्ट ने उन को छोड़ दिया क्योंकि लोग शहादत देने के लिए सामने नहीं आते हैं। शहादत के अभाव में उन को छोड़ दिया गया। तो ऐसे इलाकों में जहां इन्सर्जेंसी आम बात हो गई है और लोग डर के मारे शहादत देने के लिए नहीं आते हैं हम को इन इलाकों के लिए कानून में कोई ऐसी तरमीम करनी चाहिए ताकि लोग शहादत के लिए कोर्ट में आ सकें या शहादत के अभाव में भी शंका के आधार पर ऐसे तत्वों को लम्बे समय तक जेल इत्यादि में बन्द रखा जा सके। जब तक कानून में इस तरीके की तब्दीली नहीं होगी, मैं समझता हू कि उस इलाके में हमारा पुलिस बल एफेक्टिवली काम नहीं कर सकता।

मैं जहां आपसे इन सारे बिन्दुओं पर बयान देने के लिए निवेदन कर रहा हूं वहां इस बात पर भी जोर देकर कहना चाहूंगा कि नार्थ ईस्ट या इस प्रकार के जो दूसरे रिमोट एरियाज हैं, जहां के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं उनकी बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए सरकार काफी पैसा खर्च कर रही है लेकिन जितना भी आप खर्च कर रहे हैं उसको वहां के लोगों समझ नहीं पा रहे हैं। उसकी जानकारी उन तक पहुंच नहीं पा रही है। विशेष रूप से वहां के नौजवानों को अगर इस बात की जानकारी हो सके कि सरकार उनके साथ हमदर्दी करना चाहती है, उनका विकास करना चाहती है, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहती है, उनके लिए रोजगार के नए साधन मोहैया करना चाहती है तो बहुत अच्छा रहेगा। जब तक आप उनको यह जानकारी नहीं देंगे और यह सेन्स उनमें पैदा नहीं करेंगे कि देश उनके साथ न्याय करना चाहता है, उनकी प्राब्लम्स को हल करना चाहता है तब तक मैं समझता हूं यह प्राब्लम, जैसा कि शास्त्री जी ने भी कहा है, केवल कानून और व्यवस्था कायम करने से सुधर नहीं सकती है। एक और जहां हमें पुलिस फोर्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए यहां दूसरी ओर जो वहां का आर्थिक कक्ष है, जो वहां पर बैकवर्डनेस है उसको दूर करने में उनका सेन्स आफ इन्वाल्वमेन्ट भी पैदा करने की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस क्षेत्र का ताल्लुक है, वहां पर केवल कानून और व्यवस्था कायम रखने की तरफ ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है बल्कि उसके डेवलपमेन्ट का भी पूरा खयाल रखा जा रहा है। मैंने अपने प्रारंभिक स्टेटमेन्ट में बताया है कि जहां डेवलपमेन्ट के लिए सारे देश में औसतन 872 रुपए प्रति व्यक्ति दिया जाता है वहां नार्थ ईस्टर्न रीजन में प्रति व्यक्ति औसत 1393 रुपए है। इस प्रकार से वहां पर डेवलपमेन्ट की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा वहां पर एक्सीलरेटेड डेवलपमेन्ट के लिए और भी प्लान्स बनाए गए हैं। वहां पर टेली-कम्युनिकेशन्स और एस टी डी फैसिलिटीज को काफी बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। यहां पर मेरे साथ ही कम्युनिकेशन मिनिस्टर बैठे हुए हैं वे स्वयं जानते हैं कि इन स्टेट्स में एस टी डी और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को काफी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

जहां तक उन लोगों को बसाने का सवाल है जोकि सरेण्डर हुए हैं, ऐसे प्रत्येक सरेन्डर्ड व्यक्ति पर शुरू-शुरू में दस हजार रुपये तक भी उसे बसाने पर खर्च किया जाता है और बाद में यदि आवश्यकता हो तो और रुपया भी दिया जा सकता है।

माननीय सदस्य ने नागालैंड के सम्बन्ध में तो एक बात कही उसमें कुछ गलतफहमी मालूम होती है। एन एस सी एन एक संस्था है मनीपुर में जिसको अनलाफुल डिक्लेयर करने का प्रश्न उन्होंने उठाया है। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है क्योंकि कोई भी संगठन जिसकी शाखा दूसरे राज्यों में हो, वह केवल एक राज्य में ही अनलाफुल नहीं हो सकती है, दूसरी जगह भी उसको अनलाफुल डिक्लेयर करना होता है। इसलिए यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

माननीय सदस्य ने जो दूसरे सुझाव दिए हैं कि उन लोगों को बसाने के लिए पूरी कार्यवाही की जाए तो वह की जायेगी। जहां तक एक्सट्रिमिस्ट्स के दलों का ताल्लुक है, सभी के बीच में कोई ताल-मेल नहीं है लेकिन कुछ एक्सट्रिमिस्ट्स के बीच में दूसरे राज्यों से सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। यद्यपि हमारे पास आधिकारिक प्रमाण नहीं हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें कुछ विदेशी ताकतें भी होती हैं। इसलिए वहां जो इंफार्मेशन सिस्टम है उसको मजबूत बनाने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है और उसके लिए हम यहां से सहायता दे रहे हैं।

जहां तक बी एस एफ की और बटालियन मांगने का सवाल है और मनीपुर बटैलियन और नयी जीप गाड़ियों के लिए पैसा देने का सवाल है, माननीय सदस्य को मालूम ही है कि देश के सामने फाइनेंशियल कांस्ट्रेन्ट्स हैं इसलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फिलहाल उसको स्वीकार नहीं किया है लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने यह मामला विचाराधीन है।

1.00 म० प०

श्री जोनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में इनसरजेंट्स के बारे में यह मामला उठाया गया है। वह अब इतना गम्भीर नहीं रहा, जितना हुआ करता था। छुट-पुट वारदातें तो वहां हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए सरकार और वहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के लोगों की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना करके अपनी जान को हथेली पर रख कर तरह-तरह के कष्ट सहन करके उस क्षेत्र की शान्ति को बनाए रखा है। बहुत मुश्किल होता है जब कोई पुलिस-पैट्रोल कहीं गश्त कर रहा हो और अचानक कुछ इन्सरजेंट्स आ जायें और हमला कर दें। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगे। उस समय यह ख्याल करना कि कहीं इनोसेंट लोग उस फायरिंग की चपेट में तो नहीं आ रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस स्थिति में इन्सरजेंट्स हमला करते हैं, उस स्थिति में सिविलियन को बचाना, हालांकि उनको बचाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है और इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। इस प्रकार की कई घटनायें हुई हैं और मेरे पास भी मणिपुर के माननीय सदस्य द्वारा बहुत सी घटनायें दी गई हैं। जो घटना हुई है। उसमें पहले इनसरजेंटस ने सी आर पी एफ पर हमला किया और उसके बाद सी आर पी एफ ने इनसरजेंट्स पर हमला किया और उसमें कुछ इनोसेंट लोगों की जानें गई हैं। जैसा कि आपने अखबारों में पढ़ा है, यह घटना 14 मार्च को शुरू हुई है और यह बड़े पैमाने की घटना है और जो दूसरे स्थान का हवाला दिया है, वहां छोटे पैमाने पर घटना हुई है। वहां पर पहले इन लोगों ने सी आर पी एफ के लोगों पर गोलियां चलाई हैं और गोलियां चलने के बाद कुछ इनोसेंट लोग बेगुनाह लोग वहां मारे गए। इस प्रकार की घटनाओं से बचने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन 14 मार्च की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। 14 मार्च की घटना अब तक की चार-पांच साल की घटनाओं से सबसे बड़ी घटना है। हमेशा तो

दो-तीन-चार आदमी इस प्रकार की घटनाओं में मारे जाते हैं, लेकिन अबे की बार 14 आदमी मारे गए और काफी लोग जख्मी हुए हैं।

सी आर पी एफ की शास्त्री जी ने निन्दा की है। यह वास्तविकता है कि सी आर पी एफ की जहां भी स्थिति को कन्ट्रोल करने के लिए पोस्टिंग हुई है, हमेशा उनकी तारीफ की जाती रही है। हमेशा उनके बारे में लोगों की अच्छी राय रही है। हालांकि सी आर पी एफ को बहुत कठिन परिस्थितियों में पूरे देश में काम करना पड़ता है। चाहे असम की आग हो, चाहे पंजाब की आग हो या चाहे नार्थ-ईस्ट रीजन की आग हो—सभी जगहों पर सबसे पहले सी आर पी एफ के लोगों को भेजा जाता है। सबसे पहले उन्हीं को कष्ट और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद भी सी आर पी एफ के लोगों ने बहुत ही लगन और बहुत ही मेहनत से जिस प्रकार देश सेवा की है, उनकी तारीफ करनी चाहिए। मैं तो समझता हूं कि जितनी उनकी तारीफ करनी चाहिए और जितनी सी आर पी एफ के लोगों को सुविधायें देनी चाहिए, उतनी सुविधायें नहीं दी जा रही हैं। जितने उनको आदमी देने चाहिए, जितनी उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए, जितनी उनको तनख्वाह देनी चाहिए, उतनी सरकार सी आर पी एफ के लोगों को नहीं दे रही है।

आज नार्थ-ईस्टर्न रिजन में सी.आर.पी.एफ. की बटालियन को तीन-तीन साल तक रखा जाता है। इन्सर्जेन्ट्स का मुकाबला करने के लिये, घर-बार को छोड़कर उनके पीछे दौड़ने व गोली खाने के लिये, तैयार रहने के लिये, तीन साल की अवधि बहुत लम्बी है। तीन साल के बाद जब वे बेचारे किसी पीस-स्टेशन पर आते हैं तो दो-तीन महीनों के बाद ही फिर से उनको पंजाब भेज दिया जाता है, आसाम भेज दिया जाता है या और किसी डिस्टर्ब्ड एरिया में भेज दिया जाता है। कभी भी एक साल तक चैन से रहने नहीं दिया जाता है।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : कल से आप अपोजीशन की जुबान बोल रहे हैं।

श्री जैनुल बशर : अपोजीशन कहां है? आपको आपोजीशन नजर आ रहा है? मैं कौनसी बुरी बात कह रहा हूं, यह अपोजीशन की बात नहीं है।

श्री रशीद मसूद : अपोजीशन की बात नहीं है, अपोजीशन की जुबान है।

श्री जैनुल बशर : मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई सिस्टम बनाया जाना चाहिये कि सी० आर० पी० एफ० के लोगों की थोड़े-थोड़े दिनों में बदली होती रहे। अगर कोई बटालियन डिस्टर्ब्ड एरिया में है तो उस को शान्ति एरिया में भी रखा जाय, विशेष कर दक्षिण भारत में उनकी पोस्टिंग की जा सकती है और दक्षिण भारत में जो बटालियन काफी दिनों से है उसे असम, पंजाब या दूसरी जगहों पर भेजना चाहिये। आज बड़ी कठिन परिस्थिति में हमारे सी० आर० पी० एफ० के लोग वहां काम कर रहे हैं।

जब कहीं कोई डिस्टरबेंस होता है, हमारे सी० आर० पी० एफ० के लोग वहां जाते हैं। लेकिन सी० आर० पी० एफ० के पास उनका अपना कोई गुप्तचर विभाग नहीं है। उनको यह पता नहीं चल पाता कि इन्सर्जेंट्स कहां और किस वक्त जायेंगे, वे कहां छुपे हुए हैं, उनकी गतिविधियां क्या हैं। दूसरी एजेन्सीज जो सूचनायें देती हैं वे कितनी रिलाएबिल हैं या नहीं हैं—इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। मैं नहीं जानता कि नार्थ-ईस्टर्न रिजन में उनका अपना कोई गुप्तचर संगठन है या नहीं है। यदि है, तो मन्त्री जी उसके बारे में बतलायेंगे। वहां की लोकल एजेन्सीज के जरिये या दूसरी एजेन्सीज के जरिये उनको जो सूचनायें मिलती हैं, उन पर ही उन को डिपेण्ड करना पड़ता है। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है ये सूचनायें उनको ठीक

प्रकार से नहीं मिल पाती हैं। जो सूचना हमें मिली है उस के अनुसार इन्सरजेंट्स दूसरे देशों से आ कर हमला करते हैं। बर्मा से या पाकिस्तान की तरफ से या बार्डर पर जो राज्य हैं वहां से आकर हमला करते हैं और अचानक हमला कर के हथियार छीनने की कोशिश करते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं और इस तरह से मुठभेड़ होती हैं। इसके लिये सबसे जरूरी चीज यह है कि वहां जो इन्टेलिजेंस विभाग है वह मजबूत होना चाहिये। दूसरे—सी० आर० पी० एफ० या बी० एस० एफ० या जो केन्द्रीय पुलिस बल के लोग वहां मौजूद हैं उनका आपस में अच्छा-खासा तालमेल होना चाहिये। जब तक उनके साथ ठीक प्रकार से तालमेल नहीं होगा, तब तक हमारी सी० आर० पी० एफ इफेक्टिव तरीके से काम करने में दिक्कत महसूस करेगी। हालांकि उन्होंने अपने काम में काफी सफलता प्राप्त कर ली है, अब ये घटनायें छुटपुट ही हो रही हैं, लेकिन यदि उन का तालमेल ठीक प्रकार से हो तो उन को ज्यादा कामयाबी मिल सकती है।

मैं गृह मन्त्री जी से जानना चाहता हूं—जो इन्सर्जेन्ट्स हैं उन के बारे में सुनने में आया है कि इनको विदेशों में ट्रेनिंग दी जाती है, विदेशों में इन के ट्रेनिंग कैम्प्स हैं, कभी-कभी बर्मा के बारे में खबर आती है, चीन के बारे में तो कई बार समाचार बोले हैं कभी-कभी बंगला देश की बात भी समाचारों में आई है। इन खबरों में कितनी सच्चाई है? क्या सरकार ने उन विदेशी शक्तियों से जैसे बर्मा, चीन या बंगला देश है, इस मामले में कोई बातचीत की है? क्या इन को पकड़ने के बारे में उन सरकारों से भी कोई तालमेल हुआ है? यदि हुआ है तो माननीय गृह मन्त्री जी उसे बतलाने की कृपा करें।

इन्सरर्जेन्ट्स के जिन संगठनों पर पाबन्दी लगा दी गई है उनकी चोरी-छिपे गतिविधियां हो रही हैं, जिनके जरिये पब्लिक में एक प्रकार का भ्रम फैलाने या प्रोपेगेण्डे की तरह का काम हो रहा है, उसे रोकने के लिये हम क्या कर रहे हैं?

वह तो सी० आर० पी० सी० नहीं कर सकती, बी० एस० एफ० नहीं कर सकती। क्या इसके लिए गृह मंत्री जी ने कोई बात सोची है। इस तरह के प्रोपेगन्डे के लिए आप क्या कर रहे हैं।

अभी हमारे एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि मिजोरम में एक कैसेट लाल डेंगा का जो इंगलैंड में रहते हैं, भेजा है। उस में उन के भाषणों को जगह जगह पर सुनाया जाता है, जिस में भारत विरोधी सारी बातें होती हैं और प्रोपेगन्डा होता है। इस प्रकार की कार्यवाही को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। इस प्रकार का जो प्रोपेगन्डा हो रहा है, उस प्रोपेगन्डा को काऊन्टर करने के लिए, उस का जवाब देने के लिए सरकार क्या कर रही है।

अभी रावत जी ने ठीक कहा कि इस बाबत नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर हम बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं और करना भी चाहिए। वह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां पर काफी विकास करने की आवश्यकता है और विकास कर भी रहे हैं। हमारी सरकार वहां पर काफी पैसा खर्च भी कर रही है लेकिन वहां के लोगों को इस बात को बताना होगा। वहां पर कम्यूनिकेशन्स इतने डेवलप्ड नहीं हैं और इतने समाचार पत्र भी नहीं निकलते। मैं नहीं जानता कि वहां पर टी० वी० और रेडियो की क्या स्थिति है। क्या वहां पर जगह जगह पर टी० वी० सेट्स लगाए जा रहे हैं या नहीं? अगर नहीं लगाए जा रहे हैं, तो लगाए जाने चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर लगाए जाने चाहिए और इस देश में इधर कुछ स्थान छूट भी जाएं, तो छूट जाएं लेकिन वहां पर टी०वी० और रेडियो सेन्टर खोले जाने चाहिए। सरकार उस क्षेत्र के विकास के लिए और वहां पर लोगों को रोजगार देने के लिए क्या कर रही है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है, यह मन्त्री जी बताएं।

एक और सुझाव देना चाहता हूं और यह मेरा आखरी सुझाव है। नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोगों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स में और भारत की सेना में ज्यादा जगह देने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए ताकि वे महसूस कर सकें कि भारत की पुलिस फोर्स में या भारत की सेना में या शान्ति बनाए रखने में या भारत की रक्षा में उन का भी इन्वोल्वमेंट है। इसलिए नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोगों को सी० आर० पी० एफ० और बी० एस० एफ० तथा दूसरी केन्द्रीय रिजर्व फोर्स में अधिक से अधिक भर्ती किया जाना चाहिए और सेना में भी ज्यादा लोगों को रखा जाना चाहिए ताकि देश की एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, और शान्ति का वातावरण बनाए रखने के लिए वे अपने को इन्वोल्व कर सकें और अपना इन्वोल्वमेंट महसूस कर सकें।

इन चन्द शब्दों के साथ मैंने जो सवाल किये हैं, मैं आशा करता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी मेरी इन बातों का जवाब देंगे।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री जैनुल बशर का बहुत आभारी हूं कि वे एक ऐसे सदस्य निकले, जिन्होंने अपने भाषण में पुलिस के नैतिक बल को बढ़ाने का उल्लेख किया है। इसके लिये मैं उनका हृदय से आभारी हूं।

जहां तक सी० आर० पी० एफ० को अधिक से अधिक सुविधाएं देने का सवाल है, सरकार खुद चाहती है कि उन को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाएं। सी० आर० पी० एफ० और बी० एस० एफ० की और बटेलियनें भर्ती की जा रही हैं लेकिन जहां तक उन की तन्ख्वाहें बढ़ाने का सवाल है, आर्थिक कठिनाइयों के कारण हमारे स्वयं के चाहते हुए भी हम उन को नहीं बढ़ा पाते हैं। उन का अपना कोई गुप्तचर विभाग नहीं है लेकिन लोकल सी० आई० डी० इस में उनकी मदद कर रही है और समय-समय पर जो मीटिंगें होती हैं, उन में आर्मी के अफसर और उन के लोकल अफसर शरीक होते हैं।

जहां तक कुछ इनसरजेन्ट कैम्प्स का ताल्लुक है, यह बात सुनी गई है कि उन के कुछ कैम्प बंगला देश में हैं। वहां की सरकार से इस बारे में संबंध स्थापित किये जा रहे हैं ताकि वहां पर उन कैम्पों को खत्म किया जा सके।

जहां तक लाल डेंगा से बात चीत करने का सवाल है, सरकार लाल डेंगा से कोई बात नहीं करना चाहती है और अगर कोई उन का टेप यहां पर आया है, तो उस टेप को हासिल करने का प्रयत्न किया जाएगा।

जहां तक इस इलाके में सुविधाएं बढ़ाने का ताल्लुक है, मैंने शुरू में ही बताया है कि इस एरिया में टी०वी० के नेटवर्क को काफी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और 36.5 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट इसी दिशा में एप्रूव किया गया है, जोकि दो साल के अन्दर अन्दर वहां पर स्थापित हो जाएगा और सभी जगहों पर टी० वी० की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। माननीय सदस्य ने जो और सुझाव दिये हैं, उन के लिये मैं उनका हृदय से आभारी हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मैंने बहुत ध्यान से यह वक्तव्य सुना है। इस वक्तव्य के बारे में मेरी टिप्पणी यह है कि स्थिति की गंभीरता को कम समझा जा रहा है तथा मणिपुर सरकार व अन्य पूर्वोत्तर राज्यों तथा भारत सरकार द्वारा जो कदम उठाये गये थे वे निरर्थक सिद्ध होते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं पिछले दिसम्बर, मणिपुर के मुख्य मन्त्री ने एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया। जिसमें उन्होंने कहा कि मणिपुर राज्य में कोई विद्रोह नहीं है तथा वह समस्याओं से निपटने की स्थिति में हैं। परन्तु वास्तव में श्री शैजा की हत्या से कहानी इस दावे के

बिल्कुल विपरीत दिखाई देती है। मैं मणिपुर राज्य पर विस्तार पूर्वक कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के उग्रवादियों की गतिविधियों से भी सम्बन्धित है। परन्तु मणिपुर के अनुभव को ध्यान में रखते हुए मैं यह कहना चाहूंगा यह कि आतंक संतोष की स्थिति वहां इसलिए है क्योंकि मणिपुर ने 1980 में सेना बुला ली गई थी और बहुत से उग्रवादियों को लोगों के अनुसार 500 या उससे अधिक को गिरफ्तार करलिया गया है तथा सरकार द्वारा कुछ क्षेत्रों को तनावपूर्ण क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। सरकार के अनुसार इससे स्थिति में सुधार हुआ है। इन उपायों से स्थिति नहीं सुधरी है।

क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि क्या वह इस बात से अवगत हैं कि मणिपुर सरकार भी उग्रवादियों के मुकदमों के लिये जजों की व्यवस्था नहीं कर सकी क्योंकि असुरक्षा और भय की भावना है कि जो भी किसी के खिलाफ फैसला देगा उसका नाम हिट लिस्ट में आ जाएगा। इसलिए ऊपर से चाहे सब शांत हो पर देश के उस भाग में असुरक्षा और भय की भावना व्याप्त है।

अब उन्होंने यह भी जिक्र किया है कि तथा मैं श्री शास्त्री से सहमत हूं—

उग्रवादिता एक तथ्य है यह मात्र कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं है। आप जानते होंगे कि मणिपुर की कुल जन संख्या 17 लाख हैं। डेढ़ लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं। मणिपुर में 17 लाख की कुल जनसंख्या में से डेढ़ लाख युवक पंजीकृत बेरोजगार हैं। गैर पंजीकृत बेरोजगार युवकों की क्या संख्या है मुझे नहीं मालूम। यह सच है। यही आर्थिक दशा है। इसिलये देश के इस भाग में उग्रवादिता कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति और आर्थिक समस्या जुड़ी हुई है।

वक्तव्य में यह दावा किया गया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति व्यक्ति निवेश देश के प्रति व्यक्ति निवेश के औसत से कहीं अधिक है। ऐसा हो सकता है।

दस्तावेज में ऐसे आंकड़े हो सकते हैं। इसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि यह समस्या सुलझ नहीं सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार यह आंकड़े प्रदान कर रही है।

श्री चित्त बसु : जी हां महोदय, सरकार यह आंकड़े दे रही है। मैं इस बात से असहमत नहीं हूं। परन्तु इसका क्या परिणाम हुआ ? मणिपुर में अभी भी डेढ़ लाख युवक बेरोजगार हैं जिसके परिणामस्वरूप जब पनबिजली परियोजना की संभावनाएं पूरी तरह काम में नहीं लाई गई हैं। रेल संचार में भी सुधार नहीं हुआ है। मैं इस पर बहस नहीं कर रहा क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यक्तियों ने मुझे काफी लम्बी सूची दी है। सरकार को इस पर गर्व होना चाहिए कि मणिपुर में प्रति व्यक्ति निवेश सबसे अधिक है। अन्य राज्यों के मुकाबले यह निवेश काफी अधिक है। परन्तु इसका परिणाम संतोषजनक नहीं है। जितनी पूंजी का निवेश किया गया है आपको यह जान कर दुःख होगा कि उसका अधिकतर हिस्सा भ्रष्ट राजनीतिज्ञों या अफसरों के पास गया है। मेरे विचार से मणिपुर के माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु आप भी राजनीतिज्ञ हैं आप अपने आप पर दोष लगा रहे हैं।

श्री चित्त बसु : मैं भ्रष्ट नहीं हूं। भ्रष्ट, राजनीतिज्ञ, भ्रष्ट अफसर और जो भ्रष्ट नहीं हैं उनमें फर्क हैं। आप भी राजनीतिज्ञ हैं। आप भ्रष्ट राजनीतिज्ञ नहीं हैं परन्तु यदि आप यह कहते हैं कि सभी राजनीतिज्ञ भ्रष्ट होते हैं तो यह धारणा का मत बहुत आम है। राजनीतिज्ञ और अफ-

सर दोनों ही होते हैं। मैंने यह जिक्र किया है कि भ्रष्ट राजनीतिज्ञ और भ्रष्ट अफसर होते हैं। महोदय सरकार ने उन युवकों को क्षमा कर दिया है। जिन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। तथा जो समाज में फिर से पुन: बसना चाहते हैं परन्तु मुझे यह शिकायत मिली है कि जो व्यक्ति समाज में फिर से बसना चाहते हैं तथा राष्ट्रीय धारा का हिस्सा बनना चाहते हैं प्रशासन ने उनके साथ पूरा न्याय नहीं किया है। कुछ शिकायतें मिली हैं तथा यदि आप चाहें तो मैं उन्हें पढ़कर भी सुना सकता हूं।

सरकारी अधिकारियों की मनमानी की शिकायतें भी मिली हैं। कई बार जो अधिकारी वहां जाते हैं वह ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मणिपुर और पूर्वोत्तर राज्यों के व्यक्ति भारतीय न हों तथा उनके व्यवहार से ऐसा लगता है जैसे वह अफसर बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति हों। इसलिए वह निराश युवक युवतियां इन अफसरों से सहानुभूति पूर्ण व्यवहार की आशा नहीं करते तथा इसी कारण वह भारतीय विचार धारा से अलग होते जा रहे हैं। महोदय इन सब चीजों से ऐसी स्थिति हो जाती है कि उग्रवादी अन्य व्यक्तियों को अपनी बात मनवा लेते हैं तथा उन्हें रोकते हैं कि वह राष्ट्र की प्रमुख धारा में शामिल न हों। कट्टर पंथी विद्रोही कहते हैं "देखिये वे किस प्रकार के हैं ज्यादती के ये ऐसे उदाहरण हैं जहां वे महसूस करते हैं कि वे भारतीय नहीं हैं और उन्हें मुख्य-धारा का अंग नहीं समझा जा रहा है।" यही अफसरशाही दृष्टिकोण अन्तत: आग में घी का काम करता है। मैं इस बारे में अधिक नहीं कहना चाहता। सरकार का एक मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिये कि राजनीतिज्ञ एवं प्रशासन इस बारे में उदार दृष्टिकोण अपनाये, लोगों की बात समझें और उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाये। जब तक राजनीतिज्ञों एवं अफसरशाहों के मन में यह परिवर्तन नहीं आता, आप चाहे जितनी भी राशि खर्च कर लें अथवा चाहे जितने अच्छे शब्द उनके लिए प्रयोग कर लें, वे सदैव ही अलगावपन महसूस करेंगे। यह अत्यन्त खतरनाक है और इससे विद्रोह की स्थिति पैदा होती है।

महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि विद्रोहियों को इससे कैसे लाभ होता है। मेरे पास ऐसे नौ नवयुवकों की सूची है जो वर्षों से लापता हैं उनके नाम हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : नामों का उल्लेख मत कजिये। आप यह सूची मंत्री महोदय को दे सकते हैं।

श्री चित्त बसु : मैं सूची उन्हें दे सकता हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सेना तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अनेक नवयुवकों को गिरफ्तार किया गया है और पिछले दो-तीन वर्षों से उनका पता-ठिकाना नहीं बताया जा रहा है। क्या इससे विद्रोहियों को लाभ नहीं होता है ? वे इन मामलों को उठाते हैं और कहते हैं कि मणिपुर लोगों का किस प्रकार दमन किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कुल मिलाकर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विद्रोहियों की गतिविधियां बढ़ी नहीं हैं। स्थिति संतोषजनक है। इस विषय में मेरा मत उनसे भिन्न है। ऐसे संकेत हैं, जिनसे कि यह सिद्ध होता है कि पी० एल० ए०, एन० एस० सी० एल० त्रिपुरा नेशनल वोलन्ट्री आर्गेनाइजेशन नागा नेशनल कौंसिल तथा असम आन्दोलन के अन्य उग्रवादी दल अपनी गतिविधियों में समन्वय लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात के भी प्रमाण हैं कि उनके पास विदेशी हथियार भी हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या बरामद किए गए हथियारों में से किसी पर विदेशी निशान हैं ? यदि हां तो क्या वे तत्संबंधी ब्यौरा दे सकते

हैं ? पहले भी आपने कहा था कि इस आन्दोलन में विदेशी धन इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन आपने यह नहीं बताया कि इसमें किस देश का हाथ है। मैं यह कहना चाहूंगा कि विश्व की स्थिति से पता चलता है कि साम्राज्यवादी शक्तियां इस देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए दिन रात काम कर रही हैं। इस प्रमाण से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र अस्थिरता पैदा करने के इस नाटक का रंगमंच बन गया है

इस बात को देखते हुये क्या भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठायेगी कि ऐसी आर्थिक एवं प्रशासनिक परिस्थिति उत्पन्न की जाये जिसमें विद्रोहियों को पनपने का मौका न मिले और यह कार्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को देश की मुख्य-धारा के साथ जोड़कर ही किया जा सकता है

श्री नगनगोम मोहेन्द्रा (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री संतोष मोहन देव को बताना चाहता हूं...

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका नाम वक्ताओं की सूची में नहीं है। मैं आपको विशेष अनुमति दे रहा हूं।

श्री नगनगोम मोहेन्द्रा : मैं श्री संतोष मोहन देव को बताना चाहता हूं कि श्री चित्त बसु, जो अभी भाषण कर रहे थे, के साथ मेरी निकटता के कारण उन्होंने मेरी ओर संकेत कर कहा कि मैं भ्रष्टाचार के आरोप से सहमत हूं, चूंकि मैं उस क्षेत्र से हूं। इस पर श्री देव ने मेरी ओर इशारा कर कहा था कि यह उनका मत है। "मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि आप पिछली बार जब पीठासीन थे तो मैंने मणिपुर में भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हुये, यह वाक्य इस्तेमाल किया था = 22 लाख रु० बन्दूक की नोक पर और 7 करोड़ रुपये पैन की नोक पर और मैं आपके माध्यम से पुनः श्री संतोष मोहन देव को बताना चाहता हूं कि ये आंकड़े उनके अपने मंत्रियों ने विधान सभा में स्वीकार किए थे।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : महोदय, दुर्भाग्यवश, कुछ महीनों में, उग्रवादी गतिविधियों के दौरान, भूतपूर्व मुख्य मंत्री की हत्या हुई लेकिन इस विषय में, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि हत्या के इस मामले में नौ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें इत्मीनान होने की कोई बात नहीं है। यदि ऐसा होता तो हम स्थिति को सुधारने और विद्रोह पर काबू पाने में सफल नहीं होते। माननीय सदस्य का यह कहना सही नहीं है कि विद्रोही गतिविधियां बढ़ रही हैं। इसके विपरीत हमने और अधिक संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया है और विद्रोह पर नियत्रंण कर लिया गया है। उदाहरण के तौर पर, वर्ष 1983 में अकेले मणिपुर में लोग गिरफ्तार किये गये और 13 व्यक्तियों ने आत्म समर्पण किया। यह कहना सही नहीं है कि जजों में असुरक्षा की भावना है, क्योंकि जजों को पूरी सुरक्षा प्रदान की गई है। यदि उस व्यवस्था में कोई कमी है तो हम निश्चित रूप से उसकी जांच करेंगे और उन्हें अधिक सुरक्षा प्रदान करेंगे।

महोदय, हम पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्या को केवल कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में ही नहीं ले रहे हैं बल्कि विकास की समस्या के रूप में भी ले रहे हैं और हमने इस दिशा में भरसक प्रयास भी किये हैं। टी० वी० और प्रति व्यक्ति आय के अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगा कि लोकटेक परियोजना से जो जुलाई 1984 में चालू हो जायेगी, मणिपुर की बिजली सम्बन्धी आवश्यकताएं पूर्णतया पूरी हो जायेंगी। इस परियोजना की अनुषंगी योजनाएं भी शुरू की जयेंगी जिससे 10,000 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। मणिपुर राज्य को रेलवे लाइन से भी

जोड़ना है जो सिल्चर से जिरीबम तक जायेगी । इस रेलवे लाइन के लिये निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसके 1986-87 तक पूरा होने की आशा है ।

जहां तक कुछ गुमशुदा व्यक्तियों का सम्बन्ध है, उनके पते ठिकाने को गुप्त रखने का कोई प्रश्न नहीं है । इस बारे में कुछ रिट-याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में विचारधीन हैं । वे व्यक्ति वास्तव में गुम हैं न कि गिरफ्तार हैं । उच्चतम न्यायालय याचिका की सुनवाई कर रहा है । इस प्रकार यह मामला न्यायाधीन है और मैं इस विषय में और कुछ नहीं कहना चाहूंगा ।

जहां तक माननीय सदस्य के अन्य सुझाव का सम्बन्ध है, हमें किसी दूसरे देश का नाम बताने में कोई भय नहीं है । जैसा कि मैं कह चुका हूं, हमें रिपोर्ट मिली है कि बांगला देश में विद्रोहियों के कुछ कैम्प हैं लेकिन हमारे पास इस का कोई पक्का सबूत नहीं है । फिर भी, हमारा विदेश मंत्रालय उस देश के साथ सम्पर्क बनाये हुये है और जिस देश का ऐसे मामले में हाथ होता है सामान्यत: उसका नाम बताने की प्रथा नहीं है।

1.36½ मा० प०

जीवन बीमा निगम विधेयक

संयुक्त समिति में एक सदस्य को नियुक्ति करने के लिए राज्य सभा से सिफारिश

श्री मूल चंद डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, जीवन बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों की अधिक प्रभावी सिद्धि की दृष्टि से भारतीय जीवन बीमा निगम के विघटन के लिए और उक्त कारोबार को अधिक प्रभावी रूप से चलाने के लिए अनेक निगमों की स्थापना के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति की सदस्यता से श्री ईरा सेजियान द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर उक्त संयुक्त समिति में राज्य समिति में राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और राज्य सभा द्वारा उक्त संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किए गए सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, जीवन बीमा कारोबार के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों की अधिक प्रभावी सिद्धि की दृष्टि से भारतीय जीवन बीमा निगम के विघटन के लिए और उक्त कारोबार को अधिक प्रभावी रूप से चलाने के लिए अनेक निगमों की स्थापना के लिए तथा उससे संबन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति की सदस्यता से श्री ईरा सेजियान द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर उक्त संयुक्त समिति में राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और राज्य सभा द्वारा उक्त संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किए गए सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

13.8 म. प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) नोटरी अधिनियम, 1956 में संशोधन करने की आवश्यकता

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मोहतरम, मैं सरकार का ध्यान सन् 1956 के नौटरी एक्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस एक्ट के मुताबिक नौटरी फीस इस कद्र कम है कि जिसका अन्दाज लगाना मुश्किल है। दस साल की प्रैक्टिस वाला वकील ही नौटरी बन सकता है और एक्ट के मुताविक बयाने-हलफी की फीस 4 रुपए 50 पैसे और दूसरे कागजात, दस्तावेजात (डाकूमेंट्स) के तस्दीक कराने की फीस 1500 लफ्जों पर सिर्फ 50 पैसे है। अगर आज के हिसाब-किताब के मुताबिक उसको देखा जाए, तो रुपए की कीमत ही 13 पैसे रह गई है। ऐसी सूरत में वकीलों के साथ यह ज्यादती है कि नौटरी की फीस सन् 1956 से आज सन् 1984 तक वही रखी जाए, जो कतअन गैर-मुनासिब है। चूंकि नौटरी एक्ट सैटर का पासकर्दा है, इस लिए मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि उसको तब्दील कर के आज-कल की मंहगाई को देखते हुए और वकील की सीनियारिटी का खयाल रखते हुए इस कद्र फीस मुकर्रर की जाए, जो मुनासिव और वाजिब हो, ताकि वकील और खासतौर पर नौटरी गलत तरीके पर रुपया न ले सकें।

(दो) पुरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के परिरक्षण—कार्य की गति को तेज करने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : राज्य सरकार द्वारा कई बार अनुरोध करने के बावजूद पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ के मन्दिर तथा उड़ीसा में केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित प्रचीन स्मारकों का संरक्षण संतोष जनक ढंग से नहीं किया जा रहा है। भगवान जगन्नाथ मन्दिर की वर्तमान स्थिति को देखते हुये भारत सरकार द्वारा इसके संरक्षण पर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता हो उड़ीसा सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक को केन्द्रीय सरकार द्वारा संरक्षित इन स्मारकों के संरक्षण कार्य को पूरा करने के लिए एक समय-बद्ध कार्यक्रम तैयार करने का अनुरोध किया था। लेकिन खेद की बात है कि इस बारे में अब तक कुछ भी नहीं किया गया है।

भगवान जगन्नाथ कम्प्लैक्स के मुख्य मन्दिर के संरक्षण कार्य के बारे में प्राथमिक आधार पर उपयुक्त कार्यवाही करना आवश्यक है। उड़ीसा राज्य में पुरातत्व सर्कल न होने के कारण संरक्षण कार्यों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए मैं शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्री से उड़ीसा के लिए अविलम्ब एक पृथक पुरातत्व सर्कल बनाने का अनुरोध करती हूं।

(तीन) काश्मीर के फल उत्पादकों को दिल्ली में अपने फलों को बेचने में हो रही कठिनाइयां

प्रो० तैफुद्दीन सोज (बारामूला) : कश्मीर घाटी में बागवानी के विकास से इस उद्योग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे लोगों में समृद्धि आई है। परन्तु सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार ने इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। इस उद्योग को अनेक कठिनाइयों का विशेषकर विपणन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा रहा है। दिल्ली में काश्मीर के फलों के लिये एक मात्र मंडी अजादपुर में विभिन्न किस्म के फलों की जिस ढंग से निलामी की जाती है वह इस उद्योग के लिए हानिकारक है। दिल्ली के मुट्ठी भर परिवार ही ऐसे हैं जिनका आजादपुर मंडी पर नियंत्रण है और इन्हीं परिवारों के सदस्य दैनिक नीलामियों में एक 'पूल' बना लेते हैं ताकि इस बात का ध्यान रखा जा सके कि फल मालिकों को वही मूल्य दिया जाए जो वे चाहते हैं। नीलामी में

व्याप्त कदाचार से 'दिल्ली के आढ़तियों' को काफी मुनाफा होता है जबकि उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं मिलता। बिचोलियों को समाप्त करना होगा और केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय को इसके लिए कुछ करना पड़ेगा।

(चार) उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के बारे में राष्ट्रीय अभियान समिति को केन्द्रीय श्रमिक संघों के साथ एक बैठक आयोजित करने की मांग

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) महोदय, सील समिति की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा 1981-82 को आधार वर्ष मानकर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया सिलसिला शुरू करना काफी आपत्ति जनक है। इस समग्र प्रश्न पर विचार करने के लिए त्रिपक्षीय बैठक बुलाने की बजाय भारत सरकार ने इस मामले पर विचार करने के लिए केवल अधिकारियों की एक दूसरी समिति नियुक्त कर दी है। सील समिति ने इस समिति की सिफारिशों, जैसे 1960 की 8 प्वाइंटों वाली शृंखला को ठीक करना, सूचकांक एकत्र करने के कार्य की देखरेख के लिए प्रत्येक राज्य और केन्द्रीय स्तर पर त्रिपक्षीय समिति नियुक्त करना तथा मूल्य ब्यौरा एकत्र करने संबंधी तन्त्र में कुछ अन्य सुधार, को अस्वीकार कर दिया है। सरकार के इस प्रयास का विरोध करते हुए, नेशनल कम्पेन कमेटी आफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने नए शृंखला के लिए परिवार बजट अध्ययन करने से पहले केंद्रीय स्तर पर केन्द्रीय कामगार यूनियनों की बैठक बुलाने की मांग की थी। लेकिन सरकार ने इन कामगार यूनियनों को विश्वास में नहीं लिया है जिससे श्रमिकों को हर मास करोड़ों रुपये के मंहगाई भत्ते का नुकसान हो रहा है क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वास्तविक मूल्य वृद्धि नहीं दर्शाते, इसलिए राष्ट्रीय अभियान समिति सील समिति की सिफारिशों को और इस नई शृंखला को लागू करने को नहीं मानती। इसलिए, मेरा सरकार से आग्रह है कि रथ समिति और सील समिति की सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय अभियान समिति की केन्द्रीय कामगार यूनियनों के साथ बैठक बुलाने की मांग पर विचार किया जाए ताकि विद्यमान शृंखलाओं को ठीक करने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें।

(पांच) कुछ रेल-गाड़ियों के समय में परिवर्तन करने की मांग

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहत हुं :

रेल यात्रा में जनता को अधिकाधिक सुविधा तथा सुरक्षा हेतु विशेष उपाय किया जाना चाहिए जिससे जनता की यात्रा सुगम सुरक्षित और सुविधाजनक हो सके। पश्चिम रेलवे की बम्बई अमृतसर के बीच चलने वाली 25 डाउन तथा 26 अप रेलगाड़ी से साबरमती एक्सप्रैस को नागदा जंकशन पर कनेक्शन दिए जाने हेतु समय चक्र में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। साबरमती एक्सप्रैस का खाचरोद स्टेशन पर स्टापेज निरस्त कर दिया है जिसे पुन: स्वीकृत कर स्टापेज दिया जाना चाहिए। स्टापेज निरस्त करने के कारण जनता में रोष और असंतोष व्याप्त है रतलाम से अजमेर की ओर दोपहर में जाने वाली मीटर गेज रेल गाड़ियों का समय परिवर्तन करने के कारण रेल यात्रियों को असुविधा है। अत एव समय चक्र पूर्ववत किया जावे।

इस हेतु 72 डाउन अथवा 90 डाउन रेलगाड़ी के वर्तमान समय चक्र में आवश्यक परिवर्तन किया जाय। दोपहर 4 बजे उपरान्त रतलात से अजमेर की ओर से गाड़ी चलाने पर अधिक सुविधाजनक होगा। विक्रमगढ़ आलोट, महिदपुर रोड और खाचरोद में ग्रीष्मकालीन हाली डे एक्स-

प्रेस का स्टापेज दिये जाने से यात्रियों को काफी सुविधा होगी। प्रस्तावित अवध एक्सप्रेस के ओखा तक विस्तार में विक्रमगढ़, आलोट, महिदपुर रोड, नागदा जंकशन और खाचरोद स्टापेज सम्मिलित किये जावें।

वर्तमान में इन्दौर दिल्ली के बीच सप्ताह में तीन दिन चलने वाली रेल गाड़ी को प्रतिदिन चलाया जावे तथा रेल मन्त्रालय जनता की सुविधा हेतु समय चक्र में आवश्यक परिवर्तन करे।

(छः) उत्तर प्रदेश को अनाज का कोटा बढ़ाने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, विगत दो वर्षों से केन्द्रीय पूल से उत्तर प्रदेश को आवश्यकता से कम मात्रा में गेहूं व चावल दिए जाने के कारण उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों, विशेषकर पर्वतीय जिलों में इनकी आवश्यकता का केवल 10 प्रतिशत अन्न पैदा होता है। शेष अन्न के लिए लोग सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों से विक्रय किए जाने वाले गेहूं व चावल पर निर्भर रहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन क्षेत्रों के जनपदों को नाममात्र को गेहूं चावल आबंटित किया जा रहा है। एक यूनिट को एक माह में 5 सौ ग्राम से एक किलोग्राम तक चावल व दो किलो गेहूं प्राप्त हो पा रहा है।

यहां के लोग भयंकर कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं। इन क्षेत्रों को अभाव व कमी के क्षेत्र मानकर केन्द्रीय सरकार को राज्य के लिए कुल अनाज के आबंटन के अन्तर्गत अभीष्ट आवश्यक मात्रा निर्धारित कर देना चाहिए। इन क्षेत्रों को योजना आयोग द्वारा भी वित्तीय सहायता आबंटन में विशेष दर्जा दिया गया है।

अतः केन्द्रीय खाद्य मन्त्रालय को इन क्षेत्रों हेतु खाद्यान्न का विशेष आबंटन करना चाहिए तथा राज्य को आबंटित खाद्यान्न की मात्रा को बढ़ा कर, कम से कम दुगना करना चाहिए।

(सात) चित्तौड़गढ़ किले को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय नियम 377 के तहत पर्यटन विकास को प्रोत्साहन देने की तरफ सरकार का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगी। पर्यटन राष्ट्रीय एकता तथा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव का एक सशक्त माध्यम है। भारत अपने प्राचीन मंदिरों एतिहासिक स्थलों व विविधतापूर्ण लोक संस्कृति के लिए सदा विदेशियों के लिए आकर्षण का केन्द्र रहा है।

देश के कई एतिहासिक स्थल खस्ता हालत में हैं। उनमें चित्तौड़गढ़ का जग प्रसिद्ध दुर्ग भी है। यहां पर्यटन विकास के लिए किए गए प्रयत्न अपर्याप्त हैं। मैं सरकार से मांग करूंगी कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को पर्यटन स्थल बनाने के लिए निम्न सुविधा प्रदान की जाएं। वायुदूत सर्विस शुरू की जाए। चित्तौड़गढ़ के पास सोनियाना में एक हवाई पट्टी बनी है उसको एयरपोर्ट में बदल कर नियमित वायु सेवा से जोड़ा जाए, चाहे सप्ताह में 2 या 3 दिन ही हो।

2. चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जाने के लिए सुन्दर पहाड़ी स्थल गार्डन को बदल कर चेयर लिफ्ट से जोड़ा जाए।

3. चित्तौड़गढ़ के शक्ति और भक्ति के इतिहास को साकार करने के लिए रात्रि में साउण्ड और लाइट प्रोग्राम दिखाया जावे जहां पदमिनी का जौहर और पन्ना धाय का त्याग तथा मीरा की भक्ति का साकार हो उठे।

4. चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर यात्रियों के ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां तक कि पर्याप्त

शौचालय का भी अभाव है। इसलिये यात्री रात्रि विश्राम दुर्ग पर ही कर सकें, इसके लिए होटल या डाक बंगला दुर्ग पर ही बनाया जावे।

5. दूरदर्शन की सुविधा भी छठी योजना के अन्त तक दे दी जावे तभी इस क्षेत्र के वीरों तथा विरांगनाओं के बोलते हुए इतिहास से देशी तथा विदेशी पर्यटकों को आकर्षक किया जा सकेगा।

13.48 म० प०

सामान्य बजट 1984-85 अनुदानों की मांगें

विदेश मन्त्रलाय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विदेश मन्त्रालय से संबंधित मांग सं० 32 पर चर्चा और मतदान करेगी। इसके लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, सभा में उपस्थित वे माननीय सदस्य जिनके अनुदानों की मांगों संबंधी कटौती प्रस्तावों को परिचालित कर दिया गया है, यदि अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहें तो वे जिन कटौती प्रस्तावों से पेश करना चाहते हैं उनके क्रमांक लिखकर 15 मिनट में पटल पर चिट भेज दें। वही कटौती प्रस्ताव पेश किये गये हुए माने जायेंगे।

पेश किए गए माने गए कटौती प्रस्तावों की क्रमांक सूची शीघ्र ही सूचना पट्ट पर लगाई जाएगी। यदि किसी सदस्य को इस सूची में कोई त्रुटि दिखाई दे तो वह उसे शीघ्र ही पटल अधिकारी के ध्यान में ला सकता है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि विदेश मन्त्रालय के सम्बन्ध में मांग सं० 32 के सामने कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची स्तम्भ चार में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक आवश्यक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत अनुदान की मांग

मांग संख्या	मांग का नाम	14 मार्च, 1984 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
विदेश मन्त्रालय					
32.	विदेश मन्त्रालय	33,98,39,000	10,38,17,000	169,91,92,000	51,90,83,000

अब श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती। आपके दल को 28 मिनट का समय दिया गया है।

श्री सत्यासाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, विदेश मन्त्रालय, भारत सरकार (1983-84) की वार्षिक रिपोर्ट ने हमारी ध्यान बिगड़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की ओर

दिलाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रोजी से बिगड़ती जा रही है। परन्तु इस रिपोर्ट में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तेजी से बिगड़ने के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया है। स्थिति बिगड़ने का कारण संयुक्त राज्य अमेरिका का परमाणु युद्ध अभियान और रीगन प्रशासन की नीति है। अमेरिका के उप-राष्ट्रपति श्री जार्ज बुश ने ही यह घोषणा की है कि यदि ठीक तरह से तैयारी की जाए तो परमाणु युद्ध जीता जा सकता है।

एक समय था जब अमेरिका की नीति साम्यवाद को, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नीति निर्माताओं द्वारा सबसे बड़ा खतरा समझा जाता था, फैलने से रोकने की थी वस्तुतः साम्यवाद को रोकने का मतलब है अफ्रीकी एशियाई और लेटिन अमेरिकी देशों में राष्ट्रवादी और मुक्ति आन्दोलनों को रोकने और युद्ध की तैयारी एवं सोवियत संघ की घेराबंदी करना है। इस नीति के बाद उन्होंने मुक्ति अर्थात तथाकथित मुक्ति की नीति शुरू की जिसका अभिप्राय पूर्व यूरोपीय देशों को मुक्त करवाना, समाजवादी ब्लाक को नष्ट करना है। इसके पश्चात, समाजवादी देशों की शक्ति के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और सोवियत संघ के नेतृत्व में समाजवादी देशों के पास सुरक्षोपाय के रूप में परमाणु हथियारों के कारण, संयुक्त राज्य अमेरिका को तनाव कम करने की नीति का अनुसरण करने के लिए मजबूर होना पड़ा और वारसा तथा नाटो देशों के पास सैनिक शक्ति मोटे तौर पर समान थी। परन्तु इसके बाद ऐसा लगता है कि अमेरिका ने तनाव शैथल्य की नीति, सह-अस्तित्व की नीति छोड़ दी है। अब राष्ट्रपति रीगन खुले रूप से घोषणा करते हैं और उन्होंने ब्रिटेन में अपने दौरे के दौरान यह कहा कि उनकी नीति मार्क्सवाद, लेनिनवाद को नष्ट करने और समाजवादी देशों को भी नष्ट करने की है। आज अमेरिका ने यह घोषणा की है—अमेरिका प्रशासन ने यह घोषणा की है कि सोवियत ब्लाक या समाजवादी देशों के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व वांछनीय नहीं है उनका लक्ष्य यह है कि समाजवादी देशों को तबाह किया जाये और वह 1914 से पहले की उस स्थिति को फिर से लाना चाहता है जिसमें विश्व पर साम्राज्यवादी ताकतों का साम्राज्य था। इसीलिए उसके कदम उसी ओर हैं और यही कारण है कि वह सीमित परमाणु युद्ध की भी तैयारी कर रहा है।

हाल ही में सोवियत संघ को लक्ष्य करके उसने यूरोप में परमाणु मिजाइल लगाए हैं और वह अब इस स्थिति में है कि छह मिनट में सोवियत के नगरों को नष्ट कर सकता है। इससे अब न केवल यूरोप और सोवियत संघ को ही खतरा है इससे यूरोप को भी खतरा है। क्योंकि आज यूरोप अमरीका की इस नीति के कारण ही परमाणु युद्ध के अखाड़े में आ रहा है। दुर्भाग्य से उसकी साम्यवाद विरोधी घेराबंदी तथा सोवियत संघ विरोधी नीति के कारण इन योरोपीय देशों ने अपनी प्रभुसत्ता को अमेरिका के हाथों में सौंप दिया है अब इस युद्ध और शांति के प्रश्न पर निर्णय अमेरिका द्वारा लिया जायेगा जो क्रूज तथा परशिंग मिजाइल लगाने के कारण, अब यूरोप का मालिक बन गया है यूरोपीय देशों ने अधीनता स्वीकार कर ली है। यह स्थिति मुझे द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व की स्थिति की याद दिलाती है चैम्बरलिन ने ही हिटलर को उकसाया था और इंगलैंड ही ऐसा देश था जिसने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करके हिटलर की युद्ध की तैयारी में मदद की थी और यूरोप को इसका मूल्य चुकाना पड़ा था। आज अमरीकी भी बड़ी साम्राज्यवादी ताकतों के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। गर्त वर्ष विलियम बर्ग में हुई बैठक में उन्होंने जापान को भी अपने साथ ले लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध से जापान ने कोई सैनिक गठबंधन या समझौता नहीं किया आज अमरीकी युद्ध अभियान ने जापान को भी अपनी ओर खींच लिया है और आज

जापान नाटो तथा अमेरिका इस सैनिक अभियान का सक्रिय साथी बन गया है। यह भी दुर्भाग्य की बात है कि फ्रांस जोकि स्वतंत्र रक्षा नीति की घोषणा करता रहा था, उसने भी वह नीति छोड़ दी है और नाटो देशों के विदेश मंत्रियों की पेरिस हुई बैठक में, फ्रांस तथा नाटो के सभी देशों ने सोवियत संघ की घेराबन्दी करने का अपना संयुक्त कार्यक्रम बनाया। वे अब समाजवादी देशों को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि विश्व इन साम्राज्यवादी देशों द्वारा की जाने वाली लूटमार के लिए उनके प्रभुत्व में रहे।

यह केवल यूरोप के लिए ही खतरा नहीं है क्योंकि आज विश्व की स्थिति ही ऐसी है और हम परस्पर इतने निकट हैं कि कोई भी परमाणु युद्ध किसी खास क्षेत्र या भू-भाग तक सीमित नहीं रहेगा, वरन यह समूचे विश्व को अपनी चपेट में ले लेगा और इस प्रकार यूरोप में होने वाली ऐसी खतरनाक घटना वस्तुतः अफ्रीका ऐशियाई देशों के लिए भी खतरनाक सिद्ध होगी। वर्तमान समय में विश्व में किसी एक भाग की घटना का प्रभाव विश्व के अन्य भागों पर भी पड़ेगा। हम अन्य देशों के इतने निकट आ गए हैं कि हमारा जीवन भरण एक दूसरों के साथ ही जुड़ गया है। युद्ध के लिए तैयारी और युद्ध छिड़ने पर यह तीसरी दुनिया का युद्ध नहीं रहेगा बल्कि यह अंतिम युद्ध होगा जो कि समूची सभ्यता को समाप्त कर देगा। इसीलिए हम न तो यूरोप में हो रही गतिविधियों को मौन रह कर देख सकते हैं और न ही मौन रह कर यह देख सकते हैं कि अमेरिका क्या करने का प्रयास कर रहा है क्योंकि अपनी आर्थिक सामर्थ्य तथा सैनिक शक्ति के कारण अमेरिका इन घटनाओं को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हम इन सब घटनाओं के बारे में अत्यन्त चिंतित है।

अब अमेरिका केवल सोवियत संघ की ही घेराबन्दी का प्रयास नहीं कर रहा है—मुझे विश्वास है कि सोवियत संघ शक्तिशाली देश है तथा सोवियत संघ ने हाल ही की घोषणा में यह कहा है कि वह इस परमाणु युद्ध की चुनौती का सामान करने का प्रयास करेगा। वह पर्याप्त शक्ति सम्पन्न हैं परन्तु यह हमारे लिए भी खतरा है क्योंकि अमेरिका नव-स्वाधीन देशों की भी घेराबन्दी करने का प्रयास कर रहा है और यह घेरा हिंद महासागर तक फैला चुका है। हिंद महासागर सैनिक अड्डा बन चुका है। और अब हिंद महासागर अमेरिका परमाणु प्रणाली का अग्रिम अड्डा बन गया है।

2.00 म०प०

अब उसने ओमन, केनिया तथा सोमालिया में सैनिक अड्डे स्थापित कर लिए हैं। केनिया तथा सोमालिया में अपनी सैनिक प्रणाली कायम होने की वजह से हिंद महासागर में अब अमेरिकी परमाणु प्रणाली नाटो के दक्षिणी हिस्से से मिल गई है। यह एक खतरा है। अतः डियागो गार्सियो में अड्डा मजबूत करने हेतु अमेरिका के लिए यह आवश्यक है कि हिंद महासागर में इस परमाणु शक्ति को बनाए रखा जाए क्योंकि इनका लक्ष्य रूसी मध्य एशिया के लिए है। इस क्षेत्र के लगभग 47 तटवर्ती देशों के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है। भारत तटस्थ है क्योंकि आज हमारी सुरक्षा खतरे में है। यह खतरा न केवल पड़ौसी सीमा से बल्कि हिंद महासागर की ओर से भी है। हिंद महसागर में सैनिक तथा परमाणु अड्डे बनाने से हमारी सुरक्षा की समस्याओं पर सीधा असर पड़ता है तथा हम इसे चुप रहकर नहीं देख सकते।

अमेरिका साम्राज्यवादी हिंद महासागर को शांति क्षेत्र बनाने की घोषणा करने वाले हिंद महासागर संबंधी सम्मेलन को असफल करने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिकी इससे कदापि सहमत

नहीं होंगे क्योंकि यह उनकी इस विश्वव्यापी नीति का एक हिस्सा है कि डियागो गार्सिया को हिंद महासागर में अमेरिका अड्डा होना चाहिए तथा यह कि वहां अमेरिकी सैनिक शक्ति तथा परमाणु पनडुब्बियां मौजूद रहनी चाहिए। इसलिए भारत का यह कर्तव्य है कि वह अपने विचार व्यक्त करे वह उसे अपने हितों, अपनी सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखकर तटवर्ती देशों का एक सम्मेलन बुलाना चाहिए चाहे अमेरिका उससे असहमत ही क्यों न हो। मैं यह जानता हू कि यदि अमेरिका वहां से स्वेच्छ से हटने के लिए सहमत नहीं होता है तो हमारे पास उसे हटने के लिये बाध्य करने के लिए सैनिक शक्ति तो नहीं है परन्तु हमें उसे अलग-अलग कर देना चाहिए। हमें अमेरिका पर नैतिक दबाव डालना चाहिए तथा हमें विश्व मत भी तैयार करना चाहिए।

2.03 म०प०

(श्री एन० के० शेजवलकर पीठा सीन हुए)

अब मैं पश्चिम एशिया की चर्चा करूंगा। आपने यह नोट किया होगा कि हाल ही में स्थापित सेंट्रल कमांड, लेबनान पर हस्तक्षेप करने का खतरनाक अमेरिकी प्रयास है। इजराइल जो कि एक प्रतिनिधि, संरक्षत राज्य है अमेरिका द्वारा सप्लाई किए गए हथियारों की सहायता से मध्य पूर्व में अमेरिकी साम्राज्यवाद के बलबूते पर गड़बड़ कर रहा है। अब उसने गुटनिरपेक्ष देश-लेबनान के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर दिया है। शांति के नाम पर वहां काफी खून-खराबा हुआ है, फ्रांसीसी तथा अमेरिकी दोनों साम्राज्यवादी देश गुटनिरपेक्ष लेबनान में हस्तक्षेप करके उसकी प्रभुसत्ता को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अपनी सरकार का ध्यान इसी खतरे की ओर दिलाना चाहता हूं।

अमेरिकी, मध्य अमेरिका तथा कैरिबियन क्षेत्र में भी गड़बड़ी फैला रहे हैं। वे निकारागुआ के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी लोकतंत्री सरकारों को हटाने तथा ऐसी सैनिक सरकारों को सशक्त सत्तारूढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि उन पर निर्भर हो तथा वे मुक्ति की लड़ाई को खून की नदी में डुबाने का प्रयास कर रहे हैं।

अमेरिकी परमाणु युद्ध की नीति से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। रिपोर्ट में गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका का सही उल्लेख किया गया है। महोदय, हमारी गुटनिरपेक्षता की नीति है। इसका अर्थ है, साम्राज्यवाद-विरोधी, इसका तात्पर्य है आत्म-निर्भरता; इसका अर्थ है हमारी स्वतंत्र विदेश नीति। पर हम देखते हैं कि अमेरिका इस गुटनिरपेक्ष नीति पर प्रहार कर रहा है। हम देखते हैं कि कुछ गुटनिरपेक्ष देशों पर प्रहार किया जा रहा है। ग्रेनेडा का क्या हश्र हुआ ? यह एक खुला आक्रमण था। समस्त अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों, नियमों तथा मानकों का उल्लंघन करके उन्होंने गुटनिरपेक्ष देश-ग्रेनाडा-पर आक्रमण किया तथा उस पर कब्जा कर लिया—और वह अब भी अमेरिका के कब्जे में है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर): जैसे हाथी बकरे पर आक्रमण कर रहा है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती: मुझे खुशी है कि हमारी प्रधान मन्त्री ने इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ प्रयास किये हैं तथा वह गुट निरपेक्ष आंदोलन के सातवें सम्मेलन के संदेश को उन तक पहुंचा रही हैं, परन्तु मुझे यह देखकर बड़ा खेद हुआ है कि यह प्रतिक्रिया बहुत ही क्षीण है। यह इस कारण है कि, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कुछ देश ऐसे हैं जो कि अद्यपूर्व अमेरिका के सैनिक सहयोगी थे तथा जिनके लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्वास मूलक नहीं बल्कि कार्य साधक है। वे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में नाम मात्र का सहयोग देते हैं, परन्तु व्यवहारिक रूप से

वे अमेरिका के साथ सैन्य तथा आर्थिक संबंध बनाए हुए हैं और उसके प्रभुत्व में रहते हैं प्रभुत्व तथा उस पर निर्भरता बनाए हुए हैं। ये संरक्षित राज्य हैं। वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसीलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह गुटनिरपेक्ष नीति को कायम रखे क्योंकि यह नीति ही हमारे हितों को सर्वाधिक सुरक्षित रखने में सहायक सिद्ध होती है।

आप जानते हैं कि आजकल संयुक्त राष्ट्र संघ में गुटनिरपेक्ष देशों तथा अफ्रीका एशियाई देशों का प्रभुत्व है। एक समय था जबकि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्तों का बड़ा ही समर्थक था क्योंकि तब वह बहुमत के कारण अपने साम्राज्यवादी प्रयोजनों के सिद्ध करने में संयुक्त राष्ट्र का इस्तेमाल कर सकता था। परन्तु आज जबकि अफ्रीकी एशियाई देश स्वतन्त्र हो गए हैं, वे संयुक्त राष्ट्र में अपने-अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। अब, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ को तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। उसका अहंकार इतना बढ़ गया है कि अब वह यह कहने लगा है कि यदि वे उससे आर्थिक मदद चाहते हैं तो उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में उसे समर्थन देना होगा। अब उसने उन देशों को सूत्रीबद्ध किया है जो कि निर्धारित अवसरों पर उसे समर्थन देते हैं तथा उसके आधार पर वह इन देशों की मदद करता है। हाल ही में उसने जिम्बाब्वे को यह कह कर धमकी दी है कि वह उससे पैसा ले रहा है पर उसके विरुद्ध मतदान कर रहा है। महोदय, अमेरिकी साम्राज्यवाद का विश्व के प्रति क्या दृष्टिकोण है। अब अमेरिकी नीति द्वारा मुनरो सिद्धान्त को विश्व के अन्य भागों के लिए लागू किया गया है। उसने अपने मुनरो सिद्धान्त को विश्व व्यापी बना दिया है। आपको हमें समर्थन देना ही पड़ेगा। हमें नेतृत्व मिलना चाहिए। यदि आप सहयोग चाहते हैं, तो आपको ऐजेंट बनाना होगा; स्वतन्त्र नहीं; आत्म-निर्भर नहीं। यही सब हो रहा है। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति यह कहते हैं कि यदि सदस्य चाहते हैं, तो वे संयुक्त राष्ट्र संघ को अमेरिका से अलग हटा सकते हैं। वह धमकी दे रहा है कि वह सेशन को अमेरिका तथा रूस के मध्य विभाजित कर सकता है। श्री रीगन ने ऐसा कहा है। महोदय, अमेरिका की ऐसी नीति है। वह नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है तथा यह धमकी दे रहा है कि—जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की बताई लीक पर नहीं चलता वह पैसा नहीं देगा तथा उसने ऐसा किया भी है।

मैं अपने पड़ौसी देशों की चर्चा करना चाहूंगा। पाकिस्तान हमारा पड़ौसी है। रिपोर्ट में यह सही कहा गया है कि हम पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं।

हाल ही में उसके अनाक्रमण सन्धि तथा हमारे शांति तथा मैत्री के प्रस्ताव के सम्बन्ध विवाद उठा है। यह ठीक है कि हमें न केवल पाकिस्तान बल्कि अपने सभी पड़ौसी देशों के साथ शांति तथा मैत्री कायम करनी चाहिए। हमें अपने पड़ौसियों के साथ शांति तथा मैत्रीपूर्वक रहना चाहिए। चूंकि हम किसी देश का क्षेत्र लेना नहीं चाहते हैं, चूंकि हम किसी तरह का नेतृत्व नहीं चाहते हैं, अतः हमारे संबंध समानता, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के आधार पर होंगे जिसकी घोषणा बैंडग सम्मेलन में की गई है। परन्तु कुछ समस्यायें हैं। हमारे यहां तथा बाहर के कुछ मित्र यह कहते हैं कि "हम पाकिस्तान द्वारा लिए जा रहे हथियारों के खतरे का मुद्दा उठाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं?" महोदय, यह ठीक है कि पाकिस्तान ने अमेरिकी विदेश नीति से स्वयं को अलग कर लिया है। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान अमेरिकी विदेश नीति का अंग है। दुर्भाग्य से वह अमेरिका के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वह ऐसा देश है जिसने अत्याधुनिक अमरीकी हथियार अपनी रक्षा के लिए नहीं बल्कि या तो भारत के विरुद्ध उनका

इस्तेमाल करने के लिए प्राप्त किये हैं या भविष्य में भारत के विरुद्ध युद्ध की तैयारी हेतु । महोदय मैं समझता हूं कि इस उपमहाद्वीप में तब तक कोई स्थायी शांति स्थापित होना सम्भव नहीं है जब तक कि भारत तथा पाकिस्तान दोनों इस नीति से सहमत न हों कि वे अपनी भूमि पर किसी तरह की विदेशी ताकत, सैनिक शक्ति को नहीं रहने देंगे ।

श्री सतीश अग्रवाल : इस पर केवल भारत ही सहमत हो सकता है ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : जी हां, परन्तु पाकिस्तान के साथ, जो कि इस समय इससे सहमत नहीं हो रहा है, अनाक्रमण सन्धि तब तक निरर्थक—होगी जब तक कि पाकिस्तान यह घोषणा नहीं करता कि वह अपने देश में विदेशी सैनिक अड्डा या विदेशी सैनिक शक्ति की मौजूदगी की अनुमति नहीं देगा ।

महोदय, भारत द्वारा तीन बार पाकिस्तान को युद्ध न करने की सन्धि का प्रस्ताव किया गया था । यह पहले भी किया गया था और पाकिस्तान ने इसे अस्वीकार कर दिया । वह जुल्फिकार अली भुट्टो थे जिनका कहना था कि जब तक काश्मीर समस्या का समाधान नहीं होता तब तक, युद्ध न करने का समझौता किसी काम का नहीं है । अयूब खां ने भी इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया तथा जिया-उल-हक ने भी इसे अस्वीकार कर दिया है । पाकिस्तान को स्पष्ट तथा साफ-साफ घोषणा करनी चाहिए कि इसका उद्देश्य शांति है और शांति के लिए वह अपनी भूमि को अमरीकी सैनिक शक्ति द्वारा प्रयोग करने की अनुमति देगा । इसे किसी शक्ति को अनुमति नहीं देनी चाहिए । जब मैं यह कहता हूं कि भारत अथवा पाकिस्तान में किसी शक्ति के कोई सैनिक उपस्थित नहीं होने चाहिए, तो वे अपनी जरूरतों के अनुसार अपनी रक्षा हेतु सेना का विकास करने में स्वतन्त्र हैं, किंतु वे आज सभी परिष्कृत हथियार मंगा रहे हैं । वे विनाशकारी हारपून मिसाइल, एफ-16 और अन्य खतरनाक हथियार जमा कर रहे हैं । अतः पाकिस्तान को घोषणा करनी होगी और मैं विश्वास करता हूं कि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान में वह सरकार है जो पाकिस्तानी लोगों द्वारा चुनी नहीं गई है । वह सरकार जो अपने ही लोगों से युद्ध कर रही है वह शांति नहीं ला सकती और इसीलिए वह अपना शासन जारी रखने हेतु उसे दो बातों की जरूरत है—एक तो विदेशी शस्त्र और दूसरे एक दुश्मन जिसकी ओर वह अपने लोगों का ध्यान बंटा सके । इसलिए इसमें कोई गलत बात नहीं है यदि हम यह मांग करते हैं कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए । पाकिस्तानी लोगों को अपनी सरकार चुननी चाहिए न कि सेना और जब तक वे ऐसा नहीं करते, और जब तक पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान में दबाव नहीं डालते, तब तक वे यह बात समझने में असमर्थ हैं जो चिरकालिक प्राकृति की है । तब भी मैं यह चाहूंगा कि पाकिस्तान के साथ हमारे दोस्ताना सम्बन्ध हों और भारत सरकार द्वारा संयुक्त आयोग में किए गए प्रयास अच्छे हैं । हमें अपने सम्बन्ध दोस्ताना होने चाहिए—हमें अपने पर्यटकों और व्यापार का आदान-प्रदान करना चाहिए किंतु साथ ही हमें पाकिस्तानी नीति के विरुद्ध लड़ना चाहिए । मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान इस्लामिक विश्व का नेता बनने का प्रयास कर रहा है और पाकिस्तानी सैनिक मध्य-पूर्व में फैले हुए हैं । पाकिस्तान में इस्लामीकरण और रूढ़िवाद की प्रवृत्ति फैल रही है । पाकिस्तान इस्लामी विश्व का नेता बनने के प्रयास में इस्लामी बम नामक अणु बम का विकास करने का प्रयास कर रहा है । यदि ऐसा है, यदि यह नीति जारी रही तो मुझे लगता है कि इस उप महाद्वीप में खतरा हो सकता है । उपमहाद्वीप को सैनिक खतरे से स्वतन्त्र रखने के लिए, यह

आवश्यक है कि हम स्वतन्त्र नीति का अनुसरण करने में समर्थ हैं तथा पाकिस्तान स्वतन्त्र नीति का अनुसरण करने में असमर्थ हैं। अत: मैं अपने विदेश मन्त्री का ध्यान पाकिस्तान की स्थिति, उसके द्वारा सैनिक शस्त्रों को इकट्ठा करने तथा इस्लामी विश्व का नेता बनने के प्रयास की ओर दिलाता हूं। यदि यह जारी रहता है तो पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ौसी जैसे सम्बन्ध नहीं हो सकते।

मैं अन्य पड़ौसी बंगलादेश पर आता हूं। बंगलादेश के साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध हैं। किंतु हाल ही में, बंगलादेश में पाकिस्तान समर्थक तत्व होने के कारण, रूढ़िवादिता होने के कारण इस्लामीकरण का प्रयास किए जाने के कारण बंगलादेश में भारत-विरोधी प्रचार हो रहा है। बंगलादेश काफी घनिष्ठ पड़ौसी है। बंगलादेश के साथ हमारी काफी लम्बी सीमा लगती है। हमें बंगलादेश के साथ दोस्ती रखने का प्रयास करना चाहिए। किंतु कुछ समस्यायें हैं।

मन्त्री महोदय ने तीस्ता जल समस्या और गंगा जल समस्या का हवाला दिया है। समस्या के समाधान हेतु मैं चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा पश्चिमी बंगाल सरकार से परामर्श करना चाहिए क्योंकि वहां फरक्का बराज और जल पश्चिमी बंगाल के लिए बड़ी महत्त्वपूर्ण समस्या है। कलकत्ता पत्तन के लिए हमें वर्ष भर 40,000 क्यूसेक जल चाहिए ताकि कलकत्ता बन्दरगाह को नौगम्य रखा जा सके। अत: बंगलादेश के साथ किसी भी विचार-विमर्श में—हम इस तथ्य को भूलना नहीं चाहते कि बंगलादेश को पानी चाहिए—पश्चिमी बंगाल के हितों, कलकत्ता पत्तन के हितों को हमारी सरकार द्वारा ध्यान में रखना चाहिए।

तीस्ता पानी के बारे में, हमारी सरकार से परामर्श किया जाना चाहिए ताकि पश्चिमी बंगाल को इसके वैध हिस्से से वंचित न रखा जा सके।

मैं एक और खतरा बताना चाहूंगा, जो कि रिपोर्ट में बताया गया है यानी बंगलादेश से अनधिकृत रूप से सीमा पार करके भारत में आना। सामान्य व्यापार कार्य चलना चाहिए। साधारण पर्यटक यातायात होना चाहिए। किंतु अनधिकृत व्यक्तियों के इस आगमन से सीमावर्ती राज्यों को खतरा हो सकता है। मैं अनावश्यक चेतावनी नहीं देना चाहता किंतु हमारी सीमा की सुरक्षा होनी चाहिए।

कोई भी देश अपनी सीमाओं को इतना खुला नहीं छोड़ सकता कि पड़ौसी देश से लोग उसे पार कर सकें। इससे काफी समस्यायें उठ खड़ी होंगी। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। रिपोर्ट में उन लोगों की सम्पत्ति के बारे में बताया गया है जो भारत में हैं। मन्त्री महोदय ने बताया है कि सरकार को भारतीय नागरिकों द्वारा बंगलादेश में छोड़ी गई प्राइवेट सम्पत्ति के बारे में भी बंगलादेश से बातचीत करनी चाहिए ताकि उन्हें उनकी सम्पत्ति से वंचित न रखा जा सके। यह काफी महत्त्वपूर्ण समस्या है जिसकी ओर मैं अपने मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अब मैं, श्री लंका की समस्या के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। मैं प्रसन्न हूं कि भारत सरकार ने कुछ शुरूआत की है और इस पर अन्ध राष्ट्रवादिता के नारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किंतु किसी भी विचार-विमर्श में सरकार को दो-तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रथमत: भारत में श्री लंका से अनावश्यक शरणार्थियों का आगमन न हो—पहले ही लगभग 40,000 शरणार्थी यहां हैं—दूसरे, श्रीलंका में भारतीय मूल के राष्ट्रिकता विहीन व्यक्तियों के भविष्य का निपटारा हो जाये, और तीसरे श्रीलंका में अल्पसंख्यक समुदाय को संविधानिक गारंटी मिलनी

चाहिए क्योंकि सारी समस्या वहां पर अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना से ही पैदा होती है। यदि संविधान उन्हें भाषा, संस्कृति, रोजगार की सुरक्षा देता है तथा सिंहली लोगों के समान अधिकार की गारंटी देता है तो मैं समझता हूं कि वहां कोई समस्या होगी ही नहीं।

भारत सरकार ने सही कदम उठाया है और, मैं समझता हूं कि, श्री लंका हमारा अच्छा पड़ोसी होने के नाते, समस्या का समाधान निकल ही आयेगा। किंतु खतरा है। जैसा कि मैंने कहा है श्री लंका, दक्षिणपंथी ताकतों के दबाव के कारण और श्री लंका सरकार की नीतियों के कारण, अमरीका के नजदीक जा रहा है तथा ट्रिनकोमाली को सैनिक अड्डा बनाने अथवा अमरीका को सैनिक सुविधायें देने के बारे में बातचीत चल रही है। यही खतरा है कि अमरीका बंगलादेश में और पाकिस्तान में अपने अड्डे स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अमरीकी विश्वस्तरीय नीति के कारण और इस तथ्य के कारण कि भारत के पास महत्त्वपूर्ण स्थान है तथा इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण, इसकी जनसंख्या और आर्थिक संसाधनों तथा इन सभी बातों के लिए अमरीका भारत को भी घेरना चाहता है। इसी कारण यह भारत के चारों ओर अपने कुछ अड्डे स्थापित करना चाहता है जो कि भारत के लिए खतरा है। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार हमारी सीमाओं के पार इन परिस्थितियों से वाकिफ होगी।

आज, यह सच है कि गुट-निरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा मिल रहा है। किंतु हम वास्तव में किसके लिये और किसके विरुद्ध लड़ना चाहते हैं? सम्पूर्ण उपनिवेशीय अवधि के दौरान, सभी साम्राज्यवादी देशों ने प्रभुत्व और निर्भरता का राजनीतिक ढांचा, आर्थिक ढांचा और सांस्कृतिक ढांचा बनाया था। यदि हम वह चाहते हैं तो हमें नए हो रहे स्वतन्त्र राष्ट्रों को एकता में बांधना होगा। हमारे सभी प्रयास गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की एकता को सुदृढ़ करने की ओर होने चाहिए। इसके साथ-साथ, समाजवादी देश, चाहे उनका प्रथक् राजनीतिक और आर्थिक ढांचा है, इन सभी क्षेत्रों में प्रभुत्ता और निर्भरता के सम्बन्धों को तोड़ने तथा शांति बनाये रखने के इच्छुक हैं। यही कारण है कि हमारी नीति का एक महत्त्वपूर्ण अंग समाजवादी देशों के साथ दोस्ताना सम्बन्ध रखने और इन सम्बन्धों को सुदृढ़ रखने का होना चाहिए।

एक सिद्धांत है कि अमरीका से संबंध सुधारने हेतु, हमें रूस से दूरी रखनी चाहिए, कि हमें इस्राइल को राजनयिक मान्यता देनी चाहिए और कि हमें बहु राष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करना चाहिए। वास्तव में यह नव-उपनिवेशवाद है। यही अमरीका चाहता है। रूस से दूरी रखने से हमें हानि की स्थिति में रखना है।

रूस के साथ एकता और गठबन्धन से ही फासिस्टवाद को हराया गया था। रूस के साथ गठबन्धन से ही हम साम्राज्यवादी शक्तियों की नयी उपनिवेशवादी नीति को हरा सकते हैं।

हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि रूस से दूरी का अर्थ भारत के एक सच्चे मित्र से दूरी है। हमें अन्य राष्ट्रों की इस सलाह को नहीं मानना चाहिए कि रूस से दूरी रखी जाये।

इस्राइल मध्य-पूर्व में अमरीकियों का पिट्ठू होने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस्राइल को राजनयिक मान्यता देने का अर्थ अमरीकी पिट्ठू के साथ दोस्ती बढ़ाना तथा मध्य-पूर्व में गड़बड़ी कराना होगा। इसके द्वारा हम सम्पूर्ण अरब विश्व में अपने दोस्त खो बैठेंगे।

ये बहु-राष्ट्रीय निगम क्या हैं? आपने यह अवश्य देखा होगा कि आजकल अमरीका अपनी सहायता और पैसा बहुराष्ट्रीय निगमों और प्राइवेट बैंकों के माध्यम से देना चाहता है।

ये बहुराष्ट्रीय निगम साम्राज्यवादी देशों के बहुराष्ट्रीय घरानों के हाथ है। अपने दरवाजे बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए खोलने का अर्थ अपनी स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था को तिलांजलि देना है। क्या हम आर्थिक रूप से बहुराष्ट्रीय निगमों पर निर्भर रहेंगे? यही अमरीका हमसे चाहता है।

आजकल, समय की मांग शांति है। अब, जबकि शांति को साम्राज्यवादी देशों की नीति के कारण खतरा है, जबकि मानवता को हमारी सभ्यता से ही बहुत बड़ा खतरा है, जबकि सभ्यता की तकदीर तराजू पर टिकी हुई है, और जबकि डैमोकल की तलवार हमारे सिरों पर लटक रही है और अब यह आणविक तलवार है, तो हमें अपने सभी प्रयास शांति की सुदृढ़ता बनाये रखने की दिशा में ही करने चाहिए।

आप देख रहे हैं कि अमरीका से बहुत बड़े खतरे के बीच, साम्राज्यवादी शक्तियों के खतरे के बीच, अमरीकी मिसाइलों के फैलाव के बीच, यह रूस ही है जिसने निःशस्त्रीकरण का प्रस्ताव किया है। सोवियत रूस ने सभी आणविक हथियारों को, यदि पूर्णतः नहीं तो आंशिक रूप से ही, नष्ट करने का प्रस्ताव किया है। किंतु अमरीका का उत्तर नकारात्मक है। सोवियत रूस ने पारम्परिक हथियारों के उत्पादन में कमी करने का प्रस्ताव किया किन्तु अमरीका ने इसे ठुकरा दिया। इससे पता चलता है कि अमरीका युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है।

मैं हिटलर की 'मैन कैंफ" में से गठबन्धन के बारे में उद्धरण देना चाहूंगा :—

"प्रत्येक गठबन्धन का उद्देश्य युद्ध ही है। वह गठबन्धन, जिसके उद्देश्य में युद्ध की मंशा शामिल नहीं है, असंगत व निरर्थक है।"

आज अमेरिका विश्व को परमाणु युद्ध की ओर ढकेल रहा है। क्यों? इसलिए कि युद्ध भयावह ही नहीं लाभप्रद भी है। अमेरिका के लिये उत्पादन का अर्थ है युद्ध सामग्री का उत्पादन। वह उन वस्तुओं का निर्यात नहीं कर रहा है जिनका उपयोग लोगों की भूख मिटाने के लिये किया जा सकता है। वह निरक्षरता से लड़ने या विश्व के देशों की अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए पैसा नहीं दे रहा है। वह ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। वह बमों का निर्यात कर रहा है। वह जन संहार के लिए परमाणु अस्त्रों का निर्यात कर रहा है। ऐसा इसलिए कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था का निर्माण तथा प्रगति युद्ध सामग्री के उत्पादन तथा विश्व के कुछ भागों का विनाश करके ही किया जा सकता है। युद्ध की तैयारियों से जो मुनाफा कमाया जाता है वह भयावह है, सैनिक औद्योगिक कम्पलेक्स जो युद्ध की तैयारी से जो मुनाफा कमाने की स्थिति में हुआ है वह विकराल है; वह अमेरिका को परमाणु युद्ध की ओर प्रवृत्त कर रहा है तथा सम्पूर्ण विश्व को युद्ध की तैयारी तथा ज्वाला में धकेल रहा है। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस खतरे को नजरअन्दाज करने का प्रयास करते हैं वे युद्ध के खतरे को कम से कम आंकते हैं तथा जब शांति आंदोलन होता है, कभी-कभी तो उसका भी मजाक उड़ाते हैं। आजकल यूरोप में, न केवल हजारों बल्कि लाखों की संख्या में लोग यह नारा लेकर गलियों में निकल पड़े हैं कि "हम जीना चाहते हैं; हम युद्ध नही चाहते।" मनुष्य घृणा तथा विनाश के लिए पैदा नहीं हुआ है; वह प्रेम तथा रचनात्मक कार्यों के लिए पैदा हुआ है। वर्तमान समय में भारत सरकार का रुख क्या है? यहां हम दुश्मन को नहीं पहचानते हैं, यहां हम यह नहीं कहते कि कौन यह सब कर रहा है, युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार है। हम भारत की जनता को सजग नहीं करते हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी शांति का आह्वान कर रही हैं। यह सब ठीक है। परन्तु भारत की जनता? क्या हमें उसे सजग

नहीं करना चाहिए। क्या हमें उसे आने वाले खतरों से आगाह नहीं करना चाहिए ? क्या हमें अपनी जनता को शांति हेतु एक नहीं करना चाहिए ? हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। वामपंथी पार्टियां ऐसा कर रही हैं। कुछ अन्य विपक्षी दलों को खतरे की शंका नहीं है, वे खतरे को कम से कम आंकते हैं। यह हमारे लिए खतरनाक है क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसमें हम एक ही मौसम पर बुरी तरह से निर्भर पर हैं। विश्व के किसी भाग में युद्ध या संघर्ष से पूरा विश्व उसकी चपेट में आ जाएगा, तथा हमारा देश इसका अपवाद नहीं होगा। मैं इसीलिए अपनी सरकार का ध्यान युद्ध के इस खतरे तथा अपनी आर्थिक कमजोरी की ओर दिलाना चाहता हूं। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना चाहिए। हमें आत्म-निर्भर होना चाहिए तथा तैयार रहना चाहिए। भारत का प्रयास शांति हेतु होना जाना चाहिए; भारत को युद्ध के लिए उकसाने वाले देशों को अलग-थलग करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए; हमें समाजवादी देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए पहल करनी चाहिए तथा मैं यह भी कहूंगा कि हमें अपने पड़ौसी देशों से अच्छे सम्बन्ध बनाए रखने चाहिए। मैंने यह कहा है कि रूस के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे हैं। इन्हें और मजबूत बनाया जाना चाहिए क्योंकि जरूरत पड़ने पर साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र है; उसने हर परेशानी व खतरे में हमारा साथ दिया है, वह अपनी मित्रता पर दृढ़ रहा तथा उसे मजबूत किया जाना चाहिए।

चीन एक महान देश है तथा वहां की सभ्यता भी हमारी तरह पुरानी है। मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने इस दिशा में पहल की है। सीमा सम्बन्धी कुछ समस्या है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इस समस्या को हल करने के लिए लम्बी वार्ता—दुरुह प्रयास आवश्यक है। इसे परस्पर आदान-प्रदान के आधार पर किया जाना चाहिए; न कि एक पक्षीय आधार पर। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में समझदारी से काम लिया जाएगा तथा हम सीमा संबंधी इस समस्या को हल करने में सफल होंगे। मुझे खुशी है कि हम अन्य क्षेत्रों में अपने संबंध मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इसी नीति पर चले। हमें सबसे मित्रता करनी चाहिए तथा चीन एक महान पड़ोसी है और हमें उसके साथ भी ऐसे ही सम्बन्ध बनाने चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[आपसी हित की समस्याओं का सद्भावपूर्वक तथा त्वरित समाधान के लिये एक संयुक्त भारत-नेपाल आयोग गठित करने में असफलता] (1)

"कि विदेश मंत्रायल शीर्षक के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठ राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संबंध कायम करने की आवश्यकता] (2)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[नेपाल तथा भारत के परस्पर हित-साधन हेतु दोनों देशों के बीच संबंधों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता] (3)

"कि विदेश मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[नेपाल में उदयपुर में सीमेंट संयंत्र को शीघ्र पूरा करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता] (11)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[जनवादी चीन के साथ सामान्य संबंध बनाने की आवश्यकता] (4)

"कि विदेश मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) में 100 रुपये कम किये जायें।"

[जनवादी चीन के साथ विवादों को वार्ता के द्वारा हल करने की आवश्यकता] (5)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की राजभाषा हिन्दी को मान्यता दिलाने में असफलता] (12)

'कि विदेश मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[गुट निरपेक्ष देशों के दिल्ली सम्मेलन के अवसर पर छापी गई एक पुस्तिका में भारत की राजभाषा अंग्रेजी प्रकाशित करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता] (13)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[पाकिस्तान की जेलों में बंद भारतीयों को छुड़वाने के लिए पाकिस्तान की सरकार पर दबाव डालने में असफलता] (14)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[मारिशस तथा अन्य हिन्दी भाषी देशों के साथ सम्बन्ध और सुदृढ़ करने में असफलता] (15)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[श्रीलका में तमिल भाषियों पर ढाये गये जुल्मों की निन्दा करने तथा भविष्य में फिर वैसी घटनाएं नहीं घटें इसके लिए वहां की सरकार से गारंटी दिलवाने में असफलता] (16)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[खान अब्दुल गफ्फार खां को पाकिस्तानी जेल से रिहा कराने तथा इलाज की व्यवस्था करने में असफलता] (17)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[श्रीलंका में तमिल मूल के लोगों के हितों की रक्षा के लिए उनकी मदद करने में असफलता] (18)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[श्रीलंका में तमिल भाषियों की उचित मांगों को स्वीकार करने के लिए वहां की सरकार को राजी करने में असफलता] (19)

"कि विदेश मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[ब्रिटेन में म्हात्रे के कातिलों को पकड़ने के लिए जोरदार प्रयत्न करने में असफलता] (20)

"कि विदेश मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[विदेशों में निवास करने वाले भारतीयों के हितों की रक्षा करने में असफलता] (21)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया "किया जाय।"

[कामनवेल्थ से नाता तोड़ने में असफलता] (22)

"कि विदेश मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[संयुक्त राष्ट्र संघ में अमरीका की साम्राज्यवादी नीति का डटकर विरोध करने में असफलता] (23)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[विदेशों में भारत के प्रचार तंत्र को और मजबूत करने में असफलता] (24)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[पारपत्र देने में कदाचार को रोकने में असफलता] (25)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[पारपत्र देने से पहले ठीक प्रकार से जांच पड़ताल करने की आवश्यकता] (26)

"कि विदेश मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[अफगानिस्तान की सरकार से और घनिष्ट सम्बन्ध कायम करने तथा उसकी प्रगति में सब प्रकार से सहायक होने में असफलता] (27)

"कि विदेश मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[अफगानिस्तान में अमरीकी एवं पाकिस्तानी हस्तक्षेप की निंदा करने तथा उसे रोकने में असफलता] (28)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[नेपाल के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारने में असफलता] (29)

"कि विदेश मन्त्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[नेपाल में भारत विरोधी प्रचार को कारगर ढंग से रोकने में असफलता] (30)

"कि विदेश मन्त्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[पड़ोसी देशों के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारने में असफलता] (31)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[विदेशों में भारत के दूतावासों में राजभाषा अधिनियम, 1963 को लागू करने में असफलता] (32)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[विदेशों में भारत विरोधी प्रचार को कारगर ढंग से रोकने में असफलता] (33)

"कि विदेश मन्त्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[पश्चिमी जर्मनी की सीमा पर अमरीकी मिसाइल हटाने की मांग का समर्थन करने में असफलता] (34)

"कि विदेश मन्त्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[ऐटमी हथियारों का गैर आणविक हथियार वाले देशों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने संबंधी सोवियत संघ के हाल के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए अमरीका तथा दूसरे देशों को राजी करने में असफलता] (35)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[जेनेवा शांति वार्ता को भंग करने सम्बन्धी अमरीकी नीति की निन्दा करने में विफलता] (36)

"कि विदेश मन्त्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[ऐटमी हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं करने के लिए अमरीकी सरकार को राजी करने में असफलता] (37)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[अफ्रीका और लेटिन अमरीका के गुलाम देशों द्वारा चलाये जा रहे मुक्ति संग्रामों का खुला समर्थन करने एवं अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा, दखलन्दाजी की नीति की निन्दा करने में असफलता] (38)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[अमरीकी साम्राज्यवाद एवं नाटो राष्ट्रों द्वारा पाकिस्तान तथा अन्य कुछ देशों को भारत के विरुद्ध आधुनिकतम हथियारों से लैस करने की नीति के विरोध में अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करने में असफलता] (39)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[सोवियत संघ के शांति प्रस्तावों का समर्थन करने तथा अमरीका द्वारा उनके कार्यान्वयन में बाधा डालने की नीति का खुलकर विरोध करने में असफलता] (40)

"कि विदेश मन्त्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[अमरीका की विकासशील देशों की प्रगति में रोड़ा अटकाने की नीति का विरोध करने में असफलता] (41)

"कि विदेश मन्त्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[सुपर पावर के नाम पर सोवियत संघ और साम्राज्यवादी अमरीका, दोनों को तराजू के सामान पलड़ों पर रखने की घातक नीति को, त्यागने में असफलता] (42)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[साम्राज्यवादी देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुधारने में असफलता] (43)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[समाजवादी देशों में स्थित दूतावासों को और मजबूत बनाने में असफलता] (44)

"कि विदेश मन्त्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[समाजवादी देशों के भारतीय कांसूलेट को दूतावास का दर्जा देने में असफलता] (45)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 9 15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[दियगों गासिया के तटवर्ती देशों की सुरक्षा के लिए अमरीकी सैनिक अड्डे को बन्द करने के लिए कदम उठाने में असफलता] (46)

"कि विदेश मन्त्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग (पृष्ठ 9-15) को कम करके 1 रुपया किया जाय।"

[हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता] (47)

श्री टी०आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण): मैं प्रस्ताव रखता हूं :

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक आर० एच० म्हात्रे की हत्या के विरोध स्वरूप कार्यवाही करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता] (6)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[मध्य-पूर्व युद्ध में रासायनिक और जैविक हथियारों के इस्तेमाल की निन्दा करने की आवश्यकता] (7)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[श्रीलंका में भारतीय मूल के लोगों की समस्याओं के शीघ्र हल के लिए श्रीलंका सरकार पर दबाव डालने की आवश्यकता] (8)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पाकिस्तान द्वारा युद्ध की तैयारी की दृष्टि से चीन के साथ बेहतर सम्बन्ध बनाने की आवश्यकता] (9)

"कि विदेश मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

[पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियार सप्लाई करने के बारे में अमरीका से अपनी नीति को स्पष्ट करने के लिए कहने की आवश्यकता] (10)

श्री एडुआर्डो कैलीरो (मारमागाओ) : सभापति महोदय हमारे सामने विदेशी मंत्रालय द्वारा तैयार अत्यन्त विस्तृत रिपोर्ट है जिसमें एक वर्ष पहले जब हमने अनुदान की मांगों पर चर्चा की थी, उसकी तुलना में बहुत धुंधली तस्वीर पेश की गई है जिससे यह पता चलता है कि पिछले एक वर्ष के दौरान विश्व व्यापी तनाव में बहुत वृद्धि हुई है तथा विशेषरूप से विकासशील तथा गुट निरपेक्ष राष्ट्रों में बहुत अधिक आर्थिक मन्दी रही है। मैं इस विचार से सहमत हुए बिना नहीं रह सकता कि इस विश्व व्यापी तनाव में वृद्धि का कारण अमरीकी प्रशासन की दक्षिण-पंथी नीतियों तथा नव-संरक्षणवादी विचारधारा है। आज इस प्रमुख महाशक्ति की मुख्य चिन्ता सोवियत संघ के साम्राज्य तथा कम्युनिज्म को रोकना है। इसके परिणामस्वरूप स्वाभाविक तौर पर जॉन फोस्टर डल के इस विचार को प्रतिपादित किया गया है कि गुट निरपेक्षता अनैतिक है। बेशक पहले स्टालिन के विचार डल के इस विचार से मिलते थे और स्टालिन भी गुट निरपेक्षता को खतरनाक समझते थे। परन्तु जबकि स्टालिन के पश्चात सोवियत संघ ने गुटनिरपेक्षता सम्बन्धी नीति में परिवर्तन कर लिया था और यह स्वीकार किया था कि शांति एवं मनुष्य मात्र की प्रगति के लिये गुट निरपेक्षता एक शक्तिशाली आन्दोलन है परन्तु अब अमरीका में डल के इस विचार को पुनः प्रतिपादित किया जा रहा है कि गुटनिरपेक्षता अनैतिक है, कि यह निर्धन तथा अवसरवादी राष्ट्रों का गुट है जो अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार प्रतिक्षण अपनी नीतियां निर्धारित करते रहते हैं। अतः अमरीका तथा विशेषतः पश्चिमी यूरोप के उसके मित्र राष्ट्रों की इस दक्षिण पंथी नीतियों ने इन तनावों को जन्म दिया है और समय-समय पर सोवियत संघ की प्रतिक्रिया भी अपेक्षाकृत प्रतिकूल रही है।

इन दो महाशक्तियों के बीच संघर्ष से किसको हानि होती है। शांति तथा विकास के अर्थों में हमारे देश तथा अन्य विकासशील एवं गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को ही सर्वाधिक हानि होती है। पश्चिमी यूरोप में क्या हो रहा है। क्रूज मिसाइलों तथा अन्य मिसाइलों को लगाने की खबरें अभी

भी समाचार पत्रों के मुख पृष्ठों पर छापी जा रही हैं। केन्द्रीय अमरीका में सैनिक हस्तक्षेप की खबर है। मैंने आज ही सुना है कि अमरीकी प्रशासन ग्रेनाडा के हस्तक्षेप को बचाव कार्य मानता है। यह सरासर झूठ है कि ग्रेनाड में अमरीकी नागरिक खतरे में थे। हस्तक्षेप के तुरन्त बाद उस क्षेत्र के सैंट जार्ज विश्वविद्यालय के कुलपति ने यह कहा था कि अमरीकी छात्रों को कभी भी किसी प्रकार का खतरा नहीं था। परन्तु 3 दिन बाद यही व्यक्ति जब अमरीका वापस जाता है तो उसे अपना वक्तव्य बदलने पर मजबूर किया जाता है और उसके तथा अन्य अमरीकी नागरिकों को इसी प्रकार के वक्तव्यों के आधार पर अमरीका इसे बचाव कार्य की संज्ञा देने लगता है। निःसन्देह अफगानिस्तान में 'सोवियत संघ ने खुला आक्रमण किया था।' इस सन्दर्भ में हमें अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का अवलोकन करना होगा।

जैसा कि मैं कह रहा था, पश्चिमी यूरोप में क्या हो रहा है? मिसाइलें लगाई जा रही हैं। केन्द्रीय अमरीका में क्या हो रहा है? अमरीका द्वारा सैनिक हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लेबनान में हस्तक्षेप किया गया है। ये सभी प्रमुख घटनाएं हैं। हिन्द महासागर की घटनाएं भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। पिछले 1 वर्ष से अमरीका तथा अन्य बड़ी शक्तियों द्वारा लगातार सैन्यकरण किया जा रहा है। हमारे पास बहुत विश्वस्त रिपोर्ट हैं कि सैनिक अड्डों अथवा सुविधाओं के लिये अमरीका श्रीलंका, बंगलादेश तथा पाकिस्तान से बातचीत कर रहा है। यह सब और विशेषत: पाकिस्तान को शस्त्र देना हमारे देश के लिये अत्यन्त चिन्ताजनक है। पाकिस्तान को हथियारों से पूरी तरह लैस किया जा रहा है और वहां अत्याधुनिक शस्त्र लगाये जा रहे हैं। तर्क वही है—कि यह सब अफगानिस्तान के बरास्ते पाकिस्तान पर सोवियत हमले से बचाने के लिये है परन्तु इस बात पर कोई विचार किया गया है कि यदि सोवियत संघ पाकिस्तान पर हमले का निर्णय लेता है तो पाकिस्तान को चाहे कितने भी शस्त्र दिये जायें, वह सोवियत संघ को नहीं रोक सकता। पाकिस्तान को लम्बी दूरी तक मार करने वाले एफ 16 लडाकू विमान देने का क्या लाभ है? क्या टैंकों का उपयोग अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्रों में किया जायेगा? पाकिस्तान में टैंकों का क्या उपयोग है! और विशेषत: यदि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हमले से बचाना है तो पाकिस्तान की नौसेना को सुदृढ़ बनाने का क्या लाभ हैं?

फिर भी पाकिस्तान की दो तिहाई या अधिक सेना हमारी सीमाओं पर तैनात है, और इनकी संख्या में कोई कमी नहीं हुई है अत: महोदय, मेरा यह कहना है कि जहां तक पाकिस्तानी शासकों का संबंध है, पाकिस्तान को मिले हथियारों का प्रयोग मुख्यत: इस देश के विरुद्ध आक्रमण में किया जायेगा इसके अतिरिक्त पाकिस्तान इनका उपयोग किसी अन्य पर नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में सभा में दिये गये रक्षा मत्री का उद्धरण देना अत्यन्त उपयुक्त है—"चाहे पाकिस्तान को कितने भी हथियार क्यों न दिये जायें, हमारे देश को वह कभी भी नही हरा सकता।"

महोदय, हम पर 3 बार हमला किया गया है तथा हमने प्रत्येक बार हमलावर का सबक सिखाया है। यदि वे अपनी सेनाओं से हम पर एक और हमला करेंगे तो हम एक और सबक सिखायेंगे। परन्तु महोदय इसके लिये यह जरूरी है कि हमारी सैनिक तैयारियां पूरी रहें। यदि हमारे पड़ोसी देश में आधुनिक हथियारों का स्तर बढ़ता है तो हमें भी उसी प्रकार के हथियार प्राप्त करने होंगे। इस सबका अर्थ है सैनिक व्यय में अत्यधिक वृद्धि। फिलहाल हम रक्षा पर अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 3 प्रतिशत व्यय कर रहे हैं।

इस प्रकार यह हमारे किसी भी पड़ोसी देश से कम है। इसका मतलब है रक्षा पर होने वाले खर्च का हमारा प्रतिशत सबसे कम है। लेकिन, पैसा तो खर्च हो ही रहा है। अगर

हमारी सीमाओं पर इस बात का खतरा हो अथवा अगर हमें सीमाओं पर आक्रमण की संभावना न हो, तो इस राशि का उपयोग, विकास के लिए किया जा सकता है । हमारे सीमित संसाधन हमारे लोगों की समृद्धि के काम आ सकते हैं । इसलिए — इस बारे में पहले वक्ता द्वारा जो कुछ कहा गया है मैं उससे सहमत हूं—यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ऐसा इस वजह से हो रहा है । इसका पता लगाना चाहिए । महोदय, इस निराशा पूर्ण स्थिति में गुट निरपेक्ष आन्दोलन ने एक आशा की किरण प्रकट की है—विशेषतया 1 वर्ष पूर्व, मार्च, 1983 में हुई घटना से, जब हमारी नेता गुट निरपेक्ष आन्दोलन की अध्यक्ष बनीं । सभापति महोदय, भारत का क्षेत्रफल, आकार प्रकार, जनसंख्या और विशेषतया दर्शन इस प्रकार का रहा है कि वह स्वतंत्रता से पूर्ण भी अग्रणी रहा है, गुट निरपेक्ष आन्दोलन के नेतृत्व से समस्त संसार को और विशेषतया गरीब राष्ट्रों को शांति और, विकास के लिए निर्देश देने की जिम्मेदारी हम पर एक साल पहले औपचारिक रूप से आ गई । उस समय हमारी प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन के नेतृत्व की जिम्मेदारी आने से कोई नाटकीय परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती । हम इस के लिए आधार बना रहे हैं । लेकिन हमारे सामने काफी मुश्किलें है । इस थोड़ी बहुत आलोचना के बावजूद, गुट निरपेक्ष आन्दोलन में श्रीमती इन्दिरा गांधी की अध्यक्षता में काफी अधिक सफलताएं प्राप्त हुई हैं । इसमें सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण हैं पिछले सितंबर में इस के नेताओं की न्यूयार्क में बैठक । वहां पर हमारी प्रधानमंत्री के साथ न केवल गुट निरपेक्ष देशों के नेतागण ही थे अपितु कुछेक उद्योग प्रधान राष्ट्रों जैसे फ्रांस, आस्ट्रिया आदि के नेता भी उपस्थित हुए । उन्होंने वहां पर बहुत ही अच्छे और रचनात्मक रूप में कुछ इस प्रकार बात चीत की जो हमारे शान्ति विकास के मार्ग में सहायक थीं । आज विश्व में आर्थिक मुद्दे अत्यधिक महत्व रखते हैं । — आर्थिक समस्याएं विशेषतया विकाशील देशों में, सैनिक संघर्षों से कोई कम महत्व नहीं रखती जबकि विश्व में अशांति और मतभेद का बोलबाला है । इस प्रकार, इस बैठक में उद्योग प्रधान देशों, गुट निरपेक्ष देशों और विकासशील देशों के नेताओं ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा की । उन्होंने अधिक उचित अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति की जरूरत तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों का फिर से गठन करने की जरूरत के बारे में चर्चा की । यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामले हैं । इन मामलों पर तथा सुरक्षा के बारे में कितने दुर्भाग्य की बात है कि संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा इस बारे में नकारात्मक रवैया अपनाया गया । पहले वह यह कह रहे थे कि अमरीका में मंदी आई हुई है । अब चूंकि मंदी नहीं रही है तथा उन की अर्थ व्यवस्था तथा विशेषतया पश्चिम मित्र राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई हैं । तथापि जहां तक नई अर्थव्यवस्था का सम्बन्ध है इस में सहायता अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन में, कोई सुधार नहीं हुआ है । इनमें अमरीकी योगदान में काफी कमी आई है । यूनेस्को को ही देखिए, यह संस्था विकासशील देशों के लिए बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभा रही है । सहायता और रियायती दरों पर वित्त प्रदान करने की दिशा में यह नकारात्मक रवैया है तथा विकासशील देशों के साथ व्यापार में अत्यधिक नकरात्मक ।

इसलिए, यह आवश्यक है कि विकासशील देश एक हो कर, विश्व के कुछ अधिक जागरूक देशों से —जिनमें सबसे प्रमुख फ्रांस है, सहायता प्राप्त करें।

यह बहुत ही आश्चर्यजनक और विडंबनापूर्ण है कि जिस द्वारा मुक्त व्यापार की शुरूआत की गई, बुनियाद रखी गई हो, वही आज सर्वाधिक संरक्षण वादी रवैया अपना रहा है । मल्टी-

फारबर एग्रीमेंट इसका उदाहरण है कि इस समय पश्चिमी देशों का रवैया विकासशील देशों के साथ किस प्रकार का है। मल्टी फारबर एग्रीमेंट में यह व्यवस्था है संयुक्त राज्य अमरीका, बेल्जियम, इटली आदि से होने वाले कपड़े के आयात में किसी प्रकार की रोक नहीं करेगा लेकिन अगर कपड़ा भारत, श्रीलंका आदि देशों से आ रहा हो तो उस देश के साथ राजनीतिक सम्बन्ध के अनुसार सीमित कोटा निर्धारित किया गया है। मुक्त व्यापार के अगुवा इस समय यह संरक्षणवादी रवैया अपना रहे हैं।

महोदय, मैं प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी द्वारा जो शुरूआत की गई है उसका स्वागत करता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव द्वारा अपनी रिपोर्ट में इस कदम का स्वागत किया गया है उन्होंने उस में भारत की प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए रचनात्मक कदमों का उल्लेख किया है इन से विश्व में आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आएगा।

महोदय, संयुक्त राज्य अमरीका तथा इसके पश्चिमी मित्र राष्ट्रों द्वारा अपनाए गए कठोर रवैया के कारण जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का सम्बन्ध है, किसी अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संगठन का फिर से गठन करने अथवा इस में सुधार करने की बहुत कम संभावना है। इस के लिए यह आवश्यक है कि गुट-निरपेक्ष देश एक हो जाएं वह एक भीड़ मात्र न हों। उन की राजनीतिक अथवा आर्थिक प्रणाली कुछ भी हो, उन्हें अपने समान हितों को, समझना चाहिए। उन्हें साथ जीना और साथ मरना सीखना चाहिए। जब वह समान हितों के साथ एक वर्ग के रूप में प्रकट होंगे तथा इस समान उद्देश्य को आगे ले जाने के लिए कृत संकल्प होंगे तभी वह विश्व में विकास के इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ योगदान कर सकते हैं। इस के साथ मैं यहां यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि नार्थ-साउथ विचार विमर्श की उपेक्षा किए बिना तथा नार्थ-साउथ विचार विमर्श को कम किए बिना, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमारे देश को साउथ-साउथ विचार विमर्श, सहयोग और व्यापार पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन होता है हम इस की बात करते हैं। हम यह भी कहते हैं कि साउथ-साउथ सहयोग बढ़ना चाहिए, साउथ-साउथ सम्बन्ध बढ़ने चाहिए लेकिन जैसे ही यह सम्मेलन समाप्त होते हैं, अक्सर यह देखा जाता है कि इस धारणा का पालन नहीं किया जाता। मैं इस से सहमत हूं कि इस समय साउथ-साउथ व्यापार अथवा साउथ-साउथ आर्थिक सहयोग की संभावनाएं अधिक नहीं हैं। भविष्य में भी इस की अधिक आशा प्रतीत नहीं होती। लेकिन मुझे यह विश्वास है तथा इस के प्रमाण हैं कि मीडियन ट्रेड, साउथ-साउथ ट्रेड, साउथ-साउथ आर्थिक सहयोग। हमारे अपने-अपने देश की अर्थ व्यवस्था के विकास के लिए बहुत बड़ी बात है। जैसा कि मैंने कहा है, गुट निरपेक्ष आन्दोलन ने प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में पिछले वर्ष काफी सफलता प्राप्त की है तथा साउथ-साउथ के प्रश्न पर एक बहुत ही अच्छी घटना है, साउथ-एशियन रीजनल कान्फ्रेंसन का होना।

इस क्षेत्र में 7 विकासशील देश हैं। इन्होंने इस सम्मेलन में विदेश मंत्री के नेतृत्व में, एक हो कर अन्य 6 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ समान हित के क्षेत्रों का पता लगाया है तथा मुझे यह विश्वास है कि यह सम्मेलन इस क्षेत्र में तनाव में कमी लाने में काफी योगदान करेगा एव अपनी सीमाओं में सभी देशों की आर्थिक समृद्धि बढ़ाने में सहायक होगा। इस प्रकार, आज, विश्व शान्ति, इस क्षेत्र में शांति और विकास के लिए इस बात की जरूरत है कि हम अपनी नेता के हाथ मजबूत करें, इस सरकार को मजबूत करें जिस द्वारा गुट निरपेक्ष आन्दोलन के नेतृत्व की

जिम्मेदारी आने के एक वर्ष की छोटी सी अवधि में ही, काफी सराहनीय कार्य किया गया है। मुझे इस में कोई सन्देह नहीं हैं कि इस ऐतिहासिक और नाजुक दौर पर मानवता के सामने आने वाली गंभीर समस्या के समाधान के लिए यह नए विश्वास तथा नई शांति के साथ आगे बढ़ सकेगी। धन्यवाद।

श्री राजेश कुमार सिंह (फीरोजपुर) : सभापति महोदय, वार्षिक रिपोर्ट में कुछ वर्णन किया है कि भारत उप महाद्वीप की स्थिति बड़ी संकटपूर्ण है। बड़ी शक्तियों द्वारा खास तौर से अमरीका के द्वारा पाकिस्तान को दिए जाने वाले हथियारों से ऐसी स्थित पैदा हो गई है कि ऐसा लगने लगा है कि कुछ दिनों में महाशक्तियों की होड़ हमारे नजदीक कहीं दिखाई न देने लगे।

मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ब्रिटेन में भारत के सहायक कमिश्नर श्री म्हात्रे की दुखद हत्या जो हुई उसके लिए मैं उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से यह गुजारिश करूंगा कि कम से कम भारतीय दूतावासों में काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए संबंधित देशों के सुरक्षा अधिकारियों के बारे में आवश्यक कदम उठाएं।

मैं आलोचना करना नहीं चाहता। प्रश्न यह है कि जो खाड़ी में इराक-ईरान के युद्ध को हम देख रहे हैं। थोड़े दिन पहले अखबारों में चर्चा आई कि ब्रिटिश युद्ध पोत वहां बढ़ रहे हैं, अमरीका का जंगी बेड़ा और रूस की गतिविधियां चल रही हैं। फ्रांस के द्वारा इराक को 60 करोड़ डालर की सहायता दी जाएगी, ये सारी स्थितियां ऐसी हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में आप यदि देखें कि जो पाकिस्तान में हो रहा है तो इसके लिए हमको ऐसी संभावना दिखाई देने लगती है कि विश्व किस खतरे के मोड़ पर चल रहा है। मेरे साथी ठीक कह रहे थे कि नान अलायन मूवमेंट का आज हमारा देश अध्यक्ष है। इस लिए कुछ जिम्मेदारियां हमारी अधिक हैं। लेकिन मैं यह पूछना चाहूंगा क्योंकि मुझे भी अखबारों में ऐसा लगा कि रीगन प्रशासन ने पाकिस्तान में अमेरिकी सैनिक तैनात करने की कांग्रेस से इजाजत मांगी है। यदि वह मिल गई है नो हमें सर्तकता बरतनी चाहिए। पिछली बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि हम लोग इस बात पर निगाह रखे हुए हैं कि अमरीकन बेस नहीं बन पाए। क्या यह सही है कि कांग्रेस से उन्होंने अनुमति माँगी है वहाँ के आधुनिक उपकरण जैसे ए०एस०आर०-7, टी०आर० आई० ए० को इस्तेमाल करने के लिए। यदि ऐसी स्थिति होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि इण्डियन ओशन के अन्दर जो सेवन्थ फ्लीट का मूवमेंट है, उनकी एअर फोर्स से पाकिस्तान में बेस बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि साउथ वियतनाम में हुआ था। एक सलाहकार मुख्यालय बनाया गया था अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से इस उपमहाद्वीप के ऊपर संकट के बादल छाए हैं। जहां तक अमेरिका की नीतियों का प्रश्न है, हमारे संबंध उनसे अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। इसके लए मैं आपको दोषी नहीं मानता।

आई० एन० एफ० ने भी हमारी खिलाफत की। हम चुपचाप दूसरी नीतियां बनाते रहे। वह आर्थिक पहलुओं पर विश्व के सामने ठुकरा देना चाहता है। कुछ प्रश्न फॉरेन पालिसी से भी जुड़े हुए हैं। मैंने कई बार कहा है कि कोई लेक्युना है जिसकी वजह से पड़ोसी देशों से हमारे सम्बंध सुधर नहीं पाते। गंगा-ब्रह्मपुत्र के पानी का समझौता बंगलादेश और नेपाल के साथ क्यों नहीं हो पाता ? आपने रिपोर्ट में भी कहा है कि हमारे प्रयास चल रहे हैं। मैं इस बात को मानता हूं। आपने रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया है कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध सुधरे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि आप अपने प्रयासों में कमी न रखें। नेपाल आज हिन्दुस्तान में रहता है और

हिन्दुस्तानी नेपाल में रहता है। इसी तरह बंगलादेश में भी हिन्दू रहते हैं। ऐसे मुल्कों के साथ हमारे संबंध मधुर होने चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाए। हो सकता है कुछ बड़ी शक्तियां इन पड़ौसी मुल्कों को आपसे अलग रखने की कोशिश कर रही हों। जब हम नान-एलाइनमेंट मूवमेंट की बात करते हैं और जिस वक्त पाकिस्तान में रेस्टोरेशन आफ डेमोक्रेसी का मूवमेंट हुआ तो हमने कहा कि हम डेमोक्रेसी का एक्सपोर्ट नहीं करते। हम उनके घर के मामले में दखलन्दाजी इसलिए करते हैं कि लोकतंत्र को बचाने की सारी जिम्मेदारी हमारी है। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि अमेरिका ने भी कई दिनों तक लोकतंत्र को बचाने के नाम पर दुनिया के मुल्कों में दखलन्दाजी करने का प्रयास किया। लेकिन असफलता ही उसके हाथ लगी। जब तक विदेश नीति का ढ़ाँचा डायनामिक नहीं होगा, वह आइडियलिस्टिक और नान-एलाइनमेंट का हो तो वह

3.00 म० प०

उस देश की हालात के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। उस देश की हालत क्या है। यदि उसके ऐनवायरनमेंट को ध्यान में नहीं रखा तो आपकी नीतियां जरूर गड़बड़ होंगी और उनको कहने का मौका मिलेगा कि भारत का इरादा कुछ सही नहीं है। मैं इसलिये इन बातों को कह रहा हूं कि हम कई गलतियां कर बैठते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि जो शक्तियां एशिया के अन्दर गड़बड़ी करना चाहती हैं वह खासतौर से हिन्दुस्तान को अच्छी निगाह से नहीं देखती हैं, उन्हें एक मौका मिलता है।

अफगानिस्तान की बात बहुत दिनों से चल रही है। हिन्दुस्तान को उसमें पहल करनी चाहिये। आप कहते हैं कि हो रही है, लेकिन उसका कुछ नतीजा अभी तक नहीं निकला। रशियन फोर्सेज को अफगानिस्तान से वापस जाना चाहिये और वहां शांतिपूर्ण स्थिति बननी चाहिये क्योंकि वह हमारा पड़ौसी मुल्क है। नागा होस्टाइल्स, मिजोरम होस्टाइल्स या बलोचिस्तान की बात करते हैं उनके पीछे क्या कारण हैं, कौन से देश पड़ौस में हैं उनके प्रति हमारी नीति कैसी हो इन सब बातों का ध्यान रख कर पड़ौसी मुल्कों के साथ हमारा व्यवहार होना चाहिये।

रूस और अमरीका दो सुपर पावर्स हैं। यदि वह हमारे हितों में बाधा पैदा करते हैं तो हमारी नीति में उसका प्रदर्शन होना चाहिये, और दक्षिण एशिया का हित इसी में है और खासकर 7 मुल्कों का, जिनकी मीटिंग अभी हुई थी, उनका हित इसी में है कि हम बड़ी शक्तियों से दूर रहें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो दक्षिण एशिया का निवास निश्चित है, और वह उस तरफ बढ़ रहा है।

श्रीलंका के बारे में श्री जी० पारथासारथी का प्रयास सराहनीय है, मैं उसकी तारीफा करता हूं। दो तीन कमेटियां वहां बनी हैं। लेकिन श्रीलंका को हमेशा मद्देनजर रखना चाहिये। डीगो गार्शिया में, इंडियन ओशन में मूवमेंट, ऐसे समय पर हमें श्रीलंका को, जो कि हमारा पड़ौसी है, अकेला नहीं छोड़ना चाहिये। इसलिये आपकी नीति अच्छी है, आपने प्रयास भी किया लेकिन कभी कभी गुस्से में ऐसी बातें कह दी जाती हैं जिसका रीऐक्शन हो जाता है। ऐसी बातें न कही जाएं में खासतौर से पड़ौसी मुल्कों के सम्बन्ध हैं।

दोनों ही पावर्स को मैं एक सा समझता हूं, लेकिन जहां तक अमरीका का सम्बन्ध है मैं उसकी आलोचना इसलिये कर रहा हूं क्योंकि उसकी भूमिका यूनेस्को में अच्छी नहीं रही। वह चाहता है कि निःशस्त्रीकरण की बात न हो, मानवता की बात नहीं होनी चाहिये इसलिये वहां से भाग रहा है। प्रचार के साधनों पर भी उसका प्रभाव रहे। यदि ऐसी स्थिति है तो हमें सोचना चाहिये कि कहीं ऐसे लोग न आकर वहां जम जायें जो लोगों को ऐक्सप्लायट करने में ही लगे

रहे । वहां के महानिदेशक की भूमिका सराहनीय है । सारी स्थिति भयंकर बन गई है । मैं विदेश मंत्री से आग्रह करूंगा, मेरी निगाह में उनकी बड़ी इज्जत है और वह बहुत समझदार लोगों में से हैं और उनको जानकारी भी है, लेकिन मेरा आग्रह है कि हम इवबीडिस्टेंस की थ्योरी को मानें, नान-ऐलाइनमेंट मूवमेंट की बात मानें, लेकिन देश हित को न भूलें । नेफा ऐसी स्थिति दोबारा न आये । डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात होगी तो जरूर कहूंगा । इसलिये हमें अपने पड़ौसी मुल्कों के साथ सम्बन्ध सुधारने चाहिये और उसका प्रयास निरंतर करना चाहिए । इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री दौलत सिंह जी जदेजा (जामनगर) : गत बारह महीनों के दौरान भारत के अन्तर-राष्ट्रीय सम्बन्धों के संदर्भ में अनेक नाटकीय और अभूत पूर्व घटनाएं घटित हुई हैं । परिणाम स्वरूप विश्व में भारत की छवि नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है ।

सातवां गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो भारत के नेतृत्व में गत वर्ष मार्च में आयोजित किया गया था नई दिल्ली में विश्व के लगभग दो तिहाई प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्रों के नेताओं को एक जुट कर पाया था । हमारे प्रधानमन्त्री ने गुट निरपेक्ष आन्दोलन का मेजबान और अध्यक्ष होने के नाते शान्ति और विकास के लिए वचन बद्ध विश्व की नयी व्यवस्था निर्मित करने के लिए आन्दोलन के भागी दारों से प्रतिज्ञा करवाई । इसी प्रक्रिया में आन्दोलन की एक नयी दिशा दी गई है और वह प्रयोजन से युक्त किया है ।

इसके बाद फिर से गुट-निरपेक्ष देशों की नेता होने के नाते प्रधानमन्त्री ने जो आह्वान किया उसके उत्तर स्वरूप सितम्बर में संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व के नेताओं ने भारी संख्या में भाग लिया, और हमारी प्रधानमन्त्री ने महा सभा के 38 वें अधिवेशन में जो गुट-निरपेक्ष देशों का नयी दिल्ली में दिया गया सन्देश प्रस्तुत किया उसका विश्व की-महा सभा ने बड़े उत्साह से स्वागत किया गया और जय जयकार की गई ।

इसके बाद नवम्बर में राष्ट्र मंडल के देशों के राज्याध्यक्षों की नई दिल्ली में मेहमाननबाजी की गई, एक बार फिर हमारी प्रधान मन्त्री ने उक्त तीनों घटनाओं से विश्व में भारत की ऐतिहासिक भूमिका एक नई सीमा पर पहुंच गई है । और समग्र विश्व भारत की विश्व में शांति और न्यायोचित अवस्था के उद्देश्य के प्रति निर्दोष आस्था और वचनबद्धता का पूरी तरह से कायल है ।

आज के संकट ग्रस्त संसार में गुट-निरपेक्षता इतनी संगत है और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में भारत का नेतृत्व इतना प्रभावशाली है कि नई दिल्ली शिखर सम्मेलन ने आन्दोलन में भागीदार देशों की संस्था में अभूतपूर्व वृद्धि को लक्षित किया ।

देश और उपमहाद्वीप जो कुछ वर्षों पहले तक कुछ तटस्थ थे और कभी-कभी गुट-निरपेक्षता के विचार का तिरस्कार करते थे वे भी अब नई दिल्ली शिखर सम्मेलन द्वारा नीति संबंधी महत्वपूर्ण पहलकदमियों में काफी दिलचस्पी दर्शा रहे हैं ।

केवल लातीनी अमरीका के दूरस्थ उप महा द्वीपों के दो या तीन गणतन्त्रों को छोड़ कर उस क्षेत्र के शेष सभी देश किसी न किसी रूप में गुट-निरपेक्ष आंदोलन से सम्बद्ध हैं । गुट-निरपेक्ष आंदोलन की बढ़ती हुई संगति का यह स्पष्ट सूचकांक है ।

आज इस क्षेत्र के देश उच्च शक्ति की दुश्मनी के भंवर जाल में बुरी तरह से फंसे हुए हैं तथा सेन्ट्रल अमरीका कैरिबियन और दक्षिण अटलांटिक महासागर के क्षेत्रों में शीत युद्ध के जख्मों के निशान बडे साफ दिखाई दे रहे हैं । इसके अतिरिक्त साथ ही भारत के नेतृत्व में गुट-निरपेक्ष आंदो-

लन द्वारा की गई पहल दूरदर्शिता की परिचायक है। जो कि सेन्ट्रल अमरीका में उच्च शक्तियों का वैरभाव, ग्रेनाडा में अमरीका द्वारा आक्रमण तथा दक्षिणी अटलांटिक में मेल्विनास के लिए गोली बारी जैसे विषयों से संबन्धित है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए एकमात्र व्यवहारिक आधार यही पहल कदमियां हैं। इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि गुट-निरपेक्ष पहलकदमियों का संयुक्त राष्ट्र जैसे विश्व स्तर के निकायों तथा लातीनी अमरीका स्थित देशों के कोंटाडोरा समूह जैसी क्षेत्रीय शक्तियों ने इसका स्वागत किया है ।

केवल यही नहीं बल्कि जैसाकि हमारे प्रधानमन्त्री ने संक्षेप में संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष अपने भाषण में प्रस्तुत किया है कि भारत का विश्वसनीय मिशन है "तनाव के स्रोत को ही समाप्त कर शांति बनाए रखना और मानव जाति में मानवीयता जागृत करना"—इसका लातीनी अमरीका के नेताओं पर काफी गहन और स्थायी प्रभाव पड़ा है ।

हम इस प्रभाव का विस्तार और गहनता आंकने में सफल हो गए हैं। हमारे विदेश मन्त्रालय के राज्य मन्त्री ने विशेष दूत के रूप में अर्जेंटीना के द्वारा दमनकारी सैनिक शासन के भयावह स्वप्न से उबरने के बाद निर्वाचित नए असैनिक राष्ट्रपति के रूप में डॉ० राउल अल्फोन्सिन के शपथ-ग्रहण समारोह में भाग लिया था । श्री रहीम ने वापसी के बाद बताया कि अर्जेंटीना के नेताओं से हुई बातचीत में इस बात को विशेष बल दिया गया है कि हमारे प्रधानमन्त्री गुट-निरपेक्ष आन्दोलन संबंधी कार्यों के बारे में मार्गनिर्देश करती रहें। उन्होंने और आगे बताया कि वे भारत से तनाव ग्रस्त क्षेत्रों में तनाव दूर करने के लिए तथा नयी अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यस्था की स्थापना के सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं।

राष्ट्रपति अल्फोन्सिन ने वस्तुतः एक बहुत रचनात्मक और ठोस कदम उठाया है कि हमारे प्रधानमन्त्री से वर्तमान विश्व की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता अर्थात् निरस्त्री करण पर विचार-विमर्श करने के लिए एक बैठक आयोजित करने के लिए अनुरोध किया है ।

मुझे पूरी तरह से आशा है कि हम राष्ट्रपति अल्फोन्सिन के आह्वान के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। और निरस्त्रीकरण के बारे में एक बैठक आयोजित करेंगे। यह आवश्यक ही नहीं वरन् अनिवार्य है। क्योंकि दक्षिण अटलांटिक क्षेत्र में उच्च शक्ति की दुश्मनी पहले से ही चल रही है और इसीलिए संभव है —जैसाकि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने अनुरोध भी किया है दक्षिण अटलांटिक की—"एक और हिंद महासागर" बनाया जाए।

अभी हाल ही में लातीनी अमरीका के देशों और कैरिबियन ने संयुक्त रूप से आर्थिक कार्य वाही की योजना स्वीकार है जो कि मैं समझता हूं नई दिल्ली में आयोजित गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का ही रचनात्मक परिणाम है। हमारी प्रधानमन्त्री ने गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में आह्वान किया था कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के पुनर्निधारण में आवश्यक तत्व के रूप में प्रगतिशील देशों में परस्पर क्षेत्रीय सहकारिता को बढ़ाया जाए और प्रोत्साहित किया जाए उसके प्रतिक्रिया स्वरूप इन क्षेत्रों के छब्बीस देशों ने क्विटो इकेडर में जनवरी के दूसरे सप्ताह में एक बैठक आयोजित की और एक घोषणा की जिसे क्विटो की घोषणा (डेक्लरेशन आफ क्विटो) के नाम से जाना जाता है। 'क्विटो घोषणा' का मुख्य बल लातीनी अमरीकी क्षेत्रीय एकता को सशक्त करने तथा विश्व अर्थ व्यवस्था की पुनरुज्जीवित तथा विकास के लिए संयुक्त नीति को प्रोत्साहित करने पर है।

क्विटो बैठक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इससे लातीनी अमरीका और कैरिबियन को फिर से एकता के पथ पर वापस आए जिसे यह सहकारिता और एकीकरण की उनकी ही प्रणालियों के माध्यम से ही मजबूत किया जाना चाहिए उस क्षेत्र की सरकारों ने यथार्थवादी रवैया अपनाते हुए उन प्राथमिक क्षेत्रों का पता लगाया है जिन पर ध्यान दिया जाना है और राजनैतिक निर्णय लिया जाना है।

सबसे रोचक बात यह है कि क्विटो घोषणा में निर्धारित कार्यवाही की योजना सातवें गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन की आर्थिक घोषणाओं के रूप में अपनाई घोषणाओं के अनुरूप है। हमारा यही देखना प्रयास होना चाहिए कि विश्व अन्यत्र अधिकाधिक विकासशील देश क्विटो के उदाहरण का पालन करें जो काफी हद तक नयी दिल्ली के संदेश के कारण ही कार्य रूप ले सका है।

इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के बड़े देशों ने भारत के साथ अपने उभय पक्षीय सम्बन्धों को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है।

गत दो वर्षों में मैक्सिको और वेनेजुएला के नेताओं के राजकीय यात्राओं पर वहां आने के बाद इस वर्ष कुछ सप्ताह पहले ब्राजील के विदेश मंत्री रामीसे सरैवा गुएर्रेरो नई दिल्ली आए थे जिनके साथ एक विशाल शिष्टमंडल था जिसमें उद्योग, वाणिज्य और तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल थे। इससे पहले जब ब्राजील के विदेश मंत्री ने लगभग पंद्रह वर्ष पहले 1968 में भारत का दौरा किया था तो भारत और ब्राजील ने व्यापार और टैरिफ के मामले में तरजीह दिए जाने वाले राष्ट्रों के अनुरूप पारस्परिक विस्तार के लिए सीमित व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए थे।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि हमारे विदेश मन्त्री ने यह आश्वासन दिया है कि निकट भविष्य में ब्राजील से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में समझौता करने के अतिरिक्त हमारी सरकार व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रोद्योगिकी सहकारिता सम्बन्धी संयुक्त आयोग के शीघ्रातिशीघ्र गठन पर विचार कर रही है जिससे दोनों देशों के बीच इन क्षेत्रों से सहकारिता बढ़ाने के लिए संरक्षात्मक ढांचे की व्यवस्था की जा सके।

निस्संदेह इन्फार्मैटिक्स, माइक्रो इलैक्ट्रानिक्स, सिलिकॉन प्रौद्योगिकी, रसायन-शास्त्र, इन्स्ट्रूमैंटेशन, कृषि, अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, समुद्र विज्ञान तथा ऊर्जा के पुनर्नवीकरणीय स्रोत तथा गोबर गैस और प्रतिस्थापन के रूप में अल्कोहल का उपयोग जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक सहकारिता और संयुक्त अनुसंधान के लिए काफी सम्भावनाएं हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत और ब्राजील के बीच प्रस्तावित संयुक्त आयोग विकासोन्मुख देशों में पारस्परिक सहकारिता का एक सकारात्मक आरम्भिक उपाय होगा तथा भावी पथ का उदाहरण साबित होगा।

इसी पृष्ठभूमि को देखते हुए मेरा खयाल है कि मैक्सिको और अर्जेंटीना की हमारे राष्ट्रपति द्वारा प्रथम बार यात्रा एक खास मायने रखती है। एक बात तो यही है कि इसका ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि भारतीय-लातीनी अमरीकी सम्बन्धों के कारण क्रम में विश्व के इस मार्ग का भारतीय राष्ट्रपति ने पहली बार दौरा किया है। यह भी विशेष बात है कि हमारे राष्ट्रपति ऐसे समय वहां का दौरा कर रहे हैं जबकि लातीनी अमरीका के राजनैतिक वातावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ रहे हैं। वस्तुतः अर्जेंटीना में असैनिक प्रजातंत्र की वापसी लातीनी अमरीका के भावी राजनैतिक शासनों के मामले परम्परा का स्थापक बन गया है। साथ ही इस क्षेत्र के देशों में पहले से अधिक एकता हो गई है और बढ़ती ही जा रही है जैसा कि कैन्टाडोरा देशों के समूह द्वारा सेन्ट्रल अमेरिकन संकट के बारे में किए गए संकल्प तथा क्षेत्र के आर्थिक संकट का सामना करने के लिए एक

सामान्य समाधान की प्राप्ति के लिए सभी लातीनी अमरीकी देशों द्वारा अपनाए गए 'क्विटो डेक्लेरेशन से स्पष्ट है।

इस बदलते रचनात्मक संदर्भ में हमारे राष्ट्रपति लातीनी अमरीका की एकता और प्रजातंत्र के दो महत्वपूर्ण आधार स्तम्भों का दौरा कर रहे हैं एक उत्तर में मैक्सिको है तथा दूसरा सुदूर दक्षिण में है—अर्जेंटीना।

भारत की ही तरह ये दोनों देश मिलकर विकाशील देशों के हित में एक लम्बे अरसे से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी शक्तियों के दबाव में आने से इन्कार करते रहे हैं और काफी हद तक ऐसे दबाव का प्रतिरोध करने में सफल रहे हैं। भारत की ही भांति वे विकसित हैं और देश का विकास कर रहे हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक वितरण को समरूप बनाने के लिए उत्तर-दक्षिण वार्ता से पहले दक्षिण-दक्षिण वार्ता पर विशेष ध्यान दे रहे है। इस प्रक्रिया में वे भारत का सम्मान करते हैं क्योंकि अनेक घरेलू समस्याओं के बावजूद इस विश्व की शांति और विकास के लिए एक नीति अपनाए हुए हैं। अर्जेंटीना और मैक्सिको हालांकि बहुत दूरस्थ देश हैं फिर भी भारत से उनका राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से सम्पर्क अत्यन्त निकट सा हो गया है तथा संस्कृति का और आर्थिक आदान-प्रदान के लिये प्रयास किया जा रहा है।

यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है कि इस क्षेत्र के देय विश्व मंच पर अत्यन्त महत्वपूर्ण और रचनात्मक भूमिका अदा कर रहे हैं। विश्व में नयी व्यवस्था कायम करने के उनके बढ़ते प्रयास अमहत्त्वपूर्ण नहीं हैं।

अतीत में हमारे सम्बन्ध लातीनी अमरीकी देशों के साथ हमारी विदेश नीति के अनुसार कोई खास अच्छे नहीं थे। अब हमें लैटिन अमरीकी देशों के साथ सम्बन्ध बनाने होंगे।

इन कारणों से, मैं विदेश मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। इस मंत्रालय में किए गए विनियोग से बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। अन्तर्रास्ट्रीय स्तर पर हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है। तथापि, हमें अभी बहुत कुछ हासिल करना है सुदूर लातीनी अमरीकी देशों में हमारे कूटनीतिक मिशनों को मजबूत बनाना होगा, उन का विस्तार करना होगा तथा उन के लिए अधिक निधियां उपलब्ध करानी होगी ताकि यह बढ़ते हुए कूटनीतिक कामों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसके लिए जिन देशों में मिशन नहीं हैं। वहां उन की स्थापना करनी होगी।

मुझे यह विश्वास है कि अपने मिशनों पर हम जितना अधिक संसाधन खर्च करेंगे उन से हमारे आपसी समान हितों को बल मिलेगा तथा लातीनी अमरीकी और कैरीबियन देशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्धों का मार्ग प्रशस्त होगा।

श्री बिजू पटनायक (केंद्रपाड़ा) : सभापति महोदय विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा जो कुछ कहा गया है, वह मैंने ध्यान पूर्वक सुना है। मैं यह समझता हूं कि हमारे विदेश मंत्री द्वारा, हमारे विदेश सम्बन्धों की विश्व-व्यापी पुनरीक्षा की गई है।

कुछेक बातें हैं। हमारे निकट पड़ोसी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध किस प्रकार के हैं इस बारे में कोई पूछ सकता है। कुछ समय पहले की बात है जब हम भारत सरकार में थे। सभी दक्षिणी एशियाई देशों के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे थे, यह उनका कहना है हमारा नहीं। यह समझना कठिन है कि किस कारण से हमारे और दक्षिणी एशियाई देशों के मित्रतापूर्ण सम्ब्रन्ध इतने खराब हो गए कि हम युद्ध की बात करते हैं अथवा युद्ध के बारे में सोचते हैं अथवा हम युद्ध कर रहे जैसे प्रतीत होते हैं तथा दूसरों के लिए यह सोचते हैं कि वह भी युद्ध करेंगे। हम युद्ध की संभावना की बात करते हैं, ऐसे भी संसद सदस्य हैं—अभी वे यहां नहीं हैं—जो एक वर्ष अथवा नवंबर

अथवा चुनावों के आस पास लडाई होने की बात करते हैं। अभी हाल ही में मैं और ऐसे माननीय मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज इस्लामाबाद गए थे। निश्चय ही हमने अपने विदेश मन्त्री को यह बताया था कि हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। हम कल ही वापिस आए हैं, हमने वहां पर लगभग तीन दिन बिताए तथा हम उस सरकार के सभी वरिष्ठ नेताओं से मिले। हमने पाकिस्तान के राष्ट्रपति सहित उन सब के साथ मित्रता पूर्वक बातचीत की, हमारे संबंध मित्रता पूर्ण रहे। कुछेक सवाल हम से पूछे गए थे तथा हमने भी उन से ऐसे ही अप्रिय सवाल किए थे। उदाहरण के लिए हमने उन से यह पूछा" आप को हारपून किस लिए चाहिए, निश्चित है, अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए नहीं चाहिये। उन्होंने कहा, आप को हमारी सेना से तिगुनी नौ सेना की जरूरत क्यों है? क्या आप को अमरीकी नौ सेना से युद्ध करना है?" हम मिलिट्री कमांडरों, उन के स्ट्रेटेजिक स्टडी डायरेक्टर्स तथा उनके इंटरनेशनल रिलेशन्स डायरेक्टर्स से प्रश्न पूछ रहे थे जो सभी सैनिक हैं, हमने विदेश मन्त्री अन्य लोग एवं राष्ट्रपति से भी प्रश्न पूछे। हमारे बीच जो संदेह का वातावरण व्याप्त है उसके बारे में मैं इस सभा से कुछ कहना चाहूंगा। जबकि श्री रसगोत्रा सम्मेलनों का आयोजन कर रहे हैं हमारे विदेश मंत्री सम्मेलनों का आयोग कर रहे हैं तथा विदेश मंत्रालय द्वारा हमें जो रिपोर्ट उपलब्ध कराई हैं, उन के अनुसार, सम्मेलन होते रहेंगे, लेकिन क्या कारण है कि कि बड़े देश भारत और अन्य छोटे देशों के बीच संबंध घनिष्ठ एवं सौहार्द्र पूर्ण नहीं हो पा रहे? इस्लामाबाद में हमें यह बात कही गई कि भारत एक बड़ा देश है—वह ऐसा कहते हैं, तथा उसे अपने व्यवहार में उदार होना होगा न कि वह हमें डराए धमकाए। इस प्रकार हमने प्रश्न पूछे, मैंने यह कहा, "आपको एफ-165 की क्या जरूरत थी, आपको स्पैरो और हारपून्स आदि उपकरणों की, जो कि आप बटोर रहे हैं, क्या जरूरत है, आप हमें कहीं और से बेहतर उपकरण खरीदने के लिये बाध्य कर रहे हैं जिससे कि बराबरी या सन्तुलन जो भी आप कहें, बना रहे।" इस पर उन्होंने यह प्रश्न पूछे। "क्या कारण है कि भारत में हमारे से 2½ गुना अधिक टैंक क्षमता है? "टैंक हिमालय पर नहीं चढेंगे" वह बंगाल की खाड़ी अथवा अरब सागर में भी नहीं जाएंगे। इन का उपयोग हमारे खिलाफ ही होगा। अगर आप मित्र 29 एस अथवा 51 एस आदि खरीद रहे हैं, जो कि एफ-165 से बेहतर है, तो हम शिकायत नहीं कर रहे, फिर आप क्यों शिकायत करते है।" आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि अगर वह कुछ विमान खरीदते हैं तो उन से इतना बड़ा खतरा हो सकता है। जिया ने ऐसे कुल 40 विमान खरीदे हैं। हमारे विदेश मन्त्री और प्रधान मन्त्री ने हमें यह बताया है। उन्होंने यह कहा है "मैंने आपके प्रधान मन्त्री को यह बताया है कि ऐसे 40 विमान हैं, इन में से 20 खुले हुए अथवा मरम्मत की हालत में होंगे। क्या यह महत्त्व रखता है? जो इस काम में काफी पहले से रहा हो, क्या आप यह मान सकते हैं कि 20 एफ-16 भारत में विनाश कर सकते हैं? इस प्रश्न का जवाब इस प्रकार देने से तो यही लगता है कि यह जवाब बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं दिया गया। इस प्रकार उस देश के सोचने के ढंग हमारे देश के सोचने के ढंग में सुस्पष्ट अन्तर है। क्या यह जान बूझ कर किया गया है? क्या कुछेक अप्रत्यक्ष उद्देश्यों को पूरा करने के लिये ऐसा नहीं किया गया? भारत की संसद के लिए यह आवश्यक है कि वह इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करे?

मेरे ख्याल में विदेश मन्त्री दो नौकर, जिन्हें वहां से निकाल दिया गया था, अथवा जो पाकिस्तान से भाग निकले थे, जिसमें इण्डियन एयर लाइन्स के भी कुछ कर्मचारी शामिल थे, की तथाकथित घटना से उत्पन्न स्थिति से पूरी तरह परिचित है। संसद में इसका जिक्र करना असंगत

नहीं होगा—मेरे ख्याल में यह उचित स्थान है—कि राष्ट्रपति क्या अभी भी यह बात मानते हैं कि यह दोनों व्यक्ति 'रॉ' के थे तथा उन के लिए परेशानी उत्पन करने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने मुझे और श्री जार्ज फर्नान्डीज को यह स्पष्ट रूप से बताया। मैंने उन्हें कहा कि ऐसा संम्भव नहीं है। राष्ट्रपति के मिलने से पहले हमने अपने राजदूत से बातचीत की थी। मैंने उन्हें कहा था कि हमारे राजदूत दोहरी चाल नहीं चल सकते या तो यह सही नहीं है अथवा उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने यह कहा कि "मैं दूसरी बात मान सकता हूं आपके राजदूत दोहरी चाल नहीं चल सकते, मैं उन्हें जानता हूं, मैं उन के आचरण से संतुष्ट हूं, मैं यह कहूंगा कि वह इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते।" इस सीमा तक यह सही है। लेकिन जहां तक दूसरे भाग का संबंध है, अगर इसमें कोई सच्चाई है कि भारत ने 'जेम्स बांड गेम' खेला है तो मैं यह कहूंगा कि यह भारत प्रवृति के अनुकूल नहीं है, यह न तो हमारे हित में ही है तथा हमारे स्वभाव के अनुकूल भी नहीं है।

जब रिसर्च एण्ड एनेलसिस विंग पण्डित जी के समय मेरे द्वारा बनाया गया था, तथा मुझे उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो मुझे विश्वास नहीं था कि 1983 में ऐसा भी हो जाएगा कि कुछेक लोगों को हमारी प्रधानमन्त्री को बताए बिना, बाहर भेजा जाएगा। क्योंकि संसार में सबको यह मालूम है कि सी०आई०ए० इस प्रकार के कार्य करती है तथा बहुत बार अमरीकी राष्ट्रपति को भी उसकी जानकारी नहीं होती है। वे आफ पिग्स, ईरान अथवा चाइल आदि एवं बहुत से मामलों में उनकी सरकार की प्रतिष्ठा कम हुई है। मुझे आशा है, यहां ऐसा नहीं होगा।

हमारे अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर ने हमें एक-एक बार के समस्त दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जाने की सलाह दी थी तथा यह पता लगाने के लिए कहा था कि भारत में विश्वास की कमी, जो कि कुछ साल पहले थी, किस कारण से थी। मुझे आशा है कि यह बताते हुए मैं इस सभा का समय बर्बाद नहीं कर रहा कि जब हमने पाकिस्तान में श्री मोरारजी का नाम लिया तो उन्होंने कहा जब श्री मोरारजी प्रधानमन्त्री थे, उस समय निश्चित रूप से ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें न केवल हम बड़े भाई की तरह मानते हैं अपितु समस्त दक्षिण एशियाई देश चाहे नेपाल हो, चाहे बंगला देश और चाहे श्री लंका भी ऐसा ही मानते हैं। ऐसा हमें भरोसा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम नहीं जानते। यह क्यों बिगड़ रहे हैं? हमें नहीं मालूम। यह निश्चित है कि हमारे द्वारा खरीदे गए कुछेक विमानों से भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास हमारी अपेक्षा काफी अधिक शास्त्रास्त्र हैं तथा उनकी नौ-सेना हमारी नौ-सेना से काफी बड़ी है। अन्य स्टैंडर्ड उपकरण जैसे टैंक बन्दूक आदि की भी यही स्थिति है।

महोदय, इसलिए मैं माननीय मन्त्री से जो यह कार्य कर रहे हैं, यह अनुरोध करूंगा कि वह प्रधान मन्त्री के साथ वास्तव में अन्तिम रूप से इस बारे में विचार करें कि हमारे निकट पड़ोसी देशों के साथ संपर्क स्थापित करने के क्या मानदण्ड होंगे तथा यह पता लगाएं कि हम किस कारण से उनके साथ युद्ध वर्जन सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे अथवा किस कारण से वह हमारे साथ शान्ति और मित्रता सम्बन्धी पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। वास्तव में दोनों बातें एक ही हैं, जो शिमला समझौते में की गई थी।

जब मैंने श्री जिया से यह पूछा कि इस सन्धि का क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि जब वह प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधी से मिले थे तो उन्होंने उनके समक्ष इसे प्रस्तुत किया था तथा यह कहा था: यह युद्ध-वर्जन सन्धि है, हम इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। मैंने पूछा: क्या युद्ध वर्जन सन्धि में कश्मीर भी शामिल है? उन्होंने बताया: हां कुछ भी हो, हमारे बीच युद्ध नहीं होगा, कुछ भी हो हमारे बीच सशस्त्र लड़ाई नहीं होगी।

जो भी विवाद हो हमारे बीच कोई सशस्त्र लड़ाई नहीं होगी। सशस्त्र लड़ाई से हम कुछ नहीं सुलझायेंगे, मैं नोवार पैक्ट तथा ट्रीट्री आफ फ्रेंडशिप का यही मतलब समझता हूं। हम नेहरू के जमाने से ये बातें आपके सामने रखते आए हैं। उन्होंने कहा "यह ठीक है कि उस समय अयूब ने इसे स्वीकार नहीं किया परन्तु एक या दो खंडों को छोड़कर वही आपके सामने रख रहे हैं, जो कि मुझे विश्वास है कि श्री नरसिंह राव को मालूम है। जब आप ये कहते हैं कि सभी कुछ द्विपक्षीय अथवा ऐसे ही किसी तरीके से सुलझाया जाना चाहिए तो मुझे यकीन है कि श्री नरसिंह राव अपनी क्षमता तथा वाक् पटुता से ये कर पायेंगे। परन्तु मैं सदन से तथा सरकार से पूछता हूं कि यदि हम शांतिपूर्वक तथा मित्रभाव से रहना चाहते हैं तो क्या ये समय पिछली बातों को भुला देने का नहीं है? क्या यह देश पांच या दस वर्षों के बाद ऐसे समय भी कल्पना नहीं कर सकता जबकि यह महाद्वीप अपने शस्त्रों में कमी कर देगा ? हम इस पर 6000 से 7000 करोड़ रुपये व्यय कर रहे है तथा वो 3000 से 4000 करोड़ रुपये व्यय कर रहे हैं। दोनों को मिलाकर कुल 10,000 करोड़ रुपये से अधिक बनते हैं जो कि उपमहाद्वीप में शस्त्रों पर खर्च किए जा रहे हैं जहां कि 40 से 50 करोड़ लोग गरीबी में रह रहे हैं। हम ये 10,000 करोड़ रुपये किसकी सुरक्षा के लिए खर्च कर रहे हैं ? किसके लिए लड़ रहे हैं ? यदि ये दोनों मिलकर नहीं रह सकते तो सभापति महोदय भारत के लोग कभी इन्सानों की तरह जीने की आशा नहीं कर सकते। हमें तब तैयारी अवश्य करनी चाहिए जब हमें ये महसूस हो कि किसी के आक्रामक होने की सम्भावना है तथा उसके हथियार हमारे हथियारों की अपेक्षा कहीं अधिक हैं। परन्तु क्या ऐसा इस मनोविकृति के कारण नहीं हो रहा कि डर के कारण ही डर पैदा होता है ? ऐसा कहा जाता है कि भारत को शस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि भारत की निरस्त्र क्षेत्रों में बिना कोई गोली चलाए जीत होती है। यह भारत का इतिहास तथा महानता है। ये शब्द मैं नहीं कह रहा बल्कि स्ट्रेटजिक स्टडीज के निदेशक द्वारा उद्धृत किए गए हैं। उनकी पुस्तक का अन्तिम पैरा है। इसे बड़ी भली प्रकार लिखा गया है और मुझे यकीन है कि विदेश मन्त्री के पास इसकी एक प्रति है।

महोदय, यदि हम इस उपमहाद्वीप में शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं जैसा कि रहना चाहिए, तो लड़ाई करने की बात करने अथवा मुद्दे उठाने अथवा शक जाहिर करके देशों का क्रोध नहीं बढ़ाना चाहिए कि हां, हम लड़ेंगे। इससे पहले भी लड़ाइयां हुई हैं। मैंने उन्हे बताया" आप तीन बार लड़ाई शुरू करने के दोषी हैं।" उन्होंने कहा हां, हम ऐसा करते रहे हैं और हमें उसके लिए अफसोस है। उन्हें यह बात मालूम है मेरी राय में उनके नेता इस बात के प्रति जागरूक हैं कि 1971 में उन्हें आगरा तथा अन्य स्थानों पर बम फेंकने के लिए विमान नहीं भेजना चाहिए था परन्तु उन्होंने कहा देखो आपने इससे क्या किया है ? हमारे 100,000 लोग लड़ाई में बन्दी बना लिए गए और क्या आपको मालूम है कि जब ये 100,000 लोग बन्दी थे पाकिस्तान के विभिन्न भागों में 100,000 परिवारों के लोग उनकी रिहाई तथा सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे और क्या आपको मालूम है कि हमारी औरतें और माताएं बच्चों को क्या बता रही थीं ? वो उन्हें बता रही थी, "तुम्हारे पिता अथवा पति हमारे दुश्मन देश भारत में बन्दी हैं।" उन्होंने कहा "श्री पटनायक क्या आप ये समझते हैं कि एक जेनरेशन में इस जख्म को भुलाया जा सकता है। विदेश मन्त्री श्री नरसिंह राव जी आप पर एक मुश्किल काम की जिम्मेदारी हैं। आपके ऊपर वास्तव में बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे उन भाइयों के जख्मों को भरें जिन्हें कि अंग्रेजों ने इससे अलग करदिया है। हमारे दिमाग में हमारे भाइयों ने दुश्मनों का तथा उनके दिमाग में हमने दुश्मनों का स्थान ले

लिया है। यदि ऐसा सम्भव हो कि हम अपने भाई चारे के व्यवहार से अपना एक अंग बना सकें और वो हमारे साथ सुरक्षित महसूस कर सकें तो मैं समझता हूं कि इस बड़ी शस्त्र-अस्त्र की दौड़ की भविष्य में कोई जरूरत नहीं रह जायेगी। और इस दौड़ के कारण हमारे देश तथा उन देशों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है जो कि गरीबी में रह रहे हैं।

3.38 म० प०

(डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी पीठासीन हुईं)

महोदय, मैं अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर वाद-विवाद नहीं करना चाहता क्योंकि वह हमारे लिए तत्काल चिंता का विषय नहीं है। हम आशा करते हैं कि हम इस समस्या पर काबू पा सकते हैं। वे शांति की बात करते हैं और मेरा ख्याल है कि हमारे मन्त्री महोदय ने सही कहा है कि "आप को दो गुना शांति की बात करनी चाहिए। यदि ये पाकिस्तान द्वारा शुरू की जाती है तो वो भारत की ओर से दो गुना प्रयत्न करेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये शांति की बात जो कि एक कठोर शब्द है परन्तु हमारे तथा पड़ोसी कुछ देशों के बीच शान्ति के लिए पहल होनी चाहिए।

यदि अमरीका के लोग अपने विश्व व्यापी नीति को बढ़ावा देने हेतु इस उपमहाद्वीप में समस्यायें पैदा करते हैं और यदि हम अपनी बुद्धिमत्ता से भारत में जहां हमारी सरकार के नेताओं में बुद्धिमत्ता की कमी नहीं है हम उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर नहीं निकाल सकते तो क्या मैं श्री नरसिंह राव से पूछ सकता हूं कि हम किसे दोषी ठहरायेंगे। ये बातें हैं जिन पर संसद को विचार करना चाहिए। और मन्त्री महोदय जब आप अपनी द्विपक्षीय वार्ता अपने स्तर पर तथा सचिव स्तर पर अन्य देशों के इन्चार्ज के साथ आगे बढायें तो क्या मैं अधिक सहन शक्ति और धैर्य तथा अपनी प्राकृतिक शक्ति तथा प्राकृतिक बड़े स्वरूप तथा बड़ी शस्त्र-शक्ति जो हमारे पास है, कम, मैं दोहराता हूं कम भयभीत करने की सिफारिश कर सकता हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) मैं विरोधी दलों में अपने मित्रों के इस विचार में सहमत हूं कि हमें अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय से भारत की यह नीति रही है और श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा भी यही नीति उपयुक्त रूप से बुद्धिमतापूर्वक तथा सलीके से अपनाई जा रही है। मुझे इस बात की पुष्टि करके तथा यह कहते हुए खुशी हो रही है कि ये नीति लाल बहादुर शास्त्री द्वारा तथा श्री मोरार जी देसाई द्वारा भी अपनाई गई। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे मित्र श्री बीजू पटनायक आ गए हैं तथा उन्होंने पाकिस्तान से यह सन्देश दिया है कि वहां श्री मोरार जी देसाई के लिए स्नेह तथा प्रशंसा है। मैं इन विचारों का स्वागत करता हूं क्योंकि मोरार जी देसाई हमारे देश के नेताओं में से एक हैं। कम से कम एक व्यक्ति ऐसा है जिसके लिए उनकी अच्छी राय है। ऐसा क्यों है कि उनकी हम में से बहुतों के लिए ऐसी राय नहीं है जो कि सदा उनके मित्र रहे हैं, न केवल अभी बल्कि संविधान बनने से बहुत पहले से पाकिस्तान बनने से पहले उनके संविधान निर्माता जिन्ना के समय से केन्द्रीय विधान सभा में इसी हाल में हमारे मित्र हुआ करते थे। हमारे माननीय मित्र ने हमें बताया कि पाकिस्तान में उनकी पत्नियों बेटों तथा बेटियों के विचार इस बात से खराब हुए क्योंकि 90,000 व्यक्ति यहां बंदी थे न कि इस बात से कि हम उनके विरुद्ध बोलते थे अथवा हमने उनके विरुद्ध कोई बुरे विचार बना लिए थे उनसे हमारे बन्दी बनने के लिए किसने कहा था? वो हमारे बन्दी इसलिए बने क्योंकि उन्होंने लड़ाई की। हमने शुरूआत नहीं की। शुरूआत उन्होंने की है। उन्होंने युद्ध की घोषणा, बल्कि अघोषित युद्ध किया है। उन्होंने खुद को हराया तथा युद्ध समाप्त कर दिया। हथियार भी

नहीं डाले और इस प्रकार हम पर बोझ बन गए। हमने उन्हें बिना शर्त छोड़ दिया। उनसे हमें आभार तथा प्रशंसा की आशा थी। परन्तु इसकी अपेक्षा, मेरे मित्र हमें सावधान करना चाहते हैं कि उन लोगों की कृतज्ञता की भावना के बारे में सोचो। क्या मेरे माननीय मित्र अपनी आखिरी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान से यही संदेश लाए हैं ? उन्हें पहले भी अनुभव है। ये एक बहादुरी भरा अनुभव था। जब इण्डोनेशिया स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था और सुकार्नो को किसी मित्र की आवश्यकता थी तो मेरे माननीय मित्र ने अपने आपको एक अच्छे मित्र की भान्ति पेश किया। इस प्रकार वे हमारे लिए सुनाम लाए। परंतु आखिरी यात्रा इस प्रकार नहीं रही। वे स्वतंत्र हैं। पूरी तरह से स्वतंत्र।

थोड़े समय पहले हमारे विदेश मन्त्री श्री नरसिंह राव उनके विदेश मन्त्री श्री आगा शाही से मिले थे। श्री आगा शाही ने उन्हें गले से लगाया और कहा "हम मित्र बनेंगे और हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं जो हमारी मित्रता बढ़ने के रास्ते में रुकावट हो।" और अब वही पाकिस्तान हमारे विरुद्ध है ; वही पाकिस्तान एक के बाद एक विभिन्न हथियारों के लिए अमरीका के पीछे भाग रहा है। इस देश के तथा हमारे देश के बीच यह हथियारों की दौड़ किसने शुरू की है ? हमने नहीं की। ये पाकिस्तान ने की है। उन्होंने 'नो वार पैक्ट' पेश किया था। हमने कहा "हां, ये विस्तृत होना चाहिए।" हमने ये नहीं कहा था कि हम उनके साथ युद्ध करने वाले हैं। हमने ये नहीं कहा। ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में भारत के लिए अत्यधिक नफरत है ? हमें इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। मेरे माननीय मित्र दूसरे दल के हैं और मैं इस दल का हूं। परन्तु हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। हम तब भी इकट्ठे थे जब वास्तविक गुट-निरपेक्षता के कार्यान्वियन का प्रयत्न किया जा रहा था। हम उनके साथ थे। उन्हें भी अपने देश को मजबूत बनाने के लिए हमारे साथ होना चाहिए। हमना तो अमेरिका और न ही रूस की शरण में भागे हैं। पाकिस्तान भागा है और उन्हें इस बात का गर्व है कि उनकी रक्षा करने के लिए अमरीका उनके साथ है। ऐसा क्यों महोदय ? मैं नहीं जानता कि मेरे माननीय मित्र ने उन्हें आश्वासन दिया है अथवा नहीं मुझे आशा है कि उन्होंने ऐसा किया है क्योंकि वे हम सब की तरह देश भक्त हैं और उन्होंने ये आश्वासन दिया होगा कि हम पाकिस्तान का एक इंच भी नहीं लेना चाहते। हम एक भी पाकिस्तानी को बन्दी नहीं बनाना चाहते और उन्हें अपने नागरिक की तरह यदि उन्हें कुछ और लोगों की आवश्यकता हो तो हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री बीजू पटनायक : आपने ऐसा कहा है।

प्रो० एन० जी० रंगा : परंतु हमें उनकी भूमि से एक इंच भी नहीं चाहिए। परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा लगता है कि उनके पासऐसे नेता नहीं हैं जो ये सच्चाई अपने लोगों को बताये। हमें ये भी नहीं मालूम कि वे अपने लोगों को क्या बता रहे हैं और उनके दिमाग में क्या भर रहे हैं। वे ऐसा किस सीमातक और किस प्रकार कर रहे हैं। यदि वहां लोकतंत्र होता तो हमें ये मालूम होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उन्हें ये मालूम हैं कि लोगों के तथा विरोधी दलों के सदस्यों के क्या विचार हैं। परंतु पाकिस्तान में एक ही विचारधारा है जो कि एक गैर-राजनीतिक प्राधिकारी, एक फील्ड मार्शल की है जो अपने ही अन्दाज का है जिसे लोगों ने नहीं चुना और केवल अपने पूर्ववर्ती अधिकारी को इस प्रकार खत्म करने में विश्वास रखता है जिससे पूरा सभ्य समाज थर्रा गया और जिस पर पूरे विश्व से, तानाशाहों से लेकर लोकतंत्र तक तथा संयुक्त राष्ट्र से अपीलों का कोई असर नहीं हुआ। हमारा ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा है। वे बन्दी बनाए गए लोग हैं लेकिन आज वे सब पाकिस्तानी हैं। हमारा उनसे वास्ता पड़ा है। हम उनके साथ बातचीत नहीं कर सकते।

हम उनके साथ यह विचार विमर्श नहीं कर सकते। तथा इन परिस्थितियों के भीतर हम क्या कर सकते हैं। मेरे माननीय मित्र स्पैरोज तथा अन्य बातों के बारे में कह रहे थे। उनके पास एफ 16 है। हमने अमरीका से बहुत बार कहा है कि आप पाकिस्तान को एफ-16 क्यों सप्लाई कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान सोवियत रूस और अफगानिस्तान के खिलाफ इनका प्रयोग नहीं कर सकता। यह तो सिर्फ भारत से खिलाफ प्रयोग किया जा सकता है। आप ऐसा क्यों करते हैं? आपने केवल पाकिस्तान को ही इनकी सप्लाई नहीं की है वरन उन देशों को भी की है जिन्हें पाकिस्तान बहुत खुशी से अपना दोस्त बना रहा है। किस लिए? यह भी सोचा जा सकता है। पाकिस्तान यह कहेगा कि अमेरिका से मदद लेने के अलावा और चारा ही क्या है क्योंकि भारत हमारे सिर पर बैठा है। इस प्रश्न का उत्तर हम आज दे सकते हैं।

जब सोवियत रूस के रक्षामंत्री भारत आए थे तथा उन्होंने अपने तथा हमारे हित में हमारे देश को रक्षा के लिए आधुनिकतम हथियार सप्लाई करने की बात की थी। हम यह सकते हैं कि अमेरीका पाकिस्तान की मदद कर रहा है तथा अमेरीका पाकिस्तान की मदद इसलिए कर रहा है ताकि उसका क्षेत्र गिलगिट तक फैल जाए तथा वह एक अमरीकी अड्डा या कालोनी बन जाए। हम किसी भी अमरीकी या ब्रिटेन के व्यक्ति से जो सोवियत रूस के खिलाफ है। यह कह सकते हैं। सोवियत रूस से उपहार, मदद लेने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान भी ऐसा कह रहा है। पाकिस्तान हमारे विरुद्ध ऐसा अभियोग नहीं लगा सकता। इस दृष्टिकोण से हमें अपनी विदेश नीति, रक्षा तथा आर्थिक विकास के बारे में सोचना पड़ता है।

मेरे माननीय मित्र श्री बीजू पटनायक भारत की गरीब जनता की बात कर रहे थे। पाकिस्तान में भी गरीब जनता है जो हमसे ज्यादा गरीब है।

श्री बीजू पटनायक : मैंने दोनों देशों के बारे में कहा था। इस उपमहाद्वीप में तीन देश हैं बांगला देश, पाकिस्तान और भारत।

प्रो० एन० जी० रंगा : और फिर भी वह ऐसा कर रहे हैं। भारत के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि एक ओर तो अपने रक्षा साधनों को विकसित और सुदृढ़ किया जाए तथा दूसरी ओर वही विदेश नीति अपनाई जाए जो पाकिस्तान के संबंध में अपनाई जाती रही है। हम तो मित्रता कायम करना चाहते हैं। हम तो यह आश्वासन देने के लिए भी तैयार हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे। परमाणु शस्त्रों के संबंध में यही बात सोवियत रूस ने भी कही है। यह खेद की बात है कि अमेरिका ने उदारतापूर्वक यह नहीं कहा कि "हम भी पहल नहीं करेंगे।" इसलिए एक दूसरे को धोखा देना उनके लिए आसान है। परन्तु अमरीकी राजनीति में लचीलापन नहीं है क्योंकि उनके अपने नेता इतने समझदार नहीं हैं। हम पाकिस्तान के बारे में भी यही कह सकते हैं।

तो क्या हम बिना शस्त्रों के चुपचाप बैठे रहेंगे। हमें अपने आप भी शस्त्र बनाने होंगे। मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी अपने मंत्रियों, मंत्रिमण्डल को तथा सबकी ओर से संसद को बधाई देता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से हम सब यही चाहते हैं कि भारत को सुदृढ़ किया जाए। मुझे आशा है कि रक्षा पर हमारा जो अतिरिक्त व्यय होगा आप सब उसका समर्थन करेंगे। सामान्य तौर पर ऐसा ही होता आया है। जब रक्षा मांगे सभा के समक्ष प्रस्तुत हों तो मेरे विचार से पूरी सभा उसका उत्साह पूर्वक समर्थन करेगी क्योंकि हम सभी देश भक्त हैं तथा खतरे को पहचानते हैं।

इसके बाद एक दल के व्यक्ति के रूप में नहीं वरन सरकार में वरिष्ठ व्यक्ति होने के नाते एक सप्ताह भी देना चाहूंगा कि हम नेपाल भूटान, श्रीलंका तथा अपने सभी पड़ोसियों के प्रति

और अधिक उदार बने। श्रीमती इन्दिरा जी ने श्रीलंका में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के समय देश का जो शानदार नेतृत्व किया था उससे सारी दुनिया को सब सीखना चाहिए। मुझे यह नहीं मालूम कि श्रीमती थैचर अथवा श्रीरीगन और सोवियत रूस ने इन्दिरा जी के मत का समर्थन क्यों नहीं किया जो कि शांतिपूर्ण तरीका है जिससे कि मामले पर नियंत्रण किया जा सकता है, तथा श्रीलंका और हमारे देश के बीच शांति बनी रह सकती है।

मैं चाहता हूं कि अन्य देशों विशेषकर सोवियत रूस और अमरीका द्वारा भी यही नीति अख्त्यार की जानी चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने फरक्का के संबंध में कलकत्ता द्वारा की गई मांगों और आवश्यकता का जिक्र किया था। जब भारत की सारी जनता विशेषकर किसान प्रस्तावित गंगा-कावेरी परियोजना के जरिए अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं तो गंगा से बंगाल की खाड़ी में बहने वाले कुछ हजार, दस हजार क्यूक पानी के पीछे झगड़ा करने की क्या बात है ?

इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत सरकार यदि आवश्यक हो तो इस मामले में बांगला देश के लिए कुछ कुर्बानी करे।

अब नेपाल का मामला लें तो हमने चीन को नेपाल की मदद करने का मौका क्यों दिया जिससे कि नेपाल के महाराजा को उनका आभारी होना पड़ा ?

भारत को चाहिए कि वह नेपाल की सारी आवश्यकताएं उदारतापूर्वक पूरी करे।

इसी प्रकार हमें भूटान को यह महसूस नहीं होने देना चाहिए कि हम उसकी थोड़ी सी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते। भूटान की आवश्यकताएं अधिक नहीं हैं। वहां की जनसंख्या हमारे दो तीन जिलों के बराबर होगी। उनकी केवल इतनी ही आबादी है।

हम अपनी देश की जनता के उद्धार की बात सोच रहे हैं। क्या हम उदारतापूर्वक यह नहीं सोच सकते कि भूटान भी हमारा पड़ोसी देश है यद्यपि उनका अपना झंडा है तथा उनके साथ दोस्ती कायम रखने के लिए तथा उनकी आवश्यकतानुसार हमें आर्थिक सहायता करनी चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने समदूरस्थता की बात की है। हम सभी इससे रुचि रखते हैं। परन्तु इस में कुछ विभिन्नता है एक वास्तविक गुट निरपेक्षता है एक कारगर गुटनिरपेक्षता है।

तथापि मैं इस बार से आश्वस्त हूं कि हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के शक्तिशाली नेतृत्व में हम गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को कारगर बना सकेंगे।

परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सोवियत रूस से विशेष रूप से मित्रता नहीं रखेंगे। कम्यूनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी के मेरे माननीय मित्र श्री चक्रवर्ती कह रहे थे कि मुसीबत के समय जो काम आए वही सच्चा मित्र होता है तथा सोवियत रूस मुसीबत के समय हमारे काम आया इसलिए हम उसके मित्र हैं। परन्तु सोवियत रूस से मित्रता का अर्थ यह नहीं है कि अमरीका से हमारा बैर है। मुझे यकीन है कि इस सभा और इस सदन में ऐसा कोई भी नहीं हैं जो जानबूझ कर ऐसी बात कहेगा जिससे अमरीका की जनता भारत को तथा भारतीय जनता को बुरा भला कहेगी। यदि हम अमरीका को नाखुश करते हैं तो अमरीका हमसे कोई सरोकार नहीं रखेगा। हमारा यही दृष्टिकोण होना चाहिए। हमारा मकसद यह नहीं है।

हम सदा अमरीका के साथ मित्रता रखना चाहेंगे।

मैं अपनी प्रधान मंत्री की राजनीतिज्ञता और कूटनीतिज्ञता की सराहना करता हूं कि वह अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट, सी० आई० ए०, प्रशासन तथा उनकी छोटे छोटे देशों को जो कि हमारे पड़ोसी भी हैं जैसे पाकिस्तान, सहानुभूति रखने की पुरानी आदत के बावजूद भी अमरीका के

राष्ट्रपति से व्यक्तिगत रूप से मित्रता पूर्ण सम्बन्ध बनाए हुए हैं। अमरीका द्वारा विविध विरोधी नीतियों के अपनाए जाने के बावजूद भी हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अमरीका के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाए हुए हैं। मैं चाहता कि हमारी संसद इसकी सराहना करे तथा अमरीका के साथ शांति, सदभाव और मित्रता का वातावरण बनाए रखें तथा इसमें सुधार करते रहें।

परन्तु हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि अमरीका से मित्रता का रवैया रखने के बावजूद भी उनकी नीति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा।

अमरीका का भारत के साथ तीन प्रकार का रवैया होता है। वह हमारे साथ मित्रतापूर्ण-सम्बन्ध बनाए रखता है। वह हमारे मित्रों को हमारे खिलाफ भड़काता रहता है। वह हमारे दुश्मनों को शस्त्र देकर उनका होसला भी बढ़ाता रहता हो। अमरीका हमेशा यह तीन नीतियां अपनाता रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में उनका कूटनीतिक रवैया ऐसा ही होता है। हो सकता है यदि हमारे पास की अमरीका इंग्लैंड या कनाडा या फ्रांस जैसी क्षमता व संसाधन मौजूद होते तो हम भी विश्व के अन्य देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में यही तीन नीतियां अपनाते। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कूटनीति का यह आधुनिक तरीका है।

4.00 म०प०

हमारे पास उस दिशा में प्रयोग करने की योग्यता नहीं है। इसलिए, हम उस विषय में कोई राय देने का साहस नहीं करते।

जहां तक अमेरिका का सम्बन्ध है हमें इस बारे में चिन्ता नहीं करनी चाहिए, हमें अत्यन्त सचेत रहना चाहिए। इन्दिराजी श्री रीगन और उन अन्य अन्तरराष्ट्रीय नेताओं से आगे है जिनके बारे में आप शायद सोच सकते हैं। इसीलिए वे नेतागण इनके बारे में परेशान हैं। वे राष्ट्र का गौरव है। प्रिय मित्रो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि : आप विपक्ष में हैं और मैं सत्तारुढ़ दल में, फिर भी देश में राष्ट्रीय व्यक्तित्व होने चाहिये। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, मैं श्री मोरारजी देसाई को भी अपने देश का गौरव मानता हूं और इन्दिरा जी को भी। श्री मोरारजी देसाई विपक्ष में हैं और वे आपके बन्धक हैं। इन्दिराजी हमारी ओर हैं लेकिन वे हमारी बन्धक नहीं हैं।

(व्यवधान)

आप कह सकते हैं कि उनके आकर्षण ने हमें बांध रखा है लेकिन वे हमारी नेता हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने नेता के रूप में उनका स्वागत करें। आपसे ऐसी अपेक्षा की जाती है, क्योंकि हम लोकतन्त्र का अनुसरण कर रहे हैं। अगली बार, यदि आप चुनाव जीते जाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं और मैं आपके नेता को राष्ट्रीय नेता स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। मैंने ऐसा किया भी है। जब मैं राज्य सभा में था, उस समय मैं कांग्रेस (इ) में था और श्री मोरारजी देसाई प्रधान मन्त्री थे; उस समय, अन्तरराष्ट्रीय मामलों के लिए मैंने उन्हें एक राष्ट्रीय नेता माना था...

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : जब आप विपक्ष में थे, तब हमने आपको अपना नेता स्वीकार किया था।

प्रो० एन० जी० रंगा : इसलिए हमें इस बात पर सहमत हो जाना चाहिए। इस नेता ने विश्व की कोमन परिस्थितियों में स्वयं को अत्यन्त सक्षम व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है और वे हमारी राष्ट्रीय नेता हैं और हम उनका समर्थन करते हैं। यदि हम इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं तो अन्य बातें सही परिप्रेक्ष्य में नजर आयेंगी। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को ही लीजिये। भाग्य से ही इन्दिराजी इसकी अध्यक्ष चुनी गई हैं। भारत उस सम्मेलन का मेजबान देश बना क्योंकि ईरान और इराक में युद्ध चल रहा था और वे इस बात के लिये सहमत नहीं हुये इसलिये भारत में इस

सम्मेलन का आयोजन हुआ। क्या इंदिराजी ने एक सफल आयोजन किया या नहीं? यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। कृपया सोचिये कि किस साहस से उन्होंने देशों का दौरा किया और हमारे विदेश मंत्री श्री नरसिंह राव तथा उप विदेश मन्त्री ने देशों की यात्रा करके विश्व के शक्तिशाली देशों द्वारा उत्पन्न स्पष्ट एवं अस्पष्ट बाधाओं के बावजूद इस आन्दोलन हेतु अधिकतम यथासम्भव समर्थन जुटाया। और उन्होंने न केवल गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों का बल्कि अन्य राष्ट्र प्रमुखों का भी संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मेलन किया। वे 'गुटनिरपेक्ष' मंच से दिल्ली में किए गए आह्वान को मजबूत करने में सफल हुये ···

श्री बीजू पटनायक: केवल 22 राष्ट्राध्यक्षों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था न कि 140 ने।

प्रो० एन० जी० रंगा: आप मुझे पाँच अंगुलियां दिखा रहे हैं। हमारी विदेश नीति के भी पांच पहलू हैं।

उन्होंने इस आन्दोलन को सफल बनाया। आज नई आर्थिक नीति की बात हो रही है यद्यपि अमरीका इन अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा संगठनों में से यथासम्मान निकलने का प्रयास कर रहा है। देर-सवेरे अमरीका को इसे स्वीकार करना होगा और वह दिन दूर नहीं जबकि अमरीका को सोवियत संघ और चीन के साथ कोई समझौता करना पड़े। चीन और रूस को निकट आना होगा क्योंकि यदि उनमें विवेक है और वे न्यूक्लियर शक्ति से अपनी जनता का विनाश करना नहीं चाहते हैं तो उन्हें एक दूसरे के निकट आना होगा। और जब वे निकट आ रहे हैं तो कौन उनकी सहायता करेगा? कोई मध्यस्थ की बात कर रहा था। भारत इन तीन महाशक्तियों के मिलन में सहायता कर सकता है। मैं चाहता हूं कि हमारी प्रधान मंत्री यही भूमिका अदा करें और मैं अपने विदेश मंत्रालय, विशेषज्ञों एवं विदेश मंत्री एवं प्रधान मंत्री की पूर्ण सफलता के लिये प्रार्थना करता हूं।

श्री बीजू पटनायक: बहुत अच्छा भाषण था।

श्री रत्नसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण): आपके भाषण पर विपक्ष ने आपके अपने सदस्यों से अधिक करतल ध्वनि की है—आप समझ सकते हैं।

श्री बी० आर० भगत (सीतामढ़ी): करतलध्वनि पूरे सदन ने की है।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) महोदय, बहुत अच्छा भाषण था।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): सभापति महोदय, आज हम विदेश मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं, जबकि सारे विश्व में एक प्रकार से तनाव बना हुआ है, तनाव के इस वातावरण में शस्त्रों की होड़ दुनियां के देशों को कहां तक ले जायेगी, यह निश्चित नहीं है। हमारी विदेश नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने पड़ौसी देशों के साथ किस प्रकार से अपने सम्बन्ध को स्थायी रूप प्रदान कर पाने में सफल हुए हैं। इन सारी परिस्थितियों में यदि देखा जाय तो ऐसा लगता है कि हमारी विदेश नीति इन सारे सन्दर्भों में सफल नहीं हुई है और जो विफलता हमें मिली है उस के कारण हमारे देश की जो छवि उभर कर आनी चाहिये थी, वह छवि बनी नहीं है। यह बात ठीक है कि हमने अपने देश के अन्दर निर्गुट देशों का सम्मेलन आयोजित किया, उस की अध्यक्षता हमारी प्रधान मन्त्री जी को मिली, किन्तु वास्तव में सारी बातों को दृष्टि में रखते हुए हमें सोचना चाहिये कि इतने महत्वपूर्ण पद पर होने के बावजूद भी क्या निर्गुट देशों के सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में वे अपनी प्रभावी भूमिका निभाने में सफल हुई है? ईरान और इराक के बीच आज संघर्ष जारी है, उस ने फिलस्तीनी संघर्ष

को अलहदा खड़ा कर दिया है। हम ईरान और इराक के बीच लड़ाई खत्म कराने और शान्ति स्थापित कराने की दृष्टि से भी सफल नहीं हो सके हैं।

निर्गुट देशों के सम्मेलन के आयोजन की बात हम कहते हैं, सभी निर्गुट देशों का नेतृत्व करने की बात हम कहते हैं, किन्तु हमारे अपने देश में क्या हो रहा है ? आज इस दिशा में भी विचार करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान किस प्रकार आज शस्त्रों की होड़ में लगा हुआ है। अफगानिस्तान के अन्दर रूस, अक्साई-चीन के अन्दर चीन, और डीगोगार्शिया में अमरीका का प्रभाव एक त्रिकोण बना रहे हैं। आज सारा देश एक संकट की ओर ढकेला जा रहा है, जाने अन-जाने में कोई भयानक शक्तियां जब शान्ति और शील हरण करने के लिए बढ़ रही हो, हमारा यह दायित्व बन जाता है, विशेष कर जब हमारा देश विश्व शान्ति का प्रतीक रहा है उस स्थिति में तो हमारा दायित्व और अधिक हो जाता है, कि शान्ति की स्थापना में जो भी कदम उठाये जायें, वे बहुत सोच-समझ कर उठाये जाएं। किन्तु आज जो परिस्थिति देश के अन्दर विद्यमान है उस से कुछ ऐसा लगता नहीं है। हमारी विदेश नीति हमारी सुरक्षा का कवच है और यह कवच जितना मजबूत होगा उतना हमारा राष्ट्र प्रगति कर सकेगा, समृद्ध हो सकेगा। लेकिन हो यह रहा है कि आज पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच में शस्त्रों की होड़ लगी हुई है। यह शस्त्रों की होड़ कब समाप्त होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। आजादी के बाद हमारी देश दो महान युद्धों का सामना कर चुका है और उस में हमारी अपनी क्षमता और शक्ति का जितना ह्रास हुआ, पाकिस्तान का तो हुआ ही है, लेकिन हमारा भी कम नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति मे हमे अपने बारे में सोचना पड़ेगा।

यह बात जरूर है कि हम ने पाकिस्तान के समक्ष "नो-बार पैक्ट" की बात रखी थी, किन्तु उस वक्त उसने उसको मन्जूर नहीं किया, लेकिन आज जब पाकिस्तान स्वयं "नो-वार-पैक्ट" की पेशकश करता है तो हमारी नीति क्या है ? यह स्पष्ट नहीं है। इस कारण से पाकिस्तान से हमारे संबंध जिस प्रकार से सुधरने चाहिए, बनने चाहिए, वे कितने सुधरे हैं, यह देखने की बात है। जनता शासन में विदेशों से और हमारे पड़ोसियों से हमारे संबध जिस प्रकार सुधरे थे और जैसी उस समय प्रगति हुई थी, उस प्रकार की प्रगति करके उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए था किंतु उस दिशा में हम आगे नहीं बढ़े हैं और इसलिए पाकिस्तान से हमारे संबंध जैसे होने चाहिये थे, वैसे नहीं हैं। चीन के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है किंतु उन को और प्रगाढ़ करने की आवश्यकता है और राजनीतिक स्तर पर स्थायित्व को हम प्राप्त कर सकें, इस बात की बहुत जरूरत है। बंगला देश के बारे में जो विश्वास पैदा हो रहा है, उस विश्वास को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए किन्तु इन सारी बातों को देखते हुए हमारे जो पड़ोसी छोटे देश हैं जैसे नेपाल है, भूटान हैं, उन को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। नेपाल के साथ जो स्थिति आज बनी हुई है, वह इस प्रकार की है कि वह अपने आप को हम से दूर महसूस करता चला जा रहा है। भूटान के बारे में हमारा रवैया और निकटता का हो, इस बात की आवश्यकता है। इस लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि इन सारी बातों की ओर हमारे विदेश मत्री जी ध्यान दें।

आज हम यह कहते हैं कि हम निर्गुट हैं और निर्गुट सम्मेलन की अध्यक्षता हम करते हैं, तब फिर चाहे डियागोगार्सिया में अमेरिका का प्रभाव बढ़ता हो, ग्रेनाडा में अमेरिका कुछ करता हो या फिर कम्पूचिया में विदेशी ताकतों का दबाव बढ़ता हो हमारे देश की सीमाओं के करीब है, रूस का प्रभाव बढ़ता हो, ऐसी स्थिति में हमारी नीति क्या होनी चाहिए। निर्गुट सम्मेलन में यदि ग्रेनाडा के बारे में हमने कुछ बोला है, तो यह हमारी बेबाक नीति का परिचायक हो सकता

है किन्तु यह बात संदेह पैदा कर ी है कि हमने अफगानिस्तान के बारे में स्पष्ट रूप से बोलने में भूल की है, चूक की है। इसलिए यह संदेह पैदा होता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में परोक्ष रूप में ही क्यों न हो, हमारा झुकाव कहीं न कहीं है। इसलिए मेरा कहना यह है कि जब हम कहते हैं कि हम निर्गुट हैं, हम निरपेक्ष हैं, तो हमारी निरपेक्षता भी दिखाई देनी चाहिए और यह सारी स्थिति किस प्रकार से हमारा विदेश मंत्रालय निश्चित करता है, इस बारे में विदेश मंत्रालय को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। प्रायः यह हो रहा है कि किसी दुर्बल देश पर जब किसी बड़े देश का प्रभाव बढ़ता है, तो विदेशी दबाव बढ़ता है और विदेशी दबाव बढ़ने के बाद विदेशी हस्तक्षेप होने के बाद विदेशी आक्रमण होता है और वह देश उसके कब्जे में चला जाता है। मैं इस संबंध में पोलैंड में जो कुछ हो रहा है क्या वह विश्व में स्वतन्त्र अस्तित्व के लिए खतरे की बात नहीं है। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, क्या वह स्वतन्त्र अस्तित्व को खतरा नहीं है। रूस हमारा मित्र है। मित्रता के कारण हमारे संबंध बराबरी के होने चाहिए। मैत्री के लिये आवश्यक है कि शक्ति बराबर हो, जहां मैत्री के भाव बराबर हों और संस्कृति के सम्बन्ध बराबर हों। यह मान कर कि वह हमारी मदद करने वाला है, इसलिए उस के प्रभाव में आ कर, उस की गलत नीति का हम समर्थन न करें। सही नीति का हम समर्थन न करें और गलत नीति का विरोध करें। आज इस बात की आवश्यकता है और ऐसी स्थिति पैदा होनी चाहिए कि हम संदेह के दायरे से बाहर हों।

आज निश्चित रूप से सारे विश्व में जिस प्रकार से प्रतिरक्षा पर खर्च बढ़ता जा रहा है, वह दुःख की बात है। आज यह खर्च काफी है और प्रति दिन 15 हजार करोड़ डोलर प्रतिरक्षा पर खर्च हो रहा है। ऐसी स्थिति में जबकि सारे विश्व में विकाशशील देशों द्वारा प्रगति के कई सोपान को तय किया जाना है, इस के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। हमारा देश गरीब है लेकिन यह विकासशील देश है और हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, हम स्वावलंबी बनना चाहते हैं परन्तु यह सारा करने के लिए हमारे जितने रिसोर्सेज हैं, जितने साधन हैं, उन का दोहन करने के लिए जो समय हमें चाहिए, जो परिस्थितियां हमें चाहिए, उन की निर्मित की आवश्यकता है। जब हमारे यहां सुरक्षा का प्रबन्ध ठीक होगा और जब हमारा देश सुरक्षित होगा, तब सुरक्षा का भाव नागरिकों में पैदा होगा और तब निश्चित रूप से हम समृद्धि की दिशा की ओर बढ़ सकेंगे। ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि हमारी जो प्रगति की गति है, वह प्रखर बने, तेज बने और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इस के लिए यह आवश्यक है कि हम किसी की तरफ न झुकें, हम सीधे जाएं, न बांएं जाएं और न दाएं जाएं। हमारा रास्ता है, वह आगे बढ़ने का है और हम निरंतर प्रगति के पथ पर चलें और चरेवेति का जो संदेश है, उसका अनुसरण करें। परन्तु न इधर जाएं न उधर जाएं। हम अपना रास्ता स्वयं तय करें। हम किसी के कहने पर न चलें। इसी बात का मेरा आग्रह है। अगर हम किसी के कहने पर चलते रहे तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पायेंगे। हमें अपना रास्ता अख्तियार करने का पूरा-पूरा हक है। अपने लिये हमें निर्णय स्वयं करना होगा।

जहां तक आण्विक खतरे की बात है, आज सारा वायुमण्डल ऐसा बना हुआ है। अगर आण्विक युद्ध छिड़ता है तो इसमें न अमेरिका, न रशिया, न पाकिस्तान, कोई भी देश नहीं बचेगा। आज दुख सब से ज्यादा इस बात का है कि आज एशिया के दक्षिण भूभाग इससे बड़ा प्रभावित हो रहा है यह आशंका बनती जा रही है कि एशिया के दक्षिण भूभाग पर कभी न कभी, किसी

न किसी प्रकार से महाशक्तियों के दबाव में आकर युद्ध छिड़ सकता है। हमें ऐसी स्थिति में अपने दृष्टिकोण को ठीक करना होगा।

इजराईल की जो भी नीति रही हो, उसको अपनी सीमाओं की रक्षा करने का अधिकार है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी की सीमाओं पर अतिक्रमण करे। हमारी यह नीति होनी चाहिए कि हम प्रभावी रूप से इस सम्बन्ध में कार्य करें आज इसकी आवश्यकता है।

यह जो सारे राष्ट्रमण्डल के देशों की हमने मेजबानी की, इसका हमें जो अवसर प्राप्त हुआ, हम मेजबानी तो करें लेकिन अपने देश के लोगों के बारे में हमें सब से पहले सोचना है, उनके लिए सबसे पहले व्यवस्था करनी है। हमारे यहां बहुत से विदेशी मेहमान आये और उनको गोआ ले जाया गया, जहां 74 घंटे में 34 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया। जब हमारे यहां सारे गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है ऐसी स्थिति में देश का 34 करोड़ रुपया खर्च करना कहां तक ठीक होगा। इससे हमें फायदा क्या हुआ ? किसी भी देश के लिये यह आवश्यक है कि वह जो भी कार्य करे उसके परिणामों का वह अन्दाजा करे।

हमने सारी महाशक्तियों से कहा है कि दुनियां में निशस्त्रीकरण होना चाहिए। परन्तु हो यह रहा है कि शस्त्रों की होड़ बढ़ रही है। इस होड़ में हमें भी लगना पड़ रहा है। हम निर्गुट देश के रूप में तो यह कह सकते हैं परन्तु हमारी सीमाओं को देखते हुए आज जो समय की आवश्यकता है उसके अनुसार हम निशस्त्रीकरण का आह्वान करने के लिए सक्षम नहीं हैं। इन सारी बातों को देखते हुए हमें आगे चलना है।

हमारा जो विदेश मंत्रालय काम करता है, उसका काम करने का अपना एक तरीका है। विदेश मंत्रालय में कई सचिव हैं जिनके अलग अलग विषय हैं। वहां एक रसगोत्रा जी हैं, एक नटवर सिंह जी हैं।

सभापति महोदया (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : किसी का नाम लें।

श्री सत्यनारायण जटिया : विदेश मंत्रालय में दो सचिव हैं। उनके काम करने का, व्यवहार करने का अपना तरीका है। अगर विदेश मंत्रालय के सचिव एक ही देश के प्रतिनिधि से अलग अलग बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा। अगर तीन सचिव जाकर तीन प्रकार से बात करेंगे तो काम नहीं चलेगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप अधिक सचिव न रखें। आप बेशक पांच या दस सचिव रखें लेकिन उन सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी और दायरे निश्चित होने चाहिए और उनकी योग्यता का उस दायरे में इस्तेमाल करें। हमारे विदेश मंत्री तो एक ही हैं और मैं समझता हूं कि वे हमारी विदेश नीति को चलाने में सक्षम हैं। किन्तु एक व्यक्ति और हैं जो विदेश मन्त्री की तरह कार्य करते हैं। उनकी सक्षमता पर किसी को संदेह नहीं हो सकता। वे सारी बात करने के लिए सक्षम हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी विदेश नीति मजबूत हो और हमारा देश मजबूत हो।

जब हमारा देश मजबूत होगा तो हमारे देश की सीमाएं भी सुरक्षित होंगी। हमें अपने देश को अधिकाधिक समृद्धि और सक्षम बना कर अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। हमें अपने पड़ौसी देशों से सम्बन्ध सुधार कर भी अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहिए। जब हमारा देश अधिक समृद्ध होगा तभी हमारी सीमाएं भी अधिक सुरक्षित होंगी। हमारे देश की तीव्र प्रगति हो सके और हमारी सीमाओं की अधिक सुरक्षा हो सके, ऐसी मेरी शुभ कामना है। इन शब्दों को कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदया, मैं इस सदन में प्रस्तुत की गई विदेश मंत्रालय की वर्ष 1983-84 की रिपोर्ट का समर्थन करता हूं तथा इसकी प्रशंसा करता हूं । यह वर्ष विशेष अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अनेकानेक बड़ी उपलब्धियां हुईं, जो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की वजह नहीं हैं बल्कि इस वर्ष मैं न केवल विश्व कूटनीति की अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के लिए बल्कि मानवता के लिए नई दिशायें सुझायी गई हैं । महोदया नवम्बर में राष्ट्रमंडलीय देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण सम्मेलन का भारत में आयोजन, हमारी प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के 38 वें सत्र में भाग लेना उनका अभिभाषण 27 और 29 सितम्बर 1983 को राष्ट्राध्यक्षों और सरकारों के प्रमुखों के साथ उनकी बैठक तथा नई दिल्ली में दक्षिण एशिया के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो न केवल हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं बल्कि विश्व भर ने इन्हें देखा समझा है । तनाव से परिपूर्ण इस संसार में, भारत ने विश्व के राष्ट्रों से एकजुट होने की अपील की है । महोदया, ग्रीनाडा पर हुये हमले के संबंध में मैं दो महत्वपूर्ण देशों की प्रतिक्रिया बताना चाहूंगा । गत अक्तूबर में संयुक्त राज्य अमरीका ने ग्रीनाडा पर हमला किया था तथा ब्रिटेन की प्रधानमंत्री श्रीमती मार्ग्रेट थैचर ने 26 अक्तूबर को हाऊस आंफ कामन्ज में बोलते हुये कहा था कि राष्ट्रपति रीगन द्वारा इंगलैण्ड की राय की भी उपेक्षा की गई थी । लेकिन राष्ट्रपति रीगन ने क्या कहा था ? वह बहुत ही दिलचस्प है । यह विश्वमत का अनादर है । जब संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में इस मामले पर विचार हो रहा था तो 108 देशों ने ग्रीनाडा पर हुये इस हमले के विरोध में मत व्यक्त किया और इस हमले की निन्दा की ।

अमरीकी कार्यवाही के विरोध में सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव रीगन प्रशासन ने वीटो का इस्तेमाल किया और इस तथ्य की उपेक्षा की कि संयुक्त राज्य अमरीका में ही अनेकानेक व्यक्तियों ने इसे खुले आक्रमण की संज्ञा दी थी । इससे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारी बहुमत (108 मत) का अनादर हुआ और राष्ट्रपति रीगन ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की : "संयुक्त राष्ट्र के एक सौ देश हमारे साथ सहमत नहीं हैं···।"

इस महत्वपूर्ण वाक्य का मैं विशेष तौर से उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि इससे राष्ट्रपति रीगन के दृष्टिकोण का पता चलता है । यह वाक्य इस प्रकार है :

"संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सौ देश हमारे साथ सहमत नहीं हैं····· (तथापि) इससे मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा ।"

संयुक्त राष्ट्र संघ के 108 देशों द्वारा अमरीकी कार्यवाही के विरुद्ध मत व्यक्त करने के बावजूद, रीगन प्रशासन ने सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव पर वीटो का इस्तेमाल किया था । इससे अमरीकी के दृष्टिकोण और उदासीनता का पता चलता है कि उसने किस प्रकार 108 देशों की इच्छा का अनादर किया । इसलिए यह एक सफलता है कि 108 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में अमरीकी राष्ट्रपति की कार्यवाही की निन्दा की जो इस बात पर खुश थे कि इससे उनकी सेहत पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा । और उससे वह अन्य दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य नहीं हुए ।

नयी अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करना सभी के लिए कल्याण कारी है । नई अन्तराष्ट्रीय सूचना व्यवस्था की स्थापना जिसमें सभी सदस्य देशों के लिए सूचना का उन्मुक्त प्रसार होगा सभी सदस्य राष्ट्रों के लाभ के लिए है । ये हमारी कुछ उपलब्धियां हैं, जिनकी ओर हम अग्रसर हुए हैं । यही नहीं, बल्कि ऐसे समय में भारत को गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का अध्यक्ष बनाया गया है और भारत को सुरक्षा परिषद् के लिये भी चुना गया है । इससे परिलक्षित होता

है कि हम पर कितना विश्वास है। भारत को पांचवी बार चुना गया है। सभी देशों को यह गौरव प्राप्त नहीं होता। विश्व के गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के प्रमुख होने के अतिरिक्त भारत की आवाज अब दो वर्ष के लिये अर्थात 1984 और 1985 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सुनी जायेगी। विश्व पर निरन्तर संकट के बादल छाये हुये हैं। परन्तु गांधी और गौतम बुद्ध की इस भूमि से निकली विवेकपूर्ण आवाज मानवता को इस विपदा से बचाने का प्रयास कर रही है। हमारी तर्क सहनशीलता की आवाज नवोदित है। महारानी एलिजावेथ द्वितीय ने अपने क्रिशमिश-सन्देश में मानवता के लिये क्या कहा था ? ऐसे विश्व में जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हो रहा है, कम्प्यूटर सहानुभूति का वातावरण पैदा नहीं करते संचार व्यवस्था बंधुत्व भावना पैदा नहीं करती। हमें यह याद रखना होगा कि मानवीय दृष्टिकोण ही अन्ततः मानवता की रक्षा करेगा हमारी विदेश नीति सफल है। विश्व भर में इसकी प्रशंसा हो रही है। इसकी प्रशंसा इसलिये नहीं हो रही है कि यह सैद्धांतिक विचार-धारा से निकली है, इसलिए नहीं कि यह पूंजीवादी व्यवस्था से आई है, न इसलिए कि इसके निर्माण के पीछे किसी का निर्देश है···बल्कि इसका आधार मानव और मानवता है। इसलिये जबकि राष्ट्र प्रगति करके लाखों-करोड़ों डालर प्रतिदिन शास्त्रों के निर्माण पर खर्च कर रहे हैं, संकट की ओर जाने से इन्हें रोकने के लिये भारत की आवाज बुलन्द है।

हमारी प्रधान मंत्री ने इस दिशा में प्रभावी कदम उठाये हैं। उनके द्वारा 28 सितम्बर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए भाषण में से एक वाक्य आने वाले समय में याद रखा जायेगा। उन्होंने कहा था, "कमजोर लोगों की सुरक्षा में ही ताकतवर की शक्ति निहित है।" जब तक कि विश्व इस मूल सिद्धांत का पालन नहीं करता कि हम स्वतंत्र हैं, कि हम या तो इकट्ठे जियेंगे अथवा इकट्ठे ही मरेंगे, वे न्याय नहीं कर रहे। अतः चाहे हम ग्रेनेडा जैसे छोटे राष्ट्र हों जिसकी कि जनसंख्या 1 लाख के लगभग है और चाहे हम करोड़ों की जनसंख्या वाले चीन जैसे बड़ा राष्ट्र हों, इसका कोई महत्व नहीं। तर्कसंगत आवाज तो एक लाख की जनसंख्या वाले देश से भी आ सकती है और चीन की तरह बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र से भी उठ सकती है, यही वह आवाज है जो मानवता को बचायेगी।

इतिहास में हमारे पड़ोसियों पर जोर दिया गया है; आचार्य विनोबा भावे यह कहा करते थे कि हम एक ए० बी० सी० नामक त्रिकोण में रहते हैं; अफगानिस्तान, बर्मा और सिलोन (श्रीलंका); इसके बाद हमारे उप-महाद्वीप की त्रिभुज बनती है और इस त्रिभुज में आने वाले देशों में आपसी सूझ-बूझ, मानवता के उद्धार का मूल तत्व, विद्यमान है जिससे कि वे प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। अतः वह कहा करते थे कि हमें उनमें मित्रता की भावना जगानी चाहिए और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि न केवल हमारे उनके साथ अच्छे सम्बन्ध है बल्कि हमने उनको और अधिक अच्छा बना लिया है।

हमने 1950 में नेपाल के साथ मैत्री सन्धि की थी और इस रिपोर्ट में यह पढ़कर प्रसन्नता हो रही है कि इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। हमारी 1949 में भूटान के साथ भी मैत्री और व्यापार की सन्धि हुई थी और इसकी अवधि को भी बढ़ा दिया गया है। यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि हमारी विदेश नीति से न केवल अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में ही लाभ प्राप्त हुआ है बल्कि संस्कृति और आर्थिक क्षेत्र में भी लाभ मिला है। मुझे यहां एक वाक्य पढ़कर प्रसन्नता भी हुई है कि बर्मा ने संस्कृत में डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी शुरू किया है। इस सद्भाव से निश्चय

ही हमारे सम्बन्ध सुदृढ़ हुए हैं। इस रिपोर्ट से यह जानकर भी मुझे प्रसन्नता हुई है कि तीस्ता नदी के जल के बंटवारे पर भी हमारा बंगलादेश से समझौता हुआ है जिसके अनुसार, 39% जल भारत को मिलेगा और 36 प्रतिशत बंगलादेश को तथा 25% पर बाद में निर्णय लिया जायेगा।

ये कुछ मूलभूत मुद्दे हैं जिनके हल करने से अपने पड़ोसियों से हमारे सम्बन्ध सुदृढ़ हुए हैं, किंतु अति महत्त्वपूर्ण मुद्दा श्रीलंका का है। मैं इस संकट को दूरदर्शिता से निपटाने में अपनी प्रधानमन्त्री और विदेश मन्त्री की प्रशंसा करता हूं अन्यथा इससे हमारे लिए अनर्थ हो जाता। क्या यह इस देश के लिए प्रशंसा का विषय नहीं है कि जो लोग श्रीलंका में सहमत नहीं हैं और जो पक्ष आपस में झगड़ रहे हैं हमारी कूटनीति से एक मंच पर आ सके। 10 जनवरी से दस दिन तक झगड़ने वाले विभिन्न दलों के—धार्मिक, राजनीतिक और श्रीलंका के सांस्कृतिक दलों के प्रतिनिधि इस संकटपूर्ण स्थिति का हल खोजने के लिए एक ही मंच पर इकट्ठे हुए। राष्ट्रपति जयवर्द्धन ने भी पर्याप्त सहयोग देने का आश्वासन दिया और दो दलों पर जिन्होंने भाग नहीं लिया, बाद में सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इसलिए, श्रीलंका में गैर-राष्ट्रिक भारतीयों के प्रश्न का हल सन्निकट ही है।

पाकिस्तान के बारे में भी बहुत कुछ कहा गया है। मैं श्री रंगा को, उनके द्वारा दिए गए प्रभावशाली भाषण के लिए इन शब्दों के साथ बधाई देता हूं कि पाकिस्तान के लोग हमारे भाई हैं और कि पाकिस्तान के असहाय नागरिकों के समर्थन में प्रधान मन्त्री का आह्वान और सैनिक तन्त्र के बीच पिस रहे करोड़ों लोगों के समर्थन में किया गया आह्वान एक उचित समय पर उठाई गई आवाज है। हमारी पाकिस्तान के लोगों से कोई लड़ाई नहीं है। किंतु हम चाहते हैं कि उनकी भी आवाज सुनी जाये। इस समय यह आवाज दबा दी गई है। यह बाहर नहीं आती, और परिणाम यह है कि राष्ट्रपति जिया यह विश्वास करते हैं कि वह अल्लाह के निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, कि इस्लाम लोकतंत्र नहीं चाहता, कि पाकिस्तान में संसद की जरूरत नहीं है। सीमा के इस पार हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते। हम मानते हैं कि लाखों लोगों की आवाज ही अल्लाह की आवाज है। इसी कारण हम लोकतंत्र अपनाये हुए हैं और इसी स्थिति के कारण भारत को गुट-निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्त्व सौंपा गया है। इस आंदोलन में भाग लेने वाले देशों में लोकतंत्र है या नहीं, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं। किंतु हमें देखना है कि हम इन सिद्धांतों पर टिके रहें।

भारत के स्वतन्त्र होने से बहुत पहले ही, हमारी विदेश नीति की आधारशिला नेहरू व अन्य नेताओं द्वारा रखी गई थी। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य उसी समय बना था जब 1945 में सानफ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। हम निरन्तर उन पीड़ित लोगों का समर्थन करते चले आ रहे हैं जो कि या तो पूंजीवादी अथवा अन्य किसी तन्त्र के अन्तर्गत सताये जा रहे हैं।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस महान् देश की आवाज नामीबिया के लोगों तथा दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद प्रशासन द्वारा दबाये गये लोगों के समर्थन में उठायी गयी है। हम सताये गए लोगों के पक्ष में बोल रहे हैं, हम पद दलित लोगों और उन लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

इसी सन्दर्भ में विश्व का दृश्य बदल रहा है। चीन में किए गए एक अध्ययन की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह काफी दिलचस्प अध्ययन है। अध्ययन में बताया गया है

कि अमरीका की अपने मित्र-राष्ट्रों को नियंत्रण में रखने की क्षमता तथा तीसरे विश्व देशों पर सोवियत रूस का प्रभाव पिछले एक दशक से कम होता जा रहा है। यहां तक कि अरबों डालर व्यय करने के बाद भी अमरीका का दबदबा कम हो रहा है ? सोवियत रूस द्वारा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्रता से प्रगति करने पर भी क्या कारण हैं कि उसका प्रभाव कम होता जा रहा है ?

इसके तीन कारण बताये गए हैं :—

(1) एक ओर अमरीका और रूस में तथा दूसरी ओर तृतीय और द्वितीय विश्व देशों में सन्तुलन परिवर्तित हो गया है।

यह परिवर्तित हो गया है। सुदृढ़ गुट-निरपेक्ष आंदोलन के प्रादुर्भाव से अमरीका और रूस का प्रभाव कम हो गया है।

(2) द्वितीय और तृतीय विश्व देशों का प्रभाव बढ़ रहा है। जबकि तृतीय विश्व देश विश्व आर्थिक संकट के परिणामस्वरूप पीड़ित हो रहे हैं, विश्व उत्पादन में इन देशों के बढ़ते हुए हिस्से की प्रवृत्ति बनाये रखी गई है।

अतः सैनिक अशांति के बावजूद, सीमाओं पर अशांति के बावजूद, युद्ध आदि के बावजूद भी तृतीय विश्व में उत्पादन बढ़ रहा है। इसलिए प्रभाव का दायरा बढ़ रहा है।

(3) तृतीय विश्व और द्वितीय विश्व देशों की सैनिक शक्ति भी बढ़ रही है। तृतीय देशों की एकता बढ़ रही है और उनमें अन्य राष्ट्रों की मदद से किसी एक बड़ी शक्ति का मुकाबला करने की काफी सम्भावना है।

अतः सम्पूर्ण दृश्य ही बदल रहा है। अमरीका अथवा रूस की ओर देखने के स्थान पर तृतीय विश्व के देश भारत की ओर, श्रीमती गांधी की ओर तथा गुट-निरपेक्ष आंदोलन की ओर देखते हैं क्योंकि उनमें काफी एकता है— जितनी अधिक एकता होगी उतनी ही अन्यों को आकर्षित करने की तृतीय विश्व देशों की शक्ति अधिक होगी।

हमारी विदेश नीति ने कुछेक आंदोलनों को ख्याति प्रदान की है जिन्हें कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के तत्काल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके मित्रों ने शुरू किया था। अब हम यह कहने की स्थिति में हैं कि तृतीय विश्व, गुट-निरपेक्ष विश्व, वह विश्व जो विकासशील देशों का विश्व है, उस विश्व से कम शक्तिशाली नहीं है जिसके एक ओर अमरीका है और दूसरी ओर रूस। अतः इस सन्दर्भ में हमने महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस मित्रभाव और प्रगति के वातावरण में हमारा देश एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक दिन आयेगा जबकि पाकिस्तान के लोग यह मानेंगे कि भारत द्वारा किया गया आह्वान, उचित आह्वान था। कौन जानता है कि साल—दो—साल में पाकिस्तान में लोकतन्त्र हो जाये और तब लोग हमारी प्रधान मन्त्री द्वारा किए गए आह्वान के महत्त्व को महसूस करेंगे, चाहे सीमा पर के हमारे दोस्त अभी ऐसा नहीं मानते। वे अब भी यही सोचते हैं कि ऐसा कुछ जरूर है जो इस ओर ठीक नहीं है। जी नहीं। हम विश्व के लोगों के साथ हैं; हम सभी से दोस्ती रखते हैं और हमारा दुश्मन कोई भी नहीं है। अतः हमारा मूल विश्वास अहिंसा है और हमारा मिशन शांति, निशस्त्रीकरण गैर-उपनिवेशवाद तथा सहयोग बढ़ाने, मानवता के लिए प्यार तथा सभी जीवित प्राणियों के लिए प्यार की भावना का है। हम चाहते हैं कि विदेश मन्त्रालय की गति तीव्र हो। मैं इस अवसर पर अपने अधिकारियों की दिन-रात की मेहनत, नीचे से ऊपर

तक जाना-आना, एक देश से दूसरे देश, एक राजधानी से दूसरी राजधानी जाने-आने में कड़े कार्य की प्रशंसा करता हूं। अपनी प्रधान मन्त्री और अपने विदेश मन्त्री श्री पी०वी० नरसिंह राव के मार्गनिदेशन में हम विश्व को यह दिखाने में समर्थ हो सके हैं कि भारत अवसर पड़ने पर खड़ा हो सकता है और यदि कोई अवसर आया तो भारत सुनने के लिए तैयार है, न केवल सुनने के लिए, बल्कि विश्व का नेतृत्व करने को भी तैयार है। धन्यवाद।

*श्री डी० एस० ए० शिव प्रकशम् (तिरुनेलवेली) : सभापति महोदया, अपने दल द्रविड़ मुनेत्र कझगम की ओर से मैं 1984-85 के लिए विदेश मन्त्रालय की अनुदान मांगों पर कुछ सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदया, यह कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी कि हमारी प्रधान मन्त्री का राजनीतिक प्रभाव न केवल देश में ही बल्कि 84 गुट निरपेक्ष राष्ट्रों में भी काफी पड़ा है। 1983 में 7वां गुट-निरपेक्ष सम्मेलन और राष्ट्रमण्डल राष्ट्राध्यक्षों की बैठक का आयोजन उनके द्वारा काफी सफलतापूर्वक किया गया। 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन भी भारत में हुआ था।

यहां यह कहना जरूरी है कि 1983 में कुछ महीनों तक श्रीलंका में अभूतपूर्व जातीय दंगे होना आम बात हो गई थी। श्रीलंका में रहने वाले तमिल मूल के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को जिन्दा जला दिया गया। उनकी परिसम्पत्तियां लूट ली गईं। उनके कारखानों, दुकानों और घरों को जलाकर राख कर दिया गया। तमिल मूल के स्कूली बच्चों को स्कूल बस से नीचे उतार कर गोली से मार दिया गया। कुट्टीमनी, थौगाद्रोह और जगन जैसे तमिल देशभक्तों की जेल आहातों में हत्या कर दी गई। श्रीलंका में रह रहे तमिल मूल के लोगों को, जिन्होंने श्रीलंका के आर्थिक विकास हेतु अपना पसीना बहाया, अन्धाधुन्ध हमलों और अत्याचारों का निशाना बनाया गया। तमिल महिलाओं से दिन-दिहाड़े सार्वजनिक स्थानों पर बलात्कार किया गया। श्रीलंका में हाल ही में हुए जातीय दंगों में तमिल लोगों की दुख भरी दास्तानों को सुनाने में मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

परन्तु मैं यह कहूंगा कि यह आगजनी, लूटपाट, हत्या और श्रीलंका में तमिल लोगों पर हमले अभी भी जारी हैं जबकि विभिन्न राजनीतिक दलों की गोल-मेज बातचीत चल रही है। श्रीलंका सरकार इस समय का उपयोग अमरीका से हथियार इकट्ठे करने के लिए कर रही है। श्रीलंका में तमिल मूल के लोगों को समान दर्जा देने के लिए अभी तक कोई ठोस उपाय या समाधान नहीं किया गया है। हाल ही में श्रीलंका के एक मन्त्री श्री अतुलत मुदली ने कहा है कि तमिल मूल के सभी राज्यविहीन लोगों को श्रीलंका की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है जबकि अभी बातचीत चल रही है, सिंहली लोगों को तमिल बाहुल्य क्षेत्रों में बसाया जा रहा है। शुरू में दूर-दराज के इलाकों में बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की जाती है और इसके बाद निकटवर्ती इलाके पर पुराने समय से सिंहली आबादी वाले क्षेत्र के रूप में दावा किया जाता है और इस तरह वहां सिंहली कालोनियां बनाई जा रही हैं। यहां तक कि चाय बागानों में जहां तक तमिल मूल के राज्य विहीन लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं, वहां सिंहली श्रमिकों को बसाया जा रहा है। इसी तरह जातीय बर्बरता

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

के शिकार लोगों को श्रीलंका के उत्तरी शरणार्थी शिविरों में ले जाया गया जो कि तमिल बाहुल्य क्षेत्र है। अब उन सभी शरणार्थियों को श्रीलंका के दक्षिणी हिस्से में ले जाया जा रहा है जहां सिंहली जनसंख्या की बहुलता है। इससे यह स्पष्ट है कि श्रीलंका सरकार द्वारा तमिल भाषी लोगों का, जहां वे शताब्दियों से रह रहे हैं, बहुमत कम करने के लिए संगठित प्रयास किए जा रहे हैं।

मैं यहां इस बात पर भी बल देना चाहूंगा कि श्रीलंका सरकार ने अपने देश में तमिल भाषी लोगों की जान और माल की कोई सुरक्षा नहीं की। यह भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र और राज्य सरकार ने श्रीलंका से आए शरणार्थियों को फिर से बसाने के लिए गम्भीर प्रयास नहीं किए। वे सब अनाथ और निराश्रय हो गए हैं। मैं यह सब अपने श्रीलंका में तमिल-भाषी लोगों की समस्याओं के बारे में निजी अनुभव से बता रहा हूं। मैंने एक ऐसी लड़की से शादी की है जिसका परिवार श्रीलंका में बसा है, जिसे नागरिकता अधिकार प्राप्त हैं। मेरे ससुर श्रीलंका में बसे भारतीय हैं जिन्हें पूर्ण नागरिकता अधिकार प्राप्त है। मैं जानता हूं कि श्रीलंका में जातीय दंगों के दौरान मेरे ससुर को कितनी शारीरिक यातना और वित्तीय नुक्सान हुआ। तमिलनाडु के बहुत से लोगों के रिश्तेदार श्रीलंका में हैं। यही कारण था कि श्रीलंका में दंगों के दौरान समस्त तमिलनाडु में आक्रोश फैल गया था।

मैंने श्रीलंका के उन शरणार्थियों की दयनीय स्थिति देखी है जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है। उन्होंने अपना जीवन श्रीलंका के चाय-बागानों की स्वास्थ्यकर जलवायु में बिताया था। राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा उन्हें हमारे पहाड़ी इलाकों जहां चाय बागान हैं, पर बसाने के लिए गम्भीर प्रयास किये जाने चाहिएं थे। ये सब अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त चाय की पत्तियां तोड़ने वाले लोग हैं और उनकी सेवाओं का बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए। मेरा यह सुझाव है कि उन्हें अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में बसाया जाना चाहिए जहां की भूगोलिक और पर्यावरण की स्थिति श्रीलंका में विद्यमान स्थिति जैसी है। मैं माननीय विदेश मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे उन्हें अपना कुछ समय पुनर्वास सम्बन्धी इस समस्या की ओर देना चाहिए।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले, मैं दो महत्वपूर्ण मामलों के बारे में बताऊंगा। एक तो यह कि श्रीलंका सरकार ने आग से जले सभी कारखानों, दुकानों, मकान आदि का अधिग्रहण कर लिया है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि तमिल मूल के लोग जिन्हें इतना अधिक नुक्सान हुआ है, वे इस सम्पत्ति को वापस कैसे लेंगे। मैं माननीय विदेश मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि उन्हें यह मामला श्रीलंका के विदेश मन्त्री के साथ उठाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तमिल मूल के लोगों को इन सम्पत्तियों को वापिस दिया जाये उन्हें फिर से बनाने के लिए क्षतिपूर्ति के रूप पर्याप्त धनराशि दी जाये। केन्द्र सरकार को श्रीलंका से आए शरणार्थियों को फिर से बसाने में खुद ही रुचि लेनी चाहिए। इसी प्रकार, तमिलनाडु राज्य सरकार को शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए उपयुक्त योजनाएं बनाने के लिए कहा जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, माननीय विदेश मन्त्री जी ने इस सदन में विदेश मंत्रालय से संबंधित जो मांगें रखी हैं उनका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं अकेला भारत ही ऐसा देश है जिसकी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को इतना मान और सम्मान प्राप्त हुआ है। संसार के तमाम देशों के अध्यक्ष यहां दिल्ली में इकट्ठे हुए थे और उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी को नान एलाइन्ड देशों का अध्यक्ष बनाया और इस नाते सारे संसार में हमारी बहुत बड़ी इज्जत है।

सभापति महोदय, हमारे देश के ऊपर पड़ोसी देशों की तरफ से आक्रमण हुए हैं लेकिन हमारी कभी भी यह इच्छा नहीं रही कि हम किसी भी देश पर आक्रमण करें। पंचशील का जो हमारा सिद्धांत है वह हम सारे विश्व को बताते रहे हैं। मैं अभी यूगोस्लाविया गया था। वहां पर यूनाइटेड नेशन्सट्रेड डेवलपमेंट कन्फ्रेंस में काफी देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वहां पर मुझे यूगोस्लाविया में काफी घूमने का मौका मिला। वहां पर मैं चाहे कोलेज के छात्रों से मिला या यूनिवर्सिटी में गया, सभी ज़गह एक ही बात सुनने को मिली कि हिन्दुस्तान की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। पं० जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी को ही वहां के लोग जानते हैं। अन्य नेताओं के कोई नहीं जानता। कुछ उधर के लोग कहते हैं कि श्री मोरारजी देसाई को अमरीका और पाकिस्तान के लोग बड़ा भाई समझते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने कभी भी पाकिस्तान पर हमला करने की बात नहीं सोची। और विपक्ष का यह कहना गलत है। जब जब कोई बात हुई है, तो अमरीका ने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किए हैं, जिसकी वजह से हमारे अमन-चैन को खतरा हुआ है। आज की परिस्थितियों को देखते हुए हमारे विदेश मंत्री बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। हमारी नेता ने कभी यह नहीं सोचा कि हमारे देश के ऊपर कोई आक्रमण करे। चाइना के साथ भी हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। चाइना के चयुवनलाई भी हिन्दुस्तान को प्यार करते थे। हिन्दू-चीनी भाई भाई का नारा था। हमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि चीन से भारत को खतरा होगा परन्तु फिर भी हम पर आक्रमण हुआ। हम सारे राष्ट्रों में शान्ति चाहते हैं। हमारी प्रधानमंत्री ने कहा है जो देश हथियारों की होड़ में लगे हुए हैं, उससे सारे संसार का विनाश हो सकता है। संसार में हमने जो डेवेलपमेंट की हैं, तरक्की के काम किए हैं, वे सारे खत्म हो जायेंगे। जिन मुल्कों को कहा जाता है कि वे बड़े अमीर मुल्क हैं, यदि उनका ध्यान जंग की तरफ ही रहा तो कोई देश नहीं बचेगा। यही वजह है कि विकासशील देशों की जनता महसूस कर रही है कि इतनी बड़ी पूंजी जो हथियार बनाने पर खर्च की जा रही है, उससे तो सारे संसार की गरीबी को कम किया जा सकता है। इसके लिए ही विकासशील देश प्रयत्न कर रहे हैं। यही वजह है कि गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में इस पर बल मिल रहा है।

अभी श्रीलंका में हमला हुआ, जिसका जिक्र उधर की तरफ से भी किया गया। प्रधानमंत्री भी इस समस्या से बहुत चिंतित थीं। मैं भी वहां की स्थिति को देखने के लिए गया था। वहां पर इस तरह के प्रश्न हम से किए जाते थे, जिनका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता था। श्री मोरारजी देसाई हमारे देश के भूतपूर्व प्रधान मंत्री, जिन्होंने कि आजादी की लड़ाई में भी काफी हिस्सा लिया, अमरीका में उनके द्वारा दिए गए भाषण से ऐसा लगता था कि वे पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। लेकिन हमारे देश के नेता इस देश की रक्षा के लिए काफी प्रयत्न कर रहे हैं। विकासशील देशों को साथ लेकर चल रहे हैं, चाहे वह हमारा पड़ौसी देश नेपाल हो या भूटान हो या पाकिस्तान ही क्यों न हो। मैं पाकिस्तान के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अन्दर भी जम-

हूरियत कायम होनी चाहिए। वहां पर भी जब श्री भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया था, तब भी हमारे देश के लोगों ने उसको कंडैम किया था। हम चाहते हैं कि दूसरे देश के मामलों में हम दखल-अंदाजी न करें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी देश से हमारे देश को खतरा पैदा होता रहे। इस देश की इज्जत को स्व० पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कायम किया है और हम उसमें विश्वास रखते हैं। देश को आगे ले जाना चाहते हैं। वाजपेयी जी चाइना गए और वियतनाम में वहां पर जंग शुरू हो गई, तो वहां से दौड़ कर वापिस आ गए। लेकिन हमारे विदेशी मंत्री की इज्जत है, मान-सम्मान है, जिसको हमने अपनी आंखों से देखा है। जहां-जहां के भी बाहर के मुल्कों में जाते रहे, वहां-वहां हमें इज्जत मिली है। इसलिए भारत के लोगों के दिल की आवाज है कि यदि कोई नेता है तो केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी है, जो देश को आगे ले जाना चाहती हैं और ले जाने का प्रयत्न कर रही है।

4.49 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं अभी आंध्र प्रदेश गया था, वहां हवाई अड्डे पर मैंने देखा कि छोटे-छोटे बच्चों को खरीद कर, चाहे वे किसी भी काम्युनिटी के हों, अरब कन्ट्रीज में ले जाते हैं। उन के ऊपर कन्ट्रोल होना चाहिये। जो आदमी वहां पर शादियां करवाते हैं या जो आदमी उन छोटी उम्र की लड़कियों से विवाह कर के उन को अरब कन्ट्रीज में ले जाते हैं उन पर पाबन्दी लगनी चाहिये। यहां से गई हुई स्त्रियों की वहां पर जो दुर्दशा हुई है, उसकी जानकारी भी हम से प्राप्त की है। उन के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है, कुछ समय के बाद उन औरतों को छोड़ दिया जाता है, उन की बेइज्जती की जाती है। इसलिये विदेश मंत्रालय को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये।

जो लोग यहां से मजदूरों को ले जाने के लिये विदेशों में ठेके लेते हैं उन का भी कन्ट्रोल किया जाना चाहिये। इस तरह का प्रबन्ध होना चाहिये कि वे उन मजदूरों का आने-जाने का किराया पहले गवर्नमेंट के पास जमा करायें ताकि जब वे नौकरी से हटाये जांय तो उन के पास वापस आने का किराया हो। ऐसा न हो कि विदेश में जा कर जब नौकरी से हटाये जांय तो वे न घर के रहें और न घाट के रहें। मेरा अनुरोध है कि देश से बाहर जाने वाले मजदूरों की समस्याओं की तरफ हमारे विदेश मंत्री विशेष रूप से ध्यान दें।

इस में कोई सन्देह नहीं है कि आज हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं, लेकिन कुछ ऐसे शरारती—अनसर हैं, कुछ ऐसे विदेशी लोग हैं जो घुसपैठिये की शक्ल में हमारे देश में आ रहे हैं हमें उन से सावधान रहने की जरूरत है। अभी हाल में ब्रिटेन में हमारे म्हात्रे साहब की हत्या हुई जिस से सारे देश के अन्दर चिन्ता व्याप्त है हमारे देश में लोग कुछ पास्पोर्ट के साथ और कुछ बगैर पास्पोर्ट के भी आ रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में हमें पूरी तरह से सावधान रहना है। हमें हर हालत में अपने देश की यूनिटी को कायम रखना है। ऐसे लोग जो हमारे देश की एकता को तोड़ने, देश में दंगे-फिसाद कराने की कोशिश करते हैं उन के खिलाफ फौरन कार्यवाही की जानी चाहिये।

अधिकांश सदस्यों ने हमारी विदेश नीति की तारीफ की है। उन्होंने हमारी विदेश मंत्री की भी तारीफ की है, लेकिन कुछ इस तरह के लोग भी हैं जो अपोजीशन में माननीय नेता हैं, उनको हमारी विदेशी नीति की असफलता ही दिखाई देती है। ये जो दो-दो और चार-चार की तादाद

में लोग अपोजीशन में बैठे हैं, अगर कुछ लगड़े इकट्ठे हो जांय तो उन से आदमी नहीं बनता है। हर रोज सुबह ववेश्चन आवर के बाद इकट्ठे हो कर एक आवाज में बोलते हैं लेकिन जब बाहर जाते हैं तब उन का असली रूप नजर आता है। ये इसी तरह से लगड़े बने रहेंगे, इन का पूरा आदमी नहीं बन सकता। हम इस देश में एक होकर रहना चाहते हैं और हमारी एकता हमेशा कायम रहेगी। यहां पर कहा गया कि पिछले दिनों जब मोरारजी देसाई प्रधान मंत्री थे उस वक्त पड़ोसी देशों से सम्बन्ध बहुत अच्छे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया--हथियार बनाने पर पाबन्दी लगाने के लिये तैयार हो गये। कोई हम को गोली मार दे और हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार न हों, तो देश की सुरक्षा कैसे हो सकती है? जब हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में आई उन्होंने महसूस किया कि हम सही नीति पर नहीं चल रहे हैं, उन्होंने विदेश नीति में परिवर्तन किया और सहयोग की नीति पर चलने की कोशिश की। उसी का यह नतीजा है कि दुनिया के देशों की जो कांफरेंस यहां पर हुई उसने उसको अपना नेता चुना। इतना ही नहीं, उन के नाम का डंका यूनाइटेड नेशन्ज में गूंजा, यूगोस्लाविया में जो ट्रेड और डवेलपमेंट की कान्फरेंस हुई वहां भी उनका नाम गूंजा। हमारी प्रधान मंत्री के दिल में दर्द है और वे इस मुल्क को आगे ले जायेंगी, लंगड़े आदमी कभी एक नहीं हो सकते। इन शब्दों के साथ में इन मांगों का समर्थन करता हूं।

*श्री एस० टी० के० अक्कायन (पेरियाकुलम) : माननीय श्री उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र गड़धम की ओर से, विदेश मन्त्रालय सम्बन्धी 1984-85 की अनुदान मांगों पर कुछ कहना चाहता हूं।

महोदय, हमारी माननीय प्रधान मन्त्री जो कि गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की अध्यक्ष बनी हैं इस पूरे सदन की बधाई की पात्र हैं। वे न केवल इस देश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का स्रोत हैं बल्कि गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के लोगो की आशाओं तथा आकाक्षाओं का भी स्रोत हैं। मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 100 करोड़ रु० का छोड़ने के उनके निर्णय का उल्लेख करके विकासशील गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के लिए उनकी चिंता पर प्रकाश डालना चाहूंगा। वह चाहती थी कि इस धन का उपयोग जरूरतमन्द राष्ट्रों द्वारा किया जाना चाहिए। हमें स्वयं भी इस धन की श्री लंका से आए शरणार्थियों को फिर बसाने के लिए जरूरत थी।

हमारे देश के इतिहास में वर्ष 1983 को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली ने सातवां गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन और चोगम 1983—राष्ट्रमंडल सरकारों के राजाध्यक्षों का सम्मेलन भी देखा। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राष्ट्रों की शिष्टता में भारत का सम्मान बहुत बढ़ गया है। इसके साथ ही 1983 के वर्ष ने श्रीलंका के अप्रचलित जातीय दंगे देखे जो कि ज्वालामुखी की भांति फूट पड़े जिनमें सदियों से श्री लंका में रह रहे तमिल मूल के लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। तमिल मूल की महिलाओं, युवाओं, बच्चों और बूढ़ों को जिंदा जला दिया गया। उनकी करोड़ों रु० की सम्पत्ति को राख कर दिया गया। तमिलनाडु की समस्त जनता में अपने रिश्तेदारों के दुखों को देखकर तनाव और क्षोभ छा गया। हमारे अप्रतिम नेता डा० पुराची थलैवर तिरु एम० जी० आर० की दूरदर्शिता ने स्थिति को नियंत्रण में रखा। इस कठिन परिस्थितियों में, हमारी प्रधान मंत्री का सम्मान और बढ़ गया जब उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि यह जातीय झगड़ा अंतर्राष्ट्रीय ज्वाला के रूप में न भड़के। अमरीका तथा रूस

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर।

जैसी महाशक्तियों ने विश्व शांति के समर्थक के प्रयासों की प्रशंसा की। हमारी प्रधान मंत्री ने श्री जी० पारथसारथी को निजी दूत के रूप में श्री लंका भेजा। शांति के अपने लक्ष्य में श्री पारथसारथी ने राष्ट्रपति जयवर्धन के साथ बातचीत की और उस देश में मैत्री का वातावरण तैयार किया जहां अब गोलमेज बातचीत चल रही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति, श्री जयवर्धन ने बताया कि श्री लंका में रह रहे तमिल मूल के राज्यविहीन लोगों को नागरिकता के अधिकार दिए जाएंगे, इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

हमानी प्रधान मंत्री ने डा० तिरु एम० जी० आर० की सलाह पर तमिलनाडु के माननीय बिजली मंत्री तिरु पनरूती रामचन्द्रन को यू० एन० ओ० के लिए भारतीय शिष्टामंडल का नेता चुना। तिरु रामचन्द्रन ने यू० एन० ओ० में श्री लंका समस्या के प्रति हमारी सरकार के दृष्टिकोण को अच्छी तरह रख कर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रशंसा अर्जित की। उन्होंने इस देश की विदेश नीति के लिए भी प्रशंसा अर्जित की।

यह वास्तव में दुर्भाग्य की बात है कि जबकि बातचीत जारी है, श्री लंका में तमिल मूलके लोगों के लिए कोई संरक्षण नहीं है। वे अभी भी जातीय विद्वेष का निशाना बन रहे हैं। पता नहीं श्रीलंका में यह आतंक का साम्राज्य कब तक चलेगा।

यहां मैं अपने माननीय मित्र तिरु शिवप्रकाशम द्वारा अपने भाषण में कही गई बात का जिक्र अवश्य करना चाहूंगा। उन्होंने यह कहा कि केन्द्र तथा राज्य सरकार ने श्रीलंका से आए शरणार्थियों को फिर से बसाने क लिए कदम नहीं उठाए हैं। मैं इस आरोप का अपने नेता डा० तिरु एम० जी० आर० जिनके मानवतावाद की विश्व के प्रसिद्ध नेताओं ने प्रशंसा की है, द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख करके करूंगा। उन्होंने इन पीड़ित लोगों की तत्काल सहायता के लिए बहुत से कदम उठाए हैं, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जो विद्यार्थी यहां आ गया है वह अपना शैक्षिक वर्ष बरबाद न करे। उन्होंने साल के बीच में कालेजों और स्कूलों में उनको प्रवेश दिलाया है। उनको छात्रावासों में आवास दिया गया है। उनको अपने जीवन-निर्वाह के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। जन कल्याण के लिये उनके प्रयासों पर संदेह नहीं किया जा सकता। इस पर विश्वास किया जाना चाहिए। उन्होंने इन लोगों के लिए बहुत से पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किये हैं। मैं यह मांग करता हूं कि परीक्षा और विपत्ति को इस घड़ी में केन्द्र सरकार को भी तमिलनाडु राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिए।

रामेश्वरम में लगभग 2500 ऐसे मछुवारे हैं जिनकी रोजी को श्रीलंका नौ सेना से खतरा पैदा हो गया है। उनकी नौ सेना की नावें हमारे समुद्री क्षेत्र में घुस आती हैं। कुछ मछवारों को श्री लंका की नौसेना ने पकड़ लिया है। नौ सेना ने मछुवारों की पकड़ी हुई मछलियां जब्त कर ली हैं श्रीलंका सरकार ने कच्चातीवु समझौते को भी तोड़ दिया है। यदि हम कड़े कदम नहीं उठाते तो स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर हो जायेगी। माननीय विदेश मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि 200 कि० मी० के समुद्री क्षेत्र को भारत और श्रीलंका के बीच जुड़ा हुआ नहीं रखा जा सकता। मैं मांग करता हूं कि विदेश मंत्री जी हमारे मछुवारों के मछली पकड़ने संबंधी अधिकारों के बारे में नये सिरे से समझोते के लिए श्रीलंका सरकार के साथ बातचीत करे। मुझे विश्वास है कि हमारे मंत्री महोदय इस मामले के महत्व को अनुभव करते हैं और वह रामेश्वर में हमारे मछुवारों की जीविका को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएंगे।

कोलम्बो में हमने अपने दूतावास के निर्माण के लिए 10 वर्ष पहले जमीन ली थी। लेकिन हमने अब तक वहां अपने दूतावास का निर्माण नहीं किया। इस दौरान हम वहां अपने दूतावास के के लिए किराये के रूप में बहुत अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करते रहे हैं। मैं यह कहने की जरूरत नहीं कि दुर्लभ विदेशी मुद्रा का खर्च तत्काल रोका जाना चाहिए। विश्व के बहुत से देशों में ऐसी स्थिति है कि जहां हमारे पास जमीन तो है परन्तु वहां हमारी अपनी इमारत नहीं है। हमारे देश में भारतीय विदेश सेवा-क भारतीय विदेश सेवा-ख आदि जैसी श्रेणियां हैं जिनके अन्तर्गत विदेश सेवा कार्मिकों को अलग-अलग वेतनमान दिये गये हैं परन्तु हम विदेश स्थित अपने दूतावासों के लिए विदेशी मुद्रा के रूप में अत्यधिक किराया देने की परवाह नहीं करते। हम अपने कर्मचारियों के प्रति कठोर हैं परन्तु किराये देने में उदार हैं। मैं माननीय विदेश मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर विचार करें और इस संबध में आवश्यक कार्यवाही करें।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं यह मांग करता हूं कि श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, बर्मा फिजी जैसे देशों में जहां तमिलों की जनसंख्या अधिक है, भारतीय राजदूत तमिल होने चाहिएं। केवल तभी वे लोग इन देशों में रह रहे तमिलों की समस्याएं समझ सकेंगे और उन्हें हल करने के लिए कदम उठाएंगे। मैं अपनी इस मांग के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं कि हमारे मंत्री महोदय को तमिल मूल के लोगों को जिन्होंने जातीय दंगों में अपने घर गवां दिये है, तत्काल फिर से बसाने के मामले को श्रीलंका सरकार के साथ उठाना चाहिए।

5.00 म०प०

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक हमारी फॉरन पालिसी का ताल्लुक है, यह पालिसी अच्छी रही है। हमारे विधान के जो डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं के मुताबिक हमारी फारन पालिसी बनाई गई है। इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।

हमारा फॉरन पालिसी की बुनियादी चीज यह है कि हम किसी पावर ब्लाक में नहीं रहना चाहते हैं। हम इंडीपेंडेंट, आजादाना तौर रहना चाहते हैं। हमारी फारन पालिसी जितने भी दुनिया के कमजोर और गुलाम मुल्क हैं, उनकी मदद करने की, उनकी जंगे आजादी में साथ देने की रही है। इसी लिहाज से हम युनाइटेड नेशंस में भी दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ शाना बशाना काम करते रहे हैं।

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने बहुत पहले यह कहा था—

"भारत दूसरे मुल्कों पर प्रभुत्व जमाना नहीं चाहता। हमारा एक मात्र उद्देश्य अपनी ही समस्याओं को हल करने के लिए शांति कायम रखना तथा जहां तक हो सके अन्य देशों से सहयोग तथा उनकी सहायता करना है। ऐसा करते वक्त हम यह प्रयत्न करते है कि हम आवेश और रोष में न बहें और शांतिपूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखें। भारतीय विदेश नीति का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बंध बनाए रखना है।"

"जब स्वतंत्रता को खतरा हो न्याय पर प्रहार हो या आक्रमण हो तो हम तटस्थ नहीं रह सकते।"

इसमें कोई शको-शुबहा नहीं है कि हमारी फारन पालिसी ने वक्तन-फवक्तन यह साबित कर दिया है कि हम दुनिया के बड़े-बड़े ताकतवर मुल्कों के इम्पीरियलिज्म का भी मुकाबला कर सकते हैं। जहां भी ज्यादती होगी, वहां के लिए हम आवाज उठा सकते हैं। हाऊस को याद होगा कि 1956 में जब इजराइल ने स्वेज केनाल पर हमला करने की कोशिश की तो हमारे मुल्क ने उस

ज्यादती का डटकर मुकाबला किया । इजराईल जिसने कि अपने आकाओं की मदद से फिलिस्तीन के अवाम को जिला-वतन किया हुआ है के मुकाबल में हम फिलिस्तीन के अवाम की बराबर मदद करते आ रहे हैं । हमारी पालिसी युनाइटेड नेशंस में भी बड़ी कामयाबी के साथ चलाई जा रही है। हमारी पालिसी किसी से नफरत करने की नहीं रही है बल्कि दुनिया में जहां कहीं भी ज्यादती और नाइंसाफी होती है, उसके खिलाफ हम लड़ते हैं ।

हमने अपने 37 वर्षों के इक्तसादी प्रोग्रामों से अपने मुल्क को ताकतवर बनाया है । इस लिहाज से हम पर जिम्मेदारियां भी हैं । हमारे पडोस में छोटे-छोटे मुल्क श्रीलका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगला देश वगैरह हैं । हमारी जो इक्तसादी तरक्की हो चुकी है उसे हम और भी बढ़ा सकते हैं बशर्ते कि अगर हम अपने पड़ौसी मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात कायम रखें । अब हम बहुत आगे हैं और इन मुल्कों का हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं है । अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस जौन आफ इन्फ्लुएंस को कायम रखें । बड़ी कुव्वतें हिन्दुस्तान को कमजोर करना चाहती हैं इसे गिराना चाहती हैं । इसमें हिन्दुस्तान न सिर्फ अपनी इखलाकी कुव्वत का इस्तेमाल करे बल्कि उन जिम्मेदारियों को भी पूरा करे इस पर आईद होती है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, पहली बात तो यह है कि इजराइल के साथ जो हमने जंग लड़ी है, अमली तौर पर तो जंग नहीं की है लेकिन यासर अराफात कीमआजें आजादी तन्जीम को जो हमने तस्लीम किया है उससे हिन्दुस्तान की इज्जत बहुत बढ़ी है । मुस्लिम मुमालिक का महत्व बहुत बढ़ गया है और हिन्दुस्तान का काफी असर इन देशों में है । मैं चाहता हूं कि हमारी यहां पालिसी कायम रहे । हमने अमली तौर पर इसका सबूत दिया है । इस संबन्ध में अभी कुछ करना है । हमें उस दिन का इंतजार है जब फलस्तीन कायम होगा और इससे हिन्दुस्तान की इज्जत और बढ़ेगी । हिन्दुस्तान की इज्जत में इससे बहुत इजाफा होगा । यह हमारी बहुत बड़ी फतह होगी ।

पाकिस्तान के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का हिन्दुतान से कोई मुकाबला नहीं है । हो सकता है कि 1971 में पाकिस्तान एक छोटी मोटी ताकत था लेकिन जिस ढंग से बंगलादेश के लोगों के साथ ज्यादतियां और नाइंसाफियां हुई उसके नतीजे में उससे उन्होंने बगावत कर दी और हिन्दुतान ने उनकी मदद की और पाकिस्तान दो टुकड़े में बंट गया । पाकिस्तान अपनी हमाकतों और गलतियों की बजह से दो टुकड़ों मेंबंटा । हिन्दुस्तान से रस्साकशी का नतीजा यह निकला है कि पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया है । 1971 के बाद एक नई पालिसी बनी । मैं इस बात को बताए बिना नहीं रह सकता कि इस सब कांटीनेंट की डेमाक्रेसी भारत पर निर्भर है । पाकिस्तान में आज जम्हूरी ताकतें आगे आ रही हैं, हम चाहते हैं कि उनको तरक्की हासिल हो । इसके लिए भी हिन्दुस्तान पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है । मैं बताना चाहता हूं कि मरहूम जुल्फिकार अली भुट्टो और श्रीमती इंदिरागांधी जी के बीच बातचीत हुई थी । उससे उम्मीद बच रही थी कि शिमला पैक्ट के नाम से जो समझौता हुआ है उससे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को उम्मीद थी कि आगे चल कर इन दोनों मुल्कों के संबंध आपस में सुधर जाएंगे । बदकिस्मती से भुट्टो साहब की वफात हो गई उनको फांसी पर चढ़ाया गया और इसमें अड़चनें पैदा हो गईं ।

मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान कभी हिन्दुस्तान का हिस्सा रहा है और सदियों से हमारी जुबान, तहजीब सब एक रही है पाकिस्तान में यहां से ज्यादा पंजाबी बोलने वाले लोग हैं उर्दू जुबान की तहजीब लखनऊ और दिल्ली से पैदा हुई है और पाकिस्तान पर गई छा है । इस तरह इसी तरीके से गुजराती, सिंधी जुबाने भी वहां बोली जाती हैं । यह जो जुबान व

तहजीब के रिलेशनाशिप हैं, इसका हमें खयाल रखना होगा आज पाकिस्तान को बड़ी ताकतें जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहती है हमें उसको अक्लमंदी से देखना है और रास्ता ढूंढना है। ब्रिटिश साम्राज्य ने बड़े जोर से डिवाइट एण्ड रूल की पालिसी का सिलसिला शुरू किया और उसी मगरूक साजिश का नतीजा है कि हिन्दुस्तान दो हिस्सों में बटा। आज जो बड़ी ताकतें कोशा है कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में जंग कराई जाए तो हमारी सरकार को हर सफीर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के लोगों का हौसला बढ़ाना चाहिए और यह समझाया जाना चाहिए कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दो भाई हैं जिनका सदियों से रिश्ता है। इसको और आगे ले जाना है। फौजी तसादम के लिए कोशिश हो रही है लेकिन इन्डस्ट्रियलाइजेशन और रिफार्म्स पीछे होते जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हिन्दुस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और पाकिस्तान के साथ मुखास्मत की राह न अपनाये और यहां से जोश दिलाने वाली बात न करे। मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से जो यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान हम पर हमला करने वाला है, यह दरअसल बदकिस्मती की बात है हम जाल में फस रहे हैं इम्पीरियलिज्म चाहता है कि हम इसमें फंस जाएं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि हिन्दुस्तान की तरफ नजर उठाकर भी देख पाए।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद काबुली : इस बिना पर मैं कहता हूं कि इस मुल्क के लिए बार-साइकोसिस (war pychosis)मुनासिब नहीं है। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि मोहब्बत का पैगाम लोगों को दे और वहां के लोगों का दिल जीतें। वहां पर नयी फिजा कायम हो कि हम आपस में भाई हैं, इस बात का अहसास पैदा हो कि हम इकट्ठे रहेगे। यह मुनासिब रहेगा कि पाकिस्तान की तरफ हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। जो रिश्ते 1971 के शिमला पैक्ट के बाद हुए उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को पता चले कि हिन्दुस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है और कम्युनिकेशन, तिजारत तथा कल्चर में अपना फर्ज अदा कर रहा है। कहीं पर कोई गल्ती उनकी तरफ से हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी। पाकिस्तान तीन बार हम पर हमसे लड़ चुका है और हिन्दुस्तान ताकतवर मुल्क के तौर पर तीनों बार उभरा हैं। अब कौन सी जंग पाकिस्तान लड़ना चाहेगा जिसकी बिना वजह खुदा-न-खास्ता किसी खतरे का मामला करना पड़े मैं समझता हूं पाकिस्तान ऐसी कोई कोशिश नहीं करेगा जिससे हिन्दुस्तान के साथ जंग छिड़े। हमें वार-साइकोसिस का माहौल नहीं बनाना चाहिए। यह इलैक्शन का साल है और हम यह महसूस करायें कि पाकिस्तान हम पर हमला करना चाहता हैं तो हो सकता है इस पालिसी की वजह से सरकारी पार्टी को कोई फायदा हो लेकिन हिन्दुस्तान का फायदा इसमें नहीं है। उन ताकतों का फायदा हो सकता है जो इन दोनों मुल्कों को लड़ना चाहती हैं।

दूसरी बात जहां तक अफगानिस्तान का मामला है, मैं अर्ज करूंगा इस मामले में हमारा रूस के साथ दोस्ताना ताल्लुक है, अच्छी बात है, जिस ताकत और दोस्ती तथा अण्डरस्टैंडिंग से हमारे मुल्क को ताकत मिले वह अच्छी बात है, लेकिन उसका नतीजा यह न निकले कि हमारे अहम मफाद (वाइटल इन्टरेस्ट) को नुक्सान पहुंचे। मैं अमरीका और रूस की हिमायत नहीं करूंगा क्योंकि हमारा जैनुइन नान-ऐलाइन्ड देश है, हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में एक नुमाइन्दा सरकार बने, एक इन्डिपेंडेंट अफगानिस्तान हो क्योंकि उससे ही हमारा भला और प्रोटेक्शन है। आपको मालूम होगा कि जब भी हमारे बड़े मुल्क पर हमला हुआ तो हमेशा खैबर

पास से ही हुआ और हमें नुक्सान पहुंचा। इसलिये वहां रूस और अमरीका को अपना इनफ्लूएंस नहीं बढ़ाना चाहिये, और हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिये कि जितनी भी बैरूनी ताकतें और या उनकी फौजें अफगानिस्तान में हैं उनको वहां से निकाल देना चाहिये। इसमें हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा रोल बनता है, न केवल नान-एलाइन्ड नेशन्स के बेयरपर्सन की हैसियत से, बल्कि इसलिये कि हमारी हमसायगी में जंग चल रही है जिसमें हजारों लोग मर रहे हैं, यह बन्द हो। इसलिये हमारे फौरेन मिनिस्टर अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और हिंदुस्तान की तरफ से कोशिश हो अफगानिस्तान में ऐसा रास्ता निकल आये ताकि जो बैरूनी ताकतें वहां पर उसको अपने लिये इस्तेमाल करना चाहती हैं इसमें कामयाब न हो। यदि ऐसा नहीं किया गया तो अफगानिस्तान अपनी लपेट में पूरे सब-कान्टीनेंट (Sub Continent) को ले सकता है और खतरा है कि कोई ऐटमिक वार यहीं से शुरू न हो। इसलिये मैं फौरेन मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा हमें ताकत की बुनियाद पर, हिंदुस्तान खुद में एक बड़ी ताकत है, उसूलों की फतह के लिये कोशिश करनी चाहिये। और अगर अफगानिस्तान में रूस की तरफ से ज्यादतियां हो रही हैं तो हमें दोस्ती का लिहाज नहीं करना चाहिये, बल्कि अपने इन्टरेस्ट को देखना चाहिये, उसका ख्याल रखना चाहिये। और हमारा इन्टरेस्ट इसी में है कि एक आजाद अफगानिस्तान हो जिसमें वहां के लोगों की हुकूमत हो। वह न अमरीका के हाथ में खिलौना बने और न रूस के हाथ में खिलौना बने। और जितने भी वहां बाहर के कौमे हैं और जितना भी असर डाला जा रहा है उसका खातमा करना है, और इसमें हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। और यह फर्ज हमें निभाना होगा।

दूसरी बात श्रीलंका के मुताबिक कहना चाहता हूं। श्रीलंका के बारे में हिकमत अमली का जितना सबूत हिन्दुस्तान ने दिया है उसकी जितनी तारीफ की जाय वह कम है। मगर मैं चाहूंगा कि जो हमारे तमिल स्पीकिंग लोग और टमीलियन्स वहां हैं उनके खिलाफ ज्यादती, जुल्म और जैनोसाइड की पोलीसी चली, आने वाले वक्त में वह रिपीट नहीं होनी चाहिये। और यह जिम्मेदारी सरकार की है कि वहां पर देखे तमिल स्पीकिंग लोग अपने आपको बहुत अच्छे पीसफुल ऐटमस्फीयर में पा रहे हैं और उनके खिलाफ कोई ज्यादती आने वाले वक्त में नहीं होगी।

आखिर में ब्रिटेन के एक साबिक विदेश मन्त्री की बात कह कर अपनी स्पीच खत्म करूंगा। किसी भी देश के स्थाई मित्र या शत्रु नहीं है। उसके केवल स्थायी हित होते हैं। धन्यवाद।

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, विदेश नीति पर हमारी चर्चा हो रही है, विपक्ष के साथियों ने भी अपने विचार रखे हैं। जहां तक कुछ विशिष्ट व्यक्तियों का सम्बन्ध है, जिनके विचार हमारी विदेश नीति से भिन्न हैं, मगर उन्हें जिस आधार से उन्होंने रखा है, उसे सोचने के लिये भी हमें जाना पड़ता है। जैसे उन्होंने अपने विचार इस आवरण के साथ रखे हैं कि हमारी तटस्थ नीति का वह समर्थन तो करते हैं, साथ ही साथ हमें खींचकर एक दिशा में भी ले जाना चाहते हैं।

अभी-अभी जो विचार प्रकट हुए, इस सम्बन्ध में भी उन्होंने बहुत अच्छी बातें कहीं। पाकिस्तान और भारत एक ही संस्कृति के दो अलग-अलग विभाग हैं। हमारी संस्कृति एक है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता, यह भी बिल्कुल सही है कि साम्राज्यवादी ताकतों ने हमको तोड़ा, हमें विभाजित किया और उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। संस्कृति कभी अलग नहीं हो

सकती। आने वाला इतिहास बतायेगा कि हमारी संस्कृति एक साथ एक-दूसरे से मिलकर आगे बढ़ेगी। मैं यहां तक कहता हूं कि भारत की प्राचीन संस्कृति जो अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका और बर्मा तक ए० बी० सी० के रूप में चारों परिधि में दिखाई पड़ रही है, हम सब शांति के अलम्बरदार के रास्ते पर बताई हुई संस्कृति की धरोहर हैं। एक दिन हम सबको एक साथ परस्पर सहयोग से आगे बढ़ना होगा।

इसके साथ जिस तरीके से पाकिस्तान से निर्भय होकर रहने का हमें संदेश उनकी ओर से दिया गया और यह बताया गया कि हम एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं कि पाकिस्तान का भय दिखा रहे हैं, हमारे नेता सिर्फ इसलिये आगे बढ़ रहे हैं कि आगे आने वाला चुनाव है।

मैं उस ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसका उदाहरण उन्होंने स्वयं दिया।

इजराइल का छोटा सा देश किस आधार पर मध्य एशिया में तबाही मचा रहा है और किसकी ताकत पर, उसकी तरफ आपका स्वयं एक इशारा रहा है। उसी आधार पर आप यह महसूस करते हैं कि पाकिस्तान की ताकत अमेरिका बढ़ा रहा है और उसे युद्ध की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहा है। क्या हम चुपचाप केवल सोये रहें और उस तरफ ध्यान न दें? यह आगाही है उस तरफ कि किसी भी शांतिप्रिय देश को, छोटी सी ताकत को, एक विदेशी ताकत जो दुनिया को एटमी हथियार की ओर ले जा रही है, विनाश की ओर ले जा रही है अगर वह अपने को हथियार का अड्डा बनाना चाहते हैं तो हमें उस ओर पूरा साधन होना चाहिए।

हमारी सावधानी अकेले भारत के लिये नहीं, बल्कि दुनिया में जहां-जहां भी अड्डे बनाये जा रहे हैं, उन सबकी तरफ है जो कि दुनिया को विनाश की ओर ले जाने के लिये अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे समय में अगर हम संगठित होते हैं, मुकाबले के लिये अपनी शक्ति को, अपनी जनता को तैयार रखते हैं तो मैं इस बात को कहने में गौरव महसूस करता हूं कि हम शांति को स्थापित करने के लिये अपने देश को मजबूत कर रहे हैं, किसी पर हमला करने के लिये नहीं। यह हमारी विशेषता है। हजारों हजार साल की हमारी सांस्कृतिक परम्परा रही है कि हमने कभी भी किसी देश पर हमला नहीं किया है। अगर हम भारत की शक्ति को बढ़ाते हैं और भारत की जनता को खतरों से आगाह करते हैं, तो हमारा मंशा यह नहीं है कि हम किसी देश को डराना चाहते हैं या भय और युद्ध का माहोल बना कर चुनाव में लाभ उठाना चाहते हैं। चुनाव की बात हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं है। हमने कुछ कार्यक्रम बनाए हुए हैं, जिनके अन्तर्गत हम जनता की सेवा करते हैं, उसकी गरीबी को मिटाने और उसके जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते हैं। चुनाव के समय हम उन्हीं कार्यक्रमों के आधार पर जनता के सामने जाएंगे। युद्ध का माहौल बना कर जनता का समर्थन प्राप्त करने की हमारी नीति कभी नहीं रही है।

अगर हमारी विदेश नीति का उद्देश्य पड़ोसी देशों को कमजोर करना होता, तो हम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और बंगलादेश को कमजोर कर सकते थे। इतिहास बता रहा है कि हमने बंगलादेश की स्वतंत्रता-प्राप्ति में सहयोग किया। वहां पर तानाशाही के द्वारा बंगलादेश की

संस्कृति को मिटाने का प्रयत्न हो रहा था। उस संस्कृति को, जो हमारी संस्कृति है, किसने बचाया ?—भारत ने। क्या भारत अब उस संस्कृति को मिटाने का प्रयत्न करेगा ? यह कभी नहीं हो सकता है।

श्रीलंका के सम्बन्ध में हमारी नीति क्या रही है ? क्या हम श्रीलंका को तोड़ना चाहते हैं ? हम जानते हैं कि साम्राज्यवादी ताकत वहां पर षड्यन्त्र कर रही है। हम यह भी जानते हैं कि श्रीलंका की जनता हमारे साथ है। जो हजारों साल से हमारी और श्रीलंका की संस्कृति है, क्या हम उसको मिटने देंगे ? यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको मिटने नहीं देंगे। श्रीलंका के सम्बन्ध में हमारी विदेश नीति यही है कि हम उसको फलते-फूलते और आगे बढ़ते देखना चाहते हैं।

पाकिस्तान के बारे में भी हमारी यही नीति है। माननीय सदस्य ने सही कहा है कि वहां पर प्रजातन्त्र के लिए संघर्ष चल रहा है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। जहां-जहां प्रजातन्त्र होगा, हम उसे हर प्रकार से सहयोग और समर्थन देंगे। प्रजातन्त्र में विश्व-शांति की नीति अपनाना अनिवार्य और स्वाभाविक है। मगर हम देख रहे हैं कि विश्व साम्राज्यवाद के लिए फिर से वातावरण बनाया जा रहा है। विश्व भर के नागरिक उसके खिलाफ उठ रहे हैं और हम उनके भागीदार हैं। जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, वहां पर तानाशाही सीधे तरीके से विश्व साम्राज्यवाद के साथ गठबंधन कर चुकी है और अवाम प्रजातन्त्र की स्थापना के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम उन अवाम के साथ हैं।

हम युद्ध के लिए वातावरण बना रहे हैं और हम साम्राज्यवादी ताकत के साथ मिल रहे हैं, यह सोचने का उल्टा तरीका है। वहां पर साम्राज्यवाद अपना अड्डा बना रहा है। वह किसके लिए बना रहा है ? माननीय सदस्य ने अफगानिस्तान का उदाहरण दिया। उसको अफगानिस्तान या रूस से भय नहीं है। हमारी नीति साफ है कि अफगानिस्तान में ऐसी स्थिति पैदा हो, ऐसा वातावरण बने, जिसमें रूस की फौजें वहां से चली जाएं। मगर हम वहां अमरीकी अड्डा नहीं बनने देंगे। हम इस बात का कभी समर्थन नहीं करेंगे कि पाकिस्तान उस पर छा जाए और उसको भी अमरीकी अड्डा बनाने के लिए एक विस्तृत क्षेत्र तैयार करें।

शरणार्थियों के रूप में जो लोग पाकिस्तान आए हैं, उनका क्या उपयोग हो रहा है ? वही साम्राज्यवादी ताकत आज अफगानिस्तान को भी निगलने को तैयार है। हम उसे साम्राज्यवादी ताकत के हाथ में निगलने नहीं देंगे। हमारा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होगा। हमारा राष्ट्र कभी ऐसी स्थिति आने नहीं देगा कि अफगानिस्तान जो हमारा एक मित्र देश है उसको ऐसे संकट के समय में एक साम्राज्यवादी भालू के मुंह में चले जाने दें। यह हमारी जो नीति है यह वहां के आम अवाम की नीति है जो साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। कुछ लोग उसके अन्दर भी हैं जो बाहर आकर एक तूफान मचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस आधार को देखें तो हमारी जो नीति है वह बिल्कुल सही सामने आ रही है कि पाकिस्तान की

जो ताकत वहां पर बढ़ रही है, उसको बढ़ाने का जो प्रयत्न वह कर रहा है उसके हम खिलाफ हैं। उसके लिए हम अवाम को तैयार कर रहे हैं।

इतना ही नहीं, हम अगर अवाम को तैयार न करें तो जैसे बंगला देश ने अपनी संस्कृति के लिए संघर्ष किया और एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में उसका निर्माण हुआ, वहां क्या हुआ ? वहां भी साम्राज्यवादी ताकतों के हथकण्डों ने अपना अड्डा बनाने का प्रयत्न किया है और उसको भी अपने चंगुल में फंसाने का प्रयत्न किया है।

श्रीलंका की भी वही स्थिति देखते हैं। हिन्द महासागर के अन्दर हर जगह वह अपने टापू बनाने का प्रयत्न कर रहा है। भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयत्न हो रहा है। क्या हमारी विदेश नीति इससे सुषुप्त रहे ? मैं एक बार उस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। केवल हमारी शांति की नीति है। लेकिन अगर हम कमजोर रहे, तैयारी नहीं की तो एक बार धोखा खा चुके हैं। हमारी मित्रता केवल रूस से नहीं, हम हर समय दुनिया के प्रत्येक देश से चाहे वह कितना भी शक्तिशाली है, चाहे उसकी कैसी भी गलत नीति है लेकिन फिर भी हम बराबर अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाते जा रहे हैं। क्या अमेरिका से हमारी दुश्मनी है ? उनकी गलत नीति का हम विरोध कर रहे हैं और दुनिया में जो गुलाम बनाने की उनकी प्रवृत्ति है उसके खिलाफ हम एक मोर्चे के रूप में दुनिया को संगठित कर रहे हैं, दुनिया के दबे हुए लोगों को संगठित कर रहे हैं। जो वर्णभेद के नाम पर, रंगभेद के नाम पर और पूरब और पश्चिम के नाम पर जो भी भेद फैलाए जा रहे हैं उस भेद के खिलाफ हमने एक मोर्चा सारे विश्व में लगाया हुआ है। इसका अलमबरदार हमारा भारत है, इस बात का हमें गौरव है। मुझे उस समय बड़ी खुशी हुई जिस तरीके से इधर मन से हमारी इन्दिरा जी की विदेश नीति, उनकी विश्व शांति की नीति की सराहना की गई। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सारे देश को चाहे वह पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सबके द्वारा उसकी तारीफ की जानी चाहिए। उसके साथ हमें सहभागी बनना चाहिए। उस चीज की भी एक ऐसे ढंग से आलोचना की गई कि सारा हमारा देश तटस्थ नहीं है। अगर तटस्थ नहीं है तो क्या हम अमेरिकी हथकण्डों का साथ दें और दुनिया को एक युद्ध में जाने के लिए तैयार करें ? हमारी नीति इसके बिलकुल विपरीत है।

हम रूस का साथ दे रहे हैं, रूस की नीति का साथ नहीं दे रहे हैं। उनकी अपनी नीति है, हमारी अपनी नीति है। मगर उस हद् तक हम साथी हैं। हम तो यहां तक कहने को तैयार हैं कि रूस हमारा साथ दे रहा है। विश्व शांति के लिए जो भी देश हमारा साथ देता है उस में रूस हमारा एक सबल साथी है। इस आधार पर हम रूस को अपना सबल साथी मानने को तैयार हैं। किसी युद्ध के अंदर जाने के लिए रूस या अमेरिका के साथ हम तैयार नहीं हैं। मगर विश्व शांति के लिए अगर रूस हमारे साथ है तो हम उसे साथ लेने के लिए तैयार हैं। अगर हम शांति के लिए उस को साथ लेते हैं, युद्ध के विपरीत साथ लेते हैं तो हमें यह कहने की क्यों हिम्मत नहीं होती कि हम सही नीति पर हैं। दोनों को एक तुलना में क्यों रखते हैं ? एक साम्राज्यवादी देश खुले आम दुनिया को वर्ण भेद की ओर ले जा रहा है। दुनिया को हिस्सों में बांटना चाहता है। दुनिया को फिर से

गुलामी के शिकंजे में कसना चाहताहै। उसके साथ रूस की तुलना करना और कहना कि तटस्थ रहें तो क्या हम शांति के साथियों से भी तटस्थ रहें और युद्धखोरों से तटस्थ नहीं, उसका हम मुकाबला करेंगे। तटस्थ का मतलब कमजोरी नहीं है, चुपचाप बैठे रहना नहीं है। युद्ध वालों को युद्ध करने दो और शांति वालों को शांति लाने दो और हम चुप चाप बैठे रहें। यह तटस्थ नीति नहीं है। केवल मतलब के लिए हम साथ दें यह तटस्थता नहीं है। भारत की विदेश नीति कभी भी मतलबपरस्ती की नहीं रही है। हजारों साल से जो हमारी नीति रही है उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि शांति के लिए लोगों के साथ हैं। शांति के लिए ही हम अपने देश को मजबूत करेंगे और वह हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे ऊपर भी हमले हुए। जिनको हम शांति का साथी समझते रहे उन्होंने भी हमारे ऊपर हमला किया। यदि हम उस समय ताकतवर होते तो शायद हमारे ऊपर हमला नहीं होता। इसलिए हमारी नीति देश को मजबूत बनाना है और देश को युद्ध से आगाह करके रखना है। उसी आधार पर आज हमारी ताकत है, हमारी जनता की ताकत है और किसी भी युद्ध से मुकाबला करने के लिए हम तैयार खड़े हैं। इसीलिए आज वे लोग भी जो कि युद्ध की ओर देखा करते थे आज हमारे साथ रहने की स्थिति में हैं। मैं उन साथियों को भी आगाह करना चाहता हूं जो हमसे भय खाकर दूसरों को भय दिखाना चाहते हैं। आज ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। हमारी जो सांस्कृतिक नीति रही है भगवान बुद्ध से लेकर गांधीजी के राजनीतिक आन्दोलन के समय तक जबकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय भी फासिज्म की जो ताकत बढ़ी थी उसके खिलाफ भी हमने आवाज उठाई थी। शांति की तरफ हमेशा हमारी दिशा रही है। गांधी के युग में कमजोर वर्ग को उठाने की जो हमारी नीति रही वही आज भी कायम है।

मैं अपने उन साथियों का आह्वान करना चाहता हूं जो कि विदेश नीति में हमारे सहयोगी हैं, कि वे देश की नीति में भी हमारा सहयोग करें। देश की नीति में हम सबसे नीचे के व्यक्ति को ऊपर उठाना चाहते हैं और देश को सबल बनाना चाहते हैं। जिस दिशा में हमारा राष्ट्र जाना चाहता है उसी दिशा में हमारा नेतृत्व अग्रसर है। आज इस नेतृत्व के साथ सहयोग करने की सबसे अधिक आवश्यकता है। यदि सभी साथ मिलकर देश और विदेश नीति को मजबूत करना चाहें तो हम अधिक सफल हो सकते हैं। किन्तु दुर्भाग्य है कि कुछ लोग केवल अंध विरोध के लिए यह भी नहीं देखते कि हमारे ऊपर राष्ट्रीय संकट है और साम्राज्यवादी ताकतें हमारे देश को फंसाना चाहती हैं। आज हमारी इन्दिरा जी शांति की दिशा में राष्ट्रों को नेतृत्व दे रही हैं वे इस देश के नीचे के वर्ग को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रही हैं। लेकिन इसको न समझते हुए अंध विरोध के नाम पर जमघट इकट्ठा होगा तो वह देश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है।

मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए कि देश आज शांति के लिए आगे बढ़ रहा है और इस शांति के मसीहा को साम्राज्यवादी ताकतें कमजोर करना चाहती हैं, उसके खिलाफ जनता को तैयार करना, विश्व शांति के लिए तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। देश को मजबूत करने के लिए, अंतिम व्यक्ति को ऊपर उठाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय नीति के जो अन्तर्राष्ट्रीय नीति के साथ सन्निहित है, उसे मार्ग प्रदर्शित कर रही है जिसका समर्थन सारा राष्ट्र कर रहा है, जो यहां का नेतृत्व वर्ग है भले ही वह विरोधी पार्टियों में हो, विदेश नीति का समर्थन करेगा और पूर्णरूप से समर्थन करेगा। यही पूर्ण आशा करते हुए, मैं विराम लेता हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पौन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह हर्ष की बात है कि भारत सरकार की विदेश नीति कुल मिलाकर सही दिशा में चल रही है। सरकार को खास तौर पर इस बात का श्रेय जाता है कि वह बड़ी-बड़ी बाधाओं के बावजूद अपने अच्छे उद्देश्यों तथा अपनी अच्छी नीतियों का निरंतर पालन करती रही है।

हमने देखा है कि गत वर्ष विश्व के विभिन्न भागों में कई संघर्ष तथा संकट पैदा हुए। ये संघर्ष तथा संकट इतने प्रचंड थे कि इनसे न केवल उन क्षेत्रों जहां ये घटित हुए, की सुरक्षा तथा स्थायित्व को खतरा पैदा हो गया था बल्कि इनसे-विश्व शांति को खतरा पैदा हो गया था। ऐसे वातावरण में भी, भारत सरकार द्वारा तनाव कम करने और अंतर-राष्ट्रीय सहयोग कायम करने तथा शांति पूर्ण सह-अस्तित्व की नीति पालन करने में तत्परता दिखाया जाना प्रेरणादायक बात है।

महोदय मुझे इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं कि विश्व की प्रगति उसका अस्तित्व-संघर्ष या तनाव कम करने, संघर्ष को दूर करने तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को कायम करने की नीति पर निभर है। परन्तु, यद्यपि सरकार विभिन्न अड़चनों के बावजूद अपनी अच्छी नीति के साथ अग्रसर रही है परन्तु यह बड़े खेद की बात हैं कि महा-शक्तियों का रवैया ऐसा नहीं है।

महोदय, पिछले वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय नीति के एक माध्यम के रूप में आक्रमण के पुराने साम्राज्यवादी सिद्धांत को फिर से अपनाने के स्तब्धकारी उदाहरण सामने आए हैं। जैसा कि मैंने कहा है, अमेरिका द्वारा ग्रेनेडा पर खुला आक्रमण इस तथ्य का स्तब्धकारी उदाहरण है। अक्तूबर के अन्त में ग्रेनाडा पर अमेरिका का सशस्त्र आक्रमण हुआ जो कि एक लाख की कुल आबादी वाले छोटे से देश के विरुद्ध खुले बल-प्रयोग को प्रदर्शित करता है। यही नहीं अमेरिका ने विश्व-मत को तिरस्कार की भावना से देखा। राष्ट्रपति रीगन के इस कथन को सुनकर विश्व स्तब्ध रह गया :—

> "संयुक्त राष्ट्र के एक सौ राष्ट्र हमसे सहमत नहीं हुए। इससे मेरी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा।"

विश्व मत के प्रति अनादर तथा राष्ट्रीय नीति के उपकरण के रूप में आक्रमण के सिद्धांत को फिर से अपनाने की प्रवृत्ति अन्तर-राष्ट्रीय सम्बन्धों में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।

इसका एक दूसरा उदाहरण है—अमेरिका की मदद से इजराइल द्वारा लेबनान पर बर्बर आक्रमण महोदय, जैसा कि मैंने कहा, गत वर्ष कई तरह के संघर्ष हुए। उदाहरणार्थ, समृद्ध पश्चिमी राष्ट्रों तथा विकासशील तृतीय विश्व के मध्य आर्थिक संघर्ष जो कि समृद्ध राष्ट्रों की अर्थ व्यवस्था में मंदी का परिणाम था। महोदय लेबनान पर इजरायल तथा अमेरिका का सशस्त्र हस्तक्षेप, राष्ट्रीय नीति के एक माध्यम के रूप में इस आक्रमण के सिद्धांत को फिर से अपनाने का दूसरा

उदाहरण है । हमारे देश सहित सम्पूर्ण विश्व ने इस आक्रमण की निंदा की परन्तु अभी यह नहीं जान पड़ता कि इजराइल या अमेरिका पर इस निंदा का कोई असर पड़ा है । यह सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमरीका भूमध्य सागरीय तथा पश्चिम एशियाई सैन्य-नीति अधिक से अधिक तनाव तथा संघर्ष पैदा कर रही है । यहां इस चुनौती को स्वीकार करना ही होगा । हम देखते हैं कि भारत सरकार इन अमरीकी गतिविधियों को रोकने में मदद करने के लिए इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष सम्मेलन तथा अन्य मंचों के माध्यम से सक्रिय है ।

महोदय, इन नीतियों के परिणामों का बखान करने की आवश्यकता नहीं है; ये विश्व शांति तक को भारी खतरा पैदा कर सकती है; ये पश्चिम एशियाई तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकती हैं । जहां तक लेबनान का प्रश्न है, हम 1976 से लेबनान में गृह युद्ध की स्थिति देख रहे हैं । परन्तु जैसा कि मैंने कहा, 1983 के मध्य में अमेरिकी नौ सेना ने इजराइल से सांठगांठ करके लेबनान पर अपनी दुर्भाग्यपूर्ण गतिविधियां शुरू कर दी । अमेरिका का उद्देश्य क्या है ? उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है । यह एक ओर सीरिया पर दबाव डालता है । उद्देश्य यह है कि लेबनान में लम्बे समय से चल रहे संघर्ष में सीरिया को नुकसान पहुंचाया जाए । उसका उद्देश्य संपूर्ण अरब देशों तथा तेल समृद्ध खाड़ी के क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाना है, लेबनान के तट पर भारी अमेरिका नौसेना का जमाव-अमरीकी भूमध्य-सागरीय नौसेना, अमेरिकी अड्डे की परिचालनात्म सुविधाएं आदि स्थापित हैं, जो कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की दृष्टि से सहयोगपूर्ण नहीं बल्कि तनावपूर्ण स्थिति है ।

उपाध्यक्ष महोदय हमें अफगानिस्तान पर रूस के सतत सैनिक हस्तक्षेप पर भी गौर करना चाहिए और यहां मैं यह टिप्पणी करने पर बाध्य हूं कि दुर्भाग्य से अफगानिस्तान से रूसी सेनाओं को हटाने के संबंध में अपनाई गई हमारी नीति उचित सिद्ध नहीं हुई है । मुझे मजबूत होकर कहना पड़ रहा है कि हम अफगानिस्तान की घटनाओं के संबंध में अपना प्रभाव का इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं है ।

प्रो० एन० जी० रंगा : हमने पूरी कोशिश की है, वह यदि अपनी सेना नहीं हटाता तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है ।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, मैं यहां इस बात पर जोर देता है कि उप-महाद्वीप की उत्तर-पश्चिम सीमाएं—भारत-पाक उप-महाद्वीप—केवल पाकिस्तान की ही नहीं, हमारी अपनी सीमाएं हैं । अत: अफगानिस्तान में रूसी सैनिक हस्तक्षेप को बड़ी गंभीरता पूर्वक तथा इसके संदर्भ में देखा जाना चाहिए । संघर्ष कम करने तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति के अनुपालन के लिए यह परमावश्यक है कि अफगानिस्तान में रूसी फौजों को हटाने के प्रयोजनार्थ भारत को पाकिस्तान का कन्धे से कंधा मिलाकर साथ दो पाकिस्तान की सीमाओं में अफगानिस्तान से भारी संख्या में शरणार्थी आये हैं जो कि स्वाभाविक है । सरकार को चाहिए कि वह इस स्थिति पर माननीय आधारों पर विचार करे और इससे हमारे पड़ौसी देश पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों में निश्चित रूप से सुधार होगा ।

भारत तथा पाकिस्तान को एक शांतिपूर्ण उप-महाद्वीप के रूप में अपना सह-अस्तित्व बनाना है। वस्तुत: हम पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाने में पीछे नहीं रहे हैं। हमने मैत्री संधि का प्रस्ताव रखा है; पाकिस्तान ने अनाक्रमण समझौते का प्रस्ताव रखा है। वस्तुत: यह अनाक्रमण समझौता हमने ही विगत काल में पाकिस्तान के समक्ष रखा था; संभवत: कम से कम तीन बार। इस अनाक्रमण समझौते पर दोनों देशों द्वारा गंभीरता से विचार नहीं किये जाने की मुझे कोई वजह नहीं पता लगी। यह निश्चित रूप से दृढ़ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करने तथा हमारी शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति के अनुपालन का अच्छा माध्यम होगा। यह वस्तुत: दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैत्री पूर्ण संबंध कायम करने की बड़ी इच्छा के बावजूद कुछ छोटे-मोटे विवाद पैदा हो जाते हैं और इन छोटे-मोटे विवादों के खराब परिणाम होते हैं। यह अच्छी बात है कि भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये बड़ी प्रयत्नशील है कि इन छोटे मोटे विवादों का दोनों देशों के मध्य सौहार्द्रपूर्ण संबंधों पर कोई असर न पड़े।

पाकिस्तान द्वारा युद्ध छेड़े जाने की धमकी की चर्चा की गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां तक किसी पड़ोसी देश का ताल्लुक है, ऐसे मामले को गंभीरता से नहीं लिया जाता है तथा देश के विभिन्न भागों में राजनीतिक भाषणों में यत्र तत्र उसको उछाला जाता है। यह चिंता जनक है। मैं इस बात पर देना चाहता हूं। कि इसे गंभीरता से लेना चाहिए। यदि भारत सरकार यह महसूस करती है कि युद्ध का कोई खतरा है, तो इस सदन को विश्वास में लेकर उस खतरे के संबंध में विचार किया जाए। इस विषय पर सतही बातचीत से सौहार्द्रपूर्ण संबंधों पर भारी आघात पहुंचता है और हम देखते हैं कि ये बातें बड़े ही सतही ढंग से की गई हैं। अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि यदि वह वास्तव में यह महसूस करती है कि युद्ध का कोई खतरा है तो इस सदन के माध्यम से राष्ट्र को विश्वास में लेकर इस खतरे के संबंध में विचार किया जाए; अन्यथा ऐसी सतही बातों से

6.00 म०प०

गतिरोध पैदा होगा।

मैं संघर्षों तथा तनावों की चर्चा कर रहा था। महोदय, यह भी एक दु:खद बात है कि···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला आप अगले पांच मिनटों में अपना भाषण पूरा करेंगे? यदि ऐसा है तो आप आज इसे पूरा करें। यदि आप कल भी बोलेंगे तो इससे परम्परा बिगड़ सकती है।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं परम्परा को नहीं छोड़ूंगा। मैं कल क्या परसों भी आराम से बात कर सकता हूं।

महोदय, ईरान तथा इराक के मध्य युद्ध का जारी रहना दु:खद बात थी। भारत सरकार ने इस संबंध में कई प्रयास किये···।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, आप कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं; क्योंकि आज आप फिर और वक्त ले रहे हैं।

अब श्री मल्लिकार्जुन।

6.1½ म०प०

कार्य मंत्रणा समिति

58वां प्रतिवेदन

खेल विभाग, निर्माण तथा आवास मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 58वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन की बैठक कल 11 बजे पुनः समवेत होने तक स्थगित होती है।

6.02 **म० प०**

तत्पश्चात् लोकसभा बुधवार, 21 मार्च, 1984/1 चैत्र, 1906 (शक) को 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

कार्य मंत्रणा समिति

58वां प्रतिवेदन

खेल विभाग, निर्माण तथा आवास मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 58वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन की बैठक कल 11 बजे पुनः समवेत होने तक स्थगित होती है।

6.02 **म० प०**

तत्पश्चात् लोकसभा बुधवार, 21 मार्च, 1984/1 चैत्र, 1906 (शक) को 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।